राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृतान्त

ग्रंक 2) आठवीं विधान सभा के द्वितीय सत्र का 15वां दिवस (संख्या 11

मंगलवार

दिनांक 16 जुलाई, 1985

विधान सभा की बैठक म. पू. 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री हीरालाल देवपुरा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न । श्री रामदेव ।

नागौर जिले में व्यवस्थापकों के विरुद्ध शिकायतें

299. **श्री रामदेव चौधरी** (मूण्डवा) : क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) नागौर जिले में ऐसे कितने व्यवस्थापक हैं जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतें है एवं जांच की जा रही है ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि कई व्यवस्थापकों के खिलाफ जांच से व ग्रंकेक्षण से भ्रष्टाचार साबित हुआ है एवं उनमें से कइयों के खिलाफ पुलिस में मुकदमें दर्ज हैं ?

(3) जिन व्यवस्थापकों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं या भ्रष्टाचार साबित है, उनमें से कितनों को निलम्बित किया गया है और कितनों को नहीं ? ऐसे व्यवस्थापकों को निलम्बित न करने के कारण क्या हैं ?

राज्य मन्त्री, सहकारिता (श्री शीशराम ओला) : (1) सूची सदन के पटल पर रख दी गई है ।

(2) जी हां ।

(3) जिन व्यवस्थापकों के विरुद्ध भ्रष्टाचार गबन के मुकदमे दर्ज हैं उनमें से 8 व्यवस्थापकों को निलम्बित किया गया है । शेष व्यवस्थापकों के विरुद्ध जांच प्रक्रिया पूरी होने पर ही आगे कार्यवाही की जायेगी ।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 1 देखें)

श्री रामदेव चौधरी : मन्त्री महोदय, मैं आपसे यह पूछना चाहूंगा कि क्या सस्पेंड होने के बाद भी, जिनको सस्पेंड किया है वे व्यक्ति उसी जगह पर रहेंगे ? एक तरफ तो आप कहते हैं कि सस्पेंड कर दिया है दूसरी तरफ अभी तक चार्ज नहीं दिया है ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ने यह पूछा है कि जिनको सस्पेंड कर दिया है, सस्पेंड होते हुए भी वह वहीं पर बैठे हुए हैं और उन्होंने चार्ज नहीं दिया है।

श्री शीशराम ओला : कोई काम नहीं कर रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति सस्पेंड कर दिया है तो वह काम नहीं कर सकता।

श्री हरिकुमार औदित्य (रामगंज मण्डी) : माननीय सदस्य कह रहे हैं कि कामकर रहे हैं।

श्री शीशराम ओला : वह अपनी जानकारी से कह रहे हैं। सरकार की जानकारी से नहीं है।

श्री रामदेव चौधरी : इसमें कई व्यक्तियों का मामला है। मैं एक आपको उदाहरण देता हूं। शीमगांव का बलदेवराम है जिसके खिलाफ आरोप पत्र भी दे दिया है उसकी फोटोस्टेट कापी मेरे पास में है, जिसने फर्जी रसीदें काटी हैं और आज तक जमा खर्च नहीं हुआ है। हमने राज्य सरकार को, रजिस्ट्रार को सबको शिकायत भेजी परन्तु आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। एक तारीख को उसको सस्पेंड कर दिया गया परन्तु अभी तक चार्ज उसी के पास है। उसकी फाइल जयपुर मंगा ली गई है और उस पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है।

श्री शीशराम ओला : माननीय अध्यक्ष जी, मैंने माननीय सदस्य को निवेदन किया कि सस्पेंड होने के बाद कोई भी व्यक्ति कार्य नहीं कर सकता। इसके बावजूद माननीय सदस्य का ख्याल है कि वह कार्य कर रहा है तो मैं उनकी इस बात से सहमत नहीं हूं। फिर भी जो कुछ भी स्थिति हो, अगर आपकी बात सही है तो वह व्यक्ति कल 12 बजे तक वहां पर नहीं रहेगा।

श्री रामदेव चौधरी : मैं एक निवेदन और करूंगा। यह मेरे पास में फोटोस्टेट कापी है आप चाहें तो मैं बता सकता हूं कि उसने फर्जी रसीदें काट कर दो सौ रुपयों का गबन किया है।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय ने कह दिया है कि उसके खिलाफ कार्यवाही की जा रही है। उसको सस्पेंड कर दिया गया है।

श्री रामदेव चौधरी : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे मामलों में पुलिस को दे दिया जाता है लेकिन अभी तक केस पुलिस में नहीं दिया गया है। और भी गबन नहीं हो इसके लिए जरूरी है कि उसको वहां से हटाया जाय। अगर सस्पेंड आदमियों को नहीं हटाया गया तो लाखों रुपयों के गबन के केसेज और आयेंगे।

श्री शीशराम ओला : नहीं, अध्यक्ष महोदय, हमने जांच करवाई है और रु. 400161.19 पैसे के मामले पकड़े गये हैं और उन पर कार्यवाही की गई है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : ये पूरे राजस्थान के फिगर हैं।

श्री शीशराम ओला : यह केवल नागौर जिले में हुए हैं। उनके खिलाफ जांच की प्रक्रिया पूरी होने के बाद जो केस पुलिस में दिये जा सकते थे वह पुलिस में दिए गए थे। और केसेज की जांच चल रही है। जिनको इस लायक पायेंगे उनको निश्चित रूप से पुलिस में दिया जायगा।

(व्यवधान)

श्री रामदेव चौधरी : आडिटर ने

(श्री रामदेव चौधरी)

लिखा है कि 4234 रुपये वसूली योग्य हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय मन्त्री महोदय ने यह कह दिया है कि जो पुलिस में देने योग्य केसेज हैं उनको निश्चित रूप से पुलिस में दिया जाएगा।

श्री रामदेव चौधरी : आडिटर ने रिपोर्ट दी है कि गबन का मामला है।

(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : मन्त्री महोदय यह बताइये, जब आपके पास शिकायत आती है और कार्यवाही से यह पता लगता है कि यह ऐसा केस है जिसमें क्राइम हुआ है और एफ.आई.आर. लाज होनी चाहिये तो किस स्टेज पर एफ.आई.आर. दर्ज कराई जाती है?

श्री शीशराम ओला : अध्यक्ष महोदय, मैंने आपके माध्यम से निवेदन किया कि एफ. आई. आर. जांच जब पूरी हो जाती है...

श्री भंवरलाल शर्मा : यह नहीं है। मैंने यह पूछा था कि आपके सामने शिकायत आती है और उससे यह पता चलता है कि इसमें क्रिमिनल केस हुआ है, काग्नीजेबल केस हुआ है तो आप एफ.आई.आर. कब लाज कराते हैं?

श्री शीशराम ओला : जब यह साफ हो जाता है कि व्यक्ति दोषी है तो करा देते हैं।

(व्यवधान)

श्री लक्ष्मीनारायण किसान (फुलेरा) : सहकारी समितियों में जितने व्यवस्थापक हैं उनके ऊपर सहकारी समिति का अध्यक्ष होता है तो जब ग्राम सभा में यह जाहिर हो जाता है कि व्यवस्थापक ने गबन किया है फिर भी सहकारी समिति के व्यवस्थापक को हटाने का अधिकार सहकारी रजिस्ट्रार को क्यों दिया गया है।

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न है। श्री हरजीराम बुरडक।

श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं) : माननीय मन्त्री महोदय ने कहा कि पुलिस में केस दर्ज करा देते हैं। माननीय सदस्य ने यह पूछा है कि गबन साबित होने पर भी पुलिस में केस दर्ज क्यों नहीं कराया? दूसरी बात यह है, मन्त्री महोदय कह रहे हैं कि जांच के बाद में पुलिस में केस दायर कराने लायक होता है तब केस दायर कराते हैं। वास्तविकता यह है कि आडिटर की रिपोर्ट के आधार पर केस पुलिस में दर्ज कराना चाहिये। लेकिन जिन संस्थाओं का आडिट नहीं होता है और गबन के केस पकड़े जाते हैं उनके बारे में जब पुलिस में जाते हैं तो पुलिस कहती है कि आडिटर की रिपोर्ट लाओ, आडिट में गबन पाया गया या नहीं? आडिट में गबन पाते ही तत्काल केस दर्ज करा देना चाहिए था।

श्री जगमालसिंह यादव (तिजारा) : मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हूँ कि सहकारी समितियों का आडिट, सत्यापन होता है तो कितने पर्सेन्ट ऋणों का सत्यापन हुआ है?

श्री अध्यक्ष : यह इससे सम्बन्धित नहीं है ।

श्री जगमालसिंह यादव : मैं यह निवेदन कर रहा हूं जिस तरह से माननीय मन्त्री महोदय ने बताया कि व्यवस्थापक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया जायगा...

श्री अध्यक्ष : इसका जवाब दे दिया है ।

(व्यवधान)

श्री जगमालसिंह यादव : मैं इसी से सम्बन्धित प्रश्न पूछ रहा हूं । मैं यह पूछना चाहता हूं कि जिन समितियों के अध्यक्ष, मन्त्री और कोषाध्यक्ष, पदाधिकारियों ने गबन किया है क्या उनके खिलाफ भी मुकदमे दर्ज किये जाते हैं ? मेरा यह मानना है कि व्यवस्थापकों से अधिक तो पदाधिकारियों ने गबन किये हैं ।

(व्यवधान)

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूँ, मन्त्री महोदय ने यह जवाब दिया कि बलदेवराम के खिलाफ केस दायर हो चुका है, हमारा यह मानना है कि बलदेवराम के खिलाफ आज की तारीख तक कोई केस दायर नहीं हुआ है । क्या हमारी बात सही है या मन्त्री महोदय की बात सही है ?

श्री शीशराम ओला : आपको सही खबर नहीं है और आपके पास जो सूचना है उसको सही आधार मान कर नहीं चला जा सकता है । हम कह रहे हैं कि उसके खिलाफ केस रजिस्टर हो चुका है और उसके खिलाफ कार्यवाही जारी है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर ।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : मन्त्री महोदय यह कैसे कह रहे हैं । हम लोग भी जिम्मेदार लोग हैं हम कह रहे हैं कि आज की तारीख में बलदेवराम के खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं हुआ है ।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय मन्त्री महोदय, यह बता दीजिये कि कौन से थाने में और कौन सी दफा में केस दर्ज है ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर । माननीय सदस्य ।

श्री लक्ष्मीनारायण किसान : बलदेवराम के खिलाफ केस दर्ज हो गया है तो उसकी एफ. आई. आर. की रिपोर्ट बता दें ।

श्री भंवरलाल शर्मा : आप यह बता दें कि कौन से थाने में और कौन सी दफा में केस दर्ज हुआ है ।

श्री शीशराम ओला : बलदेवराम के खिलाफ केस भी चल रहा है और उसको सस्पेंड भी किया जा चुका है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर । माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि केस कहां पर चल रहा है, यह आप बता दें ।

श्री शीशराम ओला : उसके खिलाफ धारा 74 के अन्दर केस चल रहा है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : पुलिस में केस नहीं चल रहा है ?

श्री शीशराम ओला : पुलिस से केस नहीं है । सिद्ध होने पर पुलिस में जाएगा ।

श्री चुन्नीलाल इन्देलिया : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने हाउस में यह बात कही है कि केस दायर कर दिया गया है, यह बात बेबुनियाद है कि पुलिस में केस दायर कर दिया गया है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, कृपया बैठ जायं। आप सुनने की कोशिश नहीं करते। मन्त्री महोदय जवाब दे रहे हैं।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज।

श्री शीशराम ओला : माननीय अध्यक्ष महोदय, पुलिस केस के लिये मैंने बिलकुल नहीं कहा है। अध्यक्षजी, मैंने तो इतना ही निवेदन किया है कि श्री बलदेवराम को सस्पेण्ड कर दिया गया है और उसके खिलाफ धारा 74 के तहत केस चल रहा है। उसकी जांच हो रही है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। पुलिस में केस दर्ज नहीं हुआ है, स्पष्ट हो गया बैठ जायें।

श्री रामदेव चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज करना चाहूंगा मुझे आज समाचार मिले हैं, जिले के कलेक्टर, जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, ने मौखिक रूप से उनसे कहा है कि आप वहां पर बैठे रहें, असेम्बली के बाद बहाल कर दूंगा।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय ने कहा है कि कल 12 बजे तक वहां पर से हट जायेंगे।

(व्यवधान)

श्री रामदेव चौधरी : एक बात और, अध्यक्ष महोदय, उस आदमी को राजनैतिक संरक्षण है। इसलिए मन्त्री महोदय यह वायदा करें कि उसके खिलाफ पूर्ण कार्यवाही करवा देंगे।

श्री अध्यक्ष : यह तो मन्त्री महोदय ने कह दिया कि कल 12 बजे तक हट जायेंगे।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी।

(व्यवधान)

श्री लक्ष्मीनारायण किसान : वसूली की कार्यवाही की जांच होती है...

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठ जायं।

श्री रामदेव चौधरी : अध्यक्ष महोदय, यह कागज मैं आपको देना चाहता हूँ, जिसमें 402 का केस बनता है....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि आडिट की जो रिपोर्ट आ गई थी, क्या अब पूरी जांच के आधार पर एफ. आई.

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

आर. दर्ज कराना मन्त्री महोदय वाजिब नहीं समझते ।

श्री शीशराम ओला : अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही निवेदन कर दिया और अब फिर निवेदन कर रहा हूं कि हर रिपोर्ट की प्रक्रिया जांच से पूरी होती है। कोई भी चार्जेज होते हैं। वह केवल आडिट में ही नहीं माने जा सकते। उनकी विस्तृत जांच होती है। उसमें दोषी पाये जाने पर पुलिस को केस दिया जाता है। यह केस अलग प्रकार के हैं। मैं लम्बे विस्तार में नहीं जाना चाहता लेकिन व्यवस्थापकों के पास कोई अकाउन्ट्स नहीं होते हैं। सोसाइटी की दिनचर्या को, कार्यक्रम को चलाने के लिए....

(व्यवधान)

नेता महोदय मैं तो अपनी बात पूरी कह दूं, बाद म आप फरमा देना। उसमें सोसाइटी प्रस्ताव लाती है, उनकी सोसाइटी को कारोबार चलाने की जरूरत है वह व्यवस्थापकों के अधीन रहते हैं। खाद की बिक्री के, चीनी की बिक्री के जो पैसे आते हैं उन पैसों में घोटाले करते हैं, वक्त पर पैसा जमा नहीं कराते हैं, व्यवस्थापक खा जाते हैं या रख लेते हैं या गबन कर लेते हैं। इस प्रकार के सारे केसेज हैं। इनकी सारी जांच होने पर ही आगे बढ़ा जा सकता है। मेरे ख्याल से मैंने स्पष्ट रूप से प्रत्येक बिन्दु का उत्तर दे दिया है ।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत) **नेता प्रतिपक्ष** : एक बात पूछना चाहता हूं यह जो आपके विभाग में जांच चल रही है वह गबन की चल रही है ?

(व्यवधान)

श्री शीशराम ओला : कोई घबराने की बात नहीं है, मैं सब बता दूंगा ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट प्रश्न, श्री रामसिंह विश्नोई ।

श्री शीशराम ओला : हां, गबन की शिकायत आई है और गबन के तहत ही विभाग में उसकी जांच चल रही है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अब आप यह बता दीजिए कि गबन की जांच करने का काम केवल पुलिस का है, विभाग का नहीं है ?

(व्यवधान)

श्री शीशराम ओला : दोनों का है ।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर) : आप किताब पढ़ लीजिये ।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैंने इसीलिये पूछा है, कानून में यह लिखा हुआ है....

श्री शीशराम ओला : 174 की जो कार्यवाही कर रहे हैं वह विभाग कर रहा है....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कानून में यह लिखा हुआ है कि ज्योंही सरकार को या

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

सरकार के किसी विभाग को या अधिकारी को किसी व्यक्ति के गबन की सूचना मिले तो उसकी तुरन्त पुलिस को रिपोर्ट करनी चाहिये। माननीय मन्त्री महोदय, आपने कहा कि गबन की जांच चल रही है। आडिट में गबन के आरोप लगाये हैं, जांच गबन की चल रही है तो मैं पूछना चाहता हूँ इस विभाग को काग्नीजेबल आफेन्स में जांच करने का अधिकार कहां मिला हुआ है।

श्री शीशराम ओला : माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय विपक्ष के नेता से यह निवेदन करना चाहूंगा कि कोई भी किसी प्रकार की शिकायत आती है, उसमें किसी प्रकार की, कई प्रकार की शिकायतें हो सकती हैं....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री शीशराम ओला : आप यूं यूं क्या करते रहते हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। मन्त्री महोदय आप अपनी बात कहें। आर्डर प्लीज।

(व्यवधान)

श्री शीशराम ओला : जवाब दूं सुनना चाहें तब ना। सुनने की चेष्टा करें। यूं यूं क्या करते हैं। यह क्या तरीका है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

श्री शीशराम ओला : माननीय सदस्य को व्यावहारिकता से रहना चाहिये। यह क्या बात हुई ?

श्री अध्यक्ष : आप अपनी बात कह दें। माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज...

(व्यवधान)

कहने दीजिये। कृपया बैठ जायें।

नेक्स्ट प्रश्न। श्री रामसिंह विश्नोई।

श्री हरजीराम बुरडक : अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रश्न का उत्तर तो आना चाहिये।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैंने दूसरा प्रश्न पुकार लिया है। आर्डर।

(व्यवधान)

श्री रामदेव चौधरी : अध्यक्ष महोदय, आडिट रिपोर्ट की फोटोस्टेट कापी है....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बैठ जायें।

(व्यवधान)

श्री नारायणराम बेड़ा (भोपालगढ़) : अध्यक्ष महोदय, 5 हजार रुपये बैंक से लिए हैं और वसूली नहीं कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, कृपया बैठ जायें ।

(व्यवधान)

दूसरा सवाल पुकार लिया है, माननीय सदस्य, कृपया बैठ जायें ।

राज्य कर्मचारियों को पंजीकृत डाक्टर्स से उपचार की छूट

300. **श्री माधवसिंह दीवान** (सोजत) एवं **श्री रामसिंह विश्नोई** (लूणी) : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि राज्य कर्मचारियों को बीमार होने पर राजकीय डिस्पेन्सरियों में ही इलाज कराने के लिए बन्दिश है और अन्यत्र अच्छे रजिस्टर्ड डाक्टर या वैद्य से अपनी इच्छानुसार इलाज करायें तो उनका सर्टिफिकेट मान्य नहीं है ।

(2) क्या यह सही है कि केन्द्रीय कर्मचारियों को इच्छानुसार रजिस्टर्ड डाक्टरों से इलाज कराने के लिए छूट दी हुई है व उन द्वारा दिया गया सर्टिफिकेट भी मान्य है और पूर्व में राज्य सरकार द्वारा भी यह छूट थी ?

(3) इस तरह से डिस्पेन्सरियों में अवकाश दिवस, डाक्टर के अवकाश पर चले जाने, मरीजों की अत्यधिक भीड़, डिस्पेन्सरी की दूरी आदि की वजह से कर्मचारियों को होने वाली परेशानी से बचाने के लिए क्या राज्य सरकार इस तरह के प्रतिबन्ध को हटाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों? इस प्रतिबन्ध के लगाये जाने का क्या औचित्य है ?

राजस्व मन्त्री (श्रीमती कमला) : इलाज कराने पर कोई बन्दिश नहीं है । अवकाश स्वीकृति के लिए चिकित्सा प्रमाण-पत्र केवल उन स्थानों पर जनहित में रजिस्टर्ड डाक्टर्स या चिकित्सकों को मान्यता दी गई है जहां राजकीय चिकित्सक उपलब्ध नहीं हैं ।

(2) केवल एलोपैथिक चिकित्सा के लिये रजिस्टर्ड डाक्टर्स के दो प्रमाण-पत्र केन्द्रीय सरकार में मान्य हैं । आयुर्वेदिक, यूनानी तथा होम्योपैथिक पद्धति के प्रमाण-पत्र के लिए केन्द्रीय सरकार ने भी राज्य के नियमों को ही अपनाया है । 30-6-70 से पूर्व राज्य कर्मचारियों को यह छूट थी ।

(3) जी नहीं । अधिकतर स्थानों पर एलोपैथिक या अन्य प्रकार के राजकीय चिकित्सक उपलब्ध हैं । अतः कोई विशेष समस्या सामने नहीं आती है । जहां राजकीय चिकित्सक उपलब्ध नहीं है वहां रजिस्टर्ड डाक्टर्स व अन्य चिकित्सक की छूट दी हुई है ।

श्री रामसिंह विश्नोई : अध्यक्ष महोदय केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों एवं कर्मचारियों और राजकीय कर्मचारियों के बीच में इतनी विभिन्नता रखने के क्या कारण हैं ?

श्रीमती कमला : जरा आप दुबारा कहेंगे ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : पूछने दीजिये, आप बीच में डिस्टर्ब न करें।

श्री रामसिंह विश्नोई : केन्द्रीय कर्मचारियों के इलाज के लिए जो आपने छूट दे रखी है इलाज कराने की, अलग-अलग डाक्टर्स से परामर्श लेने की, दवाइयां लेने की, राजस्थान सरकार के कर्मचारियों के ऊपर जो बन्दिश लगाई हुई है, उसके बीच में इतना फर्क रखने के क्या कारण हैं ?

श्रीमती कमला : फर्क का सवाल नहीं है। पहले केन्द्रीय सरकार ने भी यही व्यवस्था की हुई थी उसके बाद में उन्होंने किसी कारण से यह सोचा होगा कि उनको इजाजत दे देनी चाहिये, दे दी उन्होंने, हम यह समझते हैं कि कोई विशेष दिक्कत नहीं है इसलिए जो व्यवस्था है वह उपयुक्त है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : मैं माननीय मन्त्री महोदया से यह पूछना चाहता हूं कि क्या राज्य सरकार यूनानी और आयुर्वेदिक चिकित्सकों को द्वितीय श्रेणी का चिकित्सक मानती है ?

श्रीमती कमला : एलोपैथिक चिकित्सकों के मुकाबले सबको द्वितीय श्रेणी का नहीं मानती लेकिन विभाग में प्रथम, द्वितीय चिकित्सक की जो श्रेणियां हैं वह कायम हैं।

(व्यवधान)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : यह मतलब नहीं है मेरा। प्रथम, द्वितीय का। मेरा कहना है कि जिस प्रकार से सैकिण्ड क्लास टीचर्स हैं....

(व्यवधान)

श्रीमती कमला : आप बिना आधार के सवाल पूछ रहे हैं, किस आधार पर मान रहे हैं आप। यह सरकार तो नहीं मान रही पर आप कैसे मान कर पूछ रहे हैं, यह बताइये।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : आखिर हिन्दुस्तान में आयुर्वेदिक और यूनानी को प्रोत्साहन देने की कोशिश करिये। स्पेसिफिक दृष्टिकोण नहीं है राज्य सरकार का, इसीलिये पूछ रहा हूँ।

(व्यवधान)

श्रीमती कमला : आप सुन ही नहीं रहे हे। मुझे खेद यह है कि आप सुनने की चेष्टा नहीं करते, मनमानी आशंकायें पैदा करते हैं फिर सवाल बना लेते हैं। मैंने कहा है कि राजस्थान के जितने भी सरकारी चिकित्सक हैं चाहे एलोपैथिक के हों, चाहे यूनानी के हों या चाहे आयुर्वेद के हों, चाहे होमियोपैथ के हों सबको यह सर्टिफिकेट देने का अधिकार हैं फिर सैकण्ड ग्रेड कहाँ से हो गये ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मैं रजिस्टर्ड की पूछ रहा हूं।

श्रीमती कमला : रजिस्टर्ड तो सैकण्ड ग्रेड हैं ही हैं। जहां राजकीय चिकित्सक मौजूद हैं वहां पर रजिस्टर्ड को देने की क्या आवश्यकता हुई ?

(व्यवधान)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : रजिस्टर्ड एलौपैथी वाले तो अधिकृत हैं. और आयुर्वेद और यूनानी वाले नहीं हैं इसलिये सैकण्ड क्लास कह रहा हूं।

श्रीमती कमला : यह भारत सरकार का है हमारा नहीं है जो आप मुझसे पूछ रहे हैं।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : राजस्थान में कुछ तो करिये, कदम आगे बढ़ाइये।

(व्यवधान)

श्रीमती कमला : क्या आगे बढ़ायें ?

(व्यवधान)

भारत सरकार ने यह फर्क कर रखा है, हमने तो नहीं कर रखा।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बैठे।

नेक्स्ट, श्री सुजानसिंह।

तहसील बहरोड़ में नये आयुर्वेदिक औषधालय

301. **श्री सुजानसिंह यादव** (बहरोड़) : क्या आयुर्वेद मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार तहसील बहरोड़ जिला अलवर के निम्नलिखित ग्रामों में वित्तीय वर्ष 1985-86 में आयुर्वेदिक औषधालय खोलने का विचार रखती है ?

1. अनन्तपुरा
2. जटगांवड़ा
3. सिलारपुर
4. रामसराना
5. रेवाना।

(2) यदि नहीं तो क्यों ?

राज्य मंत्री समाज कल्याण (श्री छोगाराम बकोलिया) : (1) जी नहीं।

(2) इस वर्ष नवीन औषधालय खोलने हेतु बजट में कोई प्रावधान प्रस्तावित नहीं है।

श्री सुजानसिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, ग्राम अनन्तपुरा, जटगांवड़ा, सिलारपुर, रामसराना और रेवाना इन पांचों गांवों, में बड़े-बड़े गांव हैं, कोई आयुर्वेदिक चिकित्सा की व्यवस्था नहीं है। मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या बजट में प्रावधान होने पर आप यहां चिकित्सालय खोलने का विचार रखते हैं ?

(व्यवधान)

श्री छोगाराम बकोलिया : वित्तीय

(श्री छोगाराम बकोलिया)

प्रावधान होने पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जायगा।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री मदनलाल।

कांकरोली कस्बे में स्टेडियम निर्माण

302. **श्री मदनलाल चौहान** (राजसमन्द) : क्या खेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) क्या यह सही है कि उदयपुर जिले के कांकरोली कस्बे में खेलों के विकास के लिए स्टेडियम निर्माण हेतु राज्य सरकार द्वारा धनराशि आवंटित की गई थी ? यदि हां, तो कब व कितनी ?

(2) क्या राज्य सरकार उक्त राशि को स्टेडियम निर्माण के सम्पूर्ण कार्य हेतु समुचित मानती है ? यदि हां, तो कैसे ?

(3) अगर नहीं, तो क्या राज्य सरकार स्टेडियम निर्माण कार्य को पूर्ण करने हेतु और अधिक धनराशि आवंटित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कितनी राशि कब तक आवंटित कर दी जायेगी ?

राज्य मंत्री समाज कल्याण (श्री छोगाराम बकोलिया) :

(1) जी हां, स्टेडियम निर्माण हेतु राज्य सरकार की सिफारिश पर केन्द्र सरकार ने वर्ष 1982-83 में 1.00 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की थी।

(2) जी नहीं।

(3) पूर्व में स्वीकृत राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त होने और राशि आवंटित किये जाने पर विचार किया जायगा।

श्री मदनलाल चौहान : माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस समय स्टेडियम के निर्माण लिए धनराशि आवंटित की गई उस समय थोड़ा कार्य हो गया। बाद में उसका निर्माण कार्य बन्द हो जाने से निर्माण के लिए लगा हुआ पैसा बेकार हो गया। आज तक आवंटित की गई राशि नहीं मिलने से स्टेडियम के निर्माण का कार्य बन्द पड़ा है यह राशि कब तक मिलने के आसार हैं ?

श्री छोगाराम बकोलिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो राशि स्वीकृत की गई है उसमें से 50 हजार की एक मुश्त इन्स्टालमेन्ट दे दी गई लेकिन उस पचास हजार का यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं आया। मैचिंग ग्रांट राशि का सर्टिफिकेट प्राप्त नहीं होने के कारण आगे कार्यवाही होना संभव नहीं है।

श्री सी. पी. जोशी (नाथद्वारा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, 82-83 में एक लाख रुपया इसके लिए एलोकेट किया और अभी 85 है, तीन साल से यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं आया है इसका क्या कारण है और इस पर टोटल कितनी लागत आयेगी ?

श्री रामसिंह विश्नोई : यह प्लान

(श्री रामसिंह विश्नोई)

कितने लाख का था और म्यूनिसिपैलिटी ने कितने रुपयों की मांग की थी केन्द्र सरकार से व राज्य सरकार से। कितना रुपया स्वयं के पास से खर्च करने के लिए कहा था उतना चन्दा हुआ या नहीं हुआ ?

श्री छोगाराम बकोलिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सी. पी. जोशी ने जो 82-83 का बताया वह बिल्कुल ठीक है लेकिन 82-83 में जो स्वीकृति प्रदान की गई नार्म्स के अनुसार रिक्वायरमेन्ट्स पूरी नहीं की गई। जब तक यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं आता है तब तक आगे कोई कार्यवाही नहीं कर सकते। प्रावधान के अनुसार, जो नार्म्स केन्द्रीय सरकार द्वारा स्टेडियम बनाने के लिए मैक्जीमम एक लाख रुपया दिया जाता है। उन्होंने एक लाख रुपया स्वीकृत किया है। इण्डोर गेम्स के लिए कोई स्टेडियम बनाते हैं तो उसकी स्वीकृति के लिए अलग प्रावधान है। इन्होंने जो योजना सबमिट की है उसके अन्दर एक लाख रुपया केन्द्रीय सरकार ने अनुदान दिया था उसमें से पचास हजार रुपये की एक मुश्त इन्स्टालमेन्ट दी थी। उसका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट वास्तव में कांकरोली कस्बे के राजकीय बाल कृष्ण उच्च माध्यमिक विद्यालय द्वारा अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है जिसके कारण से हम आगे की कार्यवाही नहीं कर सकते क्योंकि आटोनामस संस्थान हैं।

श्री रामसिंह विश्नोई : मन्त्री महोदय, मैंने पूछा वह नहीं बताया। मैंने पूछा कि कितने लाख का प्लान था और कितनो इसमें लागत लगी ?

श्री छोगाराम बकोलिया : तीस लाख के करीब इसमें खर्च होने का अनुमान है।

श्री रामसिंह विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, मैंने यह पूछा था कि कितने का प्लान था, इन्होंने कितना मांगा था और कितना खर्च किया।

श्री सी. पी. जोशी : भारत सरकार की योजना के अनुसार चाहे स्कूल हो, चाहे म्यूनिसिपैलिटि हो उसको स्टेडियम निर्माण के लिए मैचिंग ग्रान्ट के रूप में योजना प्रारम्भ करने के लिए धनराशि स्वीकृत की जाती है। कांकरोली कस्बे में स्टेडियम निर्माण के लिए भी यह राशि स्वीकृत की गई जिसका एस्टीमेट 30 लाख का था और मैक्जीमम अलाटमेन्ट एक लाख का था। क्या माननीय मन्त्री महोदय यह बतायेंगे यह भारत सरकार की योजना के अन्तर्गत है या म्यूनिसिपैलिटी की योजना के अन्तर्गत ?

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : माननीय मन्त्री महोदय, जब 30 लाख का प्लान था और एक लाख रुपया केन्द्र सरकार से मिलना था तो बाकी रुपया कहाँ से आया ? और बाकी रुपया नहीं आने वाला था तो एक लाख रुपया खराब करने का मतलब क्या था ?

श्री छोगाराम बकोलिया : माननीय

Page No 13

(श्री छोगाराम बकोलिया)

अध्यक्ष महोदय, जो डिमाण्ड थीं उसके लिए राज्य सरकार ने एग्जामिन किया। एग्जामिन करने के बाद केन्द्रीय सरकार को मैचिंग ग्रान्ट के लिए भेजा था। इन्होंने तीस लाख का एस्टीमेट सबमिट किया था, उस पर एक लाख केन्द्रीय सरकार ने स्वीकृत किये हैं।

श्री सी. पी. जोशी : प्रश्न यह है कि यह कौनसी है ?

(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : तीस लाख की योजना एक लाख से कैसे पूरी कर रहे थे आप ?

श्री सी पी. जोशी : मेरा प्रश्न माननीय मंत्री महोदय से है कि यह जो स्टेडियम का निर्माण हो वह किस योजना के अन्तर्गत हो रहा है ? क्या यह सत्य है, इस स्टेडियम का निर्माण भारत सरकार की एक योजना जिसके अन्तर्गत किसी भी गांव या स्कूल के अन्दर स्टेडियम निर्माण करने के लिये......

श्री अध्यक्ष : It is not a general stadium, it is a school stadium.

श्री सी. पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार का मत है, चाहे स्कूल में हो, चाहे गांव में हो, जो भी इसको स्टार्ट करेगा उसमें मैक्जीमम मैचिंग ग्रान्ट एक लाख रुपये की भारत सरकार देगी। तो माननीय मंत्री महोदय यह बतायें।

(व्यवधान)

यह योजना किस के अन्तर्गत है ? मेरा प्रश्न यह है। यह जो राशि आवंटित की गई है वह किस योजना के अन्तर्गत की गई है ?

श्री हरिशंकर भाभड़ा (रतनगढ़) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का पहला भाग है इसका या तो आपने उत्तर नहीं दिया या आप समझे नहीं हैं। पूछा यह गया है, "क्या यह सही है कि उदयपुर जिले के कांकरोली कस्बे में खेलों के विकास के लिये स्टेडियम निर्माण हेतु राज्य सरकार द्वारा धनराशि आवंटित की गई है ?

अब इसमें इन्होंने जवाब दिया है कि केन्द्र सरकार ने एक लाख रुपया स्वीकृत किया। इस सारी योजना में राज्य सरकार ने क्या आवंटन किया कि इस योजना की शुरूआत करने वाली जो संस्था है उसमें कितने खर्च की जिम्मेदारी ली। 50 हजार रुपया जो केन्द्र ने दिया जिसका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं आने से बाकी रुपया नहीं आया। लेकिन जो राज्य सरकार का हिस्सा था या जो संस्था को अपनी ओर से लगाना था इस सारे कार्य की क्या प्रगति है क्या सरकार इसके बारे में पूरी बात बतायेगी ?

श्री छोगाराम बकोलिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार की तरफ से कोई ग्रान्ट नहीं दी गयी। राज्य

(श्री छोगाराम बकोलिया)

सरकार केन्द्रीय सरकार का जो खेल विभाग है वहीं से ग्रान्ट स्वीकृति होती है। जो नार्मस हैं उसके अनुसार एक लाख रु. स्वीकृत हुआ था । राज्य सरकार की तरफ से इसमें कोई प्रावधान नहीं किया गया था। मैंने प्रश्न के जवाब में पहले ही राज्य सरकार की तरफ से न देकर केन्द्रीय सरकार की तरफ से असिस्टेन्स बताई है।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : इसका मतलब यह हुआ कि यूटिलाइजेशन सर्टीफिकेट देने का काम राज्य सरकार का है क्योंकि सारे पैसे केन्द्रीय सरकार से लेकर आपके माध्यम से यह पैसे दे रही है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय आप ही बता दें राज्य सरकार तो बता नहीं रही है। यह क्या है यह तो आप ही बता दीजिये।

श्री अब्दुल अजीज (मकराना) : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय को यह पूछना चाहता हूं कि खेल मैदान के इस प्रकरण में खेल मन्त्री जो, कि खेल मैदान के ट्रस्टीज होते हैं—He is the first trustee of sports and games. यह तो बतावें कि यह काम हुआ या नहीं। आपको ही बताना चाहिये कि वहाँ पर कितनी प्रगति हुई है या प्रगति नहीं हुई है। यह तो आपके कमजोर विचार हैं कि आप इसको प्रगति में अभी तक नहीं ला सके। आप इस काम को लेकर प्रगति में लाये।

श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा) : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा। जहां तक मेरी जानकारी है यह तो काम इनका ही है।...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपने कहा कि यह काम नहीं है। आर्डर आर्डर। माननीय सदस्य, आपका सम्बन्ध ही नहीं है। माननीय सदस्य।

एक माननीय सदस्य : यह 30 लाख रुपये की भारत सरकार की योजना है।

श्री अध्यक्ष : यह 30 लाख रुपये की योजना नहीं है।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, कृपया बैठें। आर्डर आर्डर। माननीय सदस्य, मान सिंह।

श्री मानसिंह देवड़ा (सरदारपुरा) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि स्पोर्ट कौन्सिल आफ राजस्थान गवर्नमेंट आफ इण्डिया से पैसे लेती है, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट के बारे में राजस्थान सरकार हिसाब रखती है तो राज्य सरकार ने क्या किया ?

श्री सी. पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, मेरा मैन प्रश्न यह है कि भारत सरकार किसी भी स्कूल या संस्था के लिए स्टेडियम वगैरहा बनाने के लिये जो राशि स्वीकृत करती है इसमें कांकरोली की संस्था के लिए भारत सरकार से पैसे लेकर दिये वह

(श्री सी. पी. जोशी)

अलग बात है कि उसका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट पहुँचा या नहीं पहुँचा पर वहां पर काम हुआ या नहीं हुआ ? वहां एक लाख रुपये का काम हुआ है या नहीं ? यह 30 लाख रुपये की योजना है उसके अगेन्स्ट में यह पैसा कम हो जायेगा या नहीं।

श्री भंवर लाल शर्मा (हवामहल): अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं। आपके पास योजना है 30 लाख रुपये की और एक लाख रुपया केन्द्रीय सरकार आपको देगी तो यह बाकी 29 लाख रुपये आप अपने पास से जुटा पायेंगे या नहीं ? आपकी राज्य सरकार तो संस्था को पैसे देने वाली नहीं है तो यह एक लाख रुपये का खर्च केन्द्रीय सरकार का आपने दिलाकर क्या एक लाख रुपये को बरबाद नहीं कराया है। यह आपकी इस पैसे को बरबाद कराने की जिम्मेदारी नहीं है ?

श्री छोगाराम बकोलिया : अध्यक्ष महोदय, नाथ द्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो पूछा है उसके बारे में मेरा निवेदन है कि यह जो स्कीम है— The scheme of grant to State Sports Council, registered volunteer organisations/district and local authorities through State Government/Union territory administrative for the development of sports & games, pattern of the financial assistance during the VIth Plan period.

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री छोगाराम बकोलिया : यह सिक्स्थ प्लान में स्वीकृति हुई थी। माननीय सदस्य ने पूछा यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं आने के कारण कि यह पैसा खर्च हुआ या नहीं माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं आवे तब तक कैसे पता लगाया जा सकता है कि पैसा खर्च हुआ या नहीं।

श्री अब्दुल अजीज : यह तो आपका काम है आप उपलब्ध करायेंगे उन एजेंसियों से। आप उन को कमान्ड करते हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। मदन लाल।

श्री मदनलाल चौहान : अध्यक्ष महोदय, यह यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट आज तक नहीं आने का क्या कारण है ?

श्री छोगाराम बकोलिया : अध्यक्ष महोदय, मानसिंह जी देवड़ा ने जो प्रश्न किया और अगर वह जोधपुर में स्टेडियम के बारे में हो तो उनसे मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जोधपुर में जो स्टेडियम खेल के लिए है उसके लिए डेढ़ लाख रुपया तो मिल गया और ढाई लाख रुपये की और स्वीकृति प्रदान करने का जो था वह जल्दी ही पैसा रिलीज किया जा रहा है।

(श्री छोगाराम बकोलिया)

माननीय सदस्य ने जो कहा कि इसमें 30 लाख रुपये के खर्च होने की योजना थी उसमें से एक लाख रुपया मिला है। बाकी रुपये की व्यवस्था कर पाते हैं या नहीं, यह सरकार का काम नहीं है।

उम्मेदगंज फार्म कोटा से सरसों के बीज की खरीद

303. **श्री दिग्विजय सिंह** (उनियारा): क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) क्या यह सत्य है कि अक्टूबर, 1984 के आसपास सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के उम्मेदगंज फार्म, कोटा से जिला टोंक कृषि अधिकारी द्वारा सरसों के बीज की खरीद की गयी जिसकी कीमत 770 रुपये प्रति क्विन्टल थी? यदि हां, तो कुल कितना बीज खरीदा?

(2) क्या यह सही है कि उक्त बीज जिले के काश्तकारों को 900 से 1200 रुपये प्रति क्विन्टल के भाव से बेचा गया? यदि नहीं, तो क्या रेट थी?

(3) क्या यह भी सही है कि इस बेचान से जो धन राशि प्राप्त हुई उसका जमा खर्च विभाग द्वारा अपने चालू खाते में नहीं करके अलग से खाता खोला गया?

(4) क्या यह सही है इस बीज के भुगतान के लिए सुखाड़िया यूनिवर्सिटी उम्मेदगंज, कोटा ने उप निदेशक टोंक को पत्र क्रमांक 4837 दिनांक 10-12-1984 द्वारा भुगतान करने को लिखा? यदि हां, तो भुगतान कब हुआ?

(5) क्या यह सही है कि इस मामले की शिकायत श्री नारायण सिंह द्वारा कृषि सचिव, राजस्थान को की गयी जिन्होंने कोटा के संयुक्त निदेशक (विस्तार) को जांच अधिकारी नियुक्त किया? यदि हां, तो जांच के क्या-क्या परिणाम रहे?

(6) क्या यह सही है कि सरसों के बीज का वितरण श्री भंवर सिंह राजावत ग्राम सेवक के मार्फत ही करवाया गया और उसे जीप इत्यादि की पूरी सुविधा दी गई? यदि हां, तो इसमें कितना पैसा खर्च हुआ?

(7) क्या तत्कालीन कृषि मन्त्री जी ने श्री भंवर सिंह का स्थानान्तरण करने के आदेश कर दिये थे पर उसे वहां से रिलीव नहीं किया गया? क्या ऐसे व्यक्ति को जांच के समय वहीं रखना पसन्द करते है?

कृषि मन्त्री (श्रीमती कमला):

(1) जी हां, रबी 1984-85 में कृषि कृषकों के वितरण हेतु सुखाड़िया विश्वविद्यालय उम्मेदगंज फार्म कोटा से 100 क्विन्टल सरसों का बीज टोंक जिले में कृषि विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों के माध्यम से वितरण कराया गया था। बीज का भाव 770 रुपये प्रति क्विन्टल।

(2) जी नहीं। उक्त बीज कृषकों को 800 रुपये प्रति क्विन्टल की दर से बेचा गया। 770 रुपये प्रति क्विन्टल के भाव में 30 रुपया यातायात व हमारी व्यय के खर्च को शामिल कर 800 रुपये प्रति क्विन्टल बेचा गया।

(3) जी नहीं। इस बीज के वितरण

(कृषि मन्त्री)

में जो धन राशि प्राप्त हुई उसका जमा खर्च विभाग द्वारा संधारित अपने पी. डी. खाते की चालू रोकड़ में जमा-खर्च किया गया।

(4) भुगतान बाबत सुखाड़िया विश्वविद्यालय उम्मेदगंज फार्म कोटा का पत्र क्रमांक 4837 दिनांक 10-12-84 प्राप्त हुआ था। जैसे-जैसे, विक्रय की राशि सहकारी संस्था या कर्मचारियों में प्राप्त हुई उनका भुगतान विश्वविद्यालय को निम्न प्रकार से किया गया—

(1) ड्राफ्ट नम्बर ओ.एल.ए.ए.	295832	28-11-84	12,000-00
(2) ड्राफ्ट नम्बर ओ.एल.ए.ए.	295833	10-12-84	34,000-00
(3) ड्राफ्ट नम्बर ओ.एल.ए.ए.	295846	4-2-85	15,000-00
(4) ड्राफ्ट नम्बर ओ.एल.ए.ए.	295861	13-3-85	12,000-00
		योग	73,000-00

परिवहन व्यय व बीज उतराई की राशि 1045 रुपये के बिल का भी भुगतान कर दिया गया। विश्वविद्यालय को अब शेष राशि शीघ्र भेज दी जावेगी।

(5) जी हां, यह सही है कि श्रीनारायण सिंह निवासी टोंक द्वारा इस विषय में कृषि-उत्पादन सचिव को शिकायत, की गई तथा निदेशक, कृषि ने संयुक्त निदेशक कोटा द्वारा शिकायतकर्ता की जांच के लिए 11-5-85 को एवं 21-6-85 को उप-निदेशक कृषि कार्यालय टोंक में बुलाया गया लेकिन वे दोनों ही दिन उपस्थित नहीं हुए।

सहकारी संस्था व प्रसार कार्यकताओं को पूछने पर सरसों के बीज को 900 से 1200 रुपये प्रति क्विन्टल के भाव से बेचने की किसी से पुष्टि या शिकायत नहीं की गयी और शिकायत गलत है।

(6) बीज वितरण जिले की कुछ सहकारी संस्थाओं एवं जिले में नियुक्त करीब-करीब सभी ग्राम विस्तार कार्यकर्ताओं ने करवाया था न कि श्री भंवर सिंह राजावत के मार्फत। यह सही है कि बीज खाद पहुंचाने में आती जाती जीपों का उपयोग किया गया। इस कार्य पर वास्तविक रूप से कितना खर्च हुआ, बताना बड़ा मुश्किल है क्योंकि जीप का उपयोग कई कामों के लिए किया गया था।

(7) श्री भंवर सिंह राजावत का स्थानान्तरण निदेशक, कृषि के आदेश क्रमांक एफ 2 (सव) ग्रुप 11 620-39 दिनांक सात जनवरी के द्वारा उदयपुर के लिए हुआ था तथा श्री राजावत के प्रार्थना पत्र पर उनकी पारिवारिक स्थिति को देखते हुए निदेशक, कृषि द्वारा ही उनका स्थानान्तरण निरस्त किया गया। इनके स्थानान्तरण निरस्तीकरण के आदेश इस प्रकरण के 9 माह पूर्व ही हो गये थे। अतः इनका इस प्रकरण से कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री दिग्विजय सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि इस वितरण में कुल कितनी राशि प्राप्त हुई और यह राशि उन खातों में कब दर्ज करायी गयी ? इसके साथ में मैं यह भी जानना चाहूंगा कि यह वितरण का पैसा डिपार्टमेंट के रजिस्टर में कब एन्टर हुआ ? यह 900 से 1200 रुपये तक बेची गई। जैसा जांच अधिकारी ने कहा जो डिफरेंस राशि थी उसके आधार पर सुखाड़िया विश्वविद्यालय ने जो पत्र लिखा उसके बाद में पेमेंट किया जब कि राशि विभाग के पास मई-जून में ही आ चुकी थी। आपने कहा कि कर्मचारियों ने पैसा दिया। तो उसको लेने का क्या औचित्य था ?

श्रीमती कमला : किस-किस क्षेत्र मे, कितनी-कितनी राशि को कब-कब और कहां-कहां दिया गया, वापस वसूल किन-किन तारीखों में, कितनी-कितनी हुई और किन-किन तारीखों में रजिस्टर में दर्ज हुई यह मेरे पास सूचना उपलब्ध नहीं है। यह तथ्य है कि न तो कोई शिकायत आई है और न ही किसी ने आकर बताया है बांटने वाले और लेने वाले ने कि वह बीज 900 और 1200 रुपये में बेचा गया।

श्री दिग्विजय सिंह : आपने स्वयं कहा कि जांच अधिकारी ने जांच के दौरान पाया....

श्रीमती कमला : कब पाया, कब कहा ?

श्री दिग्विजयसिंह : आपने जवाब में कहा है।

श्रीमती कमला : मैंने जो पढ़ा उसको आपने सुना नहीं। मैंने यह कहा कि जांच होने के बाद यह सिद्ध नहीं हो सका, इसकी पुष्टि नहीं हुई।

श्री अध्यक्ष : स्थगित प्रश्न।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : अभी से ही स्थगित प्रश्न ।

श्री अध्यक्ष : स्थगित प्रश्न लेना जरूरी होता है। कृपया बैठें।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : अध्यक्ष महोदय, स्थगित तो पाँच मिनट पहले लेते हैं, अभी तो 20 मिनट बचे हुए हैं।

श्री अध्यक्ष : अगर समय बचा तो ले लेंगे।

श्री देवीसिंह भाटी : समय तो बचेगा नहीं।

प्रश्न संख्या 3

श्री अध्यक्ष : श्रीमती उजला अरोड़ा का स्थगित प्रश्न है, माननीय सदस्या ने कहा है कि इसको फिर से स्थगित कर दिया जाए।

प्रश्न संख्या 27

श्री शिवचरण सिंह (अनुपस्थित)। कृपया आगे देखें)।

प्रश्न संख्या 119

श्री माणकचंद सुराणा (अनुपस्थित)। कृपया आगे देखें)।

श्री अध्यक्ष : 304

वन विभाग के कैटल गार्ड्स का स्थायीकरण

304. **श्री हीरासिंह चौहान** (रायपुर) :क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) वन विभाग में दैनिक मजदूरी पर पिछले 7–8 साल से लगातार नौकरी करने वाले कितने कैटल गार्ड हैं ? कृपया उनकी संख्या प्रत्येक जिलेवार सदन के पटल पर रखें ?

(2) क्या राजस्थान सरकार इस प्रकार के दैनिक बेतन भोगी कर्मचारियों को स्थाई नौकरी देने की भी कोई व्यवस्था कर रही है ? यदि हां, तो कब तक, और यदि नहीं, तो क्यों ?

राज्य मन्त्री, वन (श्री शीशराम ओला) : (1) विभाग में इस प्रकार के 307 कैटल गार्ड कार्य कर रहे हैं। जिलेवार सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं। औद्योगिक रोजगार (अस्थाई आदेश) अधिनियम के अन्तर्गत स्थाई आदेश जारी कराये जा रहे हैं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 2 देखें)।

श्री हीरासिंह चौहान : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने मूल रूप से सवाल पाली जिले के बारे में पूछा जहां पर 250 से 300 इस प्रकार के गार्ड काम करते हैं। पाली जिले में ही नहीं, राजस्थान के 14 जिलों में भी है। लेकिन पाली जिले के बारे में नहीं बताया कि कितने अस्थाई कर्मचारी काम करते हैं।

श्री शीशराम ओला : जो सूची विभाग के पास है, वह मैंने आपको प्रस्तुत कर दी है।

श्री हीरासिंह चौहान : पाली जिले में पिछले 10 साल से 250 से 300 गार्ड काम कर रहे हैं अस्थाई रूप से, उनके लिए क्या करना चाहते हैं ?

श्री भंवरलाल शर्मा : यह कहते हैं कि मेरे पास सूचना उपलब्ध है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। बोलने दीजिए। उनकी सुन लें।

श्री शीशराम ओला : 307 गार्ड बताये गये हैं, अध्यक्ष जी, यह सात-आठ बरस से कार्यरत हैं। राजस्थान के दूसरे जिलों में जितने भी हैं उनकी सूची...

श्री अध्यक्ष : पाली जिले में है या नहीं, यह बता दो।

श्री शीशराम ओला : पाली जिले के बारे में विभाग ने नहीं बताया है।

(व्यवधान)

मिस्टर चतुर्वेदी, आप बहुत होशियार हो सकते हैं, आप जुबान से कह सकते हैं, हाथ से....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । मन्त्री महोदय, आप अपना जवाब दें ।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : मैने इनको क्या कहा है ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । कृपया बैठें । मन्त्री महोदय, आप अपना जवाब दें ।

श्री शीशराम ओला : माननीय अध्यक्ष जी, मैं निवेदन कर रहा था कि जो सूचनायें इस प्रकार को माननीय सदस्य को प्रस्तुत की इसके अलावा पाली जिले के बारे में इन्होंने कहा है उसकी सूचना विभाग ने नहीं दी ।

श्री हीरासिंह चौहान : मेरा जो प्रश्न है...

श्रीमती हमीदा बेगम (चूरू) : मुझे एक सवाल करना है ।

श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर) : मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहती हूं कि आपको जानकारी कैसे मिलेगी ? क्या वह कैटल गार्डस् हाजिरी नहीं कर रहे हैं, कोई रजिस्टर मैन्टेन नहीं है....

श्री शीशराम ओला : अध्यक्ष जी, उनकी व्यवस्था होती है । मस्टर रोल होता है । उनकी हाजरी अलग से होती है । आठ-दस साल से वह काम कर रहे हैं उनकी हाजिरी का अलग से रजिस्टर बना हुआ है, मस्टर रोल बना है उसकी जानकारी मिल जायेगी ।

श्री अध्यक्ष : हमीदा बेगम ।

श्रीमती हमीदा बेगम : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहती हूं कि भविष्य के अन्दर चूरू से जो दो कैटल गार्ड को साम्प्रदायिकता फैलाने....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । इसकी इजाजत नहीं है । कृपया बैठें ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष): क्या यह सही है कि आपके विभाग के सरकारी कर्मचारियों ने आपको सही सूचना दी है कि पाली में अस्थाई तौर पर काम करने वाले कैटल गार्डस् नहीं है ?

श्री शीशराम ओला : अध्यक्ष जी, माननीय विपक्ष के नेता का प्रश्न बहुत स्पष्ट है, लेकिन....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री शीशराम ओला : इसमें हंसने की बात क्या है ?

श्री अध्यक्ष : आप अपना जवाब दें ।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य ।

(व्यवधान)

आप ध्यान मत दीजिये, अपना जवाब दें ।

श्री शीशराम ओला : यह प्रश्न जो पूछा है उसमें यह पूछा कि सात-आठ बरस

(श्री शीशराम ओला)

से ऐसे कितने कैटल गार्ड हैं। उनको यह अलग से पूछना चाहिए। यह अलग से प्रश्न है।

श्री हीरासिंह चौहान : पाली जिले में इस प्रकार के कैटल गार्ड काम कर रहे हैं इनके साथ विभाग द्वारा कुछ नहीं किया जा रहा है। वह स्थाई नहीं कर रहे हैं। जिस प्रकार का काम विभाग ने दे दिया वह कर रहे हैं। इसलिए मैं निवेदन कर रहा था कि पाली जिले में और इसके अलावा रेगिस्तान के जितने भी जिले हैं उन सबमें जो कैटल गार्ड रखे हुए हैं...

श्री शीशराम ओला : अध्यक्ष जी।

श्री खंगार सिंह चौधरी (खारची) : हमारे यहां कितने अस्थाई गार्ड काम कर रहे हैं।

श्री शीशराम ओला : इसमें पाली जिले का अलग से कोई प्रश्न नहीं है।

श्री हीरासिंह चौहान : पाली भी राजस्थान में आता है। आपने 14 जिलों की सूची दी है उसमें पाली का नाम नहीं है...

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। यह बात सही है कि पाली जिले का स्पेसिफिक प्रश्न नहीं है।

श्री शीशराम ओला : सात-आठ बरस से वह लोग लगातार काम कर रहे हैं...

श्री खंगारसिंह चौधरी : पिछले पांच साल से हमारे यहां अस्थाई तौर पर यह गार्ड काम कर रहे हैं—

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, बैठिये।

श्री हीरासिंह चौहान : दूसरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया।

श्री अध्यक्ष : पाली जिले के बारे में नहीं पूछा, जो 14 जिले हैं उनके बारे में पूछा ....

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। जो 14 जिलों के बारे में पूछा उसके बारे में मन्त्री महोदय ने कह दिया कि वहाँ स्थाई कैटल गार्ड काम कर रहे हैं। आपने पाली के बारे में पूछा, मन्त्रीजी ने कह दिया इसकी जानकारी करवायेंगे। और आप क्या कहना चाहते हैं? अगला प्रश्न...

श्री हीरासिंह चौहान : मैं एक स्पेसिफिक प्रश्न पूछना चाहता हूं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। प्रश्नकर्ता प्रश्न पूछ रहे हैं। श्री हीरासिंह।

श्री हीरासिंह चौहान : मेरा दूसरा सवाल यह है कि इन्होंने दूसरे प्रश्न के जवाब में उत्तर दिया कि औद्योगिक कोर्स अस्थाई रोजगार अधिनियम के आदेश के अन्तर्गत नहीं है। आपने यह नहीं बताया कि कब तक इनको स्थाई किया जायेगा? अभी तक इनको स्थाई नहीं किया गया आपके कहने के बावजूद।

श्री शीशराम ओला : ऐसा है अध्यक्ष जी, 1979 में उस वक्त जो वन मन्त्री थे उन्होंने यह आदेश दिया था....

श्री भंवरलाल शर्मा : यह आंखें नहीं बताओ ।

(व्यवधान)

श्री शीशराम ओला : मुझे दुख है धीरे से भी आप शान्ति से नहीं सुनते ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष : एक प्रश्न का उत्तर आने दीजिये । आर्डर प्लीज । आर्डर, माननीय सदस्य ।

श्री शीशराम ओला : उसमें 100 में से 25 केवल कार्यरत हैं । जब भी कोई स्थाई पद हो, भरे जायें इस प्रकार के आदेश तत्कालीन वन मन्त्रीजी ने दिये लेकिन उसमें कुछ नियमों का प्रावधान नहीं किया गया । नियमों में नहीं आते थे इसलिए 1984 में इसको रिजेक्ट कर दिया गया और 30–1–85 को फिर से लागू किया गया है । आज जो मैं आपको कह रहा हूं उसका अर्थ यह होगा कि उनको सभी सुविधायें स्थाई कर्मचारियों की भांति मिलेंगी अलावा पेन्शन के । इसमें अलग–अलग तनख्वाह निर्धारित हुई । उन्हें छुट्टी मिलेगी । उन्हें इन्क्रीमेंट मिलेगा । सारी सुविधायें मिलेंगी जो स्थाई कर्मचारियों को मिलती हैं....

(व्यवधान)

क्या बोले ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री शीशराम ओला : इनमें से यह मामला वित्त विभाग से सम्बन्धित है । पैसा इसमें इन्वाल्व्ड है...

श्री हरिशंकर भामड़ा : चिट में क्या लिखा हुआ है वह आप देख लें ।

श्री मोहन छंगाणी (फलौदी) : अध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन है, मन्त्री महोदय से हमें कोई शिकायत नहीं है । अधिकारीगण मन्त्री को मुगालते में रखते हैं । सदन में इन्फार्मेशन नहीं आती यह सदन का अपमान है । पूरे विभाग के बारे में प्रश्न पर उनको तैयारी करके आना चाहिये । उनकी तैयारी से मतलब नहीं, जो भी अधिकारी हैं उनको सारी इन्फार्मेशन मंत्री महोदय को फीड करनी चाहिये जिससे सदन को पूरी इन्फार्मेशन मिल सके ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अगर फीड भी कर दें और बोल नहीं सकें तो क्या सरकारी अधिकारी सदन में आकर इन्फार्मेशन देंगे ।

श्री शीशराम ओला : सही सूचना है, सही सूचना में हाऊस को दे रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट । आर्डर, माननीय सदस्य ।

योरोपीय भाषाओं में पोस्ट डिप्लोमा

305. **श्री दामोदरदास आचार्य** (नागौर) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री दामोदरदास आचार्य)

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान विश्वविद्यालय की शैक्षणिक परिषद द्वारा यूरोपीय भाषाओं में पोस्ट डिप्लोमा प्रारम्भ करने के प्रस्ताव को लगभग तीन–चार वर्ष पूर्व स्वीकृत किया जा चुका है ?

(2) यदि हां, तो विश्वविद्यालय द्वारा अभी तक यूरोपीय भाषाओं में पोस्ट डिप्लोमा कोर्स प्रारम्भ क्यों नहीं किया गया ?

(3) क्या उक्त डिप्लोमा कोर्स चालू शैक्षणिक सत्र से प्रारम्भ करने का विचार है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

शिक्षा मन्त्री (श्रीमती कमला) : (1) जी हां। दिनांक 15–1–1983 को प्रस्ताव स्वीकृत किया गया था।

(2) प्राध्यापकों के अभाव में पोस्ट डिप्लोमा कोर्स प्रारम्भ नहीं किया जा सका।

(3) फिलहाल प्राध्यापकों के अभाव में यह सम्भव नहीं लगता है।

श्री दामोदरदास आचार्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी जानकारी में हैं कि यूनिवर्सिटी के अन्दर पूरा इन्फ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। हो सकता है कि लेक्चर की पोस्ट के लिए तीन पद और सृजित करने पड़ें। तीन विदेशी भाषायें यहां पर हैं, फ्रेंच, जर्मन और रशियन।

इसके अलावा मेरा यह निवेदन है कि विद्यार्थियों की बराबर मांग आ रही है हमारे यहां पोस्ट डिप्लोमा कोर्स खोला जाये। प्राध्यापकों के लिए आपने कहा यहां पर व्यवस्था नहीं है। क्या दूसरी जगह से प्राध्यापक मिल सकते हैं या नहीं ?

श्रीमती कमला : माननीय अध्यक्ष जी, जिस क्वालिफिकेशन का यूनिवर्सिटी के अन्दर प्रावधान किया है उस क्वालिफिकेशन के प्राध्यापक अभी मिल नहीं रहे हैं, ऐसा बताया जाता है। उनको लाने के लिए क्या प्रयत्न किये गये, क्या-क्या एडवर्टाइजमेंट जारी किये, यह सूचना चाहने पर भी मुझे मिली नहीं। प्राध्यापक उपलब्ध कराने के लिए क्या चेष्टा की और इस तरह की बात करने के लिए क्या व्यवस्था की यह सारी क्वेरी, यूनिवर्सिटी से जानकारी करने की चेष्टा की थी लेकिन अभी तक मुझे वह मिली नहीं है इसलिए मैं इस बाबत माननीय सदस्य से क्षमा चाहूँगी।

श्री दामोदरदास आचार्य : मेरा निवेदन है इस प्रश्न को स्थगित किया जाये।

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया गया। नेक्स्ट श्री भैरूलाल मीणा।

तहसील गोगुन्दा, कोटड़ा, सराड़ा के चिकित्सीय संस्था

306. **श्री भैरूलाल मीणा** (सराड़ा) एवं **श्री देवेन्द्र कुमार मीणा** (गोगुन्दा) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र टीडी तहसील गिर्वा, झाडोल, पलोदड़ा, चावण्ड तहसील सराडा में डाक्टर्स, नर्स कम्पाउण्डर्स आदि स्टाफ का

24

(श्री देवेन्द्र कुमार मीणा)

अभाव है ? यदि हां, तो क्यों ? उक्त स्टाफ अब कब तक लगा दिया जावेगा ?

(2) क्या यह सही है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र झाड़ोल तहसील सराड़ा में उक्त स्टाफ के अभाव में जो स्टाफ वहां पर लगा हुआ है, उनके व्यवहार से स्थानीय नागरिक परेशान हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे स्वास्थ्य केन्द्रों को उपयोगी मानकर व्यवहार कुशल स्टाफ लगाने का विचार रखती है ?

(3) क्या यह सही है कि तहसील गोगुन्दा, तहसील कोटड़ा, झाड़ोल, खेरवाड़ा में जहां भी प्राथमिक स्वस्थ्य केन्द्र हैं, वहां डाक्टर्स, नर्सों, कम्पाउण्डर्स की कमी के कारण आदिवासी क्षेत्र के लोगों को अपने इलाज हेतु दूरस्थ स्थानों पर जाना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस असुविधा को ठीक करेगी ? हां, तो कब तक ?

राज्य मंत्री, चिकित्सा (श्री छोगाराम बकोलिया) : (1) जी हां, डाक्टरों की कमी की पूर्ति के शीघ्र ही प्रयास किये जा रहे हैं। कम्पाउण्डर एवं नर्सों की कमी की पूर्ति प्रशिक्षित स्टाफ उपलब्ध होने पर किया जाना सम्भव होगा।

(2) झाड़ोल-सराड़ा स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में कार्यरत स्टाफ के व्यवहार के बारे में विभाग में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(3) तहसील गोगुन्दा, कोटड़ा तथा खेरवाड़ा स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में डाक्टर का कोई पद रिक्त नहीं है। खैरवाड़ा व सायरा में एक-एक पद कम्पाउण्डर्स तथा कोटड़ा में एक एल. एच. वी. का पद रिक्त है। झाडौल, फलासिया में उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है उसमें दो डॉक्टर व दो कम्पाउण्डर, एक एल.एच.वी. एवं एक प्रसाविका कार्यरत है। उक्त सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में स्टाफ की कमी के कारण बीमारों को बिना उपचार के लौटाया नहीं जाता है।

श्री मंगललाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय का कहना है कि डॉक्टरों की कमी के कारण कोई मरीज वापिस नहीं जाता। मेरे क्षेत्र के तीन चार केन्द्रों को मैंने देखा है वहां डॉक्टर नहीं होने के कारण मरीज वापिस चले जाते हैं। झाड़ौल में मैंने पाया कि एक डॉक्टर वहां मौजूद है दूसरा डॉक्टर है वह डेपुटेशन पर लगा हुआ है। जो डॉक्टर मौजूद है उसका व्यवहार ऐसा है वहां मरीज जाना भी पसन्द नहीं करते हैं। इस तरह की अनियमिततायें हैं। उनको पूरा करने की सरकार की क्या मन्शा है। डॉक्टर जहां रहते नहीं हैं ? आपके कागजों में जरूर रहते हैं। इसकी कोई पाबन्दी लगाई जाये। वहां डाक्टर्स की कमी की पूर्ति शीघ्र ही की जाये।

श्री देवेन्द्र कुमार मीणा : अध्यक्ष महोदय, गोगुन्दा और कोटड़ा में जो डॉक्टर्स लगा रखे हैं वे उदयपुर में लग रहे हैं।

श्री छोगाराम बकोलिया : जो गोगुन्दा और कोटड़ा में एक-एक पद स्वीकृत है उसके अन्दर डॉक्टर्स की पोस्टिंग की हुई है लेकिन माननीय सदस्य ने जो बात बताई कि उदयपुर में डेपुटेशन पर लगे हुए हैं उनके लिए मैं आपसे निवेदन पहले कर चुका हूँ कि सारे डेपुटेशन खत्म हो चुके हैं। अगर इस प्रकार

(श्री छोगाराम बकोलिया)

कोई डेपुटेशन पर है, पालना नहीं की गई है तो हम सख्त कार्यवाही के साथ लेंगे।

श्री भंवरलाल शर्मा : आपकी क्या जानकारी है ?

श्री छोगाराम बकोलिया : क्योंकि आदिवासी क्षेत्र है, अगर गांवों के अन्दर डॉक्टर्स नहीं जायेंगे तो कड़ाई से पालन कराया जायेगा।

श्री भैरूलाल मीणा : मन्त्री महोदय, कृपया नाम बतायें वहां कौन-कौन डॉक्टर्स लगाये हुए हैं ? मालूम पड़ जायेगा है या नहीं ।

श्री छोगाराम बकौलिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, वाई नेम कोई देखा नहीं गया। डॉक्टर का नाम जिस तरह से मालूम करना चाह रहे हैं बाई नेम तो मुझे इस बात का मालूम नहीं है कौन विशेष डाक्टर वहां पर लगे हुए हैं। यह तो पता नहीं है लेकिन फिर भी अगर कोई असुविधा हो तो अलग से आप बता देंगे तो उसका मैं पूरा इन्तजाम कर सकता हूं।

(12.00 मध्याह्न)

श्री भैरूलाल मीणा : मन्त्री महोदय, यह बता दें कि साल में कितनी बार जाकर वे चैक करते हैं ?

श्री छोगाराम बकोलिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने आपसे निवेदन किया है अगर आदिवासी क्षेत्र में कोई भी डॉक्टर अनियमितता जाने में रखेंगे और ड्यूटी पर नहीं जायेंगे तो सख्त से सख्त कार्यवाही की जायेगी ।

श्री देवेन्द्र कुमार मीणा : क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि वहां डॉक्टर न रहने के कारण उनकी उपस्थिति के बारे में कोई जानकारी ली है ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आप मंत्री महोदय, जवाब दें।

श्री छोगाराम बकोलिया : सेकिन्ड रिपोर्ट अभी मुझे उपलब्ध नहीं है और मैं विशेष कम्प्लीट जवाब नहीं दे सकता हूं लेकिन यदि माननीय सदस्य रिपोर्ट से अवगत करायेंगे तो मैं अवश्य कार्यवाही करूंगा।

(व्यवधान)

श्री नाथूसिंह (टोडरायसिंह) : माननीय अध्यक्ष महोदय, कई हॉस्पीटल ऐसे हैं लेकिन चूंकि आपने घोषणा की थी····

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री छोगाराम बकोलिया : जो घोषणा मैंने की थी सात दिन में डेपुटेशन समाप्त होकर अपने पेरेन्ट डिपार्टमेंट को जायेंगे कल मैंने डिप्टी सेक्रेटरी को पूछा था कि इसकी पालना हुई या क्या। डेपुटेशन पर कोई डॉक्टर कार्यरत रहेगा···

(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : सभी हैं।

श्री छोगाराम बकोलिया : इसकी इन्फार्मेशन मिलना बाकी है। कोई डेपुटेशन

(श्री छोगाराम बकोलिया)

पर नहीं रहेगा। इसकी अवधि 15 तारीख को समाप्त हो चुकी है। मैं समझता हूं इसकी पूरी पालना हुई होगी और अगर नहीं हुई तो जिस सी.एम.एच.ओ. ने यह कार्यवाही नहीं की है उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, बैठें। श्री थान सिंह।

(व्यवधान)

जनरल क्वेश्चन मत बनाइये, स्पेसिफिक कोई प्रश्न है तो पूछिये।

श्री थान सिंह (सलूम्बर) : क्या मन्त्री महोदय यह बतायेंगे कि डॉक्टर तो डेपुटेशन पर जाते ही हैं लेकिन जालोर के डीडवास गांव में नर्स को भी डेपुटेशन पर लगा रखा है? यह मेरा आरोप है। जब अनियमितता हो रही है तो क्या इसको ठीक करने का कष्ट करेंगे?

श्री छोगा राम बकोलिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, आदिवासी क्षेत्र से पधारे हुए माननीय सदस्यों ने डॉक्टरों के डेपुटेशन पर होने के लिए कहा और किसी जगह पर डेपुटेशन पर जाना बताया गया है। मैं इसको बहुत सीरियसली लेकर जो इस प्रकार के केसेज़ हैं आदिवासी क्षेत्र में जो डॉक्टरों की पोस्टिंग होती है मैं देखूंगा कि इसकी अवश्य पालना होनी चाहिये और जो भी डाक्टर की कमी है आदिवासी क्षेत्र के डवलपमेंट के लिए और आदिवासी, जिनको बहुत ही जरूरत रहती है, के लिए पूरा इन्तजाम करके डाक्टर लगाये जायेंगे।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ। स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

(व्यवधान)

श्री गिरधारी लाल भार्गव (किशन पोल) : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न रह गया है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

(व्यवधान)

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट 3 देखें)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित

प्रश्नोत्तर

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 2 जुलाई, 1985)

वनों के विकास की योजनायें

27. **श्री शिवचरण सिंह** (करौली) : क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे--

(1) राज्य सरकार की वनों के विकास के लिए क्या-क्या योजनायें हैं, और उनमें क्या प्रगति है?

(2) राज्य सरकार उत्तर प्रदेश की भांति राजस्थान में भी वनों के विकास हेतु टोंगा पद्धति से विकास करवायेगी?

(श्री शिवचरण सिंह)

(3) ट्राइबल क्षेत्रों में कितने लोगों को प्राइवेट फोरेस्ट्री हेतु भूमि दी गई है ?

(4) क्या यह सत्य है कि इस भांति दी गई सारी भूमि ट्राइबल के नाम से सवर्ण लोगों ने ली है ?

(5) क्या यह नीति राजस्थान के पूर्वांचल में भी लागू की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) योजनाओं का विवरण प्रगति सहित सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) जी नहीं।

(3) जी हां, 2337 व्यक्तियों को आवंटन किया गया है।

(4) जी नहीं।

(5) सम्पूर्ण राजस्थान में यह नियम लागू है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 4 देखें।)

(दिनांक 5 जुलाई, 1985)

रेगिस्तानी जिलों में भूमिहीन किसानों को सिवाय चक भूमि का आवंटन

119. **श्री मानिकचन्द सुराना** (लूणकरणसर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या रेगिस्तानी जिलों में सिवाय चक भूमि का आवंटन भूमिहीन किसानों में किये जाने पर राज्य सरकार ने रोक लगा रखी है ? यदि हाँ, तो क्या यह सही है कि यह रोक रेगिस्तानी जिलों में सिवाय चक भूमियों पर चरागाह विकसित करने के उद्देश्य से लगाई गई थी, और सिवाय चक भूमियां चरागाह विकसित करने के लिए आरक्षित की गई ?

(2) अब तक रेगिस्तानी जिलों की सिवाय चक भूमियों पर उपरोक्त निर्णय के बाद कितने बीघा क्षेत्र में चरागाह विकसित किया गया है ?

(3) बीकानेर जिले के सिंचित क्षेत्र को छोड़कर कितने गांवों में कितनी सिवाय चक भूमि उपलब्ध है ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या राज्य सरकार रेगिस्तानी जिलों की सिवाय चक भूमियों में चरागाह विकसित करने की अपनी नीति पर पुनर्विचार कर सीमित क्षेत्र चरागाहों के लिए रखकर भूमिहीनों के लिए आवश्यक आवंटन खोले जाने पर विचार करेगी ?

उत्तर

(1) जी हां। मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत आने वाले जिलों में एक हैक्टर से अधिक भूमि का आवंटन करने पर प्रतिबन्ध है। यह भी सही है कि यह रोक उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत आने

(राजस्व मन्त्री)

जिलों में चरागाह विकसित करने के उद्देश्य से लगाई गई थी एवं इस हेतु सिवाय चक भूमियों को चरागाह विकसित करने के लिए आरक्षित किया गया।

(2) उक्त निर्णय के पश्चात् 3,30,680 बीघा क्षेत्र में चरागाह विकसित किया गया है।

(3) बीकानेर जिले के 333 गांवों में 6,67,855.4 बीघा सिवाय चक भूमि उपलब्ध है।

(4) जी नहीं।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

कोटा, बूंदी, झालावाड़ में सोयाबीन की बिक्री

365. **श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी** (कोटा) : क्या खाद्य एवं रसद मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सच है कि कोटा, बूंदी एवं झालावाड़ जिले की मण्डियों में सोयाबीन समर्थन मूल्य से नीचे भाव पर बिकी है ? यदि हां, तो समर्थन मूल्य पर सोयाबीन खरीदने की कार्यवाही नहीं करने के क्या कारण हैं ?

उत्तर

सोयाबीन के समर्थन मूल्य से नीचे भाव होने की सूचना पर कोटा, अन्ता, बारां, केशोरायपाटन, अटरू, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, निम्बाहेड़ा, चित्तौड़गढ़, भवानीमण्डी, रामगंज मण्डी, बांसवाड़ा, बूंदी एवं ईटावा क्रय विक्रय सहकारी समितियों को समर्थन मूल्य पर सोयाबीन खरीद करने के निर्देश दिये गये। कोटा समिति ने 44.55 क्विन्टल सोयाबीन समर्थन मूल्य पर खरीद की है। बूंदी एवं झालावाड़ जिले में भाव ऊंचे हो जाने एवं फेयर एवरेज क्वालिटी के माप-दण्ड की सोयाबीन नहीं होने से खरीद शून्य रही।

देवस्थान विभाग की सम्पत्ति

366. **श्री दिग्विजयसिंह** (उनियारा): क्या देवस्थान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि देवस्थान विभाग के पास राज्यों के विलीनीकरण के समय काफी सम्पत्ति चल व अचल अर्जित हुई थी ? यदि हां, तो चल व अचल सम्पत्ति का अलग-अलग ब्यौरा कृपया सदन की मेज पर रखें ?

(2) क्या यह सही है कि अचल सम्पत्तियां जो मन्दिर या देवताओं के नाम से दान में थीं, उनको पुजारियों या प्रबन्धकों ने अपने निजी नाम पर करवाकर अपनी सम्पत्ति बना लिया है ? यदि हां, तो क्या यह विधि के अनुसार उचित है ? यदि नहीं, तो इस पर विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

(3) क्या यह सही है कि विभाग के पास कोई सूची नहीं है कि कुल कितनी अचल सम्पत्ति राजस्थान व प्रदेश के बाहर

(श्री दिग्विजय सिंह)

उसके पास है ? यदि हां, तो कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि आज भी कई व्यक्तियों को यह सम्पत्ति किराये पर दे रखी है, और कई ने इसका बेचान भी कर दिया है ?

(5) क्या देवस्थान विभाग द्वारा प्रति वर्ष इन सम्पत्तियों का सत्यापन कराया जाता है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। इस विभाग के प्रबन्धाधीन राजकीय मन्दिरों की चल सम्पदा वर्ष 1950 में आंके गये मूल्य के अनुसार 45,31,404.00/- रुपयों की थी तथा अचल सम्पदा का अनुमानित मूल्य पांच करोड़ रुपये था।

(2) कुछ वंश परम्परागत रूप से चले आ रहे राजकीय मन्दिरों को पुजारियों द्वारा उन मन्दिरों की कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड से अपने नाम अंकित कराने बाबत शिकायतें विभाग में प्राप्त हुई हैं। ऐसी भूमि को वापस मूर्ति के नाम अंकित कराने बाबत राजस्व अधिनियम, 1958 की धारा 82 के अन्तर्गत सम्बन्धित जिलाधीश को कार्यवाही करने बाबत आदेश दिये जा चुके हैं।

(3) राज्य तथा राज्य के बाहर स्थित राजकीय मन्दिरों की जिलेवार सूची सदन के पटल पर रख दी है।

(4) विभाग द्वारा राजकीय मन्दिरों की अचल सम्पदा किराये पर भी दे रखी है। किरायेदार द्वारा बेचान किये जाने की शिकायत विभाग के पास नहीं है।

(5) विभागीय अधिकारियों द्वारा इन सम्पत्तियों का सत्यापन निर्धारित मानदण्डों के अनुसार किया जाता है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 5 देखें)।

होम्योपैथिक बोर्ड का गठन

367. **श्री महेन्द्र शास्त्री** (मण्डावर) : क्या आयुर्वेदिक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में होम्योपैथिक बोर्ड का गठन कब हुआ ? कृपया बोर्ड के विधान की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त बोर्ड के अन्तर्गत राज्य में कितने होम्योपैथिक विद्यालय संचालित तथा पंजीकृत हैं ?

(3) होम्योपैथिक विद्यालयों के प्रिन्सिपलों एवं अध्यापकों की क्या-क्या शैक्षणिक योग्यतायें हैं ? कृपया नाम बार सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) राज्य के होम्योपैथिक विद्यालयों में कितने छात्र अध्ययनरत हैं, कितने राजस्थान के निवासी हैं, तथा कितने अन्य राज्यों के हैं ? कृपया विद्यालयोंवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री महेन्द्र शास्त्री)

(5) उक्त विद्यालयों में प्रवेश के क्या नियम हैं ?

उत्तर

(1) राज्य में होम्योपैथिक चिकित्सा मन्डल का गठन सन् 1970 में हुआ था। मण्डल से सम्बन्धित अधिनियम तथा उसके अन्तर्गत बने नियमों की प्रतियां सदन के पटल पर रख दी गई हैं।

(2) होम्योपैथिक चिकित्सा बोर्ड से राज्य में पांच होम्योपैथिक विद्यालय मान्यता प्राप्त हैं।

(3) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(4) राज्य के होम्योपैथिक विद्यालयों में (738) छात्र अध्ययनरत हैं।

कालेज का नाम	राज्य के छात्रों की संख्या	राज्य से बाहर के छात्रों की संख्या	योग
1. होम्योपैथिक मेडिकल कालेज अजमेर	42	78	120
2. युवराज प्रतापसिंह मेमोरियल होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, अलवर	41	266	307
3. भारतीय होम्यो-पैथिक मेडिकल कालेज, भरतपुर	39	197	236
4. राजस्थान होम्यो-पैथिक मेडिकल कालेज, जयपुर	36	39	75

5. केन्द्रीय होम्योपैथिक परिषद द्वारा निर्धारित विनियमों के अन्तर्गत प्रवेश के निम्न नियम हैं :–

	प्रवेश की योग्यता
1. होम्योपैथिक (ग्रेडेड डिग्री कोर्स) बी.एच.एम.एस. रेगुलेशन 1983	कम से कम चार वर्षीय मान्यता प्राप्त डिप्लोमा की अन्तिम परीक्षा उत्तीर्ण करली हो।
2. होम्योपैथी (डिप्लोमा कोर्स) डी.एच.एम.एस. रेगुलेशन 1983	इन्टर साईन्स या इसके समकक्ष परीक्षा भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान विषय लेकर उत्तीर्ण की हो।
3. होम्योपैथी (डिग्री कोर्स) बी.एच.एम.एस. रेगुलेशन 1983	इन्टर साईन्स या इसके समकक्ष परीक्षा भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान विषय लेकर उत्तीर्ण की हो।

(नियमों की प्रति एवं सूची विस्तृत होने के कारण विधानसभा पुस्तकालय में रखी गई)

सीकर जिले में चरागाह विकास कार्यक्रम

368. **श्री हरीशचन्द्र** (नावां)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

सीकर जिले में गत 3 वर्षों में चरागाह विकास कार्यक्रम के लिए कितने हैक्टेयर जमीन की तारबन्दी की गई, और इस पर कितना खर्चा हुआ ? इन चरागाहों के विकास हेतु वर्ष में कितनी धनराशि व्यय होती है ? कृपया वर्षवार विवरण-सदन की मेज पर रखें ?

उत्तर

सीकर जिले में गत तीन वर्षों में 805 हैक्टेयर भूमि पर चरागाह विकास हेतु तारबन्दी की गई है जिस पर 1500870.81 रुपये खर्च किये गये हैं। इन चरागाहों के विकास हेतु वर्षवार व्यय की गई राशि निम्न प्रकार हैं :–

वर्ष	व्यय की गई राशि
1982–83	3,65,773.00
1983–84	7,88,576.98
1984–85	3,46,520.83

इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र में रिजर्व क्षेत्र

369. **श्री शोपत सिंह** (हनुमानगढ़) : क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे–

(1) इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र में जंगलात व सेवण घास के लिए कितना क्षेत्र रिजर्व किया गया है ? इस रिजर्व क्षेत्र में कितना रकबा कमाण्ड है, व कितना अनकमाण्ड ?

(2) इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र में कितना रकबा नर्सरीज के नाम से रिजर्व किया गया है ? नर्सरीज का रकबा किस कार्य के काम आवेगा ?

उत्तर

(1) इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र में जंगलात व सेवण घास के लिए पृथक से कोई क्षेत्र रिजर्व नहीं रखा गया है। इस क्षेत्र में 16154 हैक्टेयर में वृक्षारोपण का कार्य कराया गया है। सड़कों तथा नहरों के किनारे का क्षेत्र कमाण्ड या अनकमाण्ड में नहीं आता है। वृक्षारोपण के अन्तर्गत आबादी वाले क्षेत्र में से लगभग 50 प्रतिशत कमाण्ड और 50 प्रतिशत अनकमाण्ड है। टीबा स्थरीकरण व चरागाह विकास के अन्तर्गत लिए गए 65809 हैक्टेयर क्षेत्र में अन्य घास की किस्मों के साथ सेवण घास भी लगायी गयी है। यह सम्पूर्ण क्षेत्र अनकमाण्ड है।

(2) नर्सरीज के लिए अलग से कोई रकबा आरक्षित नहीं किया गया है। आबादी के लिए आरक्षित क्षेत्र में से 3615 हैक्टेयर में वृक्षारोपण कराया गया है जिसमें चारा, ईंधन व इमारती लकड़ी के पौधे लगाये गये हैं जिनसे स्थानीय लोगों की मांग की पूर्ति होगी।

बीकानेर में वृक्षों की कटाई

370. **श्रीमती रतन कंवर** (शेरगढ़) :
श्री देवीसिंह भाटी : क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(श्रीमती रतन कंवर)

(1) बीकानेर जिले में राजस्व विभाग ने वर्ष 1980–81 से 1984-85 में खेजड़ी व अन्य पेड़ पौधे काटने के कितने मामले पकड़े और इस संबंध में क्या कार्यवाही की ? कृपया प्रत्येक तहसील का माहवार विवरण सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या राज्य सरकार ने ग्रामीण आंचल से सैंकड़ों ऊंट गाड़ों एवं ट्रकों पर बीकानेर शहर के धर्म कांटों, भट्टों व अन्य जिलों को खेजड़ी व अन्य पेड़ बिकने, ले जाने पर रोक लगाने के लिए नये कदम उठाये हैं ? क्या प्रशासन उक्त स्थलों पर शीघ्र छापा मारने का विचार रखता है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह भी सही है कि तहसील कोलायत की ग्राम गजनेर की रोही [तीतरों का बाड़ा] में से करीबन नौ हजार बेरी के पेड़ काटे गये ? जिसकी शिकायत गजनेर में ग्रामवासियों ने मुख्य मन्त्री, जिलाधीश, तहसीलदार को भी लिखित में की परन्तु 16–1–1982 के बाद से आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई ? यदि हां, तो क्यों, और अब कब तक कार्यवाही होगी ?

(4) क्या राज्य सरकार के 'जंगल में मंगल' कार्यक्रम को इस प्रकार से निष्फल करने वाले व सामूहिक कटाई करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) बीकानेर जिले में वर्ष 80-81 से 84-85 तक की अवधि में खेजड़ी व वन्य पौधे-पेड़ काटने पर राजस्व विभाग द्वारा की गयी कार्यवाही तहसीलवार निम्न प्रकार है :—

1. तह. बीकानेर–इस अवधि में 45 मामले पकड़े गये हैं। इनमें से 20 मामलों में लकड़ी जब्त की जाकर नीलाम की गई शेष 25 मामलों में प्रथम दृष्टया रूप से प्रकरण नहीं बनने के कारण समाप्त किये जाने का निर्णय लिया गया।

2. तह. लूणकरणसर–इस अवधि में कुल 8 मामले पकड़े गये तथा इनसे सम्बन्धित वाद उपखण्ड अधिकारी के यहां प्रस्तुत किया गया एवं संबंधित एस. एच. ओ. को भी सूचना दे दी गयी।

3. तह. कोलायत–इस अवधि में 14 मामले पकड़े गये। दो मामलों में एफ.आई. आर दर्ज करायी गयी तथा शेष मामले उपखण्ड अधिकारी बीकानेर [दक्षिण] के यहां प्रस्तुत किये गये। इनमें से 9 मामलों में लकड़ी नीलाम करने के निर्देश दिये गये तथा 100/– रुपये प्रति पेड़ के हिसाब से शास्ति कायम की गयी। शेष प्रकरण विचाराधीन हैं।

4. तह. नोखा–इस अवधि में कोई प्रकरण प्राप्त नहीं हुआ।

(2) राजस्व पुलिस एवं वन विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को निर्देशित किया हुआ है कि ऐसे मामलों को पकड़ा जाकर उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

(श्रीमती रतन कंवर)

(3) जी नहीं ! लगभग 8200 नग पाला के पेड़ काटे गयेथे । ग्रामवासियोंकी शिकायत पर कुर्क की जाकर हल्के के गिरदावर के कब्जे में दिये गये। कुर्क लकड़ियों को जबरन उठा ले जाने के आरोप में पुलिस थाना गजनेर में प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 25–2–82 को दर्ज करायी गयी। सी. आई. डी. [सी. बी.] द्वारा इसमें अन्वेषण किया गया तथा दिनांक 26–2–83 को इस प्रकरण में एफ. आर. दे दी गयी।

(4) सामूहिक या एक रूप से वृक्षों की अवैधानिक व अवैध कटाई करने वालों के विरुद्ध वैधानिक रूप से कार्यवाही की जाती है। वृक्ष काटने पर प्रतिवन्ध है और इससे सम्बन्धित दोष दण्डनीय है।

जोधपुर व पाली में गायों का कृत्रिम गर्भाधान

371. **श्री रामसिंह विश्नोई** (लूणी) **श्री माधव सिंह दीवान** (सोजत) : क्या पशुपालन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जोधपुर व पाली जिले में गायों के कृत्रिम गर्भाधान की योजना कब चालू की गई, तथा किस-किस डिस्पेन्सरी में ? कृपया कृत्रिम गर्भाधान के वर्षवार आंकड़े सदन के पटल पर रखें।

(2) 31 मई, 1985 तक कितने शंकर बछड़े/बछड़ियां पैदा हुई ? कृपया वर्षवार आंकड़े सदन के पटल पर रखें।

(3) इस योजना को कारगर बनाने हेतु सरकार क्या कदम उठाने जा रही है ?

उत्तर

(1) जोधपुर व पाली जिले में गायों के कृत्रिम गर्भाधाम की योजना क्रमशः 1957–58 एवं 1963–64 में शुरू की गई थी। पशु औषधालयों में कृत्रिम गर्भाधान नहीं कराया जाता है।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) इस योजना को कारगर बनाने हेतु विभाग अब इस प्रोग्राम को राज्य में पशु स्वास्थ्य केन्द्रों, पशु चिकित्सालयों के माध्यम से भी करा रही है। यह संस्थायें ग्राम आधार केन्द्रों के उपकेन्द्रों की भांति कृत्रिम गर्भाधान का कार्य कर रही है। इन केन्द्रों पर अच्छे साण्डों का हिमकृत वीर्य का उपयोग भी होने लगा है। इन अच्छे पशुओं में छूतेले रोगों की रोकथाम हेतु निरोधात्मक टीके भी समय पर लगाये जा रहे हैं।

साबी नदी के तराई क्षेत्र

372. **श्री प्रभूलाल** (नैनवा) : क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि साबी नदी के तराई क्षेत्र ग्राम मनेठी, भोजपुरी, हुलमाना खुर्द एवं हुलमाना कलां के पास लगातार पेड़ों की कटाई के कारण नदी तट-बन्धों व आसपास के ग्रामों का पुनः बाढ़ का खतरा पैदा होने की भारी संभावना है ?

(श्री प्रभूलाल)

(2) क्या राज्य सरकार उपरोक्त क्षेत्रों को सुरक्षित वन क्षेत्र घोषित कर पेड़ों की कटाई रोकने का विचार रखती है ? अगर नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं ! इन ग्रामों में कोई वन क्षेत्र नहीं है और न ही कोई हरे वृक्ष काटने की रिपोर्ट ही प्राप्त हुई है। सन् 1965 के बाद कभी इतना पानी ही नहीं आया।

(2) जी नहीं ! इन ग्रामों को कोई सुरक्षित वन घोषित करने का प्रस्ताव नहीं है। हरे वृक्ष काटने पर प्रतिबन्ध है।

कठूमर को-ऑपरेटिव सोसायटी की राशि का गबन

373. **श्री बाबूलाल बैरवा** (कठूमर) : क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

पंचायत समिति कठूमर जिला अलवर में 50 हजार से ऊपर कितने व्यक्तियों ने को-ऑपरेटिव सोसायटी के रुपये का गबन कर रखा है, तथा कितने व्यक्तियों पर 50 हजार से ऊपर राशि ओवर ड्यू है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

पंचायत समिति कठूमर जिला अलवर में 3 व्यक्तियों द्वारा को-ऑपरेटिव सोसायटी का 50,000/- रुपये से अधिक का गबन कर रखा है तथा किसी भी व्यक्ति पर 50,000/- रुपये से ऊपर राशि ओवर ड्यू नहीं हैं। विवरण सदन की मेज पर रख दिया है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 6 देखें।)

सीकर जिले में भूमिगत जल हेतु सर्वेक्षण

374. **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सीकर) : क्या भू-जल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या भूमिगत जल का सर्वेक्षण एवं अनुसंधान करने के लिए सीकर जिले में भू-जल विभाग ने कोई सर्वे कराया है ? यदि हां, तो कब और किन-किन तहसीलों का कराया गया है ?

(1) क्या राज्य सरकार ने सीकर जिले के भूमिगत जल का सर्वेक्षण कराने के लिए सर्वे डिविजन स्थानान्तरण किया है ? यदि हां, तो क्या इसने अपना कार्य शुरू कर दिया है ? यदि नहीं, तो क्यों और अब काम कब शुरू कर दिया जायेगा ?

(3) क्या भूमिगत जल का सर्वेक्षण एवं अनुसंधान करने के कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुलोकन (एक्सप्लोरिटरी) नलकूप व पीजोमीटर भी बनाये जाने हैं ? यदि हां, तो पंचायत समिति, मूण्डवा एवं पंचायत समिति सीकर के क्षेत्र में कितने नल कूपों के निर्माणार्थ स्थानों का चयन किया है ? कृपया स्थानों के नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

[भू-जल मंत्री]

उत्तर

(1) जी हां, सीकर जिले की सभी पंचायत समितियों का अर्द्ध-विस्तृत सर्वेक्षण वर्ष 1974-75 तक पूरा कर लिया गया था। वर्ष 1979-80 में सीकर जिले का विस्तृत भू-जल सर्वेक्षण प्रारम्भ किया गया था जो पूरा हो चुका है।

(2) सीकर जिले में विस्तृत भू-जल सर्वेक्षण कार्य हेतु वरिष्ठ भू-जल वैज्ञानिक का कार्यालय वर्ष 1979-80 में स्थापित किया गया। विस्तृत सर्वेक्षण कार्य 84-85 में पूरा करने के पश्चात एक हाइड्रोजियोलोजिकल सर्वे टीम का कार्यालय वर्ष 1985-86 में सीकर में स्थापित कर दिया गया है जो सीकर जिले का अवशेष विस्तृत कार्य जैसे कि पम्प टैस्ट आदि की-वेल्स व पोस्ट डवलपमेन्ट व भू-जल सम्बन्धी सभी विकास कार्यों की देखभाल करेगी।

(3) विस्तृत भू-जल सर्वेक्षण के कार्यक्रम के अन्तर्गत एक्सप्लोरेटरी नलकूप व पीजोमीटर बनाये जाते हैं। सीकर जिले में मूण्डवा एवं सीकर नाम की कोई पंचायत समिति नहीं हैं।

अनुसूचित जाति के छात्रों को वृत्तिका

375. **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह नही है कि अनुसूचित जाति के प्रशिक्षणार्थियों को जो औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, अनुसूचित जाति सहकारी निगम द्वारा वृत्तिका दी जाती है ?

(2) क्या यह भी सही है कि कोटा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के छात्रों को उक्त वृत्तिका अभी तक नहीं दी गई है ? यदि हां, तो क्यों, तथा कब तक दे दी जावेगी ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं, दिनांक 2-7-85 को वृत्तिका की राशि भिजवा दी गयी।

ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार एवं अर्ध-बेरोजगार व्यक्ति

377. **श्री मोहन छंगाणी** (फलौदी) : क्या विशिष्ठ योजना संगठन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार तथा अर्ध-बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या कितनी है ? कृपया जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) विभाग द्वारा ग्रामीण रोजगार के विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत अब तक कितने व्यक्तियों को स्थायी रोजगार उपलब्ध कराया जा सका है ?

(3) सरकार 'बेरोजगार' अथवा 'अर्ध-बेरोजगार' व्यक्ति किसे मानती है ?

[श्री मोहन छंगाणी]

(4) क्या यह भी सही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार पर लगे व्यक्तियों की उत्पादकता एवं उत्पादन की दृष्टि से रोजगार आवरण में बेरोजगार हैं ? यदि हां, तो क्या बेरोजगारी की समस्या और गंभीर नहीं हो जाती है ? यदि हां, तो कितनी ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार तथा अर्ध बेरोजगार व्यक्तियों के सम्बन्ध में इस विभाग द्वारा कोई सूचना एकत्रित नहीं की जाती है । फिर भी नियोजन विभाग द्वारा संधारित ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या दिनांक 31-5-85 को राज्य में नियोजन कार्यालयों की जीवित पंजिका पर उपलब्ध सूचना के आधार पर, 2,55,814 है । अर्ध-बेरोजगार व्यक्तियों की सूचना नहीं रखी जाती । बेरोजगारों की जिलेवार सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है ।

(2) इस विभाग द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम एवं ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम की योजनाय भारत सरकार के निर्देशानुसार संचालित की जाती है जिनमें अस्थाई रूप से रोजगार उपलब्ध कराया जाता है । एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के तहत ट्राइसम योजना में प्रशिक्षण दिलाया जाकर स्वरोजगार हेतु ग्रामीण नवयुवकों को मदद दी जाती है । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 31 मार्च, 85 तक 69,847 व्यक्तियों को सहायता देकर लाभान्वित किया गया है ।

(3) बेरोजगार अथवा अर्ध बेरोजगार व्यक्ति को परिभाषित करना बड़ा कठिन है । फिर भी राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा 38 वे सत्र में अपनाई गई परिभाषा के अनुसार उन व्यक्तियों को बेरोजगार माना जा सकता है जिन्होंने कार्य के अभाव में कार्य नहीं किया है । किन्तु कार्य की तलाश में रहे हैं तथा प्रचलित मजदूरी, वेतन एवं कार्य की दशा में कार्य करने को उत्सुक है ।

(4) इस विभाग द्वारा इस प्रकार की कोई सूचना एकत्रित नहीं की जाती ।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 7 देखें)

कोटा जिले में शराब की दुकानें

378. **श्री दाऊदयाल जोशी** (दीगोद)
श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कोटा जिले में कुल कितनी शराब की दुकानें कहां-कहां चल रही हैं ? इनमें से कौन-कौन सी दुकानें नियमों के विपरीत चल रही हैं ?

(2) अवैध दुकानों की रोकथाम हेतु विभाग ने कब-कब क्या-क्या कार्यवाही किस-किस के विरुद्ध की ? कृपया विवरण सदन के पटल पर रखें ।

(3) कोटा नगर के छावनी चौराहा पर कितनी दुकानें विभाग ने स्वीकृत कर रखी हैं ? इस चौराहे पर स्थित सभी

[श्री हीरालाल आर्य]

दुकानें क्या वैध है ? यदि हाँ, तो क्या उन्हें विभाग उचित समझता है, यदि नहीं, तो इस हेतु विभाग ने कब-कब क्या-क्या कार्यवाही की ?

उत्तर

(1) कोटा जिले में देशी मदिरा की 85 मुख्य दुकानें एवं 71 उप दुकानें, भारत निर्मित विदेशी मदिरा की 31 व बीयर की 4 दुकानें चल रही हैं।

(2) स्थानवार सूची "अ" संलग्न है। समस्त दुकानें नियमानुसार चल रही हैं।

(3) नियमों के अनुरूप होने पर ही आबकारी विभाग द्वारा स्वीकृत स्थानों पर ही दुकान चलाये जाने की स्वीकृति दी जाती है। अतः अवैध होने का प्रश्न ही नहीं होता।

(4) कोटा नगर के छावनी चौराहे पर विदेशी मदिरा एवं बीयर की कुल दो दुकानें हैं। उक्त दुकानें नियमानुसार हैं। अतः उन्हें उठाये जाने की कार्यवाही का प्रश्न ही नहीं उठता।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 8 देखें)

अखिल भारतीय उपभोक्ता अधिकार सप्ताह

379. **श्री नाथूसिंह** (टोडारायसिंह) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग ने अखिल भारतीय उपभोक्ता अधिकार सप्ताह दिनांक 15 से 21 मार्च, 1985 के दौरान सघन अभियान चलाया था ?

(2) यदि हां, तो इसके अन्तर्गत राजस्थान में कब-कब, कहां-कहां व क्या-क्या कार्यक्रम आयोजित किये गये ? कृपया विवरण सदन के पटल पर रखें।

(3) उक्त अभियान के दौरान राजस्थान में क्या कोई अनियमितता पाई गयी ? यदि हां, तो कहां-कहां और क्या ? कृपया विवरण सदन के पटल पर रखें।

(4) क्या उक्त अभियान के दौरान उपभोक्ता को कोई लाभ हुआ ? यदि हां, तो क्या ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) प्रश्न पैदा नहीं होता।

(3) प्रश्न पैदा नहीं होता।

(4) प्रश्न नहीं उठता।

भूतपूर्व सैनिकों का सर्वेक्षण

380. **सुश्री पुष्पा जैन** (पाली) : क्या सैनिक कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या राज्य सरकार द्वारा भूतपूर्व सैनिकों का कोई सर्वे कराया गया है ? यदि हां, तो किस-किस श्रेणी के किस-किस जिले में कितने-कितने सैनिक हैं ?

(सुश्री पुष्पा जैन)

(2) यदि सर्वे नहीं कराया गया, तो क्यों, और अब कब सर्वे कराने का सरकार का विचार है ?

उत्तर

(1) वर्ष 1951 में सैनिकों एवं भूतपूर्व सैनिकों के परिवारों की गणना कराई गई थी। जिलेवार सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) केन्द्रीय सैनिक बोर्ड, भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि अब भूतपूर्व सैनिकों की गणना वर्ष 1991 में होने वाली राष्ट्रीय जन गणना के साथ सम्पन्न कराई जाये।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 9 देखें)

गंगानगर में गन्दे पानी की निकासी

381. **श्री केदार नाथ** (श्रीगंगानगर) : क्या नगरीय विकास एवं नगर आयोजन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) गंगानगर नगर विकास न्यास द्वारा गन्दे पानी व बरसात के पानी की निकासी की क्या कोई योजना बनाई गई है ?

(2) यदि हां, तो इस पर कितना व्यय होगा, तथा राज्य सरकार कितनी मेचिंग ग्रान्ट देगी ?

उत्तर

(1) नगर परिषद श्री गंगानगर ने श्री गंगानगर के कस्बे के गन्दे पानी एवं बरसात के पानी के निकासी हेतु एक योजना पूर्व में बनाकर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग से स्वीकृत करायी थी। नगर विकास न्यास श्रीगंगानगर ने ड्रेनेज की योजना का प्रारूप जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग को पुनः बनाने हेतु निवेदन किया है।

(2) जहां तक योजना पर व्यय की राशि बताने का प्रश्न है वह तभी बताई जा सकेगी जबकि योजना स्वीकृति हो जावे। विभाग इस योजना के लिए कोई मेचिंग ग्रान्ट नहीं देगी।

राज्य के ब्लड बैंक

श्री चम्पालाल बांठिया (पचपदरा) :

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) राजस्थान में कितने रक्त कोष (ब्लड बैंक) खोले गये हैं ?

(2) किन-किन जिला मुख्यालय के चिकित्सालयों पर ब्लड बैंक स्थापित हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या प्रसूति व परिवार कल्याण केन्द्र के साथ ब्लड बैंक रखना उचित है ? यदि हां, तो कितने स्थानों पर इस तरह की व्यवस्था है ?

(4) क्या सरकार जिन जिला मुख्यालयों पर ब्लड बैंक की व्यवस्था नहीं है, वहां पर खोलने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

(5) क्या सरकार 'ए' श्रेणी के

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

कल्याण अस्पताल, सीकर में ब्लड बैंक खोलने का विचार रखती है ?, यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राज्य के ग्यारह अस्पतालों में रक्त कोष (ब्लड बैंक) स्थापित है।

(2) सूची सदन में पटल पर रख दी गई है।

(3) जी नहीं।

इस प्रकार का प्रावधान वर्तमान चिकित्सा विस्तार के तहत सम्भव नहीं है।

(4) वित्तीय प्रावधान उपलब्ध होने पर योजनाबद्ध तरीके से खोलना सम्भव होगा।

(5) सीकर में ब्लड ट्रान्सफ्यूजन की सुविधा उपलब्ध है। वित्तीय प्रावधान की उपलब्धता एवं प्राथमिकता के आधार पर विचार किया जाना सम्भव होगा।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 10 देखें)

सीकर में पंजीकृत बेरोजगारों का नियोजन

383. **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सीकर) :

श्री हरलाल सिंह खर्रा (श्रीमाधोपुर) : क्या रोजगार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे––

(1) सीकर जिले के नियोजन कार्यालय में कितने बेरोजगारों का नाम पंजीकृत है ?

(2) पिछले तीन सालों के दौरान कितने लोगों को रोजगार दिया गया ? इनमें से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति एवं विकलांग कितने-कितने थे ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सीकर जिले के नियोजन कार्यालय में 31-5-85 को 17690 बेरोजगारों के नाम पंजीकृत थे।

(2) पिछले तीन सालों के दौरान कुल 1157 व्यक्तियों को रोजगार कार्यालय के माध्यम से रोजगार दिलाया गया। इनमें 86 अनुसूचित जाति, 31 अनुसूचित जनजाति एवं 6 व्यक्ति विकलांग थे।

छबड़ा व अटरू का राजकीय कृषि फार्म

384. **श्री प्रतापसिंह** (छबड़ा)

श्री प्रभूलाल (नैनवा) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे––

(1) क्या कोटा जिले की तहसील छबड़ा व अटरू में कोई सरकारी कृषि फार्म है ? यदि हां, तो वह कितने एकड़ का है, और उस पर कितने कर्मचारी कार्यरत हैं ?

(2) राज्य सरकार को इस फार्म से सन् 1975 से सन् 1984 तक हर वर्ष कितना लाभ अथवा हानि हुई ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री प्रभूलाल)

उत्तर

(1) कोटा जिले की छबड़ा तहसील में कोई सरकारी कृषि फार्म नहीं है। तहसील अटरू में कबाई कृषि फार्म है जो कुल 132 एकड़ का है तथा उस पर निम्नांकित चार कर्मचारी कार्यरत हैं––

(1) श्री उत्तम सिंह

(2) श्री कल्याण सिंह

(3) श्री पांचू लाल

(4) श्री रामनिवास

(2) उक्त कबाई फार्म से राज्य सरकार को वित्तीय वर्ष के आधार पर निम्न लाभ हानि हुई जिसका विवरण इस प्रकार है––

वर्ष	लाभ	हानि
1975-76	80014-00	----
1976-77	--	43474-20
1977-78	14685-30	--
1978-79	--	12060-10
1979-80	--	124881-00
1980-81	--	53002-00
1981-82	--	35000-00
1983-84	--	67713-37

1984-85 का लेखा तैयार नहीं हुआ है। परन्तु अनुमानतः रुपये 25000 का लाभ होने की सम्भावना है। वर्ष 1982-83 में राज्य बीज निगम से खरीफ में रु. 7618 गुण प्राप्त कर व्यय किया किन्तु अतिवृष्टि के कारण फसल नष्ट हो गई, केवल सोयाबीन 31·85 क्विन्टल पैदा हुई। जो बीज निगम को दे दी गई रबी 1982-83 में एक तिहाई बंटाई पर दिया गया। जिससे गेहूँ 24·80 क्विन्टल व चना 9·20 क्विन्टल का उत्पादन हुआ था। बंटाई के पेटे कृषक से 9000 रुपये (नौ हजार रुपये) प्राप्त हुए।

जयपुर-कानोता बस सेवा

385. **श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी** (बस्सी) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे––

(1) क्या यह सही है कि जयपुर-कानोता एवं जयपुर से सांभरिया वाया कानोता मार्ग पर राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बस सेवा संचालित

[श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी]

है ? यदि हाँ, तो जयपुर कानोता बस सेवा कानोता से जयपुर का क्या किराया वसूल करती है, तथा साँभरिया जयपुर बस सेवा कानोता से जयपुर का क्या किराया वसूल करती है ?

(2) क्या यह भी सही है कि जयपुर-साँभरिया वाया कानोता मार्ग पर जयपुर से फाल्यावास का किराया रु. 350 है जब कि कानोता से फाल्यावास केवल 5 कि.मी. दूरी पर है ? क्या फाल्यावास से कानोता का रु. 1/– तथा कानोता से जयपुर का रु. 1/– किराया है ? किराये की इस असमानता का क्या कारण है ?

उत्तर

(1) जी हाँ । जयपुर से कानोता मार्ग पर नगरीय सेवा की वाहनें संचालित हैं जिनकी किराया दरें निम्न प्रकार हैं––

1. 2 कि.मी. तक 30 पैसा

2. 2 कि.मी. से 5 किमी. तक 60 पैसा

3. 5 कि.मी. से 7 कि.मी. तक 70 पैसा

4. 7 कि.मी. से 10 कि.मी. तक 80 पैसा

5. 10 कि.मी. से 15 कि.मी. तक 1·10 पैसा

6. 15 कि.मी. से 20 कि.मी. तक 1·30 पैसा

जयपुर (घाटगेट) से कानोता की दूरी 13 कि.मी. है अतः जयपुर से कानोता का किराया 1·10 पैसा प्रति यात्री लिया जा रहा है । जयपुर से सांभरिया वाया कानोता पालावास मार्ग पर नगरेत्तर सेवा की वाहनें संचालित हैं जिनकी किराया दर 11.78 पैसा प्रति यात्री प्रति कि.मी. है । इस सेवा में किराया केन्द्रीय बस स्टेण्ड सिन्धी कैम्प से वसूल किया जाता है तथा केन्द्रीय बस स्टेण्ड सिन्धी कैम्प से कानोता की दूरी 20 कि.मी. है जिसकी किराया राशि 2·50 पैसा प्रति यात्री है । नवीनतम स्थिति यह है कि जयपुर से सांभरिया मार्ग पर संचालित वाहनों का किराया घाटगेट से चार्ज करने हेतु आदेश जारी कर दिये गये हैं जो दिनांक 16–7–85 से प्रभावशील होंगे फलस्वरूप इस मार्ग पर संचालित सेवा का किराया प्रति यात्री ·50 कम हो जावेगा ।

(2) जी हाँ । कानोता से पालयावास की दूरी 10 कि.मी. है तथा कानोता से जयपुर की दूरी 20 कि.मी. है अतः नगरेत्तर सेवा की किराया दर के अनुसार 30 कि.मी. का किराया 3·50 रु. प्रति यात्री बनता है ।

प्रश्न के भाग 1 में दर्शाई गई नवीनतम स्थिति के फलस्वरूप जयपूर-फाल्यावास मार्ग पर संचालित वाहनों का किराया भी प्रति यात्री ·50 कम हो जावेगा । नगरेत्तर सेवा की बस संचालित होने के कारण फाल्यावास से कानोता (10 कि.मी. दूरी) का किराया 1 रु. प्रति यात्री है तथा यदि कोई यात्री कानोता से नगरीय सेवा की बस से जयपुर (घाटगेट) आता है तो उसे नगरीय सेवा का किराया दर से 1·10 रु. किराया देना पड़ता है ।

[यातायात मन्त्री]

किराये की इस असमानता का मुख्य कारण जयपुर से कानोता के बीच नगरीय सेवा की बसें तथा जयपुर से सांभरिया वाया कानोता फाल्यावास के बीच नगरेत्तर सेवा की बसों का संचालन होता है। ग्राम फाल्यावास एवं सांभरिया नगरीय सीमा/नगर संकुलन सीमा से बाहर स्थित होने के कारण वहाँ तक नगरीय सेवा का संचालन सम्भव नहीं है।

केशवरायपाटन के पशु चिकित्सालय

386. **श्री मांगी लाल मेघवाल** (पाटन)

श्री हरीश शर्मा (खानपुर) : क्या पशुपालन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) केशवरायपाटन विधान सभा क्षेत्र में कुल कितने स्थानों पर पशु चिकित्सालय हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) विभिन्न चिकित्सालयों में वर्ष 1984–85 में कितना व्यय हुआ ?

(3) क्या सभी पशु चिकित्सालयों पर कृत्रिम गर्भाधान की व्यवस्था है, अगर हाँ, तो वर्ष 1984–85 में कितने जानवरों का कृत्रिम गर्भाधान किया गया ?

उत्तर

(1) केशवराय पाटन विधान सभा क्षेत्र में निम्नलिखित दो स्थानों पर पशु चिकित्सालय कार्यरत हैं।

1. केशवराय पाटन

2. इन्द्रगढ़

(2) पशु चिकित्सा संस्थाओं हेतु बजट आवंटन संस्थान वाइज न किया जाकर जिले में कार्यरत सम्पूर्ण संस्थाओं हेतु एकजाई रूप से जिला अधिकारी को किया जाता है। सम्बन्धित संस्थान की माँग एवं आवश्यकता के अनुसार दिया जाता है।

(3) जी नहीं, केवल केशवराय पाटन पशु चिकित्सालय पर कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा जनवरी, 1985 से उपलब्ध है।

केशवराय पाटन पशु चिकित्सालय में वर्ष 1984–85 [फरवरी, मार्च, 1985] में कुल 15 कृत्रिम गर्भाधान किये गये हैं।

केसरीसिंहपुर की सम्पर्क सड़कें

387. **श्री हीरालाल इन्दोरा** (केसरीसिंहपुर) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

विधान सभा क्षेत्र केसरीसिंहपुर में गत पांच वर्षों में कितनी सम्पर्क सड़कें बनाई गई ? कृपया सड़कों एवं स्थानों की सूची सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र केसरीसिंहपुर में गत पांच वर्षों में बनाई गई सम्पर्क सड़कों

(कृषि मन्त्री)
की सूचना मय स्थानों के संलग्न हैं ।

(सूचना के लिए कृपया परिशिष्ट 11 देखें) ।

नगरपालिका तिजारा में घाटा

388. **श्री जगमालसिंह यादव** (तिजारा) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) नगरपालिका तिजारा कितने घाटे में चल रही है ?

(2) नगरपालिका कर्मचारियों का पी.एफ. कितना बकाया है, और उसके भुगतान की नगरपालिका ने क्या व्यवस्था की है ?

(3) क्या नगरपालिका तिजारा ने प्रत्येक सफाई कर्मचारी को रु. 1500/-कर्जा पंजाब नेशनल बैंक तिजारा से दिलाया था, जो उनके वेतन से काट लिया गया, और बैंक में जमा नहीं कराया ?

(4) क्या सरकार स्पेशल ग्राडिट करा कर नगरपालिका के खिलाफ कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

(5) नगरपालिका तिजारा के कर्मचारियों का वेतन भुगतान करना कबसे कितना बकाया है ? बकाया वेतन का भुगतान करने की क्या व्यवस्था की है ?

(6) दिनांक 16-5-1985 से 31-5-1985 तक तिजारा नगरपालिका में हड़ताल रही, उस समय के कर्मचारियों को हाजरी दी गई, अथवा सी. एल. काटी गई, अथवा वेतन काटा गया है ?

(7) क्या मई महीने में नगरपालिका ने एक व्यापारी के घी के पीपे तथा दूसरे व्यापारी के बस के टायर पकड़े ? दोनों में क्या फैसला लिया गया ?

(8) वर्तमान बोर्ड ने कार्यभार सम्भाला उस समय नगरपालिका की आर्थिक स्थिति क्या थी ?

(9) वर्तमान नगरपालिका तिजारा ने कार्यभार सम्भालने के बाद कितने भू-खण्ड कितनी भूमि का कितनी रकम का बेचान किया है, व कितने विकास कार्य किये हैं ?

उत्तर

(1) नगरपालिका तिजारा द्वारा कुल घाटा रु. 2,46,801.65 बताया गया है ।

(2) नगरपालिका की तरफ कर्मचारियों के पी.एफ. राशि 2,04,043.52 पैसे बकाया है । नगरपालिका द्वारा बकाय गृहकर वसूल करने की कार्यवाही की जा रही है ।

(3) 19 सफाई कर्मचारियों को प्रति कर्मचारी 750/- रु. कर्जा दिलाया गया था. जिसके 6,478.67 पैसे पालिका द्वारा जमा करवाया जाना है ।

(4) राजस्थान नगरपालिका नियमों के अनुसार स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग द्वारा साल में एक बार ग्राडिट होता है,

(स्वायत्त शासन मन्त्री)

इसलिए विशेष आडिट कराने का अभी प्रश्न नहीं है।

(5) माह, जून 85 का वेतन बकाया है। भुगतान की कार्यवाही की जा रही है।

(6) हड़ताल 16–5–85 के स्थान पर 18–5–85 से हुई थी। अतः दि. 18–5–85 से 31–5–85 तक की अवधि की ड्यूटी मानकर वेतन दिया गया है।

(7) जी नहीं। मई माह में ऐसे मामले नहीं पकड़े गये।

(8) वर्तमान बोर्ड के कार्यभार ग्रहण करते समय नगरपालिका के पास नकद राशि 2,243.25 पैसे व बैंक में रुपया 15,646.90 पैसे जमा थे तथा देनदारी कुल 40,717/– रु. की थी।

(9) नगरपालिका ने कार्यभार सम्भालने के बाद 40 भूखण्ड आवंटित किये जिसके कुल 14,000/- रु. 6 प्लाट 77,501/– रु. में नीलाम किये तथा आवासीय योजना में 31 भूखण्ड राशि 89,610/– रु. के दिये। कुल राशि भूखण्ड 77 राशि 1,81,111/– रुपये के वेचे एवं विकास कार्य करीब 56,988.80 पैसे के करवाये गये हैं।

जयपुर पशु चिकित्सालय

389. **श्री सम्पतसिंह** (नगर): क्या पशु पालन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विगत 5 वर्षों में कितने पशुओं को पशु चिकित्सालय, जयपुर, में उपचार हेतु लाया गया? कृपया वर्ष वार संख्या विवरण सदन के पटल पर रखें।

(2) विगत 5 वर्षों में इस अस्पताल में ग्रामीण क्षेत्र से कितने पशु उपचार हेतु लाये गये? कृपया वर्षवार संख्या सदन पटल पर रखें। प्रतिवर्ष एम्बूलेंस का कितनी बार इस्तेमाल हुआ?

उत्तर

(1) विगत 5 वर्षों में 9.25 लाख पशुओं को पशु चिकित्सालय, जयपुर में उपचार हेतु लाया गया। वर्षवार संख्या निम्न प्रकार है :–

1980–81	1.74 लाख
1981–82	1.83 लाख
1982–83	2.07 लाख
1983–84	1.82 लाख
1984–85	1.77 लाख

(2) विगत 5 वर्षों में ग्रामीण क्षेत्र से पशु चिकित्सालय, जयपुर में 16416 पशु उपचार हेतु लाये गये। वर्षवार संख्या निम्न प्रकार है :–

1980–81	6004
1981–82	3693
1982–83	2948
1983–84	1786
1984–85	1985

(पशुपालन मन्त्री)

एम्बूलेन्स का उपयोग ग्रामीण क्षेत्र से रोगी पशुओं को लाने के लिए नहीं किया जाता है। आस-पास के पशुओं को आवश्यकता पड़ने पर लाने के लिए एम्बुलेन्स का उपयोग किया जाता है।

आवासन मण्डल के रिक्त पदों की पूर्ति

390. **भैरू लाल मीणा** (सराड़ा) : क्या आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1984 में राजस्थान हाउसिंग बोर्ड में कार्यालय सहायक के करीब 80 पदों के लिए टाइप टेस्ट हुए थे ? इसमें कितने प्रत्याशी सम्मिलित हुए थे ?

(2) क्या यह भी सही है कि इन पदों के लिए लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा परीक्षा ली जानी थी ? यदि हां, तो बोर्ड ने सीधी टंकण परीक्षाएं क्यों ली ? क्या सरकार नियमों का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों नहीं ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त परीक्षा का परिणाम अभी तक घोषित नहीं किया गया है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण रहे हैं ?

उत्तर

(1) कार्यालय सहायक का कोई पद बोर्ड में नहीं है। कनिष्ठ सहायक का पद है। वर्ष 1984 में कनिष्ठ सहायक के 160 पदों के लिये टाइप टेस्ट हुये थे जिनमें 5239 आवेदकों ने भाग लिया था।

(2) जी नहीं, बोर्ड के किसी पद के लिये लोक सेवा आयोग, अजमेर से परीक्षा लेने का प्रावधान नहीं है।

(3) जी हां। नियोजन कानूनों के प्रावधानों की पूर्ति नहीं की गई थी। अब नियोजना कार्यालय को रिक्त स्थानों की सूचना भेज दी गयी है और वहीं से प्रत्याशियों की सूची प्राप्त हुयी है। अतः टाइप टेस्ट में पास प्रत्याशियों के साक्षात्कार संभव नहीं हुये हैं और मामला अभी विचाराधीन है।

रेलमगरा [उदयपुर] की पेयजल व्यवस्था

39.. **श्री मदनलाल** (राजसमन्द) : क्या जनस्वास्थ्य अभियांत्रिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि उदयपुर जिले की तहसील रेलमगरा के ग्राम बनेड़िया के निवासियों ने उनके अपने ग्राम में पेयजल योजना प्रारम्भ करने हेतु राज्य सरकार द्वारा मांगी गई निर्धारित राशि जमा कराई थी ? यदि हां, तो कब व कितनी ?

(2) अब तक उस राशि को जमा कराने के बाद वहां पेयजल योजना प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

(3) क्या राज्य सरकार निकट भविष्य में वहां शीघ्र पेयजल योजना की व्यवस्था

(श्री मदनलाल)

करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक, नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। माह मई, 1973 में 2500/– जमा कराए थे।

(2) ग्राम बनेडिया को 8 हैण्ड पम्प लगाकर पेयजल उपलब्ध कराया जा चुका है।

(3) जी नहीं। 1981 की जन-गणना के अनुसार ग्राम की जनसंख्या 2000 से कम है अत: पम्प एवं टैंक योजना बनाया जाना संभव नहीं है।

सहला जल प्रदाय योजना

392. **श्री हरिशंकर भाभड़ा** (रतनगढ़) : क्या जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सहला जल प्रदाय योजना से जानदवा गांव में पानी पहुँच रहा है ? यदि नही, तो क्या कारण है, और इसकी व्यवस्था कब तक कर दी जावेगी ?

उत्तर

ग्राम जानदवा में क्षेत्रीय जल प्रदाय सहला से नियमित जल वितरण हो रहा है।

लघु खनन पट्टाधारियों को ऋण

393. **श्री हरि कुमार औदिच्य** (रामगंजमंडी) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा लघु खनन पट्टाधारियों को ऋण देने के लिए प्रति वर्ष बजट में धनराशि निर्धारित की जाती है ? यदि हां, तो पिछले 5 वर्ष में इस हेतु कितनी-कितनी धनराशि निर्धारित की गई थी, तथा उसमें से कितना-कितना ऋण किस-किस पट्टेधारी को दिया गया ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि इस योजना के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि की 50 प्रतिशत धनराशि अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लघु खनन पट्टाधारियों के लिए आरक्षित की जाती है ? यदि हां, तो इस आरक्षित धनराशि में से अनुसूचित जाति व जन जाति के किन-किन पट्टाधारियों को ऋण दिया गया ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। पिछले पांच वर्षों में उक्त कार्य हेतु धनराशि का आवंटन निम्न प्रकार से किया गया था :—

वर्ष	आवंटित राशि
1980–81	रु. 50,000
1981–82	रु. 49,000
1982–83	रु. 2,51,0000
1983–84	रु. 2,92,000
1984–85	रु. 3,01,000

विभिन्न पट्टाधारियों को दिये गये

(खनिज मंत्री)

ऋण की वर्षवार सूचना परिशिष्ट "क" में दी गई हैं।

(2) जी हां ! पिछले पांच वर्षों में अनुसूचित जाति व अन्य जाति के लघु खनन–पट्टाधारियों को दिये गये ऋण की सूचना निम्नानुसार है। कोष्ठक में पार्टियों की संख्या अंकित है। पट्टेधारों का नाम जिन्हें ऋण स्वीकृत किया गया व राशि संलग्न परिशिष्ट "क" में अंकित हैं :—

वर्ष	अनुसूचित जाति/ जनजाति	अन्य जाति	कुल राशि [रु. में] वितरण की गई
1980–81	रु. 10,150 (11)	39,850 (18)	50,000(29)
1981–82	रु. 43,000 (43)	6,000 (6)	49,000(49)
1982–83	रु. 3,49,000 (158)	2,000 (1)	2,51,000(159)
1983–84	रु. 1,98,000 (62)	94,000 (27)	2,92,000(89)
1984–85	रु. 1,80,000 (39)	1,21,000 (25)	3,01,000(64)

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 12 देखें)

दूदू में बस व्यवस्था

394. **श्री जयकृष्ण तोषवड़ा** (दूदू) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

विधान सभा क्षेत्र दूदू में नये सिरे से रोडवेज बसें कहां-कहां पर व कब से चलाने की नई योजना है ? यह योजना कब चालू की जायेगी, व कौन-कौन से रूट पर चलाने की योजना है ?

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र दूदू में नये सिरे से रोडवेज की बसें निम्न मार्गों पर दिनांक 15-7-85 से चलाये जाने की योजना है :–

क्र.सं.	मार्ग का नाम	दैनिक परिचक्र
1.	जयपुर–लालपुरा वाया दूदू	3
2.	सांभर–लालपुरा वाया दूदू	3
3.	दूदू-मालपुरा वाया खुडियाला छापरवाध-मोगरला–सेवा-पारली पचेवर-बालाराव–बरोल-गनेवर	6
4.	सांभर-पचेवर वाया दूदू खुलिड़याला-छापरवाध-मोगरला-सेवा–पारली	2

(यातायात मन्त्री)

5. पचेवर-मालपुरा वाया पारली सेवा-मांगरला-छापरबांध-खुडियाला 2

नांदला महाविद्यालय

395, **श्री गोविन्दसिंह** (नसीराबाद): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे-

(1) क्या राजकीय महाविद्यालय नसीराबाद (अजमेर) वास्तव में ग्राम नांदला की भूमि में अवस्थित है; तथा स्वरूप पूर्णतया ग्रामीण अंचल में अवस्थित होने से ग्रामीण है, और इस महाविद्यालय में अधिकांश छात्र निकटवर्ती ग्रामीण अंचल से प्रवेश लेकर अध्ययन करते हैं? क्या इस महाविद्यालय में काफी अच्छी संख्या में विद्यार्थी अनुसुचित जाति व अन्य पिछड़े वर्ग के है, तथा भारतीय सेवा में कार्यरत सैनिकों के पुत्र/पुत्रियां हैं? उपरोक्त सभी दृष्टियों से क्या राज्य सरकार इस महाविद्यालय को पिछड़ी श्रेणी में घोषित कराने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को सिफारिश करने का विचार रखती है?

(2) वास्तविक रूप से यह महाविद्यालय नांदला ग्राम में अवस्थित होने से क्या राज्य सरकार इसका नाम राजकीय महाविद्यालय नांदला (नसीराबाद) करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां, यह सही है कि राजकीय महाविद्यालय नसीराबाद (अजमेर) ग्राम नांदला की सीमा पर अवस्थित है। महाविद्यालय में नसीराबाद व नजदीक के छात्र अध्ययन करते हैं। इस महाविद्यालय में सामान्य वर्ग के छात्रों की संख्या अनुसूचित जाति व अन्य पिछड़े वर्ग तथा भारतीय सेना में कार्यरत सैनिकों के पुत्र पुत्रियों से अधिक है।

किसी महाविद्यालय को पिछड़ी श्रेणी में घोषित करने का कोई प्रावधान नहीं है।

(2) जी नहीं। नाम परिवर्तन करने का कोई औचित्य नहीं है।

सांगानेर स्थित सब्जी मण्डी

396. **श्रीमती विद्या पाठक** (सांगानेर): क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे-

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1982-83 में सांगानेर स्थित सब्जी मण्डी को नगरपालिका ने मुख्य बाजार से हटा कर मातृ शिशु कल्याण केन्द्र के प्रवेश-द्वार के सामने लगाना आरम्भ कर दिया है? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या यह सही है कि वहां सब्जी मण्डी के कारण सीलन, मक्खियां कीचड़ गन्दगी अधिक होने से माता व नवजात शिशु के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, और इसकी शिकायत स्थानीय उक्त डिस्पेन्सरियों के डाक्टरों व जिला चीफ मेडिकल आफिसर ने भी की है?

(3) यदि हां, तो इतने विरोध के

(श्रीमती विद्या पाठक)

बावजूद वहां से उक्त सब्जी मण्डी को क्यों नहीं हटाया गया, और कब तक हटा दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी हां। क्योंकि मुख्य बाजार में वाहनों के आवागमन मण्डी की भीड़ एवं आने जाने वालों की भीड़ के कारण रास्ता अवरुद्ध हो जाता था तथा एक्सीडेण्ट आदि होने का डर रहता था ।

(2) कीचड़ व गन्दगी आदि के बारे में शिकायत है नगरपालिका द्वारा प्रतिदिन सफाई कराई जाती है ।

(3) स्थानाभाव के कारण सब्जी मण्डी को नहीं हटाया जा सका है। अब भूमि अवाप्त कर अन्य स्थान पर स्थानान्तरित करने का नगरपालिका द्वारा विचार किया जा रहा है ।

गुलाबपुरा नगरपालिका द्वारा आयोजित समारोह

397. **श्री रामचन्द्र** (बनेड़ा) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे–

(1) गुलाबपुरा नगरपालिका द्वारा बनेड़ा विधान सभा क्षेत्र के भूतपूर्व विधायक के राज्य मन्त्री पद पर आसीन होने के उपलक्ष में आयोजित समारोह में कुल कितनी राशि किस-किस मद में खर्च की गई है ?

(2) क्या उक्त समारोह के पश्चात् की अवधि का कोई आडिट हो चुका है ?

(3) क्या राज्य सरकार ऐसे समारोह के आयोजन को, और उसमें इस प्रकार के खर्चे को जनहित में उचित मानती है ?

(4) राज्य सरकार की खर्चे की सीमा को बांधते हुए इस बाबत क्या कोई नीति है ?

उत्तर

(1) गुलाबपुरा नगरपालिका द्वारा बनेड़ा विधान सभा क्षेत्र के भूतपूर्व विधायक के राज्य मन्त्री पद पर आसीन होने के उपलक्ष में आयोजित समारोह पर कुल 12,714.15 पैसे कन्टीजेन्सीज मदों से व्यय किये गये हैं।

(2) जी हां।

(3) नगरपालिका स्वायत्तशासी संस्थायें हैं एवं राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959 की धारा 101 (एम) के अन्तर्गत (Public Reception) नागरिक स्वागत समारोह पर नियमानुसार बोर्ड द्वारा प्रस्ताव पारित कर व्यय किया जा सकता है ।

(4) नियमों में ऐसी सीमा निर्धारित की हुई है ।

जैसलमेर जिले में खेल मैदान

398. **श्री नारायणराम बेड़ा** (भोपालगढ़) : क्या खेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे–

(श्री नारायणराम बेड़ा)

(1) जैसलमेर जिले में कुल कितने खेल मैदान हैं, उनमें कितने सार्वजनिक रूप से हैं ?

(2) क्या यह सही है कि शहीद सागरमल गोपा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में बास्केट बाल के तीनों मैदान टूटे पड़े या अधूरे हैं ?

(3) उक्त विद्यालय में वर्ष 1982-83 में एक सीमेंटेड खेल मैदान बना था, उसमें अभी तक रिंगें नहीं लगी ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) इस जिले में सरकार ने प्रादेशिक खेल बास्केट बॉल के स्तर के उत्थान के लिये क्या-क्या प्रयास किये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) जैसलमेर जिले में शिक्षण संस्थाओं के 66 खेल के मैदान हैं। सार्वजनिक उपयोग के लिए नगर परिषद द्वारा स्टेडियम जिसमें खेल के मैदान भी होंगे, का निर्माण कराया जा रहा है।

(2) शहीद सागरमल गोपा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, जैसलमेर में दो डामर के बने बॉस्केटबाल के कोर्ट हैं जो गर्मी के मौसम के कारण साधारण रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं। जिन्हें सत्र प्रारम्भ होने पर ठीक कराया जा रहा है। एक बास्केटबाल खेल का मैदान सीमेंट का बना है।

(3) जी हां। सीमेंट के मैदान में अन्तर्राष्ट्रीय बॉस्केटबाल महासंघ द्वारा बॉस्केटबाल कोर्ट की साईज बदले जाने के कारण रिंग नहीं लगाई गई है।

(4) जिले में बॉस्केटबाल खेल के उत्थान के लिए निम्न प्रयास किये गये :–

अ–अप्रैल 1983 में बॉस्केटबाल को राज्य खेल घोषित किया।

ब–दिनांक 20-7-83 से 4-8-83 व 13-9-84 से 28-9-84 तक प्रतिभा खोज शिविर लगाये।

स–दिनांक 10-2-84 से 19-2-84 व 15-2-85 से 24-2-85 तक फालो-अप शिविर लगाये गये।

मेजर मिनरल्स के पट्टे

399. **श्री खंगारसिंह चौधरी** (खारची): क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे–

(1) क्या यह सही है कि मेजर मिनरल्स के पट्टे राज्य सरकार द्वारा निदेशालय की सिफारिश पर खण्डित स्वीकृत या नवीनीकरण किये जाते हैं ?

(2) यदि हां, तो पाली जिले में फरवरी, 1980 में किन-किन मेजर मिनरल्स के पट्टाधारियों के पट्टे खण्डित किये व इन पट्टों के लिए निदेशालय की राज्य सरकार को क्या-क्या सिफारिस की गई थी ?

(श्री खंगारसिंह चौधरी)

(3) प्रश्न के भाग 2 में जिन–जिन पट्टाधारियों के पट्टे फरवरी, 1980 में खण्डित किये गये, उनको नियम 58 के प्रयोजनार्थ पुनः स्वीकृति हेतु कब प्रकाशित किया ? यदि नहीं, तो क्यों ? निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान विभाग द्वारा फरवरी, 1980 से फरवरी, 1981 तक कब-कब नियम 58 के प्रयोजनार्थ विज्ञप्तियां राजस्थान राज–पत्र में प्रकाशित कराई व उसमें प्रश्न के भाग 3 में बताये क्षेत्र को सम्मिलित न किये जाने का क्या कारण है, तथा इसके लिए कौन जिम्मेदार है ?

उत्तर

(1) जी हां। खनन पट्टों के स्वीकृत नवीनीकृत तथा खण्डित किये जाने के प्रस्ताव निदेशालय खान एवं भू-विज्ञान से प्राप्त होते हैं, जिनकी जांच राज्य स्तर पर की जाकर राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया जाता है।

(2) फरवरी, 1980 में निदेशालय पर पाली जिले के निम्न दो खनन पट्टे राज्य सरकार द्वारा खण्डित किये गये–

1. खनन पट्टा वास्ते खनिज क्वार्टज, सूत-पत्थर निकट ग्राम भंवरिया, तहसील रायपुर जिला पाली में श्री गुमानसिंह ढड्डा के पक्ष में।

2. खनन पट्टा वास्ते केलसाईट, सोप–स्टोन, मायका नि.ग्रा. गोरिया तहसील वाली, जिला पाली में श्रीमती उषा ढड्डा के पक्ष में।

(3) प्रश्न के भाग 2 में दर्शाये गये प्रथम खनन-पट्टा जो कि श्री गुमानसिंह ढड्डा के पक्ष में स्वीकृत था उसे राजस्थान राजपत्र में दिनांक 2–7–81 को रिक्त घोषित किया गया। द्वितीय खनन पट्टा श्रीमती उषा ढड्डा के पक्ष में स्वीकृत था जिसे राज्य सरकार द्वारा फरवरी, 1980 में खण्डित किया गया परन्तु जिस बकाया राशि के लिए पट्टा खण्डित किया गया था वह राशि पट्टाधारी द्वारा जमा करा दी गई अतः आगे कार्यवाही स्थगित की गई तथा भारत सरकार को प्रार्थना की गई कि पट्टा बहाल करने की अनुमति प्रदान की जाय। इसलिए यह क्षेत्र रिक्त घोषित नहीं किया गया है। फरवरी 80 से फरवरी 81 तक दिनांक 14–3–80, 5-7-80, 26–9–80, 25–11–80 एवं 11-2-81 द्वारा विभिन्न क्षेत्र पुनः अनुदान हेतु खनिज रियायत नियम, 1960 के नियम 59 के अन्तर्गत रिक्त घोषित करने की विज्ञप्ति राजस्थान राजपत्र में प्रकाशित की गई।

बाड़मेर से कसूंबला बस सेवा

400. **श्री गंगाराम चौधरी** (बाड़मेर) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे–

क्या यह सही है कि बाड़मेर से कसूंबला जाने आने वाली प्राइवेट बस कवास व बाड़मेर के बीच अपने निर्धारित रास्ते से न चलकर राष्ट्रीयकृत रास्ते से चलती है ? यदि हां, तो इस पर निर्धारित रास्ते से चलने हेतु कब तक पाबन्दी लगा दी जायेगी ?

उत्तर

जी हां। आंधी के कारण निर्धारित मार्ग पर रेत के टीले आ जाने के कारण तथा अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग न होने की वजह से यह बस राष्ट्रीयकृत मार्ग के कुछ अंश पर चल रही थी किन्तु अब इसे निर्धारित मार्ग पर ही चलने के लिए पाबन्द किया जा चुका है।

माणकचन्द मेवाड़ा कृषि उपज मण्डी समिति

401. **श्री हीरासिंह चौहान** (रायपुर) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या वर्ष 1975–76 में श्री माणक चन्द मेवाड़ा कृषि उपज मण्डी समिति (जैतारण) में 'सी' श्रेणी का ठेकेदार रहा था ?

(2) क्या उक्त ठेकेदार को चार दीवारी निर्माण कार्य का सम्पूर्ण भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो पिछले ग्यारह वर्ष से भुगतान नहीं करने के क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नही। इस मामले में जांच की जाकर सम्पूर्ण भुगतान की कार्यवाही शीघ्र ही करा दी जायेगी।

ग्राम माड़ली जल प्रदाय योजना

403. **श्री शंकरलाल अहारी** (चोरासी) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या माड़ली ग्राम की नल योजना सरकार के विचाराधीन है ?

(2) यह योजना कब बनकर लागू हो जायेगी ?

(3) इस योजना में विलम्ब क्यों हो रहा है ?

उत्तर

(1) ग्राम मांड़ली (कोड नं. 350) तहसील डूंगरपुर को हैण्ड पम्प लगाकर पेयजल से लाभान्वित किया जा चुका है किन्तु गर्मियों में हैण्ड पम्पों में पानी न रहने के कारण आगमेण्टेशन योजना प्रस्तावित है।

(2) धन उपलब्धि एवं तकनीकी उपयुक्तता के अनुरूप योजना स्वीकृत कर क्रियान्वित की जा सकेगी।

(3) धन उपलब्धि के अनुसार योजना का कार्य शुरू किया जा सकेगा।

मुकन्दगढ़ कस्बे का मास्टर प्लान

405. **श्री नवरंग सिंह** (नवलगढ़) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या नगरपालिका टाऊन

(श्री नवरंगसिंह)

मुकुन्दगढ़ व नवलगढ़ को नगर नियोजन के अन्तर्गत ले लिया गया है ? यदि नहीं, तो इन कस्बों को कब तक लेने की सरकार की योजना है ?

(2) क्या नवलगढ़ व मुकन्दगढ़ कस्बों के मास्टर प्लान तैयार करवाये गये ? यदि नहीं, तो कब तक करवाने की योजना है ?

(3) क्या मुकन्दगढ़ कस्बे के वार्ड नं. 5 और नवलगढ़ कस्बे के अधिकांश वार्डों में वर्षा के दिनों में भयंकर पानी का बहाव रहता है ? यदि हां, तो इस पानी को निकालने की विभाग की क्या योजना है ?

(4) नवलगढ़ कस्बे में गांधी पार्क की स्थापना कब हुई, और क्या यह सही है कि विभागीय देखरेख की कमी से यह पार्क सूख गया है ? क्या राज्य सरकार इसके लिए बजट और व्यवस्था करवाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां । नगर नियोजक विभाग राज्य के सभी नगरों के लिए योजनायें स्वीकृत करता है । मुकुन्दगढ़ व नवलगढ़ नगरपालिकाओं का योजना सम्बन्धी कोई प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है ।

(2) जी नहीं । वर्तमान में 50 हजार की आबादी से अधिक नगरों के मास्टर प्लान बनाने के कार्य को प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है । अतः मुकुन्दगढ़ व नवलगढ़ के मास्टर प्लान अभी बनाने की योजना नहीं है ।

(3) जी हां । वर्षा के कारण पानी आ जाता है, जिसे नगरपालिका द्वारा निकलवा दिया जाता है ।

(4) गांधी पार्क की स्थापना 4 अप्रेल, 1955 को हुई थी । नगरपालिका को जुलाई, 1980 को इसे स्थानान्तरित किया गया था, उस समय यह जीर्ण-शीर्ण एवं सूखी हालात में था । इसके लिए अलग से बजट में अभी कोई प्रस्ताव नहीं है ।

चूरू जिले से पटवारियों का स्थानान्तरण

406. **श्री इन्द्रसिंह पूनिया** (सादुलपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे–

(1) मार्च 1983 से मार्च 1985 तक चूरू जिले में कितने पटवारियों का स्थानान्तरण किया गया, तथा किस-किस पटवारी को किस जगह से स्थानान्तरित किया गया ? कृपया सूची सदन पटल पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि दो साल से पूर्व किसी पटवारी को हटाने से पूर्व राजस्व मण्डल से स्वीकृति लेनी पड़ती है ? यदि हां, तो कितने और किस-किस पटवारी को मार्च 1983 से मार्च 1985 तक हटाने से पहले स्वीकृति ली गई थी ? नहीं, तो क्यों ?

(3) ऐसे अधिकारी के खिलाफ जिसने स्वीकृति लिए बिना ही पटवारी का स्थानान्तरण किया सरकार कोई कार्यवाही

54

(श्री इन्द्रसिंह पूनिया)

करने जा रही है ? यदि हां, तो किस प्रकार की कार्यवाही की जावेगी ?

उत्तर

(1) मार्च 1983 से मार्च 1985 तक चूरू जिले के 277 पटवारियों का स्थानान्तरण किया गया। सूची परिशिष्ट 'अ' संलग्न है ।

(2) जी हां। मार्च 1983 से मार्च 1985 तक 104 पटवारियो के स्थानान्तरण किये गये हैं जिनमें से 4 की राजस्व मण्डल से स्वीकृति प्राप्त कर ली गई थी तथा 11 के लिए स्वीकृति हेतु लिखा गया था एवं 54 के स्वैच्छिक स्थानान्तरण किये गये। शेष स्थानान्तरण तहसीलदार एस. डी. ओ. एवं जन प्रतिनिधियों से गम्भीर शिकायतें प्राप्त होने से प्रशासनिक एवं जनहित को मध्य नजर रखते हुए किये गये हैं ।

(3) जिलाधीश चूरू से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जा रहा है ।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 13 देखें)।

चौमूं में नई तहसील का गठन

407. **श्री रामेश्वरदयाल यादव** (चौमूं) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे–

क्या यह सही हैं कि चौमूं जिला जयपुर में नई तहसील का गठन प्रारम्भ कर दिया गया है, तथा नया तहसील भवन भी बनकर तैयार हो गया है, परन्तु अभी तक तहसील कार्यालय किराये के भवन में ही कार्यरत है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

जी हां। निर्माणाधीन भवन में कमियां पाई जाने पर उन्हें पूर्ण करने हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग को लिखा गया है।

बी.सी.जी. टेक्नीशियनों का प्रशिक्षण केन्द्र

408. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे–

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1983 में विभाग द्वारा बी.सी.जी. टेक्नीशियन का प्रशिक्षण अजमेर केन्द्र पर दिया गया था ? यदि हां, तो उसमें किस-किस ने प्रशिक्षण प्राप्त किया ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह भी सही है कि 2 वर्ष व्यतीत होने के बाद भी उन्हें अभी तक नियुक्ति आदेश जारी नहीं किये गये हैं ? यदि हां, तो क्यों, तथा इसके क्या कारण हैं ? अब उन्हें कब तक नियुक्ति आदेश दे दिये जायेंगे ?

(3) क्या यह भी सही हैं कि विभाग में बी.सी.जी. टेक्नीशियनों की जगह खाली नहीं होते हुए भी उन्हें प्रशिक्षण में भेजा गया, यदि हां, तो क्यों ?

(4) उक्त प्रशिक्षण पर कुल कितना

(श्री हरजीराम बुरड़क)

खर्चा किस मद से किया गया तथा यह निष्फल व्यय क्यों किया गया, और इसके लिए कौन उत्तरदायी है ?

उत्तर

(1) जी हां। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी हां। विभाग में उक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति दिया जाना सम्भव होगा।

(3) जी नहीं। उस समय कुछ पद पदोन्नति आदि से रिक्त होने की सम्भावना लगती थी, जो नहीं हुए।

(4) विभाग द्वारा उक्त प्रशिक्षण में कोई व्यय नही किया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 14 देखें)।

श्रीजी की मोरी जयपुर की कच्ची बस्ती:

409. **श्री मनफूलाराम** (रायसिंहनगर): क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे–

क्या यह सही है कि श्रीजी की मोरी त्रिपोलिया बाजार, जयपुर में कोई कच्ची बस्ती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उसका नियमन करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक, नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

श्रीजी की मोरी, त्रिपोलिया बाजार, जयपुर में कोई सर्वे शुदा कच्ची बस्ती नहीं है। कुछ लोगों ने अभी सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किया है। न्यायालय से स्थगन आदेश आने के कारण उन्हें हटाया नहीं जा सका।

भेड़ व ऊन विभाग के सेवानिवृत कर्मचारियों का पेंशन प्रकरण

410. **श्री देवीसिंह भाटी** (कोलायत): क्या भेड़ व ऊन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे–

क्या यह सही है कि भेड़ व ऊन विभाग बीकानेर के सेवा नियृत अधिकारी/कर्मचारियों के पेन्शन प्रकरण सेवा निवृत के 2-3 वर्षों तक पूर्ण नहीं किये गये हैं ? यदि हां, तो अब सरकार उन्हें पूर्ण करने का क्या प्रयत्न कर रही है ?

उत्तर

एक अधिकारी के विरुद्ध विभागीय जांच विचाराधीन है, नियमानुसार जांच के निर्णय उपरान्त ही पेन्शन प्रकरण पूर्ण किया जाना सम्भव होगा।

जयपुर नेनवा कोटा बस सेवा

411. **श्री हरीश शर्मा** (खानपुर): क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे–

(1) 19वां स्टेट हाईवे जयपुर से

(श्री हरीश शर्मा)

उनियारा, नेनवां, इन्द्रगढ़, बारां, मांगरोल, झालावाड़ घोषित हुआ है, तथा जयपुर से उनियारा, नेनवा, खटरवड़, केशवरायपाटन, कोटा स्टेट हाईवे घोषित हो चुका है ? इन मार्गों पर रोडवेज बसें, जयपुर से वाया नेनवा-कोटा क्यों नहीं संचालित की जा रही हैं ?

(2) नेनवा से उनियारा मार्ग का राष्ट्रीयकरण क्यों नहीं किया जा रहा है तथा रोड़वेज द्वारा इस रूट पर परमिट क्यों नहीं किया ? अभी इस मार्ग पर कितनी प्राइवेट बसें संचालित होती हैं ?

उत्तर

(1) जी नहीं। सार्वजनिक निर्माण विभाग की सूचनानुसार 19वां स्टेट हाईवे इन्द्रगढ़ इटावा-मांगरोल-बारां--खानपुर--झालावाड़-भवानी मण्डी-डग-आगरा (मध्यप्रदेश सीमा तक) घोषित है। जयपुर से झालावाड़ वाया उनियारा–नेनवा–इन्द्रगढ़–बारां–मांगरोल होते हुए इसलिए बस संचालित नहीं की जा रही है कि वर्तमान मार्ग जयपुर से झालावाड़ वाया टोंक–देवली–बून्दी–कोटा–दर्रा ढावादेह–सुकेत होते हुए सीधा एवं कम दूरी का मार्ग है।

जयपुर से कोटा वाया उनियारा-नेनवा-खटरवड–केशोरायपाटन नया मार्ग खोला गया है जिस पर निगम को अध्याय चतुर्थ के अन्तर्गत 2 अनुज्ञापत्र स्वीकृत हो चुके हैं। प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार से अनुज्ञापत्र प्राप्त होते ही इस मार्ग पर एक वापसी सेवा प्रारम्भ कर दी जावेगी।

(2) नेनवा से उनियारा मार्ग पर पूर्व में पूर्ण पक्की सड़क न होने के कारण राष्ट्रीयकरण की योजनाओं में सम्मिलित करने पर विचार नहीं किया गया था। भविष्य में जब कभी राष्ट्रीयकरण की योजनायें बनाई जायेंगी तब इस मार्ग पर भी विचार कर लिया जावेगा।

वर्तमान में इस मार्ग पर निजी वाहनें संचालित हैं, अतः जब तक मार्ग के स्कोप में वृद्धि नहीं कर दी जाती तब तक निगम द्वारा परमिट लिए जाने का प्रश्न ही नहीं है।

नेनवा से उनियारा प्राइवेट बसों का कोई मार्ग नहीं है नेनवा उनियारा के लिए निम्नांकित दो मार्गों की कुल नौ बसें यात्रियों को परिवहन सुविधा उपलब्ध कराती है–

1–बांसी–दुगाडी–चौथ का बरवाड़ा 3 बसें।

2–बून्दी–उनियारा 6 बसें।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 2–7–1985)

रामनगर नाहरी का नाका जयपुर के भू–खण्ड

21. **श्री हरीश चन्द्र** (नावां) : क्या नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे–

(1) रामनगर नाहरी का नाका (पूर्व) योजना में कुल कितने भू–खण्ड एवं व्यापारिक दुकानें हैं ?

(2) उक्त भू–खण्डों को किस-किस के

(श्री हरीश चन्द्र)

नाम आवंटित/नीलामी द्वारा वेचे गये है ? उनमें से किस-किस द्वारा भू-खण्डों पर भवन निर्माण करा लिया गया है, एवं कितने भू-खण्ड अभी खाली पड़े हैं, एवं क्यों ? कृपया भू-स्वामियों के नाम व पतों सहित विवरण सदन के पटल पर रखें ।

(3) कितने भू-स्वामियों के कितने समय से पट्टे हेतु प्रार्थना-पत्र विचाराधीन है ? उन्हें पट्टे अभी तक जारी न करने के क्या कारण हैं ? इन्हें अब कब तक पट्टे जारी कर दिये जायेंगे ?

उत्तर

(1) रामनगर नाहरी का नाका (पूर्व) योजना में कुल 509 भूखण्ड एवं 206 दुकानें (व्यावसायिक) हैं ।

आवंटन/नीलामी द्वारा वेचे गये भूखण्ड भू स्वामियों के नाम व पते सूची 'अ' में दिये जा रहे हैं । रिक्त भूखण्डों एवं अधूरे निर्माण की सूची 'ब' पर है ।

(2) भूखण्ड का पट्टा भूखण्ड पर अनुमोदित मानचित्र के अनुसार भवन निर्माण होने, भूमि का टाइटल स्पष्ट होने तथा भूखण्ड के प्रति देय पूर्ण नजराना राशि व शहरी जमा बन्दी राशि के जमा होने के पश्चात् जारी किया जाता है । वर्तमान में 19 पट्टे के मामले विचाराधीन हैं । प्रार्थना पत्र माह फरवरी 1985 के पश्चात् प्राप्त हुए हैं ।

जिन व्यक्तियों का स्वामित्व सही है, भवन निर्माण अनुमोदित मानचित्र के अनुसार है तथा कोई बकाया राशि नहीं है । उन व्यक्तियों को पट्टे एक माह के अन्दर अन्दर जारी कर दिये जायेंगे ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई) ।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 2 जुलाई, 1985)

माडा योजना के अन्तर्गत ब्लास्टिंग

6. **श्री रतनलाल ताम्बी** (जहाजपुर): क्या जन जाति क्षेत्रीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जहाजपुर पंचायत समिति में माड़ा योजना के अन्तर्गत फ्री ब्लास्टिंग का कार्य किया गया ? यदि हां, तो फरवरी, 1982 से 31 मई, 1985 तक किस-किस कृषक के फ्री ब्लास्टिंग हुआ ? कृपया नाम सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि जो कृषक अनुसूचित जन जाति के लघु कृषक की सीमा में नहीं आते हैं, उनके कुओं पर अन्य कृषकों के नाम के आवेदन-पत्र भरा कर ब्लास्टिंग किया गया ?

(3) क्या यह सही है कि स्वीकृत आवेदन-पत्रों के विपरीत अन्य कुओं पर ब्लास्टिंग के खिलाफ शिकायतें आई हैं ? यदि हां, तो क्या उनकी जांच की गई ? किन-किन लोगों के कुओं पर इस प्रकार ब्लास्टिंग किया गया ? कृपया नाम सूची सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां। जहाजपुर पंचायत समिति में माड़ा योजना के अन्तर्गत अप्रैल, 81 से मई 85 तक कृषकों के फ्री ब्लास्टिंग का कार्य हुआ है, उनकी नामावली सूची (परिशिष्ट--क-20 पृष्ठ) संलग्न है।

(2) जी नहीं। माडा योजनान्तर्गत अनुसूचित जनजाति के लघु/सीमान्त कृषकों को ही उनके कुओं पर निशुल्क ब्लास्टिंग योजनान्तर्गत लाभ दिया जाता हैं।

(3) जी हां। स्वीकृत आवेदन पत्रों के विपरीत अन्य कुओं पर ब्लास्टिंग किये जाने की दो व्यक्तियों, सर्वश्री गंगाराम पुत्र धुकला मीणा व सावता पुत्र भुवाना मीणा, के विरुद्ध इस आशय की शिकायत प्राप्त हुई थी कि इन्होंने अपने नाम के कुए नहीं होते हुए भी अन्य व्यक्तियों के कुओं पर निशुल्क ब्लास्टिंग का लाभ पहुंचाया। जांच करने पर श्री सांवता मीणा के प्रकरण में शिकायत साबित नहीं हुई एवं श्री गंगाराम मीणा के प्रकरण में शिकायत सही पाई गई। ब्लास्टिंग की आवश्यक राशि तादादी रुपये 1440/– वसूल करने की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है।

जांच करने पर राजस्व रिकार्ड के अनुसार कुआं खसरा नम्बर 188 ग्राम लुहारी कलां में गंगाराम पुत्र धुकल मीणा का कोई हिस्सा नहीं पाया गया। इसमें हिस्सेदार निम्न प्रकार हैं:--

रामचन्द्र, मोहनलाल, हीरालाल, केसरा/लूंदा 1/4, धन्ना, नानूराम, भैरुराम, गोर्धन 1/4, नाहरा, सरदारा, फूलचन्द, आनन्दीलाल/रोडू 1/4, प्रेमचन्द, संकरिया, जयकिशन मीणा 1/4 देह खातेदार जमाबन्दी सम्वत् 2039 से 2042 के कालम नम्बर 8 में यह दर्शाया गया है कि गंगाराम भेरु/धुकला मीणा सा. देह की खातेदारी के खसरा नम्बर 201, 207, 208, 214, कुल किता 4 रकबा, 1 बीघा 13 बिस्वा कुआं खसरा नं. 188 से सिंचित होते हैं। इस प्रकार कुआ नम्बर 188 में गंगाराम/धुकला मीणा का हित निहित था, परन्तु वह कुआं नम्बर 188 का खातेदार/हिस्सेदार नहीं है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 2–7–1985)

चरागाह भूमि पर कृषकों के कब्जे का नियमन

24. **श्री बहादुरसिंह** (दानपुर): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे--

(1) क्या यह सही है कि 1970 से पूर्व चरागाह भूमि पर जिन भूमिहीन कृषकों का निरन्तर कब्जा काश्त है, उन्हें नियमन करने हेतु राज्य सरकार ने आदेश जारी किये हैं? यदि हां, तो बांसवाड़ा जिले में वर्ष 1984-85 तक कितने भूमिहीन कृषकों, जिनका ऐसी भूमि पर निरन्तर कब्जा चला आ रहा है, के कब्जे नियमन हुए? कृपया तहसीलवार कृषकों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री बहादुरसिंह)

(2) शेष भूमिहीन कृषकों के ऐसे कब्जे कब तक नियमित कर दिये जायेंगे ?

उत्तर

(1) जी हां। जिला बांसवाड़ा में वर्ष 1984–85 तक चरागाह भूमि को नियमन तहसील गढी में 3 बीघा 19 बिस्वा किया गया है। सूची सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

(2) नियमन करने का कोई प्रकरण शेष नहीं है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 15 देखें।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बैठें, मेरी मजबूरी है। कृपया बैठें। मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नलिखित·······

(व्यवधान)

व्यवस्था का प्रश्न

राजा मानसिंह हत्याकांड में चालान की अनुमति—

श्री मानिक चन्द सुराणा (लूणकरण) : अध्यक्ष महोदय, पाइन्ट आफ आर्डर।

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था देने दीजिए मुझको।

श्री मानिक चन्द सुराणा : रूल (137) में जो नोटिस हमने श्रीमन् को पेश किये हैं।

(व्यवधान)

रूल (137) में माननीय जगतार सिंह जी ने और मैंने कल दिये हैं इससे अधिक महत्वपूर्ण क्या है। राजा मानसिंह हत्या काण्ड के मामले में राज्य सरकार चालान करना चाहती है या क्या ? प्रोसीक्यूशन की सेंक्शन जो कल मीटिंग हुई थी उसमें दी या नहीं दी ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बैठें।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। व्यवस्था दे रहा हूं। कृपया बैठें, माननीय सदस्य। व्यवस्था दे रहा हूं।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, कृपया बैठें। मैं व्यवस्था दे रहा हूं।

श्री हरीश शर्मा : कितने आदमी मरवाओगे।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बैठें, माननीय सदस्य। आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था।

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है—

(श्री अध्यक्ष)

(1) श्री गणेश लाल बैरागी और श्री प्रभुलाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से केशोरायपाटन सहकारी शुगर मिल द्वारा कृषकों को गन्ने की कीमत न चुकाने के सम्बन्ध में।

(2) श्री नवनीत लाल नीनामा, सदस्य, विधान सभा की ओर से घाटोल तहसील के 7 गाँवों की भूमि तालाब की डूब में आने पर उसका मुआवजा न दिये जाने के सम्बन्ध में।

(3) श्री हरिकुमार औदिच्य, सदस्य, विधान सभा की ओर से यू. एन. एफ. पी. ए. स्कीम के तहत कार्यरत मेल नर्सेज को भोजन भत्ता नहीं मिलने के सम्बन्ध में।

(4) श्री देवी सिंह भाटी, सदस्य, विधान सभा की ओर से टेन प्लस टू शिक्षा प्रणाली के माध्यम से छात्रों को कालेज शिक्षा में प्रवेश न मिलने के सम्बन्ध में।

(5) श्री शोपत सिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा कार्यकाल की समाप्ति पश्चात् नीति सम्बन्धी निर्णयों से छात्रों व शिक्षकों में आक्रोश के सम्बन्ध में।

(6) श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल), सदस्य, विधान सभा की ओर से वरिष्ठ अधिकारियों के दबाव से गृह निर्माण सहकारी समितियों के प्लान पास कर देने के सम्बन्ध में।

(7) श्री रामचन्द्र, सदस्य, विधान सभा की ओर से गान्धी शिक्षण समिति, गुलाबपुरा की गैर सरकारी शिक्षण संस्था को चलाने हेतु समिति के गठन के सम्बन्ध में।

(8) श्री काली चरण सर्राफ, सदस्य, विधान सभा की ओर से जयपुर की कच्ची बस्तियों में बस रहे व्यक्तियों के मकान तोड़ने के सम्बन्ध में।

(9) श्री केदारनाथ, सदस्य, विधान सभा की ओर से हरिद्वार नाथ ट्रस्ट द्वारा चलाई जा रही माध्यमिक पाठशाला को बन्द करने के सम्बन्ध में।

(10) डा. उज्जला अरोड़ा, सदस्य, विधान सभा की ओर से जयपुर नगर में सरकारी विभागों द्वारा अतिक्रमण के सम्बन्ध में।

(11) श्री जगत सिंह दायमा, सदस्य, विधान सभा की ओर से ग्राम जेतपुरा बानसूर विधान सभा क्षेत्र में स्थगन आदेश के बावजूद आग लगवा देने के सम्बन्ध में।

(12) श्री चुन्नी लाल इन्दलिया, सदस्य, विधान सभा की ओर से ग्राम सापनवासी व ग्राम कूकड़ी की जनता को चीनी व अनाज वितरण न करने के सम्बन्ध में।

(13) श्री लक्ष्मी नारायण किसान, सदस्य, विधान सभा की ओर से एक नाबालिग लड़की को दिनांक 12-7-85 को मार देने के सम्बन्ध में।

(14) श्री भंवर लाल शर्मा (सरदार

(श्री अध्यक्ष)

शहर), सदस्य, विधान सभा की ओर से बापा सेवा संस्था सरदार शहर की कार्य-कारिणी द्वारा अनियमितता के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा।

(1) श्री जगमाल सिंह यादव, सदस्य, विधान सभा की ओर से अनुसूचित जाति व जन जाति के व्यक्तियों की कृषि भूमि के बेचान पर रोक के कारण बेनामी सौदों के सम्बन्ध में।

(2) श्री हरीश शर्मा, सदस्य, विधान सभा की ओर से महाराव भीमसिंह अस्पताल, कोटा का टी. बी. वार्ड के पास होने से रोग फैलने के सम्बन्ध में।

(3) श्री ग्यारसी लाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से निवाई अस्पताल के डाक्टर द्वारा सरकारी दवाओं का घर पर उपयोग व समय पर ड्यूटी न देने के सम्बन्ध में।

(4) श्री हीरा लाल आर्य, सदस्य, विधान सभा की ओर से महाराव भीमसिंह अस्पताल, कोटा में एक्स-रे मशीन खराब होने के सम्बन्ध में।

(5) श्री हीरा सिंह चौहान, सदस्य, विधान सभा की ओर से रायपुर क्षेत्र में बांध व एनकिट क्षतिग्रस्त हो जाने के सम्बन्ध में।

(6) श्री हंसराज मिढ़ा, सदस्य विधान सभा की ओर से एक हरिजन द्वारा विजय नगर में आमरण अनशन के सम्बन्ध में।

(7) श्री दाऊ दयाल जोशी, सदस्य, विधान सभा की ओर से आयुर्वेद महा-विद्यालय, उदयपुर के छात्रों को प्रायोगिक कार्य हेतु शव व्यवस्था न करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(8) श्री मांगी लाल मेघवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से केशोराय पाटन सिंचित क्षेत्र में मिट्टी भर जाने व नहरों के रख-रखाव में अनियमितताओं के सम्बन्ध में।

(9) श्री फूलचन्द, सदस्य, विधान, सभा की ओर से नीम का थाना नगरपालिका क्षेत्र में सफाई की व्यवस्था न होने के सम्बन्ध में।

(10) श्री नवरंग सिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से नवलगढ़ थानेदार द्वारा एक व्यक्ति की पिटाई करने व मुर्गा बना देने के सम्बन्ध में।

(11) श्री हरिशंकर भाभड़ा, सदस्य, विधान सभा की ओर से अनुभवी व्यक्ति नियमानुसार हकदार होने पर भी फार्मेसी कौंसिल द्वारा उनका पंजीकरण न करने के सम्बन्ध में।

(12) श्री गिरधारी लाल भार्गव, सदस्य, विधान सभा की ओर से जयपुर शहर के प्रमुख बाजारों में विद्युत के तार

(श्री अध्यक्ष)

खुले रहने व उससे दुर्घटनाओं होने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं हैं अतः मैं इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

(1) श्री ललित किशोर चतुर्वेदी, श्री बिरदमल सिंघवी, श्री हरिश्चन्द्र कुमावत और श्री घनश्याम तिवाड़ी, सदस्य, विधान सभा की ओर से उजाड़ नदी की पुलिया पर 3 व्यक्तियों पर कातिलाना हमले के सम्बन्ध में। इस विषय पर गृह मन्त्री द्वारा दिनांक 17-7-85 को एक वक्तव्य दिया जायेगा।

(2) सुश्री पुष्पा जैन, सदस्य, विधान सभा की ओर से कृषि गणना विभाग की गाड़ी के दुरुपयोग व लाग बुक में गलत इन्द्राज के सम्बन्ध में। सरकार ने सूचना दी है कि 16-4-82 से 18-4-82 तक इन्द्राज नियमानुसार हैं। गाड़ी का दुरुपयोग नहीं किया गया और लाग बुक विभाग में उपलब्ध है।

(3) श्री जगमाल सिंह यादव, सदस्य, विधान सभा की ओर से बैंकों के माध्यम से डीजल व पम्प सैट की खरीद पर दुगुनी कीमत लेने के सम्बन्ध में। सरकार ने जानकारी दी है बैंकों द्वारा ऋण आई. एस. आई. मार्क के डीजल व पम्प सैट पर ही दिया जाता है जिनकी कीमत अधिक होती है। नान आई. एस. आई. मार्क के सैट कम कीमत पर मिलते हैं। फर्जी ऋणों की जांच उप अधीक्षक, भ्रष्टाचार द्वारा की जा रही है।

(4) श्री गणेश लाल बैरागी, सदस्य, विधान सभा की ओर से बूंदी जिले में सहकारी ऋणों की जबरन वसूली के सम्बन्ध में। सरकार ने जानकारी दी है कि अवधि पार ऋणों की बकाया के कारण बैंक की खराब हालत थी जिससे मानवीय मूल्यों को ध्यान में रखकर वसूली की गई। किसानों को बेइज्जत नहीं किया व मार-पीट आदि भी नहीं की गई।

(5) श्री चम्पा लाल बांठिया, सदस्य, विधान सभा की ओर से पाक घुसपैठियों द्वारा लूट के सम्बन्ध में। सरकार ने जानकारी दी है कि 6-6-85 को चार पाकिस्तानी डकैतों ने चानणियां ग्राम में 1·50 लाख रुपये लूटे व 5 ऊंट ले गये। गश्त बढ़ा दी गई है और अन्वेषण जारी है।

(6) श्री शोपत सिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से इन्दिरा गांधी नहर परियोजना का सूरतगढ़ में खुले में पड़े कोयले की चोरी के सम्बन्ध में। सरकार ने जानकारी दी है कि 6,000 मीट्रिक टन कोयला चट्टे बनाकर रखा है तथा चौकीदार की व्यवस्था है। ढुलाई व रखाई के नाम पर लाखों रुपये खाने का कोई मामला ध्यान में नहीं आया है।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं हैं अतः मैं इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

(1) श्री हरिशंकर भाभड़ा, श्री

(श्री अध्यक्ष)

रमजान खां व श्री हीरा सिंह चौहान, सदस्य, विधान सभा की ओर से पुष्कर तीर्थ के घाटों पर होटल बनाये जाने के सम्बन्ध में। इस विषय पर राज्य सरकार से वक्तव्य दिलाया जायेगा तथा इसकी तिथि शीघ्र निश्चित की जायेगी।

जिन माननीय सदस्यों के स्थगन प्रस्ताव मैंने अस्वीकार किये हैं उनको मैं बोलने का मौका दूंगा। इस बीच में एक प्रश्न जो उठाया गया 127 में जो सूचना दे दी है माननीय श्री यदुनाथ सिंह जी ने और उनके साथी माननीय दूसरे साथियोंने उसमें राजा मानसिंह की हत्या के सम्बन्ध में जो सी. बी. आई की ओर से चालान पेश किया जाने वाला था ···

श्री मानिक चन्द सुराना : 127 में मेरा भी नोटिस है।

श्री अध्यक्ष : आपका भी है। I am sorry। मैंने अन्य साथियों से कह दिया था, नाम रेफर नहीं कर पाया। आर्डर प्लीज। आपका भी है, सब का है, जिन भी माननीय सदस्यों का है उसमें मुझे राज्य सरकार से यह जानकारी मिली है कि कल ही राज्य सरकार ने सी. बी. आई. को चालान पेश करने की अनुमति दे दी है। 13 व्यक्तियों के चालान की अनुमति दी है। वैसे तो 18 व्यक्तियों के चालान की अनुमति है। 13 व्यक्तियों के चालान की अनुमति 302 के साथ दी हुई है 5 व्यक्तियों के चालान की अनुमति 302 में नहीं देकर अन्य अपराध जो उनके प्रति साबित हुए हैं उनके अन्दर दी है। मैं समझता हूं अब इस प्रकरण में कोई प्रश्न ऐसा बाकी नहीं रहता इसलिए मैं माननीय सदस्यों से चाहूंगा कि इस पर कोई चर्चा न करें।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री मोहन प्रकाश (राजाखेड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी में तो अब जरूरत है।

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : चर्चा कैसे नहीं करेंगे।

श्री मोहन प्रकाश : अब सदन जानने के लिए सरकार ने जब आज्ञा दे दी है···

श्री हरीश शर्मा (खानपुर) : अध्यक्ष महोदय, पाइन्ट आफ आर्डर।

श्री मोहन प्रकाश : और सदन को यह जानने का पूरा हक है कि कौन लोग हैं।

श्री अध्यक्ष : कौन-कौन लोग हैं ?

श्री मोहन प्रकाश : जिन लोगों को सरकार ने छोड़ा है। हम लोगों को यही शंका है कि सरकार कातिलों को बचाना चाहती है।

श्री अध्यक्ष : कृपया, बैठें, माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज।

किसी को नहीं बचाया है और सभी 18 व्यक्तियों के चालान की अनुमति दी है। आर्डर प्लीज, आर्डर। माननीय सदस्य,

(श्री अध्यक्ष)

ग्रार्डर। कृपया माननीय सदस्य, व्यवधान न डालें।

श्री मोहन प्रकाश : कल प्रदेश के कोने-कोने से यह ग्रावाज ग्रायेगी···

श्री ग्रध्यक्ष : माननीय श्री मोहन प्रकाश जी, कृपया बैठें।

श्री यदुनाथ सिंह : कुछ शंकायें दूर करें, ग्रध्यक्ष महोदय, यह बहुत जरूरी भी है ग्रौर सदन के सामने चर्चा हुई है। कुछ शंकायें फिर उत्पन्न हो गयी हैं।

श्री भैंरूलाल मीणा (सराड़ा) : पाइन्ट ग्राफ ग्रार्डर।

श्री ग्रध्यक्ष : ग्रार्डर प्लीज, कृपया बैठें। एक पाइन्ट ग्राफ ग्रार्डर पर व्यवस्था देने दीजिए कृपया। ग्रार्डर प्लीज, ग्रार्डर माननीय सदस्य।

श्री यदुनाथ सिंह : ग्रध्यक्ष महोदय, यह बहुत मानवीय प्रश्न है। यह तो खैर स्पष्ट हो गया, सरकार ने ग्रापको सूचना दी है कि वह ग्रपने मंसूबों में सफल हुई यानि जो पहले····

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, ग्रार्डर प्लीज।

श्री यदुनाथ सिंह : ग्रध्यक्ष महोदय, यह बहुत गम्भीर मसला है। दबाव देकर राज्य सरकार ने शुरू से ही यह रुख ग्रपनाया था कि यह जांच ब्यूरो से कोपरेट नहीं करेगा ग्रौर न किया। दबाव देकर मुलजिमों की धारायें बदलवाना, ग्रच्छी बात नहीं है। ग्रध्यक्ष महोदय, मैं एक बात पूछने का ग्रधिकारी हूं, मैं पछूंगा····

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री यदुनाथ सिंह : कि जो 13 ग्रादमियों का 302 मे चालान करने की ग्रनुमति दी है वह कौन से हैं···

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, देखिए, माननीय सदस्य, यह जानकारी मुझे मिल पायी है···ग्रार्डर प्लीज···

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह : यह प्रश्न का जवाब बहुत जरूरी है, माननीय ग्रध्यक्ष महोदय। ग्रध्यक्ष महोदय, गृह मन्त्री बैठे हैं यह बतायें।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, ग्रभी मेरे पास नाम नहीं है। कृपया बैठें, माननीय सदस्य। ग्रार्डर प्लीज। मेरी बात सुन लीजिए।

मैं ग्राप से कह रहा हूं कि ग्रापने जब इस प्रश्न के बारे में पूछा तब मैंने इसकी जानकारी मुख्य मन्त्री जी से टेलीफोन पर ली है ग्रौर जो जानकारी मुझे ग्रभी तत्काल मिल पायी है जिसके ग्राधार पर मैंने कहा कि यह डिटेल्स ग्रगर ग्राप जानना चाहते हैं तो बाद में ग्राप ग्रा जाइये। मुख्य मन्त्री से कहूंगा, मैं ग्रापको सारी जानकारी दिला दूंगा ग्रौर उसके बाद कोई बात हो तो फिर उसके बाद ग्रागे बढ़ें तो ज्यादा ठीक होगा।

श्री मोहन प्रकाश : पहले सरकार ने चालान पेश करने की ग्राज्ञा नहीं दी जिससे कि मुलजिम छूटे···

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठें, माननीय सदस्य।

श्री मोहन प्रकाश : और 10 दिन बाद चालान पेश करने की अनुमति दे रही है। अध्यक्ष महोदय, बड़ा गम्भीर प्रश्न है इस प्रदेश के कौने-कौने से हम यहां आये हैं....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। कृपया बैठें, माननीय सदस्य मोहन प्रकाश, व्यवधान न डालें। कृपया बैठें। माननीय श्री यदुनाथ सिंह, इसमें मैं अलाऊ नहीं करूंगा। आर्डर प्लीज।

(व्यवधान)

श्री नत्थी सिंह (कुम्हेर) : अध्यक्ष महोदय, यह एक बात तो साफ कर दें कि कौन-कौन आदमी हैं जिनको 302 में नहीं दी गयी है। कौन व्यक्ति हैं उनके कारण, उनके ही बहाने से जो 302 में गिरफ्तार करना चाहिए था भाटी और वीरेन्द्र सिंह की जमानत करा दी सरकार ने। ऐसे कौन से इम्पार्टेन्ट व्यक्ति हैं जिनके कारण से कांड हुआ।

श्री यदुनाथ सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, गृह मन्त्री बैठे हैं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य। कृपया बैठें। माननीय श्री नाथू सिंह।

श्री नाथूसिंह (टोडाराय सिंह) : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक निवेदन है, यह 13 आदमियों को...

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरनसर) : पाइन्ट आफ आर्डर, सर।

श्री अध्यक्ष : पाइन्ट आफ आर्डर। कृपया बैठें। आर्डर प्लीज, कृपया बैठें। माननीय सदस्य, मैं सुन लूंगा आपकी बात। कृपया बैठें।

श्री मानिक चन्द सुराना : अध्यक्ष महोदय, रूल 127 के प्रावधान की तरफ 128 (2) की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, इस पर चर्चा नहीं करें तो ज्यादा ठीक होगा। आर्डर, माननीय सदस्य, मेरा निवेदन सुन लीजिए।

श्री मानिक चन्द सुराना : आप इसके लिए 128 (2) में समय निर्धारित करें, मेरा निवेदन यह है।

श्री अध्यक्ष : समय निर्धारित करने का अब प्रश्न रहता नहीं। जो आपने उसमें दिया है। माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज आर्डर। माननीय सदस्य।

श्री मानिक चन्द सुराना : अध्यक्ष महोदय, आप मुझे कहने तो दें। मेरा पाइन्ट आफ आर्डर तो रेज करने दें। मेरा पाइन्ट आफ आर्डर यह है कि जब आपने यह स्वयं फरमाया है कि मुख्य मन्त्री जी इस सम्बन्ध में विस्तार से जानकारी देंगे। सूचना जो है अभी वह तो सिर्फ टेलीफोन पर प्राप्त हुई है। 13 व्यक्तियों का चालान 302 में किया गया है 5 व्यक्तियों को 302 के अलावा के जुर्मों

(श्री मानिक चन्द सुराना)

में किया गया है। अध्यक्ष महोदय, हमको, इस सदन को और सारे राजस्थान को यह जानने का अधिकार है कि यह चालान, यह सैंक्शन उस दिन क्यों नहीं दी गयी और कल क्यों दी गयी ? यह मामूली बात नहीं है। अध्यक्ष महोदय, इसके अन्दर जो पालिसी मैटर्स हैं, जो नीतिगत प्रश्न शामिल हैं...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठें।

श्री मानिक चन्द सुराना : अध्यक्ष महोदय, उन नीतिगत प्रश्नों का जो मेरा एक्सप्लेनेटरी नोट है आपको दिया हुआ, उसके तहत आज समय निर्धारित करें। हमारा उठाने का अधिकार है हम उन मुद्दों को उठायेंगे। कोई यह मामूली गोली-कांड नहीं है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब आप मेरी बात सुनेंगे।

श्री मानिक चन्द सुराना : अब मैं आपकी बात सुनूंगा। आपकी बात सुनने के लिए तो हम यहां उपस्थित हुए हैं। मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि यह जो रूल में आपने फरमाया कि मुख्य मन्त्री जी इसमें विस्तार से जानकारी देंगे, मेरा निवेदन ही यह है कि विस्तार से जानकारी देने के लिए आप समय निर्धारित करें ताकि उस पर पूरी बहस इस सदन में हो सके कि उस दिन सैंक्शन देने में और अब सैंक्शन देने में क्या डवलपमेंट्स हो गये और यह सैंक्शन न देकर राज्य सरकार ने जो कातिलों की जमानत अदालत द्वारा लेने का, खुला छोड़ने का मौका दिया है उसकी जितनी निन्दा हो सकती है यह सदन करेगा, राजस्थान की जनता करेगी। कातिलों की जमानत कराने वाली राज्य सरकार को किसी भी तरह बख्शा नहीं जायेगा।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आर्डर प्लीज।

श्री मानिक चन्द सुराना : मैं निवेदन करता हूं, इस पाइन्ट आफ आर्डर से आप रूल 128 (2) के तहत समय निर्धारित करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बैठें। 127 की जो आपकी जानकारी मगाने का था, जिस पर चर्चा उठाना चाहते थे....

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य कृपया बैठें। आप बैठें कृपया। कृपया बैठें। माननीय सदस्य।

श्री हरीश शर्मा : एक बात कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बैठें। माननीय सदस्य, कृपया बैठें। 127 में जो आपने चर्चा की बात की थी, जिसके बारे में जानकारी चाही थी, जिसके बारे में आपने प्रश्न उठाया था उसमें यह था कि चालान नहीं देने का क्या कारण है और चालान क्यों नहीं दिया गया उसके बारे में....

(व्यवधान)

आर्डर, माननीय सदस्य। उसका जहां

(श्री अध्यक्ष)

तक सवाल है, उसकी इन्फार्मेशन आ गई। तो उस पर मैंने आपको जवाब दिया है। अब 128 में इजाजत देनी है या नहीं देनी है, उसमें क्या बाकी रह गया है यह तो मेरे विवेक पर छोड़ेंगे तब काम चलेगा। उसको आप यहां डिस्कस करोगे ? उसके आगे की आप परिधि में आते हो या नहीं आते हो, आप उस परिधि में आते हो या नहीं आते हो इस प्रश्न के आ जाने के बाद, यह तो मुझे देखना पड़ेगा पहले। उसके बाद 128 का सवाल आयेगा। कृपया बैठें।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज।

श्री महेन्द्र शास्त्री (मुण्डावर) : मैं इतना निवेदन करूंगा आपसे, जहां इस झमेले को लेकर इस सदन में भारी शंकायें हुई हैं सरकार की नीयत पर, इसलिए आप इसको सोचें और सारी बात सदन के सामने आनी चाहिए। मुख्य मन्त्रीजी यह कहें, क्यों इजाजत मिली, क्यों जमानत कर दी। यह विचार करने का समय दें, इतना निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठें, माननीय सदस्य। आर्डर प्लीज। बात हो गई सब। आप दूसरी बात तो कुछ कहने वाले नहीं।

श्री मोहनप्रकाश : सदन में दो बार मुख्य मन्त्री ने आश्वासन दिया, दोनों बार उस पर सरकार खरी नहीं उतरी। दो बार सदन के सामने उन्होंने आश्वासन दिया इसलिए अब फिर शंका होती है कि……

श्री अध्यक्ष : मुख्य मन्त्री जी ने 15 तारीख की बात कहीं थी सदन में और 15 तारीख को उन्होंने फैसला कर दिया। 15 तारीख की बात उन्होंने कही थी, आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य। आर्डर प्लीज।

(व्यवधान)

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत) : अध्यक्ष महोदय, हम सी. बी. आई. की जांच रिपोर्ट देखना चाहते हैं। पूर्व में आसन से यह व्यवस्था दी गई थी। जितने गोलीकांड हुए है उसके बारे में जो जांच चल रही है, हम यह चाहेंगे कि सी. बी. आई. की जांच रिपोर्ट आपके चेम्बर में मंगायी जाय।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अभी जांच रिपोर्ट जो है, तफ्तीश है वह तो। आर्डर प्लीज। तफ्तीश है, चालान उसके आधार पर पेश हो गया। आर्डर प्लीज। वह जांच रिपोर्ट तफ्तीश है उस तफ्तीश के आधार पर चालान पेश कर दिया।

श्री शोपत सिंह (हनुमानगढ़) : माननीम अध्यक्ष महोदय, बहुत ही गम्भीर मामला है इसलिए सरकार की तरफ से, मुख्य मन्त्री की तरफ से…

(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदय, दो मिनट सुनिये आप बात को।

श्री अध्यक्ष : माननीय शोपत सिंह जी, बैठें आप।

श्री शोपत सिंह : यानि इस बात ने साबित कर दिया है जब 13 आदमियों के चालान 302 में पेश करने की इजाजत दे दी तो बाकी पांच आदमियों के दूसरी धाराओं में पेश करने की इजाजत दे दी तो इसका यह मतलब है कि सरकार की मंशा सिर्फ जमानत कराने की थी और कोई मंशा नहीं थी।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज। कृपया बैठें, माननीय सदस्य।

श्री शोपत सिंह : सरकार की मंशा सिर्फ एक थी कि जमानत जब्त करना चाहती थी।

श्री अध्यक्ष : माननीय शोपत सिंह कृपया बैठें।

श्री शोपत सिंह : यह बहुत बड़ी साजिश थी।

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठें। आर्डर प्लीज। आर्डर, माननीय सदस्य। श्री भैरूलाल, पाइन्ट आफ आर्डर क्या है आपका ?

(व्यवधान)

पाइन्ट आफ आर्डर, माननीय सदस्य।

श्री यदुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा तो नोटिस ही नहीं है। अध्यक्ष, महोदय, मेरा इस सम्बन्ध में नोटिस ही नहीं है। आपने मेरे नोटिस पर व्यवस्था कैसे दी ? अध्यक्ष महोदय, मेरे नोटिस को आप गौर से पढ़ें...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैंने कहा कि मैं 128 का....

श्री यदुनाथ सिंह : मेरे नोटिस में जिक्र ही नहीं कि जमानत होगी या नहीं होगी, चालान पेश किया जायेगा या नहीं किया जायेगा। मेरे नोटिस में हो नहीं है। आप भाषा पढ़ कर तब उस....

श्री अध्यक्ष : मैंने आपसे क्या कहा है, उसकी परिधि में आते हैं या नहीं आते हैं, देखने तो दीजिए न मुझे। आर्डर प्लीज। श्री भैरूलाल पाइन्ट आफ आर्डर क्या है आपका ?

श्री यदुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, मुल्जिम और लोगों को धमका रहे हैं....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय श्री भैरू लाल जी। माननीय श्री यदुनाथ जी। माननीय श्री यदुनाथ सिंह जी।

श्री यदुनाथ सिंह : वह कब तक देखेंगे।

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठें। श्री भैरू लाल, पाइन्ट आफ आर्डर क्या है आपका ?

(व्यवधान)

श्री हरीश जी कृपया बैठें। आपके स्टेटमेंट के लिए कह दिया मैंने। आर्डर प्लीज, कृपया बैठें।

श्री हरीश शर्मा : केवल मात्र मैं एक सूचना देना चाहता हूं। आज अन्ता बारां में

(श्री हरीश शर्मा)

दंगा होगा इसकी व्यवस्था कर लें, यह कहना चाहता हूं मैं।

(व्यवधान)

मैं यह कह रहा हूं आज अन्ता, बारां में दंगा होने वाला है वहां रोक लीजिए। वहां पर नेता लोग हो आये हैं, रुपये बांटे हैं, हथियार बांटे हैं। स्थिति इतनी खराब हो रही है और मुझे दबा रहे हैं बार-बार।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, इसीलिए स्टेटमेंट दिलवाया है मैंने। माननीय सदस्य, इसीलिए स्टेटमेंट होगा। उस वक्त बोलिए आप। इस पर जो कुछ कहना चाहते हैं, सब कहिये, जरूर कहिये। श्री भैरूलाल जी। आर्डर माननीय सदस्य, कृपया बैठें।

श्री भैरूलाल मीणा : मेरा प्वाइन्ट आफ आर्डर यह था, मैंने सिंचाई सम्बन्धी कट मोशन दिये थे···

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अभी नहीं है वह सवाल।

श्री भैरूलाल मीणा : पूरा सुन लीजिए।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, पाइन्ट आफ आर्डर की व्यवस्था के टाइम पर आप उठाइये उसे।

श्री भैरूलाल मीणा : मैं बता रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। अभी नहीं आता वह सवाल। जो डिस्कशन मे विषय नहीं है उस पर कोई पाइन्ट आफ आर्डर नहीं आता। यह विषय अभी है नहीं आपका।

श्री भैरूलाल मीणा : आप सुन तो लीजिए साहब। मैंने नाम लिखे हैं वह पूरा तो सुनिये···

श्री अध्यक्ष : टाइम पर कहिये उसको।

श्री भैरूलाल मीणा : कट मोशन को यह कह कर काटे···

श्री अध्यक्ष : कट मोशन के सवाल के टाइम पर कहिये।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, जब डिमाण्ड हो, कट मोशन नहीं आयें तब मुझे कहियेगा क्या बात हुई।

श्री सी. पी. जोशी (नाथद्वारा) : एक भी कट मोशन नहीं आया।

श्री अध्यक्ष : यह पाइन्ट आफ आर्डर का सवाल नहीं है। यह तो आसन की व्यवस्था का सवाल है। उसमें आप मुझ से बात करिये, क्या बात हुई है। सुनूंगा मैं आपको। पाइन्ट आफ आर्डर का सवाल सदन में तो नहीं है। आर्डर प्लीज।

(व्यवधान)

आप साथ बोल रहे हैं, मुझे पता नहीं लगता।

श्री सी. पी. जोशी : 147 में कहां उठायेंगे हम ?

श्री अध्यक्ष : मेरी बात सुनिये, मैं बताता हूं आपको। आप बैठिये, मैं बता रहा हूं, बैठिये। आर्डर, बैठिये ना आप। मैं यह कह रहा था कि कट मोशन की बात आप कह रहे हैं, कौन से कट मोशन नहीं आये हैं, आये हैं यह विधान सभा सचिवालय तय करता है। विधान सभा सचिवालय जो बात तय करता है उसमें अगर कोई कमी रह गई है, कोई गलती रह गई है तो विधान सभा सचिवालय के लिए यहां सदन में नहीं उठायेंगे। मेरे कक्ष में बात कर लीजिए। जिस किसी से गलती हुई है उसका क्या उपचार हो सकता है उसको देखकर बात की जायेगी। कृपया बैठें। माननीय सदस्य, कृपया बैठें।

श्री सी. पी. जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, 147 का वी वांट......

एक माननीय सदस्य : पाइन्ट आफ आर्डर, सर।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। अभी एक पाइन्ट आफ आर्डर सुलझा नहीं, आप दूसरा उठा रहे हैं। आर्डर, माननीय सदस्य। क्या है। 147 ?

श्री सी. पी. जोशी : जब कट मोशन रोज रिजेक्ट हो रहे हैं, इन्क्लूड नहीं हो रहे हैं तो कहाँ पूछेंगे ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह तो क्लियर है। स्पीकर......

श्री सी. पी. जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी बात सुन लीजिए आप।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, जो चीज सदन में नहीं उठानी है वह सदन में उठा रहे हैं।

श्री सी. पी. जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, आप कम से कम......

(व्यवधान)

आप बात तो सुनिये।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप आतुर हो रहे हैं, उग्र हो रहे हैं।

श्री सी. पी. जोशी : आप बात तो सुनिये।

श्री अध्यक्ष : मैं बात सुनने के लिए तैयार हूं लेकिन मैं वह बात सुनूं,......आप समझ लीजिये पहले।

श्री सी. पी. जोशी : आप मेरी बात तो सुन लीजिए।

श्री अध्यक्ष : मुझे समझ तो लीजिए पहले। मैं यह कह रहा हूं आपसे कि यह क्वेश्चन सदन में नहीं उठाया जाना चाहिए इसके बारे में आप जानकारी कर सकते हैं, मुझसे आकर मिल लीजिए।

श्री सी. पी. जोशी : अब आप अलग बात कह रहे हैं। आप जो कह रहे हैं, कट मोशन की ग्राह्यता करना सचिवालय का काम है। हमारा यह मतलब नहीं है। कट मोशन ब्लैकेट के ब्लैकेट इन्क्लूड नहीं किये जा रहे हैं। आप कह रहे हैं कायदे की बात है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, व्यव-

(श्री अध्यक्ष)

स्थाओं का ध्यान रखें। मैं भैरुलालजी के पाइन्ट आफ आर्डर को रूल आउट करता हूं। आप मुझ से इस बारे में मिल लीजिए।

(व्यवधान)

श्री देवी सिंह भाटी : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह आम तौर पर हो रहा है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, समझ में आ गई मेरे बात।

श्री देवीसिंह भाटी : अदरवाइज हम सचिवालय का कोई भी मसला यहां हाउस में नहीं उठाते हैं। यह हर सदस्य के कट मोशन के साथ किया जा रहा है। इसका कारण क्या है?

श्री अध्यक्ष : बात करेंगे उस पर।

श्री देवी सिंह भाटी : हम किस प्रकार मेहनत करके कटौती प्रस्ताव देते हैं और जान-बूझकर कोई हमारे कटौती प्रस्ताव काट देता है। किसी एक सदस्य के काटे हो........

(व्यवधान)

बार-बार यह हो रहा है, बार-बार यह हो रहा है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप नियमों की अवहेलना कर रहे हैं। कृपया बैठें।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, मैंने आपसे कहा, मुझ से मिलिये। माननीय सदस्य, अब इसके सिवाय मेरे पास दूसरा रास्ता क्या है। आर्डर प्लीज।

श्री सी. पी. जोशी : आप मेरा निवेदन सुनिये।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। यहां व्यवस्था दूंगा नहीं मैं। यहां व्यवस्था नहीं होगी इसकी। माननीय सदस्य, यहां व्यवस्था नहीं होगी सदन में।

श्री सी. पी. जोशी : हम किसकी व्यवस्था चाह रहे हैं?

श्री अध्यक्ष : मेरे पास आइये। मेरे कक्ष में बात करिये। आर्डर प्लीज। कृपया बैठें। कृपया बैठें, माननीय सदस्य। अब आप आगे मजबूर कर रहे हैं। कृपया बैठें, माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, कृपया बैठें।

श्री सी. पी. जोशी : बात तो सुनिये मेरी।

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठें। मेरे से बात करिये इसके बारे में। कृपया बैठें।

श्री महेन्द्र शास्त्री। आर्डर। पाइन्ट आफ आर्डर है उनका।

(व्यवधान)

माननीय सी. पी. जोशी, कृपया बैठें, माननीय सी. पी. जोशी।

श्री सी. पी. जोशी : बात तो सुन लीजिए। आप बात नहीं मानें तो दूसरा…

(व्यवधान)

हम 147 कोट कर रहे हैं, आप सुन लीजियेगा।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैंने पढ़ लिया उसको आप कोट कर रहे हैं। मैं बताऊंगा तरीका आपको।

श्री सी. पी. जोशी :

It is my privilege.

It is my privilege.

श्री अध्यक्ष : आपका प्रिविलेज है मैं ना नहीं करता इसको।

श्री सी. पी. जोशी : तो फिर आप किसकी बात सुनेंगे ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, फिर आप जिद कर रहे हैं मेरे साथ। डिस्कस करेंगे तो मैं मान लूंगा आपकी बात। कृपया बैठें।

श्री सी. पी. जोशी : डिस्कस क्या करना है इसमें ?

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठें। आप चैलेंज कर रहे हैं। आर्डर प्लीज। आप बैठिये। आपस में बातचीत नहीं, माननीय सदस्य।

श्री महेन्द्र शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, 12 तारीख की शाम को सदन के……

श्री भैरोंसिह शेखावत (नेता, प्रतिपक्ष) : एक मिनट मैं निवेदन कर रहा था कि हम सचिवालय की व्यवस्था के बारे में कुछ कहना नहीं चाहते। इतना निवेदन करना चाहूंगा, इसमें सुधार की बहुत बड़ी आवश्यकता है।

श्री अध्यक्ष : विपक्ष के माननीय नेता महोदय, मैंने कहा न, मैं सुनूंगा। समझ लिया इस बात को। कृपया, इसलिए मैंने कहा, मैंने आपसे कहा……

(व्यवधान)

व्यवस्था का प्रश्न
श्री भंवरराम, सदस्य, विधान सभा पर कातिलाना हमला

श्री महेन्द्र शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, 12 तारीख की शाम को सदन के माननीय सदस्य को चाकुओं से मारा गया इसकी जानकारी अध्यक्ष महोदय को भी दी……

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कार्यवाही हो रही है। हमारे पास ज्यों ही जानकारी आई इसकी कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है और उनकी सिक्योरिटी का भी इन्तजाम कर दिया गया है।

(व्यवधान)

श्री नाथूराम मिर्धा (मेड़ता) : यह सदस्यों का विशेषाधिकार है……

श्री अध्यक्ष : सभी लोग साथ बोल रहे हैं तो बोलिये, मुझे क्या दिक्कत है।

(व्यवधान)

श्री नाथू राम मिर्धा : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में निवेदन है कि पहले उनको जानकारी देनी थी। इस घटना की आशंका की जानकारी माननीय सदस्य ने घटना होने के पहले दे दी थी सरकार के सामने फिर भी यह घटना घट गई यह बहुत ही खेदजनक है।

श्री अध्यक्ष : आप आगे बढ़ रहे हैं। आसन को इस तरह की सूचना कोई नहीं दी गई। आप कह रहे हैं आपके सामने दी गई, इसको अलग करें।

श्री सी. पी. जोशी (नाथद्वारा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आप मेरी बात सुन लें। आप जजमेंट दे रहे हैं·······

श्री अध्यक्ष : कहीं जजमेंट दे रहा हूं। मैंने जजमेंट दिया नहीं इसके पहले आप बोल रहे हैं। माननीय सी. पी. जोशी, आप क्या बोल रहे हैं ? सुन रहा हूं, मैं ना नहीं कह रहा हूं।

श्री सी. पी. जोशी : जो लोकदल के माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया गम्भीर प्रश्न है। विधान सभा के माननीय सदस्य को सण्डे को पीट दिया जाय, उसके ऊपर चाकू से वार किये जायें, आप कह रहे हैं कि मैंने व्यवस्था कर दी। किस बात की व्यवस्था कर दी आपने, अध्यक्ष महोदय ? मैं आपको तीन दिन से······

(व्यवधान)

किस बात की व्यवस्था कर दी आपने ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बैठें।

श्री सी. पी. जोशी : मैं कहना चाहता हूं, बड़ा विकट प्रश्न है। मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं······

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, नियमों का ध्यान रखें।

श्री सी. पी. जोशी : मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं जिस माननीय सदस्य ने अध्यक्ष महोदय को यह बात पहले ही कह दी कि मेरे साथ घटना हो सकती है वह घटना हो जाय···

श्री अध्यक्ष : आप वही कह रहे हैं जो मैंने ना किया। पहले मेरे सामने इसकी चर्चा नहीं हुई। अध्यक्ष महोदय के सामने नहीं हुई। किसी रेफरेन्स में नहीं कहा। इसको तूल मत दीजिए। जो घटना हुई है उसकी शिकायत मेरे पास आई, यह सही है।

श्री सी. पी. जोशी : यह हम भी मान लें······

श्री अध्यक्ष : आप बहुत ही आसन पर कर रहे हैं मुझे दुख है इस बात का, आसन से बिना पूछे आसन पर चार्ज लगा रहे हैं इसका दुख है।

श्री सी. पी. जोशी : मैं आपकी बात विथड्रा करता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने नोटिस में यह नहीं था और हमारे को मालूम है, हम पिछड़ा करते हैं लेकिन

(श्री सी. पी. जोशी)

यह तो आपके नोटिस में है कि सण्डे के दिन यह घटना घटी, एक विधायक के ऊपर कातिलाना हमला हुआ। यह चीज आपके नॉलेज में कल आ गई थी, माननीय अध्यक्ष महोदय। हम चाहते हैं इसके बारे में सदन में चर्चा……

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपको पूरा मालूम नहीं है। मुझे इस घटना की सूचना माननीय सदस्य ने कल इस सदन में आने के बाद में दी है लिखित में। 12 तारीख को घटना हुई मुझे उसकी जानकारी नहीं। आप मुझे क्यों इन्वाल्व कर रहे हैं? घटना हुई, यह दुखद घटना है पर मुझे क्यों इन्वाल्व कर रहे हैं? आर्डर प्लीज।

श्री भैरोंसिह शेखावत (नेता, प्रतिपक्ष) : आपको इन्वाल्व नहीं कर रहे हैं पर गवर्नमेंट मौन क्यों है?

श्री अध्यक्ष : वह गवर्नमेंट के बारे में आप कहें।

श्री भैरोंसिह शेखावत : आपको इन्वाल्व नहीं कर रहे हैं। आपको कहने का मतलब गवर्नमेंट को कहने का है। गवर्नमेंट को इन्वाल्व कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : वह तो सीधा आक्षेप कर रहे हैं।

श्री भैरोंसिह शेखावत : आक्षेप आपकी मार्फत गवर्नमेंट पर है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य। सरकार का जवाब सुन लीजिए। आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

श्री सी. पी. जोशी : आप घटना तो बतावें? सरकारी जवाब किस बात का? हमारी भावना क्या है, किस बात का सरकारी जवाब आयेगा? माननीय अध्यक्ष महोदय, यह व्यवस्था ठीक नहीं है। सरकारी जवाब किस बात का आयेगा?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य, कृपया बैठें।

श्री सी. पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि पहले घटना के बारे में सुन लें। यह सरकारी जवाब किस बात पर आयेगा।

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठें, माननीय सदस्य, शान्ति से बैठें।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत (ऊर्जा मंत्री): मैं घटना के बारे में विवरण देने की बात नहीं कह रहा हूं, मेरी बात दो मिनट में सुन लें। कल हमें जैसे ही सूचना मिली दोपहर के बाद माननीय सदस्य के साथ 12 तारीख की रात को घटना घटी है, इसकी सूचना मुझे कल दोपहर को 12 बजे बाद चीफ व्हिप के कमरे में प्राप्त हुई मौखिक, मैंने उसी समय जयपुर शहर के एस. पी. को टेलीफोन करके नीचे एक डी. एस. पी. के साथ माननीय सदस्य को वहां

[श्री गुलाबसिंह शक्तावत]

भेजा कि घटना का विवरण लिखा दीजिए। इसके पहले घटना का विवरण लिखा हुआ नहीं था, कोई सूचना नहीं थी। माननीय सदस्य के पास डी. एस. पी. गये और एस. पी. स्वयं पुलिस के साथ आये और उन्होंने सारी घटना का विवरण लिया है। उस पर कार्यवाही की जा रही है। कल दोपहर के बाद सूचना मिली केवल, कल दोपहर के बाद।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : एक-एक कर बोलें।

श्री नाथूसिंह (टोडा रायसिंह) : अध्यक्ष महोदय, क्या यह मन्त्री महोदय को 10 तारीख को माननीय विधायक ने लिखित में दिया था कि मेरे को ...

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : कोई लिखित में सूचना नहीं दी गई थी। कोई लिखित में सूचना नहीं दी गई थी।

श्री नाथूसिंह : गुलाबसिंह जी, आपको उन्होंने सूचित किया 10 तारीख को कि मुझे जान का खतरा है।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : कोई लिखित में सूचना नहीं दी गई।

श्री नाथूसिंह : लिख कर दिया है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। श्री सी. पी. जोशी।

श्री सी. पी. जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने आपके माध्यम से आप पर चार्ज लगाने के उद्देश्य से नहीं...

श्री अध्यक्ष : आप लोगों ने लगा दिये आज चार्ज तो खूब...

श्री सी. पी. जोशी : मैंने विदड्रा कर लिया उसको।

श्री अध्यक्ष : बोलिए, बोलिए आप।

श्री सी. पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, आप नाराज हो रहे हैं तो भी बात तो कहनी पड़ेगी।

श्री अध्यक्ष : बात तो कहिये।

श्री सी. पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है घटना के बारे में कि कल घटना की सूचना आ गई थी विधान सभा में। यह बात तो मान सकता हूं कि आपके पास सूचना हमने पहले कहा वह नहीं मिली हो। लेकिन कल घटना हो गई। एक विधायक के ऊपर कातिलाना हमला हुआ। अगर विधायक गिरफ्तार होगा तो उसकी सूचना आपके पास आयेगी उस पर कार्यवाही आप करेंगे लेकिन एक विधायक के ऊपर कल 10 बजे सचिवालय में सूचना आ गई थी, अध्यक्ष महोदय के नॉलेज में कल 10 बजे सूचना आ गई थी, राज्य सरकार आज तक इन्तजार करती रही। कल हाउस में क्यों नहीं कहा इस बात को कि विधायक के चोटें आई हैं और हमने यह कार्यवाही की है? हम आज कह रहे हैं इस बात को कि सरकार स्टेटमेंट दे रही है, सरकार ने यह कार्यवाही कर दी। माननीय

(76)

[श्री सी. पी. जोशी]

अध्यक्ष महोदय, मेरा विनम्र निवेदन है कि सरकार के पास सूचना आ गई थी, विधान सभा अध्यक्ष के कार्यालय में सूचना आ गई थी तो सदन को पहले बताना चाहिए था कि सदस्य के साथ वह घटना हुई है और सरकार ने यह कार्यवाही की है। हमने यह काम कल नहीं किया और आज कह रहे हैं कि यह कार्यवाही की है। अध्यक्ष महोदय, इतनी गम्भीर घटना है....

श्रीमती हमीदा बेगम (चूरू) : माननीय अध्यक्ष महोदय, घटना के बारे में...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या बीच में न बोलें। नियमों का पालन करें कृपया। यह गम्भीर मामला है, हसें नहीं इस पर। कृपया बैठें।

श्रीमती हमीदा बेगम : कल लेडीज के साथ हो जायगा राज्य सरकार अगर 24 घण्टे तक कोई व्यवस्था नहीं करे, हमारी सेफ्टी नहीं।

श्री अध्यक्ष : बीच में व्यवधान न डालें।

(व्यवधान)

श्री सी.पी.जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैं दो मिनट में समाप्त करूंगा। यह घटना इतनी गम्भीर है। नये सदस्य चुन कर आने के बाद उनके रहने की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। आज विधान सभा सदस्य जिस तरह से रह रहे हैं उनकी सेफ्टी की गारण्टी, जब तक सत्र चल रहा है, विधान सभा सदस्य पर कोई घटना हो जाय उसको हम लाइटली लें तो मैं समझता हूँ कि यह माननीय सदस्यों का अपमान है। मैं यह कहना चाहता हूं कि -इस घटना को गम्भीरता से लें। इसको चैक करें। कम से कम विधान सभा के सदस्य कहां रह रहे हैं, उनके रहने की जगह ठीक है या नहीं, जो मकान अलाट किया गया है वहां कितने आदमी रह रहे हैं या नहीं रह रहे हैं, वहां पर इस तरह की घटना हो जाय तो उस पर सरकार क्या कर रही है? सरकार ने कार्यवाही की, फोन कर दिया। एस. पी. कार्यवाही कर रहे हैं लेकिन वहां पर विधान सभा सदस्य किस हालत में रह रहे हैं उसकी सिक्योरिटी क्या है उसके लिए सरकार क्या कर रही है कम से कम सदन को यह तो बताया जाए ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटना नहीं घटे। इस पर सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है। किस प्रकार की व्यवस्था ठीक होगी या नहीं होगी। आज विधान सभा सदस्य, अध्यक्ष महोदय, जब विधान सभा चल रही हो और पिट जाय, इसको गम्भीरता से सोचें। फिर कानून और व्यवस्था को किस प्रकार से कायम करेंगे? फिर तो कल से कहेंगे कि सदन में भी नहीं आने देंगे इसको। इसलिए मैं चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, इस बारे में आप गम्भीरता से सोचेंगे और विधान सभा के सदस्यों की सिक्योरिटी के बारे में निश्चित तौर पर कार्यवाही करेंगे, यह हम आपसे अपेक्षा करते है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवा महल) : जिन माननीय सदस्य के साथ मारपीट हुई सदन को मालूम ही नहीं है कि उनकी क्या हालत है, कहां एडमिट हैं, कैसे उनको

[श्री भंवरलाल शर्मा]

चोटें आई, क्या उनके साथ घटना घटी है, अभी वह किस स्थिति में हैं। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि हाउस में उनका वक्तव्य तो सुनें। अब वह सुरक्षित महसूस करते हैं या नहीं करते हैं जो व्यवस्था की हुई है उससे।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, इस समय वे हाउस में नहीं हैं, कृपया बैठें।

श्री भंवरलाल शर्मा : कहीं हास्पिटल में एडमिट होंगे, हालत क्या है उनकी ?

(व्यवधान)

श्री केदारनाथ शर्मा (गंगानगर) : अध्यक्षजी, सारा हाउस सस्पेंस में पड़ गया, सारे हाउस के सदस्य, जो हाजिर हैं सस्पेंस में पड़ गये कौनसा माननीय सदस्य है, उसने लिखित में क्या रिपोर्ट दी। बड़ा अहम् सवाल है। एक एम. एल. ए. की सिक्योरिटी का सवाल है। उसके साथ हमारी खुद की भी सिक्योरिटी जुड़ी हुई है। तो माननीय मन्त्री अगर अभी उनके पास लिखा हुआ है तो पढ़ कर सुना दें कि माननीय सदस्य ने क्या लिख कर दिया है, किस घटना के बारे में लिखा है, चोटें आई, किसने मारा, कहां प्लेस आफ अकरेंस है. उसका कारण क्या है। कम से कम पढ़ कर तो सुना दें ताकि सस्पेंस दूर हो।

श्री शोपतसिंह (हनुमानगढ़) : अब तक क्या कार्यवाही की ? 24 घण्टे हो गये, आपने कोई मुल्जिम पकड़ा ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। यह वास्तव में गम्भीर बात है कि जब विधान सभा चल रही हो, माननीय सदस्य जब आये उनके साथ इस तरह की घटना हो। भंवरारामजी ने मुझे कल एक पत्र दिया था जिसमें उन्होंने यह बताया था कि 12 तारीख को रात को जब विधान सभा समाप्त हुई वे अपने घर गये और वहां से वे खाना खाने के लिए किसी होटल पर गये। होटल से लौट कर जब वापस सी–2 क्वार्टर उनका है...

एक माननीय सदस्य : उनका नहीं है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। जिसमें अभी वे रहते हैं, सी–2, जिसमें वे अभी रह रहे हैं उस क्वार्टर में गये तो उस क्वार्टर के बाहर ही कुछ लोगों ने, तीन लोगों का उन्होंने जिक्र किया है उन तीन लोगों ने उन पर हाकी स्टिक और चाकू से वार किये। उन तीनों के वे नाम बता नहीं पाये, पहिचान नहीं पाये। उन्होंने कहा मुझे तो स्टिक लगी पहचान नहीं पाया और मैं एकदम वहां से भागा। उनकी आंख के ऊपर एक निशान जरूर था, मैंने भी कल देखा था जो लगा हुआ था वह उन्होने मुझे बताया।

श्री शोपतसिंह : चाकू लगा है।

श्री अध्यक्ष : मुझे यह बताया। आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य। हो सकता है, मैं ना नहीं कहता, चाकू भी लगा होगा लेकिन मेरे सामने जो बातें आयी थी, उन्होंने जो लिख कर दिया उस पर तत्काल कार्यवाही की गयी। होम मिनिस्टर को, चीफ

[श्री ग्रध्यक्ष]

मिनिस्टर, जो होम मिनिस्टर भी हैं, को इस बारे में मैंने कहा ग्रौर उन्होंने इस पर एकदम स्टेटमेंट देने के लिए मुझे ग्राश्वस्त किया कि हम इस पर कार्यवाही करेंगे ग्रौर यह बहुत गम्भीर बात है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जिसको साधारण तौर पर इस बात को लिया जाये । ग्रौर मैंने भी उसी हिसाब से देखा है कि माननीय सदस्यों के साथ जिस तरह ऐसी स्थिति होगी तो उनकी सुरक्षा की दृष्टि से हरेक को ग्रपनी चिन्ता हो सकती है क्योंकि हर सदस्य को ग्रपने क्षेत्र में भी ग्रौर जयपुर शहर में ग्राना जाना पड़ता है . क्योंकि सदस्य एक जगह बैठ कर रह नहीं सकते । सबकी समस्याग्रों का सवाल है । इसको गम्भीरता से लेकर मैंने मुख्य मन्त्री जी से कहा है । उन्होंने यह सवाल भी किया, भविष्य में उनको खतरा है तो उसके लिए व्यवस्था करने की बात मैंने कह दी है कि उनकी सिक्योरिटी के लिए एक गनमैन उनके पास प्रोवाइड किया जाये जिससे वे ग्राश्वस्त हो सकें इस बात के लिए कि भविष्य में इस बात का उनको खतरा नहीं रहे । यह स्थिति है जो मैंने ग्रभी ग्रापके सामने कही । तो इस प्रकार की जो सूचना ग्राती है इसमें यह ग्रावश्यक है कि हाउस में उसकी सूचना दी ही जाय । माननीय सदस्य कोई भी इस प्रश्न को उठाना चाहें वह प्रश्न को उठा सकता है । ग्राज ग्रापने उठाया, कल वे माननीय सदस्य स्वयं होते, स्वयं भी उठा सकते थे । ग्राज वे माननीय सदस्य यहां पर नहीं हैं वे यह चाहते तो कह सकते थे । लेकिन ग्रासन की तरफ से उनके पास सूचना ग्रायी तो कार्यवाही करने की बात होती है । उसको यह नहीं कि मैं लाकर सदन में सूचित करूं कि ऐसी घटना हो गयी । ग्रगर इसमें ऐसी बात है तो इसमें सूचित करने की ऐसी कोई ग्राव-श्यकता नहीं होती । इसमें कार्यवाही करनी चाहिए, गम्भीरता से उस कार्यवाही के लिए तत्काल कदम उठाये गये हैं । मैं समझता हूं उनको इसका इन्तजार करना चाहिए इस पर ग्रागे क्या कार्यवाही होती है, कौन लोग हैं, गिरफ्तार होते हैं । क्योंकि जब उन्होंने कहा कि मैं पहिचान नहीं सका, देख नहीं सका,कह नहीं सकता कौन थे कौन नहीं थे तो थोड़ा समय तो लगेगा ही,किस को पकड़ें, किस को नहीं पकड़ें, कैसी कार्यवाही हो । यह सारी स्थिति मैंने ग्रापको ग्रवगत करायी । सदन की कार्यवाही चलने में सहयोग करें ।

श्री शोपत सिंह : माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, वहां पर एक पुलिस चौकी है उसको तो वहां से हटा दें । उससे 200 फीट की दूरी पर एक पुलिस चौकी है, मेहरबानी करके उसको तो खाली कराया जाय । किसी एम. एल. ए. को वहां पर...

(व्यवधान)

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री ग्रध्यक्ष : ग्रार्डर प्लीज । मान-नीय सदस्य । श्री जगमालसिंह ।

श्री नत्थीसिंह (कुम्हेर) : माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है । कल भी मैंने उठाया था । भरतपुर के जिलाधीश ने एक पत्रकार की पत्नी की तनख्वाह रोक कर उसको मुग्रत्तिल करने की घटना पर

[श्री नत्थीसिंह]

मैंने आज से 6 दिन पहले एक प्रस्ताव दिया था। मुझे आपके कार्यालय में बताया कि उसकी सूचना आपके कार्यालय में आ गई है वह आपके सामने कैसे नहीं आयी ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। मैंने कहा था। आप बैठें। आप बैठें, मैं देख लूंगा। आर्डर प्लीज। जितना मैं आज देख पाया और जितना आज सदन में मुझे देखने से मालूम हुआ, मैं इस वक्त...

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज।

श्री बिहारीलाल पारीक (माण्डल) : एक मिनट, अध्यक्ष महोदय। एक सूचना देनी है मुझे। मैं एक सूचना दे रहा हूं।

श्री अध्यक्ष , आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य कृपया बैठें। सूचना दे दूंगा, आप कृपया बैठें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने कल एक बहुत गम्भीर विषय की ओर आपका और सदन का ध्यान आकर्षित...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य कृपया। आप क्या व्यवस्था चाहते हैं ? स्थगन प्रस्ताव के बारे में व्यवस्था है ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : नहीं है, नहीं है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, कृपया बैठें। फिर आप बात कर लें। कृपया बैठें।

श्री सम्पत सिंह (नगर) : व्यवस्था का प्रश्न है, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। एक-एक बोल रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री सम्पत सिंह : 127 के तहत मैंने एक नोटिस...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थगन प्रस्ताव पर यह व्यवस्था नहीं है। कृपया बैठें।

श्री सम्पत सिंह : लूणकरणसर से आये हुए माननीय सदस्य ने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया था उसी के सन्दर्भ में...

श्री अध्यक्ष : उस पर चर्चा हो चुकी है। माननीय सदस्य, उस पर व्यवस्था हो चुकी है। कृपया आप बैठें।

श्री सम्पतसिंह : 24 फरवरी को...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बैठें।

श्री सम्पत सिंह : आज से नहीं है, साहब।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, जो प्रश्न हो चुका है, उसमें डिसिजन हो चुका है।

श्री सम्पत सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, अधूरा है उसमें एक मुद्दा उठाया जाना है।

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठें। आप बात कर लें मुझसे। कृपया बैठें।

श्री सम्पत सिंह : यह सारे सदन की बात है, 24 फरवरी को...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री सम्पत सिंह। माननीय सदस्य मजबूर नहीं करें मुझे। कृपया बैठें।

श्री सम्पत सिंह, माननीय सदस्य। आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य। कृपया बैठें। आसन की अवहेलना नहीं। श्री जगमाल सिंह।

(व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : अध्यक्ष महोदय, पी. बी. एम. होस्पिटल, बीकानेर में मेडिकल कालेज के डाक्टरों की हड़ताल चल रही है उसके लिए मैंने कल एक स्थगन प्रस्ताव दिया था। अध्यक्ष महोदय, मरीज सारे होस्पिटल खाली करके जा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आर्डर प्लीज।

श्री देवीसिंह भाटी : एडजोर्नमेंट मोशन दिया था आप तुरन्त सरकार से वक्तव्य नहीं दिलाते हैं...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं उसकी व्यवस्था दूंगा। माननीय सदस्य कृपया बैठें। श्री जगमाल सिंह।

श्री जगमाल सिंह यादव (तिजारा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मेरे दो स्थगन प्रस्ताव खारिज किये हैं।

श्री बिहारीलाल पारीक : एक मिनट एक ऐसी बात, माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी एक...

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, कृपया बैठें।

श्री जगमालसिंह यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मेरे दो स्थगन प्रस्ताव खारिज किये थे। श्रीमान, आपने दोनों...

श्री अध्यक्ष : दोनों ही बोल दीजिये।

श्री जगमालसिंह यादव : दोनों का एक ही समय लूं या दुबारा...

श्री अध्यक्ष : एक ही समय में बोल दीजिए।

श्री बिहारीलाल पारीक : व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री बिहारीलाल पारीक : गम्भीर विषय है।

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठें। माननीय सदस्य कृपया बैठें।

श्री जगमाल सिंह यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, कल मैंने दो स्थगन प्रस्ताव दिये। आज श्रीमान ने खारिज किये हैं। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में कल राजस्व की मांग थी, एक ऐसे अधूरे मसले की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ...

श्री बिहारीलाल पारीक : इसका मतलब है...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठें आप।

श्री जगमाल सिंह यादव : जिस पर कल चर्चा नहीं हो सकी। माननीय अध्यक्ष महोदय का ध्यान मैं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा–42 में यह प्रोविजन किया गया है कि एस, सी. और एस. टी., अनुसूचित जन जाति और अनुसूचित जाति के सदस्यों की जमीन का बेचान किसी सवर्ण या दीगर व्यक्ति को नहीं हो सकेगा। महोदय, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 43 का सही मायने में उल्लंघन हो रहा है इस धारा के रहते हुए। माननीय सदस्य जो अनुसूचित जन जाति और अनुसूचित जाति से हैं वे भी इस बात को भली भांति जानते हैं कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 आज उनके विपरीत जा रही है। प्रायः यह देखने में आया है महोदय, कि जहां हरिजनों की जमीन का बेचान होता है, पैसे वाले लोग और सवर्ण लोग उस जमीन को बेनामी सौदे के जरिये खरीद कर लेते हैं। अपने किसी रखे हुए मजदूर या अपने किसी परिचित हरिजन या किसी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के सदस्य के नाम पर जमीन पर्चेज हो जाती है। जहां राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में उनको संरक्षण देने का सवाल था आज उसके लिए विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। जहां किसी सवर्ण की जमीन उसी जगह उसी किस्म की है, उसी क्वालिटी की है, अगर किसी अनुसूचित जन जाति और अनुसूचित जाति के सदस्यों की जमीन है वह जमीन 20 हजार रुपये बीघा बिक सकती है तो आज उस अनुसूचित जन जाति और अनुसूचित जाति के सदस्य को उस जमीन का भाव कोई भी पांच हजार से ज्यादा देने को तैयार नहीं है। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि अनुसूचित जन जाति और अनुसूचित जाति की जमीन को केवल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति के सदस्य ही खरीद सकते हैं। अनुसूचित जाति की जमीन को अनुसूचित जाति के सदस्य ही खरीद सकने हैं। महोदय, अनुसूचित जन जाति और अनुसूचित जाति के लोगों का पेट भरण ही नहीं हो रहा है उनको जमीन खरीदने की फुरसत नहीं मिलती है और न ही उनकी जमीन खरीदने की ताकत है कि वह जमीन खरीद सकें। उस स्थिति में सवर्ण लोगों से बात करके उसे पैसों की आवश्यकता है, लड़की की शादी के लिए, जो बीमार है उसका इलाज करवाने के लिए कहता है मेरी जमीन ले लो तो सवर्ण यह बात कहता है कि आपकी जमीन कानूनन हमारे नाम नहीं आ सकती इसलिए हम इसे खरीद नहीं सकते। चूंकि वह परेशानी में होता है इसलिए उसकी लाचारी का फायदा उठा कर सवर्ण लोग जहां उसकी 20 और 25 हजार की कीमत होती है वह केवल

(श्री जगमाल सिंह यादव)

मात्र 5 और 6 हजार रुपये में खरीदी जाती है। इस तरह से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 के द्वारा यह राज्य सरकार जो संरक्षण देना चाहती थी जन जाति के लोगों को वह बे-मायने हो गई है। इससे बेहतर होगा कि इस पर से रोक हटायी जाय। इस तरीके से कहता हूं कि हकीकत में प्रैक्टिकल में जो होता है समाज में और फील्ड में जो होता है, फील्ड में यह है कि अगर उनकी जमीन बेचान पर, से रोक हटा दी जाय तो अन्य लोगों को अपनी जमीन की कीमत मिलेगी वह अनुसूचित जाति और जन जाति के लोगों को भी मिलेगी। एक तरह से यह उनका शोषण है। धारा 42....

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में।

श्री जगमाल सिंह यादव : एक और निवेदन करना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब किसी भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के रिहायशी मकान और उनकी दूसरी सम्पत्ति का बेचान करने के लिए कोई रोक नहीं है तो यह राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में जो धारा 42 का प्रोविजन है वे बेमायने है। इसलिए महोदय, ज्यादा समय नहीं लेकर के मैं खुद रुक रहा हूँ, यह निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से और सरकार से कि राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की दफा 42, जिसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति की जमीनों को दूसरों को बेचान पर रोक लगायी गयी है को तुरन्त हटाया जाय। यह बेमायने हो रही है। इस धारा 42 की आड़ में हरिजनों और आदिवासियों और अनुसूचित जाति जन जाति के लोगों का शोषण हो रहा है। यह प्रैक्टिकल बात नहीं है चाहे किसी भी तरीके से। जैसा माननीय सदस्य ने कल रखा कि उसमें जमीनों का....

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में, माननीय सदस्य।

श्री जगमाल सिंह यादव : बेचान हो जाता है। हरिजनों को दिलायी जाय तो यह एक और विश्वासघात होता है। आज जो उनको 5-7 हजार रुपये मिलते हैं वह 5-7 हजार रुपये बीघा के मिलना भी मुश्किल हो जायेगा अगर इस तरह का विश्वासघात किया तो। इसलिए मेरा निवेदन है कि हरिजनों की जमीन पर से रोक हटा दें तो उनको उनकी जमीनों की उचित कीमत मिलेगी, उचित दाम मिलेंगे जिससे उनको फायदा होगा, कोई नुकसान नहीं होगा।

धन्यवाद।

एक दूसरा स्थगन प्रस्ताव और है जो खारिज किया गया है।

श्री अध्यक्ष : बोलिये दूसरे पर संक्षेप में।

श्री जगमाल सिंह यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, 4 तारीख को मेरा एक स्थगन प्रस्ताव था राजस्थान में सहकारी बैंक, भूमि विकास बैंक और कामर्शियल बैंक, यह सारे बैंक मिलकर किसानों को कृषि के लिए जो ऋण देते हैं उसमें भारी अनियमितता है। महोदय, गत तीन सालों से अलवर जिले में लोकदल द्वारा एक

(श्री जगमाल सिंह यादव)

आन्दोलन छेड़ा गया कि बैंकों के द्वारा जो किसान को डीजल पम्प सैट और विद्युत मोटर के लिए ऋण दिया जाता है उसमें भारी हेराफेरी की गयी है। उसमें करोड़ों रुपयों के घोटाले हुए हैं। महोदय, इसकी जांच किशनगढ़ के एस. डी. ओ. बहरोड़ सब डिवीजन के एस. डी. ओ. को सौंपी गई। वे जितने मामलों की जांच कर पाये, एस.डी.ओ. साहब, उससे 7 करोड़ के घोटालों की बात केवल अलवर जिले में सामने आई।

महोदय, हालांकि यह लोक महत्व का प्रश्न नहीं रहा है लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार की तरफ से एक जवाब आया कि कीमत भूमि विकास बैंक और दूसरे बैंकों ने उन्हीं इन्जिनों की ज्यादा ली है जो आई. एस. आई. मार्क हैं। दूसरे इन्जिनों पर लोन दिया ही नहीं जाता है। महोदय, मैंने आप का ध्यान अपने स्थगन प्रस्ताव में इस तरफ आकर्षित करना चाहा था। मैंने इसमें लिखा है, एडजोर्नमेंट मोशन में लिखा है एक ही मेक आई.एस.आई. का इंजन है, एक ही हार्स पावर का, एक ही दिनांक का और एक ही दुकान का एक की कीमत 4 हजार की उसी दिन के बिल की, दूसरे की कीमत 8 हजार रुपये की। अगर यह बात होती कि नान आई. एस. आई. की कीमत कम ली जा रही है और आई. एस. आई. की कीमत ज्यादा ली जा रही है तो, महोदय, बात समझ में आती। लेकिन एक ही फर्म, एक ही डीजल इन्जन, एक ही हार्स पावर का और एक मैक का 4-4 हजार का फर्क एक-एक डीजल इंजन पर। वे बिल हमने एकत्रित किये हैं। उसकी जांच कलेक्टर साहब ने राज्य सरकार के निर्देशानुसार ए.सी.डी., अलवर को सौंपी। वह तीन साल से जांच पड़ी है कोई जांच नहीं करता है। हमने मदद करके 45 प्रकरण पकड़े जो मेरे पास सूची है, अध्यक्ष महोदय, अगर मुझे इजाजत दें तो मैं सदन की मेज पर रख दूं। तो उसके बाद हमने जांच की। 47 आदमी हैं जिनको सामने लाया गया है। और यह जांच भी कोई सघन जांच नहीं हुई है, अध्यक्ष महोदय, यह जांच केवल एक फर्म की है जिसमें 47 प्रकरण आये हैं। इस तरह की कम से कम सैकड़ों दूसरी फर्म हैं। एक औसत 40 भी लगाते हैं तो, महोदय, 40 हजार प्रकरण हैं। जहां तक यह कहना कि कोई फर्जी केसेज नहीं है, महोदय, राजस्थान

(12.50 बजे म. प.)

(श्री गिरिराज प्रसाद तिवाड़ी, उपाध्यक्ष, पदासीन)

सरकार ने मेरे स्थगन प्रस्ताव के जवाब में एक फैसला लिया है, कामर्शियल बैंक जो हैं वह राजस्थान राज्य के अधिकार में नहीं आते हैं उनके खिलाफ राजस्थान का ए. सी. डी. डिपार्टमेंट कोई जांच नहीं कर सकता है। अब ए. सी. डी. ने पांच दिन पहले सी. बी. आई. को केस को देने की सिफारिश की है। क्या यह ए. सी. डी. आज से तीन साल पहले इन केसेज को सी. बी. आई. को देने की सिफारिश नहीं कर सकता था? जब कोई बात उठती है

(श्री जगमाल सिंह यादव)

तो उसका थोड़ा सा एक्शन होता है लेकिन जैसे ही बात थोड़ी ठण्डी होती है उसको उठा लिया जाता है।

दूसरा, मैं निवेदन करूं ऐसे प्रकरण मेरे सामने मौजूद हैं, मेरे पास लिस्ट है, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने गरीबों, सीमांत कृषकों, हरिजन, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लोगों को जो छूट का प्रोविजन है। सब्सिडी देने का प्रोविजन है उनके नाम से ऋण उठा लिया है। 25 प्रकरण है जिनमें उनके नाम से ऋण उठा लिया गया है जब किसान के पास भूलचूक से बैंक अधिकारियों के द्वारा नोटिस चला गया और डीलर को यह पता लगा कि जो फर्जी लोन उठाया था उसका पता लग गया है तो महोदय, इन डीलरों ने एक मुश्त रुपया जमा करा दिया। बैंक अधिकारियों से सांठगांठ करके जो फर्जी बिल उठाया था उसका। मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार जो छोटे किसानों को छूट देना चाहती है उसका मकसद बेमायने हो गया है अगर उन्होंने एकमुश्त वह रकम जमा करा भी दी, वह कर्जा जमा करा भी दिया है। तो लाखों की सब्सिडी की छूट जो 33 और 35 प्रतिशत इन किसानों को राज्य सरकार देना चाहती थी वह अपने आप में बेमायने हो गयी। यही नहीं, अध्यक्ष महोदय, ऐसे प्रकरण भी सामने आये हैं...

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में।

श्री जगमाल सिंह यादव : आपने देखा होगा, इसमें लिस्ट दे सकता हूं नाम लिखे हैं बाकायदा, ऐसे किसान जो आज तक बैंकों में नहीं गये, बैंक अधिकारियों ने जब रहननामा तस्दीक किया तो उनकी फोटो लगी हुई है क्या बैंक अधिकारियों ने उनके रहननामे तस्दीक करते वक्त, कर्जा देते वक्त कर्जा लेने वाले की फोटो का फाइल में लगी हुई फोटो से मिलान नहीं किया? मैं यह कह रहा हूँ बैंक अधिकारियों की सांठगांठ थी। आज हमें कई प्रकरण में जब ए. सी. डी. से हार लिये, थक लिये तो अदालतों की शरण लेनी पड़ी है। फर्जी पेमेंट हो गये। महोदय, मैं व्यक्तिगत रूप में कहूं तो ट्रायल के रूप में एक आदमी का नाम बताना चाहता हूं। हरिराम नामक एक किसान ऊजोली तिजारा विधान सभा क्षेत्र का रहने वाला है इसका विद्युत मोटर का फर्जी बिल उठाया गया। यहां तक, उपाध्यक्ष महोदय, विद्युत विभाग ने उस दिन तक जिस दिन ऋण उठाया था कनेक्शन भी जारी नहीं किया था तो वह बिल कैसे उठा लिया गया? इस तरह का एक प्रकरण नहीं है बहुत से प्रकरण हैं जिनमें फर्जी ऋण उठाया गया है। इसके बाद उसको नोटिस दिया गया कुर्की का, नीलामी का। मैं यह कहता हूं, बैंक अधिकारी कहते हैं कि यह बात अगर आपने लोकदल वालों से कही या असेम्बली में उठायी या कलक्टर और उच्च अधिकारियों से मिले तो तुम्हारी नीलामी की जायेगी। तुम समझौता कर लो, तुम्हारा ऋण हम जमा करा देंगे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या राज्य सरकार इससे अनभिज्ञ है? यह कैसा विचित्र तमाशा राज्य सरकार ने बना रखा है।

(श्री जगमाल सिंह यादव)

यह ठीक है कि आई. एस. आई. इंजन पर भूमि विकास बैंक को लोन देने की पाबन्दी दी हुई है। लेकिन कैसी विचित्र विडम्बना है जो इन्जन के निर्माता हैं उनसे बैंक वाले लिस्ट मंगाते हैं कि आपके इन्जन की कीमत क्या है, वह कीमत की लिस्ट आप हमारे बैंक में भिजवा दीजिए। वह अपनी लिस्ट भिजवाते हैं उस लिस्ट के आधार पर पैसे का भुगतान हो रहा है। राज्य सरकार का कतई अपना हस्तक्षेप नहीं है। ऊपर बैठे हुए राजस्थान के अधिकारियों ने नियम बना दिया जो भी मैन्युफैक्चरर आपके बैंक में अपनी लिस्ट भेज दे उसके अनुसार आप पेमेन्ट कर दीजिए। यह क्या राज्य सरकार अन्धी है? राज्य सरकार दूसरे मामलों में रेट तय करती है लेकिन जहां डीजल इन्जन और विद्युत मोटर मे किसानों का शोषण हो रहा है वहां बैंक अधिकारी अपनी मर्जी के मुताबिक भुगतान कर रहे हैं। आज किसी इन्जन की रेट 5 हजार है और कल किसी मैन्युफैक्चरर ने भेज दिया कि अब मेरी रेट 8 हजार हो गयी 10 हजार हो गयी तो 10 हजार का भुगतान हो जायेगा इसमें कही सरकार की स्वीकृति की जरूरत नहीं है। ऐसी स्थिति में महोदय, किसान का खुलेआम शोषण हो रहा है। यह 7 करोड़ का घोटाला जब अलवर जिले में है तो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप अन्दाज लगायें राजस्थान में कितने बड़े घोटाले हुए होंगे। इसलिए मेरी मांग है कि इसका भौतिक सत्यापन होना चाहिए। बैंक के अधिकारी या जिनको भी राज्य सरकार नियुक्त करे वह गांव-गांव जायें और यह पता करें कि इस आदमी ने इन्जन लिया, नहीं लिया। ऐसे एरिया हैं जहां पर बोरिंग नहीं हुआ और बोरिंग के पैसे उठा लिये गये हैं।

दूसरा, मेरा यह निवेदन है कि किसान को शोषण से यह सरकार बचाना चाहती है तो इस सरकार को ऋण व्यवस्था को बदलना पड़ेगा। जिस तरह से ट्रैक्टर का ऋण दिया जाता है जिसमें किसानों को एडवांस में चैक दिया जाता है तो उस चैक को जितने डीलर हैं वह नकद समझकर भुगतान करते हैं और वाजिब रेट लगाते हैं। आज जो ऋण फाइल है वह भूमि विकास बैंक और दूसरे कॉमर्शियल बैंक में एक ही नहीं अनेक हाथों से गुजरती है और जितने हाथों से गुजरती है उन सब हाथों में दस्तूरी उस किसान को चुकानी पड़ती है। इसलिए यह इतना डीलर का भी दोष नहीं है क्योंकि डीलर जानता है बैंक के माध्यम से अपना कर्जा लिया है तो 500 रुपया तो बैंक में ही खर्च हो जायेगा। इसलिए एक तो यह कोशिश होनी चाहिए कि बैंक में जो ऋण देने की व्यवस्था है उसमें परिवर्तन हो। अनेक हाथों में से नहीं जाकर के एक या दो ऐसे आदमियों को जिम्मेदार ठहराया जाय जिनकी रिपोर्ट के आधार पर ऋण दिया जाय।

दूसरा मेरा निवेदन है कि जो ऋण दिया जाय किसानों को नकद दिया जाय। जहां तक भूमि विकास बैंक के लोगों का तर्क है वे कहते हैं कि इस ऋण का दुरुपयोग होगा।

महोदय, मैं पूछता हूं कि वह

(श्री जगमाल सिंह यादव)

किसान अगर इन्जन लेकर दूसरे दिन उस इन्जन को बेच दे तो सरकार का उस पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। इसलिए बेहतर तो यह होगा किसान को नकद में ऋण मिल जाय तो वह कम से कम किसी भी दुकान पर जाकर, सस्ता माल खरीद सके दस जगह ट्राई करके। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि जहां-जहां भूमि विकास बैंकों, कामशियल बैंकों ने यह धन्धा किया है उनके विरुद्ध तुरन्त कार्यवाही करायी जाय। राजस्थान सरकार से यह मेरा निवेदन है कि ए. सी. डी. जिन विषयों की जांच कर रहा है, भूमि विकास बैंक और सहकारी बैंक की जांच तीन साल से पैंडिग है उसकी रिपोर्ट शीघ्र मंगायें। ऋण व्यवस्था में परिवर्तन हो, यही मेरा कहना है।

धन्यवाद।

श्री मोहन प्रकाश (राजाखेड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो सवाल इन्होंने उठाया है इसमें सिर्फ एक बैंक नहीं है या दो बैंक नहीं हैं। इसमें राष्ट्रीयकृत बैंकों के भी नाम हैं जिसमें युनाइटेड कामर्शियल बैंक, खैरथल, पंजाब नेशनल बैंक, खैरथल, स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर, मुंडावर, पंजाब नेशनल बैंक, बानसूर, पंजाब नेशनल बैंक, बड़ौद, भूमि विकास बैंक, अलवर शाखा बहरोड़ और मुंडावर। उपाध्यक्ष महोदय, यह इतना गम्भीर मामला है...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपका स्थगन प्रस्ताव नहीं है। सूचना दे दी काफी है।

श्री मोहन प्रकाश : आप देखिये, मैं बिल सदन की टेबल पर रख रहा हूं। एक ही बैंक......

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप..........

श्री मोहन प्रकाश : इसमें आठ हजार और 9 हजार रुपये......

श्री उपाध्यक्ष : आपका स्थगन प्रस्ताव नहीं है। सूचना दे दी, इतना काफी है।

श्री मोहन प्रकाश : उसी फण्ड से जो नकद उठाया है वह हुआ है 3450 रुपये...

श्री उपाध्यक्ष : विराजें।

श्री मोहन प्रकाश : और इतनी बड़ी लूट राजस्थान में चल रही है। सुनिये...

(घन्टी)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थगन प्रस्ताव नहीं है। उस पर अलग से बोल लीजियेगा।

श्री मोहन प्रकाश : कुछ मौका दे दीजिये। ये पूरे प्रदेश के किसानों के हित का सवाल है। मैं समझता हूँ कि सरकार अगर लूटने वाली है तब तो मुझे न बोलने दीजिये......

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, नहीं। आपका स्थगन प्रस्ताव नहीं है इसलिए। सूचना दे दी काफी है। माननीय सदस्य, बस विराजें। सुश्री पुष्पा जैन।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष : क्या व्यवस्था आ गयी ? व्यवस्था बड़ी तगड़ी हो गयी है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अब क्या करें, साहब और कोई तरीका ही नहीं है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र के नाई की ग्राम के अन्दर पुलिस के द्वारा निर्मम व्यवहार किया गया है, अमानवीय कृत्य किया गया है, बुरी तरह से टार्चर किया गया है। निर्दोष व्यक्तियों को करंट लगाया गया। अभी भी उनके पेशाव में खून आता है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मैंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखा था और अध्यक्ष महोदय से मैं व्यक्तिगत रूप से मिला था। उसके ऊपर यहां कोई........

श्री उपाध्यक्ष : यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : यह व्यवस्था का प्रश्न है, उपाध्यक्ष महोदय, उसके ऊपर कोई व्यवस्था नहीं दी गयी...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मैं यह जानना चाहता हूं कि उसके ऊपर क्या व्यवस्था दी गयी ? इतने महत्व का प्रश्न है। मैं कल अध्यक्ष महोदय से भी व्यक्तिगत रूप से मिला था।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप का यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है, अलग से है। व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। सुश्री पुष्पा जैन।

(घन्टी)

एक माननीय सदस्य : इनकी धुलाई करवायी जाय जिस दिन पुलिस ठीक होगी।

सुश्री पुष्पा जैन (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, आर. आर. बी. 8033 कृषि गणना विभाग, 1982 में इस गाड़ी के दुरुपयोग और लाग बुक गायब होने के विषय में आज सरकार का जवाब आया उसमें उन्होंने कहा है कि दुरुपयोग नहीं किया गया है, लाग बुक विभाग में उपलब्ध है। उपाध्यक्ष महोदय, बेहतर तो यह होता कि सरकार वह लाग बुक और वह पत्रावली, जिस पत्रावली में यह लिखा गया है कि उक्त लाग बुक मिल नहीं रही है, गायब है, दोनों को सदन की टेबल पर रखा जाता तो मैं समझती हूं कि न मुझे कुछ कहने की आवश्यकता रहती और सरकार भी प्रमाण के स्वरूप में एक कागज पेश करती तो सरकार की बात की पुष्टि हो जाती। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे दावे के साथ कहती हूं कि उक्त लाग बुक गायब हुई। जिस लाग बुक का हवाला दिया है सरकार ने कि विभाग में उपलब्ध है वह लाग बुक ओरिजिनल नहीं है, वह लाग बुक आल्टरनेटिव है। आल्टरनेटिव लाग बुक है और

(सुश्री पुष्पा जैन)

लाग बुक मिल भी गयी है। आज तो मन्त्री महोदय मैं कहना चाहूंगी कि क्या आप बतायेंगे कि जिस दिन गायब हुई उसके बाद से उस लाग बुक में एन्ट्री नहीं है ? लाग बुक में बराबर एन्ट्री होनी चाहिए। गाड़ियां चलती हैं उस बात की एन्ट्री लाग बुक में हुई ? जिस दिन गायब हुई उसके बाद की एन्ट्री आपको उस लाग बुक में नहीं मिलेगी। जिस आल्टरनेटिव लाग बुक की ये बात कर रहे हैं उस लाग बुक में एन्ट्री मिलेगी। उपाध्यक्ष महोदय, सरकार यह कह रही है कि लाग बुक का दुरुपयोग नहीं हुआ। जब आपकी पत्रावली में इस बात का हवाला है कि लाग बुक गायब है तो किसलिए गायब कर दी गई ? वह लाग बुक आज भी चीफ सेक्रेटरी के डबल लाक में पड़ी हुई है। वह ओरिजिनल लाग बुक निकाल कर इस सदन के पटल पर रख दें तब मैं जानूं आपकी बात। उपाध्यक्ष महोदय, लाग बुक के दुरुपयोग का मैं यह नमूना पेश कर रही हूं। लाग बुक, जो उस दिन भरी गयी है, फोटो स्टेट कापी है। 15–4–82 को उक्त कमिश्नर महोदय दिल्ली पधारे जयपुर से। सचिवालय से राजापार्क मोटर गयी और वहां से पैट्रोल पम्प से पैट्रोल भरने के बाद सचिवालय से आर. एस. निवास, जयपुर रेवन्यू सेक्रेटरी के निवास पर और वहां से दिल्ली। इसका पहला मोटर है 368 किलोमीटर। उसके बाद 15 तारीख को दिल्ली जाने के बाद में 16 तारीख को राजस्थान हाऊस दिल्ली और वहां से कृषि भवन सेक्टर कलक्ट्री, दिल्ली चौराहा। यह हो गया 215 किलोमीटर। अब, उपाध्यक्ष महोदय, आप रोज दिल्ली जाते हैं यह ऐसा कौन सा चौराहा है कलक्ट्री का, राजस्थान हाऊस से कलक्ट्री के चौराहे पर जायें आप वापस राजभवन हाऊस में आयें और 215 किलोमीटर हो जाय ? यह कौन का रास्ता है हमने तो आज तक नहीं देखा। इस सदन के हर माननीय सदस्य, हर मन्त्री महोदय को, स्वयं आपको, अध्यक्ष महोदय को रोज दिल्ली जाना पड़ता है। इतनी किलोमीटर कोई भी जगह नहीं है दिल्ली में, किसी भी मीटिंग में जायें। उसके बाद आप 16 तारीख को राजस्थान हाऊस दिल्ली एरिया से जयपुर वापस, फिर दुबारा वापस को काट दिया गया है। सारा फर्जी बना हुआ है। फिर कृषि भवन सेक्टर कलक्ट्री दिल्ली चौराहा 215 किलोमीटर। फिर 17 तारीख को आप वापस राजस्थान हाऊस से दिल्ली चौराहा, राजस्थान हाऊस फिर 217 किलोमीटर। पहले 215 किलोमीटर उसके बाद 217 किलोमीटर। उसके बाद 18–4–82 को वापस राजस्थान हाऊस से दिल्ली एरिया और राजस्थान हाऊस 213 किलोमीटर और यह आज के चीफ सचिव और उस समय के रेवन्यू सेक्रेटरी श्री आनन्द मोहन लाल के दस्तखत हैं इस लाग बुक पर। उपाध्यक्ष महोदय, यह इस गाड़ी का लाग बुक नहीं है और उसी व्यक्ति को इन्होंने चीफ सचिव बना दिया।

मैं आपको पूछना चाहती हूं कि अगर कोई मामूली आदमी इस तरह से साइकल का भी दुरुपयोग करता, सरकारी खजाने से तो क्या आप उसे छोड़ देते ? लाग बुक गायब कर दी, गलत एन्ट्री करके पैसा वसूल कर लिया सरकार से और वह

(सुश्री पुष्पा जैन)

व्यक्ति चीफ सैक्रेटरी बन जाता है और उन्होंने क्या किया, उपाध्यक्ष महोदय ? नार्दन जोनल कौंसिल कमेटी की मीटिंग में दिल्ली पधारे। आप प्लेन से पधारे और पहुँचे नहीं मीटिंग में। इनका कोई हवाला नहीं। यह कोई उपस्थित नहीं। यहीं नहीं साथ में कार का किराया भी वसूल कर लिया। कार से श्रीमती लाल पधारी और प्लेन से श्रीमान लालजी पधारे मुख्य सचिव की हैसियत से। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहूंगी इस सरकार से···

श्री रामसिंह विश्नोई (लूनी) : यह तो बहुत पहले बने मुख्य सचिव, अब तो जा रहे हैं।

सुश्री पुष्पा जैन : जब तक नहीं जायेंगे मजबूरी है हमारी, हमें एक-एक कारनामो बताना पड़ेगा। उपाध्यक्ष महोदय, राज्य का मुख्य सचिव इस तरह से घोटाला करे, सरकार की कार से दिल्ली जाय, मीटिंग अटेंड नहीं करे, किराया उठाये। उनकी श्रीमती जी और बाल-बच्चे कार से जायें उसी दिन। यह कौन से कानून में लिखा हुआ है सपरिवार ? ऐसी कौन सी मीटिंग थी उपाध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहती हूं कि नार्दन जोनल कौंसिल कमेटी ने कोई सपरिवार निमन्त्रण दिया था इन्हें ? और निमन्त्रण दिया था तो पंहुचे क्यों नहीं मीटिंग में ? मैं चाहती हूं कि सरकार सारी की सारी फाइल यहां सदन की टेबल पर रखे। देखा जाय कि इस व्यक्ति ने मुख्य सचिव की हैसियत से मीटिंग अटेंड की या नहीं की ? नहीं की तो क्या अधिकार है इन्हें पैसा उठाने का ? खुद को प्लेन से उठाया। क्या अधिकार था इन्हें कार का पैसा भी उठाने का ? जाना था तो अपनी कार से जाती उनकी श्रीमती जी, उनके बाल बच्चे हमें कोई एतराज नहीं। उनके दिल्ली जाने से हमें एतराज नहीं है, एतराज है इस तरह से सरकारी गाड़ी का दुरुपयोग करने से।

उपाध्यक्ष महोदय, एक तरफ आप टैक्स लगा रहे हैं गरीब लोगों पर क्योंकि घाटे की पूर्ति करनी है आपको, यह सरकार चलानी है और दूसरी तरफ इस सरकार में बैठे हुए सबसे बड़े अधिकारी इस तरह से गरीबों के पैसे का दुरुपयोग करेंगे तो यह व्यवस्था कैसे कायम रहेगी ? क्यों देंगे गरीब लोग टैक्स ? क्या अधिकार है सरकार को गरीब लोगों पर टैक्स लगाने का ? मैं एक निवेदन करना चाहती हूं कि सरकार इस सारे मामले की जांच करवाये। मैंने दो मामले रखे हैं, एक तो इस गाड़ी के दुरुपयोग का, दूसरा इस नार्दन जोनल कौंसिल कमेटी की मीटिंग में जो मुख्य सचिव खुद गये। इन दोनों मामले की जांच करवायी जाय। अगर दोनों बातें सच पायी जाती हैं तो जल्द से जल्द उनके खिलाफ कार्यवाही की जाय और सख्त से सख्त सजा दी जाय ताकि आगे से किसी अधिकारी, कर्मचारी को इस बात की जुर्रत न हो कि इस तरह से दुरुपयोग करे और सरकारी खजाने को अनावश्यक वेस्ट करे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष) : उपाध्यक्ष महोदय, आप से जानकारी करना चाहूंगा। इस प्रश्न पर....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय ने कहा है कि सरकार में जानकारी प्राप्त हुई है कि लॉग बुक पूर्ण है। मैं एक जानकारी करना चाहता हूं...

श्री उपाध्यक्ष : सरकार से यह हुआ है, सरकार ने यह सूचना दी है 16-4-82 से 18-4-82 तक नियमानुसार है, गाड़ी का दुरुपयोग नहीं किया गया। लाग बुक विभाग में मौजूद है ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : लॉग बुक विभाग के पास मौजूद है, यह जो बात कही है उस लॉग बुक में इस पर्टीक्यूलर एण्ट्रीज वाली लॉग बुक मौजूद है या जो नयी चलायी वह लॉग बुक मौजूद है ?

श्री उपाध्यक्ष : सरकार का उसके हिसाब से यही माना जायेगा कि यह ओरिजनल मौजूद हैं। आपने 16 से 18 का पूछा था...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं यह जानकारी करना चाहता हूं, सरकार ने यह जानकारी दी है कि आगे की लॉग बुक मौजूद है, वह लॉग बुक जिसमें पर्टीक्यूलर डेज की एण्ट्रीज मौजूद है, वह मौजूद है या नहीं...

श्री उपाध्यक्ष : इससे तो मतलब यही निकलता है। जो इसमें लिखा है, जो सरकार की सूचना है उससे तो यही मतलब निकलता है।

श्री गणेशलाल बैरागी।

(अनुपस्थित)

श्री चम्पालाल बांठिया।

(अनुपस्थित)

श्री शोपत सिंह।

श्री शोपत सिंह (हनुमानगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने स्थगन प्रस्ताव दिनांक 4–7–83 को विचारार्थ सदन में रखा था। जो जबाव आया है वह मैं क्या कहूं, मुझे बड़ा अजीब लगता है एक गलत स्टेटमेण्ट की भी हद होती है, बेशर्मी का थोड़ा मलाल होता है। डेढ़ लाख टन कोयला, कोई सीमा नहीं होती है, बस वह उलांघ गये। डेढ़ लाख टन कोयला, मन्त्री महोदय, सूरतगढ़ के अन्दर कोई ऐसी जगह नहीं है, चाहे वह मण्डी एरिया की जमीन थी, चाहे प्राइवेट प्लान्ट थे, चाहे दूसरे कारखाने की जगह थी और सड़कों के इधर-उधर भी डेढ़ लाख टन कोयला सूरतगढ़ में लाकर आपने ढेर कर दिया जगह-जगह पर। आज करीब 4–5 साल हुए। कौन बैठा है वहां पर, जनाब ? अजी, चोरी करने वाले चोर तो घर में सोये पड़े हों तो चोरी कर ले जाते हैं, पैसा आपकी जेब में है फिर भी खिसका लेते हैं। आपने कह दिया, आपने उस कोयले को कोई ऐसी जगह रखने की कोशिश नहीं की, व्यवस्था करने की कोशिश नहीं की कि उसकी हम बाउण्ड्री वाल बनवा दें, चोरी न हो, वह खराब न हो। पांच साल से कोयला पड़ा है वहाँ पर। डेढ़ लाख टन कोयला जिसकी छः करोड़ कीमत है। उसके अन्दर कितनी

(श्री शोपत सिंह)

लीड ली ? खूब पैसा कमाया, माननीय मन्त्री महोदय। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत सरकार से कहना चाहूंगा, आपने यह किस आधार पर कहा कि वहां पर कुछ नहीं हो रहा है, बिलकुल साफ है, वहां पर पहरेदार रखा हुआ है। आपने उसमें पांच ओवरसियर, पांच जे. ई. एन. सस्पेण्ड कर दिये। एक्स. ई, एन. सस्पेण्ड है, ए.ई.एन. सस्पेण्ड है। सूरतगढ़ ले गये हैं कि राजस्थान कैनाल के निर्माण के लिए पक्की ईंटों की जरूरत थी। आपने वह कोयला वहां मंगा लिया। इतना कोयला मंगा लिया कि जिसकी जरूरत नहीं थी। आज वह कोयला सूरतगढ़ से अगर आप सैकण्ड स्टेज में ले जाना चाहेंगे तो 500-500 किलोमीटर वह लीड पड़ेगी, कैरिज करना पड़ेगा ट्रकों से। आपने उस कोयले को बीकानेर-नीयरेस्ट पाइन्ट पर नहीं डाला। होना तो यह चाहिए था अगर थोड़ी बहुत भी अक्लमंदी होती, थोड़ी बहुत समझ होती, सरकार में थोड़ी बहुत बात की अगर समझदारी होती तो इस बात की कोशिश करनी चाहिए थी। रेल्वे लाइन अनूपगढ़ हमारे इतनी नजदीक थी, बीकानेर के कुछ पाइन्ट्स नजदीक पड़ते थे, नजदीक के पाइन्ट्स पर तो ले गये नहीं उसकी वजह से दुगना-तिगुना खर्च पड़ा। जो कोयला 500 रुपये टन मिलना चाहिए था वह आपको एक हजार रुपये टन पड़ेगा। आज वह कोयला वहां पड़ा है क्योंकि आपने अपनी नीति बदल दी। अब आपका इरादा यह बन गया है, आपके इन्जीनियरों की यह राय है कि वह कोयला अब हम काम में नहीं लेंगे, ईंटें नहीं पकायेंगे, अब वहां पर सीमेंट कांक्रीट, बजरी के खांचों से बनायेंगे उससे राजस्थान कैनाल का निर्माण करोगे तो फिर वह कोयला क्या काम आयेगा ? वह कितने समय बाद बरबाद हो जायेगा ? बचाइये, करोड़ों रुपए को। आपको और आपके अधिकारियों को तो अपनी जेब से देना नहीं। हमारी चमड़ी उधाड़ो के बाद आप लोग हमारी चमड़ी खींचोगे, कभी खाले के नाम पर, कभी किसी नाम से, कभी किस नाम से और कभी किसी नाम से। यह सारी की सारी बरबादी है, यह सारी हमको भुगतनी पड़ेगी, राजस्थान कैनाल के अन्दर जो किसान आते हैं। आपका कुछ नहीं बिगड़ता है इसमें।

एक बात कहता हूं, अगर आपको वाकई उस कोयले की जरूरत है, पहले उन लोगों को सजा दीजिए कि यहां पर सूरतगढ़ ही पाइन्ट क्यों रखा गया, अनूपगढ़ और बीकानेर के नीयरेस्ट पाइन्ट हैं वहां पर ले गये ? उसकी वजह से कितने करोड़ों रुपयों का नुकसान हुआ आपको ? कितना लीड के अन्दर, कितना ढोने में वहां पर भ्रष्टाचार हुआ है ? कितने लोगों को आपने सस्पैन्ड किया है ? आप कहते हैं, कुछ नहीं हुआ। आप देखिये, कितना कोयला बाकी है कितना लाये। महरबानी करके एक बात कीजिये अगर आपको उस कोयले की जरूरत नहीं है तो उसको नीलाम कर दीजिए। वहां पर वह कोयला किसी काम का नहीं रहेगा। आंधियां चलती हैं। उस कोयले में रेत जा रही है। रेत अगर मिलती है और कल को आप बेचोगे या नीलाम करोगे जो पास बचेगा, कौन लेगा उसको ? कोयले में रेत भर जायगी सारे के सारे में। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत

(श्री शोपत सिंह)

सरकार से कहना चाहता हूं, आपको स्टेट-मेण्ट यही देना था तो इतने दिन काहे को लगाये। मैंने चार तारीख को स्थगन प्रस्ताव दिया है। आप ग्यारह दिन बाद बड़ी तैयारी करके लाये हैं कि बिलकुल ठीक है, हमारे पहरेदार खड़े हैं, कोई चोरी नहीं हो रही हैं। दूसरे दिन ही कह देते यह बात तो। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह छः करोड़ रुपये जो डेढ़ लाख टन में से जितना भी काम में लिया है उसमें खूब खाया गया है, मेरा आपसे सुझाव है कि इस कोयले की अगर राजस्थान कैनाल में जरूरत नहीं है तो जो लोकल भट्टा चलते हैं, महरबानी करके उन लोकल भट्टा मालिकों को नीलाम कर दीजिए ताकि कुछ न कुछ उसका हमको मिले। वरना सारी की सारी मुसीबत हमारे पर पड़ेगी मुझे तो इस बात का डर है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कोयला जो वहां पर बेकार पड़ा है, बरबाद हो रहा है, चोरी हो रहा है, उसको अगर जरूरत नहीं है विभाग को तो उसको नीलाम करके पैसा कम से कम जमा कराइये ताकि हम निर्माण कर सकें राजस्थान कैनाल का और पानी पहुंचा सकें आगे उन इलाकों में जहां पर पानी नहीं आया है।

इन्हीं शब्दों के साथ यह कहता हुआ कि सरकार ने जो स्टेटमेण्ट दिया है वह निहायत हीXXX और बड़ी हीXXX भरा हुआ है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इतना ही कहना है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री ग्यारसी लाल।

श्री ग्यारसीलाल परिडवाल (निवाई) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको मेरे क्षेत्र निवाई में शहर निवाई का जो सरकारी हॉस्पिटल है वहां का हमारा जो डॉक्टर है उसके बारे में यह बताने जा रहा हूँ कि उनको डॉक्टर न होकर टैक्सियों का मालिक या कोई बिजनेसमैन होना चाहिए। उनके विषय में मैं आपको थोड़ा सा बताने जा रहा हूं। सबसे पहला तो यह कि वहां का जो डॉक्टर है उन्होंने अपना एक निजी-पूजा एक्स-रे क्लिनिक चला रखा है। जितने भी बीमार, मरीज हॉस्पिटल में आते हैं उन सब को, चाहे बीमारी हो या न हो, वह श्रीमान् जी आदेश करते हैं कि आप जाइये और एक्स-रे करवा कर लाइये। अगर एक्स-रे नहीं करवाते हैं तो उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया जाता है। उन्हें यह कह दिया जाता है कि आप मेरे फ्लैट पर जाइये। जितनी भी सरकारी दवाई जाती है उनमें जो कॉस्टली दवाइयां हैं उन दवाइयों को वे अपने घर पर ले जाते हैं और बाला-बाला बीमारों के, मरीजों को बुलाकर वही दवाई दी जाती है तथा मनमाने ढंग से पैसे वसूल किये जाते हैं।

दूसरा, मैं आपको ऐसी बात बताने जा रहा हूं कि निवाई सरकारी हॉस्पिटल के अन्दर आज जो डॉक्टर है वह तीन साल से बराबर सरकारी फ्लैट में रह रहा है और तीन साल से प्रति महीने जो हाऊस रैण्ट अलाउन्स मिलता है, उसको भी बराबर बाकायदा उठा रहा है। मैं इसका रिकॉर्ड

XXX शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

(श्री ग्यारसीलाल वरिडवाल)

आपको दे सकता हूं दावे के साथ कि वह तीन साल से सरकारी फ्लैट में रह रहा है उस बाउण्ड्री वाल के अन्दर है और बराबर प्रति महीने हाउस रेंट अलाउन्स मिलता है वह भी उठा रहा है जबकि नहीं उठाना चाहिए।

तीसरी बात मैं आपको बताऊं कि वहां हॉस्पिटल की बाउण्ड्री के अन्दर काफी संख्या में पेड़ थे। हरे वृक्ष भी थे, सूखे वृक्ष भी थे। उन वृक्षों को कटवाकर बाला-बाला बेच दिया गया। उनके पैसों का आज तक कोई हिसाब-किताब नहीं है। वह सारा पैसा भी उन सज्जन ने अपनी जेब में रख लिया है। हास्पिटल की कण्डीशन ऐसी है कि तीन सीनियर कम्पाउण्डर हैं उसके बावजूद जो 2 नर्स और हैं उनसे रात की ड्यूटी ली जाती है। यह मेरे समझ में नहीं आता कि तीन सीनियर कम्पाउण्डर होते हुए फिर इन नर्सों को रात में क्यों लगाया जाता है। उनमें एक नर्स तो डेपूटेशन पर आई हुई है जिसका कतई महत्व नहीं है। जबर्दस्ती उस नर्स को वहां पर रखे हुए हैं। उसको वहां रखना गलत है। उससे वहां पर गन्दा माहौल बना हुआ है, वहां का वातावरण खराब होता जा रहा है इसलिए मेरा निवेदन है कि उस नर्स को वहां से फौरन हटाया जाय।

इस सम्बन्ध में मेरा यह निवेदन है कि इस बात की जानकारी करें, छानबीन करें, जो डाक्टर उस हास्पिटल में है वह बहुत कम ड्यूटी देता है। मेरा दावा है, मेरे पास सबूत है कि डाक्टर साहब एक घण्टे से ज्यादा ड्यूटी हास्पिटल में नहीं देते। उसकी टैक्सियां चलती हैं, वह टैक्सियों पर जाता है या पूजा क्लिनिक जो उसका खुद का है, पर बैठता है। जो मरीज हास्पिटल में जाते हैं उनको वापिस लौटना पड़ता है और मजबूरन उन्हें प्राइवेट प्रेक्टिशनर से इलाज करवाना पड़ता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि उसको फौरन वहां से हटाया जाए उसका वहां से स्थानान्तरण किया जाए। यही मेरा निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हीरालाल आर्य।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : उपाध्यक्ष महोदय, कोटा और हाड़ौती क्षेत्र में टी. बी. की बीमारी बहुत बढ़ती जा रही है। टी. बी. का, जो महाराव भीमसिंह अस्पताल है उनमें अलग से वार्ड है। उसमें टी. बी. के मरीजों को देखने के लिए अलग से एक्स-रे मशीन की व्यवस्था है लेकिन वह एक्सरे मशीन पिछले कई महीनों से खराब पड़ी हुई है जिसकी वजह से जो मरीज वहां पर आते हैं उनके एक्स-रे के लिए डाक्टर्स प्राइवेट क्लिनिक पर एक्स-रे करवाने के लिए भेजते हैं। वहां पर जाने में उनको कठिनाई भी होती है और वह मंहगे भी पड़ते हैं। कई मरीज तो ऐसे आते हैं, कौन झंझट में पड़ें-वहां जायेंगे, पैसे हैं नहीं, एक्स-रे अलग से करवाना पड़ेगा वह बिना डाक्टर्स को बताये ही वापिस घर चले जाते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि यह एक मानवीय प्रश्न है और जन-जीवन से सीधा-साधा सम्बन्धित है। एक्स-रे मशीन जैसी चीज महीनों से खराब हो और सरकार कोई ध्यान नहीं दे। इसकी जानकारी

(श्री हीरालाल, आर्य)

कई बार मन्त्रीजी को, वहां के सी.एम.एच.ओ. को दी, वहां के डिप्टी डाइरेक्टर को दी लेकिन इसके बावजूद इस मशीन को ठीक करवाने की व्यवस्था नहीं हो रही है। मरीजों को वापिस लौटना पड़ता है, उनका इलाज नहीं हो रहा है। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करूंगा कि एक्स–रे मशीन, जो कई महीनों से खराब है, को अविलम्ब ठीक करवाया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हीरासिंह चौहान।

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र रायपुर का आधा क्षेत्र पहाड़ी है। इस पहाड़ी क्षेत्र में बहुत कम बड़े-बड़े काश्तकार या कोई जागीरदार होंगे जिनके पास मुश्किल से 5–7 बीघा जमीन हो। इस पहाड़ी क्षेत्र में कई वर्षों से, 1951 के पहले से ही कहीं छोटे-छोटे तालाब बने हुए हैं। कुल मिलाकर के प्रत्येक गांव पंचायत में दो–दो, तीन–तीन एनीकट्स बने हुए हैं। कहीं छोटे छोटे एनीकट्स बने हुए हैं और कहीं बड़े बांध भी बने हुए हैं। उपाध्यक्ष महोदय, सन् 1960 से लेकर 1965 तक इन एनीकट्स और तालाबों का निर्माण कार्य ग्राम पंचायतों और पंचायत समिति के मार्फत होता रहा। उसके बाद में स्कीम बदल गई। सन् 1970 से 75 तक सिंचाई विभाग द्वारा छोटे–छोटे एनीकट्स बनाये गये। जनता राज आया तो काम के बदले अनाज योजना के तहत बहुत सारे एनीकट्स ग्राम पंचायतों द्वारा निर्मित करवाये गये। इसके बाद में एकीकृत ग्रामीण योजना एल. आर.ई. पी. और आई. आर. डी. पी. की योजना के तहत यह निर्मित कराये गये। पिछले 2 माह से, मई और जून से लगातार जिला प्रशासन से, सिंचाई मन्त्रीजी से, सिंचाई विभाग से, जिलाधीश से और परियोजना अधिकारी से यह बार-बार मैं निवेदन करता रहा हूँ कि प्रत्येक गांव में इस प्रकार के जो एनीकट्स बने हुए हैं उनमें किसी न किसी प्रकार की मरम्मत की आवश्यकता है। किसी में 5 हजार रुपये की जरूरत है, किसी में 10 हजार रुपये की जरूरत है, किसी में 20 हजार रुपये की जरूरत है और किसी में इससे अधिक की राशि की जरूरत है। लाखों-करोड़ों रुपया इन एनीकट्स पर लगा हुआ है। लेकिन इन एनीकट्स की मरम्मत की कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है। उपाध्यक्ष महोदय, सिंचाई मन्त्री महोदय भी इस समय सदन में विराजे हुए हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस तरह के एनीकट्स हैं जिन पर लाखों करोड़ों रुपया लगा हुआ है, यदि इनकी मरम्मत की कोई व्यवस्था नहीं की जाती है तो बरसात के अन्दर यह टूट जायेंगे। इनके टूटने की पूरी सम्भावना है। इन एनीकट्स के जरिये जमीन का निर्माण हुआ है, कुओं में पानी की मात्रा बढ़ी है अगर यह टूट जायेंगे तो जमीन टूट जायेगी, कुओं में पानी कम मात्रा में रहेगा। इसलिए इस स्थगन प्रस्ताव के जरिये मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में यह जो एकमात्र पानी का साधन है, बड़े-बड़े तालाब सरकार बना नहीं सकती, इन एनीकट्स की मरम्मत के लिए जिला प्रशासन को आदेश दिये जायं कि इस प्रकार के जो एनीकट्स बने हुये हैं, जिनकी मरम्मत पर बहुत थोड़ी राशि की

(श्री हीरासिंह चौहान)

आवश्यकता है, उनको ठीक करवाया जाय।

इस सम्बन्ध में खास तौर से एक लिस्ट देना चाहता हूं जिसमें प्रत्येक ग्राम पंचायत में इस प्रकार के एनीकट्स टूटे पड़े हैं। धानूजा, जो कि मेरा क्षेत्र है, के भोपाधा, तिकली, नाका, धामरतरली में एनीकट्स टूटे हुए हैं। चोग, बड़ी पोल, कलाली फीडर, बगड़ी, बेलपना, कोट किराना, पीपखेड़ा, उपलीसर किराना, चिवाड़, भदरलकी, कालाबकलाँ, देव का बाला, खोड़िया, खरनीदेवड़ा, देवरी तालाब, बड़ा तालाब, बीपातुडा, गजनाई बाला, उबी भाटा, रायपुर, गणेश तालाब व रेवतर तालाब पिचकला, चिताऊ गजनाई बांध।

मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं 1980 में गजनाई बांध का निर्माण राज्य सरकार ने करवाया था जिसके ऊपर लाखों रुपया लगा था। गत वर्ष अतिवृष्टि के कारण वह बांध टूट गया। राज्य सरकार द्वारा रिलीफ फण्ड में से कम से कम 10 लाख रुपये उसके निर्माण के लिए दिये, वह 10 लाख रुपये जिला प्रशासन द्वारा या उस समय के सिंचाई मन्त्री महोदय द्वारा अन्यत्र खर्च कर दिये गये। मैं सिंचाई मन्त्री महोदय ने निवेदन करना चाहता हूं कि एक तरह से आई. पी. सी. का केस बनता है। राज्य सरकार ने 10 लाख रुपये गजनाई बांध के लिए स्वीकृत किये थे लेकिन उस पर एक पैसा नहीं लगा। जिला प्रशासन को ऐसे बांधों की कोई चिन्ता नहीं है। इसलिए आपके माध्यम से निवेदन है कि इनको ठीक करवाने की व्यवस्था की जाय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हंसराज मिढ़ा।

(अनुपस्थित)

श्री दाऊदयाल जोशी।

(अनुपस्थित)

श्री मांगीलाल मेघवाल।

श्री मांगीलाल मेघवाल (केशोरायपाटन) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र केशोरायपाटन, जो कि चम्बल कमाण्ड क्षेत्र है, नहरों के रख-रखाव में जो अनियमिततायें हैं उससे होने वाले नुकसान के प्रति आपके माध्यम से माननीय मन्त्री महोदय को ? दिलाना चाहता हूं। नहरों में कई वर्षों से सफाई नहीं होने से मिट्टी भरी हुई है जिससे कम मात्रा में पानी किसानों को मिलता है। जगह-जगह नहरों के किनारे कट रहे हैं जिससे पानी ओवर फ्लो होता है और वह ओवर फ्लो पानी जगह-जगह फैलता है उससे गांव के आम रास्ते अवरुद्ध हो जाते हैं, एक दूसरे के खेतों में पानी फैलकर किसानों की फसल खराब हो जाती है। इसलिए विभाग की तरफ से कोई कार्यवाही नहीं होती है। नहरों पर आने-जाने के लिए पर्याप्त व्यवस्था न होने से रास्ता अवरुद्ध है और आवागमन में रुकावट होती है। इसी तरह से नहर में पानी का स्तर नीचे रहता है। अन्य नालियों में पानी नहीं देते हैं, किसानों को समय पर पानी नहीं मिलने से वे सिंचाई से वंचित रह जाते हैं।

इसी तरह से पानी हैड पर फैल करके क्षेत्र को खराब करता है। पानी कम

[श्री मांगीलाल मेघवाल]

मात्रा में होने से टेल पर नहीं पहुंचता है। हमेशा से चम्बल कमाण्ड के क्षेत्र में हैड से पानी पहुंचाने की समस्या को लेकर कई सत्याग्रह हुए, लोगों के आन्दोलन हुए और इस तरह की बात हुई। फिर इस तरह के आन्दोलन की तैयारी होने वाली है। इसलिए मैं माननीय मन्त्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि नहर के मैनेजमेंट का विशेष ध्यान रखते हुए, किसानों की सहूलियतों को मद्दे नजर रखते हुए वहां स्पेशल बजट दिया जाय, नहर की सफाई की जाय। नहर के उस क्षेत्र में मात्र 55 पर्सेन्ट क्षेत्र से बनी है। जब 55 पर्सेन्ट क्षेत्र में ही नहर बनी है तो जो पूरे क्षेत्र को कमाण्ड क्षेत्र घोषित किया गया है इसलिये मैं विशेष रूप से आग्रह करूंगा जिन क्षेत्रों में, जिन गांवों में नहर का पानी उपलब्ध नहीं होता है उनको कमाण्ड एरिया से निकाल करके किसानों से वसूली, किसानों से लगान वहां आप रोक दें। विशेष रूप से परेशानी उनको हो रही है। कमाण्ड से हटा करके उनको सहूलियत दी जाय।

आपने मुझे समय दिया, धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री फूलचन्द।

श्री फूलचन्द गुर्जर (नीम का थाना) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र नीम का थाना की नगरपालिका के क्षेत्र में जो गन्दगी फैल रही है उसके बारे में मैंने प्रस्ताव रखा था। यह बहुत लोक महत्व का है। नगरपालिका नीम का थाना अब नगरपालिका बन गई है। इतनी भयंकर फैल रही है नगर में गन्दगी चारों तरफ, जहां सार्वजनिक जगह हैं, मन्दिर हैं उन सब जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, सारी नालियाँ रुकी हुई है। बार-बार लोगों के द्वारा प्रार्थना पत्र देने के बावजूद नगरपालिका कोई सफाई नहीं कर रही है। भयंकर कूड़ा-करकट का ढेर लगा हुआ है। जो सूअर वगैरह हैं उनके द्वारा गन्दगी को दूर बखेर दिया जाता है। भयंकर बीमारी फैलने का भय हो रहा है। इसलिए आपकी मार्फत मन्त्री महोदय से भी निवेदन करूंगा कि इस तरह से नगरपालिका, जो नरकपालिका बन गई है, द्वारा इतनी भयंकर गन्दगी फैल रही है उस गन्दगी को दूर करने की कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है जबकि दूसरी तरफ नगरपालिका के पास साधन हैं, ट्रैक्टर है, कर्मचारी है इन सबके होते हुए। हमने सचिव महोदय से भी वहाँ बात की, दो-तीन बार शिकायतें की। वह कार्यालय में नहीं रहते हैं। जब उनकी जानकारी की गई तो मालूम हुआ काफी समय वह कार्यालय से बाहर ही रहते हैं। जब वहां पूछा गया कि उपस्थिति रजिस्टर कहां है तो यह शिकायत की गई कि वह अपने साथ ही रखते हैं। चार-चार पांच-पांच रोज तक वह नहीं आते हैं तो अपने पास ही रखते है और आने पर ही 5-5, 7-7 रोज की हाजरी एक साथ करते हैं। ऐसी अनियमितता उस नगरपालिका में है। शिकायत पुस्तिका नहीं है। नगरपालिका के कर्मचारी वहाँ मौजूद रहते नहीं हैं। वातावरण इतना खराब हो रहा है कि वहां गन्दगी के अम्बार लगा हुआ है। इससे पूरे नगर में लोगों का जीना दूभर हो रहा है। लोग जब आते जाते हैं तो गन्दगी के ढेर के ऊपर से जाते हैं। लोगों से जब घर का

[श्री मूलचन्द गुर्जर]

पता पूछते है तो एक जबाव देते हैं, मेरे घर के सामने दो कूड़े के ढेर हैं उसके पास से आना जाना वहीं मेरा घर है। ऐसी हालत है उस नगरपालिका की। इसलिए माननीय मन्त्री महोदय अगर इस बरसात की ऋतु में उस गन्दगी को दूर नहीं किया गया, वहां उसे नगर-पालिका ने सही ढंग से व्यवस्था नहीं की तो भयंकर रूप से बीमारियां फैलेंगी और लोगों का जीवन दूभर हो जायगा। लोगों के सामने यह गन्दगी का एक बहुत ही बड़ा संकट पैदा हो रहा है। लोगों के रास्ते रुक गये हैं। ऐसी भयंकर समस्या जो बहुत लोक महत्व की थी, मैंने आपके सामने रखी थी लेकिन आपने उसको अस्वीकार किया। मैं एक बार पुनः आपसे निवेदन करूंगा कि इस नगर-पालिका द्वारा सफाई की व्यवस्था कराई जाय जिससे वहाँ के लोगों का जन-जीवन सुधरे, वहाँ बीमारी नहीं फैले।

साथ ही साथ मैं एक और भी निवेदन करूंगा कि नगरपालिका क्षेत्र में सूअर, जिस तरह का वातावरण है, वहां चारों तरफ घूमते रहते हैं और गन्दगी को दूर तक बिखरते रहते हैं। इससे सारे दुकानदार, सारे व्यापारी बहुत दुःखी हैं। नगर-पालिका एक तरफ जगह-जगह थड़ियां रख रही हैं, दूसरी तरफ वहां कोई शौचालय वगैरह का निर्माण नहीं किया है। यहां तक मैं आपसे निवेदन करूं कि बस स्टेण्ड पर भी कोई शौचालय नहीं है। एक टूटा-फूटा बना हुआ है उससे भी सारी गन्दगी दूर-दूर तक बिखरती रहती है जहां मक्खियां भिनभिनाती रहती हैं। सारे दुकानदार, सारे व्यापारी उन सबसे बहुत दुखी हैं। इसलिए अन्त में पुनः निवेदन करूंगा कि जो बीमारी फैलने का बहुत बड़ा डर चल रहा है उस नगरपालिका में सफाई की व्यवस्था करवाई जाय और सचिव के खिलाफ जांच करके उनके खिलाफ सख्ती से कार्यवाही की जाय, जो वहां की अव्यवस्था के लिए सबसे बड़ा दोषी है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नवरंगसिंह।

श्री भंवरलाल शर्मा : चम्पालालजी आ गये हैं, वह उपस्थित हैं।

श्री उपाध्यक्ष : बाद में कौन आये हैं ?

श्री भंवरलाल शर्मा : चम्पालालजी बांठिया।

श्री उपाध्यक्ष : ठीक है, रुकना चाहिये।

श्री नवरंगसिंह (नवलगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे स्थगन प्रस्ताव के द्वारा नवलगढ़ में वहां का थानेदार किस तरह से लोगों का अपमान करता है, किस प्रकार से लोगों से मारपीट करके उनसे कुछ खोंसने की कोशिश करता है, यह बात मैं आपके माध्यम से सरकार के कानों तक पहुंचाना चाहता हूँ और यह कहना चाहता हूं कि, अध्यक्ष महोदय, 11 जुलाई की बात है, मालियों की ढाणी का रहने वाला बस्ताराम माली, जो थोड़ी बहुत खेती

[श्री नवरंग सिंह]

करता है और खेती के साथ में वह और उसके भाई पल्लदारी का काम करते हैं, सुबह 11 तारीख को पलदारी का काम करने के लिए बाजार में आये तो थानेदार नवलगढ़, उसके साथ दूसरे सिपाही और दूसरे अधिकारी लोग आकर उनको मोटर में बिठाकर थाने में ले गये। थाने में ले जाकर उनसे मारपीट की। सबसे कहा कि तुम्हारे खिलाफ भूमि विकास बैंक का कर्जा है या तो वह कर्जा आज तुम दे दो नहीं तो तुमको जान से मारेंगे और मार-पीट करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारे पास आज पैसा नहीं है, दो-चार दिन की हमको छूट दे दो, दो-चार दिन के बाद पैसा जमा करा देंगे। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, इतना कहने के बावजूद भी वहां के थानेदार ने निर्ममतापूर्वक उस आदमी को मुर्गा बना दिया धूप में, उसके डण्डे मारे, उसके ऊपर दूसरा आदमी बिठा दिया। शाम तक इसी तरह चला। वह बेचारे छूटने के बाद रिपोर्ट करना चाहते थे, डाक्टरी करवाना चाहते थे लेकिन वहां के सर्किल आफिसर ने, वहां के थानेदार ने कुछ भी उसकी रिपोर्ट और डाक्टरी मुआयना नहीं होने दिया। इस-लिए उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बहरी सर-कार के कान खोलना चाहता हूं, यह तो इतनी बहरी सरकार है, जो माननीय सदस्यों की भी दर्दनाक घटनाओं को महत्व नहीं देना चाहती। इस तरह से आपके नवलगढ़ के थाने में सरासर बस्ताराम माली को और दूसरे मालियों की ढाणी के जो लोग थे उनको मुर्गा बनाकर उनके साथ मारपीट की है। अब भी वह धमकी देता है कि अगर तुमने शिकायत की तो अच्छा नहीं होगा। मेरे पास वह आदमी उपाध्यक्ष महोदय, शनिवार को गया शनिवार, रविवार को मेरा नवलगढ़ का प्रोग्राम था, शनिवार को तब मालियों के साथ में वह आया, बेचारा रोने लग गया। जगह-जगह उसके शरीर पर मारपीट के निशान थे। मैं आपकी मार्फत सरकार से कहना चाहता हूं कि इस मामले की जांच करवाये। वहां जो गरीबों के साथ अन्याय हुआ है उन गरीब आदमी के साथ अन्याय हुआ है जो पलदारी का काम करते हैं, जो गरीब आदमी हैं, जो साधारण, 5–7 रुपये कमाकर ले जाते हैं शाम को दाना-रोटी खाते हैं, सुबह फिर रिक्शा चलाते हैं। इसलिए इस तरह के मामले में मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इसकी पूरी जांच करवाई जाय। सर-कार के खिलाफ मेरा चार्ज है, सरकार के खिलाफ मेरा यह आरोप है कि वहां जो भी थानेदार है और दूसरे जो लोग हैं वह पैसा खाकर लोगों को परेशान करते हैं।

इन्हीं शब्दों के साथ,उपाध्यक्ष महोदय, एक बार फिर सरकार के अधिकारियों से और सरकार, जो सदन मे बैठी हैं, निवेदन करना चाहता हूं कि इस मामले पर गौर करें, इसकी जांच करके उनको न्याय दिलावें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरिशंकर भाभड़ा।

श्री हरिशंकर भाभड़ा (रतनगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस स्थगन प्रस्ताव से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं...

एक माननीय सदस्य : सरकार यहां पर है कहां ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : कौन कह सकता है कि सरकार नहीं है। सरकार है।

(व्यवधान)

श्री शोपतसिंह : एक-एक क्विंटल की सरकार है।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : फिर भी आपसे तो कम ही है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : तो, उपाध्यक्ष महोदय, आपने क्या यह निर्णय कर दिया है कि सरकार है या...

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : यह तो आप लोग ही देखेंगे कि सरकार है।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : तो अब मैं शुरू करूं अपनी बात, उपाध्यक्ष महोदय।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं जिस विषय पर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ वह बहुत ही महत्वपूर्ण है पूरे राजस्थान के लिए। मान्यवर, आपको तो पता ही होगा कि केन्द्र सरकार ने फार्मेसी अधिनियम, 1948 के अन्दर एक संशोधन किया है। उस संशोधन के पश्चात् हरेक केमिस्ट की दुकान के लिए ट्रेनिंग लेने के बाद ही रजिस्ट्रेशन किया जाना चाहिए। यह एक नया प्रावधान किया है। इस प्रश्न को लेकर सारे हिन्दुस्तान में बहुत बड़ा एजीटेशन हुआ और दो बार केमिस्टों ने अपनी दुकानें भी बन्द रखीं। इसमें राजस्थान भी शामिल था। इसलिए फिर केन्द्रीय सरकार को थोड़ा इसमें संशोधन करना पड़ा और इसमें यह संशोधन किया कि जिन व्यक्तियों की सन् 1969 से पहले की केमिस्ट की दुकानें हैं उन पर्सन्स को क्वालिफाइड पर्सन्स मानते हुए राजस्थान फार्मेसी कौन्सिल क्वालिफाइड पर्सन डिक्लेयर कर देती है और उनका सीधा ही रजिस्ट्रेशन बिना जांच किये कर देना चाहिए। आज ऐसे लोगों की एप्लीकेशन्स सन् 1981 से पहले की हैं। उनका नये प्रावधानों के अनुसार क्वालिफाइड पर्सन्स होने के कारण अविलम्ब रजिस्ट्रेशन कर देना चाहिए था परन्तु दुर्भाग्य की बात है कि राजस्थान में आज हजारों एप्लीकेशन्स पेन्डिंग हैं। इसमें हो क्या रहा है, उपाध्यक्ष महोदय, जो पैसा लेकर जाते हैं उनका तो रजिस्ट्रेशन कर दिया जाता है और जो लोग पैसा लेकर नहीं जाते हैं उनको इस नये प्रावधान का हवाला देकर रजिस्ट्रेशन करने को रिफ्यूज किया जा रहा है। आज एप्लीकेशन्स का ढेर पड़ा हुआ है। जो आपका असिस्टेन्ट डायरेक्टर इसको डील करता है, दुर्भाग्य की बात है वह ऐसा आदमी है जो किसी से बात तक नहीं करना चाहता है। इसलिए मैं राजस्थान सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं। यह ध्यान भी नहीं देती है इसलिए इस मामले में केवल एक मामले की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। वैसे इस सम्बन्ध में सैकड़ों एप्लीकेशन्स आई हुई हैं मेरे पास में, लेकिन मैं एग्जाम्पल के तौर पर एक दौसा का मामला है उसको ही यहां

श्री हरिशंकर भाभड़ा

बताना चाहूंगा । उपाध्यक्ष महोदय, दोसा में एक गंगा सागर शर्मा की सन् 1955 से कैमिस्ट की दुकान चल रही है । राजस्थान फार्मेसी कौंसिल ने उनको क्वालिफाइड मानते हुए सर्टिफिकेट भी दे दिया उसकी फोटोस्टेट कापी मेरे पास मौजूद है। यह एप्लीकेशन मैं आपको पढ़ कर सुना देता हूं क्योंकि इसमें सारी बातें लिखी हुई हैं । इसमें लिखा है :—

"This is to inform that Shri Ganga Sagar, proprietor Sharma Medical Store, Dausa, has been running a Chemist's shop in Dausa since 1955 and is possessing of valid licences No. 354 and 355, issued on 15-7-1959 and valid up to 31-12-1984. His name as a qualified person is entered into the said drug licence also. He had submitted application for registration on 30-12-68 alongwith postal orders No. 466393 and 94. Since then, this application is said to de pending in the office of the council and inspite of the repeated reminders, his case does not seem to have been cleared. As per rules persons whose names appear on the drug licences desired before 1969, as a qualified person are eligible for direct registration without any interrogation.

यह है राजस्थान फार्मेसी कौन्सिल के वाइस प्रेसीडेन्ट का लेटर है । इस लेटर पर नाम है एस. के. पाटनी । इसके बावजूद उनको लाइसेन्स नहीं दिया गया है । उस व्यक्ति ने चूंकि पैसे नहीं दिये इसलिए उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है । इसी प्रकार के आर्डर डायरेक्टर मेडिकल एण्ड हैल्थ सर्विसेज, राजस्थान ने सारे राजस्थान के चीफ मेडिकल एण्ड हैल्थ आफिसर और ड्रग इन्सपेक्टर्स को दिये कि इस तरह के केसेज में अविलम्ब 1984 के पहले पहले, 31-8-84 के पहले पहले उनका रजिस्ट्रेशन कर दिया जाय। इतना सब कुछ होने के बावजूद आज भी हजारों एप्लीकेशन्स पेंडिंग हैं । उसके अन्दर आज लाखों रुपये का करप्शन और बंगलिंग हो रहा है । बार-बार लोगों के मिलने के बाद भी राजस्थान सरकार के ही मेडिकल डायरेक्टर और राजस्थान की हैल्थ मिनिस्ट्री इस सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कर रही है । आपके माध्यम से चाहूँगा, इस प्रश्न पर जल्दी से जल्दी सरकार सदन में वक्तव्य दे और यह बताये कि इस तरह की कितनी एप्लीकेशन पेंडिंग हैं जो क्वालीफाइड पर्सनल हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है उनका इन्टेरोगेशन के बिना, किसी फर्दर जांच के बिना रजिस्ट्रेशन कर देना चाहिए था और आज दिन तक क्यों नहीं किया गया ? और अब कब तक करने की प्रक्रिया सरकार अपना कर उनका रजिस्ट्रेशन कर दिया जायेगा ? मान्यवर, इससे आज हजारों लोग परेशान हो रहे हैं। ड्रग इन्सपेक्टर्स जाते हैं और उनसे पैसे लेते हैं । जो लोग पैसा नहीं देते हैं उनकी दुकानों को बन्द करने को बाध्य करते हैं । तो सारी स्थिति

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

पर सरकार को अपना इस सदन में एक विस्तृत वक्तव्य देना चाहिए।

धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गिरधारी लाल भार्गव।

श्री भंवर लाल शर्मा : माननीय मन्त्री महोदय, इसमें कुछ करेंगे क्या ?

श्री छोगाराम बकोलिया (राज्य मंत्री) : मैंने नोट कर लिया है।

श्री भंवर लाल शर्मा : यह बहुत ही गम्भीर मामला है।

श्री छोगाराम बकोलिया : मैं यह मानता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि काफी एप्लीकेशन्स पेंडिंग हैं उन पर प्रोसेस किया जा रहा है। इस पर इमीजियेटली एक्शन लेने का डायरेक्टर मेडिकल हैल्थ को कह दिया है। अब अलग से आज चूंकि आपने इस बात की चर्चा की है और इस सन्दर्भ में आपने बताया है उसके लिए और निर्देश दूंगा।

श्री शोपत सिंह : माननीय मन्त्री जी, आप हमारे कोयले के बारे में भी कुछ घोषणा करें।

श्री उपाध्यक्ष : यह विषय डिस्कशन का नहीं है।

श्री छोगाराम बकोलिया : कोयले में ज्यादा बोलूंगा तो माननीय सदस्य के हाथ काले हो जायेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : इस विषय पर डिस्कशन नहीं होगा और न ही मन्त्री जी इस विषय पर बोलेंगे।

श्री शोपत सिंह : हम आपका हाथ काला करेंगे और न ही आपका मुंह काला करेंगे, आप बोलो तो सही।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, इस पर डिस्कशन नहीं होगा।

श्री गिरधारी लाल भार्गव (किशन पोल) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव लोक महत्व का दिया है जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। उस स्थगन प्रस्ताव को आपकी व्यवस्था द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। उपाध्यक्ष महोदय, इस विषय पर कल इस सदन में चर्चा आई थी कि जो लोग विद्युत विभाग की लापरवाही के कारण मर जाते हैं उनको कोई मुआवजा देने का प्रावधान नहीं है चाहे वह व्यक्ति हो, चाहे वह पशु हो। मेरा निवेदन यह है वहां पर कि हमारे मुख्य मन्त्री जी का पुराना निवास स्थान अजमेर रोड पर है। आज कल तो वह कोठी पर ही विराजते हैं.......

एक माननीय सदस्य : अजमेर रोड पर ही उनका निवास स्थान है। अभी वहां रह रहे हैं।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : हां, मुझे पता है कि अभी वहां जाते हैं, रात्रि का भोजन भी वहीं पर करते हैं और अजमेर रोड से ही गुजरते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, अभी 13 तारीख की रात्रि को अजमेर रोड की पुलिया पर एक व्यक्ति भारत सिंह नाम का अपने घोड़ी पर बैठा हुआ जा रहा

(श्री गिरधारी लाल भार्गव)

था। उस अजमेर रोड़ की पुलिया पर खुला हुआ बिजली का तार पड़ा था, खुले तार से उस घोड़ी का पांव छू गया और उसके पांव छू जाने से वह घोड़ी वहां पर तुरन्त ही मर गयी और उस घोड़ी का चालक भारत सिंह भी अस्पताल में दाखिल है। मेरा निवेदन करना यह है कि इस प्रकार सार्वजनिक स्थानों, जहां से हमारे राजस्थान के मुख्य मन्त्री जी जाते हैं, विधायक भी जाते हैं, यहां अभी आप एक विधायक की पिटाई की बात कर रहे थे वहां तो हमारे राजस्थान के मुख्य मन्त्रीजी जाते हैं। मैं समझता हूं कि हमारे ऐसे होनहार मुख्य मन्त्री जी जो 36-36 विभाग सम्भाले हुए हैं इतने बढ़िया मुख्य मन्त्री जी हमारे जाते हैं उनके साथ कोई दुर्घटना नहीं घट जाय उसके लिए पूर्व में आगाह करना चाहता हूं कि कहीं कोई गड़बड़ी हो जाय या हमारे मुख्य मन्त्री जी को कुछ हो जाय तो मैं समझता हूं कि हमारे ऐसे मुख्य मन्त्री जी हैं जो तो राजीव गांधी बाहर भी चले जायें तो वह यहां की और वह दोनों ही जगह सम्भाल सकते हैं, ऐसे मुख्य मन्त्री जी को कल को कुछ हो जाय तो बहुत बड़ी गड़बड़ी हो जायेगी। तो मेरा निवेदन यह है कि उस व्यक्ति ने एक रिपोर्ट विधायकपुरी थाने में दर्ज करायी है, उस रिपोर्ट में उसने कहा कि उसकी घोड़ी मर गयी है और उसके लिए दस हजार रुपये मांगे हैं। मेरा निवेदन है कि यह दस हजार रुपये कौन देगा ? हमारे यहां नियमों में तो प्रावधान नहीं है। अब यह रिपोर्ट उस भारत सिंह के पिता श्री श्यामसिंह पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह (राजपूत) शांतिनगर 43 एन. बी. सी. के सामने, दर्ज करायी है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि यहां पर खर्च का प्रश्न नहीं है पर वहां पर जो जगह जगह तार खुले पड़े हैं उनको ठीक करना चाहिए।

दूसरी बात यह है कि कल 'टाइम्स' अखबार, जिसको मैं लेकर गया, उसमें लिखा हुआ था कि 210 व्यक्ति डेड उसमें यह चित्र भी दिया गया है और उसमें open electric cable live exposed in the centre of Jaipur and shall prove fatal to animals who comes in the contact with it.

यह छोटी चौपड़ कोतवाली के पास ही नगर के बीचों-बीच, मान्यवर उपाध्यक्ष महोदय, खुले रूप से तार पड़ा हुआ है। अभी वर्षा का मौसम है और पानी और बिजली का सम्बन्ध है। मैं समझता हूं कि अगर वहां पानी आ जाय और कोई स्कूटर वाला गुजरे या गाड़ी वाला गुजरे तो स्कूटर वाला वहीं पर खड़ा रह जायेगा। वहीं पर हाथ उठाकर रह जायेगा। वहीं पर बिजली से चिपक कर रह जायेगा। इसलिए मैं यह समझता हूं कि त्रिपोलिया बाजार और गणगौरी बाजार और चांद पोल बाजार और यह हमारा किशन पोल बाजार है, इनमें पानी कभी भी बिजली में जा सकता है। मैं यह चित्र आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहा हूं, यह देख लीजिए तार खुले पड़े हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यदि बिजली मन्त्री जी या मुख्य मन्त्री जी मेरे साथ चलना चाहें तो मैं उनको ले

(श्री गिरधारी लाल भार्गव)

चलता हूं और दिखा लाता हूं तो वायर है वह खुले पड़े हैं। इस प्रकार की आज जयपुर शहर में दुर्घटनायें हो सकती हैं।

श्री भंवर लाल शर्मा : वापस आने की गारन्टी है ?

श्री गिरधारी लाल भार्गव : वापस आने की गारन्टी है। वह तो विद्युत मन्त्री जी हैं उनको तो विद्युत करन्ट नहीं मारेगी। गरीब को मार सकती है। मेरा निवेदन करना यह है कि राजस्थान ट्रंक कम्पनी, त्रिपोलिया बाजार में इसी प्रकार की दशा है। नाहरी का नाका, पंचमुखी हनुमान, हरिजनों की बस्ती में मैं कल जाकर आया हूं वहां पर बिजली का करन्ट खम्भे में से जा रहा है। भैंस उससे बन्धी हुई है वह मर गई तो आदमी तो बड़ी आसानी से मर सकता है। इसी प्रकार की स्थिति चन्द्रशेखर की बगीची में है। इसी प्रकार से, उपाध्यक्ष महोदय, चांदपोल बाजार और त्रिपोलिया बाजार में जहां सड़क को चौड़ी किया गया है वहां पर बिजली के खम्भे सड़क पर पड़े हैं, उनके तार खुले पड़े हुए हैं। चांदपोल बाजार में कभी भी दुर्घटना हो सकती है। किसी भी दिन, किसी भी समय हो सकती है। मैं समझता हूं बीच में ढोल डाल दिये गये यातायात को सही करने की व्यवस्था के लिए, होना तो यह चाहिए बीच में पटरी होती, यातायात सही व्यवस्थित होता कुशल होता। लेकिन वह व्यवस्था नहीं की। रात को कोई भी उन ढोलों से चढ़कर जा सकता है। ढोल में कहीं बीच में कोई चीज नहीं भरी हुई है। वहां पर इस प्रकार की दुर्घटनायें हो सकती हैं। इस तरफ मेरा निवेदन है कि सारी व्यवस्था आपको करनी चाहिए।

(1·51 म. प.)

(श्री हीरालाल देवपुरा,
अध्यक्ष, पदासीन)

मान्यवर अध्यक्ष महोदय, डैड वायर पुराने वायर जो मकानों में बिजली की सप्लाई कर रहे हैं अगर एक बार बारिश हो जाये तो उसमें स्पार्किंग होता है उससे लाइट तो चली जायेगी ही लेकिन मकानों में भी करन्ट आ जाता है, पानी में भी करन्ट आ जाता है। आखिरकार मकानों के जो डैड वायर हैं उनको बदलने की कोई प्रक्रिया होगी। आप एक साल में बदल देंगे, दो साल में बदले जायेंगे या नहीं बदले जायेंगे या दुर्घटना कोई होने के बाद बदले जायेंगे, इसकी आखिरकार कोई सीमा होनी चाहिए। मेरा निवेदन करना यह है कि जयपुर शहर में कई मकानों की छतों पर से हाईटेन्शन लाइनें जा रही हैं। वर्षा से, अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कोई भी दुर्घटना उस मकान में हो सकती है। हुई हैं, बच्चा लोग ऊपर चढ़ गये उसने पास में बांस लगा दिया तो बांस में करन्ट आ गया। पिछले दिनों आपने देखा होगा ऐसी दुर्घटनायें घटी हैं। जयपुर में मकानों में ऐसी घटनायें और हो सकती हैं इसलिए जो यह लाइनें हैं उनको बदला जाना चाहिए। मकानों में डैड वायर से जो

(श्री गिरधारी लाल भार्गव)

स्पार्किंग होता है उसको भी बदला जाना चाहिए। मैंने जो अजमेर की पुलिया के बारे में निवेदन किया है, छोटी चौपड़ पर खुले तार पड़े हैं, चांदपोल बाजार और त्रिपोलिया बाजार में पड़े हैं उनको शीघ्र बदला जाये। यह मैं समझता हूं कि बहुत आवश्यक है। स्थिति यह है कि आज जहां नालियां बनी हैं हाउसिंग बोर्ड नाहरी का नाका में, नालियों के ठीक बीचों-बीच बिजली का खम्भा है वह करन्ट पास करता है और पानी उस खम्भे से छुआ हुआ है। यह दशा है नाहरी का नाका में। मैं समझता हूं कि वहां करन्ट दुर्घटना का कारण बन सकता है, सफाई में बाधा पड़ सकती है। आज आप बनीपार्क में, मीरा पार्क में चले जाइये, लक्ष्मण पुरी में चले जाइये, मकानों के अन्दर बिजली के खम्भे हैं, मकानों के बीच में हैं। मैं समझता हूं उनको मकानों के बीच में से निकाला जाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, हालत यह है कि जो जयपुर शहर में बरामदे बने हुए हैं उन बरामदों के पीछे जो फिटिंग है वह बहुत पुरानी हो चुकी है। आज जयपुर शहर में जितनी दुर्घटनायें हुई हैं वह सब पुरानी फिटिंग के कारण हुई हैं। आग लग गई, ट्रक खड़ा हुआ था, कोई माचिस लगा गया, यह नहीं है।

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : समाप्त कर रहा हूं, एक मिनट में।

वहां इस प्रकार की घटनायें बिजली से होती हैं। त्रिपोलिया बाजार में ऐसी सारी की सारी घटनायें हुई हैं। वह बिजली की पुरानी फिटिंग की वजह से वर्षा में होती हैं। उनको भी बदला जाना जरूरी है। मकानों के निकट सारे के सारे तार खुले पड़े हैं।

आज यही नहीं है, जो कन्ट्रोल बाक्स बना रखे हैं बिजली घर ने सड़कों की सतह में, आप नाहरी का नाका में पधारें, शास्त्री नगर में पधारें, कहीं भी आप जायें, थोड़ा सा पानी आया तो उसमें करन्ट आना जरूरी है। जो ट्रांसफारमेर जयपुर शहर में लगे हुए हैं, आप त्रिपोलिया बाजार में पधारें, चाहे नाहरी का नाका में चले जाये, चाहे भिण्डों का रास्ता, कल्याणजी का रास्ता में जायें, बिलकुल जमीन की सतह पर हैं, उनको ऊंचा किया जाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मेरे स्थगन प्रस्ताव को लोक महत्व का न मानकर अस्वीकार कर दिया, मैं समझता हूँ इससे बढ़कर कोई ऐसा लोक महत्व का प्रश्न हो नहीं सकता जो जयपुर की जनता के जन जीवन से सम्बन्धित हैं। माननीय विधायक जी कहीं भूल से उन पर हाथ लगा दें तो फिर इस पर चर्चा होगी, फिर बिजली मन्त्री जी को पकड़कर लोग पता नहीं क्या करेंगे। विधायक ने हाथ लगा दिया, करन्ट आ गया, बिजली तो करन्ट मारेगी ही इसलिए त्रुटि न हो, जयपुर के अन्दर कोई अनहोनी घटना नहीं हो जाये, मुख्य मन्त्री जी आ गये हैं। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं अजमेर की पुलिया पर से आप सायंकाल पधारते हैं आपका निवास स्थान है वहां, इस प्रकार की घटनायें हो रही हैं। मैं

(श्री गिरधारी लाल भार्गव)

राज्य सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं, राज्य सरकार निश्चित रूप से जयपुर में जो पुराने वायर्स खुले पड़े हैं, करन्ट खुला हुआ है उसको ठीक करने की व्यवस्था करें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपका क्या है?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : मैंने एक विशेषाधिकार हनन की सूचना दी थी यह बहुत गम्भीर प्रश्न है....

श्री अध्यक्ष : मैं आज उसको देख रहा हूं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आपकी आज्ञा से दो मिनिट बोल लेता हूं।

श्री अध्यक्ष : अभी नहीं।

(व्यवधान)

आपका जब नाम पुकारा था तब आप नहीं थे। आप सदन में नहीं थे।

श्री चम्पालाल बांठिया (पचपदरा) : कच्ची बस्तियों के लोगों से मिल रहा था।

श्री अध्यक्ष : आपको खेद है, आप सदन में नहीं थे?

श्री चम्पा लाल बांठिया : खेद है।

श्री अध्यक्ष : बोलिये।

श्री चम्पा लाल बांठिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसलमेर जिले के दबड़ी गांव में अप्रेल मास में एक निशान गाड़ी पाकिस्तान से आई और उससे अहमद वल्द भुट्टो, जो ड्राईवर था पाकिस्तान के गांव भागुका का निवासी था, रामदेवड़ा में उन घुसपैठियों को छोड़ कर चला गया। ड्राईवर पकड़ा गया, निशान गाड़ी का आज तक पता नहीं। वह गाजी फकीर का खास मित्र है और माना हुआ तस्कर गिना जाता है। गाजी नाम के तस्कर जो वहां का नागरिक है, से खास तौर से सांठ-गांठ रखता है। पुलिस को भी यह सूचना दी गई कि यह सब गाजी के कहने से सारी वारदात हुई। लेकिन गाजी का पता नहीं है। वह पाकिस्तान चला गया। उसके बाद जो घटना हुई चेननिया का पार गांव में वहां चार पाकिस्तानी ऊंटों पर सशस्त्र सवार होकर भारत की सीमा में 15 किलोमीटर घुस गये। मेघवाल जाति के लोगों का जो गांव है उसके अन्दर रात भर बैठे रहे। गांव के एक बकरे को ले गये और बकरे का कत्ल करके उसका खाना बनाकर खाया। सुबह दिन होने के बाद में गांव के अन्दर सारे मर्दों को बांध दिया गया और महिलाओं के जेवर एक चादर बिछाकर उस पर डालने के लिए मजबूर किया। सरकार कहती है कि डेढ़ लाख का माल ले गये लेकिन एक ढाणी से उन्होंने दो लाख का माल लिया, बाकी जितने भी मेघवाल हैं उनसे अलग-अलग माल लिया। एक बार तो वह जाते समय यह चेतावनी दे गये कि तुम जाकर अपनी

(श्री चम्पा लाल बांठिया)

सरकार को कह देना अगर सरकार में हिम्मत हो तो हमारा पीछा करे। यह कह कर चले गये, हम फिर आयेंगे और फिर डाका डालेंगे। इस प्रकार से वह जो सीमा है, बिलकुल असुरक्षित है। गांव वालों ने पास ही आई हुई बी. एस. एफ. की चौकी है वहां जाकर शिकायत की, आप जल्दी से पीछा कीजिए डाकू उस रास्ते से पाकिस्तान की सीमा में घुस जायेंगे। लेकिन बी. एस. एफ. वालों ने जो कहा, मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है, पहले उन्होंने यह कहा कि हम पैरों के खुर देखेंगे फिर पीछा करेंगे। इस प्रकार की घटना हुई। मोहनगढ़ की सीमा जो सरकार ने सील करने की घोषणा की थी, उसमें यह घटना उसके बाद घटी। जब ध्यान आकर्षित किया गया उसके पश्चात मुझे इत्तला मिली कि मोहनगढ़ में दो भारतीय, जो सत्तर वर्ष के थे, बकरी, ऊंट चरा रहे थे उनको वह पाकिस्तान उठाकर ले गये और पन्द्रह हजार रुपये की फिरौती मांगी। जब भारत के नागरिकों ने उनको वापस लाने के लिए ललकारा कि तुम दो लोग ले गये हो, हम तुम्हारे पांच लोग ले जायेंगे तब उनको छोड़ा। उनकी बकरी, भेड़ अभी भी पाकिस्तान के कब्जे में है। मेरा निवेदन है आपने गश्त बढ़ाई है लेकिन हम विपक्ष के नेता के साथ सारी सीमा को देखकर आये हैं, कहीं पर ऐसा नहीं लगता कि सीमा सील की गई है, कहीं पर गश्त लगाई हो, नजर नहीं आता। आज जो सरकार के प्रहरी लगाये हैं उनके पास वह साधन नहीं हैं जो घुसपैठियों और तस्करों का मुकाबला कर सकें। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप इस तरफ तुरन्त ध्यान दें। जो माल वह लूट कर ले गये हैं उनको माल वापस दिलाया जाये, यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

(2·00 म. प.)

श्री मोहन प्रकाश (राजाखेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी प्रस्ताव था, मुझे मौका नहीं मिला।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बैठें।

श्री मोहन प्रकाश : 23–24 अप्रैल को राजस्थान के पुलिस मुख्यालय····

श्री अध्यक्ष : आप सदन में थे नहीं।

श्री मोहन प्रकाश : हमको आपने कहा पुलिस डिमाण्ड पर बोलियेगा और पुलिस डिमाण्ड पर हम को मौका मिला नहीं। 23-24 अप्रैल को सूचना यहां पुलिस मुख्यालय पर आ गई····

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री मोहन प्रकाश : आतंकवादी पाकिस्तान से प्रशिक्षित हो कर आये···

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बैठें।

श्री मोहन प्रकाश : देश भर में बम विस्फोट हुए और सरकार की तरफ से कोई वक्तव्य नहीं हुआ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप नियमों को पढ़ लें।

श्री मोहन प्रकाश : अध्यक्ष महोदय, आप हमारे को देखिये…

श्री अध्यक्ष : मैंने स्थगन प्रस्ताव पर व्यवस्था दे दी तो अब मैं बोलने की इजाजत नहीं दे सकता, कृपया बैठें।

श्री मोहन प्रकाश : हम सिर्फ यह चाहते हैं कि अपनी जो सीमा है वह सुरक्षित नहीं है। जो हमारा सी. आई. डी. का स्टाफ है 7–7 किलोमीटर दूर है, न टेलीफोन है न जीप है। सुरक्षा व्यवस्था को आप बढ़ा रहे हैं, क्या सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठें, माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

आपका नाम पुकारा नहीं। संक्षेप में समाप्त करें।

श्री हंसराज मिढ़ा (सूरतगढ़) : श्री बलबीर राम ढाणक ने विजयनगर में नोटिस दिया है कि 22 तारीख को आमरण अनशन कर बैठूंगा। सैक्रेटरी कृषि मण्डी समिति श्री जसवन्त सिंह मक्कड़ के खिलाफ पहले भी बहुत शिकायतें हैं और उसकी वहज से वह आमरण अनशन पर बैठ रहा है। कोई जांच नहीं की गई। मेहरबानी करके आप मन्त्री महोदय से फरमायें कि उसकी जांच करके उसको बचाने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष : आर्डर माननीय सदस्य। सदन में जिस विषय पर चर्चा थी राज्य सरकार को सूचना मिली जो माननीय श्री सुराना और यदुनाथ सिंह ने 127 के अन्दर अपने नोटिस दिये थे। मैं समझता हूं……

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत) : मेरा भी है।

श्री अध्यक्ष : आपका भी है उसके अन्दर। एक दो का नाम बोला है इसका मतलब यह नहीं है दूसरा नहीं है। जिन-जिन का भी है तो उस सम्बन्ध में मुख्य मन्त्री जी सदन में अभी वक्तव्य देंगे। माननीय मुख्य मन्त्री जी।

शासकीय वक्तव्य

राजा मानसिंह हत्या कांड में चालान की अनुमति

श्री हरिदेव जोशी (मुख्य मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मुझे आपको और सदन को यह निवेदन करना है कि दिनांक 15-7-85 को राजा मानसिंह एवं अन्य दो व्यक्तियों की हत्या के केस के बारे में राज्य सरकार और सी. बी. आई. के अधिकारियों के बीच चर्चा हुई और अनुसन्धान के मूल अभिलेखों को देखा गया। लम्बी वार्ता और रिकार्ड को देखने के बाद राज्य सरकार का यह मत बना कि 5 ऐसे अभियोगी हैं जिन्हें हत्या में शरीक होना नहीं माना जा सकता क्योंकि न तो उन्होंने फायरिंग में हिस्सा लिया है और न कोई ऐसा साक्ष्य है जिससे यह साबित हो कि मौके पर उन्होंने हत्या के प्रयास में कोई सहयोग किया था। इस प्रकार 18 में से 5 के विरुद्ध राज्य सर-

(श्री हरिदेव जोशी)

कार ने दिनांक 15–7–85 को ही भारतीय दण्ड संहिता की धारा 193 और 218 के अन्तर्गत फर्जी रिकार्ड तैयार करने के आरोप में चालान करने की स्वीकृति जारी कर दी है और शेष 13 अभियोगियों सर्व श्री कानसिंह भाटी, उप अधीक्षक पुलिस, वीरेन्द्र सिंह एस. एच. ओ., रवि शंकर सब इन्सपेक्टर जीव राम व भंवर सिंह हैड कांस्टेबल, नेकी राम, सुखराम, कुलदीप सिंह, हरीसिंह, शेर सिंह, चतर सिंह, पदमा राम, जगमोहन कांस्टेबलों के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 147, 148, 323, 302 सपठित धारा 149, 193 व 218 धाराओं के अन्तर्गत अभियोजन की दिनांक 15–7–85 को स्वीकृति जारी कर दी गई है। 5 व्यक्ति हैं कानसिंह इन्सपेक्टर, हरिकृष्ण, हैड कांस्टेबल, महेन्द्रसिंह कांस्टेबल ड्राइवर, श्री सीताराम, ए. एस. आई. गोबिन्द प्रसाद, कांस्टेबल।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री यदुनाथ सिंह।

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि इस मामले में शुरू से ही शक किया जा रहा था लोगों की शंका सही निकली। सरासर डीग में हत्या की गई हजारों आदमी के बीच में यानि उसमें कोई जांच की आवश्यकता नहीं थी। होना तो यह चाहिये था कि राज्य सरकार स्वयं आगे बढ़कर उन मुल्जिमों को गिरफ्तार करती।

श्री अध्यक्ष : इस पर तो पहले आप बोल चुके हैं, माननीय सदस्य।

श्री यदुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा 127 का नोटिस पढ़ने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष : पढ़ लिया मैंने।

श्री यदुनाथ सिंह : मेरा 127 का नोटिस इस सन्दर्भ में नहीं है कि राज्य सरकार उन को अनुमति दे रही है या नहीं दे रही है। वह प्रश्न तो किसी महत्व का नहीं रहा। राज्य सरकार किसी को अनुमति देती है या नहीं देती है वह प्रश्न नहीं है। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा जब आप ने चाहा ही है जो मेरा नोटिस है उस पर व्यवस्था दिलवाने का काम करें, उस पर सरकार जवाब दे। मैंने कहा है कि वहां पर मुल्जिमों ने छूट कर गवाहों को धमकाना-डराना शुरू कर दिया है इसके कारण वहां तनाव हो गया है। पिछले तीन सालों में भरतपुर में जिस तरह से घटनायें हो रही हैं, पटपड़ा काण्ड हुआ वहां लोग मारे गये, फिर घना में गोली काण्ड हुआ वहां 66 लोगों को मार दिया। उनको सजा देने की बजाय कमीशन बैठाया। उसकी रिपोर्ट कब आयेगी, नहीं आयेगी अल्लाह जाने। कभी रिपोर्ट हमने देखी नहीं। किसी कमीशन की रिपोर्ट पर कहीं कार्यवाही हुई हो हमने देखा नहीं। उल्टा जिन लोगों पर हमला पुलिस ने किया था, जिन लोगों ने अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई थी उनमें मैं भी था मेरे ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चल रहा है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बिन्दु पर आयें।

श्री यदुनाथ सिंह : बिन्दु यह है, अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार सरकार पुलिस का अम्ब्रेला बनाने की कोशिश कर रही है, बिन्दु उठते हैं, अध्यक्ष महोदय, सरकार ने मुल्जिमों को अपनी गलती से छूटने का मौका दिया। उसके रहते मुल्जिम वहां पर जाकर गवाहों को डरा धमका रहे हैं। लोगों की राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार और सी. बी. आई. के ऊपर विश्वसनीयता बिल्कुल समाप्त हो चुकी है। मैं चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, कि राज्य सरसरकार के पास क्या व्यवस्था है, जिन गवाहों को डराया-धमकाया जा रहा है उसके लिए सरकार क्या करने जा रही है यानि उन लोगों का किस प्रकार प्रोटेक्शन देने काम कर सकेगी ?

दूसरा, जब सी. बी. आई. से आपकी टेबल पर बातचीत हुई है तो कब तक सी. बी. आई. चालान पेश करने जा रही है ? इस बारे में निश्चित तौर पर आपसे वार्ता हुई होगी। यह लोग गवाहों को डराये-धमकायें नहीं, गवाहों को पूरी तरह फेब्रिकेट नहीं करे तो क्या राज्य सरकार ने कोई ऐसे कदम उठाये हैं कि इन मुल्जिमों को फिर से गिरफ्तार किया जाये ? जब तक यह नहीं होगा भरतपुर में तनाव खत्म नहीं होगा। किसी भी समय स्थिति विस्फोटक हो सकती है। दूसरा, यहां पर लगातार कांड हुए हैं इसलिए सरकार से ज्यादा उजागार होने की जरूरत है और ऐसे कदम उठायें कि कार्यवाही फिर दोहराई न जाये।

श्री अध्यक्ष : श्री मानिकचन्द सुराणा।

श्री माणकचन्द सुराणा (लूणकरणसर): अध्यक्ष महोदय, मुख्य मन्त्री जी के वक्तव्य में यह स्पष्ट तो हो गया कि राजा मानसिंह की हत्या की गई थी। क्योंकि 302 में आपने चालान की परमीशन दी है और 159 आई. पी. सी. में दसरे मुल्जिमान का इस्तगासा पेश करने की भी आपने अनुमति दे दी। यह तो निर्विवाद हो गया मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि 29 तारीख से जो कार्यवाही आपने कल की एक्रास दी टेबल सी. बी. आई. के साथ बैठ कर मैटर्स को थारोआऊट करने की की, जैसा आपने बयान दिया था, पिछली तारीख को राज्य सरकार को सूचना मिल गई थी तब सी.बी.आई. ने चाहा था हमें यह इजाजत दे दी जाय, प्रासीक्यूशन की स्वीकृति दे दी जाये,-मैं मुख्य मन्त्री जी से यह पूछना चाहता हूं क्या तीन तारीख तक, 30 तारीख को, एक तारीख को, दो तारीख को, तीन तारीख को एक्रास दी टेबल सी. बी. आई. के साथ नहीं बैठा जा सकता था ?

श्री अध्यक्ष : इस पर काफी चर्चा हो चुकी है, माननीय सदस्य। तीन तारीख को, चार तारीख को भी इस पर चर्चा हो चुकी है।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य।

श्री माणकचन्द सुराणा : अध्यक्ष महो-

[श्री मानिकचन्द सुराणा]

दय, कुछ मुद्दे चर्चा के ऐसे होते है कि चर्चा करके समाप्त कर दिये जाँय, कुछ मुद्दे चर्चा करके निष्कर्ष निकालने के होते हैं, कुछ मुद्दे चर्चा करके भविष्य के लिए गाइड लाइन तय करने के होते हैं । मैं निवेदन करना चाहूंगा इतने महत्वपूर्ण सवाल जिस पर सारी असेम्बली एजीटेडेड थी, सारा राजस्थान एजीटेडेड था और माननीय मुख्य मन्त्री जी, जो कि पहले भी मुख्य मन्त्री रह चुके हैं, जिनके लिए यह कहा जाता है कि वे काफी कारगर मुख्य मन्त्री हैं । अपनी कांग्रेस पार्टी में सबसे ज्यादा सक्षम व्यक्ति है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उनके रहते हुए यह जो लैप्स हुआ है यह लेप्स उनके लिए भी जरूरी नहीं है । यह लैप्स होना नहीं चाहिये था । यह जो कुछ आपने कल किया है, अध्यक्ष महोदय, सरकार ने जो कल किया है, यह कार्यवाही, यह बातचीत तीन तारीख से पहले हो जाती तो कातिलों की जमानत नहीं होती और राज्य सरकार पर यह इल्जाम नहीं आता आपके लैप्स के कारण कातिल जमानत पर छूट गये । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन्दिरा गांधी हत्याकाण्ड में भी चालान पेश नहीं हुआ लेकिन वहां मजिस्ट्रेट ने उनको छोड़ा नहीं है । यह 90 दिन का कौनसा मैन्डटरी प्रोविजन है जिसमें यहां के मजिस्ट्रेट ने उनको छोड़ दिया ? मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कोई छोड़ना आवश्यक नहीं था । इसमें भी जो सी.बी. आई. की लाइबीलिटी रही है और सी. बी.आई. के व्यवहार से जो कुछ भी परिस्थितियां पैदा हुई हैं उसको भी देखना चाहिए था । मैं चार्ज लगाना चाहता हूं सी. बी. आई. पर कि जो काम उन्होंने 29 तारीख को किया सी. बी. आई. को चाहिये था कि जब इन्वेस्टीगेशन कर चुके थे तो एक सप्ताह पहले राज्य सरकार को सूचना दे देते और राज्य सरकार को यदि यही सूचना 22 तारीख को मिल जाती तो सम्भव है, अध्यक्ष महोदय, कि यह सारी शर्टिंग आऊट भी यह है, पहले हो जाती और मुल्जिमों की जमानत का मौका नहीं आता । इसलिए मुख्य मन्त्री जी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि जहां पब्लिक इम्पारटेन्स के मैटर्स हैं, पब्लिक इम्पारटेन्स के कोई कातिल हैं तो वहां पर भविष्य के लिए गाइड लाइन तय करें और उसमें अत्यधिक जल्दी करके भविष्य में इस तरह का कातिल जमानत पर न छूट जाय, इस प्रकार की गाइड लाइन वे उन डिपार्टमेंट्स को देंगे । मैं यह निवेदन उनसे करना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष : श्री मोहन प्रकाश ।

श्री मोहन प्रकाश (राजाखेड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो बयान अभी माननीय मुख्य मन्त्री जी ने दिये हैं और इनसे जो सवाल उठे हैं, न ही ये सवाल इस सदन की गरिमा के अनुकूल है और न स्वयं माननीय मुख्य मन्त्री जी की प्रतिष्ठा के अनुरूप हैं । बार-बार सदन में यह आश्वासन देने के बाद सरकार की ओर से और स्वयं मुख्य मन्त्री जी ने निजी रूप से कहा...

श्री अध्यक्ष : इस पर चर्चा हो चुकी है, माननीय सदस्य ।

श्री मोहन प्रकाश : नहीं, अध्यक्ष महोदय, चर्चा तो अब प्रारम्भ होगी इस पर ।

श्री अध्यक्ष : चर्चा प्रारम्भ नहीं, चर्चा तो हो चुकी है। बात हो चुकी है माननीय सदस्य।

श्री मोहन प्रकाश : इतना बड़ा सवाल है, अध्यक्ष महोदय, पूरे प्रदेश में यह सवाल उठ गया है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बैठें। कृपया बैठें।

श्री सी. पी. जोशी (नाथद्वारा) : अध्यक्ष महोदय, मेरा पाइन्ट आफ आर्डर है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बैठें। माननीय सदस्य, एक मिनट पाइन्ट आफ आर्डर रेज कर दिया है माननीय सदस्य ने।

श्री सी. पी. जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, 127 में जो नोटिसेज सदस्यों ने दिये हैं उसको 128 में ग्राह्य करने का आपका अधिकार है। 128 में प्रक्रिया लिखी गई है कि, किस तरह से इसको डिसपोज आफ किया जाय। मैं खाली अपनी जानकारी के लिए चाहता हूं कि यदि आपने 127 में इसको एडमिट किया है तो जो प्रक्रिया इसमें लिखी हुई है, अध्यक्ष महोदय, 127 और 128 के अन्दर...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठें, माननीय सदस्य, माननीय सदस्य कृपया बैठें। मैंने चर्चा करके किया है। माननीय सदस्य बैठें।

(व्यवधान)

इतना निवेदन मान लें। कृपया बैठें। माननीय सदस्य, माननीय सदस्य मैंने जिस चीज पर व्यवस्था दी है....

(व्यवधान)

वह सदस्यों से बातचीत करके दिया है।

श्री सी. पी. जोशी : मेरी बात सुनें, किस बात पर बैठूं।

श्री अध्यक्ष : मुझे मालूम है प्रक्रिया का इस बारे में क्या करना चाहिए। मैंने सोच समझ कर किया है।

(व्यवधान)

मेरा अन्तिम निर्णय है। आप बैठें। मेरा इम्तहान न लें, कृपया।

श्री सी.पी.जोशी : किस बात पर बैठूं। आपने 128, 129 के अन्दर...

(व्यवधान)

मेरा पाइन्ट आफ आर्डर है।

श्री अध्यक्ष : I ruled it out। कृपया बैठें। माननीय सदस्य, कृपया बैठें।

श्री मोहन प्रकाश : मैं, माननीय अध्यक्ष

(श्री मोहन प्रकाश)

महोदय, निवेदन कर रहा था कि पहले दिन इस सवाल पर जब माननीय मुख्य मन्त्री जी ने पूरे सदन का वातावरण भावनात्मक बना दिया उसके बाद उन्होंने आश्वासन दिया जिसके फलस्वरूप पूरा विरोध पक्ष और हां पक्ष के जितने भी भावनात्मक सम्बन्ध हैं, उन्होंने इसको स्वीकार कर लिया। मैं इसलिये निवेदन करना चाहता हूं कि यह सरकार कम से कम यहां मुख्य मन्त्री जी स्वयं इन्वाल्ड हैं तो स्वयं वे बतायें वरना जिन अधिकारियों ने 3 तारीख तक यह कहा कि जो कागजात सी.बी.आई. ने पेश किये हैं, उन कागजात को मुकदमा चलाने के लिए हम पूर्ण नहीं मानते तो वे कागजात और कौन-कौनसी स्थितियां थीं कि हम लोगों का यह सीधा आरोप था कि भूतपूर्व मुख्य मन्त्री के जो सचिव रहे हैं और वर्तमान मुख्य मन्त्री जी के साथ भी दो महीने के बाद...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य ।

श्री मोहन प्रकाश : राज्य के उच्च अधिकारी इसमें इन्वाल्व है...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बैठें ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, नाम बता दिया आप दूसरे नाम ले रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री मोहन प्रकाश : यह राज्य के उच्च अधिकारियों की साजिश से हत्या हुई है और उनको....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, कृपया बैठें ।

श्री मोहन प्रकाश : जो अभियुक्त अभी हैं ये बचा रहे हैं उनको और वे बचा रहे है इनको। अध्यक्ष महोदय, यह बड़ा गम्भीर मामला है कि जिन लोगों को छोड़ दिया है, उच्च अधिकारियों को और बच गये वे अधिकारी जो अब राज्य सरकार की तरफ से उन कातिलों को बचाने का प्रयत्न कर रहे है । अध्यक्ष महोदय, मैं एक सवाल करना चाहता हूं कि रोहितांश कुमार और कानसिंह भाटी राज्य पुलिस के अधिकारी हैं, एक आई.पी.एस. को आई. पी. एस. के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने में 24 घण्टे लगते हैं ? मामला स्पष्ट था और जो राज्य सरकार के अधिकारी हैं उनके खिलाफ मुकदमा...

श्री अध्यक्ष : आप विषयान्तर हो रहे हैं, माननीय सदस्य, कृपया बैठें ।

(व्यवधान)

श्री मोहन प्रकाश : इसलिए सरकार के प्रति विश्वास उठ रहा है ।

श्री नत्थीसिंह (कुम्हेर) : अध्यक्ष महोदय, मैं पहले तो माननीय मुख्य मन्त्री जी से यह जानना चाहता हू कल जो उन्होंने इजाजत दी है और 5 अभियुक्तों के खिलाफ 302 की इजाजत नहीं दी है

(श्री नत्थीसिंह)

क्या उनका यह दृष्टिकोण है कि सी. बी. आई. के इन्वेस्टीगेशन से जांच रिपोर्ट आई है उससे वे भी सहमत हुए हैं या अपनी तरफ से जबरन उनकी बात को न मानते हुए 302 को हटाकर सिर्फ 218 और 193 में इजाजत दी है। पहला सवाल तो मेरा यह है। क्या इनके दृष्टिकोण से सी. बी. आई. भी सहमत हो गई है या उनका दृष्टिकोण आज भी वहीं है जो उस दिन 3 तारीख को था, जब आपने उनको इजाजत नहीं दी थी।

दूसरा अर्ज करना यह है कि हम लोग पहले भी ध्यान में लाये हैं कि भरतपुर का जिलाधीश आज वहां है जिसको हम मानते हैं कि वह इन्वाल्व है। दूसरे लोग जिनकी जमानत आपने करवा दी; कानसिंह भाटी और वीरेन्द्र सिंह की। दूसरे बड़े अफसर जिनके बारे में अभी माननीय मोहन प्रकाश जी ने इशारा किया वह सबके सब वहां हैं। गवाहों को तोड़ने के लिए, आतंकित करने के उनको लिए रखेंगे या आप मूव करायेंगे। आप के लैप्स के कारण, क्योंकि आप 90 दिन में इजाजत नही दे पाये और लैप्स का फायदा सी.बी.आई. ने उठाया, जमानत उसको अदालत ने ले ली, क्या आप मूव करेंगे कि उनको पुनः गिरफ्तार किया जाय और वे स्थितियां पैदा की जायें जिनसे गवाहों पर प्रतिकूल प्रभाव न डाला जाय। यह करेंगे कि नहीं करगे ? नहीं करेंगे तो स्थिति यथावत् रहती है। जिसके कारण स्थिति यह बनी कि वे जमानत पर छूट गये। यह आपका दोष था या नहीं, मैं मानता नहीं; आप पर कोई न कोई दबाव था और आप निश्चित रूप से दबाव में आये और दबाव में आने के बाद आपने अपने पहले स्टेटमेंट को बदला और बदलने के बाद इनको छोड़ दिया गया। इसमें निश्चित रूप से माननीय मुख्य मन्त्री जी की भूमिका रही है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि इस स्थिति को सुधारने के लिए और गवाह सही बयान दे सकें इसके लिए क्या आप पुनः गिरफ्तारी की प्रक्रिया अपनाने की कोई कार्यवाही करेंगे ?

श्री अध्यक्ष : श्री सम्पतसिंह ।

श्री सम्पतसिंह (नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, 127 के तहत जो नोटिस दिये थे उसमें यह चाहा था कि 24 फरवरी को हरिन्द्र कुमार, जो छात्र था, के साथ चार और आदमी जिनको गोली लगी थी और दिन भर वे पड़े रहे थे डीग के डाक बंगले के अहाते में. उनको जिन्दा जलाया गया केला देवी के जंगल में हिन्दू रीति-नीति के खिलाफ....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप विषयान्तर हो रहे हैं। मैंने व्यवस्था दे दी है।

श्री सम्पत सिंह : मेरा नोटिस ही यही था...

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठ जायें, माननीय सदस्य...

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। यह चर्चा इस विषय पर नहीं है।

(114)

(व्यवधान)

श्री सम्पत सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, वे आदमी....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, कृपया बैठें, माननीय सदस्य...

(व्यवधान)

श्री सम्पतसिंह : चार बजकर दस मिनट पर चालान पेश हुआ।

श्री अध्यक्ष : आप विषयान्तर हो रहे हैं, माननीय सदस्य। कृपया बैठ जायं।

श्री सम्पतसिंह : मैं विषयान्तर नहीं हो रहा हूं। मैं विषय पर ही अर्ज कर रहा हूं।

(व्यवधान)

चार बजकर दस मिनट पर चालान पेश हुआ।

श्री अध्यक्ष : आप विषयान्तर हो रहे हैं, माननीय सदस्य। कृपया बैठ जायं।

श्री सम्पत सिंह : मैं विषयान्तर नहीं हो रहा हूँ। मैं विषय पर ही अर्ज कर रहा हूं।

(व्यवधान)

चार बजकर दस मिनट पर जमानत ली गई राजा मानसिंह प्रकरण में, पांच बजे तक अदालत का वक्त था। क्या यह पूरी साजिश नहीं है कि तय हो जाय तारीख से पहले ही उनकी जमानत हो जायं। 4 तारीख को? अध्यक्ष महोदय, ऐसे कितने मुकदमें हैं जिनमें अधूरा चालान पेश करने की मोहलत नहीं दी है। खास तौर से जो माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने फरमाया था कि पूरी कांग्रेस कातिल नहीं हो सकती है, हमने भी इस बात को स्वीकार किया है, सब लोग मानते हैं......

Law Governs the poor and rich governs the law.

यह हो रहा है। राजस्थान की जनता कैसे यकीन करे कि अब मर्डर की ट्राइल होगी? मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि जनता को यकीन नहीं हो रहा है......

"Now it will be trial of murder or murder of a trial."

माननीय मुख्य मंत्री महोदय, इस बात की ताकीद करें, सबको भरोसे में लें। आम गरीब जनता को यह विश्वास दिलायें कि न्याय होगा। कातिल, जो जुल्मी है, के साथ कातिल जैसा सलूक होना चाहिये। बड़े लोगों के लिये भी कानून है, आज यह व्यवस्था नहीं रही तो माननीय मुख्य मंत्री जी बिराजे हैं, दूसरे माननीय सदस्य बिराजे है वे कोई नहीं बिराजेंगे और फिर वही राजा-महाराजाओं का जमाना, अध्यक्ष महोदय, आ जायगा।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार को यह कहना चाहता हूं कि इसको जो जांच हुई सी. बी. आई. द्वारा, उसके

(श्री देवीसिंह भाटी)

अन्दर स्पष्ट तौर से मौके के सिपाहियों ने यह बयान दिये......

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य । माननीय सदस्य ।

(व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : कि जिस वक्त राजा मानसिंह ने हैलीकाप्टर को टक्कर मारी उस वक्त स्पष्ट तौर से उन सिपाहियों को तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री शिवचरण माथुर ने यह निर्देश दिये कि तुमने गोली क्यों नहीं मारी । तब यह सी. बी. आई. ने चार्ज किया है, अध्यक्ष महोदय......

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ।

श्री देवीसिंह भाटी : राज्य सरकार इसकी अनुमति देती है तो इन तथ्यों पर उनको जाना होता है......

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज । माननीय सदस्य, मेरिट पर नहीं जायेंगे ।

श्री देवीसिंह भाटी : हम चाहते हैं जो भी यह जांच हुई है, जो सी. बी. आई. ने जांच रिपोर्ट पेश की है और जो तथ्य आये हैं उन पर पुनः जांच की जाय । पहले बयान थे तत्कालीन मुख्य मंत्री ने हमें निर्देश दिये कि आपने गोली क्यों नहीं मारी । तो उनको इसमें एनटेन्गल क्यों नहीं किया गया ? यह साजिश है, माननीय अध्यक्ष महोदय ।

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें ।

श्री मोहन प्रकाश : जब बिल्कुल वह सोचेंगे कि शामिल होता है, अध्यक्ष महोदय.......

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बैठें । आप मेरिट पर जा रहे हैं ।

श्री मोहन प्रकाश : अध्यक्ष महोदय, मेरिट पर क्यों नहीं जायेंगे । अध्यक्ष महोदय, जब हम राज्य सरकार की जानकारी में यह बात लाना चाहते हैं तो जो उन्होंने पेश किया है उसकी जब उन्होंने सारी जांच की है, सारी चर्चा की है और उसके अन्दर स्पष्ट है कि सिपाहियों के बयान है कि आपने उस वक्त गोली क्यों नहीं मारी......

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बैठें ।

श्री मोहन प्रकाश : और यह सारे तथ्यों को छिपाकर जो विशेष बिन्दु थे उन्हें जान-बूझकर इस राज्य सरकार ने छिपाया । इसलिए हम चाहते हैं कि इसके ऊपर पूरी चर्चा होनी चाहिए । यह नहीं है कि राज्य सरकार ने जो बात कह दी वह मान ली जाय......

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री मोहन प्रकाश : उसको मानने के लिए हम लोग कतई तैयार नहीं हैं । अध्यक्ष महोदय, हम चाहेंगे सदन के अन्दर इसकी

(श्री मोहन प्रकाश)

चर्चा होनी चाहिए और इसकी पूरी जांच होनी चाहिए तथ्यों के साथ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री मोहन प्रकाश : अध्यक्ष महोदय, मैं खाली एक सूचना दूंगा। मुख्य मंत्री का एक अंगरक्षक था सुभाष चन्द्र शर्मा वह खुद मरा, उसकी पत्नी मरी, उसके दो बच्चे मरे, वह इसी से सम्बन्धित है। जब यह कहा गया था कि अकेले......

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री मोहन प्रकाश : उसके ऊपर भी माननीय मुख्य मंत्री जी उत्तर देंगे।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय मुख्य मंत्री जी।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने निवेदन किया था सी. बी. आई. के अधिकारियों और राज्य सरकार के अधिकारियों के बीच में एक्रास दी टेबल चर्चा हो करके और जो कन्क्लूजन राज्य सरकार निकाल सकी, उसको मैंने इस सदन के समक्ष रख दिया है और उसके अनुसार जो सहमति देनी थी वह राज्य सरकार दे चुकी है। माननीय सदस्य कहते हैं यहां पर चर्चा चाहिये। खुली अदालत में चर्चा होगी। अब खुली अदालत में किसने क्या बयान दिये हैं और फिर बयान देंगे उसके ऊपर चर्चा होगी। इसलिए क्योंकि अब यह केस चालान होगा, मुझे इसमें अधिक ऐड नहीं करना है क्योंकि सबजुडिस होगा। मुझे यही निवेदन करना है कि राज्य सरकार की मन्शा किसी को शील्ड करने की नहीं थी, किसी को बचाने की नहीं थी, न किसी के साथ में पक्षपात करने की है। मेरी बात इससे समाप्त हो जाती है।

श्री गोपत सिंह (हनुमानगढ़) : जमानत कराने की थी।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। चर्चा समाप्त हुई।

श्री यदुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने 127 में स्पष्ट कहा है कि गवाहों को डराया, धमकाया जा रहा है। लोगों को डराया, धमकाया जा रहा है। मैं चाहूंगा कि राज्य सरकार इस बारे में क्या व्यवस्था कर रही है और......

श्री अध्यक्ष : राज्य सरकार ने सुन लिया आपकी बात को।

श्री यदुनाथ सिंह : नहीं सुनी।

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य।

श्री यदुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, वहां लोगों को डराया-धमकाया जा रहा है। यह चर्चा क्या हुई? अध्यक्ष महोदय, चर्चा हुई क्या जो समाप्त हो गयी?

श्री देवीसिंह भाटी : राज्य सरकार यह कहती है कि......

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, समाप्त करें। कृपया बैठें।

श्री देवीसिंह भाटी : कि सबजुडिस है। सबजुडिस से कोई अड़चन नहीं आती।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

श्री देवीसिंह भाटी : क्या यह माना जाय कि......

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो।

श्री यदुनाथ सिंह : X X X

श्री देवीसिंह भाटी : X X X

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। कृपया बैठें, माननीय सदस्य। मुख्य मंत्री महोदय ने सुन लिया इस बात को कृपया बैठें। सुन लिया इस बात को, इसका मतलब समझ लिया। आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य, कृपया बैठें। माननीय देवी सिंहजी, कृपया बैठें। आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य, कृपया बैठें। चर्चा समाप्त हुई। माननीय सदस्य, मैंने चर्चा समाप्त कर दी, कृपया बैठें। सदन की मेज पर रखें। जाने वाले पत्र। राजस्व मंत्री, उपनिवेशन विभाग की अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखेंगी। श्रीमती कमला। आर्डर प्लीज, कृपया बैठें।

(व्यवधान)

अंकित न हो। अंकित न हो। माननीय सदस्य, कृपया बैठें।

श्री यदुनाथ सिंह : X X X

श्री सम्पत सिंह : X X X

श्री अध्यक्ष : मुख्य मंत्री जी समझ गये आपकी बात को। कृपया बैठें, माननीय सदस्य। चर्चा समाप्त हुई। माननीय सदस्य बैठें। श्री सम्पत सिंह, बैठें। कृपया बैठें। श्रीमती कमला। आर्डर प्लीज।

श्रीमती कमला (राजस्व मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय......

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं......

श्री अध्यक्ष : पाइन्ट आफ आर्डर उठाया है आपने। कृपया बैठें। आर्डर प्लीज।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : एक आशंका पैदा की है।

श्री अध्यक्ष : किसने शंका पैदा की है? आर्डर, कृपया बैठें, माननीय सदस्य।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : उसको तोड़ने की प्रक्रिया चलेगी। इसमें व्यवस्था तो दे दें। इसका तो एश्योरेन्स दीजिए कि क्या बनेगा?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज। श्रीमती कमला।

XXX माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री यदुनाथ सिंह : सरे ग्राम हत्या कर दी जाय......

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बैठें। ग्रार्डर प्लीज।

श्री शोपत सिंह : वह जमानत करायी ही इसलिए गयी है कि लोगों को ठीक करें।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बैठें।

श्री यदुनाथ सिंह : यह यहां बैठें काहे के लिए है, मुख्य मंत्री जी कुछ कहें तो सही।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : ग्राज सारे प्रदेश की जनता यह सुनेगी कि जमानत हो गयी है वह लोग बाहर ग्रा गये, गवाहों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं तो इसमें मुख्य मंत्री जी उत्तर नहीं दे सकते ?

श्री अध्यक्ष : ग्रार्डर प्लीज।

श्री हरिदेव जोशी : यह ग्रब सी. बी. ग्राई. के लिए है कि यह समझते हैं, ग्रगर महसूस करते हैं कोई डराता है, धमकाता है तो वह उसकी काग्नीजेन्स लें।

श्री यदुनाथ सिंह : छोड़ते ग्राप हैं, काग्नीजेन्स सी. बी. ग्राई. ले।

श्री अध्यक्ष : ग्रार्डर प्लीज, माननीय सदस्य। श्रीमती कमला।

श्री सम्पत सिंह : माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, हमें यह एश्योरेन्स मिलना चाहिए, ग्रध्यक्ष महोदय......

श्री अध्यक्ष : श्री सम्पत सिंह, कृपया बैठें। मैं ग्रापको नाम से पुकार रहा हूं। कृपया बैठें। माननीय सदस्य, ग्राप मुझे नाम से पुकारने के लिए मजबूर कर रहे हैं। कृपया बैठें। ग्राप क्या कहना चाहते थे ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : ग्रध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रौर गम्भीर मसले की ग्रोर ग्रापका ध्यान ग्राकर्षित करना चाहता हूं। रूल 157 के ग्रन्तर्गत एक विशेपाधिकार हनन प्रस्ताव की सूचना दी है......

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, वह मेरे पास ग्राया है वह देखना तो पड़ेगा। ग्राज दिया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता, प्रतिपक्ष) : बीच ग्राफ प्रिविलेज का मोशन ऐसा है कि इसको पोस्टपोन नहीं किया जा सकता।

श्री अध्यक्ष : पोस्टपोन नहीं कर रहा हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पोस्टपोनमेंट ही है।

श्री अध्यक्ष : पोस्टपोनमेंट नहीं है। No postponement। मैं उसे देखकर व्यवस्था दूंगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उसमें रूल्स के हिसाब से क्वेश्चन एडमिसेबल है या नहीं Condition of admisibility of the question of Privilege :—the question shall be restricted to specific matter of the recent occurance.

श्री अध्यक्ष : मैंने उसको ना तो नहीं किया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ना नहीं किया।

श्री अध्यक्ष : लेकिन मेरे पास आज ही आया है और मैं सदन में जब आया हूं तब आया है तो मुझे उसे पढ़ने तो दीजिए। मैं यह थोड़े ही कह रहा हूं कि रूल आउट कर दिया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं इतनी सी बात कह रहा हूं कि यह हाउस की प्रोसीडिंग्स से सम्बन्धित मामला है इसको जितना पोस्टपोन करेंगे......

श्री अध्यक्ष : मैं इसको पोस्टपोन नहीं कर रहा हूं। जो कुछ करना है लिखकर देना है, जो डिसीजन देना है उसको मैं पढ़ तो लूं। उसको एक बार Let me understand it. आपका जो विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव आ गया है मेरे पास हाउस में, उसको मैं देख रहा हूं। वह ऐसे समय पर आया है जब मैं हाउस में था। तो आप उसको पढ़ तो लेने दीजिए, देखने तो दीजिए। आज ही दे दूंगा व्यवस्था।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : मेरा भी एक व्यवस्था का प्रश्न है, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है ?

श्री भंवरलाल शर्मा : आप सुनेंगे तब बताऊंगा।

श्री अध्यक्ष : आप व्यवस्था के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहेंगे जो रेलेवेन्ट बात होगी तो अलाउ करूंगा।

श्री भंवरलाल शर्मा : आज प्रातःकाल प्रश्न काल में जब माननीय मंत्री महोदय उत्तर दे रहे थे और माननीय सदस्य प्रश्न कर रहे थे......

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बैठें। रूल आउट।

श्री भंवरलाल शर्मा : जब माननीय मंत्री महोदय इस प्रकार से......

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : उस वक्त आपने भी पाइंट आउट नहीं किया। कृपया बैठें, माननीय सदस्य। आर्डर प्लीज, कृपया बैठें।

सदन की मेज पर रखे गये पत्र

अधिसूचनाएं

श्रीमती कमला (राजस्व मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्व

(श्रीमती कमला)

(उपनिवेशन) विभाग की निम्नांकित अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखती हूं :

(1) अधिसूचना संख्या प. 4(16)राज। उप।84 पार्ट–I दिनांक 8 मई, 1885।

(2) अधिसूचना संख्या एफ 1(13) राज।उप।73 पार्ट III दिनांक 13 जून, 1985।

श्री अध्यक्ष : आधे घण्टे की चर्चा। प्रोफेसर केदार। आप इस चर्चा को उठायेंगे। मंत्री जी का जवाब होगा। उसके बाद जिन-जिन माननीय सदस्यों के इसके सपोर्ट में और स्थगन प्रस्ताव के रूप में मेरे पास नाम आये हैं वे माननीय सदस्य मंत्री जी से क्लेरिफिकेशन चाहेंगे तो मैं उनको इजाजत दूंगा।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : उनको भी बोलने दें जिनके स्थगन प्रस्ताव स्थगित हुए हैं। उनको भी बोलने की अनुमति प्रदान करेंगे ?

आधे घंटे की चर्चा

सरसों की समर्थन मूल्य पर खरीद

(ता. प्र. सं. 62/551 मु. म.,

2/मु. म., 461/मु. म.,

दिनांक 4 जुलाई, 1985)

विषयक

श्री केदारनाथ शर्मा (गंगानगर) : प्रश्न संख्या 62 के उत्तर में माननीय मन्त्री जी ने जो जवाब दिया है वह बड़ा अस्पष्ट था। हमें माननीय मन्त्री जी कन्विन्स नहीं कर पाये। अपने जवाब में यह हमें जानकारी दे नहीं पाये कि राजस्थान की सारी मण्डियों में सरसों का कुल अराइवल कितना हुआ। हमें यह भी नहीं बता पाये कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने पहले एस्टीमेट कितना पेश किया सरकार के सामने ताकि उसकी खरीद के लिए इन्तजाम कर सके सरकार समय के अन्दर। मान्यवर, वे हमें यह भी नहीं बता पाये कि 26 मार्च को सपोर्ट प्राइस सरकार ने घोषित की और नेफेड, जो सैन्ट्रल गर्वमेंट की एजेन्सी है जिसने खरीद की, 40 दिन के बाद आपरेशन में क्यों आई। इससे पहले क्यों नहीं तैयारी कर पाई और इस दौरान में, चालीस दिन के दौरान में, मान्यवर, जो स्माल फार्मर था, जो मार्जिनल फार्मर था, जिसकी कैपेसिटी होल्डिंग की नहीं है वह अपनी सारी की सारी जो फसल है, बाजार में ले आया और 340) रुपये प्रति क्विण्टल में बेच गया। यह नुकसान हुआ है आम काश्तकार को, जो बल्क है पजेन्ट्री का उसकी रेस्पोंसिबिलिटी किस पर फिक्सअप करें ? राज्य सरकार पर। मान्यवर, वे यह भी नहीं बता पाये कि चालीस दिन के बाद नेफेड का राजफेड जो मुख्य एजेन्ट है और मार्केटिंग सोसायटी उनकी सब एजेन्ट है, उसकी मार्फत जब मार्केट में आये तो न तो उसके पास बारदाना था, न पर्याप्त राशि थी, न उसके पास स्टोरेज की, स्टाक करने की स्पेस थी। यह तीनों कमियों के कारण, मान्यवर, काश्तकार को दस बारह दिन तक वेट करना पड़ा अपनी सरसों को

(श्री केदारनाथ शर्मा)

बेचने के लिए और 10-15 दिन के बाद पेमेंट मिला।

(म. प. समय 2,32)

(श्री गिरिराजप्रसाद तिवाड़ी, उपाध्यक्ष, पदासीन)

मान्यवर, जो कीमत तय की गई 385 रुपया वह केवल पांच पर्सेन्ट लोगों को मिल पाई। बाकी सैकिण्ड ग्रेड की कीमत थी 375 रुपया वह ज्यादा लोगों को मिल पाई। इसका नैट रिजल्ट निकला, असर पहुंचा इस सारे आपके व्यवहार से, नेफेड के व्यवहार से, मिलकर मिसडीड की वहां पर कुछ व्यापारियों के साथ में। काश्तकार जब तंग हो जाता है. दस बारह दिन में मेरी बारी आयेगी तो वह तंग होकर अण्डर कम्पलशन अपनी फसल को आकर किसी व्यापारी के हाथ में बेच देता है। वह दस दिन तक वेट नहीं कर सकता है, मान्यवर। इसलिए सारी लूट की जिम्मेदारी राज्य सरकार पर है।

मान्यवर, सपोर्ट प्राइस के बारे में कहना नहीं चाहता, इस तरीके से फार्मूला उन्होंने अपनाया सेन्ट्रल गवर्नमेंट के साथ, स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिल कर कि वह बेसिकली फार्मूला बड़ा गलत है, फाल्टी है। उसके अन्दर आपने कास्ट आफ प्रोड्क्शन सही तरीके से नहीं अन्दाजा, डिटरमिन नहीं किया। उसमें मान्यवर, न तो एलीमेंट है लेबर की कास्ट का उसको शामिल करते हो, न, मान्यवर, जो एलीमेंट आफ वेदर है उसको शामिल करते हो, न अनफोरसीन नुकसान से इसमें खर्चा होगा उसको शामिल करते हो और आप दे रहे हो सपोर्ट प्राइज, वह कितनी गलत है। मान्यवर, इसी सपोर्ट प्राईज पर लुधियाना में 435) रुपया कीमत तय की। मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता क्योंकि स्कोप नहीं है उसका यहां पर। मैं इसलिए बता रहा हूं कि इस प्रश्न के साथ जुड़ा हुआ है कि कीमत कैसे फिक्स करते हो और सपोर्ट प्राईज के लिए नाफेड, जो आपकी एजेंसी है, तैयारी नहीं कर पाती। उसकी मिलीभगत है उस व्यापारी के साथ। उसको मौका मिल जाता है। ऐसे हालात पैदा कर दिये जिससे मौका मिल गया कि स्माल फार्मर, मार्जिनल फार्मर अपनी सारी फसल को बेच जाता है सस्ते भाव में और पांच दिन के बाद वही कुछ लोग उसको खरीद कर मार्केट में आकर 385) रुपये के भाव ले लेते हैं। खुले आम जो लूट आपने पैदा की है यह चर्चा का विषय मैंने आपकी मार्फत उठाया है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मन्त्रीजी।

(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : नियम तो पढ़िये। पहले तो समर्थन करेंगे बाद में मन्त्रीजी जवाब देंगे।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा). : उपाध्यक्ष महोदय, जिनके स्थगन प्रस्ताव हैं...

श्रीमती कमला (कृषि मन्त्री) : बाकी रह जाए तो पूछ लीजियेगा।

(व्यवधान)

श्री हीरालाल आर्य : जो स्थगन प्रस्ताव रिजेक्ट हुए हैं, अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी थी कि जिस दिन आधे घण्टे की चर्चा होगी...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, नियमों को देखिये । मैं नियमों से कंडक्ट कर रहा हूँ ।

श्री हीरालाल आर्य : व्यवस्था की हुई है अध्यक्ष महोदय की ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, व्यवस्था क्या नियम आप पहले पढ़िये फिर कीजिये । पहले उन्होंने प्रश्न उठाया है ।

श्री हीरालाल आर्य : नियमों के अन्तर्गत ही माननीय अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था की है ।

श्री उपाध्यक्ष : आपका बाद में प्रश्न करने का अधिकार है ।

श्री हीरालाल आर्य : बाद में प्रश्न का नहीं है, हमारा तो स्थगन प्रस्ताव था ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं कह रहा हूँ कि स्टेटमेंट के बाद में प्रश्न उठेगा ।

श्रीमती कमला : जो जानकारी मेरे पास है वह आपको दे दूं फिर भी कुछ पूछना हो तो बाद में पूछ लेना ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यगण ने जो चर्चा के दौरान में कुछ मुद्दे उठाये और कुछ जानकारी करने की आपने मंशा जाहिर की उसके सन्दर्भ में इस मुद्दे पर जो मुख्य बिन्दु हैं उसके बारे में मैं सदन की जानकारी के लिए निवेदन करना चाहती हूं ।

भारत सरकार ने 19–2–85 को गत वर्ष के मुकाबले 25) रु. क्विन्टल अधिक से सरसों की ग्रेड प्रथम के 385/- रु. और ग्रेड दो के 385) रुपये समर्थन मूल्य घोषित किये । इन मूल्यों की घोषणा का उद्देश्य यह था कि ऐसी कार्यवाही की जावें कि निर्धारित मापदण्ड के सरसों के मूल्य इन समर्थित मूल्यों के नीचे न जा पायें ताकि काश्तकारों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सके और जहां तक हो हानि बचाई जा सके ।

भारत सरकार ने उक्त समर्थित मूल्य घोषित कर राष्ट्रीय स्तर पर सरसों की खरीद का कार्य भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ, नेफेड को सौंपा । नाफेड ने राजस्थान में सरसों की खरीद का कार्य करने हेतु राजस्थान राज्य क्रय-विक्रय सहकारी संघ को एजेन्ट नियुक्त किया । राजस्थान राज्य क्रय-विक्रय सहकारी संघ ने उक्त कार्य को करने के लिए सर्व प्रथम जयपुर, अजमेर, सीकर, भरतपुर, अलवर, सवाईमाधोपुर, बूंदी, टोंक, पाली, जालोर, नागौर, चित्तौड़गढ़ और गंगानगर जिलों की 58 क्रय विक्रय सहकारी समितियों के द्वारा यह कार्य करवाने का कार्यक्रम तैयार किया । इस हेतु 22-2-85 को इन सहकारी समितियों के प्रतिनिधियों की एक बैठक बुलाई गई और 12–3–85 को इसके बाद में इन बैठकों के अन्दर इन समितियों को सरसों खरीदने के लिए जो बेसिक गाइड लाइन थी वह दी गई और किस प्रकार से पर्चेजेज की जानी है उसके भी उनको निर्देश दिये ।

(श्रीमती कमला)

इसके सन्दर्भ में खाद्य विभाग द्वारा राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम को विभिन्न क्रय स्थानों पर भण्डारण की व्यवस्था किये जाने के लिए निवेदन किया गया। फलस्वरूप राजस्थान भण्डार व्यवस्था निगम ने दिनांक 12–3–85 को राज्य के समस्त भण्डार प्रबन्धकों को सरसों के भण्डारण हेतु गोदाम उपलब्ध कराने के निर्देश दिये। राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ ने 15-3-85 को निर्धारित मापदण्ड की सरसों की खरीद समर्थित मूल्य पर करने के लिए 58 क्रय विक्रय सहकारी समितियों को एक वर्कशाप के आयोजन के अन्दर आमन्त्रित किया और उनको बेसिक फार्म्स या क्राइटेरिया निर्धारित किया गया था या जिस तरह से पेमेंट किया जाना था उन तमाम चीजों का प्रशिक्षण दिया गया था। जिस समय सरसों की खरीद का निर्णय लिया गया उस समय सरसों के भाव प्रायः सभी जिलों में 385 रुपये प्रति क्विण्टल से अधिक थे। सर्वप्रथम मार्च के अन्तिम सप्ताह में सरसों के भाव पश्चिम जिलों जैसे नागौर, पाली, गंगानगर में गिरने प्रारम्भ हुए। राज्य सरकार ने दिनांक 27-3-85 को दस हजार मीट्रिक टन सरसों खरीदने की राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ को अनुमति दी। यह उल्लेखनीय है कि इस लक्ष्य में वृद्धि किये जाने के निर्णय के लिए राजस्थान राज्य क्रय विक्रय संघ ने राज्य सरकार को पहले ही निवेदन किया था और उस वक्त तक 15 हजार मीट्रिक टन सरसों खरीदी जा चुकी थी। इसके बाद में क्रय विक्रय संघ ने राज्य सरकार को इसको बढ़ाने का निवेदन किया उस समय 25 हजार मीट्रिक टन बाजार में खरीद कर चुके थे। यह खरीद प्राथमिक अवस्था में कम चली क्योंकि भारत सरकार ने जो निर्देश दिये थे उसमें उन्होंने कहा था कि खरीद के अन्दर जो घाटा होगा उसका 50 पर्सेन्ट भारत सरकार वहन करेगी और 50 पर्सेन्ट राज्य सरकार को वहन करना पड़ेगा। इस निर्देश और फार्मूले के तहत, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहुत से राज्यों ने खरीद करने की हां भी नहीं भरी और की तो बहुत कम की। राजस्थान ने फिर भी किसानों के हित रक्षण को दृष्टिगत रखते हुए इसमें हां की लेकिन उसके बाद.......

श्री शोपतसिंह (हनुमानगढ़) : बड़ी मेहरबानी की।

श्रीमती कमला : मेहरबानी क्या कार्यवाही की। मेहरबानी तो कितनी आप कर जाओ यह देखने की बात है।

सरसों के भावों में गिरावट रोकने के लिए राज्य सरकार ने दिनांक 6-4-85 द्वारा 'ख' व 'ग' श्रेणी के नगरों की मण्डियों के थोक व्यापारियों की स्टाक सीमा 'अ' श्रेणी के नगरों की मण्डियों के थोक व्यापारियों के समकक्ष 1500 क्विन्टल बढ़ा दी जिससे काश्तकारों की सरसों की ज्यादा खरीद हो और उनके भावों में तेजी आ सके। उल्लेखनीय है कि राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ की तरफ से जितनी भी क्रय विक्रय सहकारी समितियां 155 राज्य में क्रियाशील है उन सबको सरसों को

(श्रीमती कमला)

खरीदने के लिए निर्देश प्रदान किये और जो कुछ भी व्यवस्था उपलब्ध थी उन सब को उनसे अवगत कराया और उनकी कितनी अपनी मांग है और कौन-कौन कहां कहां खरीद सकेंगे इस बारे में भी सूचना आमन्त्रित की। इसके बाद दिनांक 28-3-85 से 4-7-85 तक राज्य के 20 जिलों में 81 केन्द्रों पर सरसों की खरीद की व्यवस्था की जाती रही। उस व्यवस्था के अन्तर्गत काश्तकारों ने अपनी सरसों समर्थित मूल्यों पर दी।

खाद्य विभाग ने रेल्वे द्वारा सरसों की बुकिंग पर लगी हुई रोक को हटवाने के लिए माननीय मुख्य मन्त्री जी को निवेदन किया और माननीय मुख्य मन्त्री जी के निवेदन पर रेल मन्त्री ने पश्चिम एवं उत्तरी रेलवे से 961 एम. जी. वैगन, उत्तरी पूर्वी रेलवे, उत्तरी पूर्वी सीमान्त रेलवे के गन्तव्य स्थानों को आदेश प्रदान कर दिये जिससे कि सरसों के बाहर जाने के लिए इजाजत मिल सके। जब राज्य के विभिन्न नगरों की मण्डियों के थोक व्यापारियों की 1500 क्विन्टल की स्टाक सीमा अपर्याप्त साबित हुई तो दिनांक 14-6-85 को भारत सरकार से इजाजत लेकर स्टाक सीमा 3000 मीट्रिक टन कर दी गई, इससे काश्तकारों को और थोड़ी राहत प्रदान हुई। राज्य सरकार के प्रयत्नों से भारत सरकार ने वनस्पति निर्माताओं को सरसों का सोलवेन्ट तेल दस प्रतिशत तक प्रयोग करने की अनुमति दी जिसके फलस्वरूप इन नगरों में सरसों की खपत हुई। दिनांक 12-7-85 तक सम्पूर्ण भारत में 75,320 मीट्रिक टन सरसों की समर्थित मूल्य पर खरीद की गई जिसमें से 65,289 मीट्रिक टन सरसों अकेले राजस्थान में खरीदी गई जो पूरे देश का 87 प्रतिशत बनता है। अब तक प्राप्त सूचनाओं के अनुसार राजस्थान में 65,373 मीट्रिक टन सरसों की समर्थन मूल्य पर खरीद हो चुकी है उसका मूल्य 26 करोड़ दस लाख दिया जा चुका है।

कृषकों द्वारा विक्रय की गई सरसों का भुगतान 5000 रुपये तक की राशि का धारक चैक द्वारा एवं इससे अधिक राशि का पेई चैक द्वारा किये जाने की व्यवस्था की गई थी। क्रय विक्रय सहकारी समितियों को भुगतान हेतु बैंक लिमिट दिलवाने हेतु क्रय विक्रय सहकारी संघ ने कार्यवाही की और कृषकों को समय-समय पर भुगतान किया गया। लिमिट से अधिक खरीद किये जाने की अवस्था में कृषकों को भुगतान कहीं पर समय पर नहीं मिला जिसके लिए भारत सरकार से बराबर तकाजा किया जा रहा है। समितियों द्वारा खरीद के बिल राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ में भेजे जाते हैं एवं राजफैड द्वारा नेफेड से भुगतान प्राप्त कर समितियों को ड्राफ्ट द्वारा राशि भेजी जाती है। इस प्रक्रिया में 8–10 दिन का समय लग जाता है क्योंकि नेफेड द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के सौजन्य से लिमिट प्राप्त करने के उपरान्त ही राजफैड को भुगतान भेजा जाता है। इस विलम्ब के होते हुए भी क्रय विक्रय सहकारी समितियों द्वारा सरसों इसलिए खरीदी गई कि इसके मूल्य समर्थन मूल्य के नीचे न गिरने दिये जायें। यह एक

(श्रीमती कमला)

वास्तविकता है कि राशि प्राप्त होने तक यदि हमारी सहकारी समितियों द्वारा कृषकों की सरसों न खरीदी जाती तो कृषकों को मजबूर होकर वह सरसों कम मूल्य पर बेचनी पड़ती और उन्हें आर्थिक हानि भी होती। अतः 8–10 दिन तक भुगतान कृषकों को नहीं हुआ लेकिन फिर भी उन्हें आर्थिक हानि होने से बचाया गया। कृषि उपज मण्डी एक्ट के सैक्शन 75 के अनुसार कृषि जिन्स का छनवाना आवश्यक है। कृषि उपज मण्डी द्वारा माल के छनवाने के उपरान्त ही खुली नीलामी करवाई जाती है। नेफेड द्वारा सरसों की ग्रेड प्रथम व द्वितीय के जो मापदण्ड निर्धारित किये गये हैं उनके अनुसार सरसों छनवाने के बाद ही निर्धारित मापदण्ड की परिधि में आ सकती है। अतः सरसों को छनवाकर ही समर्थित मूल्य पर खरीदा जाता है। इसके अलावा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य साहब ने पूछा कि आपने जो समर्थित मूल्य कायम किया है वह बहुत कम किया है और उसके आधार पर कास्ट आफ प्रोडक्शन जो काश्तकार को निकलनी चाहिये वह उसके अन्दर सम्मिलित नहीं है। समर्थित मूल्य को कायम करने के लिए भारत सरकार कई फैक्टर को ध्यान में रख कर यह कार्यवाही करती है। यह राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। इसलिये इसके ऊपर यह कहना कि कम है तो उसको हम ज्यादा करेंगे, यह मेरी क्षमता में नहीं है। जो मुख्य-मुख्य मुद्दे थे वह, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने सदन के सामने प्रस्तुत किये हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, एक मैं निवेदन करूंगा इस पर स्पीच नहीं देकर सिर्फ आप प्रश्न पूछेंगे। आधे घण्टे की चर्चा है। आधा घण्टे में सवाल सब दे दीजिये।

श्री शोपतसिंह : भाषण तो दे दिया मन्त्री महोदय ने।

श्री उपाध्यक्ष : सिर्फ प्रश्न हो। आधा घंटे की चर्चा है। आधा घण्टे के बाद यह क्लोज हो जायगा। प्रश्न एक-एक करके करें।

श्री शोपतसिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ इतनी बात पूछना चाहूंगा...

(व्यवधान)

नहीं नहीं, अलग अलग देंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत मन्त्री महोदय से एक सवाल पूछना चाहूंगा। बड़ी सफाई से आपने उस सवाल को छुपा लिया जो हम पूछना चाहते थे।

श्रीमती कमला : आपने पूछा ही नहीं है।

श्री शोपतसिंह : पूछा है, आपने सुना नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्रश्न कर दीजिये।

श्री शोपतसिंह : हां, मैं यह पूछ रहा हूं, आप थोड़ी तसल्ली रखिये।

(श्री शोपत सिंह)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह तो कहा कि 65 हजार टन हमने सरसों खरीदी है पर आपने यह नहीं बताया कि राजस्थान में जो पिछले साल अब तक की सबसे बढ़िया फसल, बम्पर क्राप थी उसमें से कितने पर्सेन्ट खरीदी है ? यह बताइये। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सरसों में कितनी लुटाई इस दफा सरकार ने मिल कर की है, क्योंकि आपने सारी सरसों नहीं खरीदी, आपने ग्रेडिंग किया है. ग्रेड नम्बर वन, नम्बर टू। आपने बहुत थोड़ी लेनी थी। आपने बता दिया, इसमें हमने पहले इतनी की, फिर 15 किया, फिर 20 किया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने तो क्या किया, मैं इस मामले में राजस्थान के फूड कमिश्नर की तारीफ जरूर करूंगा उन्होंने बहुत प्रयत्न किया। हम उनसे मिलते रहे, उनसे बातचीत करते रहे। हमारे कृषि मन्त्री नदारद थे, उनको तो कभी मौका नहीं मिला मिलने का हमसे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में करीब दस लाख टन सरसों...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्रश्न रखिये।

श्री शोपत सिंह : मैं बता रहा हूं कितनी सरसों हुई, कितने पर्सेन्ट खरीदी ? हालत यह हुई है, 50 भेरी आयी, 50 भेरिया किसान लाये या 1000 क्विन्टल लाये। इन्होंने कहीं 20 क्विन्टल, कहीं 50 क्विन्टल कहीं सौ क्विन्टल खरीदी और जो बाकी सरसों मार्केट में रह गई, व्यापारियों ने काश्तकारों को यह कहकर कि भाई तुम्हारा माल रिजेक्ट कर दिया, रिजेक्ट करने के नाम से...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं निवेदन करूंगा कि कुछ नियम भी होते हैं।

श्री शोपतसिंह : अजी इससे बड़ा नियम क्या है, हमको लूट लिया, किसान को खा गये।

श्री उपाध्यक्ष : नियम 49 जो है उसके हिसाब से...

श्री शोपतसिंह : लूट लूट कर खा गये और क्या नियम चाहते हैं। मैं बताना चाहता हूं, यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है।

श्री उपाध्यक्ष : आधा घण्टे की चर्चा में भाषण नहीं होता, प्रश्न होते हैं।

श्री शोपतसिंह : मैं पूछना चाहता हूं, कितनी सरसों हुई आपने कितने पर्सेन्ट खरीदी ? जो नहीं खरीदी गई, उसमें किसान की लुटाई हुई है। मैं आपकी मार्फत मंत्री महोदय को बताना चाहता हूं, व्यापारियों ने कहा कि यह रिजेक्ट माल है, सरकार ने आपके माल को रिजेक्ट कर दिया है। आपका पर्चेजिंग करने का इरादा नहीं था। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब सरकार ने सपोर्ट प्राइस तय कर दी, घोषणा कर दी सपोर्ट प्राइस की उसके बाद यह नैतिक कर्तव्य होता है कोई भी जनता की सरकार, किसानों की हमदर्द सरकार होती है उसका सारा का सारा जितना प्रोडक्शन है उसको खरीदना चाहिये। वह नहीं खरीदा। आप बता रहे हैं, आपने रुपये में

(श्री शोपतसिंह)

चवन्नी नहीं खरीदी, रुपये में दस पैसे खरीदी है।

(व्यवधान)

थोड़ा सा शान्त रहें, मैं दूसरा प्रश्न और पूछ रहा हूं। उपाध्यक्ष महोदय, जो सरकार ने खरीदी है 385 और 375 की रेट से, क्या किसानों को कृषि उपज मण्डी का टैक्स, सफाई का टैक्स, तुलाई का टैक्स लदाई का टैक्स यह सारे खर्च 10 रुपए क्विण्टल किसान को देने पड़े? अगर मार्केट में व्यापारी खरीदता तो जो नुकसान हुआ है, मेरे कहने का. मतलब है राज्य सरकार ने किसानों को इस मामले में बहुत बुरी तरह से लूटा यह सारी लूट कितनी हुई, इसका जवाब दें।

श्री उपाध्यक्ष : नत्थी सिंह।

श्री हीरालाल आर्य : उपाध्यक्ष महोदय, जिन्होंने रखा है उनको मौका नहीं दिया जा रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : नियम से। कृपया, आधा घण्टे की चर्चा है, भाषण का प्रश्न नहीं है।

श्री नत्थीसिंह (कुम्हेर) : मैं माननीय मंत्रीजी से जानना चाहता हूं, माननीय मंत्रीजी ने 2–3 बड़ी डेट दी हैं। 12.3.85 को मीटिंग बुलाई क्रय विक्रय सहकारी समितियों की, वेयर हाउस के मैनेजर्स की और उसके बाद इंस्ट्रक्शंस दिये, मई में, अप्रेल के आखिर में और जून में भाव निरंतर गिर रहे थे, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस सरसों का भरतपुर बहुत बड़ा उत्पादन का केन्द्र है, भरतपुर की मंडी में 21 जून, 85 के पहले एक भी बोरी सरसों नहीं खरीदी गई और भरतपुर की दूसरी मंडियों में केवल नदबई मण्डी में केवल 35 बोरी खरीदी गई? जितनी भी 9 क्रय विक्रय सहकारी समितियां हैं सब को निर्देश दिये उसमें से किसी एक ने भी बोरी सरसों की नहीं खरीदीं? उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में मेरे प्रश्न के जवाब में जो सूची दी गई है उसमें सात मंडियों में एक भी बोरी नहीं खरीदी गई। मैं पूछ रहा हू, क्यों? जबकि निरन्तर भाव गिर रहे थे।

एक दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं आपने कहा, मैंने भी संपर्क किया, क्रय-विक्रय सहकारी समितियों के लोगों से नेफेड के लोगों से सम्पर्क किया, राजफैड से संपर्क किया, उनका एक ही जवाब था कि भंडारण की कोई व्यवस्था नहीं है और उनको जो बारदाना है उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं हुई है, ले लेंगे। जहां तक लेने का सवाल है, उन्होंने मुझे बताया कि हम तो 50 करोड़ तक की सरसों खरीद सकते हैं लेकिन यह सारी बेसिक व्यवस्था हैं वह राज्य सरकार और क्रय विक्रय सहकारी समितियां मिल कर करें। भरतपुर जिला जो सबसे ज्यादा उत्पादन का केन्द्र है, सरसों का आपने वहां पर केवल 102 बोरियां खरीदी किसानों से। सारे के सारे किसान लुटे है, कोई भी राहत उसको नहीं मिली। यह कैसी समर्थन मूल्य की नीति है? समर्थन मूल्य की नीति तो यह होती है कि जितनी भी किसान लायें वह सारी की सारी सरसों राज खरीद की व्यवस्था करे चाहे नेफेड से कराए या स्वयं करे। इसमें आप पूरी तरह फेल रहे हैं। इस

(श्री नत्थीसिंह)

फेल्योर से किसानों का करोड़ों का घाटा हुआ है उसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार कैसे उठाने को तैयार है ?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपका इसमें कोई नाम आधा घंटे की चर्चा में नहीं है।

श्री हीरालाल आर्य : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव था।

श्री उपाध्यक्ष : स्थगन प्रस्ताव पर आप बोल लिए होंगे।

श्री हीरालाल आर्य : नहीं बोला, आप बात सुनें तो सही।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं आपको फिर अवसर दूंगा।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर) : उपाध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से आपके मार्फत जो रायड़ा और सरसों की खरीद तय की थी राज्य सरकार ने भाव गिरने की वजह से, जिला जालौर में खरीददारी में गफलत, अनियमितताएं और नहीं खरीदी उसके बारे में पूछना चाहता हूं, मंत्री महोदय इस बारे में जवाब दें। सांचौर कृषि मंडी में सर्वप्रथम काश्तकारों ने केन्द्र में बूटासिंहजी और इधर राज्य सरकार को तार दिया कि भाव बहुत गिर गये हैं। उधर बकाया की वसूली पर राज्य सरकार द्वारा बड़ा जोर दिया जा रहा था। व्यापारी कोड़ी के भाव में काली सरसों जिसको रायडा हमारे उधर बोलते हैं, ले रहा था और अलवर में पीली सरसों काले दाने की का बाजार में भाव 275 और 300 के आस पास गिर गया जबकि सरकारी भाव 385 था। हमने बहुत कोशिश की, यहां मंत्रीजी को कहा और उन्होंने आदेश भी दिये। मैं प्रश्न कर रहा हूं, बहुत जोर लगाया, कलक्टर को लिखा इसके बावजूद भी राज्य सरकार ने सांचौर कृषि मंडी के अन्दर क्यों नहीं सरसों खरीदी जबकि जिले में सबसे ज्यादा पैदा हुई थी ? माननीय उपाध्यक्षजी, पहला प्रश्न तो यह हुआ।

दूसरा प्रश्न यह था कि ए.आर. जालौर ने मार्केटिंग सोसायटी सांचौर को कहा कि आपके एरिया की सरसों नीची किस्म की है इसलिए खरीद नहीं की जा सकती। तब हमने कहा कि नीची किस्म की है तो दूसरी कैटेगरी में ले लीजिये। जैसा कि माननीय मंत्री महोदय ने कहा एक ग्रेड 'क' सरसों तो 385 में खरीदेंगे और दूसरे ग्रेड की 375 में। फिर माननीय अकाल सहायता मंत्रीजी वहां आये उन्होंने अधिकारियों को बुलाया। वहां डेपुटेशन काश्तकारों का मिला उन्होंने कहा, एक कमेटी के जरिये खरीद करके सैकण्ड ग्रेड में कर लो तब उन्होंने हाँ भरी कि हां साहब ऐसा तो कर सकते हैं। इसके बावजूद भी एक क्विन्टल भी रायडा सांचौर मंडी में खरीदा नहीं गया और हजारों बोरियां कौड़ी के भाव काश्तकारों को बेचनी पड़ी। काल-वर्ष में बहुत महंगी पैदावार थी और हजारों काश्तकार लुट गये। इस बारे में मंत्री महोदय किसने गफलत की है उस पर सख्त से सख्त कार्यवाही करें।

(श्री रघुनाथ विश्नोई)]

तीसरा प्रश्न माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह है......

श्री उपाध्यक्ष : श्री हीरालाल आर्य ।

श्री रघुनाथ विश्नोई : तीसरा प्रश्न, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह है कि लाखों रुपए का पेमेन्ट बकाया है । रानीवाड़ा, भीनमाल में खरीद तो लिया पर उसकी स्लिप लिए हुए काश्तकार घूम रहे हैं उनका पेमेन्ट आप कब कर देंगे ?

चौथी बात, इसमें क्वालिटी इंसपेक्टर्स ने ऐसी गड़बड़ करी कि सांचौर की सरसों को रिजेक्ट ही कर दी और बाकी जिलों में उन्होंने हजारों रुपये खाये, बदमाशियां की हैं । जो छोटे काश्तकार हैं उनकी तो ली नहीं और जो बड़े लोग हैं। उन्होंने पैसा लेकर क्वालिटी पास करवा दी । इस बारे में जो अनियमितता हुई इस पर माननीय मंत्री महोदय जवाब दें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हीरालाल आर्य । प्रश्न पूछें आप ।

श्री हीरालाल आर्य : मैं प्रश्न पूछूंगा । उपाध्यक्ष महोदय, कोटा जिले में इस साल सरसों की रिकार्ड फसल हुई, खास तौर से पीपल्दा तहसील में । सरकारी खरीद की उचित व्यवस्था नहीं होने की वजह से किसान लुटता रहा और मजबूरन उसको व्यापारी के यहां जाकर सस्ते भाव में देनी पड़ी । मैं प्रश्न करना चाहता हूं माननीय मंत्री महोदय इस बात का जवाब मुझे दें, क्या यह सही है कि पीपल्दा तहसील में इटावा, जहां केन्द्र बनाया गया था, में भण्डारण की उचित व्यवस्था नहीं होने और बारदाने की कमी होने की वजह से कई दिन तक कभी कभी तो हफ्ते तक सरसों की खरीद नहीं हुई और इस बीच में किसान को मण्डी में जाकर कम भाव पर सरसों बेचनी पड़ी ?

दूसरा प्रश्न ग्रेडेशन करने वाले जो थे वहां कोई क्वालिटी इंसपेक्टर तो था नहीं इसलिए बाबू को कह दिया कि आप ग्रेडेशन करिए । तो फर्स्ट और सैकण्ड पर 5-5 रुपए लेकर किसानों का ग्रेडेशन हुआ है और इस तरह से किसानों की लूट हुई है । इस बात की शिकायत किसानों ने संबंधित जिलाधीश को की कि हमारे यहां 5-5 रुपए बोरी का लेकर ग्रेडेशन किया जा रहा है और अच्छी फसल को भी कम भाव में सैकण्ड ग्रेड में कर दिया, इस इलाके में अच्छी फसल होती है । उसमें एक बाबू को सस्पैन्ड भी किया लेकिन इसके बावजूद वहां की लूट रुकी नहीं और ग्रेडेशन करने में 5–5 रुपए प्रति बोरी के हिसाब से किसानों की लुटाई हुई । शिकायत करने के बाद भी इसका इलाज नहीं हुआ ।

तीसरा मेरा प्रश्न है, उपाध्यक्ष महोदय, कि दो-दो, तीन-तीन दिन तक किसान मंडी में खड़ा रहता था, समय पर उनको पैसे का भुगतान नहीं किया गया । वहां केवल चैक काट कर दे देते मार्केटिंग सोसायटी वाले लोग, उनसे संबन्धित बैंक होता नहीं था और वह चैक लेकर किसान इधर-उधर मारे-मारे फिरते रहते थे 15-15, 20-20 दिन तक । अभी भी आज की तारीख में इटावा केन्द्र के किसानों को कम से कम

(श्री हीरालाल आर्य)

10 लाख रुपया और सुल्तानपुर केन्द्र के किसानों का 10-15 लाख रुपया बकाया है।

(3.00 म. प.)

किसान बार बार मार्केटिंग सोसायटी और बैंक के चक्कर लगा रहे हैं। उनके पेमेन्ट की व्यवस्था नहीं हो रही है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि सरसों की खरीद के बारे में उचित व्यवस्था नहीं होने की वजह से किसान लुटा है और क्या यह भी सही है कि हमारे यहां सरसों थोड़ी जल्दी आती है लेकिन खरीद देर से हुई है और पर्याप्त केन्द्र नहीं खोले गये ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य बैठें। प्रश्न हो गया है।

श्री हीरालाल आर्य : पीपल्दा, गैंता मण्डी यार्ड होते हुए भी वहां पर खरीद की व्यवस्था नहीं की गई और इटावा में केवल एक केन्द्र खोला गया जो समुचित नहीं था। किसान लुटते रहे और सरकार उसकी व्यवस्था नहीं कर सकी।

(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : मेरा भी नाम है।

श्री उपाध्यक्ष : मैं कहता हूं, नहीं है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आप पढ़ लीजिये। मैं पढ़ कर सुनाता हूं। केदारनाथ, शोपत सिंह, नत्थी सिंह, नाथू सिंह, कल्याण सिंह कालवी, महेन्द्र शास्त्री, नवरंग सिंह,देवी-सिंह भाटी, घनश्याम तिवाड़ी, हरलाल सिंह खर्रा, लक्ष्मीनारायण किसान। आप पढ़िये और मेरा लिख कर भी दिया हुआ है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आपका नहीं है, माननीय सदस्या, आपका नहीं है।

सुश्री पुष्पा जैन (पाली) : मैं तो सिर्फ इतना जानना चाहती हूं...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या, यह कोई आवश्यक नहीं है, फिर कभी करें। प्रश्न कीजिये माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : उपाध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि राजस्थान में अनुमानित आंकड़ों के अनुसार 10 लाख टन सरसों पैदा हुई और राज्य सरकार ने उसको 10 पर्सेन्ट कम भाव में खरीदी ?

नम्बर–2, क्या इस प्रश्न का जवाब देते समय माननीय रामपाल जी ने सदन को यह कहा कि 90 हजार मीट्रिक टन सरसों खरीदी गई जबकि आज उन्होंने 65 हजार बताया है ? तीसरा उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान में सरसों की खरीद में जो ग्रेडिंग का काम है उसमें इतना भेदभाव किया गया, मैं यह सदन की पटल पर दो नमूने

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

और रजिस्ट्रार का लिखा हुआ नोट पेश करता हूं बिलाड़ा का। बिलाड़ा का लिखा हुआ नोट पेश करता हूँ। एक किसान ने जो पत्र लिखा जिसकी कापी रामसिंह जी को भी भेजी है, राजेन्द्र चौधरी जी को भी भेजी है, मेरे पास भी भेजी है।

"निवेदन है कि आज तीन दिनों से बिलाड़ा नगर में आपकी सहकारी समिति द्वारा रायडा में खरीददारी बाबत प्रक्रिया हो रही है उसमें मेरा रायडा भी उक्त प्रक्रिया में आया था। मैंने तीन ट्रोली रायडा बी–श्रेणी के अन्तर्गत 375/– प्रति क्विन्टल की दर से विक्रय किया था उसके बाद चौथी ट्रोली रायडा की पहुँच पर माननीय बी–श्रेणी जांच अधिकारी द्वारा किसी भी श्रेणी में न लाकर माल की श्रेणी रद्द कर दी गई। जबकि माल उसी खसरे नम्बर व खेत की उपज है, साथ में सम्पूर्ण रायडा एक ही स्थान पर निकासी के रूप में लिया है। माननीय अधिकारी ने मुझे यह कहकर माल रद्द किया कि उक्त माल में नमी ज्यादा है।"

यही नहीं इस पर माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नोट लगा हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्रश्न कर लीजिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : यह प्रश्न है, यह प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष : इसको आप क्यों पढ़ रहे हैं?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सुनिये आप, यह बड़ा महत्वपूर्ण है।

Shri Durga Ram Choudhary submitted an application to undersigned mentioning therein a complaint regarding Rayada purchasing. Jt. R. C. S. Jaipur Zone Camp Bilara.

बिलाड़ा में जो रजिस्ट्रार आपके गये, उन्होंने उसको पेश की। ये दोनों नमूने मेरे पास हैं। एक ही खेत में एक ही साथ काटी हुई रायडा है जिनको रामसिंह जी ने भेजा है। इनको भेजा है। उसमें तीन ट्रोली भेजी, एक ट्रोली लेने से मना कर दिया। यह केवल बिलाड़ा में नहीं हुआ, सारे राजस्थान में इस प्रकार से हुआ कि ग्रेडिंग के नाम पर किसानों ने पैसा दे दिया तो माल ले लिया गया, पैसा नहीं दिया तो माल नहीं लिया गया।

नम्बर–3 राज्य सरकार ने एक महीने देरी से खरीद शुरू की इस बाबत मेरा मूल प्रश्न है कि क्या इन खरीदों के लिए राज्य सरकार को केन्द्र सरकार लिखती है? मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि अगर किसी दिन केन्द्रीय सरकार ने बाजरा, सरसों कोई भी चीज खरीदने से मना कर दिया तो राज्य सरकार के पास कौन-सा साधन है जिससे वह किसानों को लूटने से बचायेगी।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

चौथा मेरा प्रश्न है कि केन्द्रीय सरकार का जो एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन है उसका जो फार्मूला है, वह फार्मूला उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश के अन्दर पर केपिटा उत्पादन ज्यादा है और जमीन ज्यादा उपजाऊ है उनके लिए फायदेमंद है लेकिन राजस्थान जैसे राज्य, जिसमें रेगिस्तान बहुत ज्यादा है, पर केपिटा उत्पादन कम है, के लिए वह फार्मूला लाभप्रद नहीं है। इस कारण राजस्थान के किसान को हानि होती है। तो क्या मंत्री महोदया इस एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन का राजस्थान की परिस्थिति को देखते हुए अलग से फार्मूला राजस्थान के लिए बनाया जायेगा और उस हिसाब से राजस्थान की बाकी बची हुई सरसों की खरीद कब की जायेगी, किस प्रकार खरीदने की व्यवस्था करेंगे ? जिन लोगों का आज भी पेमेंट बाकी है उन लोगों के लिए पेमेंट कब कराया जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नवरंग सिंह।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : ये दोनों नमूने आपके यहां पेश कर दूं। दोनों नमूने हैं। जिनमें ग्रेडिंग की हुई है। दोनों नमूने एक ही खेत के हैं। एक पास है और एक फेल है। ये दोनों नमूने रायडा के हैं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न हो गया। श्री नवरंग सिंह।

श्री नवरंग सिंह (नवलगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं 2-3 सवाल माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा। मेरा पहला सवाल तो यह है कि जो हमको मूल सूची इन्होंने दी है। उसके अनुसार राजस्थान में केवल 19 जिलों में सरसों खरीदने के लिए केन्द्र खोले हैं। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि बीकानेर, भीलवाड़ा, धौलपुर, जैसलमेर चूरू, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और कोटा इन केन्द्रों पर कहीं पर आपने जो मुझे सूची दी है उसके अनुसार व्यवस्था नहीं है ? आपकी व्यवस्था नहीं है। माननीय मंत्री उपाध्याय जी ने बताया था कि यहां पर खरीदने की व्यवस्था की गयी है। यह सवाल मैं इसलिए पूछना चाहता हूं कि क्या इन इलाकों में सरसों कतई पैदा नहीं होती ? इसकी सरकार के पास कोई जानकारी नहीं थी या जान बूझ कर ऐसा किया गया है ? बीकानेर जैसे इलाके में मेरी समझ में बम्पर सरसों थी, इसी तरह की कोटा की स्थिति है, इसी तरह की चूरू की स्थिति है।

दूसरा सवाल, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह करना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से कि रामपाल जी ने किसानों से 23 करोड़ कुछ रुपये की खरीदने की बात कही थी उसमें 19.70 करोड़ रुपये का उन्होंने कहा भुगतान कर दिया और 3 करोड़ 30 लाख रुपया बकाया बताया था। आज मंत्री जी 26 करोड़ की बात कर रही है। बकाया के नाम पर इस बात को गोलमोल कर रहे हैं। कोई जवाब नहीं दिया।

श्री उपाध्यक्ष . माननीय सदस्य, प्रश्न कीजिये।

श्री नवरंग सिंह : यह प्रश्न ही है, अहं प्रश्न है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, यह पूछना चाहता हूं कि 6 करोड़ 7

(श्री नवरंग सिंह)

करोड़ रुपये के आज भी किसान बीयरर चैक लिए फिर रहे हैं कि भुगतान लेंगे और बैंक कहती है कि सोसायटी के खाते में पैसा नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, छीजत की बात या छानने की बात माननीय मन्त्री जी ने कही। मैं आप से यह निवेदन करना चाहता हूँ, यह पूछना चाहता हूं कि छीजत के नाम पर, छानने के नाम पर किसानों की सरसों सोसायटी ने या जो एजेन्सी हैं उन्होंने अपने पास रखी उसका क्या हिसाब है सरकार के पास; वह जवाब दें? साथ ही, मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि सरसों सोसायटी ने अपने गोदाम पर रखी है और किसान को वापस नहीं मिली है, बतायें, उनका क्या रिकार्ड है?

एक सवाल मैं यह पूछना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में बहुत सी शिकायतें आई हैं, क्या-क्या शिकायतें आई उनका आपने क्या क्या निपटारा किया? एक उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि रामपाल जी ने यह कहा, 28 मार्च से हमने राजस्थान में सरसों के समर्थन मूल्य पर खरीद शुरू कर दी। मैंने मुख्य मन्त्री जी को चिट्ठी लिखी और मुख्य मन्त्री जी का 30 जून को पत्र आया है उसके तहत वे यह कहते है. यह लम्बा है आखिरी सुना देता हूं।

"इस सम्बन्ध में अविलम्ब समुचित कार्यवाही किये जाने के लिए खाद्य सचिव को निर्देश दे रहा हूं।"

इसका मतलब यह है कि तीन जून तक राजस्थान में कहीं कोई व्यवस्था नहीं की गयी थी। यह कहते हैं कि 28 मार्च की बात है। बिल्कुल XXX है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, भाषण नहीं। आधे घण्टे की चर्चा है।

श्री नवरंग सिंह : मैंने भाषण नहीं किया है, मैं केवल सवाल पूछ रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : मैं निवेदन कर रहा हूँ कि नियम को पढ़ लें उस पर अमल करना चाहिए। क्या इन नियमों को डम्प कर दिया जाय?

श्रीमती सुमित्रा सिंह (पिलानी) : उसी पर अमल कर रहे हैं।

श्री नवरंग सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने नियमों का बहुत मनन किया है। लेकिन राजस्थान के किसान का शोषण हुआ है, राजस्थान में बम्पर फसल हुई उसको फसल को 270 रुपये में बेचना पड़ा या उसको सोसायटी में ले जाना पड़ा जैसा साचौर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे, मैं कहना चाहता हूं कि

XXX शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री नवरंग सिंह)

एक दिन मन्त्री के चेम्बर में बात हुई वह बात मैं पूछना चाहता हूं कि मन्त्री महोदय से, बिचौलियों, जो आपके दुकानदार हैं, ने इस व्यवस्था को भंग किया है।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

अकेले नहीं हैं, आपके अधिकारी लोग उनसे मिले हुए हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय रामसिह जी, कृपया प्रश्न कर लें।

सुश्री पुष्पा जैन : इसमें प्रस्ताव दिया है, स्थगन प्रस्ताव दिया है तीन तारीख को जानकारी के लिए गया था, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वह अलग से ले लेंगे क्या ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या, उस पर पहले से ही बहुत चर्चा हो चुकी है। अभी भी हो चुकी है। आधे घण्टे की चर्चा संक्षेप में होनी चाहिए, यह नियम है और नियम में हम पाबन्द रहें।

सुश्री पुष्पा जैन : मैं यह नहीं कह रही हूं। हम तो सिर्फ आसन से जानकारी चाहते हैं।

श्री शोपत सिंह : इनके बाद में बोलने देंगे।

श्री राम सिंह विश्नोई (लूनी) : क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने जब से सेयडा खरीदना प्रारम्भ किया है तब से करीब 70 से 100 रुपये के बीच में इसके भाव बढ़े हैं ? यदि हां, तो राज्य सरकार द्वारा समय पर रायडा नहीं खरीदने के क्या कारण हैं ? और क्या इससे काश्तकारों को करोड़ों का नुकसान नहीं हुआ ? नम्बर एक।

क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने मार्केटिंग मैनेजर जो यहां पर अपना सैम्पल लेकर आया था काफी केन्द्रों में से, उसके आधार पर 375 रुपया मार्केटिंग रेट तय कर दी थी जबकि 385 से 375 के भाव दो ग्रेड के रायडे के तय किये थे ? 375 रुपये यदि पर्टीकूलर केन्द्र पर भाव बिना कोई वजह तय किये हैं तो इन अधिकारियों के खिलाफ आप क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं ?

नम्बर तीन, क्या यह सही है कि क्वालिटी कन्ट्रोल इन्सपेक्टर था उसके जिम्मे ही यह सारा रायडा खरीदने और रिजेक्ट करने और ए. बी. ग्रेड तय करने का था। जो पूर्व में माननीय सदस्यों ने यहां मांग की थी कि गैर सरकारी सदस्य वहां पर म्यूनिसिपेलिटी का चेयरमैन है, प्रधान है, विधायक है, जिसको भी आप उचित समझें दो तीन आदमियों को, उनके साथ तहसीलदार को या विकास अधिकारी को किसी को लगा देते तो जो अनियमिततायें हुई हैं, किसी किसान का अच्छा रायडा था उसके बाद भी पैसे नहीं देने से या उसके समझ में नहीं आने से रिजेक्ट किया, यह समस्या नहीं आ सकती थी। तो क्या अब भविष्य में जब कभी इस तरह की अव्यवस्था हो, आप गैर सरकारी माननीय सदस्यों, जो वहां होने चाहिए, को इसके अन्दर सदस्य रखना स्वीकार करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष : मन्त्री महोदय।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक सवाल...

श्री केदारनाथ शर्मा : गंगानगर में पांच लाख बोरी सरसों आई। अपने जो कृषि उपज मन्डी हैं...

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, एक ही प्रश्न ।

श्री उपाध्यक्ष : एक एक करते जायें।

सुश्री पुष्पा जैन : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मैं दूसरी बात कह रही हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, क्या करें। क्लोज कर दें क्या ? क्लोज कर दें इसको ?

सुश्री पुष्पा जैन : आप क्लोज करें, मुझे इसमें एतराज नहीं है।

श्री केदारनाथ शर्मा : मैं यह निवेदन कर रहा था कि गंगानगर में पांच लाख बोरी आई और आपने खरीद की 58 हजार बोरी की। एक बोरी में फर्क 25-30 रुपये का भी मान लें तो कितने लाख का नुकसान हुआ ? यह राज है इसके पीछे।

सुश्री पुष्पा जैन : माननीय उपाध्यक्ष महोदय. मेरी अर्ज यह है...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या, आपका सरसों का नहीं है। रायड़ा का है, उसका अलग से होगा।

सुश्री पुष्पा जैन : वह इसमें नहीं लेंगे क्या ?

श्री उपाध्यक्ष : यह अलग से है रायड़ा।

सुश्री पुष्पा जैन : तो अलग से आयेगा क्या ?

श्री उपाध्यक्ष : अलग से आयेगा।

सुश्री पुष्पा जैन : ठीक है तो।

श्री उपाध्यक्ष : श्री ललित जी ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मैं मन्त्री महोदय से दो तीन सवाल करना चाहता हूं। कोटा में सरसों भयंकर हुई है। कोटा के सारे विधायकों का एक डेपुटेशन कलेक्टर से मिला था। मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि कोटा जिले में सरसों की खरीद नहीं हो रही है, ऐसा जो मेमोरण्डम जिलाधीश महोदय को दिया था वह क्या राज्य सरकार को, आपको प्राप्त हो गया ? और प्राप्त हो गया था तो जब आपके पास मेमोरण्डम दिया था उसके कितने दिनों के बाद खरीद की प्रक्रिया शुरू हुई ? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, रायड़ा के विषय में मैंने एक पत्र माननीय मुख्य सचिव महोदय को दिया था जालौर जिले के लिए, उसका उत्तर आया कि एकमात्र कारण यह था कि खरीद देरी से हुई। क्या राज्य सरकार को उस पत्र की जानकारी है और इसमें जो देरी हुई है उसके कारण बताने की कृपा करेंगे ?

एक सवाल और करना चाहता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत मन्त्री महोदय से। इन्होंने कहा कि 8-10 दिनों में पैसों का भुगतान हो जाता है।

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

क्या मन्त्री महोदय को यह जानकारी है कि सुल्तानपुर में अभी जो लोगों को चैक मिले हैं, महीना भर गुजरने के बाद भी उन चैकों का भुगतान किसानों को नहीं हुआ है ? यह तीन सवाल आपके माध्यम से करना चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : मन्त्री महोदय ।

श्री लक्ष्मीनारायण किसान (फुलेरा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक ही प्रश्न है । एक मिनट में ।

श्री उपाध्यक्ष : एक प्रश्न है तो बोल दें ।

श्री लक्ष्मीनारायण किसान : मन्त्री महोदय से मैं तो यह निवेदन करना चाहता हूँ कि जब फुलेरा क्षेत्र में कृषि विभाग के आंकड़ों के हिसाब से 1/4 हिस्से में सरसों बोई गई है और उसका उत्पादन भी उनके ही आंकड़ों के हिसाब से करीबन एक लाख क्विंटल है उसमें से 186 क्विंटल ही सरसों क्यों खरीदी गयी है ?

दूसरा मेरा निवेदन यह है कि आपके पास जब सरसों 15 फरवरी से पहले ही निकलना शुरू हो जाती है तो अप्रेल में, मई में क्यों खरीद हुई ? इतने दिन किसान को परेशान किया गया । परेशान भी किया और खरीद भी नहीं हुई । जब लाखों क्विंटल सरसों हुई है तो केवल 100 क्विंटल सरसों ही क्यों खरीदी गई ।

तीसरा मेरा प्रश्न यह है कि आपके पास जो सहकारी समितियां हैं, मार्केटिंग सोसायटीज को एजेन्ट नियुक्त किया गया तो क्या यह सही है कि उनके पास पैसा नहीं था ? यह मेरा निवेदन है ।

श्री उपाध्यक्ष : मन्त्री महोदया ।

श्री हरलाल सिंह (श्रीमाधोपुर) : क्या यह सही है कि श्रीमाधोपुर और नीम का थाना में सरसों नहीं खरीदी गयी है जिससे किसानों को सरसों 320 से लेकर 330 तक और 350 रुपये तक बेचनी पड़ रही है ? दूसरा मेरा प्रश्न यह भी है कि किसानों को अकाउन्ट पेई चैक दिया गया लेकिन उनके खाते बैंक में नहीं होने से काफी परेशानी आई, क्या भविष्य में इसका ध्यान रखेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष : धन्यवाद । माननीय मन्त्री जी ।

एक माननीय सदस्य : एक निवेदन करना चाहता हूं.........

(व्यवस्था-सूचक घन्टी)

श्री उपाध्यक्ष : बहुत आ गया है । जवाब सुनिये अब आप । न तो आपका नाम सूची में है, न आपका नाम प्रश्न में है और न काल अटेन्शन में है । कुछ नहीं है आपका ।

श्रीमती कमला : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले तो माननीय सदस्यों को फिर से निवेदन करना चाहती हूं कि मैंने अपने प्रारम्भिक नोट, जो आपके सामने प्रस्तुत किया है, में भी यह कहा कि जब

(श्रीमती कमला)

क्रय विक्रय संघ को यह जिम्मेदारी नेफेड द्वारा दी गयी तो राजस्थान में जितनी भी क्रय विक्रय सहकारी समितियां हैं उन सब क्रय विक्रय सहकारी समितियों को क्रय विक्रय सहकारी संघ ने यह निर्देश दिये कि आप अपने-अपने क्षेत्र में सरसों की खरीद का काम करेंगे। सहकारी संघ करेगा और उसकी गारन्टी देगा। जितना खर्चा होगा वह नेफेड के मार्फत भारत सरकार से आयेगा। इसलिए जिन-जिन क्रय विक्रय सहकारी समितियों ने प्रथम अवस्था में इस बात को करने के लिए अपनी स्वीकृति दी उनको उन्होंने ट्रेनिंग के लिए बुला करके काम किया। लेकिन जो प्रथम ट्रेनिंग में या वर्कशाप में नहीं आये उनको बाद में बराबर क्रय विक्रय संघ ने तकाजा किया कि आप काम करें। कई माननीय सदस्यों, कुछ क्रय विक्रय संघ की तरफ से, किसानों की तरफ से, जहां से भी आग्रह हुआ हमारे यहां पर केन्द्र खुलना चाहिए उस क्षेत्र में क्रय विक्रय सहकारी समितियों को फिर से दो-दो बार तकाजा किया गया है कि आप अपने बैंक लिमिट्स कायम करायें और पर्चेजिंग करें और कोई भी ऐसा स्थान नहीं हो कि जहां किसान सरसों देना चाहता हो और उसका लिया नहीं जाय। उसके बावजूद, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने यह निवेदन किया कि 20 जिलों के अन्दर 81 केन्द्रों के ऊपर यह खरीद की गई है और बाकी जिलों के अन्दर कई क्रय विक्रय सहकारी समिति ने यह काम नहीं किया। ऐसे जिले भी थे कि जहां पर इतनी आवश्यकता थी भी नहीं लेकिन क्रय विक्रय समितियों ने भी इस तैयारी को नहीं दिखाया है इसलिए भी वहां पर खरीद नहीं हुई। जहा तक राज्य सरकार ने पूरी सरसों नहीं खरीदी इसका सवाल है, मैं आपसे यही कहना चाहती हूं कि राज्य सरकार ने पूरे राज्य के अन्दर इस तरह के केन्द्र कायम किये हैं जो भी किसान अपनी सरसों ले करके आये उसके बेचान के अन्दर उसकी ग्रेडिंग सही नहीं की, तुलाई सही नहीं की, घपला हुआ यह तो है एक अलग मामला कि उसको जितना खरीदा जाना चाहिए था उतना नहीं खरीदा, अच्छी सरसों को भी बुरा बता दिया और बुरे को भी रिजेक्ट कर दिया तो मार्केट में उसको बेचने की स्थिति में नहीं रहे लेकिन किसी भी केन्द्र पर मना ही नहीं की गयी कि सरसों खरीदी नहीं जायेगी और अभी भी····

एक माननीय सदस्य : यह मनाही थी किसानों को। फिर खरीदने की व्यवस्था बदलिए।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्रीमती कमला : आप बैठ नहीं सकते क्या दो मिनट के लिए? हम लोग तो सारे दिन इस पर बैठे-बैठे आपको सुनते हैं, आप दो मिनट तक भी सुनते नहीं। नहीं सुनना चाहते तो आपकी मर्जी। यह क्या बात हुई?

इसलिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी भी 31 जुलाई तक जितने केन्द्र कायम किये थे वे चालू हैं, केन्द्र बन्द नहीं किये गये हैं और उन केन्द्रों पर बराबर

(श्रीमती कमला)

तुलाई करने और काश्तकारों को देने का काम जारी है।

जहां तक यह बात है कि बहुत से काश्तकारों का अभी तक भुगतान बाकी है, यह बात सही है। 5.38 करोड़ के करीब अभी भुगतान बाकी है क्योंकि नेफेड से मार्केटिंग फैडरेशन को पैसा नहीं आया है। कम से कम 10-15 बार मार्केटिंग फैडरेशन की तरफ से तकाजा किया जा चुका है, व्यक्तिगत रूप से जो उसके अध्यक्ष हैं उन को भी निवेदन किया जा चुका है कि तुरन्त इसके लिए पैसे भेजें जिससे कि काश्तकारों का जो बकाया है उसका भुगतान किया जाय।

माननीय सदस्य ने जालौर में खरीद न किये जाने के बाबत में और खास तौर से सांचौर में नहीं किये जाने के बाबत में कहा है। मैं आप से निवेदन करना चाहती हूं कि सांचौर पर क्यों खरीद नहीं हुई, सोसायटी की गलती है या खरीदने वाले की गलती है लेकिन जालौर जिले में 4464 टन सरसों खरीदा गया। एक केन्द्र के ऊपर आपका नहीं खरीदा गया इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं।

भरतपुर के बारे में माननीय सदस्य ने जो कहा है, मैं आपको यह निवेदन करना चाहती हूं कि भरतपुर में देर से केन्द्र शुरू करने का सोसायटी का कारण यह था कि काफी समय तक वहां पर भाव 385 से ऊंचे चले गये। मैं आपको बताना चाहती हूं कि 15-4-85 का जो क्वार्टर था उसमें 415 का भाव था और 8-5-85 का जो क्वार्टर था उसमें 395 था। उसके बाद एक बार बीच में 8-6-85 को 387 था और 22-6-85 को 390 था। यह भरतपुर मण्डी का भाव है जो बराबर मण्डियों के भाव आते रहते हैं।

श्री नत्थी सिंह : 9 केन्द्र हैं। 9 सोसायटीज हैं। आपके पास सूचनायें हैं, गलत हैं। क्या वहां हमेशा ही····

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठें।

श्रीमती कमला : बकाया के लिए मैंने कहा कि····

श्री उपाध्यक्ष : उसके लिये जवाब आ गया····

एक माननीय सदस्य : निश्चित समय बतायें।

श्रीमती कमला : नेफेड को उसके लिए बार-बार तकाजा किया जा रहा है···

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, उत्तर सुन लीजिए।

श्रीमती कमला : सरकार को जितनी परेशानी हो रही है उससे कहीं ज्यादा मार्केटिंग फैडरेशन को भी है।

श्री नवरंग सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, किसानों के क्षेत्र, बहुत लम्बी आपकी व्यवस्था···

(व्यवधान)

(व्यवस्था-सूचक घण्टी)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, जवाब तो सुन लें।

श्री नवरंग सिंह : यह तो मैं कहना चाहता हूं कि दूसरी सरकार है…

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, जवाब तो सुनें। माननीय सदस्य।

श्रीमती कमला : एक माननीय सदस्य ने कहा है कि…

(व्यवधान)

श्री नवरंग सिंह : कब तक चुकाया जायेगा ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्रीमती कमला : 28 मार्च से कोई खरीद नहीं हुई, प्रारम्भ नहीं हुई। यह गलत है, 28 मार्च से सबसे पहले नागौर जिले से प्रारम्भ हुई है और उसके बाद में अगर आप चाहें तो मैं सारे जिन-जिन तारीखों में कहां खरीद प्रारम्भ हुई, है 19.4 से सांगरिया में, 20.4 से केसरीसिंह पुर में, 23.4 से रावतसर में, 20.4 से सुमेरपुर में, यह सारी मण्डियों के किस तारीख से कहां खरीद शुरू हुई है…

श्री नवरंग सिंह : 3 जून की चिट्ठी में कहा गया है…

श्रीमती कमला : मुख्य मन्त्री जी की चिट्ठी को मैं कोई चैलेंज नहीं कर सकती, जो वस्तु-स्थिति है उसको टाल भी नहीं सकती।

(व्यवधान)

(व्यवस्था-सूचक घण्टी)

श्री नवरंग सिंह : या तो मुख्य मन्त्री जी की चिट्ठी गलत है या आप बोल रही है……

श्रीमती कमला : मैं बोल रही हूं उसे आप सुनते ही नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्रीमती कमला : मुख्य मन्त्री जी की चिट्ठी में वस्तु स्थिति से अगर कोई तारीख दूसरी दी है तो इसलिए तालमेल नहीं खाता कि हो सकता है उनको यह जानकारी नहीं हो जब चिट्ठी लिखी हो कि किसी जगह खरीद शुरू हो चुकी। यह 28.3 को नागौर में पर्चेजिंग शुरू हो गयी है और उसके बाद में 19.4 को कई मण्डियों के अन्दर पर्चेजिंग शुरू हुई है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने पूछा है कि बहुत से लोग ज्ञापन देकर कोटा कलक्टर को मिले थे और उस ज्ञापन में खरीद नहीं हो रही है इसके बारे शिकायत की थी, उस ज्ञापन का क्या हुआ और उसके बाद में किस प्रकार से उसकी खरीद की गयी, इसका ब्यौरा बतायें। इसका ब्यौरा मेरे पास में नहीं है क्योंकि न तो मेरे पास वह ज्ञापन है और न उसका ब्यौरा है। कलक्टर को आपने दिया होगा ज्ञापन तो कलक्टर ने अपने स्तर पर कार्यवाही की उसका ब्यौरा मैं नहीं दे सकती।

(श्रीमती कमला)

इसके अलावा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कहा कि शिक्षा मन्त्री उपाध्याय जी ने यह घोषणा की थी कि 90 हजार टन खरीदा जा चुका है। यह गलत सूचना है, आपको 90 हजार टन खरीदे जाने की कोई सूचना उपाध्याय जी ने नहीं दी, 65 हजार की सूचना दी है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्रीमती कमला : यह तो माननीय सदस्यों ने जो सवाल पूछे थे उनके मैंने जवाब दिये .....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या, बीच में व्यवस्था का प्रश्न कहां से आ सकता है ?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : व्यवस्था का प्रश्न होगा तो कैसे नहीं आयेगा ? व्यवस्था का प्रश्न तो किसी भी समय आ सकता है ?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : वे तो व्यवस्था का प्रश्न उठा रही हैं। यह व्यवस्था है कि अव्यवस्था है, समझ में नहीं आता।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : यह व्यवस्था है व्यवस्था करने के लिए ही आपको निवेदन कर रही हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय। मैं यह निवेदन कर रही थी कि माननीय मन्त्री महोदया हर बार इस बात को दोहराती हैं कि मेरे पास सूचना नहीं है, मुझे ऐसी ही सूचना दी गयी है और सरकार की तरफ से.....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या।

श्रीमती कमला : कलक्टर को ज्ञापन देंगे मुझे कैसे जानकारी होगी ?

श्री उपाध्यक्ष : उस पत्र के बारे में कहा है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मेरा प्रश्न व्यवस्था का है, मुझे पूरा सुन लीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : कोई जानकारी है तो गलत कैसे कह दें। जानकारी करनी होगी। जानकारी उनके पास उपलब्ध नहीं है तो इसमें क्या व्यवस्था है ? माननीय सदस्या, इसमें व्यवस्था का क्या प्रश्न है ?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : कैसे नहीं है ?

श्री उपाध्यक्ष : कौन से नियम के अन्तर्गत है ?

(व्यवस्था-सूचक घन्टी)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह है कि माननीय मन्त्री महोदया जब जवाब देती हैं तो वह सरकारी उत्तर है और सरकार पूरी अपनी जिम्मेदारी के साथ यह नहीं कह सकती कि मुझे ज्ञापन का ज्ञान नहीं है। इस समय ज्ञान नहीं है तो थोड़ी देर बाद जानकारी करके दें। विभाग के सब लोग यहां पर बैठे हुए हैं उनसे पूछ लें। मैं पिछले तीन चार दिनों से देख रही हूं इस बात को कि वे कई प्रश्नों के बारे में कह देती हैं कि

(श्रीमती सुमित्रा सिंह) :

मुझे इसकी जानकारी नहीं है, मुझे इल्म नहीं है। वे सरकार की ओर से उत्तर दे रही हैं, यह सदन उनसे अपेक्षा करता है......

श्रीमती कमला : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह व्यवस्था का प्रश्न ही नहीं है और आप जो अचानक कोई स्पेसिफिक सवाल पूछते हैं, माननीय सदस्य, क्या आप यह एक्सपेक्ट करते हैं कि उस स्पेसिफिक क्वेश्चन का हम आपके एडवांस नोटिस के बिना जवाब तैयार करके आ सकते हैं ? आप भी आ सकती हैं क्या ?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आपके पास नहीं है तो आप पूछ सकती हैं। यह आफिसर्स गैलरी में सब लोग बैठे हुए हैं......

श्रीमती कमला कलक्टर यहां थोड़े ही बैठता है जिससे मैं पूछकर बता सकती हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या।

(व्यवस्था–सूचक घन्टी)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप वक्तव्य किस बात का दे रही हैं ?

श्रीमती कमला : कलक्टर का वक्तव्य थोड़ी दे रही हूं, सरसों की खरीद दे रही हूं।

श्री हीरालाल आर्य : कोटा जिले में सरसों की खरीद देरी से हुई...

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजें। माननीय सदस्य, व्यवस्था का प्रश्न है।

(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : उपाध्यक्ष महोदय, छः करोड़ का सवाल है।

श्री नवरंग सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, भुगतान कब करेगी सरकार, यह सवाल है। छः करोड़ रुपये, का भुगतान कब करेगी ? छः करोड़ रुपये पर XXX बैठी है सरकार। दाब करके बैठी है इस प्रश्न को। पेमेण्ट कब करेगी सरकार ?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, डिस्कशन करने की बजाय आपस में खड़े होकर बात कर लें तो यह बेहतर रहेगा आपस में खड़े होकर बात कर ले तो यह बेहतर रहेगा बजट पर।

एक माननीय सदस्य : यह शर्म की बात है सरकार के लिए।

(व्यवधान)

श्रीमती कमला : बावजूद इसके कि बहुत सारी कमियां रह गयीं, बावजूद इसके कि किसान का भुगतान बाकी है, बावजूद इसके कि बहुत सारी परेशानी किसान को हुई है...

(व्यवधान)

मैं यह कहना चाहती हूं कि दूसरे राज्यों के मुकाबले ये 50 पर्सेन्ट घाटा उठाने को तैयार...

(व्यवधान)

XXX शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

(श्रीमती कमला)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य,कृपया विराजें ।

(व्यवधान)

श्री नवरंग सिंह - उपाध्यक्ष महोदय, किसान की परेशानी का सवाल है······

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आसन पैरो पर है। माननीय सदस्य, आसन खड़ा हुआ है, आप भी खड़े हुए हैं। माननीय सदस्य, नियम-कानून से चलिये। आसन पैरों पर है।

(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : 6 करोड़ रुपया खाकर बैठे हुए हैं, चुकारा नहीं कर रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे हैं। चार दिन से मैं देख रहा हूं। राजस्थान का सारा मन्त्रिमण्डल बैठा है······

श्री उपाध्यक्ष : मैं निवेदन करूंगा कि अंकित नहीं किया जाय। माननीय सदस्य, मुझे कहना पड़ेगा कि अंकित नहीं किया जाय। कृपया अंकित नहीं किया जाय।

श्री शोपत सिंह : XXX

श्री हीरालाल आर्य : XXX

श्री नवरंग सिंह : XXX

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैंने निवेदन कर दिया कि अंकित नहीं किया जाय। हाउस की व्यवस्था का प्रश्न है। अंकित नहीं किया जाय। अब बाद में कोई प्रश्न नहीं हुआ करता।

श्री शोपत सिंह : XXX

श्री बिहारीलाल पारीक : XXX

श्री नवरंग सिंह : XXX

श्री घनश्याम तिवाड़ी : XXX

श्री रतनलाल ताम्बी : XXX

श्री अध्यक्ष : मैंने निवेदन किया कि अंकित नहीं किया जाय।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : XXX

श्री नवरंग सिंह : XXX

श्री शोपत सिंह : XXX

श्री भंवरलाल शर्मा (सरदारशहर) : XXX

श्री हरिश कुमार औदित्य : XXX

श्रीमती सुमित्रा सिंह : XXX

श्री हरीश पालीवाल : XXX

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब आप थक गये होंगे।

XXX माननीय उपाध्यक्ष के आदेशानुशार अंकित नहीं किया गया।

श्री लक्ष्मी नारायण किसान : XXX

श्री घनश्याम तिवाड़ी : XXX

श्री नवरंग सिंह : XXX

श्री शोपत सिंह : XXX

श्री नत्थी सिंह : XXX

श्री रतनलाल ताम्बी : XXX

श्री उपाध्यक्ष : नवरंग जी। माननीय सदस्य, माननीय सदस्य। माननीय नवरंग सिंह जी। माननीय सदस्य, बहुत मौका दिया जाता है। कृपया बिराजें। आर्डर, विराजें, कृपया।

श्री मांगीलाल आर्य : XXX

श्री भंवरलाल शर्मा (सरदार शहर) : XXX

श्रीमती कमला : मैं माननीय सदस्यों से यह निवेदन करना चाहती हूं कि जितनी भी सरसों प्रदेश में हुई है उस सरसों को सरकार का खरीदने का कोई मन्तव्य नहीं होता है। समर्थन मूल्य इसलिए दिया जाता है कि जिस मूल्य पर सरसों बिकनी चाहिए, नहीं बिक रही है, उससे नीचे जाती है तो उसको सरकार एक समर्थन मूल्य देकर बहुत नीचे जाने से बचाती है। सारी सरसों इसलिए भी नहीं खरीद सकती कि जितना प्रोडक्शन हुआ है इसके लिए भारत सरकार ने भी प्रावधान नहीं किया। जब भारत सरकार ने प्रावधान नहीं किया तो राज्य सरकार 50 पर्सेण्ट का घाटा, खाकर भी खरीदने को तैयार थी। उसके बावजूद भारत सरकार ने एक सीमा से ज्यादा खरीदने का हक नहीं दिया तो हम उसको नहीं खरीद सकते।

सुनिये। देखिये, सुन लीजिए।

(व्यवधान)

दूसरा मेरा आपसे यह निवेदन है कि जितनी भी आज तक खरीद के लिए आयी है सरसों, उसमें खरीदने से गड़बड़ हुई होगी, उसमें भाव देने में गड़बड़ हुई होगी और बहुत से किसानों की रिजेक्ट हुई उससे परेशानी भी हुई होगी उसके बावजूद, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदस्यों को यह बताना चाहती हूँ कि कई दूसरे राज्यों में कहीं एक हजार टन, कहीं दो हजार टन, कहीं चार हजार टन खरीदा है उसके मुकाबले में 50 पर्सेण्ट घाटा खाकर भी.......

(व्यवधान)

श्री शोपत सिंह : हम चाहते हैं कि समर्थन मूल्य आपने तय कर दिया...

(व्यवधान)

श्रीमती कमला : सुनना नहीं चाहते। आप पहले सुनिये उसके बाद में बोलिए :

---

*XXX माननीय उपाध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(व्यवधान)

श्री शोपत सिंह : हम चाहते हैं कि राजस्थान में सरसों का जितना प्रोडक्शन हुआ ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, मैं यह चाहता हूं कि आप क्या कहलवाना चाहते हैं मन्त्रीजी से ?

(व्यवधान)

श्रीमती कमला : आप यह कह रहे हैं कि सरकार किसानों का पैसा खा गई। मैंने आपको कितनी बार कहा कि न तो पैसा कहीं से आता है, बार-बार इसके लिए तकाजा हो रहा है...

(व्यवधान)

श्री शोपत सिंह : हम मय ब्याज चाहते हैं ।

श्रीमती कमला : किसानों का एक भी पैसा सरकार नहीं खाना चाहती है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य । माननीय मन्त्रीजी, प्रश्न यह है कि पेमेन्ट जिनका नहीं हुआ है उनको पेमेंट कब तक हो जायेगा ?

श्री शोपत सिंह : व्यापारी ब्याज देता है...

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यही सवाल आपने भी पूछा है और उधर से भी यही...

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यही है।

(व्यवधान)

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, पाइन्ट आफ आर्डर...

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय,पाइन्ट आफ आर्डर।

उपाध्यक्ष महोदय, पहले आप इस बात को व्यवस्था दीजिए कि माननीय सदस्य एक-एक कर बोलें, एक साथ नहीं बोलें ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य यह तो अव्यवस्था है ।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : आप इसको ताड़ना दीजिए। यह चेअर को सहयोग नहीं दे रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं था, अव्यवस्था का प्रश्न था ।

(व्यवधान)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक ही प्रश्न है, एक ही सवाल है बार-बार नेफेड की बात चल रही है, बार बार पत्र दिये जा रहे हैं इसकी चर्चा कर रही हैं माननीय मन्त्री महोदया। इतने दिन तक, 8-10 दिन में पेमेंट करने वाली बात नहीं है, उसकी

(145)

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

जिम्मेदारी क्या राज्य सरकार की नहीं है। केन्द्रीय सरकार का बहाना बनाकर....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह प्रश्न आ गया है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : फिर खड़ी हो गई। मैं आपकी आज्ञा से सवाल कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : यह आ गया।

श्रीमती कमला : आप मुझसे जवाब चाह रहे हैं।

श्री शोपत सिंह : मय ब्याज के लेंगे। ब्याज देते हैं व्यापारी पांच दिन के बाद महीनों से सारी रकम खाये बैठी हैं।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : व्यापारी नहीं देता है ब्याज किसान को।

(व्यवधान)

श्री शोपत सिंह : मय ब्याज के लेंगे। XXX किसान की। ब्याज लेंगे आपसे।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : कोई कोई व्यापारी ब्याज नहीं देता। मैं खुद व्यापारी हूं। व्यापारी 15-15 दिन में पेमेंट करते हैं किसानों को। कौन कहता है कि व्यापारी ब्याज देता है ?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, काफी मानसिक और शारीरिक वर्जिस हो चुकी है, अब थोड़ा रेस्ट करें।

(व्यवधान)

श्री सम्पत सिंह (नगर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह वर्जिस का सवाल नहीं है, अधिकारों का सवाल है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्रीमती कमला : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझसे जवाब चाहते हैं, सुनना नहीं चाहते और खड़े हो जाते हैं, मैं क्या करूं। आने वाले 15 दिनों के अन्दर अन्दर जितनी बकाया है उस बकाया का भुगतान कर दिया जायेगा। आपका उत्तर आ गया।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त की जाती है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मन्त्रीजी, मांग संख्या 41 और मांग संख्या 49 के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

XXX अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : 15 दिन के ग्रन्दर करेंगे ना ?

श्री उपाध्यक्ष : ग्रापने भी सुना है ग्रौर मैंने भी सुना है ।

माननीय मन्त्रीजी ।

श्री नरेन्द्र सिह भाटी (पंचायत मन्त्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 41 सामुदायिक...

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : पाइन्ट ग्राफ ग्रार्डर सर ।

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदया ने जो उत्तर दिया है कि 8-10 दिन के ग्रन्दर भुगतान करने की जो व्यवस्था...

(व्यवधान)

श्री पंकज पंचोली : यह कहां पाइन्ट ग्राफ ग्रार्डर है ?

(व्यवधान)

श्रीमती कमला : ग्राप ग्रपनी मरजी से कहां से बना लेते हैं, जब देखो तब कहानी बना लेते है। मैंने सारे सदन के सामने कहा है कि 15 दिन के ग्रन्दर ग्रौर ग्राप ग्राठ दिन की बात कर रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : That point is closed.

माननीय मन्त्रीजी मांग संख्या 41 ग्रोर मांग संख्या 49 के सम्बन्ध में प्रस्ताव

अनुदान पर मांगें

मांग संख्या 41 सामुदायिक विकास एवं मांग संख्या 49 स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं का मुआवजा और एमुनेशन

श्री नरेन्द्र सिह भाटी (पंचायत मन्त्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 41 सामुदायिक विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने बाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 18,32,58,000 रुपये (ग्रठारह करोड़ बत्तीस लाख ग्रट्ठावन हजार रुपये) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा ग्रनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाय ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 49 स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाग्रों को मुग्रावजा ग्रौर समनुदेशन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने बाले वर्ष में किये जाने के वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 7,16,09,000 रुपये (सात करोड़ सोलह लाख नौ हजार रुपये) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा ग्रनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाय ।

मांग संख्या 41 पर मितव्ययिता कटौती प्रस्ताव

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर): मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक सामुदायिक विकास के अन्तर्गत मांग में से 2,59,000 रुपये राजस्थान विकास पत्रिका के प्रकाशन से अपेक्षित लाभ न हो पाने से मितव्ययिता पर चर्चा करने के लिए कम कर दिये जायें।

मांग संख्या 41 पर कटौती प्रस्ताव मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय

श्री रेवतराम चौधरी (डूंगरगढ़):

श्री रामदेव चौधरी (मूंडवा):

श्री नारायण राम बेड़ा (भोपालगढ़):

1. भूतपूर्व सरपंचों में आडिट के आधार पर बकाया की वसूली करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

2. ग्राम पंचायतों के लिए भवन व्यवस्था करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

3. ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों को आवश्यकतानुसार आबादी भूमि उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री शोपत सिंह (हनुमानगढ़):

4. सामुदायिक विकास योजनाओं के लिए अधिक धन की व्यवस्था करने पर चर्चा के लिए।

श्रीमती उज्जला अरोड़ा(जयपुर ग्रामीण):

5. सामुदायिक विकास के नाम पर विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार से लक्ष्य की उपलब्धि के अभाव पर चर्चा के लिए।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं):

6. सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं की स्वायत्तता पर अनावश्यक व अनाधिकृत कुठाराघात करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

7. पंचायत समिति लाडनूं की एक स्थाई समिति को कार्य कराने से रोकने के आदेश जारी करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

8. पंचायत समितियों के अधीन चल रहे स्कूलों में छात्रों की संख्या के अनुसार अध्यापकों के पद सृजित नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

9. राजस्थान पंचायत समितियों एवं नगर पालिका सेवा चयन आयोग द्वारा अध्यापकों के चयन नहीं कर सकने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए

श्री अरकानली (फतेहपुर):

10. राज्य की ग्राम पंचायतों की अनुदान राशि में बढ़ोत्तरी कर अधिक गतिशील बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री जयकृष्ण तोसावड़ा (दूदू)

11. सामुदायिक विकास विभाग में

(श्री जयकृष्ण तोसावड़ा)

फैले भ्रष्टाचार को समाप्त करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री रामेश्वर दयाल यादव (चौमू):

12. पंचायत समिति गोविन्दगढ़ में प्रशासनिक अव्यवस्था के कारण ग्राम जनता में उत्पन्न असन्तोष पर चर्चा के लिये।

श्री गणेश लाल बैरागी (हिण्डौली):

13. बूंदी जिले में समान रूप से सामुदायिक विकास कार्य नहीं होने एवं विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री भंवरलाल शर्मा (सरदार शहर):

14. सरदार शहर तहसील में आई. आर.डी. कार्यक्रम में एवं पंचायतों में हो रहे घोटाले व गबन पर चर्चा के लिए।

श्री सुजान सिंह यादव (बहरोड़):

15. विकास विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार और अनेक प्रकार की अनियमितताओं से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये

श्री भगराज चौधरी (आहोर):

16. ग्राम सेवकों को पंचायतों के सचिव बनाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री हंसराज (सूरतगढ़):

17. पंचायतों के कार्य-कलापों में सुधार हेतु व्यापक परिवर्तन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री रमजान खां (पुष्कर):

18. सामुदायिक विकास विभाग द्वारा और अधिक विकास कार्य किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री लंगार सिंह चौधरी (खारची):

19. सामुदायिक विकास योजनाओं को और अधिक गतिशील बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री सुन्दरलाल (सूरजगढ़):

20. पंचायत समितियों द्वारा मनमाने तरीके से बजट राशि खर्च करने पर विभाग द्वारा अनुदान राशि दिये जाने के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री गोविन्द सिंह (नसीराबाद):

21. जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों को जिला परिषदों को देने की व्यवस्था करने पर चर्चा के लिये।

श्री नवरंग सिंह (नवलगढ़):

22. स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज संस्था के अन्तर्गत सन् 1982 एवं 1984 में विभिन्न पदों के लिये नई नियुक्ति के लिए फार्म भरवाये जाने के उपरान्त साक्षात्कार न लेने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री हरजीराम (लाडनू):

23. पंचायत समिति लाडनू की

(श्री हरजीराम)

ग्राम पंचायत सुनारी व सांवराद ढींगसैरी, धीरड़ोदामीठा, दूजा को दी गई अनुदान राशि में गबन व दुरुपयोग पर चर्चा के लिये।

श्री जयकृष्ण (दूदू) :

24. पंचायत राज संस्थाओं में व्याप्त अनियमितताओं के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री शोपत सिंह (हनुमानगढ़):

25. पंचायत समितियों व पंचायत के हल्कों के पुनः सीमा निर्धारण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हंसराज (सूरतगढ़):

26. तहसील अनूपगढ़ की पंचायतों के सीमा क्षेत्र को कम करने पर चर्चा के लिये।

श्री रमजान खां (पुष्कर):

27. पंचायतों को दी जा रही अनुदान राशि में बढ़ोतरी एवं सरपंचों को मासिक भत्ता देने पर चर्चा के लिये।

श्री गोविन्द सिंह (नसीराबाद) :

28. अजमेर जिले में लघु सिंचाई हेतु तालाबों के निर्माण बाबत चर्चा के लिये।

श्री हरजीराम (लाडनूं):

29. ग्राम पंचायत धीरड़ोदामीठा को पंचायत समिति लाडनूं जिला नागौर में गत छः वर्षों में सांडों के संधारण के लिये दी गई राशि के गबन पर चर्चा के लिए।

30. ग्राम पंचायत धीरड़ोदामीठा, पंचायत समिति लाडनूं, जिला नागौर मे गत वर्षों में दी गई सहायता राशि में गबन होने पर भी दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

31. ग्राम पंचायत दुजार, पंचायत समिति लाडनूं, जिला नागौर को सांड संधारण के लिए गत पांच वर्षो में दी गई राशि में गबन हो जाने पर चर्चा के लिये।

32. ग्राम पंचायत दुजार, पंचायत समिति लाडनूं, जिला नागौर में ग्राम मंगलपुरा की आबादी भूमि विक्रय में अनियमितता पर चर्चा के लिये।

33. ग्राम पंचायत दुजार, पंचायत समिति लाडनूं, में पंचायत का रेकार्ड नियमानुसार ग्राम सेवक को नहीं देने व अतिरिक्त जिला विकास अधिकारी, नागौर के आदेश की अनुपालना नहीं करने पर चर्चा के लिये।

34. अतिरिक्त जिला विकास अधिकारी, नागौर के लाडनूं कैम्प के समय जारी किये आदेश क्रमांक 1059, दिनांक 3–7–85 की अनुपालना कराने में विभागीय विफलता पर चर्चा के लिये।

35. ग्राम पंचायत दुजार, पंचायत समिति लाडनूं, जिला नागौर में तारीख 1–1–80 से लेकर अब तक पंचायत की बिना स्वीकृति के पोस्ट आफिस खाते से

(श्री हरजीराम)

रकम निकालने व पंचायत कार्य में खर्च नहीं करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

36. पंचायत राज को सशक्त बनाने के लिए की गई घोषणाओं पर अमल नहीं करने पर चर्चा के लिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर):
37. सामुदायिक विकास के अन्तर्गत विकास कार्यों का विकेन्द्रीकरण एवं नई दिशा देने हेतु चर्चा के लिये।

श्री रतनलाल ताम्बी(जहाजपुर):

38. सामुदायिक विकास कार्यक्रमों की संरचना में सुदृढ़ता लाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मुक्तिलाल (कोटपूतली):

39. पोषाहार कार्यक्रम के उद्देश्यों की पूर्ति नहीं होने पर चर्चा के लिये।

श्री भंवरलाल (हवामहल):

40. विभाग द्वारा पंचायती राज के चुनाव समय पर कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नत्थीसिंह (कुम्हेर):

41. भरतपुर व धौलपुर जिला परिषदों के प्रमुखों के चुनाव न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

42. सामुदायिक विकास योजनाओं के निर्माण, स्वीकृति तथा क्रियान्वयन में पंचायत राज संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका नहीं होने पर चर्चा के लिये।

43. पंचायत राज संस्थाओं की विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाने पर चर्चा के लिये।

श्री भैंरूलाल भारद्वाज (जमवारामगढ़):
44. एक पंचायत में एक सचिव लगाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

45. सड़कों, पुलिया, एनीकट, छोटे बांध निर्माण कार्य को ग्राम पंचायतों के सुपुर्द करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह(पिलानी):

46. प्रतापपुरा पंचायत को अब तक एक रुपया भी अनुदान का नहीं दिये जाने से उत्पन्न असन्तोष पर चर्चा के लिये।

47. झुंझुनूं और चिड़ावा पंचायत समितियों में की गई अनियमितताओं और धांधली पर चर्चा के लिये।

श्री सम्पतसिंह (नगर):

48. सामुदायिक विकास विभाग द्वारा नगर सीकरी क्षेत्र के ग्रामों में प्राथमिक स्कूल भवनों के निर्माण तथा ग्रामीणों को अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने में विभागीय विफलता पर चर्चा के लिये।

श्री पोकरलाल परिहार (देसूरी):

49. पंचायत समिति देसूरी की जीप का दुरुपयोग किये जाने पर चर्चा के लिये:

(श्री पोकरलाल परिहार)

50. पंचायतों के चुनाव सम्बन्धी चर्चा के लिये।

श्री थानसिंह (सलूम्बर) :

51. पंचायती राज को ग्रामीण विकास हेतु अधिक अनुदान दिलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री बिरदमल (जोधपुर) :

52. पंचायत समितियों के अधिकारियों जैसे ई.ग्रो., बी.डी.ग्रो. ग्रादि की नियुक्ति की असहमति होने पर भी नियुक्ति करने पर चर्चा के लिये ।

श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा) :

53. ग्राम पंचायत नगर फोर्ट, पंचायत समिति देवली में 62000/- रुपये का गबन ग्राडिट द्वारा प्रमाणित होने पर भी उसकी वसूली न करने पर चर्चा के लिये।

54. राज्य में सामुदायिक विकास के अन्तर्गत पंचायत राज को सशक्त बनाये जाने पर चर्चा के लिये ।

55. जिला प्रमुखों को वाहन उपलब्ध कराने व उसका दुरुपयोग किये जाने पर चर्चा के लिये ।

56. ग्राम पंचायत नगर फोर्ट के पूर्व सरपंच पर गबन इत्यादि किये जाने व प्रमाणित होने पर भी विभाग द्वारा वसूली की कार्यवाही न करने पर चर्चा के लिये।

श्री किरोड़ी लाल(महुवा):

57. पंचायत समिति महुवा जिला सवाई माधोपुर की ग्राम पंचायत ग्रोड़ मीना में गत 5 वर्षों से सभी विकास के कार्य ठप्प पड़े रहने से क्षेत्र की जनता को लाभान्वित नहीं होने पर चर्चा के लिये।

58. पंचायत समिति महुवा की ग्राम पंचायत पाखर में फर्जी मस्टररोल भरकर किये गये घोटालों पर चर्चा के लिये।

59. पंचायत समिति महुवा के ग्राम उकसंद में कूप निर्माण हेतु 10,000/- रु. नकद व 100 कट्टे सीमेंट उठा लिये जाने के बाद भी कुए का निर्माण नहीं किये जाने से गांव में उत्पन्न पेयजल की समस्या पर चर्चा के लिये।

श्री बिहारी लाल पारीक (माण्डल) :

60. पंचायत समिति माण्डल के स्थानान्तरित अधिकारियों को कार्यमुक्त न करने से जनता में व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिये।

61. माण्डल पंचायत समिति के अन्तर्गत करेड़ा प्राथमिक स्कूल में निर्धारित संख्या से अधिक छात्र होने पर भी शिक्षा विभाग से स्थानान्तरित होकर आये शिक्षकों को कार्यभार न देने पर चर्चा के लिये ।

श्री राजेश (थानागाजी):

62, पंचायत समितियों के प्राइमरी स्कूलों में अध्यापकों की कमी से उत्पन्न समस्या के समाधान हेतु चर्चा के लिये।

सुश्री पुष्पा (पाली) :

63. परिवार एवं बाल कल्याण योजना जो समाज कल्याण मण्डल से पंचायत एवं सामुदायिक विकास विभाग को हस्तान्तरित की गई है की ग्राम सेविका, मुख्य ग्राम सेविका तथा कर्मचारियों आदि के हस्तान्तरण पूर्व व बाद के बकाया वेतन आदि का भुगतान न किये जाने से उत्पन्न असन्तोष पर चर्चा के लिये।

64. परिवार एवं बाल कल्याण योजना, जो समाज कल्याण मण्डल से पंचायत विकास एवं सामुदायिक विकास विभाग में हस्तान्तरित की गई सेविकाओं को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित राज्य कर्मचारियों के समान सुविधायें नहीं दिये जाने से उत्पन्न असन्तोष पर चर्चा के लिये।

श्री हरिमोहन शर्मा (बूंदी) :

65. वर्तमान परिपेक्ष में बूंदी जिले की बड़ी पंचायतों के क्षेत्रों का पुनः निर्धारण करने एवं नई पंचायतें बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) :

66. ग्राम पंचायतों को दिये जाने वाले अनुदान में वृद्धि किये जाने के औचित्य पर चर्चा के लिये।

67, इटावा ग्राम पंचायत में व्याप्त अनियमितता एवं भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये।

68. लोक सभा व विधान सभा की तरह ग्राम पंचायत के चुनाव में भी सीटें सुरक्षित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

69. ग्राम पंचायत वसूलिया में निर्माण कार्य में किये गये भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये।

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) :

70. ग्राम पंचायतों को आर्थिक सहायता प्रति व्यक्ति 5/- रुपये से अधिक सहायतार्थ अनुदान देकर सफल बनायी जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मांगीलाल आर्य (जालोर) :

71. पंचायत क्षेत्र में नीलाम की गई आबादी भूमि के आवासीय भू-खण्डों की पत्रावलियां गुम हो जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री मोतीलाल (सवाई माधोपुर) :

72. सवाई माधोपुर पंचायत समिति की प्राथमिक शालाओं के अध्यापकों की नियुक्ति में हुई धांधली पर चर्चा के लिये।

श्री पोकरलाल परिहार (देसूरी) :

73. पंचायत समिति देसूरी में लम्बे समय से विकास अधिकारी का पद खाली होने से पंचायत समिति की दुर्दशा पर चर्चा के लिये।

74. ग्राम पंचायतों में ग्रुप सचिवों

(श्री पोकरलाल परिहार)

द्वारा मनमाने तरीके से भू-खण्डों का आवंटन करने से लोगों में उत्पन्न परेशानी पर चर्चा के लिये।

75. ग्राम पंचायतों में ग्रुप सचिवों की शिकायतों को दूर करने के लिए उनको एक स्थान पर दो वर्ष से अधिक नहीं रखने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री माणक चन्द डाणी (व्यावर):

76. पंचायत तालावों के संरक्षण हेतु अधिक सहायतार्थ अनुदान दिये जाने पर चर्चा के लिये ।

77. पूर्व ग्राम पंचायत अनाकर का पुनर्गठन करने पर चर्चा के लिये ।

78. पंचायत स्कूलों में अध्यापकों के रिक्त पदों को भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर) :

79. पंचायतों में पटवारियों को पंचायत सचिव मुकर्रर करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

80. पंचायत समितियों में जनसंख्या के आधार पर राज्य सरकार द्वारा अनुदान एवं अन्य धन राशियों का आबंटन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

81. पंचायतों एवं पंचायत समितियों के क्षेत्रों का पुनर्सीमांकन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

82. पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद संस्थाओं की प्रशासनिक व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर) :

83. सांगानेर तहसील के गांव उपरला वाट, खोखावास, कटारिया की ढाणी, वम्वाला आदि में सांगानेर हवाई अड्डे का पानी भरकर खेत, कुए, मकानों की चारदीवारियां आदि को तोड़ता है अतः इसे कटारिया नाले में डाला जाने के क्रम में चर्चा के लिये ।

84. सांगानेर तहसील की अजयराज पुरा, पंचायत की सिवाय चक भूमि पर विद्युत तारों के रास्ते में आये पेड़ों की कटाई कर उन्हें अनाधिकार रूप से नीलामी कर महीनों उस राशि को पंचायत में जमा नहीं कराये जाने की जांच की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

85. चाकसू तहसील के ग्राम चंदलाई में हरिजनों के मोहल्लों में पानी भरा होने से आवागमन व आवासीय परिस्थिति के विकट हो जाने पर चर्चा के लिये ।

श्री सम्पत सिंह (नगर) :

86. विधान सभा क्षेत्र की हरिजन वस्तियों में प्राथमिक शालाओं के अभाव पर चर्चा के लिये ।

श्री बिहारीलाल पारीक (माण्डल) :

87. पंचायत समिति झुंझुनुं की ग्राम पंचायत नुग्रां के सरपंच को अभी तक चार्ज नहीं दिये जाने पर चर्चा के लिये।

श्री मदन महाराज (अटरू) :

88. पंचायत राज में पंचायत समितियों की परिस्थितियों पर चर्चा के लिये।

श्री भंवराराम (डीडवाना) :

89. ग्राम पंचायतों को दिये जाने वाले मुआवजा (अनुदान राशि) जिला परिषदों द्वारा सीधा ग्राम पंचायतों के खातों में जमा कराने पर चर्चा के लिये।

90. ग्राम पंचायतों द्वारा करवाये जाने वाले एन. आर. इ. पी. के कार्यों पर जिन ग्रामों में प्राथमिक शालायें नहीं हैं उन से भी शिक्षा कर लिये जाने के औचित्य पर चर्चा के लिये।

91. पंचायत समितियों द्वारा वसूल किये जा रहे शिक्षा कर एवं भवन कर लगाने पर चर्चा के लिये।

श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी (बस्सी):

92. पंचायत समितियों द्वारा लगाये गये करों की मांग कायमी समय पर तैयार नहीं किये जाने से आक्षेपित करों की वसूली नहीं होने पर चर्चा के लिये।

श्री जयनारायण पूनिया (तारानगर) :

93. जिला परिषदों, पंचायत समितियों तथा पंचायतों की निष्क्रियता पर दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी (बस्सी):

94. पंचायत समिति चाकसू में निर्माण कार्यों में भुगतान सम्बन्धी हो रही अनियमितताओं पर चर्चा के लिये।

श्री महेन्द्र कुमार (आसपुर) :

95. जिला डूंगरपुर में सामुदायिक विकास कार्यों में गति लाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री देवेन्द्र कुमार मीणा(गोगुन्दा) :

96. गोगुन्दा, कोटड़ा जिला उदयपुर में आंगन बाड़ी योजना की अनियमितताओं एवं फर्जी पेमेन्ट कराने पर चर्चा के लिये।

श्री प्रभूदयाल (सिकराय) :

97. ग्राम पंचायत ढीकरिया पंचायत समिति सिकराय में पंचायत कोष का दुरुपयोग होने पर चर्चा के लिये।

98. पंचायत समिति सिकराय द्वारा निर्धूम चूल्हा बनाने के नाम पर हजारों रुपये का घोटाला, एवं चूल्हों का भौतिक सत्यापन करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

99. पंचायत समिति सिकराय में समिति की निजी आय को निर्धारित कार्यों में व्यय नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(श्री प्रभूदयाल)

100. पंचायत समिति सिकराय के वाहन का दुरुपयोग होने पर चर्चा के लिये।

101. पंचायत समिति सिकराय को "गरीबों को छप्पर" कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान राशि के वितरण में भारी घोटालों पर चर्चा के लिये।

102. पंचायत समिति सिकराय को ग्राम पंचायत गंडरावा में निर्माण कार्यों के लिये प्राप्त अनुदान राशि के दुरुपयोग पर चर्चा के लिये।

श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी (बस्सी):

103. पंचायत समिति चाकसू के कोष से हुड़को योजना के नाम से 2 लाख रुपये फर्जी वितरण दिखाकर गबन करने पर भी विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करने पर चर्चा के लिये।

104. ग्राम पंचायत कोट खावदा पंचायत समिति चाकसू में गोचर भूमि में प्लाट व दुकानें काट कर कीमत प्राप्त कर रसीद नहीं देने के मामले में विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं किये जाने के संदर्भ में चर्चा के लिये।

105. पंचायत समिति, चाकसू में वाहन का दुरुपयोग होने पर चर्चा के लिये।

106. ग्राम पंचायत माधोगढ़ को पंचायत समिति द्वारा माढ़ा पेयजल कूप हेतु दी गयी राशि के दुरुपयोग पर चर्चा के लिये।

107. ग्राम पंचायत गिरधारी लालपुरा को पंचायत समिति द्वारा पूर्व में दी गई अनुदान राशि का उपयोग नहीं करने पर भी पुनः दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिए।

108. ग्राम पंचायत माधोगढ़ पंचायत समिति बस्सी में प्राप्त अनुदान राशि का इन्द्राज रोकड़ बही में नहीं करने के औचित्य पर चर्चा के लिए।

109. "गरीब को छप्पर" कार्यक्रम हेतु राज्य सरकार द्वारा दी गई अनुदान राशि का पंचायत समिति, चाकसू में विभिन्न नामों से फर्जी अनुदान देना बताकर किये जा रहे अप्रत्यक्ष गबन पर चर्चा के लिये।

110. ग्राम पंचायत राढ़ोली तथा ठीकरिया मीणान में विभिन्न विकास कार्यों हेतु प्राप्त अनुदान राशि का समय पर उपयोग न करने पर चर्चा के लिये।

111. बस्सी पंचायत समिति को विकास सम्बन्धी गतिविधियों के व्यवस्थित संचालन हेतु जीप उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

112. बाढ़ से प्रभावित लोगों को पुनर्स्थापित किये जाने हेतु दी गयी सहायता राशि के वितरण में लाखों रुपये की हेराफेरी करने व शिकायत पर जांच नहीं होने के सन्दर्भ में चर्चा के लिये

श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी (बस्सी)

श्री प्रभूदयाल मीणा (सिकराय):

113. पंचायतों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाये जाने हेतु समान कर लगाने, पंचायत मार्केट बनाने, चरागाह भूमि में ग्राम वन लगाने हेतु चर्चा के लिये ।

114. राज्य सरकार द्वारा पंचायत राज को विशेष अधिकार दिये जाने की घोषणाओं को क्रियान्वित नहीं होने पर चर्चा के लिये ।

115. पंचायत समिति, चाकसू में विभिन्न विकास कार्यों के निर्माण हेतु अनुदान देने में पक्षपात तथा कई पंचायतों को वंचित रखने पर चर्चा के लिये ।

116. पंचायत समितियों को 25000/- रुपये तक के निर्माण कार्यों की स्वीकृति के अधिकार होते हुए भी जिला विकास अभिकरण द्वारा पेयजल कूप जैसे अत्यावश्यक निर्माण कार्यों को हाथ में लेने के अधिकार से पंचायत समितियों को वंचित रखने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये ।

श्री मूलचन्द मीणा (टोडा भीम):

117. पंचायत समिति टोडाभीम की पंचायतों की दयनीय स्थिति होने के कारण अधिक अनुदान राशि देने हेतु चर्चा के लिये ।

श्री हंसराज (सूरतगढ़) :

118. पंचायत छोटी करने हेतु चर्चा के लिए ।

श्री मांगीलाल मेघवाल (पाटन) :

119. केशवराय पाटन पंचायत समिति में लिंक रोड़ों के अभाव से ग्राम जनता को भारी परेशानी पर चर्चा के लिये ।

120. मायजा पंचायत के गाँव मायजा से छरकबाड़ा कालेड़ा एवं झुबावा का कोई रास्ता न होने की समस्या के समाधान करने पर चर्चा के लिये ।

121. पंचायत समिति केशवराय पाटन द्वारा शिक्षा कर की राशि ग्राम पंचायतों को देने में अनियमितता पर चर्चा के लिये ।

122. पंचायत समिति केशवराय पाटन की जीप का दुरुपयोग रोकने पर चर्चा के लिये ।

123. ग्राम पंचायत चितावा के गाँव गुड़ला—पेटोलिया एवं विजय नगर के ग्राम रास्तों की समस्याओं के समाधान पर चर्चा के लिये ।

124. ग्राम करबाला वनीयानी एवं गूजरों की झोंपड़ियों में रास्ते बनवाने बाबत चर्चा के लिये ।

125. ग्राम जयस्थल, कोड़किया बालाजी झोंपड़िया, दीवाना, जलोटा, बूढ़िया,

(श्री मांगीलाल मेघवाल)

कमोलर रडी एवं चड़ी गांवों को आने जाने के ग्राम रास्ते सुलभ कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

126. ग्राम बालोद,जगदरी,ठीमली, बलदेवपुरा एवं देवली को आने जाने के ग्राम रास्ते न होने से जनता को भारी परेशानी पर चर्चा के लिये।

127. ग्राम कोटड़ी, कोटा खुर्द गुहाटा, वगली, वहड़ावली, माखीदा, करिरिया आदि के ग्राम रास्तों में सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

128. ग्राम नोवाड़ा बीरज,पीपल्दा, अणदपुरा, समंदपुरिया, सारसला, रंगराजपुरा एवं श्रीपुरा में ग्राम रास्तो में सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गंगाराम चौधरी (बाड़मेर) :

129. पंचायत समिति सिणधरी की पंचायत नोखड़ा की आबादी भूमि पर अनधिकृत अतिक्रमण को हटाये जाने पर चर्चा के लिये।

130. जिला परिषदों के प्रमुखों के रिक्त स्थानों की पूर्ति हेतु नियमानुसार उप चुनाव न करवाने पर चर्चा के लिये।

131. सम्बन्धित सिलेक्शन कमीशन द्वारा समय पर अध्यापक ग्राम सेवक व अन्य सेवाओं का चयन न करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

132. सन् 1978-80 की अवधि में चलाई गई काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत पंचायतों को सौंपी गयी खाली बोरिया अब वापस सरकार को लौटाने के आदेश होने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

133. पंचायत समितियों की स्थाई समितियों के सदस्यों के नियमानुसार रिटायरमेंट व चुनाव समय पर न करवाने के विषय पर चर्चा के लिये।

134. पंचायत समितियों में लम्बे अर्से से नियुक्त ग्राम सेवकों (अस्थाई) के ट्रेनिंग की स्वीकृति न दिये जाने के विषय पर चर्चा के लिये।

डा. उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण):

135. पंचायतों के सरपंचों को 10,000 रुपये तक राशि के कार्यों को स्वीकृति देने के अधिकार देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

136. सामुदायिक बिकास विभाग में शिथिलता व व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये।

137. सामुदायिक विकास योजना के द्वारा जयपुर ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र के टी. वी. सेट खराब होने से शिकायत होने पर भी उन्हें ठीक न करवाये जाने से उत्पन्न असन्तोष पर चर्चा के लिये।

श्री सम्पत सिंह (नगर) :

138. भरतपुर जिला और उसकी

(श्री सम्पतसिंह)

नगर पंचायत समिति को अनुदान राशि में वृद्धि किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

139. नगर निर्वाचन क्षेत्र के गांवों में स्कूलों के भवनों की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

140. नगर सीकरी–गोपालगढ़ क्षेत्र में अप्रोच सड़क व शौचालयों की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री किरोड़ी लाल मीणा (सवाई माधोपुर) :

141. जिला सवाई माधोपुर की पंचायत समिति महुवा के कई अल्प वेतन भोगी शिक्षकों को गत 8 महीनों से अभी तक वेतन का भुगतान विकास अधिकारी महुवा द्वारा नहीं किये जाने से तथा अध्यापकों को वैमनस्यभाव से परेशान किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

142. पंचायत समिति–महुवा, जिला–सवाई माधोपुर की ग्राम पंचायत, औड़मीना व कोट के सरपंचों से वित्तीय अधिकार छीनने से ग्राम पंचायत क्षेत्रों में विकास के कार्य ठप्प पड़ने पर चर्चा के लिये।

श्री मांगीलाल मेघवाल (पाटन) :

143. पंचायत समिति केशवराय पाटन के चयनित व्यक्तियों को बैंको से ऋण दिलाने पर चर्चा के लिये ।

144. गॉवों की सफाई के लिये पंचायत समिति से पंचायतों को विशेष बजट देने पर चर्चा के लिये ।

145. केशवराय पाटन पंचायत समिति के समस्त कर्मचारियों को गावों में आवास सुविधा हेतु व्यवस्था किये जाने पर चर्चा के लिये।

146. केशवराय पाटन पंचायत समिति को "गरीब को छप्पर" योजना में ज्यादा बजट देने पर चर्चा के लिये ।

147. ग्राम . पंचायत गेन्डोली, झालीजी का बराना, फोलाई एवं जयस्थल को प्राथमिकता के आधार पर विद्युत देने बाबत चर्चा के लिये।

श्री पन्नालाल मीणा (बागीडोरा) :

148. बांसवाड़ा जिले की विभिन्न पंचायतों के अधूरे पड़े कार्य स्कूल भवन, सड़कें आदि कार्यों को पूरा कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी (बस्सी)

श्री प्रभूदयाल मीणा (सिकराय)

श्री जयनारायण बैरवा (फागी) :

149. पंचायत समिति बांदीकुई में स्वयं की जीप नहीं होने से पंचायत समिति को अपनी योजनाओं की क्रियान्विति में आ रही कठिनाई को दूर करने के लिए पंचायत समिति को जीप उपलब्ध कराये जाने के सन्दर्भ में चर्चा के लिये।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) :

150. ग्राम पंचायत दुणार पंचायत

(श्री हरजीराम बुरडक)

समिति लाडनूं जिला नागौर में भयंकर गबन घोटाले करने के बाद भी उसके खिलाफ कार्यवाही नहीं करने पर चर्चा के लिये।

151. ग्राम पंचायत सीलनवाद पंचायत समिति, लाडनूं जिला नागौर के सरपंच को गलत तरीके से निलम्बित किये जाने पर चर्चा के लिये।

152. सरपंचों, उप सरपंचों के विरुद्ध रखे गये अविश्वास प्रस्तावों पर अनियमित रूप से स्टे आर्डर सरकार द्वारा जारी किये जाने पर चर्चा के लिये।

श्री गंगाराम चौधरी (बाड़मेर) :

153. पंचायत समिति धोरीमना (बाड़मेर) की जीप का दुरुपयोग, प्रावधान से अधिक व्यय व दुर्घटनाग्रस्त कर हानि पहुंचाने के विषय पर चर्चा के लिये।

श्री फूलचन्द (नीम का थाना) :

154. पंचायत समिति नीम का थाना क्षेत्र में ग्राम दानी से हटकर पंचायतों में शामिल होने के प्रार्थना पत्र पेश करने के बावजूद विभाग की तरफ से कार्यवाही न करने बाबत चर्चा के लिये।

155. पंचायत समिति नीम का थाना में प्राथमिक शालाओं में अध्यापकों की कमी से शिक्षण कार्य सुचारु रूप से न चलने पर चर्चा के लिये।

156. पंचायत समिति नीम का थाना में प्राथमिक शाला भवनों के पर्याप्त नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

157. पंचायत समिति नीम का थाना में 1984–85 में खोली गई प्राथमिक शालाओं के बन्द होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री बिहारी लाल पारीक (माण्डल):

158. पंचायत समितियों के सदस्यों के रिक्त स्थानों की निर्वाचन द्वारा पूर्ति की जाने पर चर्चा के लिये।

159. पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों को ज्यादा अधिकार न देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

160. पंचायती राज संस्थाओं के अन्तर्गत संचालित प्राथमिक शालाओं में अध्यापकों की अत्यधिक कमी की चर्चा के लिये।

161. विकास अधिकारियों के गलत तरीके से किये गये चयन के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

162. पंचायत समितियों को सहायता देने में बरती गयी अनियमितताओं पर चर्चा के लिये।

163. प्रधानों व विकास अधिकारियों द्वारा पंचायत समिति की जीपों का दुरुपयोग करने पर चर्चा के लिये।

(श्री बिहारीलाल पारीक)

164. ग्रामीण क्षेत्रों के विकास करने के लिए जो प्रोग्राम विभाग द्वारा चलाये जाते हैं उनका लाभ जनता को नही होने पर चर्चा के लिये।

165. राज्य सरकार द्वारा पंचायतों के अधिकारों में बढ़ोत्तरी नहीं किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

166, सामुदायिक विकास योजनाओं में भेदभाव किये जाने से व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिये।

167. सामुदायिक विकास विभाग द्वारा पंचायतों के साथ बरते जा रहे भेदभाव पर चर्चा के लिये।

168. राजस्थान में ग्राम पंचायतों को वर्तमान जनसंख्या के आधार पर 2.50 रुपये प्रति व्यक्ति अनुदान देने के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री हेमाराम चौधरी (गुडा मलानी):

169. ग्राम पंचायतों को प्रति व्यक्ति 5 रुपये अनुदान राशि दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामलाल सोलंकी (सिरोही):

170. सिरोही पंचायत समिति को जीप आवंटित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

171. पंचायत समिति सिरोही के एवं शिवगंज में ऋण वितरण शिविरों एवं ग्राम सभाओं में अधिकारियों की रुचि न होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

172. सिरोही एवं शिवगंज पंचायत समिति में अनुसूचित जाति एवं जन जाति के मोहल्लों में अनुपातिक दृष्टिकोण से विकास कार्य नहीं कराने पर चर्चा के लिये।

173. पंचायत समितियों की उप समितियों की अवधि समाप्त होने के उपरान्त चुनाव न कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

174. पंचायत समितियों में अध्यापकों के रिक्त पदों की पूर्ति करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

175. शिवगंज पंचायत समिति में विकास कार्यों की प्रगति में उत्पन्न कठिनाइयों के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

176. जिला परिषदों को और अधिकार देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

177. सामुदायिक योजनाओं से ग्रामीण क्षेत्रों की प्रगति पर चर्चा के लिये।

178. सामुदायिक विकास कार्यक्रम में पोषाहार, महिला एवं बाल विकास योजनायें पचायत समिति, शिवगंज व सिरोही में इन्हें खोलने की चर्चा के लिये।

श्री रघुनाथ परिहार (बाली):

179. पंचायत समितियों की शिक्षा कर राशि की वसूली प्रक्रिया पर चर्चा के लिये।

180. पंचायत समितियों को भवन विस्तार एवं स्टाफ क्वाटर्स हेतु राशि आवंटन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

181. बाली पंचायत समिति (पाली) को नई डीजल जीप आवंटित करने एवं पेट्रोल/डीजल की राशि वढ़ाने पर चर्चा के लिये।

182. जिला परिषदों/पंचायत समितियों में मन्त्रालयिक कर्मचारियों की वृद्धि एवं पदोन्नति पर चर्चा के लिये।

183. पंचायतों को दी जाने वाली अनुदान राशि में बढ़ोत्तरी करने पर चर्चा के लिये।

श्री मांगीलाल आर्य (जालोर):

184. पंचायत समिति सायला में नई जीप आवंटन करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री रघुनाथ परिहार (बाली):

185. सामुदायिक विकास विभाग के माध्यम से चलाये जा रहे 20 सूत्री कार्यक्रम को प्रभावी रूप से लागू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

186. महिला एवं विकास सम्बन्धी योजनाओं के निष्पादन पर चर्चा के लिये।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत):

187. ग्राम पंचायतों को अनुदान राशि वढ़ाये जाने के औचित्य पर चर्चा के लिये।

188. पंचायत राज संस्थाओं के कार्यकाल की अवधि समाप्त होने पर समय पर चुनाव नहीं कराने से प्रजातन्त्र प्रणाली से जन विश्वास खत्म होने की आशंका से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री मुलताना राम (जैसलमेर):

189. जैसलमेर जिले में पंचायतों के नियमानुसार कार्य नहीं करने से उत्पन्न कठिनाई पर चर्चा के लिये।

190. जैसलमेर जिले में सरपंचों द्वारा पक्षपात कर अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा मुसलमानों के गांवों, वस्तियों में कार्य नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री हरीश शर्मा (खानपुर):

191. जिला झालावाड़ की पंचायत समिति खानपुर में किये जा रहे दुरुपयोग, भ्रष्टाचार एवं गबन पर चर्चा के लिए।

192. प्रदेश के सरपंचों द्वारा कराये

(श्री हरीश शर्मा)

गये निर्माण कार्यों का तत्काल भौतिक सत्यापन नहीं होने से पंचायत समितियों द्वारा सरपंचों को श्रमिकों को भुगतान की राशि नहीं देन से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

193. झालावाड़ जिले की ग्राम पंचायत खानपुर में व्याप्त भारी गन्दगी एवं सड़कों, गलियों, नालियों का पानी फैले रहने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

194. प्रदेश की ग्राम पंचायतों को सरकार द्वारा पर्याप्त अनुदान नहीं देने पर चर्चा के लिए।

195. झालावाड़ जिले की पंचायत समिति खानपुर द्वारा कराये गये कार्यों में व्याप्त गबन, घोटालों पर चर्चा के लिये।

196. जिला चित्तौड़गढ़ की ग्राम पंचायत रावत भाटा में बिना पंचायत बोर्ड की स्वीकृति लिये भूखण्ड आवंटित किये जाने पर चर्चा के लिये।

197. झालावाड़ जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा नवम्बर, 1984 में कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने हेतु खरीदी गई सामग्री नकली एवं अधिक कीमत के बिल प्रस्तुत करने पर चर्चा के लिये।

198. जिला ग्रामीण विकास अभिकरण झालावाड़ की मीटिंग दिनांक 8-4-85 को हुई जिसमें अभिकरण के कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने हेतु शासकीय निकाय की बैठक में 10,000/- रुपये पास किये जिसका भुगतान नहीं करने पर चर्चा के लिये।

199. जिला ग्रामीण विकास अभिकरण झालावाड़ द्वारा विकास कार्य न किये जाने एवं अधिकारियों द्वारा भ्रष्टाचार एवं गबन करने पर चर्चा के लिये।

श्री हरिमोहन शर्मा (बूंदी) :

200. पंचायत राज शासन प्रणाली एवं क्षेत्रीय विकास के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री बिहारीलाल पारीक (माण्डल) :

201. पंचायतों के अनुदान राशि में वृद्धि किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

202. ग्राम पंचायतों को सहायतार्थ अनुदान देने में हो रही अनियमितताओं पर चर्चा के लिये।

203. पंचायत राज संस्थाओं को विकास कार्यों के लिये पर्याप्त सहायतार्थ अनुदान न देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री किरोड़ी लाल मीणा (सवाई माधोपुर) :

204. जिला सवाई माधोपुर की पंचायत समिति महुवा की ग्राम पंचायत मण्डावर में आबादी की जमीन की नीलामी कर 5-6-79 को ही 32 लोगों से कुल 23,000/- रुपये जमा करवाकर उस भूमि

(श्री किरोड़ी लाल मीणा)

का पट्टा नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा) :

205. राज्य में सामुदायिक विकास की धीमी गति व विकास के अधूरे कार्यों को पूरा करने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये ।

206. बीकानेर जिले में सामुदायिक विकास विभाग द्वारा निर्मित गांवों में कुण्ड, टांके, नाड़ियां आदि की देखभाल करना एवं मरम्मत करना आदि पर चर्चा के लिये ।

207. सामुदायिक विकास विभाग द्वारा जिन कार्यों को हाथ में लिया उसे पूरा करने में असफलता पर चर्चा के लिये ।

208. सामुदायिक विकास विभाग की ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन एवं निर्माण कार्य आदि के अधूरे कार्यों को पूरा करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

209. राज्य में पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ करने एवं अधिक अधिकार दिये जाने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये ।

210. पंचायतों के समय पर चुनाव कराना एवं विकास कार्यों हेतु अधिक धनराशि देने के औचित्य पर चर्चा के लिए।

211. ग्राम पंचायतों को निर्माण कार्यों हेतु अधिक धनराशि देने के औचित्य पर चर्चा के लिए ।

212. ग्राम सेवकों के लिए निर्मित आवासों की दुर्दशा पर चर्चा के लिए।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) :

213. सुल्तानपुर एवं सांगरिया पंचायत समितियों में किये गये कार्यों में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

214. पंचायत समिति, सुल्तानपुर व सांगोद में पेयजल की व्यवस्था हेतु अधिक धन देने बाबत चर्चा के लिये ।

215. सुल्तानपुर एवं सांगोद में जो गोबर गैस संयन्त्र लगाये गये हैं उनमें हुए भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में चर्चा के लिए ।

216. सुल्तानपुर पंचायत समिति एवं सांगोद पंचायत समितियों को जीप न देने बाबत चर्चा के लिये ।

217. सुल्तानपुर एव सांगोद में पंचायत समितियों की पंचायतों में किये जा रहे विकास कार्यों में पक्षपात पूर्ण कार्यों की स्वीकृति देने बाबत चर्चा के लिये ।

218. सांगोद व सुल्तानपुर नगर पंचायतों में स्टाफ पूरा न होने से कार्य में व्यवधान होने पर चर्चा के लिये ।

श्री कालीचरण सराफ(जौहरी बाजार):

219. जयपुर जिले की लाखना पंचायत में 1978 में किये गये भ्रष्टाचार

(164)

(श्री कालीचरण सराफ)

की जांच पर कार्यबाही न किये जाने पर चर्चा के लिये।

श्री जगदीशप्रसाद तिवाड़ी (बस्सी):

220. ग्राम पंचायत कोटखावदा द्वारा गृह विहीन लोगों को ग्रावासीय भूखंण्ड ग्रावंटित किये जाने के क्रम में चर्चा के लिये।

221. पंचायत समिति स्तर पर गठित 20 सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन समिति की बैठक ग्रायोजित नहीं करने के सन्दर्भ में चर्चा के लिये।

222. पंचायत समितियों द्वारा विधवा व वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत कराने में ग्रनावश्यक बिलम्ब के सन्दर्भ में चर्चा के लिए।

223. पंचायत समितियों द्वारा नियन्त्रित शालाग्रों में विकलांग छात्रों को छात्रवृत्ति वितरण नहीं किये जाने के क्रम में चर्चा के लिये।

224. चारा विकास सम्बन्धी प्रदर्शन कार्यक्रम, चाराबीज वितरण एवं चारागाह विकास क्षेत्र योजनायें पंचायत समितियों को हस्तान्तरित करने के उपरान्त भी ग्रावश्यक साधन उपलब्ध नहीं कराये जाने के सन्दर्भ में चर्चा के लिये।

225. 50 एकड़ से कम सिंचाई क्षमता वाले बांधों, गांव वाई तालावों के रख-रखाव एवं मरम्मत हेतु पंचायत समितियों को ग्रावश्यक धनराशि ग्रावंटित नहीं किये जाने के सन्दर्भ में चर्चा के लिये।

226. दो लाख रुपये तक की लागत के सभी निर्माण कार्य तथा योजनाग्रों में उल्लेखित ग्रन्य कार्यों का निर्माण पंचायत समितियों द्वारा नहीं कराये जाने के सन्दर्भ में चर्चा के लिये।

227. लघु एवं सीमान्त कृषकों, भूमिहिन व्यक्तियों ग्रादि में से ग्रामीण युवकों को ट्राईसम योजना के ग्रन्तर्गत प्रशिक्षण दिलाने के उपरान्त बस्सी पंचायत समिति द्वारा प्रशिक्षित युवकों को 2 माह की ग्रवधि में रोजगार देने में ग्रसफल रहने के सन्दर्भ में चर्चा के लिये।

228. ग्राम पंचायत माधोगढ़ पंचायत समिति बस्सी के सरपंच द्वारा नियमों के विपरीत पंचायत का समस्त रिकार्ड गृह सचिव के हाथ में न देकर ग्रपने पास रखने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

229. ग्राम पंचायत कोटखावदा पंचायत समिति चाकसू की नियमित बैठकें नहीं करने के सन्दर्भ में चर्चा के लिये।

श्री मानिक चन्द सुराणा (लूणकरणसर):

230. पंचायती राज संस्थाग्रों को ग्रधिक प्रशासनिक व वित्तीय ग्रधिकार न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री लक्ष्मीनारायण किसान (फुलेरा):

231. निर्वाचन क्षेत्र फुलेरा में रेन-

(श्री लक्ष्मीनारायण किसान)

वाले फुलेरा, सांभर, जोबनेर आदि ग्रामों में ग्रामीण शौचालयों के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

232. फुलेरा निर्वाचन क्षेत्र के गांव जेतपुरा, जगमान्यपुरा, सायपुरा नान्दरी भोण्डी, पुरतापुरा में पेयजल की सुविधा हेतु दिये गये अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री हंसराज मिड्ढा(सूरतगढ़) :

233. पंचायतों में शीघ्र चुनाव कराने हेतु चर्चा के लिए।

मांग संख्या 49 पर कटौती प्रस्ताव

श्री गिरधारीलाल भार्गव (किशनपोल):

1. मनोरंजन कर का वसूली भार काट कर समस्त राशि नगर परिषदों को दिए जाने की व्यवस्था करने पर चर्चा के लिये।

श्री चम्पालाल बांठिया (पचपदरा) :

2. नगरपालिका के विभागीय कर्मचारियों के सहयोग से हो रही कर (चुंगी) चोरी के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री जय कृष्ण तोसावड़ा (दूदू) :

3. पंचायती राज संस्थाओं को मुआवजा और समनुदेशन के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री खंगार सिंह चौधरी (खारची) :

4. पंचायती राज संस्थाओं को मुआवजा और समनुदेशन पर चर्चा के लिये।

श्रीमती बीना काक (सुमेरपुर) :

5. पंचायत राज संस्थाओं एवं जिला परिषदों को अधिक अधिकार दिये जाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री जगमाल सिंह यादव (तिजारा) :

6. नगर पालिका तिजारा द्वारा भवन कर मनमाने तरीके से लगाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

7. नगरपालिका तिजारा में चूंगी चोरी पर चर्चा के लिये।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) :

8. स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं को मुआवजा एवं समनुदेशन के दुरुपयोग तथा समायोजन का अभाव एवं सुधार पर चर्चा के लिये।

श्री भंवरलाल (हवामहल) :

9. मनोरंजन कर की शत प्रतिशत राशि, संग्रहण व्यय काट कर, नगरपालिकाओं को दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बिरदमल (जोधपुर) :

10. स्थानीय निकायों को समान

(166)

(श्री बिरदमल सिंघवी)

आधार पर मनोरंजन कर का पर्याप्त हिस्सा देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मूलचन्द (टोडाभीम) :

11. पंचायत समिति नादौती एवं क्षेत्र की पंचायतों को ग्राम विकास सुधार के लिए मुआवजा देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) :

12. राज्य में चुंगी की समान दरों के अभाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री माणक चन्द डाणी (ब्यावर) :

13. ब्यावर में सादे नमक पर से चुंगी हटाए जाने बाबत चर्चा के लिये।

श्री रघुनाथ (बाली) :

14. नगरपालिकाओं में आबादी के अनुपात में चुंगी कर में विषमता की समाप्ति करने पर चर्चा के लिये।

श्री बिहारीलाल पारीक (माण्डल) :

15. नगर पालिका मण्डावा (झुंझूनूं) को होटल "मण्डावा केस्टल" से होने वाली आय (मनोरंजन कर) के औचित्य पर चर्चा के लिये।

16. मनोरंजन कर व सीमाकर का उचित हिस्सा नगरपालिकाओं एवं नगर परिषदों को दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

17. मनोरंजन कर की राशि नगरपालिकाओं एवं नगर परिषद को प्रत्येक वर्ष की आमद के हिसाब से नहीं देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

18. जयपुर नगर परिषद को दिये जाने वाली सीमाकर एवं मनोरंजन कर की राशि को बढ़ाये जाने की आवश्मकता पर चर्चा के लिये।

19. नगर परिषदों व पालिकाओं में राजस्व चोरी को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

20. जयपुर नगर में मनोरंजन कर की राशि का पुनः निर्धारण किया जाकर सम्पूर्ण राशि नगर परिषद को दिये जाने के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री बिहारीलाल पारीक (माण्डल) :

21. ग्राम पंचायतों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने हेतु भू-राजस्व अंश के बदले दी जाने वाली सहायता राशि में वृद्धि किये जाने के सन्दर्भ में चर्चा के लिये।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) :

22. कोटा नगर परिषद की चुंगी में उद्योग विभाग उद्योगों को सीधा ही चुंगी वसूली करने या उसमें छूट देने की व्यवस्था समाप्त करने बाबत चर्चा के लिये।

23. मनोरंजन कर की सम्पूर्ण राशि

(श्री दाऊदायल जोशी)

नगर परिषदों को दिए जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

24. राज्य में चुंगी की दरें समान करने बाबत चर्चा के लिये।

25. कोटा नगर में चुंगी नाकों पर व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये।

मांग संख्या 41 एवं 49 पर विचार

श्री उपाध्यक्ष : कल वाद-विवाद बी. जे. पी. की श्रीमती उजला अरोड़ा ने शुरू किया था, मैं चाहूंगा कि आज वाद-विवाद की शुरूआत श्री नत्थीसिंह जी करें।

श्री नत्थीसिंह (कुम्हेर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी सामुदायिक और स्थानीय निकायों के सम्बन्ध में जो अनुदान की मांगें माननीय मन्त्रीजी ने प्रस्तुत की हैं, अच्छा होता मैं यह मानकर चलता और मुझे यह विश्वास होता कि भारतवर्ष में जो जनतान्त्रिक व्यवस्थायें हमने स्वीकार की हैं उन जनतान्त्रिक व्यवस्थाओं को और मजबूत बनाने के लिए हमारे प्रदेश में महती कारगर कार्यवाही होती। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जनतान्त्रिक व्यवस्था कैसे सुदृढ़ हो, इसकी सोच हमारे संविधान निर्माताओं ने भी की और उन्होंने लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण के सिद्धान्त को स्वीकार किया।

(3.49 म. प.)

(श्री पंकज पंचोली, सभापति पदासीन)

लेकिन जो कल्पना हमारे देश में और हमारे प्रदेश में विचारकों ने की, चौखम्बा राज की हमने कल्पना की–गांव, जिला, राज्य और केन्द्र यह चार खम्भे होने चाहिये हमारे राज के। उन चारों को सम्पूर्ण अधिकार और सम्पूर्ण दायित्व की भावना से संवैधानिक अधिकार दिये जायं। यह कहीं लक्षित नहीं होते। गांव की ग्राम पंचायतें आज सबसे ज्यादा पंगु संस्था है। उसको किसी प्रकार के कोई अधिकार आर्थिक रूप से हमारी सरकार आज तक नहीं दे पा रही है। मुझे मालूम है........

(व्यवधान)

श्री सभापति : आपस में वातचीत नहीं, आर्डर प्लीज।

श्री नत्थीसिंह : कई बार घोषणायें की गई। पिछली बार एक बहुत बड़ा समारोह बीकानेर में भूतपूर्व मुख्य मन्त्री ने किया था उसमें बहुत बड़ी घोषणायें की गई लेकिन पंचायतों की कोई व्यवस्था आज तक सुधरी नहीं। मैं तो यह कहना चाहता हूं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से कि चारों खम्भे मजबूत हों ऐसी प्रणाली देनी पड़ेगी। गांव का काम हो, गांवों को तरक्की के साधन गांवों में मुहैया होने चाहिए। जिले की तरक्की के साधन जिले में और राज्यों के राज्य में और केन्द्र के केन्द्र में होने चाहिए। लेकिन आज बिलकुल दूसरी व्यवस्था हो गई है। आज तो मैं पंचायत और जिले की क्या बात करूं हमारी राज्य सरकारों की भी स्थिति नगर पालिका से बदतर है। सत्ता का केन्द्रीयकरण एक जगह होता चला जा रहा है, दिल्ली में और वह भी एक व्यक्ति विशेष में। जहां सत्ता का

(श्री नत्थीसिंह)

केन्द्रीयकरण होगा, सभापति महोदय, आप मुझसे सहमत होंगे, वहां जनतन्त्र के लिए खतरे पैदा होंगे। आज हमारे देश में चाहे हम उग्रवादी प्रवृत्तियों की बात करें, चाहे अलगाव वादी प्रवृत्तियों की बात करें, चाहे नौकरशाही निरंकुश होती चली जा रही है इसके कारण हमारी जनतान्त्रिक व्यवस्था को खतरा हो गया, उन सबके पीछे एक कारण है और वह कारण यह है कि आज राज में, शासन में बैठे हुए लोगों ने सोचना छोड़ दिया है कि हमारे देश की जनतान्त्रिक व्यवस्था भी हमें पूरी तरह से सजीव रखनी है या नहीं। इस प्रदेश में इस विधान सभा में कई बार यह सवाल आता है और सवाल यह आता है कि हमारी पंचायत राज संस्थाओं को; हमारी म्यूनिसिपैलिटी, नगर पालिकाओं के चुनाव समय पर हों। यहां पर कई माननीय सदस्य कह देते हैं जनता राज में केवल पंचायतों के चुनाव कराये गये, पंचायत समितियों और जिला परिषदों के चुनाव नहीं कराये गये, हमने करा दिये। मैं याद दिलाना चाहता हूं कांग्रेस के राज में भी 13-13 वर्षों तक पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव नहीं हुए। मेरा इसमें कहने का मतलब है...

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर, आपस में बातचीत नहीं।

श्री नत्थीसिंह : मेरी मान्यता है कि पंचायत राज संस्थाओं या दूसरी संस्थाओं को किसी की दया पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए। हमारे संविधान में हम इस तरह का संशोधन करायें कि जिस तरह हमारी विधान सभाओं के और लोक सभा के चुनाव समय पर होते हैं, उसकी प्रक्रिया है, उसके लिए प्रावधान है वही प्रावधान होना चाहिये पंचायत राज संस्थाओं के लिए। चाहे जिला परिषद हो, उनके चुनाव समय पर हों। अगर किसी तरह समय बढ़ाना है तो राज्य सरकार को अधिकार नहीं होने चाहिये। इस सदन के सामने आये और कारण दें और बतायें क्यों चुनाव समय पर नहीं करा सकते। जो चुनाव आयोग हमारे केन्द्र के लिये है, हमारी विधान सभाओं के लिये है उसी तरह से चुनाव आयोग हमारी पंचायत राज संस्थाओं और स्थानीय निकाय के लिये होना चाहिये तब तो हमारी पंचायतों की जड़ें मजबूत होंगी, नहीं तो नहीं होंगी। आज क्या स्थिति है? आप बात कर रहे हैं, मैं जिस जिले से आता हूं, सभापति महोदय, बड़ा मजाक हो रहा है उस जिले के साथ। अभी हमारे चले गये उपाध्यक्ष महोदय उठ कर, वहां पर दो जिले बना दिये गये भरतपुर और धौलपुर। दो जिला परिषदें बना दी गई। होना तो यह चाहिये था पंचायतों में आपकी आस्था थी, तुरन्त वहां चुनाव करवाते प्रमुख के। लेकिन नही, वहां पर प्रशासक की नियुक्ति की गई। जब वह प्रशासक महोदय हमारे यहां उपाध्यक्ष हो गये तब दूसरे प्रशासक की नियुक्ति की गई। धौलपुर में दूसरा प्रशासक बना दिया गया। यह नहीं हुआ आज की तारीख तक कि हम प्रमुख के चुनाव, जिला परिषद के चुनाव कराते। बाकायदा गठन नहीं है आज हमारे यहां। क्यों राज्य सरकार इस तरह उदासीन है? क्यों जनतान्त्रिक मूल्यों के प्रति आस्था की कमी है? इसलिए सारे काम हो रहे हैं वहां जनतान्त्रिक मूल्यों के प्रति आस्था जगानी होगी।

(श्री नत्थीसिंह)

मैं याद दिलाना चाहता हूं, सभापति महोदय, आपके द्वारा सन् 59 का वह दिन, जब इस प्रदेश में नागौर में भूतपूर्व प्रधान मन्त्री स्वर्गीय नेहरू ने लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण के नाम पर एक दीपक जलाया था। मैं भी उस समय प्रधान था। पहले-पहल पंचायत बनी। क्या हालत थी? यद्यपि पंचायत संस्थाओं को, ग्राम पंचायतों को अधिकार नहीं दिये गये थे लेकिन उस वक्त राजस्थान के कानून में पंचायत समितियों को यह अधिकार था, उनकी बैठक एक महीने में एक बार जरूर होगी। उनको अधिकार था कि वह प्रश्न पूछेंगे और जिला स्तर के समस्त अधिकारियों को बाध्य किया जाता था वह पंचायत समिति की मीटिंग में जायं, सदस्यों के प्रश्नों का जवाब दें। इसलिए एक तालमेल था, योजना में गतिशीलता का कुछ प्रावधान था। लेकिन धीरे-धीरे हमारे जो आफिसर हैं उनको बड़ी तंगी होने लगी, परेशानी होने लगी तो पहले तो प्रश्न पूछने का अधिकार छीन लिया गया और उसके बाद तरकीब से एक महीने की बजाय मीटिंग पंचायत समिति की तीन महीने में होगी, यह प्रावधान कर दिया गया। धीरे-धीरे, सभापति महोदय, इस तरह चोर दरवाजे से व्यवस्था कर दी गई कि पंचायत समितियों में सदस्यों का कोई महत्व नहीं है, पंचायत समितियों के प्रधान और पंचायत समितियों के विकास अधिकारी दो ही आदमी होंगे वह जो चाहें करें। लेकिन उसमें भी हमारी राज्य सरकार ने एक बड़ी अच्छी व्यवस्था की है? प्रधान को भी पंगु बना दिया। आप यह कहते हैं विकास अधिकारी का जो हम ट्रान्सफर करेंगे वहां कन्सल्टेशन होगी प्रधान से। कन्सल्टेशन का मतलब है आपस में विचार-विमर्श होगा। आज वह बात नहीं है। आज तो कन्सल्टेशन का डिक्शनरी मीनिंग भी बदल दिया। आज तो हमारा मन्त्रालय है वह केवल इन्फार्मेशन मात्र को मानता है कि हमने कन्सल्ट कर लिया। प्रधान को इत्तला दे दी हम तुम्हारा विकास अधिकारी बदल रहे हैं, कन्सल्टेशन मानी गई यह बिल्कुल गलत है और हमारी जो जनतान्त्रिक परम्परा है, मूल्य हैं उनके खिलाफ बात है। आज आपने अधिकार यह दिया है तो कन्सल्टेशन से मतलब उनसे बातचीत करिये, उनकी बात सुनिये और गुणावगुण के आधार पर फैसला करिये। यह स्थिति आज बिल्कुल नहीं है तो यह पंचायत राज संस्थायें कैसे पनपेंगी. सभापति महोदय, मैं जानना चाहता हूं इनके जरिये आज।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं आर्थिक स्थिति के विषय में। यह तो मैंने बात बताई जो हमारे संविधान में व्यवस्था है। जब जनता राज था, एक बात थी और जनता राज में सबसे बड़ी बात यह थी, काम के बदले अनाज की जो योजना आई उसमें ग्राम पंचायतों को साधन मिले। वह एक जमाना था जब राज के खजाने का मुंह गांव की तरफ हुआ। आज वह कच्ची सड़कें, अच्छे स्कूल की इमारतें उस जमाने की देन है। आपने भी कुछ काम किये हैं। चाहे एकीकृत ग्रामीण विकास योजना हो, चाहे ग्रामीण बेरोजगारों को रोजगार देने की योजना हो या अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के ग्रामीण बेरोजगार लोगों को रोजगार देने की योजना हो,

(श्री नत्थीसिंह)

आपने उस समय पंचायत राज संस्थाओं को पंगु बनाया। मैं साफ तौर से कहना चाहता हूं उनमें कोई खास अहमियत इन संस्थाओं की नहीं रखी। आपने अधिकार दे दिया एक लाख तक की मंजूरी कलेक्टर देगा। उसके बाद यहाँ आयेगी और कलेक्टर ने लोन जैसे पहले जमाने में राजा-महाराजा होते थे "जिसे पिया माने सो सुहागन" आप राजी हो गये उसको दे दिया, आप राजी नहीं, उसको नहीं दिया। आज यह स्थिति है, किसी नेता से उद्घाटन करालो, एक लाख और अस्सी हजार दे देगा। गांव के प्रमुख को रुपया नहीं मिलेगा। हरिजनों को कुएं का पानी चाहिए, कुएं के लिये पैसा नहीं मिलेगा। वहां जनता राज में जो छोटी-छोटी सड़कें बनीं उनको पैसा नहीं मिलेगा।

श्री भैंरूलाल भारद्वाज(जमवारामगढ़): माननीय सदस्य. आप जनता राज...

(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य,कृपया आपस में बातचीत नहीं। आर्डर प्लीज। प्लीज कन्टीन्यू, कृपया बैठें।

श्री नत्थीसिंह: माननीय सदस्य, आपको सन्तोष नहीं है। मैंने शुरू वहीं से किया। आपका जो प्रश्न है पहले ही बता दिया। मैं कहना चाहता हूं आज इस व्यवस्था को बदलिये। पहले आपने एक व्यवस्था की हुई है. एक कमेटी होगी जिसमें विकास अधिकारी होगा, एस.डी.ओ. होगा, एम.एल.ए. होगा, प्रधान होगा। आज सबको हटा दिया आपने। इन पंचायत राज संस्थाओं को कारगर बनाना चाहते हैं तो पंचायतों का एनरोलमेन्ट हो, पंचायत समितियों का एनरोलमेंट हो, जिला परिषदों का एनरोलमेंट हो। बातों में नहीं, इस बात में भी होना चाहिये जिस तरह आप नियोजित रूप से विकास करना चाहते हैं उस विकास की योजना बनायें, उसके क्रियान्वयन में इन पंचायत राज संस्थाओं का एनरोलमेन्ट आप करना चाहते हैं तो इस तरह इनको सक्षम संस्थायें बनाना पड़ेगा। आज यह सक्षम संस्थाएँ नहीं है।

आज तो, सभापति महोदय,हमारे यहां कई नगरपालिकाओं के चुनाव हुए वर्षों हो गये और लोग यह भूल गये कि कभी नगर पालिकाओं के भी चुनाव होंगे। अब तो ऐसा लगता है कि चुनाव कराने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा जब आप करते हैं तो फिर हम रोज आकर शिकायत करते हैं कि यह गड़बड़ियां हो रही हैं या यह सरकारी अधिकारी गड़बड़ी कर रहे हैं। इसको कहने से क्या फायदा लेंगे? यह परिस्थितियां पैदा किसने की हैं? यह सरकारी अधिकारियों ने नहीं की हैं। यह हमारे जो राजनेता लोग हैं, जो शासन पर आरूढ़ रहते हैं उन लोगों ने यह स्थिति पैदा कर दी। यह इतने दबाव में आये या इतने अनुचित प्रभाव में आये कि हमारे जनतान्त्रिक मूल्यों का जो वायदा है उनको छोड़ दिया। पंचायत समितियों में आज भी प्रश्न पूछने की बात है, मेरा अनुभव है, पंचायत समिति की बैठक में जिला स्तर के अधिकारी तभी

(श्री नत्थीसिंह)

आवेंगे जब कभी मन्त्री महोदय का दौरा होगा। अगर मन्त्री महोदय का दौरा नहीं हो तो प्रधान और विकास अधिकारी नहीं जायेंगे। छोटे अधिकारियों को भेजेंगे लेकिन वह नहीं जायेंगे इनसे समस्या का समाधान नहीं होता। इसलिए इन संस्थाओं को कारगर बनाना चाहते है; प्रभावी बनाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से कानून में परिवर्तन करना होगा। इस कानून को आप सक्षम बनाइये और कानून के द्वारा अधिकार दीजिए हमारी पंचायत राज संस्थाओं को, स्थानीय निकाय संस्थाओं को कि उनके पास साधन हैं, भीख के लिये आपके पास नहीं जायं। उनको साधन यह होना चाहिये कि हमारी राजस्व की आमदनी है वह ग्राम पंचायत को जायगी, दूसरे जो साधन हैं वह उनको जायेंगे और उनको संवैधानिक अधिकार मिल जाने चाहिए। जो संस्था सक्षम होती है, आर्थिक रूप से स्वावलम्बी होती है वही संस्था कारगर हो सकती है जो संस्था आर्थिक रूप से कारगर नहीं होगी वह कभी सक्षम नहीं हो सकती। अगर आप चाहते हैं हिन्दुस्तान में जनतन्त्र की जड़ें मजबूत हों, हमारे जीवन में, हमारी सोच जनतान्त्रिक मूल्यों का निर्वाह हो तो निश्चित रूप से हमने चौखम्भा राज की जो कल्पना की थी—गांव, जिला, राज्य, केन्द्र इन चारों को सक्षम बनायेंगे तभी हिन्दुस्तान में, हमारे देश में जनतन्त्रीय परम्परायें चलेंगी।

(4.00 म. प.)

तो, सभापति महोदय, मुझे इस बात का दुःख है कि जो पंचायती राज का उद्घाटन हमारे राजस्थान में सर्वप्रथम हुआ, और जो लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण की सर्वप्रथम हमारे प्रदेश से शुरूआत हुई वहीं आज राजस्थान में सबसे ज्यादा हमारे देश में कमजोर हो गया है। मैं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से सरकार से, मन्त्री जी से कहना चाहूंगा कि आप इन बातों पर गम्भीरता के साथ विचार करें। सरकारें तो आती रहती हैं और जाती रहती हैं, आपकी सरकार भी आई और चली गयी, उसके बाद दूसरी सरकार भी आई और वह भी चली गयी इसके बाद आपकी सरकार आई है पर समस्यायें तो वहीं की वहीं खड़ी हैं। आप देश का समग्र विकास करना चाहते हैं तो आपको जनता को साथ लेकर चलना पड़ेगा। अगर आप जनता को साथ लेकर चलना नहीं चाहते हैं तो जनता के सहयोग के बिना आपका काम नहीं हो सकता है। इसके लिये आप जनता को निश्चित रूप से पूरे अधिकार दीजिये, जनता के ऊपर दायित्व डालिये। जो मैंने चौखम्भा राज की योजना बताई है उसमें लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण आपको सत्ता का करना पड़ेगा। अगर आप सही रूप से इस योजना को सक्षम बनाना चाहते हैं तो मैंने जो कहा, सन् 1959 तक तो हमारा पंचायती राज पंचायत समितियों तक ही था, उससे वहां पर पंचायतें कमजोर ही हो रही थीं इसलिये मैं चाहता हूं कि सबसे पहले ग्राम पंचायतों को सबल बनाया जाय और उसके बाद में आप जिला परिषदों को सबल बनायें और बीच में जो पंचायत समितियां हैं उनको आप सिर्फ

(श्री नत्थीसिंह)

कोआर्डिनेशन करने के लिए रखें । आप प्रशासनिक और आर्थिक रूप से ग्राम पंचायतों और जिला परिषदों को सक्षम बनायें। इसके बाद आप राज्य सरकार और उसके बाद आप केन्द्र को मजबूत बनायें। अगर आप इसको बीच में शंका में रखेंगे तो आपका यह ढांचा कमजोर हो जायेगा। इसलिये मेरा यह कहना है कि आप इन मूलभूत बातों पर, इन मूलभूत प्रश्नों पर गहराई से विचार करके व्यवस्था करें और पंचायती राज संस्थाओं तथा स्थानीय निकायों को मजबूत बनायें।

आज पंचायतों के अलावा नगरपालिकाओं के अनुदान पर भी मांग है उसके सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं जिस जिले से आता हूं और उस शहर में रहता हूं जहां आज भी लोग पूछते हैं कि क्या भरतपुर में वही जमाना है या वहां पर जमाना बदल गया है। वहां पर जगह-जगह गन्दगी के ढेर पड़े हुए हैं। वहां पर यह गन्दगी के ढेर इसलिये पड़े हुए हैं कि वहां पर आज तक कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। ड्रेनेज सिस्टम क्यों नहीं है? वहां का मास्टर प्लान नहीं बनाया हुआ है। मास्टर प्लान क्यों नहीं बनाया गया? आपके जो सरकारी अधिकारी वहां पर हैं चाहे कोई कमिश्नर हो, चाहे कोई प्रशासक हो, उन पर तो केवल एक धुन सवार रहती है कि किस काम में कितना कमीशन खाया जाय और वह कमीशन खाकर चला जाता है। सभापति महोदय, आपके उपाध्यक्ष महोदय यहा विराजे हुए थे वह वहीं से चुन कर आते हैं। उन्होंने जब अखबार में पढ़ा तब बहुत खीजे कि उन्होंने एक काम बताया वह भी नहीं हुआ। इसलिये मैं यह कहना चाहूंगा चुनी हुई संस्थाओं में चुने हुए लोग जाने चाहिये और उनको पूरे अधिकार दिये जाने चाहिये। जब तक आप उनको पूरे अधिकार नहीं देंगे, आपकी यह संस्थाएँ चाहे ग्राम पंचायतें हों, चाहे स्थानीय निकाय हों, उनको जब तक स्वावलम्बी नहीं बनायेंगे तब तक आप दिल्ली की सरकार के आगे जिस तरह से बाजीगर बन्दर को नचाता है उसी तरह नाचते रहोगे। उनकी तरफ ही ताकते रहोगे। अगर हमारी जड़ें मजबूत होंगी तो कोई भी हमारे राज्य को नहीं झकझोर सकेगा। जब तक हमारी ग्राम पंचायत लेवल से लेकर जिला लेवल तक मजबूत नहीं होगी तब तक हमारे राज्य की जो दुर्दशा हो रही है वह होती रहेगी।

सभापति महोदय, आज जनतान्त्रिक मूल्यों को हमने भुला दिया है, लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण की भावनाओं को हमने त्यागा है इसीलिये हमारे यहां यह संस्थाएं कमजोर हो गई हैं। यह इसी का नतीजा है कि आज हमारे देश में यह खतरा बना हुआ है कि कहीं पर अधिनायकवाद नहीं आ जाय, कहीं पर तानाशाही नहीं आ जाय डरते हैं लोग आज मुंह खोलने के लिये। सोचते हैं कहीं पर हमारी शिकायत नहीं हो जाय। कहीं ऐसा नहीं हो कि हमारा टिकट कट जाय। लेकिन हमको इस बात को सोचकर चलना होगा कि हमारे देश की आगे आने वाली पीढ़ियों में जनतन्त्र फलता फूलता रहे और हमारा जनतन्त्र मजबूत रहे। तो हमें इसे ग्राम पंचायत लेवल से लेकर केन्द्र लेवल तक चारों

(श्री नत्थीसिंह)

संस्थाओं को मजबूत बनाना चाहिये । वास्तव में जनतन्त्र में हमारी आस्था है, लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण में आस्था है तो हमें इसको सक्षम बनाना होगा । हमें विकास करना है तो हमें हमारे विकास के कामों में सक्रिय सहयोग इनका लेना पड़ेगा ।

इन्हीं शब्दों के साथ सभापति महोदय, आपने जो मुझे समय दिया उसके लिये मैं आपका बहुत आभारी हूं ।

धन्यवाद ।

श्री सभापति : श्री रतनलाल ताम्बी ।

श्री बिहारीलाल पारीक (माण्डल) : सभापति महोदय, आन ए पाइन्ट आफ इन्फार्मेशन ।

श्री सभापति : आन ए पाइन्ट आफ इन्फार्मेशन या आन ए पाइन्ट आफ आर्डर।

श्री बिहारीलाल पारीक : आन ए पाइन्ट आफ इन्फार्मेशन, सर ।

श्री सभापति : आप माननीय सदस्य को बोलने दें ।

श्री बिहारीलाल पारीक : सभापति महोदय, आज बजट पर बहुत अच्छी बहस हो रही है पर मैं इस पर नहीं बोलूंगा । मैंने आपको प्रार्थना की, सभापति महोदय, आज से 15 दिन पहले विधायक नगर, जहां पर मैं रहता हूं, से सन्तोकबा दुर्लभजी अस्पताल जाते वक्त मेरे साथ एक बहिन आ रही थी, हम उसके साथ थे उसके साथ इस तरह की जबरदस्ती की, सभापति महोदय, कि वह बहन चूंकि मेरे ही क्षेत्र की थी तो मैंने ही पुलिस में इत्तला की थी...

श्री सभापति : इसके लिए आपको, माननीय सदस्य, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव देना चाहिये । इसके लिये यहां पर कोई व्यवस्था नहीं है । आप माननीय सदस्य को बोलने दें ।

श्री बिहारीलाल पारीक : सभापति महोदय, एक मिनट ।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप काल अटेन्शन नोटिस दें । माननीय सदस्य को बोलने दें ।

श्री बिहारीलाल पारीक : माननीय सभापति महोदय, एक मिनट ले रहा हूं ।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप माननीय सदस्य को बोलने दे, Put up call attention notice.

श्री बिहारीलाल पारीक : Only one minute Sir.

(व्यवधान)

सभापति महोदय, जनता पार्टी के राज में तीन पंचायत समितियों के ताले लगे हुए थे, आठ में से तीन के, मैं आपके माध्यम से

(श्री बिहारीलाल पारीक)

पंचायत मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि प्रधान जी के सिस्टम को खतम किया जाय और टू टायर सिस्टम ही रखा जाय। सरपंचों को सक्षम किया जाय और जिला परिषदों को सक्षम किया जाय। हम लोग विधान सभा में प्रस्ताव रखते हैं वह प्रधान वहां पर मानते ही नहीं हैं पंचायत समितियों में, इसलिये मेरा निवेदन है कि टू टायर सिस्टम ही रखा जाय।

श्री सभापति : श्री रतनलाल ताम्बी। प्लीज कन्टीन्यू।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : सभापति महोदय, आज हम लोग जिस मांग पर विचार कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि आज हमारे राजस्थान की 80 प्रतिशत जनता का ग्रामीण प्रशासन से कई प्रकार से सीधा सम्बन्ध है। इसलिये हमें ऐसी व्यवस्था करनी है और इस व्यवस्था पर बहुत ही गम्भीरता से विचार करना पड़ेगा कि पंचायती राज का आज जो वर्तमान ढांचा है उस ढांचे की व्यवस्था को किस प्रकार से ठीक किया जा सके उसके प्रति जनता का विश्वास और आशा कैसे जाग्रत हो। सौभाग्य से मेरा इस पंचायती राज से काफी लम्बा सम्बन्ध रहा है। इस देश में पंचायती राज की व्यवस्था बहुत ही प्राचीन है और जनता की इसमें बहुत निष्ठा है। इसलिये हमारे संविधान में पंचायती राज के अन्तर्गत पंचायतों का और भी अधिक महत्व हो जाता है। राजस्थान ऐसा प्रदेश है हमारे देश में कि पंचायत राज की स्थापना हमारे यहां पर सन् 1959 में सर्वप्रथम तत्कालीन मुख्य मन्त्री स्वर्गीय श्री मोहनलाल सुखाड़िया ने करके केवल राजस्थान में ही नहीं, हमारे देश में काफी गौरव प्राप्त किया। हमारे देश के प्रधान मन्त्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने नागौर में आकर पंचायती राज के दीपक को प्रज्जवलित किया और हमारी आशाओं और आकांक्षाओं का अहसास कराया। मैं समझता हूं कि सन् 1959 के पंचायत समिति एवं जिला परिषद एक्ट में और सन् 1953 के पंचायती राज अधिनियम में उस समय के पंचायती राज एक्ट में और आज के पंचायती राज अधिनियम में काफी संशोधन किये हैं और काफी परिवर्तन किये हैं। इन परिवर्तनों के माध्यम से काफी परिवर्तन हुआ है। मेरी यह मान्यता है कि मौलिक रूप से जनता का पंचायत राज से सीधा सम्बन्ध है। इस ढांचे में जब तक जनता का, जनता की जागृति जनता का सहयोग और जनता की भागीदारी नहीं होगी तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे।

माननीय सभापति महोदय, कुछ समय पहले कहा गया कि पिछले तीन वर्षों से राजस्थान में इस बात का अहसास कराया जा रहा है कि पंचायत राज का नवजीवन हो रहा है, पंचायत राज का पुनर्जन्म हो रहा है लेकिन मैं समझता हूं, सभापति महोदय, न तो पंचायती राज का नवजीवन हो रहा है और न ही पंचायत राज का पुनर्जन्म ही मुझे दिखाई देता है। मैं समझता हूँ यह मरणासन्न स्थिति में पंचायत नहीं आ जायं इसलिये आज इस बात की आवश्यकता है कि इनको संजीवनी दी जाये। सौभाग्य से हमारे मुख्य मन्त्री श्री

(श्री रतनलाल ताम्बी)

हरिदेव जोशी पहले पंचायत राज्य मन्त्री रहे हैं और आज पंचायत राज विभाग के मन्त्री भाटी साहब हैं इसलिए मैं समझता हूं कि आप दोनों मिलकर पंचायती राज के अन्दर आस्था पैदा कर सकने का प्रयत्न करेंगे। आज की पंचायतें सन् 1951 की जनसंख्या के ऊपर आधारित हैं। उसी आधार पर पुनर्गठित की गई हैं। सन् 1951 की जनसंख्या में काफी वृद्धि हुई है इसलिये हमें पंचायतों के बारे में सोचना पड़ेगा। आज पंचायतों के बारे में सोचने की आवश्यकता है। इसलिये सर्वप्रथम मैं यह कहना चाहूंगा और यह सुझाव देना चाहूंगा कि पंचायतों की सीमा ज्यादा होने की वजह से उनका विकास समुचित तौर पर नहीं हो सकता है इसलिये पंचायतों का पुनर्गठन करने की बात सोचने की आवश्यकता है। आज वार्डों का पुनर्गठन करने की आवश्यकता है। आज कई ग्राम पंचायतों में जो रेवेन्यू ग्राम हैं उसमें एक ढाणी है उसको तो एक पंचायत में मिला दिया और दूसरी ढाणी को पास की पंचायत में मिला दिया। इसी तरह से कुछ पंचायतों में नये राजस्व गांवों को मिला दिया। उदाहरण के तौर पर मैं जिस गांव में रहता हूं उसके बारे में निवेदन करना चाहूंगा। जागोलाई गांव है उस ढाणी की जनता चाहती है कि वह पटवारी से सम्बन्ध रखने वाली पंचायत में रखी जाय पर उसको अलग रखा। इसके लिये मैंने एक प्रस्ताव विधान सभा में रखा, मैंने एक प्रश्न भी दिया। उसके उत्तर में पंचायत राज मन्त्री ने मुझे यह आश्वासन दिया कि अगर विधायक चाहता है या उस क्षेत्र की जनता चाहती है तो हम शीघ्र ही उसकी तकलीफ मिटा देंगे। लेकिन आज दिन तक वह ढाणी उसी पंचायत में है। मैं समझता हूं कि इस तरह की अव्यवस्था है। किसी राजस्व ग्राम की ढाणी को किसी दूसरे गांव में गलत ढंग से मिला दें तो कितना गलत काम होगा। इसलिये मैं चाहता हूं कि पंचायत एक्ट को आज के परिप्रेक्ष्य में फिर से देखने की आवश्यकता है ताकि पंचायत समिति और पंचायत राज की जो व्यवस्था है उसमें जन आस्था काफी बढ़े।

मैं इस बात का विरोधी नहीं हूं कि पंचायती राज को अधिकार नहीं दिये जायें। पंचायती राज को अधिकार दिये जायें। वह अधिकार इस तरीके के हों कि आय के स्रोत भी बढ़ें और जनता का सही ढंग से काम हो सके। पिछले दिनों मैंने देखा कि आपने नवजीवन के नाम पर कई योजनाओं को हस्तान्तरित किया। कई संस्थाओं को देख लें जिनको पंचायत राज को दिया, उनमें से अधिकांश संस्थाओं को आप जाकर देख लें पंचायत राज संस्थाओं की व्यवस्था में काफी गड़बड़ी हो गई है। छात्रावासों को 6-6 महीने तक भुगतान नहीं होता है। कहीं खाने पीने की व्यवस्था ठीक नहीं होती है। इसलिए मेरा आज मानना है कि विभाग की जो व्यवस्था है वह आप विभाग के जिम्मे रखें, केवल समीक्षा और देखरेख करते रहें और सुझाव आते हैं वह राज्य सरकार को दे दें। खादी ग्रामोद्योग के कई कार्यक्रम उसमें दिये हुए हैं। मेरे पास ऐसे कई उदाहरण हैं कि एक आदमी ने जहाजपुर में कोर्ट में एफीडेविट दिया है नौ हजार रुपये कुछ लोगों ने मिलकर हड़प लिये, अनुदान के। उसके बाद झगड़ा करने के बाद साढ़े चार हजार रुपये दे दिये और

(श्री रतनलाल ताम्बी)

साढ़े चार हजार रुपये के लिये वह रोजाना चक्कर लगाया करता है। इस तरह जो इन योजनाओं में हमने अच्छा दृष्टिकोण दिया राजस्थान में पंचायती राज में, अगर सही भुगतान नहीं होगा, पंचायती राज से लोगों की आस्था मिटेगी। इसलिये इस व्यवस्था को ठीक करने की आवश्यकता है।

हम बराबर निवेदन करते आ रहे हैं कि वर्तमान पंचायतों में कहीं एक सचिव के अधीनस्थ दो पंचायतें हैं, कहीं तीन दे रखी हैं इससे व्यवस्थित काम नहीं हो पाता है। न समय पर हिसाब-किताब रखा जाता है, न समय पर बैंकों में, डाकखानों में रकमें जमा होती है। बड़ी-बड़ी राशियों का सरपंच लोग आपस में मिलकर दुरुपयोग करते हैं। इसलिए मेरा यह सुझाव है आप पंचायतों को एक सूचना दें और सरपंच और ग्रुप सेक्रेट्री की जोइन्ट जिम्मेदारी होनी चाहिये कि वह हिसाब-किताब को देखें। इससे कुछ गड़बड़ी कम होगी। वरना जहां जाते हैं अनेक प्रकार की शिकायतें आती हैं। कुछ शिकायतें मैंने पंचायत राज्य मन्त्री को हमारे यहां लोग-बाग आये थे तब प्रस्तुत की थीं। मैं इस सन्दर्भ में यह भी निवेदन करूंगा कि आपके यहां पर शिकायतें आती हैं आप उनको जिलाधीश को भेज सकते हैं या उप जिलाधीश को भेज सकते हैं। आपके विभाग द्वारा यह नहीं देखा जा सकता कि जांच और कार्यवाही कब होकर आती है। कोई निश्चित मियाद नहीं है। तीन-तीन साल के अन्दर भेजें, जो फाइलें भेज दीं वह वहां पड़ी हुई हैं, कई बड़े-बड़े घोटाले होते हैं और फाइलों में जहां कार्यवाही होकर आती है, सीधे हस्तक्षेप हो जाता है। पिछले दिनों हमारे इट्रण्डा पंचायत समिति के सरपंच के खिलाफ 75 हजार रुपये के गबन के मामले थे, कई सरकारी अनियमिततायें थी, कई अग्रिम राशि उनके नाम बंटी हुई थी, जिन लोगों ने नहीं ली उस पर विभाग ने कार्यवाही की, सस्पेंड किया। हाईकोर्ट से स्टे मिला। दुबारा फिर कार्यवाही हुई। दुबारा फिर सस्पेंशन की कार्यवाही हुई उसी बीच में तत्कालीन मुख्य मन्त्री जी ने अनधिकृत रूप से फाइल मंगाकर उनको बहाल कर दिया। बहाल करने के बाद उस पंचायत समिति में 10 हजार का घोटाला हुआ। चार दिन पहले वहां पुलिस ने जांच की है। वहां मौके पर जांच की, कुछ नहीं मिला। अब यह परसों भेजा है, परसों काम शुरू किया। इस प्रकार की स्थितियों को हम नहीं देखेंगे तो पंचायत राज संस्था बदनाम होगी। इसलिये मेरा निवेदन यह है कि उप जिलाधीश, एस.डी.ओ. या जो पंचायत इन्सपेक्टर है उसको सीधे तौर पर पंचायत समितियों का निरीक्षण करने का अधिकार दें। जिलाधीश गांव में नहीं रहते इसलिये वहां कई प्रकार की दिक्कतें आ जाती हैं और समय पर जांच और इन्क्वायरी नहीं होती है। यही स्थिति आडिट की है। आप देख लें, कई सालों से आडिट के हजारों लाखों रुपये लोगों में बकाया निकलते हैं। जो नियम निर्धारित किये गये हैं, पंचायत राज विभाग और नीचे के स्तर पर मैं समझता हूं कोई कार्यवाही नहीं होती है। इस कारण लाखों रुपये लोग हड़प कर बैठ गये हैं।

(श्री रतनलाल ताम्बी)

दूसरा, आपने बैंक और डाकखानों में राशि जमा कराने का प्रावधान कर रखा है उसकी कहीं पालना नहीं होती है। गत वर्ष में विधान सभा में एक प्रश्न पूछा था, मेरे यहां पर साढ़े पांच लाख रुपये सरपंचों के निजी बकाया थे। इस वर्ष मैंने प्रश्न पूछा था उसको स्थगित कर दिया। फिगर नहीं आई। एक-एक पंचायत में तीस-पैंतीस हजार रुपये बकाया पड़े हुए हैं, कोई समय पर इन्सपेक्शन नहीं होती। पंचायत विभाग ने अपने प्रसार अधिकारी लगा रखे हैं, जिला स्तर पर भी लगा रखे हैं। मैं एक बात चाहता हूं मन्त्री महोदय खास तौर से नोट करें, हर महीने ग्रुप सचिव पंचायत समिति का आय-व्यय का लेखा-जोखा, बैंक, डाकखानों का हिसाब पंचायत समिति को प्रस्तुत करें और एक कापी उप जिला विकास अधिकारी के पास दें ताकि मालूम होता रहे। इस पंचायत में जो सरपंच के पास पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, बड़ी रकमें पड़ी हैं उसको कुछ डर रहेगा। वह रकमें बैंक या डाकखानों में जमा नहीं होती हैं वह जमा होने लगेंगी।

दूसरा मेरा यह निवेदन है कि प्रजातन्त्र है और प्रजातन्त्र में निश्चित अवधि के लिये हम चुनाव कराते हैं। उस समय के अन्दर चाहे कैसी भी परिस्थितियां हों चुनाव करा देना चाहिये। पिछले वर्ष आपने एक वर्ष का कार्यकाल बढ़ाया उसके बाद ग्राम चुनाव की तैयारी थी, यह बात ठीक है। मैं चाहता हूं आप इस बार वार्डों का नया गठन करके, पंचायतों की सीमाओं को निर्धारित करके, पंचायतों का विस्तार करके चुनाव करायें। 1985 के अन्त तक चुनाव शुरू करा दें और मैं समझता हूं कि जनवरी या फरवरी के अन्त तक सारे चुनाव हो जायें, इस तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

एक सबसे बड़ी समस्या की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, पंचायत में आबादी ऐसी बीमारी पैदा हो गई है जिसके नियम आपने निर्धारित कर रखे हैं, वह किसी जमाने में अच्छे हो सकते थे, आज के जमाने में वह नियम इतने गलत हैं उसका भारी दुरुपयोग हो रहा है। मैंने पहले भी सुझाव दिया था इसके लिये वार्डों में वहां के पटवारी, जिला अधिकारी और सरपंच और ग्रुप सचिव इन पांच व्यक्तियों की समिति रहे मौके पर निरीक्षण करने के लिये। नीलाम में भी इस तरह की व्यवस्था हो। उसमें यह देख लें कि सड़कें वहां बनी हैं या नहीं, जमीन है या नहीं, विकास करने की आवश्यकता तो नहीं है, भवन के लिये भूमि की आवश्यकता तो नहीं है। उसके बाद खुली नीलामी से जमीन का विक्रय हो तो बड़ा लाभ हो सकता है। मैं पिछले दिनों देवली गया था। देवली हमारा पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, महत्वपूर्ण कस्बा है। वहां पंचायत 30-50 रुपये वर्ग मीटर से ऊपर जमीन बेचा करती है। वहां के सरपंच ने और वहां के सचिव ने अपने परिवार के 17 आदमियों का डाक बंगले में बैठकर मीटिंग करके प्लाटों का प्रोनोट ले लिया। मेरे पास शिकायत आई मैंने मन्त्री महोदय को दी। उसमें खुद ग्रुप सचिव और उसके परिवार के लोग और सरपंच के परिवार के लोग लाखों रुपये की सम्पत्ति अर्जित कर रहे हैं। फाइल एस. डी. ओ. के यहां जाकर औपचारिक रूप से स्वीकृत होकर आ जाती है,

(श्री रतनलाल ताम्बी)

यह बात सामने नहीं आती हैं, इस तरह भूमि का मूल्य निर्धारित होकर विक्रय होगा तो सही होगा। कुछ क्षेत्रों में एक बैठक होकर जिसमें तहसीलदार हो, बी. डी. ओ. हो, दो-तीन आदमी हमारे जन प्रतिनिधि हों पंचायत समिति की जमीन का मूल्यांकन जैसे म्यूनिसिपैलिटी में निर्धारण होता है वह कर लिया जाता है तो मैं समझता हूं निश्चित रूप से आय में वृद्धि हो सकेगी। पंचायत राज विभाग को इससे बड़ा लाभ होगा।

स्थाई समितियाँ गठित की आपने पंचायत समितियों में। जब से पंचायत समिति में स्थाई समितियां गठित हुई इन चार सालों में आपके कोई रिटायरमेंट नहीं हुआ, न ही चुनाव हुए तो यह किस बात की स्थाई पंचायत समिति है, क्या नियम है? इसलिये यह होना चाहिये कि प्रतिवर्ष आपका जो रिटायरमेंट का नियम है उसके अनुसार उसका कार्य हो। मेरा एक निवेदन है कि पांच नई स्थाई पंचायत समितियां रखते हैं और सारे अधिकार वित्तीय समिति को दे दिये जाते हैं। मैं चाहता हूं कि शिक्षा का मामला हो उसका बजट उस समिति में आये, कृषि का मामला हो उसका बजट उस समिति के पास हो। इससे जिस प्रकार की समितियां हैं उनका काम विभाजित होकर उनका अलग-अलग जिम्मा होगा तो वह समितियां शक्तिशाली होंगी वरना पंचायत समिति में जिसको स्थाई समिति कहते हैं वह शक्तिशाली है, आपकी कमेटी केवल नाम मात्र की है। लोग पूरे नहीं आते। उनमें उत्साह नहीं होता है।

एक बात मैं निवेदन करना चाहता हूँ 1959 में पंचायत राज बना उस समय नैतिकता की दृष्टि से लोगों का उसमें काफी महत्व था। लोग उसमें निर्भीक नहीं होते थे कि कहीं गबन-घोटाला हो जाये। वाहनों का दुरुपयोग नहीं करते थे। आज जीप एक आम बात हो गई है। पंचायत समिति की गाड़ियों से लोग जैसलमेर रामदेवड़ा मेला में चले जायेंगे। जीप में कोटा जायेंगे, जयपुर जायेंगे, बूंदी जायेंगे। पता नहीं कहां-कहां चले जाते हैं। मैं स्वयं पंचायत प्रधान था तब जिलाधीश की बिना अनुमति के भीलवाड़ा नहीं जा सकते थे। उसके लिये अनुमति और कारण देना पड़ता था। आज पंचायत राज मन्त्री जी, आप स्वयं दिल्ली में काफी घूमते हैं, जिला परिषद की गाड़ियों को आपने राजस्थान हाउस में देखा होगा। राजस्थान में आज पंचायत समिति और जिला परिषद की गाड़ियों को चक्कर लगाते देखते होंगे। यह क्या तरीका है? एक नियम है, एक कानून है जिसके अनुसार आपको चलना चाहिए। जो जिला वाहन नियम था अगर वह चल रहा है तो उसके अनुसार आज यह बिलकुल नहीं चल सकता। यदि आपने कानून बदल दिया है तो राजस्थान की जनता के साथ खिलवाड़ हो रहा है। लाखों रुपये उनको जा रहे हैं। इसलिये इस कानून को आप मुस्तैदी के साथ लागू करेंगे, ऐसी मैं आशा करके चलता हूं।

एक बात मैं निवेदन करना चाहता हूं, पंचायतों और पंचायत समितियों में लाखों करोड़ों रुपया अग्रिम विकास के कामों के नाम से सन् 65 में फलां आदमी को दिये, 2000 रुपया कुआं बनाने के लिये। 65

(श्री रतनलाल ताम्बी)

से 85 तक कुआ ही नहीं बना क्या ? वह राशि कोई देखने वाला नहीं है। ऐसे ही पंचायत समिति में हमारे यहां मीटिंग हुई, मुझे पता लगा मार्च की रोकड़ जून तक चल रही है। मैंने पूछा, हिसाब-किताब कहां है ? निर्माण के कामों का मस्टर रोल कहां भरे जाते हैं ? पंचायत की मीटिंग में हमने विकास का हिसाब मांगा तो उन्होंने कहा, अकाउटेन्ट छुट्टी चला गया। मुझे पता चला कि अकाउटेन्ट को दो दिन पहले छुट्टी भेज दिया। बजट की मीटिंग थी और अकाउटेन्ट नहीं, हिसाब-किताब नहीं। बाद में मैंने बहुत कहा 800 रुपये का फर्क आ रहा था रोकड़ में। ओपन मीटिंग में अधिकारी मौजूद थे, फर्क नहीं निकल रहा है इसलिये मैं हिसाब नहीं बता सकता। तो मार्च की रोकड़ 28 मई तक चले मस्टर मार्च के भरे जायें यह कैसी बात है ? पंचायत में जे.ई.एन. का लड़का ठेकेदार बन जाये और 500-400 थैले एनीकट की नाम से वहीं रखें। गांव वालों से पूछा तो बताया 10-15 थैले आये हैं, 20 थैले आये हैं, बाकी पता नहीं कहां गये। यह काम जो आपके निर्माण के चलते हैं इनके देखरेख की व्यवस्था ठीक नहीं है। इनके हिसाब-किताब के बारे में भी आपके द्वारा बराबर समय पर कोई निरीक्षण होता नहीं। इसलिये आज देखने की आवश्यकता है कि पंचायती राज को इस तरह के लोग इस तरह के कामों के जरिये बदनाम न कर दें। पंचायती राज एक पवित्र कार्यक्रम है इसको उसी प्रकार से संचालित करने की आज बहुत बड़ी आवश्यकता है।

श्री सभापति : थोड़ा संक्षेप में।

श्री रतनलाल ताम्बी : सभापति महोदय, अभी शुरूआत ही हुई है।

श्री सभापति : 15 मिनट हो गये हैं।

श्री रतनलाल ताम्बी : 15 मिनट में बात थोड़े ही कह सकूंगा।

श्री सभापति : अन्य माननीय सदस्य भी बोलेंगे। सदन का समय भी काफी व्यतीत हो चुका है। आप कृपया शार्ट करें।

श्री रतनलाल ताम्बी : मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं। आप गांवों और शहरों के बीच में भेदभाव क्यों रखना चाहते हैं ?

श्री भैरूंलाल भारद्वाज: यह कांग्रेस के ऊपर ही घड़ी ज्यादा तेज चलती है।

श्री सभापति : नहीं, घड़ियां तो बराबर चलती हैं, इधर भी घड़ी लगी हुई है उधर भी घड़ी है।

श्री रतनलाल ताम्बी : मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान की जनता, जो गांवों और ढाणियों में रहती है, समान है और यह भी अपनी शक्ति के अनुसार कर देते हैं। शहरों में ज्यादा कर देते हैं, ज्यादा सुविधायें देते होंगे। ढाणियों में कम कर देते हैं, कम सुविधायें दे रखी

180

(श्री रतनलाल ताम्बी)

हैं। जो गांव और शहर के बीच में यह भेदभाव करते हैं जैसे म्यूनिसिपल एरिया में रहने वाले के लिए प्रत्येक व्यक्ति 5 रुपये अनुदान देंगे और पंचायत के गांवों में रहने वाले के लिये ढाई रुपये अनुदान देंगे। मन्त्री महोदय, आप तो बड़े पक्के समाजवादी, चिन्तनशील और प्रगतिशाली हैं कम से कम आप इस मौके पर यह तो घोषणा करदें कि गांव और शहर में भेदभाव नहीं होगा, पांच रुपया प्रति व्यक्ति अनुदान राजस्थान में इस वर्ष से दिया जायेगा। यह तो कम से कम जो पंचायतें काफी कमजोर हैं उनको आत्मनिर्भर बनाने की बात है। आपको इस बारे में, मैं समझता हूं, ध्यान देने की आवश्यकता है ।

एक बात और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। राजस्थान सरकार के सामुदायिक विकास पंचायत मन्त्री माननीय भाटी साहब चाहें तो पंचायत समिति के किसी क्लर्क को इधर से उधर नहीं कर सकते चाहे उसकी कितनी ही शिकायतें हों। यह कौनसा कानून है। पंचायत समिति और राज्य कर्मचारियों में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिये। समान सुविधायें दो और समान व्यवस्था रखो।

श्री शोपत सिंह : पंचायत मन्त्री रहेंगे भी या नहीं रहेंगे ।

श्री रतनलाल ताम्बी : इनके ट्रांसफर्स का जो आज आपको अधिकार नहीं है इस कानून में अमेंडमेंट करो। राजस्थान के पंचायत मन्त्री एक चपरासी को नहीं हटा सकते, एक बाबू को नहीं हटा सकते तो यह क्या व्यवस्था है। इसलिये मैं कहता हूं कि ऐसा कानून जो आपके लिये बाधक है, कृपया करके उसमें अमेंडमेंट लाइये हम आपका हृदय से समर्थन करेंगे। जो अव्यवस्था पंचायती राज में हैं बाबू 20-20 साल से बैठे हुए हैं 25 साल से बैठे हुए हैं उनके गड़बड़ घोटालों की गम्भीर शिकायतें हैं, कोई सुनने वाला नहीं है कम से कम इस अव्यवस्था को एमेंडमेंट लाकर आप ठीक करेंगे ऐसा मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा ।

एक बात और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि निर्माण कार्यो का जो आपने वर्तमान में प्रावधान कर रखा है क्वालिटी कण्ट्रोल की दृष्टि से, निर्माण कार्यों में तकनीकी दृष्टि से एक जे.ई.एन. पंचायत समिति में होता है। कई वर्षों से एक जगह रहने पर वहां पर उसके वेस्टेड इन्ट्रेस्ट हो जाते हैं। वह देखता है नहीं देखता है जैसा काम होता है वैसा सही है। यह तो स्थिति है। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि इसमें आप तकनीकी व्यवस्था को सुदृढ़ कीजिये। इसके साथ-साथ यहां आपके यह हो जाता है कि जिलाधीश स्वीकृति देते हैं, माडा स्कीम में एनीकट की। निर्माण उसका दूसरे गांव में हो जाता है। उससे कई अनियमितताये हो रही हैं। एक ए. डी. ओ. स्तर के जो अधिकारी हैं यह मेरी समझ में नहीं आता बैठे बैठे क्या करते हैं। यह न तो पंचायतों में जाते हैं, पंचायत समिति की एकाध मीटिंग में आ जायेंगे इसके बाद इनका पता नहीं। इसलिये मैं चाहता हूं कि ए.डी.डी.ओ. का पंचायतों का एक बार प्रत्येक जिले में इन्सपेक्शन करना अनिवार्य किया जाये। एस.डी.ओ. को भी इस बात

(श्री रतन लाल ताम्बी)

के अधिकार दिये जायें। साल में एक बार वह इन्सपेक्शन करे, एक बार बी. डी. ओ. करे, एक बार पंचायत असिस्टेन्ट करे, । चार बार आप इन्सपेक्शन की व्यवस्था करेंगे तो मैं समझता हूं कि बहुत सारी व्यवस्थायें ठीक हो जायेंगी।

एक मुद्दे की बात यह है कि पचायती राज का बेसिक आधार ग्राम सभा है। ग्राम सभा का आज के दिन इन पंचायत को आप देख लें कुछ तन्त नहीं है। साल में दो बार ग्राम सभा बुलाई जायेगी। उसमें पंचायत का लेखा जोखा हिसाब-रखा जायेगा। माननीय भाटी साहब, आप मंगाकर देख लें विवरण, सारी पंचायतों का ग्राम सभा ही नहीं हुई होगी साल में दो बार। ऐसी पंचायतें भी मेरे क्षेत्र में हैं जिनकी साल में पंचायत की एक बैठक नहीं हुई, ग्राम सभा की बात तो दूर है। ग्राम सभाओं को सशक्त बनाइये। ग्राम सभाओं में एक्सटेन्शन आफिसर की बीमारी खत्म कीजिये। वे कहीं जाते नहीं, आते नहीं, न कुछ होता है। इसलिए आप ग्राम सभा के साथ में ए. डी. डी. ओ. से भी कहिये कि कुछ जगह पर जायें, एस. डी. ओ. को भी कहिये कुछ जगह पर वह जायें, तहसीलदार को भी कहिये, बी. डी. ओ. को कहिये वह जायें। इसी तरह दूसरी एजेन्सियों के लोगों को भी आप इन्वाल्व कीजिये। वर्ष भर में दो बार ग्राम सभायें अनिवार्य तौर पर हों।

एक माननीय सदस्य : एम. एल. ए. ?

श्री रतन लाल ताम्बी : एम. एल. ए. साहब को भी जाना ही चाहिये पर एम. एल. ए. साहब को पंचायती राज में भाटी साहब ने अलग कर रखा है, गिनती ही नहीं है कहीं।

श्री सभापति : एम. एल. ए. तो सब जगह आता है।

श्री रतन लाल ताम्बी : एम. एल. ए. नहीं आता है। मैं कहना चाहता हूँ ग्राम सभा को सशक्त बनाइये। ग्राम पंचायत का बजट यहां पास करें, साल का लेखा जोखा ग्राम सभा में प्रस्तुत हो, विकास के निर्माण कार्यों का हिसाब-किताब उसमें पेश हो और ग्राम सभा में अधिकारी एक-एक बात को देखें और नोट करके सारी बात कलक्टर को पंचायत समिति में प्रस्तुत करें तब तो यह ग्राम सभा का महत्व है।

माननीय सभापति महोदय, गरीब को छप्पर। यह नारा हमने दे रखा है। आज ऐसे-ऐसे उदाहरण भीलवाड़ा जिले में मौजूद हैं 'गरीब को छप्पर' के नाम पर 70-70 हजार एक सरपंच ले गया। और आज के दिन वहां कोई गरीब को छप्पर नहीं मिला। तो मैं यह कहना चाहता हूं यह बात जब तक आप नहीं देखेंगे, तब तक जो राजीव गांधी द्वारा करोड़ों रुपया इन ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के नाम पर, विभिन्न योजनाओं के नाम पर भेजा जाता है, आकाश से गिरा खजूर में अटका वाली हालत होगी। तो कृपा करके इसका भी आप फिजिकल वेरीफिकेशन करवायें। हम राजस्थान में प्रथम हैं बीस सूत्री कार्यक्रम में तो कृपा करके उस बीस सूत्री कार्यक्रम

(श्री रतन लाल ताम्बी)

के मन्त्री महोदय, आप ही थोड़ा समय, थोड़ी फुरसत दूसरे काम से निकालकर राजस्थान के जिलों में गांवों में, तहसीलों में जाकर देखें कि पंचायती राज की जो योजनायें हैं वह व्यवस्थित रूप चलाई जा रही हैं क्या। मैं यह कह सकता हूं कि पंचायती राज के निदेशक महोदय से मेरी वार्ता हुई है, बहुत एक्टिव हैं इसके अन्दर समुचित कोशिश कर रहे हैं; वे आगे बढ़ाना चाहते हैं। नीचे के आदमियों को देखिये, आप ठीक कीजिए। वे और आप मिलकर चाहें तो राजस्थान की कायाकल्प पंचायती राज के जरिये कर सकते हैं। परन्तु यह हो नहीं रहा है आप जैसे व्यक्ति से हम कुछ उम्मीद करते हैं, इन्दिरा गांधी नहर, जो एक बहुत बड़ा चर्चा का विषय था, को आपने ढंग से काफी ठीक किया है वैसे ही इस पंचायती राज से सम्बन्ध तो नहीं रहा परन्तु आपका सम्बन्ध हो गया है तो कृपा करके इस काम को और आगे बढ़ायेंगे।

श्री शोपत सिंह : कभी कोई तसल्ली नहीं हुई है इस लिए तो काम नहीं कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री रतन लाल ताम्बी : भाटी साहब, आपने अधिकार दिया है हैण्ड पम्पों का। हैण्ड पम्प पीने के पानी के लिए बड़ा अनिवार्य है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : यह आपसे खुश हैं।

श्री रतन लाल ताम्बी : मैं आपके बीच में बोलता नहीं, आप बीच में बहुत बोल जाते हैं। आपका पंचायती राज से कोई लेना देना ही नहीं, शहरों की बात ही नहीं।

तो मैं यह कहना चाहता हूं कि हैण्ड पम्प की व्यवस्था हमने यह सोच करके की थी कि गांवों में अच्छे ढंग की व्यवस्था होगी लोगों को पानी सुलभ होगा। अभी पिछली बार पंचायत की मीटिंग हुई, मैंने भी दौरा किया था गांव-गांव एक-एक हैण्ड पम्प की रिपोर्ट ली, बहुत से खराब पड़े हैं। कोई डेढ़ साल से खराब है, कोई एक साल से खराब है, कोई 8 महीने से खराब है, कोई 6 महीने से खराब है। 200 रुपया शायद प्रत्येक हैण्ड पम्प का दिया जाता है। वह कहां जा रहा है? कहीं ठीक नहीं होता है। इसलिए आज आवश्यकता इस बात की है कि हैण्ड पम्प जैसी व्यवस्था, मैं समझता हूं, पंचायती राज से चलने वाली नहीं है इसलिए इस तकनीकी व्यवस्था का कहीं न कहीं से सम्बन्ध जोड़ दें तो दरख्वास्त आते ही वह मैकेनिक भेज दें, सात दिन में ठीक कर दें। हैण्ड पम्प से लोग बहुत परेशान हैं और यह व्यवस्था आपकी समझ में बैठी नहीं। कई जगह आपका हैण्ड पम्प मिस्त्री भी एक ही व्यक्ति है शिक्षा समिति में भी एक हो व्यक्ति है, ग्राम सभा में भी एक ही व्यक्ति है। चारों जगह से आपकी तनख्वाह पाता है काम क्या करता होगा। इसलिए व्यवस्थाओं को देखते हुए ऐसा लगता है यह कई जगह गड़बड़ है। कई व्यक्ति कई जगह से, चारों योजनाओं से पैसा लेंगे और काम नहीं

(श्री रतन लाल ताम्बी)

करेंगे। तो इस मामले को आप ठीक कीजिये।

एक बात आपको ध्यान देने की आवश्यकता है 50 एकड़ से जो नीचे के तालाब हैं वह आपके पंचायती राज संस्थाओं को दिये हैं। पहले पंचायतों के पास थे अब पंचायत समितियों को दे दिया। आप मेहरबानी करके तीन साल का लेखा-जोखा मंगा लीजिये उनके संचालन में कितना खर्चा हुआ है, वह मंगा लीजिए ताकि आपको पता लग जायेगा।

राजस्थान में सबसे पहले इन तालाबों की व्यवस्था सिंचाई के लिए की गई थी। जब मैं प्रधान था तो 65 हजार रुपया सालाना मैंने इन्कम की थी कई वर्षों तक, आप रिकार्ड उठाकर देख लें और आज 6 हजार रुपया की इन्कम है। जब मैं प्रधान था तो 30-35 हजार बबूल थे, आज केवल दो हजार नजर आ रहे हैं। कहां चले गये यह आपके देखने की बात है। व्यवस्था ठीक नहीं है तालाबों की। तालाब कहीं टूट रहे हैं, बहुत हालत खराब हो रही है। मैं कहता हूं यह मामला चलने वाला नहीं है। चाहे आप इन्कम पंचायत समितियां को दे दीजिये मुझे कोई एतराज नहीं है पर आप इसकी व्यवस्था किसी टेक्नीकल डिपार्टमेंट से ही करवायें और उसी के माध्यम से आप इनके काम को आगे बढ़ायें ताकि जो अव्यवस्था हो रही है वह ठीक हो जाय। मनमाने ढंग से कोई सिंचाई ले रहा है, कोई नहीं ले रहा है। कोई कहने सुनने वाला नहीं है।

अब आना चाहता हूं शिक्षा पर।

श्री सभापति : समाप्त करें।

श्री रतन लाल ताम्बी : साहब मुझे तो बहुत ही......

(व्यवधान)

कई दिनों में बोल रहा हूं......

आज तो बोलने दीजिये। तो मैं यह कहना चाहता हूँ...।

श्री सभापति : संक्षेप में कहियेगा थोड़ा।

श्री रतन लाल ताम्बी : संक्षेप में ही कह रहा हूं। राजस्थान में प्राथमिक शिक्षा की तरफ आपका ध्यान जाना चाहिये। देश में शिक्षा का प्रतिशत 24.71 पर है। हमारी प्राथमिक शिक्षा की हालत बहुत खराब है। गांवों में स्कूल बन्द हैं अध्यापक पूरे नहीं हैं। इसलिए दो-तीन सुझाव देना चाहता हूं। एक तो मैं कहना चाहता हूं आपके पास प्रशिक्षित अध्यापक उपलब्ध नहीं है। बहुत टाइम लगेगा सलेक्शन में। पंचायत जिला सर्विस कमीशन का नाम बहुत ऊंचा है, काम आप जानते ही हैं कैसा है। इसलिए मैं एक सुझाव देना चाहता हूं मेरे इलाके की जो मेरी स्टडी है 500 रुपये महीने में सैकण्डरी और हायर सैकण्डरी के लड़के अनट्रेन्ड अध्यापक बनने को खूब तैयार हैं। मैं चाहता हूं कि जिलाधीश, जिला प्रमुख और जिला शिक्षाधिकारी की चयन समिति बना दी जाय। तत्काल करोड़ों रुपयों की आपको बचत हो जायेगी, स्कूल जो बन्द पड़े हैं वे ठीक हो जायेंगे।

(श्री रतन लाल ताम्बी)

यह व्यवस्था करके आप सारे स्कूल्स का संचालन कर दीजिये। एक बात और मैं कह दूं। मैं प्रधान था जब यह राम सिंहजी विश्नोई भी शायद प्रधान थे। इनकी समस्या और मेरी समस्या एक ही थी। उस समस्या के समाधान के लिए हम लोग यहां आये थे। प्रधान होते हुए हमने कहा था कि प्रदेश की जनता के हित में चाहते हैं कि शिक्षा पंचायत राज में मत रखे। प्रधान होते हुए हमने कहा था। दो-तीन शिक्षाधिकारी होते हैं—एस. डो. आई. एक एक पंचायत समिति में दे दीजिये। पहले वे ही रहा करते थे तो ठीक चलता था। अब आजकल क्या है मैं प्रधान, यह सरपंच, वह पंच। सब के एक दूसरे के सम्बन्ध। चाहे स्कूल बन्द रखें तबादला होगा नहीं और होगा तो ऐसा होगा कि एक महीने में चार बार, साल में चार बार। इसलिए कृपा करके इस शिक्षा के मामले में पंचायत राज की व्यवस्था को आप शिक्षा विभाग को सौंप दीजिए राजस्थान के हित में ताकि हमारी शिक्षा की स्थिति ठीक बने। आज राजस्थान कम्पीटिशन में एक नहीं कई मामलों में पीछे है उसका कारण यह है कि हमारी बुनियादी शिक्षा ही ठीक नहीं है। इसलिए राजस्थान के लोग कम्पीटिशन में देश में कहीं टिकते नहीं हैं। सबसे नीचा स्तर है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप पंचायत राज को दूसरे अधिकार दे दीजिये, कृषि विस्तार कार्यक्रम के बहुत अधिकार दे दीजिये, जो सहकारिता के काम हैं वे दे दीजिये लेकिन ऐसे अधिकार मत दीजिये जिससे इन्सान का जीवन बिगड़ता हो, इन्सान आगे नहीं बढ़ सकता हो। शिथिल हो जाती है प्रगति इसलिए वह काम नहीं होना चाहिये। मैं आपके मार्फत निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस बात को देखिये।

अब मैं आना चाहता हूं अनौपचारिक शिक्षा पर। माननीय भाटी साहब, मैं निमन्त्रण देना चाहता हूं मेरी पंचायत में आप पधारिये। वहां-कहां अनौपचारिक शिक्षा चलती है। मैंने एक जगह का प्रश्न पूछा तो बताया खूब चल रही है। मैं गांव में जाकर पूछता हूं कहां है, कौन इस शिक्षा को चला रहा है। हर महीने कुछ पता नहीं, तनखा मिल जाती है। तो मेरा निवेदन है आप से कि जो पैसा आप इस पर खर्च कर रहे हैं यह पैसा प्राथमिक शिक्षा के भवनों में लगा दीजियेगा, गांवों में जो दो-दो घण्टे की शिक्षा का कार्यक्रम है छोटे-छोटे बच्चों के लिए वह चला दीजिये। 200-150 रु. महीने में आपको अध्यापक भी मिल जायेंगे। जो अनौपचारिक शिक्षा पर हमारा पैसा व्यय हो रहा है इसको भी आप कृपा करके देखिये।

(व्यवधान

श्री सभापति : नो कमेन्ट्स प्लीज। आपस में बातचीत नहीं।

श्री रतन लाल ताम्बी : अब मैं इस बात के लिए निवेदन करना चाहता हूं कि एन. आर. ई. पी. के कामों में और दूसरे कामों में आप बड़ी तादाद में रुपया दे रहे हैं। इतने रुपयों में बहुत काम होना चाहिये पर यह मेरा पक्का अनुभव है और मेरे

(श्री रतन लाल ताम्बी)

पास प्रमाण भी है, कुछ प्रमाण दिये हैं और कुछ और दे दूंगा, इसमें आपका कोई काम होता नहीं। अधूरे कामों के नाम पर वे कई वर्षों से चले आ रहे हैं। कभी किस मद से पूरा किया, कभी किस मद से पूरा किया और पूरा होता नहीं। मेजरमेंट व्यवस्था भी सही ढंग से नहीं है। इसलिए कृपा करके आप यह काम किसी ऐसी एजेन्सी से करवाइये, पी. डब्ल्यू. डी. से करवाइये आपको पता लग जायेगा कि कहां क्या हो रहा है। आप इस बात को भी देखें कि मेजरमेंट ढंग से हो, सही हो और इसमें दुरुपयोग नहीं हो। इसके लिए आपका सर्वेक्षण हो, निरीक्षण हो तब जाकर यह काम सही ढंग से बैठेगा।

(व्यवधान)

एक यह जो काम होता है सामग्री और मजदूरी वाला, इसके रेश्यो में और कार्य सम्पादन में बड़ी गड़बड़ है। मैं समझता हूं इसकी छुट्टी कर देनी चाहिये ताकि जो दिक्कत आती है एनीकट वगैरह की सामग्री के नाम पर ...

(व्यवधान)

पक्के काम 50 क्या 60 परसेंट सामग्री में दें तो इसमें कुछ जगह दिक्कत आती है और कुछ जगह नहीं आती है। मैं समझता हूं इस तरह की व्यवस्था को भी आप ठीक करेंगे।

यह जो आप अनुदान की राशि देते हैं ढाई रुपया यह किस काम में जाती है। आप व्यवस्था कर दीजिये, यह पैसा केवल गांवों में रोशनी की व्यवस्था में, सफाई की व्यवस्था में खर्च होगा। आज आपके सैकड़ों गांवों में बिजली के कनेक्शन काटे हुए हैं, बिजली नहीं जलती है। जो इन्कम होती है खर्चा कहां जाता है इसका कोई पता नहीं है। कई जगह मिनिमम चार्जेज के नाम से हजारों रुपये बकाया निकल रहे हैं। इसलिए इस पैसे के लिए भी आपको सुनियोजित ढंग से कोई निर्देश देना चाहिये कि इन-इन कामों के लिए यह खर्च होगा ताकि गांव में सफाई की व्यवस्था हो, रोशनी की व्यवस्था हो। गन्दे गांव हैं। तमाम दुनिया भर का उनमें कीचड़ हो रहा है। तो, सभापति महोदय, मैंने मोटे तौर पर आपको कुछ निवेदन करने की कोशिश की है और एक बात पंचायत राज की कह दी।

अब नगरपालिका की बात कहना चाहता हूं ... ...

(व्यवधान)

पांच मिनिट। एक तो आप पंचायतों में व्यवस्था कर दीजिये कि जब मीटिंग हो तो उसकी रिपोर्ट बी. डी. ओ. को जाय। अन्यथा मीटिंग तो हो रही है लेकिन उनका नतीजा कुछ नहीं निकल रहा है। मीटिंग की रिपोर्ट जायेगी तब तो मामला बैठेगा वरना यह आपका बैठने वाला नहीं है।

एक जो मैं निवेदन कर रहा था, काम के बदले अनाज योजना जनता पार्टी के राज में हुआ। पता नहीं हजारों बोरियां उस समय गेहूं की भरी या नहीं भरी, खाली पड़ी हैं आज कोई है नहीं। कहीं एन. आर. ई. पी. के नाम से सीमेंट है या नहीं, उसका भी कुछ पता नहीं चल रहा

(श्री रतन लाल ताम्बी)

है। यह घपला है। आप कृपा करके इन सब का भी हिसाब-किताब लीजिए तो आपको मालूम होगा कि पंचायत राज में क्या हो रहा है।

इसी तरह भूमि के मामलों में भी आप ध्यान दीजिये। इसमें लाखों रुपयों के घपले हैं। आज किसी भी प्रकार के नियमित निर्माण कार्य नहीं हो रहे हैं। कई जगह गांवों में विकास के कार्य बन्द पड़े हैं कई जगह सड़कों के पास नाजायज कब्जे कर लिये हैं। तो मेरा निवेदन है इस आबादी भूमि के नाम में आप कोई नये सिरे से व्यवस्था बदल कर कोई नया संशोधन करिये ताकि गांवों का समुचित ढंग से विकास होता रहे है। इसमें कोई घपलेबाजी भी नहीं है एक मेरा यह भी निवेदन है इसके अतिरिक्त पंचायत राज की बात तो बहुत लम्बी हो गई, अब मैं आता हूं नगरपालिका की ओर। नगरपालिका की........

श्री सभापति : नगरपालिका की मांग पर बोल लें।

श्री रतन लाल ताम्बी : आज ही है साहब। तो मैं यह कहना चाहता हूँ....

श्री सभापति : बहुत लम्बा हो जायेगा, संक्षिप्त कर लें।

श्री रतन लाल ताम्बी : मैं पंचायत राज के बाद नगरपालिका पर आना चाहता हूं। जैसा मैंने निवेदन किया, पंचायत राज के चुनाव आपको निश्चित रूप से समय पर करा कर साहसिक निर्णय का परिचय देना है और मैं समझता हूं आप ऐसे व्यक्ति हैं कि समय पर चुनाव करा कर इन प्रजातान्त्रिक संस्थाओं को सुदृढ़ बनायेंगे। अब इसके अलावा मैं नगरपालिकाओं के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। कई नगरपालिकायें ऐसी हैं, जैसे मेरी जहाजपुर की नगरपालिका है आज भी वह सन् 1971 की जनसंख्या पर बनी हुई है। वह के वह वार्ड, वह की वह व्यवस्था है। तो मैं चाहता हूं ज्यों ही जनसंख्या बदले, अब तो 1981 की आ गई सब कुछ बदल गया......

(व्यवधान)

हां, एम. एल. ए. भी बदल गये। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप कृपा करके ज्यों ही जनसंख्या का 10 वर्ष का पीरियड आता है.......

(व्यवधान)

मैं निवेदन यह करूं त्रिलोक चन्दजी जैन भी आये जिस तरह मैं आ गया। मैं कहना चाहता हूं कि ज्यों ही 10 वर्ष का फिगर आता है सामने तभी आप पंचायतों के, नगरपालिकाओं के वार्ड पुनर्गठित करवा कर उस तरह बढ़ाने की कृपा करें ताकि जनता को सही ढंग से सब्सिडी मिल सके। नगरपालिकाओं की भी स्थिति यही है। आर्थिक रूप से इसको भी आज देखने की आवश्यकता है। इनको आप वर्तमान में 5 रुपये दे रहे हैं, अगर आप बढ़ा सकें पंचायतों की तरह तो बहुत अच्छा है वरना एक बात देखने की आवश्यकता है कि इनमें भी भूमि विक्रय के मामले में सही ढंग से काम नहीं

(श्री रतन लाल ताम्बी)

होता है, निर्माण के कामों का भी सही ढंग से मूल्यांकन नहीं हो पाता है।

खास तौर से शियूल्ड कास्ट के लोगों के लिए राज्य सरकार ने और भारत सरकार ने एक नीति निर्धारित की थी कि दुकानें निर्माण करके गरीबों को अलाट की जायें लेकिन दुर्भाग्य से इस योजना का बहुत दुरुपयोग हो रहा है। आवंटन में दुरुपयोग हुआ और आवंटन के बाद उन दुकानों को काफी लोगों ने सबलेट कर दिया। मेरे जहाजपुर में बस स्टैण्ड पर दुकानें बनी हुई हैं। जिन लोगों को आपने दुकानें दी हैं उनको जाकर देख लीजिये, उन पर दूसरे लोग किरायेदार बैठे हैं। तो आज इस बात को देखने की आवश्यकता है कि नगरपालिका के माध्यम से आपने यह शानदार कार्यक्रम शुरू किया, शुरू करने के बाद ये सबलेट करते हैं। दुकानें गलत, अनियमित ढंग से आवंटित कर दी हैं तो कृपा करके उसका पुनरीक्षण कीजिए ताकि उन लोगों की आमदनी बढ़ सके जो गरीब हैं। गरीब लोग आत्मनिर्भर बन सकें बजाय उनके नाम पर दूसरे लोग लाभ नहीं उठा सकें।

इसी तरह नगरपालिका में आज आप देख लें, वर्दियों की खरीद के लिए, दूसरी खरीद के लिए आपके नियमों की सब व्यवस्था होने के बावजूद, आपके निर्देश होने के बावजूद कि नेशनल टैक्सटाइल कार्पोरेशन से कपड़े को खरीदना चाहिए, हैण्डलूम बोर्ड से खरीदना चाहिए, मनमाने ढग से गड़बड़ियां होती हैं। मेरे जहाजपुर में इस मामले में बहुत गड़बड़ी हुई। सारे व्यापारियों ने लिखित में दिया उसके बावजूद भी आज तक कोई जांच नहीं हुई। अभी एक जांच अधिकारी महोदय गये वह चेयरमैन और अधिशासी अधिकारी से मिल कर बैठे रह गये। जहाजपुर के नागरिक इकट्ठे होकर गये तो उन्होंने कहा कि हम कोई जांच नहीं करना चाहते, हम तो वैसे ही आये हैं। तो आज जनता शिकायत कर रही है, वहां के पंच शिकायत कर रहे हैं, वहां के मैम्बर्स लोग कर रहे हैं। इस तरह के......

श्री शोपत सिंह : उस क्षेत्र के अन्दर कमजोर एम. एल. ए. हैं।

श्री रतन लाल ताम्बी : लोगों की शिकायतों को अगर हम नहीं देखें और ऐसे लोगों को हम शील्ड करेंगे तो निश्चित रूप से इन व्यवस्थाओं पर बड़ा असर होगा।

मैं कहना चाहता हूं कि हमारे यहां पर कई कर्मचारियों को बदले की भावना से सस्पैण्ड कर रखा है, लम्बे टाइम से। उनको नियमित 3/4 तनख्वाह देनी चाहिए 6 महीने के बाद में वह नहीं दी जा रही है। उनका प्रोविडेन्ट फण्ड, उनकी बीमे की राशि की कटौती कर ली गयी लेकिन आज तक विभागों में जमा नहीं करायी गयी और रोज धमकियां दी जाती हैं कि तुमको नौकरी से हटा देंगे। हमारे कोई अफसर साहब जांच करने गये उनके सामने कर्मचारियों को डांट दिया कि हमारी क्या जांच कराते हो, हमारी यह बात कैसे

(श्री रतन लाल ताम्बी)

मालूम पड़ गयी, आगे जैसे पहुंच गये, हम तुमको नौकरी से हटा देंगे। लम्बे समय तक सस्पेण्ड रखते हैं उसको कोई देखने वाला नहीं हैं। छोटे-छोटे कर्मचारियों की बीमा प्रोविडेन्ट फण्ड की राशि काट-काट कर उसका दुरुपयोग होता है, न उनको तनख्वाह मिलती है।

और तो और, देखिये, एक अधिशासी अधिकारी शायद राजसमन्द से कहीं से आये थे वह शाहपुरा आये, शाहपुरा से 7 दिन बाद ट्रांसफर……

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया संक्षिप्त करें।

श्री रतन लाल ताम्बी : संक्षिप्त में ले रहा हूं।

श्री सभापति : 35 मिनट हो गये बोलते हुए आपको। समय की भी कोई सीमा होनी चाहिए।

श्री रतन लाल ताम्बी : 10 मिनट में समाप्त कर रहा हूं।

श्री बिहारी लाल पारीक : अच्छा बोल रहे हैं।

श्री सभापति : नहीं अच्छा बोलने का यह नहीं है। सब लोग अच्छा बोलते हैं। कृपया संक्षिप्त करें।

श्री रतन लाल ताम्बी : मैं कहना चाहता हूं उस अधिशासी अधिकारी ने शाहपुरा की नगरपालिका से भी यात्रा भत्ता उठा लिया, फिर शाहपुरा से जहाजपुर आये तो वहां से फिर उठा लिया। महीने भर हाजिरी का रजिस्टर खाली रखते हैं और महीने भर में कभी भी आ जाते हैं और हाजिरी भर जाते हैं। यह स्थिति है। तो इस विभाग में इन बातों की समय पर जांच नहीं हुई। वहां नगरपालिका को शराब का अखाड़ा बना रखा है। वहां के पदाधिकारी और वह शराब पीकर वहां बैठे रहते हैं। कर्मचारियों को धक्का देते हैं, गालियां निकालते हैं। प्रजातन्त्र में वहां की जनता इस बात को बर्दाश्त नहीं करना चाहती। दुर्भाग्य से एक ऐसे व्यक्ति को जांच के लिए भेज दिया जो डाक बंगले में एक कमरे में 3 आदमियों के बीच में बैठा रहा। कर्मचारियों और जनता के लोग मिलने गये, मैं वहां था उसके बीच में गये और शिकायतें प्रस्तुत करने गये तो उन्होंने शिकायतों को लेने से इन्कार कर दिया। अगर ऐसी नगरपालिकायें रहेंगी, ऐसी व्यवस्था रहेगी तो जनता की आस्था उठ जायेगी। इसलिए मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कृपा करके जो शिकायतें हैं उसकी ईमानदारी से जांच करवा लें। आडिट उसका सही ढंग से हो जाय और इस तरह की जो अनियमिततायें हैं, चाहे कोई भी हो, उनको नहीं बख्शा जाना चाहिए। तब तो ऐसी प्रजातांत्रिक संस्थाओं में जनता की आस्था रहेगी अन्यथा कई गड़बड़ियां हो जायेंगी।

जहाजपुर में जो दुकानें बनीं, हमारे पूरे जहाजपुर का बच्चा-बच्चा जानता है, शहर कोट जो हमारा बना हुआ है पुराने

(श्री रतन लाल ताम्बी)

जमाने का उसके पत्थर तोड़-तोड़ कर सारे नगर के उन दुकानों में लगा दिये। अब उसका बिल बनाकर दूसरा पेमेण्ट हो गया। तो इस तरह के गम्भीर मामले हैं। जहां कहीं भी यह अधिकारी रहे हैं उसके खिलाफ इस प्रकार की शिकायतें रही हैं। दुर्भाग्य से जहाजपुर में वह 3 साल से बराबर बैठे हैं। मैंने कभी उसके बारे में शिकायत की नहीं, कभी उसको कुछ किया नहीं, जब जनता ने इस बार मुझे बहुत कहा तो पहली बार मैंने लिखकर दिया। इन मामलों में आपको जांच करनी चाहिये। जांच करने वाले अधिकारी उनके साथ खायें, पीयें, बैठें और माताजी के स्थान पर घूमने जायें और उनके साथ उस तरह की चर्चा करें, कर्मचारियों को डांट दें और जनता को डांट दें तो कहां नगरपालिका के प्रति जनता का विश्वास रहेगा। तो, माननीय सभापति महोदय, नगरपालिकाओं को भी अच्छी तरह से, ढंग से देखा जाय। यह स्वायत्त शासन संस्थायें ठीक ढंग से चलें। उस नगरपालिका की बैठकें महीनों से नहीं हो रही हैं, उसका काम नियमित नहीं रहा है, भूमि विक्रय में उसमें ठीक ढंग से नहीं हो रहा है। उस अधिकारी के खिलाफ कई आरोप होते हुए जांच नहीं हो तो मैं समझता हूं नगरपालिका के प्रति जनता में अनास्था पैदा हो जायेगी। वार्डों का पुनर्गठन करके नगरपालिका का समय पर चुनाव करायें। नगरपालिका के प्रति जनता में आस्था कम होती जा रही है। कर्मचारियों को जलील कर रखा है। 10–10, 20–20 कर्मचारी आज भुखमरी के शिकार हैं। उन्होंने भूख-हड़ताल का विभाग को नोटिस दिया है कि इसकी जांच करवायें हमारे साथ यह अन्याय हो रहा है, हमको 3/4 तनख्वाह या आधी तनख्वाह मिलनी चाहिए वह नहीं मिल रही है। कोई सुनने वाला नहीं। आज यह इस तरह की हालत रहेगी……

श्री शोपत सिंह : सरकार नहीं करे तो आप क्या करेंगे ?

श्री रतन लाल ताम्बी : तो राजस्थान में इस तरह की बातों से जनता में निश्चित रूप से असन्तोष बढ़ेगा। यही बात कहते हुए मैं माननीय भाटी साहब से अनुरोध करना चाहता हूं कि इस पंचायत विभाग को सामन्ती विभाग नहीं समझें। यह राजस्थान के ग्राम जन-जीवन से सम्बन्धित है। इस विभाग की पूरी समीक्षा कीजिए। पूरा इसमें अनुभव रखने वाले व्यक्तियों से चर्चा करके आप एक नये ढंग का पंचायती राज कानून क्रांतिकारी दृष्टिकोण को साथ लेकर के तैयार कीजिये। दुनिया भर के कानून कायदे बना रखे हैं। आपने ऐसे बना रखे हैं न तो उनको कोई देखता है, न कोई कार्यवाही होती है। इसलिए बहुत संक्षिप्त में अच्छा कानून बनायें। आप महाराष्ट्र और गुजरात में जाकर देखिये वहां पंचायती राज कैसा है। राजस्थान में कुछ प्रयत्न करके मोहन लालजी सुखाड़िया ने जो नाम कमाया है, पंचायती राज का श्रेय प्राप्त किया……

श्री सभापति : कृपया संक्षिप्त कीजिये। यह रिपीटीशन हो रहा है।

श्री रतन लाल ताम्बी : नरेन्द्र सिंहजी भाटी भी उसी ढंग का अनुसरण करके पंचायती राज को व्यवस्थित करेंगे और जनता में फिर से आस्था कायम करेंगे। मैं आज निश्चित रूप से कहना चाहता हूं न नया जीवन आया है, न पुनर्जन्म हुआ है। मरणासन्न पंचायती राज को संजीवनी दे सकें, भाटी साहब, तो राजस्थान की साढ़े तीन करोड़ जनता आपको याद करेगी।

इसी तरह से नगरपालिकाओं के लिए मैंने कुछ निवेदन किया इस पर आप गम्भीरता से चिन्तन करके, आत्मनिरीक्षण करके दोनों संस्थाओं, जो प्रजातन्त्र की आधारभूत संस्थायें हैं, को मजबूत बनायेंगे।

जय हिन्द।

श्री सभापति : श्री हरिशंकर भाभड़ा।

सदन की कार्यवाही विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री बुलाकी दास कल्ला (मुख्य सचेतक) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आज की मांगें पारित हों तब तक के लिए बढ़ा दिया जाय।

श्री सभापति : सदन का समय सदन की आज्ञा से आज की मांगें पारित होने तक बढ़ाया जाता है।

मांग संख्या 41 व 49 पर विचार

श्री बिहारी लाल पारीक : आपकी मार्फत मैं भी मन्त्री जी से निवेदन कर दूं कि उनकी आत्मा को शांति दे।

श्री सभापति : श्री हरिशंकर भाभड़ा। माननीय सदस्य कृपया शांत रहें। श्री हरिशंकर भाभड़ा।

श्री हरिशंकर भाभड़ा (रतनगढ़) : सभापति महोदय, पंचायत राज पर रचनात्मक बहस हो और जैसा जहाजपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा पंचायत राज मन्त्री एम्बीशियस हैं, महत्वाकांक्षी हैं और इसलिए······

श्री शोपत सिंह : बशर्ते कि तसल्ली हो जाय।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : और वह कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन करके कुछ नयी बात कर पायेंगे इस दृष्टि से आलोचना के साथ-साथ मैं उनको रचनात्मक सुझाव भी दूंगा। सबसे पहले मैं इस पंचायत राज के सम्बन्ध में जितनी भी समितियां बैठीं, बलवन्त राय मेहता से लेकर अशोक मेहता तक, राजस्थान में भी हाई पावर कमेटी 72 में बैठी, गिरधारी लाल व्यास कमेटी 76 में हुई सब की रिपोर्ट आयी है, यह गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की जो हाई पावर कमेटी 1973 में थी उस रिपोर्ट का एक थोड़ा-सा हिस्सा कोट करना चाहता हूं जिससे आपको यह पता चल जायेगा कि राजस्थान में किस विचार से पंचायत राज शुरू हुआ, आज उसका क्या है और आगे आपको क्या करना है इसके बारे में आप विचार करेंगे। I quote यह है पेज नम्बर 10 :

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

The experience of Democratic Decentralisation has been a mixed success in Rajasthan and to squarely face the facts, it can be said that Panchayati Raj in Rajasthan is today receiving more brick bats than bouquets. A stage has come when it is patently clear that Panchayati Raj while standing on the cross-roads has to now decide whether in future it has to take a leap forward towards its ultimate goal or the retrograde step of withering away or worse still continue in its present state of slumber and stagnation. While Panchayati Raj in Rajasthan has brought administration closer to the people and has made the bureaucracy more responsive and responsible to people's aspirations and has also provided a permanent infrastructure wholy answerable for rural development it is also a fact that failure to hold regular elections, paucity of funds and other reasons (which would be discussed in greater detail in the following chapters have made these Institutions ineffective. Another reason for stagnation of Panchayati Raj is that "In many cases, there has been a gap between the emotional awareness of what is desirable and a back of willingness to act. If the working of the programme has not fulfilled the promise, the answer does not lie in scrapping it. You can not throw the baby with bath water. What is needed a complete reassessment and an analysis of the experience, gained so far, so that the whole movement could be revitalised in the context of the setting in which it has to function."

यह बहुत शार्ट में सारे राजस्थान के पंचायती राज की पिक्चर आपके सामने रख दी। मान्यवर, जहाजपुर से आने वाले सदस्य कह रहे थे कि हमारे संविधान में पंचायत राज के चुनावों की व्यवस्था है। मैं उनकी जानकारी के लिए बताना चाहता हू कि संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। जिस दिन राजस्थान की सरकार और हिन्दुस्तान के बाकी के राज्य तय कर लेंगे कि स्वायत्तशासी संस्थाओं को और पंचायतों को भी संवैधानिक संरक्षण मिल जाय उस दिन उनमें जान आ जायेगी। आज जो सबसे बड़ा काम शुरू होता है पंचायती राज में वह चुनावों से शुरू होता है। पंचायतों के चुनाव कराना और न कराना यह मुख्य मन्त्री की मर्जी पर है। बिल्कुल मर्जी पर है। वह चाहें तो 13 साल तक चुनाव न करायें, वह चाहें तो जिन्दगी भर न करायें, एडमिनिस्ट्रेटर बना दें। पंचायती राज की जिस मकसद से शुरूआत हुई थी, इसकी शुरूआत हुई थी सामुदायिक विकास की भावना से।

यदि हिन्दुस्तान में हम प्रजातन्त्र को जीवित रखना चाहते हैं, उसकी जड़ों को

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

मजबूत बनाना चाहते हैं तो हमको पंचायत और स्वायत्तशासी संस्थाओं को अधिक से अधिक अधिकार देने पड़ेंगे। यह सामुदायिक विकास बढ़ कर.......

(व्यवधान)

पहले मेरी बात सुन लीजिए।

श्री सभापति : आपस में बातचीत नहीं, माननीय सदस्य। आर्डर, आर्डर।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : मैं बहुत गम्भीरता से कह रहा हूं।

श्री सभापति : प्लीज कण्टीन्यू, आप बोलें।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : जब मजाक का मौका आयेगा तब वह मौका भी आप को दूंगा।

तो प्रजातन्त्र की जड़ों को जमाने के लिए डेमोक्रेट्रिक डी सैन्ट्रलाइजेशन से आज हम यहां पहुँचे हैं। यह आपकी विभिन्न रिपोर्ट्स हैं, इन रिपोर्ट्स में भी शुरूआत वहीं से होगी। यह व्यास कमेटी की रिपोर्ट है, उसमें भी उन्होंने जो कहा है वह आपको कोट करूंगा। यह रिपोर्ट है पंचायती राज 1976—The Committee on Comunity development and Panchayati Raj. 1976.पेज 5 पर—

"The Panchayati Raj was conveived as the process of democratic decentralisation. The recommendation of the Central Council of Local Self Government held in 1959 formed the basis of the policy of the Government in the matter of implementation of Panchayati Raj."

उसके बाद में आगे यह बात कही गई। अब इसी सम्बन्ध में एक बात और कोटकर देना चाहता हूं और वह मैं समझता हूं कि हमारे मन्त्री जी तो बहुत लरनेड हैं, इसको नोट करेंगे और इसको ध्यान में रखेंगे इसका क्या हश्र हमको करना है। यह है गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की रिपोर्ट 1973 का पेज 99। इसमें यह कहा है, मैं कोट कर रहा हूं—

"The Government's programmes with people's participation should be converted into the people's programmes with Government participation."

श्री सभापति : वापिस लिखा दें, पेज 99।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : यानि हमको अन्त में करना यह है कि जो सरकार के कार्यक्रम हैं उन कार्यक्रमों में जनता की मदद लेने की बजाय कार्यक्रम जनता के हों, सरकार केवल उसमें मदद करें। इस स्थिति में हमको इस पंचायती राज को लाना हैं। आज यदि वास्तव में यही हमारा उद्देश्य है और जो होना चाहिए, आज हिन्दुस्तान में पंचायत संस्थाओं का कोई नया सिस्टम

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

नहीं है। हजारों वर्षों से बल्कि उसके भी पहले प्री हिस्टोरिक यहां पंचायतों का राज रहा है और गांवों में पंचायतों को इतने अधिकार रहे हैं वह गांव के पूरे प्रशासन को ठीक प्रकार से चला पाई है। इसलिए यह कोई नई बात हमारे लिए नहीं है। हम चाहें तो हम इस आदत को रिवाइज कर सकते हैं बशर्ते कि हमारे मन में ईमानदारी हो और इन पंचायतों को हम चुनावों का स्टण्ट नहीं बनायें। भारतीय लोकतन्त्र, भारतीय प्रजातन्त्र की नींव का पत्थर समझ कर यदि हम इसके साथ में व्यवहार करेंगे तब तो पंचायत राज को यहां पर विकसित करने में और उसको प्रोस्पर करने में सहयोग मिलेगा अन्यथा जो स्थिति हमने कर दी है, आज वह बड़ी खतरनाक है। पंचायत में आज एक तो सबसे बड़ी और पहली बात है चुनावों की। मैं आपको सजेशन दूंगा कि पंचायतों के चुनाव विधान सभा और पार्लियामेंट के चुनावों की तरह से नियमित हों। यह सरकार तय कर ले कि किसी भी सरकार या मुख्यमन्त्री की स्वीट विल पर या उसकी मर्जी पर नहीं छोड़ा जाये बल्कि ये चुनाव निश्चित रूप से होने चाहिए। इस प्रकार की व्यवस्था की जाय और इसके लिए संविधान में संशोधन करना पड़े तो संविधान में भी इस प्रकार की व्यवस्था की जाय। यह चुनाव प्रक्रिया गवर्नमेंट सरवेन्ट पर नहीं इलेक्शन कमीशन के अन्तर्गत दी जाय ताकि इलेक्शन कमीशन उनके निष्पक्ष रूप से चुनाव करवा सके। तब तो यह चुनाव की प्रक्रिया ठीक चलेगी वरना आज तो स्थिति यह है कि पंचायतों को हमने चपरासियों से कम दर्जे पर लाकर छोड़ दिया है। आज पंचायत, का सरपंच, अभी ताम्बी जी कह रहे थे, और ग्राम पंचायत समिति में जब अफसर लोग आते हैं, मैंने भी मीटिंग अटेंड की है, तो मैंने यह देखा है कि वहां पर यदि कभी डी.वाई.एस.पी. आ जाय तो वह सरपंच को नाम ले लेकर इनडायरेक्टली डराता है, सरपंच साहब एक शिकायत आपके खिलाफ एक केस की आई है। बस, सरपंच जो बात कहना चाहता है वह चुप हो जायेगा। उस को लगता है कि डी.वाई.एस.पी. बाहर जाते ही किसी न किसी केस में मुझ को उलझायेगा और गिरफ्तार कर लेगा। यह वहां मीटिंग्स में होता है। इसी तरह से और भी जितने अधिकारी हैं वह अधिकारी भी अपने किसी न किसी स्वार्थ की तरफ सरपंच को इशारा करते हैं और सरपंच चुप होकर बैठ जाता है।

श्री रामसिंह विश्नोई : पंचायत की मीटिंग में डी.वाई.एस.पी. नहीं आता।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : मैं पचायत समिति की बात कर रहा हूं। पंचायत समिति में आता है, बुलाने पर आता है।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आपस में बातचीत नहीं। आर्डर प्लीज, आर्डर। इनकी पंचायत समिति में आते होंगे, आपके यहां नहीं आते होंगे।

श्री रामसिंह विश्नोई : आ ही नहीं सकता।

श्री सभापति : विशेष ग्रामन्त्रण पर ग्राते होंगे, किसी ने बुला लिया होगा ।

श्री रामसिंह विश्नोई : मुझे तजुर्बा है 25 साल का, किसी पंचायत में थानेदार या डी.वाई.एस.पी. ग्रा नहीं सकता ।

(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (बूंदी) : ग्राते हैं । जिला परिषद् में एस.पी. ग्रौर पंचायत समिति में डी.वाई.एस.पी. ग्राते हैं ।

एक माननीय सदस्य : सोजत में, रायपुर में ग्राते है ।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : मेरे कहने का मतलब यह है कि जिन ग्रधिकारियों को ग्राप पंचायत समिति में, जिला परिषद् में या पंचायत में किसी को बुलायें उनके सहयोग के लिए, तो वह वहां पर उनको भयभीत करने के लिए, डराने के लिए जाते हैं, उनकी मदद करने के लिए नहीं जाते । ग्रौर हालात यह हैं मैंने जिला परिषद की मीटिंग ग्रटेन्ड की हैं, मैं बराबर करता हूं, जिला परिषद ग्रौर पंचायत समिति कहती है कि हम तो प्रस्ताव कर लो, सरकार को भेज दो ग्रौर फिर नेक्स्ट मीटिंग में जो उसकी कम्पलायंस रिपोर्ट ग्राती है वह तो बड़ी हास्यास्पद ग्रौर मजेदार होती है। हर ग्रफसर खड़ा होकर कहता है इस सम्बन्ध में पंचायत समिति ने या जिला परिषद् ने यह प्रस्ताव पारित किया, हमने पत्र लिखा फलां नम्बर के मुताबिक फलां फलां, सरकार को सूचना दे दी, सरकार का कोई जवाब नहीं ग्राया । या सरकार का जवाब ग्रा गया तो इसका प्रावधान बजट में नहीं है इसलिए कुछ नहीं हो सकता। यह कम्पलायंस हो गई। लगभग 90 प्रतिशत मामलों में जिला परिषद् में ग्रौर पंचायत समिति में इस प्रकार की स्थिति है। इस तरह से तो लोगों का पार्टीसिपेशन करा नहीं सकते। लोगों को जिम्मेदारी दे नहीं सकते। इसलिए महरबानी करके इसमें भी परिवर्तन करने की जरूरत है। इसके लिए सुझाव मैं ग्रापको ग्रागे दूंगा ।

दूसरी बात है इन संस्थाग्रों की ग्रार्थिक ग्रवस्था । यह तो ग्रापने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बनाकर रख दिया । यह तो ग्रापके गुलाम हैं । कोई भी सरपंच को एक दो रुपया खर्च करने का ग्रधिकार नहीं है। उसके पास पैसा ग्रा नहीं सकता । ग्राने का कोई साधन नहीं । पंचायत समिति के पास नहीं, जिला परिषद् के पास है । उन्होंने बड़े-बड़े प्रस्ताव स्वीकार कर लिये लेकिन सिफारिश किस की मानी जाती है ? कलक्टर ग्रौर एस.डी.ग्रो. की, जिला परिषद् की, नहीं । ग्राज कोई प्रमुख बहुत होशियार है, प्रधान बहुत होशियार ग्रौर वह हावी होने की क्षमता रखता है तो भले ही वह मन वाले ग्रदरवाइज नार्मली जो प्रस्ताव की सिफारिश कलक्टर करेगा, एस.डी.ग्रो. करेगा, बी.डी.ग्रो करेगा, सरकार का ध्यान उसकी तरफ जायेगा। लेकिन पंचायत समिति ग्राज.......

(5.00 म.प.)

लेकिन पंचायत समिति एज सच या जिला परिषद् एज सच कोई प्रस्ताव पास करके भेजती है, सरकार उसको बिलकुल नकारात्मक रूप से लेगी, उस पर कोई तवज्जोह नहीं देगी । यह वास्तविक स्थिति

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

है जिसके कारण पंचायतों की स्थिति खराब है। यदि आप चाहते हैं पंचायतों में कुछ दम हो, वह कुछ काम करें तो पंचायत समिति, जिला परिषद और स्वायतशासी संस्थायें हैं, वह आर्थिक रूप से अपने पैरों पर खड़ी होकर काम करें, इस तरह की व्यवस्था कर सकें तो कुछ काम होगा अन्यथा नहीं। नहीं तो हो ही यह रहा है जिस तरह से केन्द्र पर स्टेट वाले डिपेण्डेंट हैं, राज्य सरकारें कहती हैं केन्द्र ने हमको आर्थिक रूप से स्वायतता दे नहीं रखी, हर बार केन्द्र से पैसा मांगना पड़ता है वहां रीजनल इमबैलेंस होता है, कुछ राज्यों को केन्द्र बहुत पैसा देता है, कुछ राज्यों को बिल्कुल नहीं देता। इसी तरह राज्य भी पैसा देते समय इम्बैलेंस करता है। अपना आदमी है, अपनी पार्टी का आदमी है तो उस जिला प्रमुख या उस पंचायत समिति या उस नगरपालिका को पैसा मिल जायेगा और यदि विरोध का है तो उसको पैसा नहीं मिलेगा वह चाहे कितना ही ईमानदार है, कितना ही अच्छा काम करें। यह प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहा है। इसलिए पंचायत एक्ट में सुधार करने की जरूरत है। सबसे पहले इस 17(4) पर आप मेहरबानी करके अंकुश लगाइये। इस 17(4) में यह नियम बना लिया कि पंचायत के प्रधानों को, सरपंचों को निलम्बित करने के लिए मामूली, मामूली आरोप लगाकर, जिन आरोपों के आधार पर आप चपरासी को निलम्बित नहीं कर सकते हैं, चपरासी को नौकरी से नहीं निकाल सकते हैं, ऐसे आरोप सरपंचों पर, प्रधानों पर, नगरपालिका के अध्यक्षों पर लगाकर उनको निलम्बित कर देते हो। आखिर वह चुने हुए हैं। आपको पता है, एक सरपंच के चुनाव में आजकल लाख-लाख रुपया खर्च होता है। लाख रुपया तक खर्च होता है एक सरपंच के चुनाव में। नहीं है तो आप जाकर देख लीजिए। आखिर प्रधानों के चुनाव में आप भी मनोगे, जब आप कैम्पिग करके बैठा देते हो सैंकड़ों सरपंचों को, लाखों रुपया उसमें खर्च होता है। ऐसा ही जिला परिषद् में भी होता है। जो पैसे खर्च करके चुने जाते हैं, आपकी सरकार में उनकी कीमत यह है कि मन्त्री महोदय किसी एम. एल. ए. किसी और अपने पार्टी के आदमी की मामूली सी दरख्वास्त पर एक लाइन लिख देते हैं कि इनको निलम्बित कर दिया जाय, आरोप पत्र बनाकर भेज दो जो मर्जी आये सो। यह हो रहा है। इसलिए इसको बन्द करिये। यह केवल पार्टीबाजी का सवाल नहीं है, जो हमारी मूलभूत आकांक्षायें हैं इस देश में प्रजातन्त्र को पनपाने की, यह उन पर आघात है। इसलिए इससे बचने के लिए यदि आपको 17(4) की जरूरत ही है तो यह अधिकार किसी न्यायिक अधिकारी को दे दीजिए। यदि किसी सरपंच को, किसी भी इलेक्टेड मैम्बर की शिकायत आती है, न्यायिक अधिकारी को आप अपनी रिपोर्ट दे दीजिये, अपनी शिकायत भेज दीजिये वह चाहे तो जांच कर उसे निलम्बित करें, उसे हटाये। सरकार के हाथ से कम से कम इसको निकालिये ताकि लोगों को संरक्षण मिले। वरना मेरे पास उदाहरण है, थानागाजी, प्रतापगढ़ में एक सरपंच है, बेचारा बहुत अच्छा काम करने वाला था आपने उसको निलम्बित कर दिया। कल फागी के सरपंच

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

को गिरफ्तार कर लिया सी. ग्रार. पी. सी. की धारा 197 में बिना सरकार की सैंक्शन लिए। वह पब्लिक सर्वेन्ट है। किस मामले में किया ? दो पार्टियां लड़ रही थी, उन्होंने एक पार्टी के पक्ष में फैसला दिया, दूसरी पार्टी ने ग्राकर मारपीट की। पुलिस ने ग्राकर उसको गिरफ्तार कर लिया। यह बड़े ग्राश्चर्य की बात है, सरपंचों को बिना सरकार की स्वीकृति लिए, बिना धारा 197 में स्वीकृति लिए गिरफ्तार कर लें। वह कर रहे हैं सारे के सारे।

इसी तरह शेरगढ़ के सरपंच को इसलिए निलम्बित कर दिया खेतसिंहजी ने, कि उन्होंने उस समय ग्रखबारों में यह भेज दिया कि वहां जितनी मौतें हुई थीं वह भूख से हुई थीं। इस वजह से उनको निलम्बित कर दिया। वह विपक्ष के थे। एक ग्रोर तो यह हालत है दूसरी ग्रोर ग्रपनी पार्टी का सरपंच को चाहे हजारों रुपये, लाखों रुपये दिये जाये, वह पंचायत समिति से कितना ही पैसा लाये उसका कितना भी दुरुपयोग करें, स्कूल के नाम से, सड़क के नाम से, कुएँ के नाम से रुपया लाये, न लगाये, खा जाये मगर उनको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। उनको हम बचा कर रखें, यह दुर्भावना, यह विभेद की भावना जब तक रहेगी तब तक पंचायतों का ढांचा सुधरेगा नहीं। इसलिए, मन्त्री महोदय, सबसे पहला काम तो यह करिये।

दूसरा, सरपंचों, प्रधानों को कुछ तो संरक्षण दीजिए। मामूली सा पुलिस का थानेदार चाहे जिस सरपंच को चाहे जिस तरह से परेशान करके गिरफ्तार कर लेता है। उनको डराता रहता है। इस तरह की शिकायत मेरे पास तो रोज ग्राती रहती हैं। ग्राखिर वह भी चुने हुए मैम्बर हैं। ग्राप बड़े ग्रसेम्बली में चुन कर ग्राये हैं तो वह भी ग्रपने यहां पर गांव में मौजीद ग्रादमी हैं। चुन कर ग्राये हैं उनकी भी कुछ इज्जत होगी। मगर पुलिस के लोग उनकी कोई इज्जत नहीं समझते। मामूली-मामूली बातों पर उनको गिरफ्तार करने की धमकियां देते हैं। झूठे केस रजिस्टर करते हैं। ग्राज पार्टीबाजी हो रही है यह बात ठीक है। डेमोक्रेसी को जब हमने स्वीकार किया है तो उसकी कमियां भी हमको स्वीकार करनी पड़ेगी। उसमें चुनाव होगा, उसमें गुपिज्म होगा, उसमें प्रतिस्पर्धायें होंगी, इसको ग्राप रोक नहीं सकते हैं। जब ग्राप प्रजातन्त्र को स्वीकार कर रहे हैं तो उसमें जो इन्हरेन्ट कमियां हैं उनको स्वीकार करना पड़ेगा। मगर उनको किसी तरह से मिनिमाइज करें, किस तरह से उनको हम कम करें, उन बुराइयों से किस तरह से हम बचें इसके लिए सरकार को सावधानी बरतनो चाहिए। जो चुने हुए ग्रादमी हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने से पहले इस प्रकार के स्टेण्डिग ग्रार्डर पुलिस को देने चाहिए कि किसी चुने हुए सदस्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने से पहले इतनी सावधानियाँ बरतिये। इसके बाद ग्रापको लगता है वह कल्परिट है, उसने ग्राफेंस किया है उसको गिरफ्तार करिये। लेकिन सामान्यतः जैसी मर्जी हो उस तरह से मत करिये। इस बारे में सरकार को चिन्ता करनी चाहिए। मैं समझता हूं यह चिन्ता

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

सरकार ने की तो इससे कुछ लाभ होगा।

अब मैं आपको एक सजेशन देता हूं।

श्री सभापति : थोड़ा संक्षिप्त करें।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : मैं बहुत संक्षेप में कह रहा हूं। बहुत जल्दी-जल्दी कह रहा हूं। बहुत सी बातें तो मैं कहूंगा ही नहीं।

श्री सभापति : प्लीज कन्टीन्यू।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : पंचायतों को आप जनता पार्टी की सरकार के पहले केवल 25 पैसा प्रति व्यक्ति के हिसाब से अनुदान देते थे। हमारे राज ने वह ढ़ाई रुपया किया। आप नगरपालिका को पांच रुपया दे रहे हो और पंचायतों को ढाई रुपया दे रहे हो। यह अन्तर क्यों? क्या पंचायत में रहने वाले आदमी-आदमी नहीं हैं? क्या गांव के विकास के लिए पैसे की जरूरत नहीं है? कम से कम इसमें तो समानता करिये। यदि आप नगरपालिका को पांच रुपया देते हो तो पंचायतों को भी पांच रुपया अनुदान दीजिए। यदि आप नगरपालिका में पांच से दस रुपया करते हो तो पंचायतों का भी पांच से दस रुपया करिये। समान स्तर पर दोनों संस्थानों को सम्भालिये ताकि उनको पैसे की कुछ सुविधा हो।

दूसरी बात, कुछ अधिकार आपने पंचायतों को दिये हैं—ग्राम रास्तों के, आबादी की जमीन के, तालाब और गोचर भूमि के। लेकिन उनमें पटवारी उनको परेशान करता है। पटवारी की उतनी की उतनी दखलन्दाजी है। इसलिए जो अधिकार आपने पंचायतों को दिये हैं उन अधिकारों में कम से कम पटवारी तो दखलन्दाजी नहीं करे। आपको कलेक्टर के लेवल पर, एस. डी. एम. के लेवल पर कहीं नियन्त्रण की बात की वह समझ में आती है लेकिन पटवारी सरपंच को म्यूटेशन के मामले को लेकर अपना सबोर्डिनेट समझे, इसको कृपया बन्द करिये।

ग्राम सेवक लगा रखे हैं, तीन-तीन, चार-चार पंचायतों में एक-एक। मेहरबानी करके इसको समाप्त करिये। ग्रुप सचिव जो लगा रखे हैं, एक-एक, एक पंचायत में लगाइये। ग्रुप सचिव तीन पंचायतों का एक है वह तीनों में नहीं मिलेगा। एक पूछेगा तो कहेगा वहां गया था, वह पूछेगा तो वहां गया था। तीनों को तीनों का जवाब दे देगा। तीन जगह जायेगा नहीं। तीनों का रेकार्ड ताले में बन्द करके रखेगा। बड़े आश्चर्य की बात है, आपके चुने हुए लोगों पर आपका विश्वास नहीं है, वह रेकार्ड रख नहीं सकते और वह ग्रुप सचिव जो आपका नौकर है, तीनों का मालिक बना हुआ फिर रहा है। इसलिए इस व्यवस्था में आप सुधार करिये।

इसी तरह से ग्राम पंचायतों में सरपंचों को भत्ता-वत्ता नहीं मिलता है, बहुत नामीनल देते हैं। यदि किसी सरपंच से आप चाहते हैं कि वह पूरा समय दे और गांव के विकास के लिए काम करे तो आप अपने बारे में यहां पर बैठ कर सोचते हैं उनके

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

बारे में भी सोचिये। उनको भी उचित भत्ता दीजिए ताकि वह अपना समय दे सकें और गांव में कुछ कर सकें। आप यदि वास्तव में परिवर्तन चाहते हैं तो अभी जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था में तो आप कितना ही कुछ कर लें कुछ होगा नहीं और न पंचायतों का उपयोग होगा, चाहे अधिकार दें तो दुरुपयोग होगा, नहीं देंगे तो डिपार्टमेंट में चला जायेगा अधिकार, एक सुझाव है विचार करने का इसमें गौर से, क्योंकि ग्राम सभा भी बेकार हो गई, बरायेनाम मीटिंग होती है ग्राम सभा की डुगडुगी पीटी जाती है, गांव के दो चार बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं, उसमें कुछ निर्णय कर लिए जाते हैं और यह निर्णय ग्राम सभा ने लिये, यह घोषणा हो जाती है। इसलिए ग्राम सभा को इकाई बनायें और सबसे पहले ग्राम सभी में सानुपातिक, प्रपोरशनल रिप्रजेंटेशन हर जाति के लोगों का हो, इस आधार पर ग्राम में ग्राम सभाओं का चुनाव करवायें। पंचों एवं सरपंचो के डायरेक्ट चुनाव करवा लें, मगर ग्राम सभाओं का सानुपातिक तरीके से चुनाव करवाइये और फिर उस ग्राम सभा को अधिकार दीजिए कि वह वार्ड पंच चुनें, सरपंच चुनें। ग्राम सभा के चुने हुए लोग, सरपंच और वार्ड पंच मिल कर पूरी रेस्पांसिबिलिटी के साथ काम करें तो गांवों में आज जो झगड़े हो रहे हैं, जो पार्टीबाजी बढ़ रही है, वह घटेगी और गांव का हर समझदार आदमी ग्राम सभा में पार्टिसिपेट करेगा और जिस दिन गांव के समझदार, बूढ़े, पढ़े-लिखे आदमी पार्टिसिपेट करने लग जायेंगे उस समय आपकी यह इकाई अपने आप अपने पैरों पर खड़ी हो जायेगी और जितनी गड़बड़ियां हो रही हैं, गांवों में अभी भी लोग विश्वास करते है कि पंच परमेश्वर होता है, पांच आदमियों में परमेश्वर होता है, आप ईमानदारी से गांव के लोगों के पास जाकर एक बार मिल कर पांच आदमियों को तय कर दें तो उनके निर्णय को पंच परमेश्वर की तरह मानते हैं। इसलिए इस प्रश्न पर गम्भीरता से विचार करें तो मैं समझता हूं कि मतलब निकल सकता है। वैसे इस सम्बन्ध में आपको बहुत कुछ सुझाव दे सकता हूं, इसलिए एक बात……

श्री भैंरूलाल भारद्वाज (जमवा रामगढ़) : आसन की घड़ी आपकी तरफ चलती नहीं है।

श्री सभापति : नहीं, चलती है। दोनों तरफ घड़ी चलती है। कृपया बोलें। जरा संक्षेप में कह दें तो अच्छा है।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : आपकी जितनी भी योजनायें हैं जैसे एकीकृत ग्रामीण विकास योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ट्राइबल प्लान, बायो गैस योजना या जनजाति क्षेत्रीय मिनी ब्लाक की योजना, इन सारी योजनाओं के अन्दर आप जब तक गांव की पंचायतों को इन्वाल्व नही करेंगे ईमानदारी से, तब तक इन योजनाओं का कोई लाभ नहीं मिलेगा। आपके गांवों में लोग यह समझते हैं कि पंचायत समिति के विकास अधिकारी और बाकी के जो अफसर हैं, वे हमारे मालिक हैं। कृषि का एक्सटेन्शन आफिसर या शिक्षा प्रसार अधिकारी मालिक समझ कर गिड़गिड़ाते हैं। बैंक वाले उनके साथ जिस

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

तरह का दुर्व्यवहार करते हैं पैसा देते समय या वसूली करते समय, यह सब इसलिए होता है कि उनका इन्वाल्वमेंट नहीं होता। आप उनको इसमें एक बार अधिकार दीजिए, हो सकता है उन अधिकारों का दुरुपयोग होगा, लेकिन जिस प्रकार से विधान सभा में भी, माफ करना, मैं किसी पर आक्षेप नहीं कर रहा हूं, विधान सभा में भी और पार्लियामेंट में भी हम स्वयं अधिकारों का दुरुपयोग करते हैं, कभी-कभी उनको भी दुरुपयोग करने का अधिकार दीजिए। इससे प्रजातन्त्र का विकास होगा। गलती करते-करते ठीक होंगे। उन पर आपको विश्वास करना होगा। कुछ समय के लिए कष्ट होगा, गड़बड़ियां होंगी, लेकिन धीरे-धीरे लोग अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे। भले लोग इस चुनाव में आयेंगे और गुण्डागर्दी चुनाव में जो हो रही है वह अपने आप खत्म होगी। समझदार लोग आयेंगे, जब उनको लगेगा कि यहां पर रस्पांसिबिलीटी से काम किया जा रहा है। इसलिए कुछ अधिकार आपको गांवों को, मैं तो यहां तक कहने को तैयार हूं यदि हमें वाकई में प्रजातन्त्र का विकास करना है तो पंचायतों को हमें छोटे-छोटे कानून बनाने का भी अधिकार देना चाहिए जो अपने गांव तक सीमित हो, तो अपनी गांव की राय को लेकर लगावें, इतना भी आप कर सकते हैं, इसमें एक बार प्राब्लम आयेंगी, एक बार समस्या आयेंगी, लेकिन धीरे-धीरे लोगों में रेस्पांसिबिलिटी होगी। यह मैंने आपको पंचायतों के बारे में संक्षेप में निवेदन किया।

अब मैं थोड़ा सा नगरपालिकाओं के बारे में बोलना चाहता हूँ। नगरपालिकाओं के सम्बन्ध में नगर अध्यक्ष का ही सवाल नहीं है, नगरपालिकाओं में आपने एक तो बड़ी गड़बड़ी यह कर दी कि इस धारा 285 का बड़ा दुरुपयोग होता है, धारा 285 में किसी बोर्ड के किसी रिजोलूशन को एस.डी.ओ.स्टे कर देता है इस आधार पर कि वहां पर ब्रीच ऑफ पीस की सम्भावना है, मगर एस. डी. ओ. ईनवेरिएबली इस धारा 285 को अपील की तरह ट्रीट करता है, कोई भी जाकर कह देता है कि इसमें झगड़ा होने की सम्भावना है तो यदि एस. डी. ओ. साहब मिल गये, उनकी बात हो गई है या अगर सत्ताधारी पार्टी के लोग है तो तुरन्त स्टे लग जाता है, इसलिए 283 का प्रयोग ठीक ढंग से हो·······

श्री सभापति : 285 है, आप गलत बोल गये।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : 285 कह रहा हूं, शब्द निकल गया। इसलिये 285 का प्रयोग ठीक ढंग से हो इस सम्बन्ध में आप कृपा करके कुछ इन्स्ट्रक्शन्स जारी करें।

एक आपने बिना एक्ट के प्रावधान के कुछ ऐसे नियम बना दिये हैं, जिनमें एडमिनिस्ट्रेटिव आर्डर दे दिये ई. ओ. को आपने, चैक पर हस्ताक्षर करने के सम्बन्ध में तो समझ में आता है लेकिन नियम बना कर अधिकार दे दिये कि बोर्ड के किसी रिजोलूशन पर ई. ओ. किन्हीं आधार पर डिसेन्टिंग नोट लगा दे तो रिजोलूशन एग्जीक्यूट नहीं किया जा सकता और इसका निर्णय कलक्टर करेगा, जब तक कलक्टर इसका निर्णय नहीं करेगा तब

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

तक इसका एग्जीक्यूशन होगा नहीं। इससे बढ़कर प्रजातन्त्र पर लात मारने की कोई बात नहीं, सारा बोर्ड बैठकर तय करता है, रिजोलूशन पास करता है और ई. ओ. डिसेन्डिग नोट लगा देता है तो कलक्टर के पास पड़ा रहता है वर्षों तक। इस प्रकार के कई रिजोलूशन पड़े हैं। वह नौकर है, साहब, लेकिन आज हालत यह है कि विरोध की जहां पर नगरपालिकायें हैं, वहां पर जान बूझकर ऐसे ई.ओज. को भेज रहे हैं कि वे विकास का काम करने ही नहीं देते। वह इस प्रकार का नोट लगा देते हैं। इतना ही नहीं, आपके एक्ट में प्रावधान है कि यदि ई. ओ. के खिलाफ 2/3 मेजोरिटी से बोर्ड में प्रस्ताव पास हो जाय कि इस ई. ओ. को यहां नहीं रखना तो उस ई.ओ. को वहां से हटाना ही पड़ता है, मगर आज, मन्त्री महोदय, सुन कर आपको ताज्जुब होगा कि राजगढ़ नगरपालिका में इस तरह का प्रस्ताव पारित करने के बाद उस ई. ओ. को बार-बार वहां पर लगाया गया और डायरेक्टर साहब कहते हैं कि मैं क्या करूं, मन्त्री का आदेश है, मैं तो मन्त्री का गुलाम हूं, मन्त्रीजी कोई हुक्म दें मैं तो वैसा करूंगा, जो काम करने वाले लोग हैं हमारे यहां नागौर में, जितनी म्युनिसिपेलिटी विरोध की आई सब को निलम्बित करने का नोटिस जारी कर दिया। यह हमारे हरीश जी कुमावत कुचामन सिटी के चेयरमैन बैठे हैं, इनको निलम्बित कर दिया। वह तो हाईकोर्ट से आर्डर होकर दुबारा आये अन्यथा निलम्बित कर दिया नेता ने इनको निलम्बित करने का नोटिस दे दिया कोर्ट में जाने पर। परबतसर में इनको चेयरमैनशिप से निलम्बित किया। बोर्ड की मीटिंग में जाते हैं तो कहते हैं कि आप तो मेम्बर ही नहीं है। निलम्बित किया है चेयरमैनशिप से, मगर उनको मेम्बर ही नहीं मानते। सब 'जितने मेंबर हैं, सारे मेंबर को इस प्रकार के नोटिस जारी किये जा चुके हैं। इसका कोई क्राइटेरिया नहीं, यह केवल राजनैतिक आधार पर किया जा रहा है......

श्री सभापति : शॉर्ट में।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : मैं बहुत ही शॉर्ट में कर रहा हूं। मैं एक दो बात और कहना चाहूंगा। मनोहरपुर के अन्दर मेंबर कांग्रेस का मेंबर है, वह अध्यक्ष भी था, बालूराम गूजर, बाद में मेंबर चुनकर आया, उन्होंने वहां पर ठेके के अन्दर गड़बड़ की, रुपये खा गये, डी.एल.बी. से एक जांच अधिकारी गये और उस जांच अधिकारी ने अपनी जांच रिपोर्ट में लिखा कि इनके खिलाफ गबन का केस साबित हो गया है, इसलिये इनको निलम्बित कर देना चाहिए। उनको निलम्बित नहीं किया, क्योंकि वे कांग्रेस के हैं। हमारी मन्त्री महोदया कमलाजी यहां नहीं है, मैं उनका नाम लेकर कहना चाहता हूं कि राजीव गांधी दिल्ली में बैठकर कहते हैं कि राजनैतिक हस्तक्षेप बन्द करेंगे और यहां कमला जी अपनी कांस्टीटुएन्सी के अन्दर सारे लोगों के ट्रांसफर करवा रही है, सैकड़ों लोगों के करवा दिये और वहां देखिये मनोहरपुरा म्युनिसिपैलिटी में मोहनलाल शर्मा और एक मुक्तिलाल नगरपालिका के नौकर हैं, इन दोनों को वहां से हटा दिया। इनको लगता है कि हमारे विरोध में जा रहे हैं। इस प्रकार से स्वयं मन्त्री नगरपालिका के

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

कर्मचारियों को जिनकी अपोईटिंग ग्रोथोरिटी नगरपालिका है, यह भी एक नियम के अन्तर्गत डी. एल. बी. ने गलत अधिकार ले लिए कि नगरपालिकाओं के उन कर्मचारियों को जिनकी नियुक्ति नगरपालिका करती है, उनके ट्रांसफर वहां से मर्जी आये बिना नगरपालिका की सलाह लिए और बिना उसकी इच्छा के कर दिए जाते हैं। इस तरह से नगरपालिका के कामों में हस्तक्षेप करके जान बूझकर नगरपालिका के कामों को बिगाड़ा जा रहा है।

मान्यवर, जोधपुर की हालत तो बहुत खराब है। जोधपुर नगर परिषद् में कितनी बार चेयरमैन चुने गये ? कितनी बार वहां झगड़े हुए ? बजट पास नहीं हुआ। आज तक किसी भी चेयरमेन को या मेम्बर को निलम्बन का आदेश नहीं दिया गया और जोधपुर की यू. आई. टी. यह आपकी स्वायत्त संस्था के अन्तर्गत आती है। यह पूरा लम्बा चौड़ा चिट्ठा है। आपको सुन कर ताज्जुब होगा कि आपकी लोकल सेल्फ आडिट रिकार्ड के अन्दर एक करोड़ दो लाख सत्तर हजार नौ सौ चालीस रुपये के गबन की हानि यू. आई. टी. की बतायी गयी, उसकी जाँच आज तक नहीं हुई। यह मेमोरेण्डम श्रीमान् राजीव गांधी जी को दिया गया है, मुख्य मन्त्री हरिदेव जी के पास गया है, हम सब लोगों के पास में गया है और सारा राजस्थान इस बात को जानता है कि यदि राजस्थान में कहीं भ्रष्टाचार का प्रमुख अड्डा है तो जोधपुर की यू. आई. टी. है, कि जिसमें करोड़ों रुपये का गबन भी हो रहा है, घोटाला भी हो रहा है, नुकसान भी हो रहा है। लेकिन राज्य सरकार उसके लिए कुछ कदम नहीं उठाती, नोटिस तक नहीं लेती।

मान्यवर, नागौर नगरपालिका की भी यही हालत है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : यह आरोप किसने लगाये, जोधपुर नगर परिषद् पर, यू. आई. टी. पर ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : आप इसको उजागर करना चाहते हैं ?

(व्यवधान)

श्री हरिशंकर भाभड़ा : नहीं, नहीं आपने सुना नहीं। इसलिए मैंने लोकल आडिट का नाम लिया था। आपने सुना नहीं, आप सुन लेते।

श्री उपाध्यक्ष : आपस में बातचीत नहीं, कृपया। आर्डर प्लीज, आर्डर प्लीज, कृपया अपने भाषण को समाप्त करने की चेष्टा करें। बहुत लम्बा समय हो गया है।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : आपने चूंकि प्रश्न पूछा है, इसलिए राज्य सरकार ने एक रिट याचिका में जो जवाब दिया है, उस जवाब में पैरा नम्बर-9 में इस बात को स्वीकार किया है कि 75 लाख तक इसमें "But it may here be said that on the date of alleged compromise, the market rate of the commercial plots and residential plots in that area were sufficiently high and the present losses to the exchequre

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

would be to an estimate of Rs. 75·60 lacs."

यह गवर्नमेन्ट का राजस्थान हाई कोर्ट में जवाब है। यह आडिट का जवाब है। लेकिन आज तक....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, काफी लम्बा-चौड़ा हो गया।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : आज तक इस सन्दर्भ में कुछ नहीं हुआ। इसी तरह मान्यवर, यह पोकरण की नगरपालिका के पूरे कागजात मेरे पास हैं।

एक माननीय सदस्य : कितने आडिट के पडे हैं पचायत राज के अन्दर।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : यह तो आडिट वालों का काम है। यह तो आडिट वालों का यही काम है। आडिट वालों का यही नुक्ताचीनी करने का काम है।

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त करें। बहुत लम्बा चौड़ा हो गया, आधे घंटे से ऊपर समय हो गया, और भी सदस्य बोलेंगे। माननीय सदस्य, दो मिनट में समाप्त करें।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : भाटी जी, एक बात और कहना चाहता हूं, दो मिनट में ही कहना चाहता हूं।

सिकराय के प्रधान की भी यही हालत है। सिकराय के यहा प्रधान के पास बी. डी.ओ करके, शायद कोई अधिकारी था, उसको लगाया। वे बेचारे पिछलेदो-ढाई साल से लड़ते रहे लड़ते रहे। अन्त में अखबारों में आया था कि उसको गिरफ्तार किया गया है और उस आदमी को रोज एक नौजवान लड़की चाहिए। यह अखबारों में आया है। उस तृतीय अधिकारी पर यह आरोप लगाया कि, कि उसको रोज एक नौजवान लड़की चाहिए। मगर सिकराय का प्रधान चूंकि विरोध का है, इसलिए उसकी बात को सुना नहीं गया जब माथुर साहब मुख्य मन्त्री थे, पता नहीं उसी को तो क्या दोस्ती थी उस अधिकारी से कि उसी को बार-बार वहां पर लगा दिया, बार-बार शिकायत करने के बावजूद भी लगा दिया गया और इसी तरह उनको परेशान करने की कोशिश की जा रही है।

इसलिए अन्त में मैं कहना चाहता हूँ, मैंने कोई बहुत समय नहीं लिया है, 15-20 मिनट ही लिया है, लेकिन अगर आप मुझे बाध्य ही कर रहे हैं तो अन्त में यही कहना चाहता हूं, यदि वास्तव में आप प्रजातन्त्र की जड़ों को मजबूत करना चाहते हैं तो मैंने ये उदाहरण दिये हैं इनको पार्टीबाजी के रूप में मत लीजिये और भाटी साहब आपकी एम्बीशन है, आपकी ट्रेंड्स है, जोशी जी भी कहते हैं कि उनका भी एक स्वप्न है राजस्थान के विकास का, उस स्वप्न को सच्चा करने के लिए इन बातों पर ध्यान दीजिये। आप जो आज मंत्री है, कल रहेंगे, या नहीं रहेंगे, यह राजस्थान रहेगा और यदि आपने इस स्वप्न को पूरा करने के लिए कुछ ठोस कदम उठाये तो ये कदम रहेंगे, आप रहेंगे या नहीं रहेंगे।

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

यही कह कर सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : धन्यवाद। श्री थान सिंह।

श्री थानसिंह (सलुम्बर) : सभापति महोदय, मांग संख्या-41 और 49 के सम्बन्ध में मैं आपसे निवेदन करूंगा। सभापति महोदय, पंचायती राज....

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज़, आर्डर। आपस में बातचीत नहीं, माननीय सदस्य को सुनें।

श्री थानसिंह : 1959 में स्वर्गीय सुखाड़िया जी के नेतृत्व में यह पंचायती राज कायम हुआ राजस्थान में। तब से पंचायती राज, राजस्थान का पंचायती राज एक इतना महत्वपूर्ण पंचायती राज है, जिसने लोकतंत्र में एक संस्था की तरह अच्छा ग्रामीण विकास में योगदान दिया है। सभापति महोदय, जबसे इस पंचायती राज की स्थापना हुई, तब से आज तक जो भी मुख्य मन्त्री आये, जो भी सरकारें आयीं, सब ने इस पंचायती राज को सुदृढ़ बनाने का, इसको आगे बढ़ाने का काफी प्रयत्न किया। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस है इस बात के कहने में कि उसके बाद उसने नवजीवन देने के बावजूद नवजीवन नहीं आया। इसमें, इस बात में कोई सन्देह नहीं कि पहले जितने प्रमुखों के अधिकार थे, प्रधानों के अधिकार थे, सरपंचों के अधिकार थे, उन अधिकारों में कुछ कमी हुई है। अधिकारों में कमी होने का मतलब यही है, या राज्य सरकार की मंशा है या फिर इस संस्था के जन प्रतिनिधि का अधिकार में काम करने की मंशा बहुत कम है। क्योंकि पिछले समय में मैंने अक्सर देखा है, उस समय प्रमुख एक पद पर था, उस समय पंचायत समिति में अध्यापक लगा सकते थे, उस समय टेम्परेरी को अध्यापक लगा सकते थे, प्रधानाध्यापक 6-7 महीने के लिए लगा सकता था, लेकिन आज हालत यह है कि आज की तारीख में अगर मिनिस्टर भी, हालत यह है कि मिनिस्टर भी आज की तारीख में मास्टर नहीं लगा सकता। मुझे भी एक पंचायत समिति में में मास्टर रहने का सौभाग्य मिला था। उस समय जो प्रधान चाहते थे, 10-10 पंचायत समिति में मास्टर लगा सकते थे, प्रमुख चाहता तो भी लगा सकते थे। लेकिन आज हालत यह है कि जिला परिषद् के अन्दर वे न तो किसी प्रकार के अध्यापक लगा सकते, न किसी प्रकार से प्रधान कोई टेम्परेरी अध्यापक लगा सकता। आज बुनियादी शिक्षा की हालत वास्तव में पंचायत समिति में बहुत खराब है। मेरा आपसे यह निवेदन है, मैंने अक्सर देखा है, शिक्षा के मामले में आज जितने भी पंचायत समिति के अन्दर प्राइमरी स्कूल हैं, वे वास्तव में अनकन्ट्रोल्ड हैं। इसमें कोई किसी प्रकार का कन्ट्रोल ज्यादातर नहीं है और मास्टर लोग इतने ज्यादा हैं। वे बच्चों का भविष्य, इस राजस्थान का भविष्य बुनियादी शिक्षा में खराब करने में लगे हुए हैं।

(5.21 म. प.)

(श्री दामोदर दास आचार्य, सभापति, पदासीन)

इस प्रकार प्राथमिक शिक्षा के अन्दर

(श्री थानसिंह)

इस पंचायत समिति से जो इस प्रकार की प्राईमरी स्कूल है, उसमें किसी प्रकार का पंचायत समिति से, मेरा तो आपसे यह निवेदन है, निकाल देना चाहिए। क्योंकि ज्यादातर पहले जिला परिषद को यह अधिकार दिये गये थे। बीकानेर में जो अधिवेशन हुआ था, उसमें मिडिल स्कूल को जिला परिषद में लेने का था, लेकिन बड़ा अफसोस है कि दो साल के बाद भी आज जिला परिषद में मिडिल स्कूल नहीं आयी है। जहां अधिकार ज्यादा देने की बात थी, वहां अधिकार लेने की बात ज्यादा हो गयी। मैं तो यही निवेदन करूंगा कि अगर पंचायती राज को सुदृढ़ बनाना है, राज्य भर की मिडिल स्कूल को, सरकार ने एक वायदा किया, उसके मुताबिक जिला परिषद में देना चाहिए।

दूसरी बात, जो पंचायतें हैं, आज की तारीख में पंचायतों के पास में इन्कम का कोई सोर्स नहीं और राज्य सरकार जितना भी पैसा देती है, अनुदान का पैसा जो देती है, वह बहुत कम है। आज 35 साल के, 33 साल के विकास में जितना भी ग्रामीण विकास में जो पंचायत का विकास होना चाहिए, यह पंचायत के विकास की बात तो कह दीं, लेकिन जनरली मैंने देखा है कि पंचायती राज के अन्दर बहुत कम विकास आज की तारीख में, अनुपात में हुआ है। ठीक है कहीं एक शाला का, प्राइमरी स्कूल का भवन बन गया, कहीं पर मिडिल स्कूल का भवन बन गया होगा, बाकी आज कहने का मतलब यह है कि 50,000 रुपये प्रमुख खर्च करेगा। माननीय सभापति महोदय, मैं आज आपसे निवेदन करूंगा कि मुझे दो महीने, जिला प्रमुख के पद पर रहने का एक सौभाग्य मिला है। कहीं पर भी किसी प्रकार का आज की तारीख में 50,000 रुपये एक प्रमुख को खर्च करने का राइट नहीं है। एक पाई कहीं इधर-उधर लगा दी जाये, जिला प्रमुख को एक पाई का मौके पर खर्च करने का अधिकार नहीं है। न किसी प्रकार का अधिकार सरपंच को है न प्रधान को अधिकार है। आज जहां जाये वहां पहले लोग तो यही कहेंगे। इस पद को जिला में मानते हैं फिर भी जितना भी ग्रामीण विकास का काम है उसका कलक्टर अध्यक्ष है। आज पंचायत समिति में हालत यह है कि एक बाबू को प्रमुख हटा नहीं सकता। उसके लिए कलक्टर की परमिशन लेनी पड़ती है, तब जाकर हटा सकता है। आज कलक्टर लिख दें तब जाकर एक प्रमुख एक मास्टर को हटा सकता है। तो इस प्रकार से जो यह पकड़ने की कड़ी है, इस प्रकार से टालने की बात है यह नहीं होनी चाहिए। स्वायत्त शासन संस्था विभाग की तरफ से पंचायती राज को अलग से अधिकार देना चाहिए, यही मेरा आपसे निवेदन है। मैंने तो अक्सर यह देखा है कि एक तो पोस्ट का काम करने और दूसरा इसमें छाप लगाने के अलावा कोई काम नहीं है। चैक पर दस्तखत करने के अलावा कोई काम नहीं है। चैक पर दस्तखत करने का अधिकार जरूर मिल चुका है। जितना कलक्टर को अधिकार है, उतना प्रमुख को अधिकार नहीं मिला। यह जनता की पंचायती राज में एक तरह से तौहीन है। मैं इस बात का अच्छी तरह

(श्री थान सिंह)

से अनुभव कर चुका हूं कि इस प्रकार से पंचायती राज को सुदृढ़ बनाने का अगर सरकार का इरादा है, तो इसमें ज्यादातर कहीं प्रधान विरोधी दल का है या प्रधान और एम. एल. ए. का कोई लड़ाई झगड़ा है। वे अगर लिख कर नहीं दें तो उस आदमी को कोई हटा नहीं सकता। पंचायती राज में मैंने प्रधानों को देखा है, जहां जाओ दो-चार अध्यापक स्कूल के खड़े कर दिये, उनका स्वागत कर दिया, अध्यापक चाहे स्कूल में पढ़ायें या नहीं पढ़ायें। आज स्कूल में हालत यह है, प्राइमरी स्कूल में बुनियादी शिक्षा मजबूत नहीं होगी तो लड़का आगे निकल नहीं सकता। अगर बुनियादी शिक्षा नहीं होगी तो इस देश में बेरोजगारी फैलेगी। मेरा निवेदन यह है कि पंचायती राज से भी आज उदयपुर जिले में 18 पंचायत समितियां हैं। आज 18 पंचायत समितियों में हालत यह है कि जितने भी उदयपुर जिले के अन्दर हमने अधूरे कामों को देखा है उसमें डेढ़ करोड़ की आवश्यकता है। उदयपुर जिले में जो अधूरे काम हैं, उनको अगर डेढ़ करोड़ की आवश्यकता है तो राजस्थान में इस तरह का 18-19 करोड़ का पंचायतों का बजट और 27 जिलों की जो पंचायत समितियां हैं, यह कहें कि ऊंट के मुंह में जीरे की स्थिति है। मैं तो आज, माननीय सभापति महोदय, आपसे निवेदन करूंगा कि जितने भी हमने उदयपुर जिले से पंचायत समिति से मांग रखी है कहीं-कहीं पर प्राइमरी स्कूल का भवन नहीं है, कहीं-कहीं पर मिडिल स्कूल का भवन नहीं है, कहीं-कहीं पर एन.आर.ई.पी. के तहत रास्ते बनाने हैं, किसी जगह पंचायतों के हैड क्वार्टर का भवन है, तो इस प्रकार के अगर सारे मास्टर प्लान बनवा देते तो ठीक था। पांच वर्षों में हाल यह है कि जितने नये काम हमें हाथ में लेने चाहिए थे, वह हम ले नहीं पाये ? और अधूरे काम जितने हमें करने थे, वह कर नहीं पाये। हालत यह है कि इस तरह के मिडिल स्कूल के भवन आज भी 1977 के भवन अक्सर गांवों में देखे हैं, अधूरे पड़े हैं। एक 1977 का बना हुआ और 1986 तक मिडिल स्कूल का भवन, प्राईमरी स्कूल का भवन नहीं बने तो यह कितनी अपने लिए शर्म की बात हो सकती है। इस प्रकार के आप दो कमरे एक साथ बना दें और दो कमरे एक साथ बना दें। जब आपके पास पैसा नहीं है तो आप दो कमरे बनवायें। चार कमरे क्यों लिये एक साथ ? चार कमरे लेने के बाद चारों अधूरे रह गये। गांवों में जायेंगे, तो ग्रामवासी ज्यादा पंच को, सरपंच को और प्रधानों को, ऐसे लोगों को ज्यादा कोसेंगे ? जबकि उनके पास तो पैसा ही नहीं है। तो मेरा आप से यह निवेदन है कि इस पंचायत समिति संस्था को आप ज्यादा से ज्यादा पैसा दें। मैं कहता हूं कि राजस्थान में जितना बिजली पर और सिंचाई पर पैसा खर्च करते हैं, उतना ही पंचायती राज को पैसा देना चाहिए। अगर पंचायती राज को सुदृढ़ नहीं कर सकते हैं तो इस देश के गांवों का विकास असम्भव है। आज जिस प्रकार की गति से हम चल रहे हैं, 10-20 साल तक गांवों में यह महसूस नहीं हो सकेगा कि आज की तारीख में गांवों में कोई विकास हुआ है।

(श्री थान सिंह)

आज पंचायतों में आप अगर इन्कम देखें तो पंचायतों में किसी प्रकार की इन्कम नहीं है। आज पंचायतों के सरपंचों को, कोई-कोई पंचायत को अधिकार प्लेट काटने का अधिकार है। परन्तु उसमें ग्राम-वासी उनको काटने नहीं देते हैं। कहीं वह किसी दूसरे प्रकार के अधिकार ले लेता है तो वे कहते हैं कि हम तो जन प्रतिनिधि हैं, इसलिए हमारे वोटर्स नाराज हो जायेंगे। इसलिए इसमें काम कर नहीं पाते हैं। इस प्रकार से पंचायतों में कुछ इस प्रकार के टैक्स लगाने चाहिये, कोई ऐसी नीलामी करके अपनी इन्कम करनी चाहिये तो पंचायतें आगे बढ़ सकती है। आज तो हालत यह है कि पंचायतों के पास चपरासी को पैसा देने का भी पैसा नहीं है। आज पंचायत के पास में किसी प्रकार का काम करने को नहीं है। आज राजस्थान में बहुत सी पंचायतें तो ऐसी हैं, जिनके पास किसी प्रकार की कोई इन्कम नहीं है और अपन कहते हैं कि पंचायती राज को अधिक सुदृढ़ बनायें। यह असम्भव है। मेरा आपसे निवेदन है कि ज्यादातर पंचायतों को ज्यादा से ज्यादा अधिकार दिये जायें और जितने भी कार्य हैं पंचायतों के अ॒ हों। ज्यादा से ज्यादा पैसा देकर हालत ठीक करें। आज भी हालत यह है कि बहुत सी पंचायतों को 8–10 हजार रुपये के अलावा कोई पैसा नहीं मिलता है। कहीं प्रधान जी की मेहरबानी हो जाये तो 50 हजार रुपया साल भर में मिल जाता है, किसी की अच्छी मेहरबानी हो जाये तो 50 हजार रु., 60 हजार, अस्सी हजार रु. मिल जाता है। बहुत सी जगह तो ऐसी हालत है कि जहां पर से प्रस्ताव भेजते हैं, तो प्रस्ताव ही जहां से नहीं आते हैं तो ऐसे में मेरा आपसे यह निवेदन है कि पंचायती राज संस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा एन. आर. ई. पी. की जितनी भी योजनायें हैं, जिनमें भारत सरकार हम को पैसा देती हैं, पंचायतों को अधिक पैसा देना चाहिये। जिस प्रकार से हम हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा पैसा सिंचाई और बिजली पर देते हैं, उसी प्रकार से पंचायतों को पैसा देना वाजिब है। यह मेरा आपसे निवेदन है।

अब शिक्षा के मामले में काफी पोस्टें खाली हैं मास्टरों की। आज मेरा आपसे निवेदन है कि इन सैकण्डरी स्कूलों में जहां ट्रेण्ड टीचर नहीं हैं, उसमें अनट्रेण्ड टीचर हो तो उनको जिला परिषद और पंचायत समिति को अधिकार दिया जाना चाहिये कि जहां भी स्कूल खुले, वहां पर इस प्रकार के अनट्रेन्ड टीचर्स लगायें जिससे कि बेरोजगारी भी दूर हो सकती है। उससे उन लोगों को रोजगार भी मिल सकता है। उनको पहले 6–6 महीने का अपाइन्टमेंट देते थे और फिर 6 महीने उसके बाद दुबारा लगा देते थे। इस प्रकार से जिला परिषद को और पंचायत समिति को अधिकार दिया जाना चाहिए।

श्री सभापति : संक्षेप में।

श्री थानसिंह : जो पंचायत समितियों के अधूरे भवन हैं, उनको भी ज्यादा से ज्यादा पैसा दिया जाय।

दूसरा, मेरा यह निवेदन है कि आज

(श्री थान सिंह)

अपन कह देते हैं कि पंचायतों के पास अधिकार नहीं है। आज एक आध सरपंच की वास्तव में हालत यह है कि ग्राम सेवक भी उसके पीछे थैला उठाकर चलता है, पटवारी भी चलता है जैसे पहले हमारे इलाके में हुआ करता था, पहले मेवाड़ में यह हालत होती थी कि कोई आदिवासी एम. एल. ए., कोई दूसरा नेता हो जाता था तो उसके पीछे थैला उठाकर चलते थे। वही की वही हालत आज गांवों में इन लोगों की है क्योंकि ज्यादातर सरपंच तो समझते नहीं है। ग्राम सेवक है, वह थैला उठाकर चलता है, पटवारी थैला उठाकर चलता है और आज हालत यह है कि वह इतना काम करा नहीं पाता है। मेरा तो आपसे यह निवेदन है कि इस मामले में सरपंच को सक्षम बनायें। सरपंचों की हालत यह है कि आज वे ला-ला करके लैटर पैड छपा छपाकर के रोज लिखना शुरू करते हैं कि आज इतने प्रस्ताव भेजे, आज इतने प्रस्ताव भेजे। प्रस्ताव जाते और आते हैं परन्तु कितने प्रतिशत प्रस्ताव पंचायत समिति से जिला परिषद को और कितने प्रतिशत प्रस्ताव जिला परिषद से गवर्नमेंट को जाते हैं, यह तो आप और हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन मेरा आपसे निवेदन है कि आज जितना भी, चाहे स्टेशनरी का मामला हो, चाहे सरपंच जयपुर काम से आये या उदयपुर से बाहर जाये, मामूली पैसा टी. ए. डी. ए. का देते हैं। आज उनको कोई तनख्वाह नहीं देते हैं न किसी प्रकार की आय का साधन है। मेरा आपसे निवेदन है कि पंचायतों के सरपंचों को कम से कम ढ़ाई सो रुपया माहवार वेतन देना चाहिये ताकि उसके आधार पर काम कर सके और दिल लगाकर, लगन से लोगों के काम करें। लेकिन होता नहीं है ऐसा। प्रधान को पैसा मिलता है, प्रमुख को पैसा मिलता है, एम. एल. ए. को पैसा मिलता है। सरपच कोई आपका गांव बलाई नहीं कि सरपंच आपके लिए इस प्रकार से गांव में जाजम बिछाये, जाजम पर बिठाये, आपको खाना खिलाये। उलटे उसको काम देओ नहीं, पैसा उसको देओ नहीं। तो हालत यह है कि सरपंच को वास्तव में ढ़ाई सौ तीन सौ रुपये महावार पैसा देना चाहिए। उनके वेतन तय करने चाहिये। टी. ए. डी. ए. अधिक देना चाहिए और जहां-जहां पर वह सरकारी काम में जाये, उसको अच्छा भत्ता मिलना चाहिए।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री थान सिंह : यह मैं निवेदन करूंगा। दूसरे अधिकारी या जिला प्रमुख को अधिकार दिये हैं, यह कलेक्टर को सब जगह सुप्रीम बनाकर रखा है। उसके बाद आपने ग्रामीण योजनाओं में चाहे वह सब सदस्य हों, अध्यक्ष उनमें से बनता है। प्रजातन्त्र के अन्दर एक अफसर को अध्यक्ष बनाकर के प्रमुख को सदस्य बनाकर रखना यह प्रजातन्त्र की सबसे बड़ी तौहिन है। मेरा तो यह निवेदन है कि जिला प्रमुख को जिले का सर्वेसर्वा, जिस प्रकार कलेक्टर है, कर दें। कलेक्टर को सदस्य बनाना चाहिए और प्रमुख को अध्यक्ष बनाना चाहिए। यह मेरा आप से निवेदन है।

(श्री थान सिंह)

जहां-जहां भी इस प्रकार की जो व्यवस्था है, वहां पर प्रधानजी और प्रमुख जी करे। यह व्यवस्था तुरन्त करनी चाहिए। डायरेक्टर इसमें किसी प्रकार की शिकायत आ जाये तो अंकुश लगा सकता है, क्योंकि प्रधान इसमें पक्ष का नहीं हो सकता है। प्रधान को आप भी जानते है, भाटी जी, अच्छी तरह से, उनका प्रधान भी खिलाफ था, मेरा भी प्रधान खिलाफ है। मैं भी इस प्रकार से जब कभी लिखता हूं तो वह नहीं मानता है। एक प्रमुख होते हुए भी एक अध्यापक को वहां से नहीं हटा सकता। इस प्रकार की व्यवस्था में प्रमुखों को भी अधिकार देने चाहिए और प्रधानों के अधिकार कम करने चाहिए।

ज्यादा मुआवजा पंचायतों को दिया जाय जिससे कि पंचायतें ज्यादा सशक्त हो सकें। आने वाले समय में राजस्थान सरकार ज्यादातर गांवों के विकास के लिए ग्रामीण बजट और गांवों का विकास तो करना चाहती है, इसमें तो कोई शक नहीं है। जितने भी सदस्य जीतकर के आते हैं वो गांवों से जीतकर आते हैं और आकर के यहां पर बैठकर शहरों की बोलने लग जाते हैं। सिवाय इसके कोई चारा नहीं है, इसलिए मेरा तो आपसे यह निवेदन है कि गांवों का इस प्रकार से अगर विकास करना है तो पंचायतों को अधिकार देने चाहिए।

आज अधिकार की बात करते हैं तो ये कहते हैं कि रोड़........

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समय का भी ध्यान रखें।

श्री थान सिंह : बनायी थी, लेकिन पैसा नहीं बनाया। इसलिए मेरा आप से निवेदन है कि पंचायतों को अधिक अधिकार दिये जाये, पंचायतों को ज्यादा सुदृढ़ बनाया जाय, उसको अच्छा मुआवजा दिया जाय, अधिक पैसा दिया जाय और उनके जो भी काम अधूरे हैं, उनको तत्परता से सरकार एक आध साल में पूरा करवाये, नये कार्यों को प्राथमिकता दे और नये स्कूल खोले। दो साल तक भवन तैयार नहीं हो, बच्चे एक तरह से बावाजी की मण्डी में पढ़े या दूसरों के मकान लेकर के पढ़े। आदिवासियों की बस्ती में तो हालत यह है कि साहब, कोई 5 रुपये चन्दा देने को तैयार नहीं होता है। दो साल तक भवन तैयार नहीं होता है।

भ्रष्टाचार के मामले में मेरा आपसे निवेदन है कि पहले कहा करते थे कि पी. डब्ल्यू. डी. और इरीगेशन में ही कमीशन चलता है, लेकिन आजकल तो इसमें भी पर्सेन्टेज चलने लग गया है। कई शिकायतें सुनी हैं कि ओवरसियर से मिलकर के पैसा खाते हैं और इस प्रकार से भ्रष्टाचार करते हैं। जहां पर प्राईमरी स्कूल के, मिडिल स्कूल के भवन हैं एक दो साल में ठीक होते हैं, फिर उसके बाद में गिर जाते है। सारे के सारे छोरे मरते हैं। हालत यह है। इसीलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इस प्रकार का यह भ्रष्टाचार रोका जाना चाहिये। भ्रष्टाचार पंचायत समिति में होता है और मेरा यही निवेदन करना है कि अगर इस

(श्री थान सिंह)

प्रकार के भ्रष्टाचार के आरोप लगायें तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिये और उनका चालान होना चाहिये। यह मेरा आपसे निवेदन है। धन्यवाद, आपने मुझे समय दिया।

श्री सभापति : श्री दिग्विजय सिंह।

श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा) : अभी माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे। जहां तक पंचायत राज का और पंचायत संस्था का प्रश्न है, सभापति महोदय, यह हमारे प्रदेश में या हमारे देश में कोई नई बात नहीं। बड़े प्राचीन काल से यह पंचायत राज और पंचायत सिस्टम चल रहा है। सन् 1953 में इसको कानूनी रूप हमने दिया और कानूनी रूप प्रदान करने के बाद पंचायतों को अपने अधिकार प्राप्त हैं। इसमें कोई शक नहीं, सभापति महोदय, कि जनतन्त्र की यह सबसे पहली इकाई है या जनतन्त्र की रक्षक है जो आज वहां पर है, पर आज आप और हम सब को इसको और सुदृढ़ कैसे बनाया जाय, इसको कैसे सशक्त बनाया जाय, इसके ऊपर ध्यान देना आवश्यक है।

सभापति महोदय, आप इस बात से सहमत होंगे कि सन् 1953 के बाद दो अक्टूबर 1959 को विकेन्द्रीकरण की नींव डाली गयी और विकेन्द्रीकरण का अर्थ यही था कि हमारी सत्ता को और सत्ता के माध्यम से जो कार्यक्षेत्र है उसको विकेन्द्रित कर हम निचले स्तर तक पहुँचा दें और इसी उद्देश्य से यह थ्री टायर सिस्टम एडाप्ट किया गया। जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत। उसके माध्यम से हम किस प्रकार से गांव का विकास कर सकते हैं, गांव में किस प्रकार से जागृति ला सकते हैं, एक मूल उद्देश्य इस बात का था कि हमारा देश, हमारा प्रदेश इस माध्यम से कैसे आगे बढ़े? इसमें कोई शक नहीं, सभापति महोदय, कि 1959 से 64 तक जब तक यह विकेन्द्रीकरण चलता रहा और चला, बहुत सुचारु रूप से चला। उस समय पंचायत समितियों को बहुत अधिकार भी थे और उनके पास काम भी बहुत थे। इतना काम था, सभापति महोदय, सारे डवलपमेंट वर्क्स उनके पास थे। मैं इस बात के लिए, सभापति महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा, निस्संकोच इस बात को कहना चाहूंगा कि इसके जिम्मेदार हम सब हैं। हमने उस समय यह देखा कि विकेन्द्रीकरण के माध्यम से पंचायत समितियां इतनी सशक्त हो रही थी और वहां के जो प्रधान हैं उनके इनफार्मल अधिकार इतने ज्यादा होने लगे कि हम, जो जन प्रतिनिधि चुनकर आते हैं, को यह बात महसूस हुई कि उनको कहीं इतने अधिकार न मिल जाय कि ऊपर के चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनको भी कल खा बैठें। इस सम्बन्ध में, सभापति महोदय, ब्यूरो, कैसी ने भी हाथ बंटाया और धीरे-धीरे जो प्रोग्राम पंचायत समितियों के माध्यम से लागू हो रहे थे; वे सरकार ने विदड्रा कर लिये। एनिमल हस्बैण्ड्री का था, शिक्षा का था और डेवलपमेंट प्रोग्राम जितने थे, वे सब धीरे-धीरे विदड्रा कर लिए और स्थिति यह आ गयी, सभापति

(210)

(श्री दिग्विजय सिंह)

महोदय, 64 के बाद इन पंचायत राज संस्थाओं में खास तौर से पंचायत समिति में सारे कार्यक्रम थे वह करीब-करीब स्टैंड के करीब आ गया। किसी की भी रुचि पंचायत समितियों की ओर, पंचायत समितियों में सक्रिय रूप से भाग लेने की नहीं रही क्योंकि वे एक प्रकार की संस्था बन कर रह गयी, जैसे पोस्ट आफिस का काम होता है कि राज्य सरकार के निर्देश जाये, उनको वे वहां पर सुन लें, बोल लें, पंचायत समिति के मैम्बर को बतला दें। ठीक यही स्थिति जिला परिषद की भी रही। कहने का तात्पर्य यह है, सभापति महोदय, वह अधिकार सब समाप्त हो गये सब प्रोग्राम उनके लिए तब स्वाभाविक है कि प्रोग्राम उनसे ले लिये तो उनमें रुचि नहीं रही।

सभापति महोदय, इससे भी ज्यादा दुर्भाग्य की स्थिति जो रही, वह यह रही कि सन् 1964 के बाद पंचायतों के चुनाव जो समय पर होने चाहिये थे वह नहीं कराये गये। उसके कारण कई हो सकते हैं, पर यह निर्विवाद सत्य है, सभापति महोदय, अगर हम इलेक्टेड बोडिज का चुनाव समय पर नहीं कराते हैं तो उनके अन्दर शिथिलता आती है और लोगों की उनके प्रति रुचि और श्रद्धा भी समाप्त हो जाती है। 1964 से 13 साल होने तक इन संस्थाओं के चुनाव नहीं कराये गये और उसके बाद में 1977 में इनके चुनाव हुए।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : पूरा कराया आपने ?

श्री दिग्विजय सिंह : मैं कह रहा हूं। मैं इसीलिए चाहता था कि मैं बोलूं और आप खुद कहेंगे।

सभापति महोदय, पंचायतों का चुनाव कराया 78 में। उसके बाद हम जिला परिषद और पंचायत समिति के भी चुनाव करना चाहते थे, जैसा माननीय मन्त्री महोदय अभी पूछ रहे थे, हमने उस समय अशोक मेहता कमेटी बिठायी थी और अशोक मेहता कमेटी की रिपोर्ट का इन्तजार कर रहे थे। इसके साथ-साथ हम चाहते थे कि निचले स्तर के ऊपर पंचायत समिति का चुनाव हो। वे इतने कंबरसम और एक्सपेंसिव थे कि उनको किस प्रकार से रिड्यूस किया जाय, एक्सपेंसिव है, वह हम कम करें और जो फिजूलखर्ची वहां होती है, उसको कम करें। हमने 1979 में पंचायत समिति, जिला परिषद के चुनाव कराने के लिए आर्डिनेंस जारी किया। उस आर्डिनेंस को चुनौती दी और चुनौती देने के बाद में वे चुनौतियां उनकी खारिज हो गयीं। उसके बाद में हम चुनाव कराना चाहते थे और उनका जो मेथड हमने बदला था कि सब पंच मिलकर के प्रधान का चुनाव करेंगे, उस पैटर्न को हमने बदला था और उसको बदलने के पीछे यही उद्देश्य था कि हम इसको नॉन-एक्सपेंसिव करना चाहते थे। तो, सभापति महोदय, इसके पीछे कोई यह भावना नहीं थी कि जनता सरकार पहले किये गये कामों को या कांग्रेस पार्टी ने जो पद्धति अपनायी थी, उसको बदलना चाहती थी, पर यह जो हाई पावर कमेटी की रिपोर्ट, गिरधारीलाल व्यास कमेटी जो बनी, के अन्दर भी रिकमंडेशन्स हैं। उन्होंने भी इस बात को कहा कि यह चुनाव इस प्रकार का बढ़ा है, इसको सीमित किया

(श्री दिग्विजय सिंह)

जाय और सरपंच का जो उनके मेम्बर्स समिति के हैं, उन्हीं के माध्यम से प्रधान का चुनाव हो। अभी माननीय मन्त्री कह रहे थे, हम चुनाव नहीं करा पाये थे इसमें कोई शक नहीं, पर मेरी राय यह नहीं कि हम पंचायत राज को सुदृढ़ नहीं बनाना चाहते थे। सभापति महोदय, आप इस बात से मेरे साथ सहमत होंगे कि जितने काम और जितने अधिकार जनता शासन में पंचायत संस्थाओं को मिले, आप इस बात को, माननीय मन्त्री महोदय, स्वीकार करेंगे कि 5 साल आपके शासन के निकल गये, छः महीने अभी निकल गये, आपने वे अधिकार उनको अभी तक नहीं दिये। सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जनता शासन काल में हमने काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत पंचायतों को, मैं आपको बताना चाहता हूं, उसका भी जो आपके प्रधान हैं उनको मैं जानता हूं, सरपंचों को अधिकार दिये। उनको अधिकार दिये कि 5 हजार तक का काम वे बिना किसी स्वीकृति के अपनी पंचायत में करा सकते हैं। शुरू में 5 हजार दिये। उसके बाद में उनके काम से जब हमको सन्तोष हुआ तो हमने 5 हजार से बढ़ाकर सात हजार कर दिया। सभापति महोदय, आपसे निवेदन करूं कि सवा साल की अवधि में राजस्थान के अन्दर 65,198 निर्माण काम हुए, काम पूरे हुए और वे सब काम आज भी गांवों के अन्दर बोलते हैं जनता शासन काल। अब आप कहेंगे भ्रष्टाचार की बात कि उसके अन्दर कई सरपंचों ने भ्रष्टाचार किया। सभापति महोदय, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि भ्रष्टाचार जरूर हुए और मुझे याद है यह बात कि कई सरपंचों, जो हमारी पार्टी के भी थे, ने भ्रष्टाचार किया। उनको हमने सजा दी। हमने आपकी तरह संरक्षण नहीं दिया। आज भी आपके टाइम में कई आडिट रिपोर्ट और भ्रष्टाचार की गम्भीर से गम्भीर अनियमिततायें आपके यहां पड़ी हुई हैं, पर आप उनको शील्ड करके, जैसे मुर्गी अण्डे पर बैठती है, उस प्रकार से उनको रखना चाहते हैं। उसमें हो सकता है, सभापति महोदय, आपका उद्देश्य और हो कि उस प्रकार से अगर हम उनका निर्णय कर देंगे······

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : भूतपूर्व मन्त्री जी·······

श्री दिग्विजय सिंह : वे छूट गये तो हमारे हाथों से निकल जायेंगे और हमसे विद्रोह कर सकते हैं।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : भूतपूर्व मन्त्री जी, पिछले सौ साल में कांग्रेस ने कभी करप्शन को शील्ड नहीं किया।

श्री दिग्विजय सिंह : क्या नहीं किया ? क्या नहीं किया ? सभापति महोदय, मुझे तो······

श्री भंवरलाल शर्मा : आपने टालरेट नहीं किया। आपने खुद नहीं किया ?

श्री सभापति : आप बोलने दें।

श्री दिग्विजय सिंह : सभापति महोदय,

(श्री दिग्विजय सिंह)

मैं यह नहीं कह सकता। मैं इस बात के लिए बड़ा खुश हूं कि मन्त्री महोदय ने यह बात कही कि पिछले सौ साल में कोई भ्रष्टाचार को शील्ड नहीं किया। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि अभी चुनाव थे और जिसमें जिस प्रकार से आपने मन्त्रियों को ट्रीट कर दिया था, वह आपका द्योतक है कि वाकई में आपने नहीं किया।

श्री रतन लाल ताम्बी (जहाजपुर) : आप में हिम्मत होती तो जनता ने रिजेक्ट किया फिर भी लड़ते आप। बहुत कहा, जनता के फैसले पर चुनाव करवा लो लेकिन माने नहीं। उस वक्त भी······

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री दिग्विजय सिंह : मैं यह निवेदन कर रहा था·······

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बीच में नहीं बोलें। बोलने दें।

श्री दिग्विजय सिंह : मैं निवेदन यह कर रहा था कि पंचायती राज को यदि हमें सक्षम बनाना है और सक्षम बनाना आवश्यक है, उसको और सुदृढ़ करना है तो हमको, जैसा जहाजपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, इसका पुनर्जीवन करना पड़ेगा। इसको पुनर्जीवित करने के लिए कोई न कोई संजीवनी की, मैं माननीय मन्त्री महोदय से कहूँगा, इस पंचायती राज संस्था के अन्दर किसी न किसी संजीवनी की जरूरत है। अब आप संजीवनी मंगाकर दें या शायद जहापुर के माननीय सदस्य लाकर दें, पर यह पंचायती राज और सामुदायिक विकास जो आज धीरे-धीरे लुप्त होता जा रहा है, मरण प्रायः अवस्था में है उसको जीवित रखना जरूरी है।

सभापति महोदय, मैं इसके साथ एक दो बातें और निवेदन करना चाहूंगा। अभी मेरे पूर्व वक्ता भाभड़ा जी ने भी इस बात का संकेत दिया था कि जनता शासन काल में ही अनुदान की राशि 25 पैसे से बढ़ाकर ढाई रुपया की गयी। नगरपालिकाओं को 5 रुपये मिलती है। आप शायद इस बात को कहें कि उस समय भी नगरपालिकाओं को 5 रुपये थी और आपने वह क्यों नहीं किया? सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमने 25 पैसे से बढ़ाकर ढाई रुपये किया सीधे, आज आप कम से कम ढाई रुपये, जो हमने बढ़ाया, से बढ़ाकर पांच रुपये तक ले आओ वह आपके लिए, मैं समझता हूं, उपलब्धि होगी। जिस प्रकार की उपलब्धियां आप गिनाते हैं उसमें यह भी एक आपकी उपलब्धि होगी कि ढाई रुपये से बढ़ाकर पांच रुपये का अनुदान किया।

सभापति महोदय, इसके साथ-साथ सरपंचों के भत्तों का भी भाभड़ा जी ने फरमाया। मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि सरपंचों का भत्ता है वह भी जनता शासन काल में बढ़ाया गया। उसके बाद आज तक कोई भत्ता नहीं बढ़ा। सात रुपये हमने तीन रुपये से बढ़ाकर करने का। हमारा प्रस्ताव था कि हम इन भत्तों को बढ़ाकर दुबारा रिवाइज करके दुबारा सामने रखें, पर दुर्भाग्य था कि हम शासन में नहीं रहे, सत्ता हमारे से चली गयी।

(श्री दिग्विजय सिंह)

सभापति महोदय, मैं एक और निवेदन करना चाह रहा था कि 29 जनवरी, 1982 को बीकानेर में एक सम्मेलन हुआ। बीकानेर के सम्मेलन में मौजूदा प्रधानमन्त्री को विशेष रूप से आमन्त्रित किया गया। उसमें जो पुस्तक उन्होंने निकाली उसके ऊपर लिखा हुआ है : पुनः पंचायती राज। जैसे पंचायती राज राजस्थान में समाप्त हो गया था और दुबारा से वहां उन्होंने जीवित किया। खैर, कोई बात नहीं। सभापति महोदय, जैसा आपकी पुस्तक में बताया गया है, हम जिस बात की शंका करते हैं कि यह उपलब्धियां और आंकड़े और जिन बातों का यह जिक्र किया जाता है यह सारे के सारे मनगढंत और गलत हैं इसका तत्कालीन मुख्य मन्त्री जी ने अपने मैसेज में एक बात कही है, मानो है। मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं—"यदि आज हम ग्राम विकास योजनाओं का सच्चा विमोचन करें तो निष्कर्ष यह रहता है कि योजनायें तो अपनी जगह ठीक थीं परन्तु ज्यादातर उनका क्रियान्वयन बेमन, अधूरे और फर्जी ढंग से हुआ है।" यह तत्कालीन मुख्यमन्त्री जी खुद ने स्वीकार किया है अपने मैसेज में कि सारा जो होता है, फर्जी ढंग से उसका हाल यह होता है।

सभापति महोदय, इसके साथ इस सम्मेलन के अन्दर एक दुर्घटना जरूर हुई कि हमारे भूतपूर्व मुख्य मन्त्री सुखाड़िया साहब का स्वर्गवास हो गया, दुख का विषय था। इस सम्बन्ध में और नहीं कहना चाहूंगा। पर ऐसा लगता है, उसके बाद से सुखाड़िया साहब के स्वर्गवास के साथ-साथ राजस्थान के अन्दर विकास को गति देने वाले कहे जाते हैं, शायद वह गति यहां भी घिरी हो। जितनी घोषणायें उस सम्मेलन में की थीं कि इन-इन योजनाओं को पंचायत को ट्रांसफर करेंगे। आज मैं समझता हूँ वह सब घोषणायें इस किताब में हैं। कुछ तो आपने दे दी हैं बाकी अभी तक आपके विचाराधीन हैं, पता नहीं है कि नहीं। जैसे विशिष्ट योजना संगठन। इसके अन्तर्गत आपने लम्बी चौड़ी सूची दी है। कृषि के अन्तर्गत कृषि प्रसार कार्यक्रम। पशु पालन विभाग, भेड़ व ऊन के, शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य; वन विभाग, सार्वजनिक निर्माण कार्य, निर्माण, सिंचाई, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, उद्योग। मैं इनकी डिटेल पढ़ूंगा सारी तो काफी समय लगेगा।

श्री सभापति : संक्षिप्त करें।

श्री दिग्विजय सिंह : पर मैं इतना ही जानना चाहूंगा कि इन घोषणाओं के अनुरूप आपने कितनी योजनायें और कार्यक्रम सम्पूर्ण रूप से पंचायत समितियों को ट्रांसफर कर दिये। जहां तक सभापति महोदय, मेरी जानकारी में है, आप जो यह कह रहे हैं सिर्फ कागजों में है। कोई अधिकार इस प्रकार पंचायत समितियों को नहीं आया। यह इसमें खुद लिखा है कि पूरी योजनायें ट्रांसफर नहीं हुई। सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इन योजनाओं को अगर आपने पूरी कर दी है तो उसकी जानकारी दें। नहीं की है और विचार कर रहे हैं तो कब तक ट्रांसफर कर देंगे उनके पास ?

(श्री दिग्विजय सिंह)

सभापति महोदय, मैं एक और निवेदन करना चाहूंगा कि यदि हमको पंचायती राज और पंचायत समितियों को और भी इफेक्टिव बनाना है तो पंचायती राज के अन्दर जब तक इन्वाल्वमेण्ट पब्लिक का, जन प्रतिनिधि का, जनता का नहीं होगा हम विकास की गति को आगे नहीं बढ़ा सकेंगे।

सभापति महोदय, मुझे एक निवेदन करना है। आपकी जितनी स्पेशल स्कीम हैं, जैसे आई.आर. डी. पी. और एन.आर. ई. पी.। सभापति महोदय, आज स्थिति यह है कि स्पेशल स्कीम्स का स्पेशल सैक्रेटरी का डायरेक्टर पंचायत और डवलपमेंट कमिश्नर से कोई सीधा सम्बन्ध नहीं है। उसका सारा जो कार्यान्वियन होता है, सारा इम्प्लीमेंटेशन पंचायत समितियों के माध्यम से होता है। मेरा निवेदन करना है, सभापति महोदय. जितनी स्पेशल स्कीम हैं वह सारी स्पेशल स्कीम आपको पंचायत समितियों के नीचे, डवलपमेंट डिपार्टमेंट के नीचे ट्रांसफर की जानी चाहिए क्योंकि उनका सारा इम्प्लीमेंटशन उनके पास है और वही देख-रेख करते हैं।

श्री सभापति : संक्षिप्त करें।

श्री दिग्विजय सिंह : मैं बहुत संक्षिप्त कर रहा हूं। ज्यादा से ज्यादा दस मिनट में समाप्त कर दूंगा।

सभापति महोदय, बीकानेर में जो सम्मेलन हुआ, उसके बाद भीलवाड़ा में भी हुआ। उसके पावर और काम दिये या नहीं दिये, पर एक काम जरूर किया कि प्रधानों और जिला प्रमुखों के भत्ते बढ़ा दिये। प्रधान का तो 250 से 400 रुपये कर दिया, प्रमुख का 400 से 600 कर दिया और जिला प्रमुख को एक एम्बेसेडर कार दे दी। एम्बेसेडर कार मिल गयी, तुम रोज दिल्ली जाओ। भीलवाड़ा वाले जयपुर होकर दिल्ली पहुंचो। अभी गाड़ियों के दुरुपयोग की बात हो रही थी। पहले वाली गाड़ियों का दुरुपयोग तो रुकता ही नहीं था अब दूसरी गाड़ियां और सम्भला दीं। आपने जो वृद्धि की, विकास की गति को बढ़ाने का काम किया वह यही काम किया है कि एक तो उनको बढ़ा रहे हैं और एक उनको मोटर गाड़ी पकड़ा दी।

सभापति महोदय, मैं अन्त में आपका ज्यादा समय न लेता हुआ इतना ही निवेदन करूंगा, मोटे तौर पर सुझाव के तरीके से कि पंचायतों को आप कुछ अधिकार और दें। और अधिक अधिकार वह दें जैसा कि तकसीम का मामला है। आज तकसीम के मामले के अन्दर बेचारा काश्तकार और जो भी है, परेशान होता है अदालत के चक्कर में। अगर यह पावर पंचायतों को ट्रांसफर कर दें तो उनके पास काम होगा और उनकी आमदनी भी होगी। पंचायतों के पास आमदनी का कोई जरिया नहीं है। यह स्थिति हो गयी है पंचायतों की। यह तो ग्रुप सचिव लगे हुए हैं जिनका राज्य सरकार से पैसा आ जाता है बाकी उनके जो निजी सचिव हैं, दूसरे जो काम हैं उनकी आर्थिक कठिनाई इतनी जबर्दस्त है कि पांच रुपये तो क्या पांच पैसे का पेमेंट

(श्री दिग्विजय सिंह)

भी नहीं कर सकते किसी प्रकार भी। जो अधिकार हैं उन अधिकारों को और बढ़ायें। दीवानी के जो अधिकार दे रखे हैं 500-500 रुपये, उनको और बढ़ायें। इसी के साथ-साथ इण्टीग्रेटेड रूरल डवलपमेंट प्रोग्राम का नाम बदल दिया। जो-जो जनता पार्टी ने काम किये उसी नाम को रखने में तो झेंप आती है, काम किसी तरीके से कर लेंगे।

मैं अन्त में एक निवेदन करना चाहूँगा कि हजारों क्या लाखों रुपयों की अग्रिम सहायता ऋण के रूप में तकावी के लिए दी हुई है। इसी प्रकार आडिट डिपार्टमेंट ने पंचायत समिति का आडिट किया। आडिट के अन्दर ग्राम पंचायत का भी करते है।

(6.00 सायं)

अभी माननीय सदस्य, श्री रामसिंहजी इस बात को कह रहे थे कि डेढ़ लाख आडिट आब्जेक्शन्स पड़े हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि डेढ़ लाख नहीं शायद साढ़े तीन चार लाख आडिट आब्जेक्शन पड़े होंगे ग्राम पंचायतों और पंचायत समिति के मिलाकर के। तो आप कम से कम एक विजीलैन्स सैल आपके डिपार्टमेंट के अन्दर क्रियेट करिये और इन सारी बातों को देखें कि कितने मामले ऐसे हैं जो डाइरेक्ट गबन के हैं और भ्रष्टाचार जिनमें इन्वालव है। आपको करोड़ों रुपयों की वसूली हो सकती है, तो आप उन सब वसूलियों को करवायें और अगर करवायेंगे तो आपकी वसूली भी हो जायेगी और डिपार्टमेंट के अन्दर जिन फाइलों में दीमक आ रही है उनके ऊपर भी कुछ न कुछ कार्यवाही होगी।

सभापति महोदय, अन्त में लोकल सैल्फ डिपार्टमेंट के ऊपर एक ही शब्द कहना चाहूंगा। आपने लोकल सैल्फ गवर्नमेंट, एक्ट के अन्दर आपने लिख रखा है कि लोकल सैल्फ गवर्नमेंट होगी। उनको लोकल सैल्फ गवर्नमेंट की परिभाषा तो दे दी पर डवलपमेंट के जो पावर्स हैं वह अभी राज्य सरकार ने, सभापति महोदय, विथड्रा कर लिये। वह अपनी भूमि बेचेंगे और दूसरी आमदनी करेंगे लेकिन डवलपमेंट फण्ड में पैसा जो पड़ा होगा उसकी स्कीम का, वह उसको इम्पलीमेंट नहीं कर सकेंगे। उसके लिए डी.एल.पी. से सैंक्शन लेनी होगी। एक तरफ लोकल सैल्फ गवर्नमेंट मानते हुए उसको ऑटोनामी देना चाहते हैं, उसको सक्षम बनाना चाहते हैं और दूसरी तरफ उसके सारे अधिकार, सभापति महोदय, राज्य सरकार ने अपने पास में ले लिए। तो कम से कम आप इस बात पर विचार करेंगे और पावर्स जो आपने विथड्रा किये हैं उनको आप वापिस दें।

जो कुछ बातें मैंने अभी कही है, माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से, मैं समझता हूं माननीय मन्त्री महोदय उनके ऊपर विचार करके आगे कार्यवाही करेंगे।

श्री सभापति : श्री हेमाराम चौधरी।

(6.01 सायं)

(श्री हीरालाल देवपुरा, अध्यक्ष पदासीन)

विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव पर व्यवस्था

मुख्य सचिव, श्री आनन्द मोहन लाल पर लगाये गये आरोपों का समाचार-पत्रों में प्रकाशन

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया एक मिनट बैठें।

इससे पहले कि डिबेट जारी रहे, मैंने सदन में कहा था कि एक प्रिविलेज मोशन मेरे समक्ष आया है माननीय श्री घनश्याम तिवाड़ी और अन्य कई माननीय सदस्यों का, उस सम्बन्ध में, मैं आज व्यवस्था दूंगा। प्रिविलेज मोशन जो मेरे समक्ष प्रस्तुत किया गया है उसका मैंने गहराई से अध्ययन किया है और जो तथ्य उसमें दिये गये हैं उन तथ्यों के आधार पर प्रिविलेज बनता है या नहीं बनता है इसमें और गहराई में जाने की जरूरत रहती है। मैं ऐसा मानता हूं कि यह प्रिविलेज मोशन जो उन्होंने दिया है वह विशेषाधिकार समिति को हम सौंप दें जिससे वह विशेषाधिकार समिति इस बात की जानकारी दे कि प्राइमाफेसी प्रिविलेज बनता है तो उस आधार पर उसके ऊपर आगे कार्यवाही की जा सके। मैं समझता हूं माननीय सदस्य···

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष) : अध्यक्ष महोदय, प्रिविलेज मोशन है क्या ?

श्री अध्यक्ष : प्रिविलेज मोशन क्या है, यह माननीय सदस्यों को मैं बता देता हूं—

"दिनांक 5 जुलाई, 1985 को विपक्ष के नेता श्री भैरोंसिंह शेखावत ने आय-व्ययक के सामान्य वाद-विवाद में भाग लेते हुए मुख्य सचिव श्री आनन्द मोहन लाल पर "4 शादी" विषयक पर चर्चा करते हुए मुख्य सचिव पर सत्ता के दुरुपयोग तथा सार्वजनिक सेवा नियमों के विपरीत शराब पीने के आरोप लगाये गये थे। आरोप समाचार-पत्रों में प्रकाशित नहीं हो पाये, इस बात का निदेशक, जन-सम्पर्क विभाग द्वारा प्रयत्न किया गया। आज जयपुर से प्रकाशित राजस्थान पत्रिका की पृष्ठ संख्या सात "शासक और चाकर" शीर्षक के अन्तर्गत यह उल्लेख किया है "सरकारी अमले की बौखलाहट"—"इस सत्र में एक बात और भी सामने आई। अब तक सदन में राजनेताओं, मन्त्रियों के खिलाफ गम्भीर आरोप लगते रहे हैं और वे अखबारों में छपते भी रहे हैं। पर कभी किसी ओर से यह दबाव नहीं आया कि इन खबरों को दबा दिया जाये लेकिन इस बार मुख्य सचिव के खिलाफ दो दिन जब चर्चा हुई तो जैसे सरकारी अमला इन खबरों को बायकाट कराने के लिए बेचैन हो उठा, वहीं मुख्य सचिव के अन्य हितैषी भी सक्रिय हो गये। जन-सम्पर्क निदेशालय का पहला कार्य सरकारी नीतियों का प्रचार व उनका प्रकाशन कराना है। पहली बार नजर आया कि निदेशालय के निदेशक, पूर्व निदेशक से लेकर दूसरे अधिकारी इस बात में लगे रहे कि किसी तरह से यह खबर नहीं छपे। यहाँ तक कि कुछ वरिष्ठ अधिकारी भी अपने स्तर पर यह प्रयास कर रहे थे। यह बेचैनी किसी के भी समझ में नहीं आई और आश्चर्यजनक इसलिए रही कि शासक

(श्री अध्यक्ष)

वर्ग (मन्त्रियों) के खिलाफ खबरें रुकवाने के लिए कोई नहीं आया और चाकर वर्ग (अफसरों) के लिए भाग-दौड़ में कमी नहीं रही ।

यह खबर में जो छपा है, वह है ।

इस सारी भाग दौड़ का एक दूसरा पहलू भी है । मन्त्रियों को अपने खिलाफ लगे आरोपों की सफाई सदन में देने का मौका मिलता है जो अधिकारियों को नहीं मिलता । शायद इसी वजह से यह सब हंगामा हुआ हो लेकिन इसका एक विकल्प यह भी हो सकता था कि अधिकारी अपना स्पष्टीकरण दे दें तो जो उनके खिलाफ छपी खबर के साथ छप सकता था ।"

"उपरोक्त जन-सम्पर्क विभाग की कार्यवाही से स्पष्ट है कि उन्होंने विधान सभा की कार्यवाही को समाचार-पत्रों में प्रकाशित होने से रोकने का प्रयत्न कर विधान सभा की सामान्य गतिविधियों में बाधा उत्पन्न कर विशेषाधिकार का उल्लंघन किया है ।"

यह मसला सारा मैंने जो बताया है, इसके मैरिटस और डी-मैरिटस पर मैं जाऊंगा । तो जिस समिति को हम इसे सौंप रहे हैं उसको भी प्रिज्युडिस करना होगा । उसमें न जाकर इतना ही कहना चाहता हूं......

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, यह विषय कितना महत्वपूर्ण है यह तो आपने स्वयं ने इसका अवलोकन कर लिया होगा, विधान सभा में कुछ ऐसे अवसर आते हैं जिनमें आपस में चर्चा हो तो ज्यादा अच्छा हो और मामला विधान सभा में रखा जाय, तो मेरी ऐसी मान्यता है कि विधान सभा के सदस्यों को, उनके प्रिविलेज क्या हैं, प्रिविलेज का उल्लंघन किस प्रकार और किस सीमा तक होता है, इस सम्बन्ध में अब तक साहित्य क्या है और अब तक की व्यवस्थायें क्या हैं, इनका अध्ययन करने का एक प्रकार से अवसर मिलता है । अब इसी प्रश्न पर मैं समझता हूं कि कई माननीय सदस्यों ने तैयारी की है और मेरी स्वयं की मान्यता है कि यह सीधा विशेषाधिकार के उल्लंघन का प्रश्न है । अध्यक्ष महोदय, आपने व्यवस्था दी, उचित समझें तो पहले कल यदि आप थोड़ा समय निश्चित कर लें ताकि उस समय के ऊपर विशेषाधिकार बनता है या नहीं बनता है और यदि बनता है तो उसकी कितनी सिरयसनैस है, यह हाऊस में भी विचार हो सकता है, आप यह कह सकते हैं कि जब रिपोर्ट आयेगी तब विचार हो जायेगा । रिपोर्ट आवेगी उस समय चर्चा होगी या नहीं होगी, उस चर्चा की क्या सीमा रहेगी, लेकिन विशेषाधिकार के प्रश्न पर अभी जैसा आपने बताया है कि मैं कमेटी को रेफर कर रहा हूँ, इसका आशय तो यही निकलता है कि इस विशेषाधिकार के प्रश्न को आप रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष : ठीक है—रिजेक्ट नहीं कर रहा हूं......

श्री भैरोंसिह शेखावत : ग्रापने रिजेक्ट नहीं किया ?

श्री अध्यक्ष : सही है—I have not rejected it.

रिजेक्ट करता तो वहां भेजता क्यों ?

श्री भैरोंसिह शेखावत : ग्रापने रिजेक्ट नहीं किया ग्रौर कमेटी को भेजा है। कमेटी इस बात का निर्णय लेगी विशेषाधिकार का उल्लंघन है या नहीं है, इसका मतलब रिजेक्शन नहीं है।

श्री केदार नाथ : प्राइमाफेसी माना है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्राइमाफेसी मानने का सवाल नहीं है....

उसके लिए तो भेज रहे हैं......

श्री भैरोंसिह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं वह भी स्वीकार करता हूं, लेकिन रिजेक्ट नहीं किया है यह तो सही है ग्रौर रिजेक्ट नहीं किया, इसका मतलब रिजेक्ट करने के योग्य भी नहीं है ग्रौर जो रिजेक्ट करने योग्य नहीं है, मैं यह नहीं कहता कि ग्राप उसको विशेषाधिकार का उल्लंघन मेरे कहने से मान लें, लेकिन इस पर सदन में चर्चा तो होनी चाहिए। इस चर्चा का व्यापक प्रभाव पड़ेगा। लोगों को ग्रौर देश के लोगों को इस बात की जानकारी देनी चाहिये कि विशेषाधिकार क्या है किस सीमा तक विशेषाधिकार का उल्लंघन हो सकता है। इसलिए मैं तो निवेदन करूंगा कि ग्रापने जो व्यवस्था दी है उस व्यवस्था पर तो मुझे कुछ कहना नहीं है लेकिन इस पर चर्चा होने के बाद व्यवस्था होती ग्रौर फिर उस ग्राधार पर, दो-तीन उधर के सदस्य ग्रौर 2-3 इधर के सदस्यों को यदि ग्राप सुन लें तो ज्यादा ग्रच्छा रहेगा ताकि विशेषाधिकार का प्रश्न, कई बार ग्रनभिज्ञता में भी होता है, लोगों को पता भी नहीं रहता है कि यह विशेषाधिकार का उल्लंघन होता है। ग्राखिर हम विधान सभा के माध्यम से लोगों को इस बात की जानकारी देने की व्यवस्था करें कि विशेषाधिकार क्या है ग्रौर इसका उल्लंघन किस सीमा तक होता है।

जहां तक इस प्रश्न का सवाल है यह तो किसी भी सीमा में, किसी भी प्रकार से विचार करें यह तो सीधा विशेषाधिकार के उल्लंघन का मामला है। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि महत्वपूर्ण मसला है ग्रौर महत्वपूर्ण मसला इसलिए है कि विधान सभा की कार्यवाही कोई समाचार-पत्र ग्रपने समाचार में छापे या नहीं छापे उसके लिए वह स्वतन्त्र है। उनके ऊपर कोई यह दबाव नहीं डाला जा सकता कि ग्रमुक प्रकार की खबर छापे ग्रौर ग्रमुक प्रकार की बात नहीं छापे, जो विधान सभा में कार्यवाही हुई है उसको वो छापे, लेकिन उनको छापने से कोई रोके, वह एक विशेषाधिकार का उल्लंघन है। यह प्रश्न ग्राया है उसको छापने से रोका गया, रोकने का प्रयत्न किया। कई ग्रखबार वालों ने छापा भी है, उनके प्रयत्न के बावजूद भी समाचार पत्रों में समाचार प्रकाशित हुग्रा ग्रौर दो दिन के बाद तो ग्रच्छी तरह से प्रकाशित हुग्रा है। लेकिन सरकारी ग्रधिकारियों का ग्रटेम्प्ट, यह तो विधान सभा को चेलैन्ज

(श्री भैरोंसिह शेखावत)

है, यह एक कोई एक व्यक्ति के भाषण को चुनौती नहीं है, यह तो विधान सभा की सारी कार्यवाही को चुनौती है। आपने विजिटर्स गैलेरी बना रखी है और प्रेस गैलेरी बना रखी है, आखिर प्रेस को महत्व देकर प्रेस को इण्डिपेण्डेन्ट, सारी सुविधायें दे रखी हैं। मतलब कि विधान सभा की कार्यवाही जनता तक पहुंचे। विधान सभा में प्रेस का रहना, इसका सीधा अर्थ है विधान सभा में जो विधायकों की कार्यवाही, विधायकों के भाषण, ये अखबारों में छपे और छपने के माध्यम से सारे राजस्थान की और हिन्दुस्तान की जनता को मालूम हो। अगर उसमें कोई अवरोध उत्पन्न किया जाय तो वो किसी भी हालत में क्षम्य नहीं हो सकता। इसलिए मैं चाहूंगा इसके अन्दर कल परसों जब भी आपको सुविधा हो, कुछ समय निश्चित कर दिया जाय ताकि सदन के सदस्य अपने विचार प्रकट कर सकें। उसमें आपको भी सुविधा होगी और उस सुविधा के आधार पर जो भी आप निर्णय देंगे वो शिरोधार्य होगा।

श्री अध्यक्ष : मुझे तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी, लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा। जैसा पूर्व में कहा गया है, आपने तो बहुत कुछ बातें कह दी लेकिन आसन से मेरा कुछ बात कहना उपयुक्त नहीं होगा क्योंकि वो आगे के लिए उसको प्रिजूडिस करने वाली बात हो जायेगी। तो मैंने आज इस विषय पर काफी गहराई से अध्ययन किया, उसके बाद मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ, मान लीजिये सदन के अन्दर चर्चा होगी और चर्चा होने के बाद मुझे निर्णय करना पड़ेगा और उस पर दोनों तरफ के माननीय सदस्य कोई बात कहेंगे कि विशेषाधिकार बनता है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : आप तो फिर भी कह सकते हैं।

श्री शोपत सिंह : माइक ठीक नहीं है।

श्री अध्यक्ष : एक मिनट। जब दोनों तरफ से यह बात कही जाती है कि विशेषाधिकार का प्रश्न बनता है।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। आप सुनिये। कृपया, सुनने की कोशिश कीजिए। मुझे मालूम पड़ रहा है माइक चल रहा है। आर्डर प्लीज।

तो जब सदन में चर्चा होगी, जब कमेटी को भेजने का प्रश्न आयेगा उस वक्त तक तो मेरी यही स्थिति आ जायेगी कि जो कुछ भी निर्णय करना है। बाकी फिर कमेटी को भेजना पड़ेगा तो......

श्री भैरोंसिह शेखावत : जरूरी नहीं है।

श्री अध्यक्ष : तो कमेटी पर जो विचार यहां माननीय सदस्यों ने प्रकट किये हैं, उनका क्या प्रभाव पड़ेगा, यह सोचने की बात है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कमेटी को यह जानकारी मिलेगी कि चर्चा क्या करना चाहते हैं। मेम्बर्स इसको किस प्रकार से विशेषाधिकार का उल्लंघन मानते हैं, किस प्रकार से विशेषाधिकार का उल्लंघन नहीं होता, यह तो उनकी सहूलियत होगी और अध्यक्ष महोदय, आपने इसी विधान सभा में कई बार ब्रीच ऑफ प्रिविलेज की जब चर्चा आई, उस पर चर्चा हुई है।

श्री अध्यक्ष : वो तो ठीक है। मैंने इसको रिजक्ट नहीं किया, मैंने यह कहा है इसमें कुछ तथ्य ऐसे हैं जिन पर गहराई से विचार करने की जरूरत है और तभी यह कहा जा सकेगा कि प्राइमाफेसी केस बनता है कि नहीं बनता है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं चाहता हूं कि सदन को भी गहराई से विचार करने का अवसर प्रदान किया जाय।

श्री अध्यक्ष : मुझे क्या आपत्ति हो सकती है इसमें ? मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। I can fix up some date, लेकिन इसमें समय निर्धारित है, हम मानते हैं उसी समय में हम खत्म करेंगे। उसमें इसको डिबेट का ऐसा विषय नहीं बनायेंगे for say, half an hour or so, we will decide on that point. तो मैं इसके लिए समय और टाइम निश्चित कर दूंगा।

श्री हेमाराम चौधरी।

मांग संख्या 41 व 49 पर विचार

श्री हेमाराम चौधरी (गुडामालानी) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि विकास विभाग के अधीन पंचायत समितियों में जो अध्यापक और ग्राम सेवक अस्थाई तौर पर कार्यरत हैं और वो वर्षों से इस विभाग में काम कर रहे हैं, अध्यक्ष महोदय, उनको स्थाई नहीं किये जाने के कारण।

श्री शोपत सिंह : आवाज में गड़बड़ है।

श्री हेमाराम चौधरी : पंचायत समितियों और जिला परिषदों से अध्यापक शिक्षा विभाग में जाना पसन्द करते हैं, जिसके कारण।

(6·05)

(श्री गिरिराज प्रसाद तिवाड़ी उपाध्यक्ष, पदासीन)

पंचायत समितियों में हर साल अध्यापकों का पंचायत समितियों से शिक्षा विभाग में जाते रहने के कारण पंचायत समितियों में हमेशा अध्यापकों का अभाव रहता है और पद रिक्त पड़े रहते हैं। जिसके कारण, उपाध्यक्ष महोदय, पंचायत समितियों के अधीन जो प्राथमिक पाठशालायें हैं, उनमें पढ़ाई ठीक तरह से नहीं हो पाती और इस कारण ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थी इससे प्रभावित होते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे प्रदेश की 80 प्रतिशत जनसंख्या गांवों में रहती है और उनके बच्चे इन पंचायत समितियों के अधीन जो प्राथमिक पाठशालायें हैं, उनमें अध्ययन करते हैं। अध्यापकों की कमी के कारण प्राथमिक पाठशालाओं में एक ही अध्यापक होता है और वो भी जब नहीं होता है तो स्कूल 6 महीने तक, चार महीने तक, साल भर कई

(श्री हेमाराम चौधरी)

बार बन्द पड़े रहते हैं। तो, उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह से विकास विभाग के अधीन जो पंचायत समितियां हैं, उनमें जो अस्थाई अध्यापक हैं, उनको स्थाई किया जाना आवश्यक है। इसके लिए सेवा चयन आयोग से शीघ्र से शीघ्र इनको चयनित करके इनको अस्थाई करें, तो इनका शिक्षा विभाग की तरफ जाने का प्रयास है, वह रुक सकेगा और जिसके कारण ये पद हमेशा रिक्त होते जाते हैं, ये रिक्त नहीं होंगे। इसलिए मैं चाहूंगा कि विकास विभाग के अधीन जो प्राथमिक पाठशालायें हैं, वे ठीक तरह से चलें, उनमें अध्यापकों की कमी नहीं हो और उन पाठशालाओं में पढ़ने वाले ग्रामीण बच्चों को भी सही शिक्षा मिल सके, इसके लिए यह बहुत ही आवश्यक है।

एक तरफ शहरों के अन्दर हम देखते हैं पब्लिक स्कूल हैं, एक वह पब्लिक स्कूल की पढ़ाई और एक ग्रामीण क्षेत्र में प्राथमिक पाठशाला, 1 से 5 कक्षायें होती हैं और उसमें भी केवल एक अध्यापक होता है। वे पाठशालायें भी बन्द पड़ी रहें, अध्यापक के अभाव में तो शिक्षा का स्तर ग्रामीण क्षेत्र में बहुत घट जायेगा। फिर ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थी कभी भी शहरी क्षेत्र में पढ़ने वाले विद्यार्थी के मुकाबले कोई भी कम्पीटीशन में टिक नहीं पायेंगे और हमारे ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थी बहुत ही पिछड़ जायेंगे। इसलिए मेरा आपके माध्यम से मन्त्रीजी से यह पुरजोर शब्दों में निवेदन है कि वे इस तरफ विशेष रुचि लेकर के और इस तरह के निर्देश जारी करें कि अगस्त माह के अन्दर हर हालत में सेवा चयन आयोग अपनी मीटिंग बुलाकर हर जिला स्तर पर जाकर के और इन अध्यापकों का चयन करके इनको स्थाई करवावें, जिससे यह शिक्षा विभाग में नहीं भागे, नहीं तो शिक्षा विभाग में भागते रहते हैं।

एक मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, पहले बाड़मेर जिले में सेवा चयन आयोग ने इनके चयन के लिए एक मीटिंग भी रखी, लेकिन बहुत कम अध्यापकों का चयन उसमें किया गया और बहुत से अध्यापकों का चयन उसमें हुआ नहीं। साक्षात्कार हुआ लेकिन उनका चयन नहीं किया गया। चयन की क्या प्रक्रिया इन्होंने अपनाई, साक्षात्कार में वे सफल नहीं हुए। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा शिक्षा विभाग में केवल मेरिट के आधार पर सूची बनाई जाती है और कोई साक्षात्कार का दूसरा तरीका नहीं है जो मेरिट में स्टेण्ड करते हैं, जितने अध्यापकों की जरूरत होती है, उनकी सूची जारी कर दी जाती है और उनको नियुक्ति हो जाती है स्थाई। तो इस तरह यह पंचायत राज विभाग द्वारा भी मेरिट के आधार पर इनकी नियुक्ति की जा सकती है। लेकिन फिर भी समझ में नहीं आता कि कुछ लोगों का चयन हो जाता है और कुछ लोगों का चयन नहीं हो पाता है और फिर वे वर्षों से इस विभाग में काम कर रहे हैं, दस-दस वर्षों से काम कर रहे हैं उनका उसमें इण्टरव्यू हुआ लेकिन फिर भी सलेक्शन नहीं हुआ। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि शिक्षा

(श्री हेमाराम चौधरी)

विभाग में जो चयन का तरीका है, वह चयन सेवा आयोग अपनाये और इन अध्यापकों की स्थाई नियुक्ति करे।

इसके अलावा, उपाध्यक्ष महोदय, पंचायत समितियों में जो ग्राम पंचायतें हैं, उनके अन्दर ग्राम सेवकों की बहुत कमी है खास तौर से पश्चिमी राजस्थान में बाड़मेर जिले में जहां पर चार-चार और पांच-पांच पंचायतों के बीच में एक ग्राम सेवक काम कर रहा है। और वे पंचायतें भी बहुत ही दूर-दूर पर हैं। इसलिए एक ग्राम सेवक महीने में एक बार ही प्रत्येक पंचायत हैड क्वार्टर पर पहुँच पाता है। इसलिये उन पंचायतों का ठीक तरह से काम ग्राम सेवक कर नहीं पाते हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय को निवेदन करना चाहूंगा कि प्रत्येक पंचायत के लिए अलग से एक ग्राम सेवक की नियुक्ति करने का प्रावधान करें।

श्री भंवरलाल शर्मा : ग्राम सेवक या ग्राम सचिव ?

श्री हेमाराम चौधरी : ग्राम सेवक, ग्राम सचिव एक ही बात है।

श्री भंवरलाल शर्मा : ग्रुप सचिव या ग्राम सेवक ?

श्री हेमाराम चौधरी : ग्राम सेवक या ग्रुप सचिव, एक ही बात है, आप चाहे ग्राम सेवक कहें या ग्रुप सचिव कहें।

तो एक आदमी की एक पंचायत के लिए काम करने के लिए व्यवस्था करावें। एक ग्राम पंचायत का काम सुचारु रूप से चलाने के लिए एक आदमी होना बहुत आवश्यक है। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि आप एक ग्राम सेवक एक पंचायत के अन्दर नियुक्त करें क्योंकि आज पंचायतों के पास काम बहुत बढ़ गया है जैसे एन.आर.ई.पी. है, फेमिन के काम हैं जिसमें नाडी खुदाने का काम है। एक ग्राम सेवक के पास कई पंचायतों के होने के कारण तथा कई काम पंचायतें शुरू कर देने के कारण, जैसे अभी अकाल राहत कार्य के अन्तर्गत पंचायतों के माध्यम से नाड़ी खुदाने का कार्य करवाया गया तो ग्राम सेवक का वहां पर मजदूरों को लगाना, उन पर निगरानी रखना, उन पर सुपरवीजन करना और लेबर कितना काम करता है, कितना नहीं करता है, तो जब एक ग्राम सेवक के पास पांच-पांच ग्राम पंचायतें होती हैं तो जब एक साथ चार-पांच काम शुरू होते हैं तो वहां की लेबर पर सुपरवीजन कैसे कर सकता है और बिना सुपरवीजन के लेबर को पेमेन्ट कैसे हो, मजदूरी का भुगतान करने में बहुत डिफिकल्टी हो जाती है इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इसको आप गहराई से सोचकर इसकी व्यवस्था करें। मैं समझता हूं कि आप निश्चित रूप से हर पंचायत में एक ग्राम सेवक अलग से नियुक्त करने की कृपा करेंगे।

इसके अलावा, उपाध्यक्ष महोदय, जो पंचायतों की आबादी भूमि है, गोचर भूमि है या कृषि भूमि है, आबादी की भूमि तो पंचायतों के पास होती नहीं है, तो जो कृषि भूमि है उसके ऊपर जो आबादी आबाद हो

(श्री हेमाराम चौधरी)

जाती है, उस पर हमारा आर.एल.ए. एक्ट की धारा 91 के तहत अतिक्रमण जो होते हैं, उनके मुकदमे दर्ज होते हैं और ऐसे मुकदमों पर जब फैसला होता है तो जब फसल पैदा होती है, उसको नीलाम किया जाता है या उन पर जुर्माना किया जाता है और वह जो राशि होती है वह राजकीय कोष में जमा होती है। इसलिए इसके लिए मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस तरह का जो अतिक्रमण हो आबादी से सम्बन्धित, चाहे आबादी भूमि पर हो चाहे गोचर भूमि पर हो, क्योंकि गोचर भूमि का कस्टोडियन है पंचायत, तो आबादी का जो अतिक्रमण होता है एग्रीकल्चर लैण्ड पर जो अतिक्रमण होते हैं और पंचायतों की आबादी की भूमि हो गयी है उसको आपको आबादी में बदलना पड़ेगा। इस तरह उनसे जो आमदनी होती है वह पंचायतों को मिलनी चाहिये। गोचर भूमि पर अगर अतिक्रमण होता है तो 91 की धारा के तहत, जो हमारी आर.एल.ए. एक्ट की धारा है, उनके अन्दर जो जुर्माना होता है वह पंचायतों को मिलना चाहिये। इसके लिये एक सरक्यूलर विकास विभाग का निकला भी है पर आज दिन तक यह जुर्माना उन पंचायतों को नहीं मिला है जो राशि फसलों की नीलामी से प्राप्त होती है, वह, मैं चाहूंगा, पंचायतों को मिले।

इसलिये, सभापति, महोदय मैं यह चाहूंगा कि जिन पंचायतों की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतें हैं जिनका कि कोई आय का स्रोत नहीं है, जहां पर व्यापार की दृष्टि से मण्डियां हैं, वहां पर ठीक है वे छोटी-मोटी आमदनी कर देती हैं, पर जहा पर कोई किसी तरह की आबादी नहीं है, अगर कोई आबाद ही नहीं होना चाहता है, जहां पर कोई प्लोट नहीं है, जहां पर किसी तरह का कोई टैक्स नहीं लगाया जा सकता है, जिन पंचायतों की आर्थिक स्थिति बहुत ही कमजोर है, उनको मदद मिलनी चाहिये।

दूसरा, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि आप जो ढाई रुपया प्रति व्यक्ति अनुदान देते हैं, उसको आप बढ़ाकर कम से कम पांच रुपया प्रति-व्यक्ति करने की घोषणा करें, क्योंकि पंचायतों की आर्थिक स्थिति बहुत ही कमजोरी है, ठीक ढंग से काम नहीं कर सकती हैं और न कोई विकास का काम ही अपने हाथ में ले सकती हैं। ऐसी ग्राम पंचायतें पश्चिमी राजस्थान में विशेष करके बाड़मेर जिले में और जैसलमेर जिले में बहुत हैं, क्योंकि वहाँ पर आबादी बहुत कम है। आबादी बहुत कम होने के कारण जो आप ढाई रुपया प्रति व्यक्ति अनुदान देते हैं, वह बहुत कम है। इसलिये जहां पर कहीं भी कोई काम नहीं हो, जहां पर आबादी ठीक हो वहां पर पंचायतों को अनुदान की राशि ठीक मिल जाती है।

(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : पहले चवन्नी देते थे, जनता पार्टी ने ढाई रुपया किया है। आप कुछ तो करो, आगे बढ़ो। कुछ करिश्मा करके दिखाओ।

श्री दिग्विजय सिंह : इसमें भी आप कोई रिकार्ड करके दिखाओ।

(व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी : जिन पंचायतों में आबादी बहुत कम है और प्रति व्यक्ति ढाई रुपया अनुदान है वह बढ़ाया जाय अन्यथा पंचायतों का विकास नहीं हो सकता है और वे पंचायतें विकास की गति से आगे नहीं बढ़ सकती है। पश्चिमी राजस्थान में जहां पर डेजर्ट का इलाका है, उस डेजर्ट के इलाके में, डेजर्ट के जिले में आप ढाई रुपया की जगह प्रति व्यक्ति पांच रु. करें, तभी पंचायतें अपना विकास कर सकती है, नहीं तो वे पंचायतें पिछड़ी रह जायेगी। आज आप नगरपालिकाओं को तो प्रति व्यक्ति पांच रुपये देते हैं और अभी इसी सत्र में माननीय मन्त्री महोदया ने कहा कि हम जिस नगरपालिका की आर्थिक स्थिति कमजोर है, वहां पर पांच रुपये से बढ़ाकर अनुदान की राशि दस रुपये प्रति व्यक्ति करने का विचार कर रहे हैं, तो अगर नगरपालिकाओं के लिये आप प्रति व्यक्ति दस रु. करने का विचार कर रहे हैं जहां आबादी ज्यादा है, जहां आमदनी बहुत ज्यादा है, उस हिसाब से जिस ग्रामीण पंचायत की आबादी बहुत कम है या है ही नहीं, वहां पर आप ढाई रुपये बहुत कम देते हैं। आप नगरपालिकाओं के विकास का काम करना चाहते हैं, उनका डेवलपमेंट करना चाहते हैं और ग्राम पंचायतों का विकास करना नहीं चाहते हैं, जो हमेशा से ही पिछड़ा हुआ है, वह इस तरह से आर्थिक दृष्टि से मजबूत नहीं हो सकेगा। उसका विकास नहीं हो सकेगा और वह आगे बढ़ नहीं पायेगा। जब तक ग्रामीण क्षेत्रों का विकास नहीं होगा, तब तक हमारा विकास नहीं हो सकेगा, हमारा देश आगे नहीं बढ़ सकेगा विकास के मामले में।

इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह आपके माध्यम से मन्त्री महोदय को निवेदन करना चाहूंगा कि आप इस पर कोई न कोई विचार करें ताकि पंचायतें आर्थिक दृष्टि से ठीक हो और अध्यापकों को स्थायी करने के लिये अगस्त से पहले निर्देश दें ताकि जो स्टाफ पंचायतों का एजूकेशन डिपार्टमेंट में चला जाता है, जिससे कि पंचायती क्षेत्र में अध्यापकों की कमी आ जाती है और जिससे कि अध्यापकों की कमी के कारण जो ग्रामीण क्षेत्र में विद्यार्थियों का स्तर गिरता जा रहा है, उसमें सुधार हो सकेगा। आज 80 प्रतिशत जनता गांवों में रहती है, उसके साथ अगर यह नहीं हुआ तो बहुत भारी अन्याय होगा। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरजी राम बुरड़क।

श्री शोपत सिंह (हनुमानगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे बोलने की कोई व्यवस्था है या नहीं ? मेरी पार्टी का कोई नहीं बोला है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप नेता हैं, नेता बाद में बोलते हैं।

श्री शोपत सिंह : नहीं, नहीं, यह बात

(श्री शोपत सिंह)

बिलकुल गलत है। आपके नेता तो बोले ही नहीं, आपके नेताओं को बुलाओ, तो फिर बाद में भी बोल लूंगा। यह बहुत ही गलत परम्परा है। मैं आपकी व्यवस्था चाहूंगा कि आप मुझे बतायें कि मैं कब रहूं यहां पर ? मुझे कब बोलने का अवसर मिलेगा ?

श्री उपाध्यक्ष : अब आगे आपका नम्बर इनके बाद में।

श्री शोपत सिंह : मैं नहीं समझता कि × × ×

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप असल में लिखकर तो देते नहीं हैं, इससे बड़ी मुश्किल हो जाती है।

श्री शोपत सिंह : खैर, मैं यहां नहीं तो बाहर बोल लूंगा, मुझे आता है बोलना।

श्री उपाध्यक्ष : मेरा निवेदन है कि आप स्लीप पर लिखकर दे दें, तो बेहतर रहा करे।

श्री शोपत सिंह : मेरी पार्टी का कोई नहीं बोला।

श्री उपाध्यक्ष : हरजीराम जी बुरडक के बाद आपका नम्बर।

माननीय श्री हरजीरामजी।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सामुदायिक विकास की मांगों पर।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : शोपत सिंह जी, आप एक स्लिप दे दिया करें, तो अच्छा रहे।

श्री शोपत सिंह : अन्य दलों के जो बोल रहे हैं, वह दे रहे हैं क्या ?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बुरड़कजी के बाद में।

श्री शोपत सिंह : आसन को मेरे अधिकार सुरक्षित करना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : आपके अधिकार सुरक्षित हैं।

श्री हरजीराम बुरड़क।

श्री हरजीराम बुरड़क : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पंचायत और सामुदायिक विकास की मांगों के सम्बन्ध में कुछ निवेदन करना चाहूंगा। आज सदन में बहस सीरियसली चल रही है।

इस हिसाब से मैं उम्मीद करता हूं कि

XXX अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री हरजीराम बुरड़क)

वे कोई महत्वपूर्ण घोषणा अपने उत्तर में करेंगे, वह उठकर चले गये इसलिए मुझे शक है।

राज्य सरकार पंचायती राज को सशक्त बनाने के लिये बहुत प्रयत्नशील है। बीकानेर में सम्मेलन हुआ, भीलवाड़ा में सम्मेलन हुआ, बहुत जगह प्रचार हुआ और कई तरह की किताबें निकाली गई कि हम पंचायती राज को सशक्त बना रहे हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जितनी भी घोषणायें की गई उनकी सही रूप से पालना एक भी विषय में नहीं हुई है। उदाहरण के तौर पर इन्होंने कह दिया दो लाख तक के जितने भी काम हैं, पंचायत समितियों या पंचायतों के माध्यम से होंगे, लेकिन आज तक दो लाख की सीमा तक के काम पंचायत समिति हो या पंचायतें हों, जो पी. डब्ल्यू.डी. की मार्फत नहीं होकर पंचायत समिति के माध्यम से हों, एक भी कार्य नहीं हुआ। सामुदायिक विकास विभाग इस बारे में कई बार सकुंलर निकाल चुका है और यह हिदायत दी गई कि सारा काम पंचायत समितियों से होगा, इनके माध्यम से होगा, लेकिन सामुदायिक विकास विभाग ने एक भी ऐसा पंचायत समितियों के लायक काम नहीं रखा जिससे पंचायत समितियों का काम चल सके।

इसके अलावा, मान्यवर जो भी घोषणायें इन्होंने कीं कि यह अधिकारी पंचायत समिति की मीटिंगों में भाग लेंगे, इन-इन मामलों में पंचायत समिति समीक्षा करेगी और तीन महीने में वह अधिकारी पंचायत समितियों की रिपोर्ट विभाग को देंगे, लेकिन मेरा यह अनुभव है कि किसी भी जिलाधिकारी ने पंचायत समिति की मीटिंग में सही रूप से भाग नहीं लिया और यहां मुख्यालय से अलग-अलग अधिकारी नियुक्त किये गये। 6 महीने में, एक साल में फलां-फलां अधिकारी मीटिंग अटेन्ड करेंगे, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है किसी भी अधिकारी ने कोई पंचायत समिति की मीटिंग अटेन्ड नहीं की। इस सम्बन्ध में जब मैं प्रधान था, तब यह निवेदन किया कि जिला विभाग के अधिकारी मीटिंग में भाग नहीं ले रहे। उनको भाग लेने के लिए कार्यवाही करना तो दूर रहा, लेकिन पंचायत समिति के किसी पत्र का विभाग ने अभी तक उत्तर तक नहीं दिया। इससे स्पष्ट हो जाता है कि उनकी घोषणायें सिर्फ घोषणायें थी। वास्तव में कार्यरूप में परिणत करने के लिए कोई भी अधिकारी नहीं आया।

मेरा निवेदन करना यह है कि अगर पंचायत राज को सफल बनाना है, जो इतने समय से चल रहा है तो उनके विकास के लिए सेवा का अलग से केडर होना चाहिये। कभी आप एस.डी.ओ. को विकास अधिकारी बना देते हैं, कभी पशुपालन के डॉक्टर को और कभी ए.ई.ओ. को विकास अधिकारी बना देते हैं, इससे उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं रहती। मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि विकास अधिकारियों के लिए अलग से स्थाई रूप से सेवा केडर का निर्माण किया जाये और उन्हें विकास अधिकारियों के केडर में से प्रमोशन करके जिला अधिकारी और जिला स्तर के

(श्री हरजीराम बुरड़क)

अधिकारी तक स्थाई तौर पर पंचायत समितियों में होने चाहिये। तभी पंचायत राज कुछ सफलता की ओर बढ़ सकेगा वरना यह बाहर से आये हुए अधिकारी थोड़े दिन रहकर चले जाते हैं और पंचायत राज के सम्बन्ध में उनको कोई भी अच्छी तरह से न जानकारी होती है, न उनकी रुचि होती है।

इसके साथ ही जैसी घोषणायें की गई थीं कि पंचायत को मेडिकल स्कूल देंगे, जिला परिषद को देंगे या पंचायत को देंगे, लेकिन इस सम्बन्ध में अभी तक कोई कार्य-वाही नहीं की गई। अभी पूर्व वक्ताओं में से जहाजपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था कि पंचायतों को शिक्षा देने से शिक्षा का स्तर गिरा है, लेकिन मेरी यह निश्चित मान्यता है कि पंचायत को शिक्षा देने से शिक्षा का स्तर गिरा नहीं है, बढ़ा है। जिस हिसाब से पंचायतों के स्कूलों में छात्रों की संख्या है, उस अनुपात से आधे से कम आपने अध्यापकों के पद सृजित कर रखे हैं और जितने पद सृजित हैं, पूरे भरे नहीं जा सकते क्योंकि वह मिलते नहीं हैं। इसके बावजूद भी पंचायत राज संस्थायें स्कूलों को अच्छी तरह से चला रही हैं और कोई स्तर गिरने वाली बात नहीं है। सिर्फ सवाल इतना सा है कि पंचायत राज संस्थाओं के कार्य का मूल्यांकन पंचायत राज के अधिकारी नहीं करते हैं, प्रधान, सरपंच नहीं करते हैं, इनका मूल्यांकन वही विभागीय अधिकारी करते हैं जिनकी यहां से छीनकर योजनायें पंचायत राज को दी जाती हैं इसलिए उनकी हर रिपोर्ट में यही होगा कि पंचायत राज को काम देने के बाद उसे अच्छी तरह से नहीं चला रही है। मेरी यह मान्यता है कि पंचायत राज में जो भी उनको योजनायें सौंपी गई हैं, उसका मूल्यांकन करने के लिए आप एक पंचायत राज के पदाधिकारी, प्रमुख, प्रधान, सरपंच आदि की कमेटी बनाकर विभागीय अधि-कारी साथ में बैठकर उसका मूल्यांकन करें और रिपोर्ट प्रकाशित करें जिससे यह आभास हो कि पंचायत राज काम कर रहा है।

(समय समाप्ति घण्टी)

उपाध्यक्ष महोदय, आपने बहुत जल्दी घण्टी बजा दी।

दूसरा, मेरा यह निवेदन था सरकार से कि पंचायत राज के अधिकारों को यह सरकार विस्तृत करने के बजाय उनका गला घोंट रही है। जिन मामलों में निर्णय पंचायत राज संस्थाओं को अपने स्तर पर लेना होता है, उनके यहां से आदेश जारी कर देते हैं। घोषणा यह की गई थी कि 25 हजार तक के एन.आर.ई.पी. निर्माण कार्य में सैंक्शन करने का अधिकार पंचायत समितियों को होगा, लेकिन अभी तक किसी भी पंचायत समिति ने उस अधिकार का प्रयोग नहीं किया होगा, क्योंकि न तो राज्य सरकार ने पैसा भेजा, सारी मंजूरी जिलाधीश द्वारा दी जाती है कि इतना पैसा देने का पंचायत समितियों को अधि-कार दिये गये हैं।

साथ ही साथ, माननीय उपाध्यक्ष

(श्री हरजीराम बुरड़क)

महोदय, मैं कुछ हमारे क्षेत्र की पंचायतों के सम्बन्ध में निवेदन करूंगा। माननीय मन्त्री महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिलकुल सूक्ष्म करें।

श्री हरजी राम बुरड़क : हमारे क्षेत्र में ऐसी पंचायतें भी हैं, जिन्होंने भयंकर दुरुपयोग किया है। पंचायत समिति से मिलने वाली आर्थिक सहायता का उन्होंने दुरुपयोग किया है। जमीन बेचने के मामले में सरपंचों ने अपने परिवार वालों के नाम पर सारी जमीन बेच दी। ऐसी शिकायतें आडिट रिपोर्ट में मिलने के बाद भी राज्य सरकार द्वारा कोई कदम नहीं उठाया गया। अभी एक सरपंच हमारे ग्राम पंचायत के हैं, उन को राज्य सरकार ने ढाई रुपये प्रति व्यक्ति सहायता के दिये थे। उसको उन्होंने कहीं भी राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार सार्वजनिक कार्य पर खर्च नहीं किया। राज्य सरकार को जानकारी है इस बात की, लेकिन उनके खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया। जो लोग निर्दोष हैं, उनको जब चाहें सस्पेंड कर देते हैं। हमारी पंचायत समिति के जो सरपंच हैं, उनको बिना कारण से सस्पेंड कर दिया। मन्त्री जी की जो इच्छा होती है, उसी हिसाब से विभाग से आर्डर जारी हो जाते हैं। यह जो टेक्नीकल अधिकारी बैठे हैं, उनकी यह ड्यूटी होती है कि मन्त्रीजी के आदेश को मान लें। कानून की राय उनको याद नहीं है, लेकिन जैसे उन्होंने कर दिया वैसे उनके आर्डर पारित कर दिये। मैंने कहा था कि अगर विभाग के अधिकारी होते तो ऐसी बात नहीं होती।

दूसरा मेरा निवेदन है कि जिस सरपंच, उप सरपंच के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव रखा जाता है, उसके लिए मीटिंग बुलाते हैं डिप्टी डी.डी.। राज्य सरकार को यह पावर है कि वह मीटिंग स्थगित कर दें, लेकिन परिस्थितियां ऐसी हों कि मीटिंग स्थगित करना जरूरी हो। लेकिन यहां मन्त्रीजी को, जिस सरपंच के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव रखा था, उसने एप्लीकेशन दे दी कि मेरे खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव रखा है उसमें पंचों के हस्ताक्षर असली नहीं हैं, इसलिए उन्होंने मीटिंग केंसिल कर दी। वास्तविकता यह है कि जिन पंचों ने प्रस्ताव रखा, उन्होंने गजटेड ऑफिसर के सामने हस्ताक्षर किये, डिप्टी डी.डी. के पास उन्होंने खुद पेश किया, उसमें उन्होंने लिखा है और वह पेश किया। उसके बाद फर्जी हस्ताक्षर की बात कहां रह जाती है? अगर फर्जी हस्ताक्षर हैं तो उस अविश्वास का क्या फर्क पड़ने वाला था, वे वोट देते तो अविश्वास प्रस्ताव पास होता। लेकिन उन्होंने पद का दुरुपयोग करके और नियम 15 का हवाला देकर इस मीटिंग को केन्सिल करा दिया। इसी प्रकार से सरपंचों को सस्पेण्ड करना, उनको बहाल करना और उनके खिलाफ कार्यवाही करना, राजनैतिक आधार पर बरती जा रही है। कोई टेक्नीकल आधार इनके पास नहीं हैं, जैसे यह कहते हैं, जैसे यह आर्डर जारी कर देते हैं, इनके अधिकारी वैसी ही रिपोर्ट जारी कर देते हैं।

(श्री हरजीराम बुरड़क)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो आई.ए.एस. अधिकारी हैं, उनकी ड्यूटी होती है मंत्री महोदय को....

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

श्री उपाध्यक्ष : बहुत शार्ट करें, बहुत से सदस्य हैं।

श्री यदुनाथ सिंह : घण्टी लम्बी और बात शार्ट।

श्री हरजीराम बुरड़क : लेकिन जितने भी आपके आई. ए. एस. आफिसर होते हैं, वह यहां हैड आफिस के अधिकारियों ने कहीं कोई नोट नहीं लिखा कि कानूनी बात यह है और इसमें यह होना चाहिए। इसलिये मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि पंचायती राज संस्थाओं को जीवित रखने के लिये यह जरूरी है कि इसमें राजनीतिज्ञों को कम से कम प्रयोग में लिया जाये और पंचायती राज सेवा को अलग से बनाकर उन अधिकारियों से इस काम को करवाया जाये। दूसरा मेरा यह निवेदन है......

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कट मोशन्स में इतना लम्बा नहीं जाते हैं।

श्री हरजीराम बुरड़क : एक मिनट, आधा मिनट। सेवा चयन आयोग ने जितने अध्यापकों के स्थान खाली हैं ग्राम सेवकों के स्थान खाली हैं, उनमें किसी का चयन नहीं किया है। उपाध्यक्ष महोदय, चयन सेवा आयोग का काम क्या है? अध्यापकों को चुनना है। अभी मेरे से पूर्व वक्ता ने कहा था कि ट्रेण्ड अध्यापक हैं, 10 साल से लगा रखे हैं, उनको स्थाई के लिये सेवा चयन आयोग कार्यवाही करे। यह परीक्षा लेकर कौन से ऐसे अध्यापक ढूंढेगा? जिनको इन्होंने रिजेक्ट किया है, वे कहां जायेंगे?

इसलिये मेरा यह निवेदन है कि कुछ अवधि निश्चित कर दी जाय कि एक साल भर तक अस्थाई कर्मचारी है, उस पीरियड में सेवा चयन आयोग चयनित नहीं करती है तो उस कर्मचारी को चयनित मान लिया जाये। इन शब्दों के साथ मैं आपसे निवेदन करता हूं कि सरकार इन मामलों में ध्यान दे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नारायण सिंह।

(अनुपस्थित)

श्री दामोदर दास आचार्य।

श्री दामोदर दास आचार्य (नागौर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सभी तरफ से कहा गया है कि आज पंचायती राज संस्थाओं, स्वायतशासी संस्थाओं की जो हालत है वह बड़ी दयनीय है। इस दयनीय हालत को सुधारने के लिये हमें क्या करना चाहिये और यह दयनीय हालत क्यों हुई है, उसके विषय में भी हमको जाना चाहिये। मैं इस सम्बन्ध में सबसे पहले यह निवेदन करना चाहूंगा कि आज नगरपालिकाओं की जो दयनीय हालत हुई है, उसका कारण एक तो बढ़ती हुई आबादी के कारण विकास

(श्री दामोदरदास आचार्य)

की अत्यन्त आवश्यकता हमारे नगरों को और कस्बों को हुई है और आज उनके पास में इतने संसाधन नहीं है, उनकी वित्तीय स्थिति ऐसी नहीं है कि वे इन विकास कार्यों को कर सकें, बढ़ती हुई आबादी की वजह से जो समस्यायें पैदा हो रही हैं, उनका समाधान कर सकें। इसके साथ में मैं यह भी समझता हूं कि जहां वित्त का अभाव है, वहां पर स्वायत्तता का भी अभाव है। हमारे कानून के जरिये से धीरे-धीरे इन संस्थाओं को जो स्वायत्ता मिलनी चाहिये और जो स्वायत्ता अक्षुण रहनी चाहिये, उसमें ह्रास हुआ है। मैं इस संबंध में नगरपालिका अधिनियम की धारा 78 में जो शायद सन् 1974 या 1975 के अन्दर एमेंडमेंट किया गया था और उसके आधार पर जो नगरपालिका मण्डल को यह अधिकार था कि वे अपने अधिकार अध्यक्ष को दे सकें, वे अधिकार ले लिये गये और वहां एक प्रक्रिया थी, जिसके जरिये से उन अधिकारों को तो ले लिया गया, लेकिन अधिशासी अधिकारियों को वे बोर्ड के अधिकार दिये जा सकते हैं, ऐसा भी प्रावधान कर दिया गया, जिसकी वजह से अधिकारियों के हाथ में स्वायत्तता का, शासन करने का अधिकार आज उनको ज्यादा दे रहे हैं और हम हमारे जो चुनींदा प्रतिनिधि हैं, उनके अधिकारों को छीन रहे हैं। तो मैं समझता हूं स्वायत्ता सबसे बड़ी देन है, जहां हम कहकर आते हैं, वह स्वायत्तशासी संस्थाओं के पास इतनी स्वायत्ता नहीं रहती तो प्रजातंत्र कैसे रह सकता है? मेरा आपसे यह निवेदन है कि इस सम्बन्ध में स्वायत्तशासी संस्थाओं की स्वायत्ता को अक्षुण बनाये रखना सबसे जरूरी कार्य है और उसके लिये आज हम यह देख रहे हैं कि बहुत सी जगहों पर इन अधिकारों को छीनने की कोशिश की गई है और की जा रही है। इस तरह स्वायत्ता विकृत होती चली जा रही है। मैं आपके समक्ष इसी संदर्भ में हमारे जो केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृत कौर के जो उद्गार हैं, वे उद्धृत करना चाहूंगा। उन्होंने कहा था कि "यह मेरी दृढ़ धारणा है कि हमारे कस्बों और नगरों के प्रशासन में हमें केन्द्रीय प्रशासन के आधार पर छोटी स्वायत्तशासी संस्थाओं के फेडरेशन के रूप में चलानी चाहिये ताकि प्रत्येक वार्ड उस नगर के भागों में रहने वाली जनता यह अनुभव कर सके कि स्वयं का मत स्थानीय प्रशासन में लिया जा रहा है और इतना ही नहीं उनमें नागरिक उत्तरदायित्व की स्वरण और जागरण हो सके। मैं यह भी अनुभव करती हूं कि आज भी हमारा प्रशासनिक ढांचा वैसे ही चल रहा है जैसा कि स्वतंत्रता के पूर्व चल रहा था, जिसका अविलम्ब हल होना चाहिये। अब इस बात को स्वीकार कर लिया गया है कि पंचवर्षीय योजना हमें नीचे से निर्माण करनी होगी एवं सामान्य स्तर से प्रारम्भ करके ही हम जनता के सुख सुविधा के, उज्ज्वल भविष्य के लिये आश्वस्त हो सकते हैं। मैं इस बात पर दृढ़ हूं कि हमारी सब समस्यायें, इन बुराइयों का समाधान हमारी पंचायतों, नगरपालिकाओं और जिला परिषद के हाथ में है।"

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम अधि–

(श्री दामोदरदास आचार्य)

कांशतः ना तो पंचायतों की या नगरपालिकाओं की देना है। अगर हम चुने हुए प्रतिनिधि ही अपने जो प्रतिनिधि है और जो प्रजातंत्र की नींव कही जाने वाली संस्थायें हैं, अगर उनकी स्वायत्तता को हम कायम नहीं रख सकें तो मैं नहीं समझ सकता कि हम किस तरह प्रजातंत्र की दुहाई दे पायेंगे। इसलिये मैं यह बात आप लोगों के समक्ष कहना चाहता हूं कि आज हमारा जो बजट बनता है, हमारी जो विकास योजनायें स्वायतशासी संस्थायें अपने हाथ में लेकर कार्यान्वित करती है, अगर उनकी स्वायतता नहीं रहती, अगर उनको भी वह काम करने के अधिकार नहीं रहते, अभी कुछ दिन पहले हमारा जो डवलपमेंट फण्ड था, जिस को नगरपालिकायें अपने स्तर पर उपयोग में ला सकती थीं, इस डवलपमेंट फन्ड के ऊपर एक प्रतिबन्ध लगा दिया गया कि वह सारा पैसा जमा होगा और बिना डी.एस.बी. की स्वीकृति लिये एक पैसा भी खर्च नहीं हो सकेगा। जहां हमारी भारी समस्यायें हैं, नगरों के अन्दर इतनी दयनीय स्थिति है. क्या हम समझ सकते हैं कि जो पैसा विकास के लिये है, जो विकास के लिये खर्च किया जाना है, अगर वह विना किन्हीं योजनाओं के स्वीकृत करवाये, बिना यहां प्रशासन से स्वीकृति लिये कर नहीं सकते, तो आप समझ सकते हैं कि नाली बनाने का एक छोटा सा कार्य भी वह नहीं कर पायेगी। आज सुप्रीम कोर्ट एक तरफ तो यह कहती है, उन्होंने यह निर्णय लिया है कि अगर आपके पास संसाधन नहीं है तो बैंग, वारो और स्टील, नगरपालिकाओं को उत्तरदायित्व निभाना पड़ेगा। आज ज्यादा इस तरह का न्यूसेन्स पैदा अगर होता है तो यह तो इनको कार्य करना पड़ेगा। आज हम यह समझते हैं कि हमारी स्वायत्तशासी संस्थाओं की दयनीय हालत का किस प्रकार से प्रबन्ध करेंगे, किस प्रकार से काम कर सकेंगे, किस प्रकार से कानून की अनुपालना यह संस्थायें कर पायेंगी, मैं इस सम्बन्ध में ज्यादा अधिक बात नहीं कहते हुए यही कहना चाहूंगा कि इनकी स्वायतता, जहां-जहां हमारे गांवों के लोगों की जो हानि हुई है, उसको रेस्टोर करना चाहिये, उसको वापिस करना चाहिये। इस सम्बन्ध में नगरपालिका अध्यक्षों का एक सम्मेलन 1983 में हुआ था, उसके बाद में 1984 में हुआ। उसमें हमने यह मांग उठाई थी, विस्तृत रूप से हमने यह कहा था उस समय भी कि हमारे जो नगरपालिका के अधिनियम हैं, जो सन् 1959 में बना था, उसमें जितनी समस्या पैदा हुई हैं, पैदा हो रही है और जो चैलेंजेज नगरपालिका के सामने आ रहे हैं, उन चैलेन्जेज को मीट करने के लिये आमूल चूल परिवर्तन हमें अपने कानून में करना पड़ेगा। इसके लिये स्वायत्तशासी संस्थायें जो 195 नगरपालिकाओं, नगर परिषदों की रिप्रेजेन्टेटिव बाड़ी है, उसके माध्यम से उस सम्मेलन के अन्दर उस समय के मुख्य मन्त्री महोदय ने यह घोषणा की थी और उस घोषणा के आधार पर कमेटी का गठन भी किया था। विस्तार से कानून के अन्दर आमूलचूल परिवर्तन की बातें भी बड़े तरीके से हमने सचिव महोदय के लेवल तक इन बातों को डिस्कस किया था, लेकिन यह उपयुक्त समझा गया था

(श्री दामोदरदास ग्राचार्य)

कि हमको एमेंडमेंट लाने के लिये राज्य सरकार के पास जाना चाहिये, क्योंकि विस्तार से किया जायेगा। तो राष्ट्रीय महत्व का प्रश्न जो मैंने ग्रापके सामने उठाया था कि ग्रधिकारों का हनन हुग्रा है ग्रौर ग्रधिकारों को जल्दी से जल्दी रेस्टोर करने की बात मानी गई थी, परन्तु खेद की बात है कि ग्रमेंडमेंट ग्रभी तक हमारे सामने नहीं ग्रा पाया।

मैं ग्रब ग्रापके सामने कुछ वित्तीय संसाधनों के सम्बन्ध में बात कहना चाहूंगा। सबसे पहले मैं ग्रापसे निवेदन करना चाहूंगा कि जो मनोरंजन कर ग्राज नगरपालिकाग्रों को देय होना चाहिए, वह उन्हें नहीं मिल पा रहा है। सन् 1955 के ग्रन्दर नगरपालिकाग्रों को जो थोड़ा बहुत मनोरंजन कर मिलता था ग्रौर वह भी बहुत थोड़ी नगरपालिकाग्रों को मिलता था, वह मनोरंजन कर उन्हीं नगरपालिकाग्रों को उसी ग्राधार पर, जो बहुत नगण्य है, दिया जा रहा था। मनोरंजन कर के साधन सन् 1955 के बाद तो बढ़ते चले गये ग्रौर जो ग्राज ग्रामदनी नगरपालिकाग्रों को हो सकती है, उनकी वित्तीय हालत को सुधारने के लिये जो एक बहुत ग्रच्छा मद है, उसके ग्रन्दर जो चार्जेज उसको वसूल करना है वह तो सरकार ले, लेकिन पूरा का पूरा मनोरंजन कर सरकार से नगरपालिकाग्रों को मिलना चाहिये। यह मैं सदन में ग्रापके मार्फत मन्त्री महोदय का ध्यान ग्राकर्षित करना चाहता हूं।

दूसरी बात जो हम उनके संसाधनों को जुटाने के लिये कर सकते हैं, वह यह है कि जो भूमि हस्तान्तरण के मामले हैं ग्रौर जो नगरपालिकाग्रों के क्षेत्र में होते हैं, उसमें जो स्टाम्प ड्यूटी है उसका ग्राधा परसेन्ट टैक्स लगाकर हम नगरपालिकाग्रों के लिए साधन जुटा सकते हैं ताकि उनकी ग्रार्थिक हालत सुधर सके।

इसके साथ-साथ हमने डवलपमेंट परपरजेज के लिए, विकास के लिए वित्त निगम की स्थापना की बात की थी ग्रौर उसके सम्बन्ध में एक समिति भी बनाई थी। उसकी स्वायत शासन संस्था की तरफ से एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट हमने राज्य सरकार को प्रेषित कर रखी है। एक प्रश्न के उत्तर में मन्त्री महोदय ने यह कहा भी था उस समय कि इस पर विचार किया जा रहा है। मैं समझता हूँ इस सदन में घोषणा होनी चाहिये कि कब तक हम यह वित्त निगम बनाने जा रहे हैं।

मैं यह भी चाहूंगा कि उस समय यह भी कहा गया था कि उनकी ग्राथिक हालत सुधारने के लिए जो पर केपिटा ग्रान्ट है, (5 रु., उसको बढ़ाकर 10) रु. किये जायेंगे। यह भी, मैं समझता हूं, इसी वर्ष से किया जाना ग्रावश्यक है। ग्राज जितनी महंगाई बढ़ी है ग्रौर महंगाई के साथ-साथ ग्राज तो तनख्वायें चुकाने का भी साधन नगरपालिकाग्रों के पास नहीं है, तो जो यह महंगाई बढ़ती चली जा रही है ग्रौर हर बार महंगाई भत्ता जहां सरकार का ग्रादेश होता है, वहां नगरपालिकाग्रों के कर्मचारियों को भी बढ़ा कर देना पड़ता है तो उसके लिए भी यह ग्रत्यन्त ग्रावश्यक है कि पांच रुपये की राशि जो पर केपिटा ग्रान्ट दी जा रही

(श्री दामोदरदास आचार्य)

है, उसको 15) रु. शीघ्र करनी है। यह आश्वासन भी दिया गया था कि इस पर विचार किया जा रहा है। मैं चाहता हूं कि मन्त्री महोदय जरूर इस बात के लिए घोषणा करेंगे कि इसी बजट में इसकी घोषणा की जायेगी।

मैंने कुछ बजट के आंकड़े देखे हैं और उनको देखने से पता लगता है कि जो अनुदान की बात कही गई है कि हमने सन् 1984-85 में 7 करोड़ 16 लाख और 18 हजार का प्रावधान किया था, उसे हमने 9 लाख घटाया है। जब एक तरफ बात कही जाती है कि 5) रु. से 10) रु. करने की बात कर रहे हैं तो इस बजट में कटौती करके किस तरह से हम इस मांग को पूरी कर पायेंगे, यह मेरी समझ में नहीं आता है। इसका स्पष्टीकरण भी मन्त्री महोदय देने की कृपा करें।

मैं इसी सम्बन्ध में कुछ और बातें आपसे निवेदन करना चाहता था। आज नगरपालिकाओं के सामने बहुत से महकमे ऐसे हैं जैसे विद्युत मण्डल, जलदाय विभाग, औद्योगिक इकाइयां, रोडवेज इत्यादि, इनके अन्दर बहुत रकम बकाया है नगरपालिकाओं की। यह राशि अगर उनको मिलती है तो निश्चित रूप से विकास का कार्य कर सकेंगे, लेकिन यह सारे विभाग में किसी भी स्तर पर बार-बार कहने के बावजूद आज तक निपटाने का काम नहीं हुआ है। चूंकि डिपार्टमेंट के कन्सर्न हैं और बहुत सारी भूमि रोडवेज के पास में नगरपालिकाओं द्वारा विक्रय की गई है, उनका भी मामला है। उधर उनको बस स्टेण्ड बना कर दिये गये हैं, वे उसमें बैठे हुए हैं और बहुत सारे किराये की राशि भी बाकी है। इसलिए इस बात को शीघ्र निपटाना आवश्यक है। मैं समझता हूं कि कोई डेड लाइन हमें मुकर्रर करनी चाहिये, उसके लिए कुछ समय निर्धारित करना चाहिये ताकि सारे विवाद को निपटाया जा सके।

मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए चुंगी सबसे बड़ा साधन है। एक बार यह कहा जा रहा था कि चुंगी को हम समाप्त करें, लेकिन मैं समझता हूं अब तो किसी का भी यह मानस नहीं रहा है कि चुंगी समाप्त की जाय और इसके लिए कोई आल्टरनेटिव व्यवस्था की जा सके। आज नगरपालिकाओं का कोई आर्थिक आधार है तो वह चुंगी कर का ही है। चुंगी कर में भी विसंगतियां हैं और ऐसा कहा भी गया था कि चुंगी कर को, सभी जगह की चुंगी को समान आइटम पर और कई आइटम पर हम एक करने जा रहे हैं। यह भी मसला काफी लम्बे अर्से से पड़ा हुआ है। इसके लिए भी एक समिति गठित की गई थी। मेरे ख्याल से चार-पांच साल का अर्सा हो चुका, अब इस कार्य का भी शीघ्र निपटारा करना चाहिये। डी.एल.बी. लेवल पर शायद पड़ी है, उसको मेरे ख्याल से सचिव महोदय ने भी अभी तक नहीं देखा है। मैं समझता हूं उसको भी शीघ्र निपटाने की जरूरत है।

(समय समाप्ति सूचक घन्टी)

मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। घन्टी

(श्री दामोदर दास आचार्य)

बजी है। मैं थोड़ी बहुत बातें जो मुद्दे की है, उनके बारे में सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

आज नगरपालिकाओं के चुनाव के सम्बन्ध में बातें कही गई। मैं समझता हूं मेरी बात को जन प्रतिनिधि तो शायद स्वीकार न करें, लेकिन यह सर्व मान्य सिद्धान्त रहा है कि जो हमारी नगरपालिकायें हैं, जिनमें हमें नगरीय प्रशासन चलाना है, वहां हमें दलगत नीति और दलगत राजनीति नहीं अपनानी चाहिये। यह बात आवश्यक है और हमेशा से मानते रहे हैं, लेकिन हमने इसमें बदलाव ला करके इसके सारे ढांचे को खराब किया है। मेरी ऐसी मान्यता है, इससे कोई सहमत हो या नहीं हो। मैं यह चाहता हूं कि छोटे नगरों में जहां हम लोग बैठे हैं पार्टीबाजी न हो, दलगत राजनीति न हो। कह रहे थे कि अच्छे लोग सामने नहीं आते हैं, तो मेरा निवेदन है कि अच्छे लोगों को किसी पार्टी से मतलब नहीं है, वे आयेंगे कैसे? अगर आप दलगत राजनीति के आधार पर चुनाव की बात और प्रक्रिया अपनायेंगे। मैं समझता हूं इस सम्बन्ध में हो सकता है कि इस बात को राजनेता लोग मंजूर न करें और अच्छी निगाह से नहीं देखें, लेकिन मेरी मान्यता है अगर इसमें सुधार लाना है, स्वच्छ प्रशासन देना है, अच्छे आदमियों को आगे लाना है तो दलगत राजनीति न की जाय और पार्टी लेवल के ऊपर कोई चुनाव नहीं कराये जाये। अच्छे आदमियों को आने का मौका नगरपालिका, नगर परिषद और पंचायतों में समितियों में दिया जाना चाहिये।

श्री शोपत सिंह : पार्टी में अच्छे आदमी नहीं होते हैं क्या?

श्री दामोदर दास आचार्य : सभी तरह के होते हैं पार्टी के अन्दर, अच्छे आदमी होते हैं, लेकिन पार्टी में दलगत राजनीति जहां आ जाती है आपस के अन्दर तो विवाद पर एक पार्टी द्वारा दूसरे की, चाहे उसमें तथ्य है या नहीं, टांग खिचाई की जो बात होती है, यह टांग खिचाई की बात समाप्त होनी चाहिये।

मैं आपके समक्ष थोडे तथ्य और रखना चाहता हूं। मेरा निवेदन है, आज जैसा अभी पंचायत समितियों के सम्बन्ध में कहा जा रहा था कि आज बी.डी.ओ का स्थानान्तरण करना है तो उसमें वहां पर प्रधान से कन्सलटेशन का प्रावधान रखा गया है, किन्तु नगरपालिकाओं के मसले पर ऐसा प्रावधान नहीं है। जो बदल दिये जाते हैं, उसमें नीयत साफ होती है, बदलवाने में। मैं समझता हूं अगर आपको विकास करना है, नगरपालिकाओं को स्वच्छता से चलाना है तो जो अध्यक्ष है, उसके कन्सलटेशन के आधार पर स्थानान्तरण की नीति अपनानी चाहिये।

मैं एक बात और आपके समक्ष निवेदन करना चाहूंगा और वह यह है कि आज जन-प्रतिनिधि की जांच होती है उसमें अधिकारीगण केवल जाकर जांच करके ले आते हैं और एक्शन लिया जाता है। आज ही मेरी समझ में राजस्थान पत्रिका है,

(7.00 सायं)

दैनिक नवज्योति को मैं पढ़कर आपके सामने

(श्री दामोदर दास आचार्य)

सुनाना चाहूँगा, उसमें बहुत अच्छी बात कही गयी है और यह बात लागू करनी चाहिये यह मेरा निवेदन है।

"निर्वाचित पंचों, सरपंचों, प्रधानों और प्रमुखों के विरुद्ध शिकायतों के समाचार यदा-कदा आते रहते हैं। पिछले दिनों राज्य विधान सभा में सहकारिता राज्य मन्त्री ने बताया कि सलूम्बर विधान सभा क्षेत्र में ग्राम इसमोई में अनियमितता में उसे दोषी पाया गया। सरपंच की वसूली की कार्यवाही की जा रही है।"

यह सब यहां तक ठीक है लेकिन अधिनियमों, नियमों में जो धारायें हैं उन पर भी पुर्नविचार आवश्यक है। निर्वाचित जन-प्रतिनिधियों की जांच क्या केवल राज्य अधिकारियों से कराया जाना उचित है? जब एक बार डिविजनल आफिसर सरपंच की जांच करके उसे सजा दिला सकता है तो कैसे पंच, सरपंच, प्रधान मिलकर नियन्त्रण का ऐसा वातावरण बनाये रख सकते हैं कि स्थानीय सरकारी अधिकारी सही रूप से अपना कार्य करते रहें। होना यह चाहिये कि निर्वाचित जन-प्रतिनिधियों की जांच में सामान्य स्तर के एक-दो जन-प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जावे। यह हो सकता है कि जाँचकर्त्ताओं का क्षेत्र उनसे भिन्न और दूर हो जिसकी जांच की जाय। इससे जांच में विश्वसनीयता आयेगी और जन-प्रतिनिधियों में स्वायत्तता का स्वाभिमानी स्वभाव भी विकसित होगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसके साथ में आज जो कार्यक्रम बहुत अच्छे तरीके से हमारी सरकार चला रही है उसके सम्बन्ध में भी निवेदन करना चाहूंगा। वह है अनुसूचित जातियों को आवास की व्यवस्था करने का, उनको दुकानें बना करके व्यवसाय के लिए साधन जुटाने का और आज सबसे बड़ा कार्यक्रम जो......

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

बस, थोड़े से समय में ही समाप्त कर रहा हूं।

जो सबसे बड़ा कार्यक्रम हो रहा है वह है लो कास्ट सेनीटेशन। आज यह सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने है भंगी कष्ट मुक्ति की और उसका समाधान हमको करना चाहिए। हमारे बापूजी ने बड़ा स्वप्न देखा था कि यह भंगी कष्ट का निवारण अतिशीघ्र होना चाहिये। आज काफी पैसा भी इस सम्बन्ध में पी.डी.आर. एक्ट में सैन्ट्रल गवर्नमेंट दे रही है, हुडको लोन दे रही है, हमारी सरकार ने भी इसके लिये 50 लाख रुपये बजट के अन्दर रखे हैं, गत वर्ष 40 लाख रुपये रखे गये थे। यह एक बहुत अच्छा कदम है और मैं समझता हूं कि इस कार्यक्रम को अगर बहुत अच्छे तरीके से और बहुत लगन के साथ, डेलीगेशन के साथ में किया जाय तो इससे सफाई की व्यवस्था का स्वच्छता का, जो गन्दगी वगैरह का वातावरण नगरों में रहता है वह निश्चित रूप से दूर होगा। आज हालत यह है नगरपालिकाओं की, जो मैला है, जो फ्लश लैट्रीन बनाते हैं उसका मैला भी सीधे नालियों में डालते हैं और वैसे वह नालियां पब्लिक लैट्रीन के

(श्री दामोदर दास आचार्य)

तौर पर काम आती हैं। इसका हमको अगर समाधान करना है तो लो कास्ट सेनीटेशन का जो प्रोग्राम चला रहे हैं उसके आधार पर हो सकता है। इसको ज्यादा से ज्यादा गति मिलनी चाहिये और 50 लाख का जो अनुदान रखा है वह भी ज्यादा बढ़ाना चाहिये।

इसके साथ मेरा एक और निवेदन है कि आज 300 रुपये हम अनुदान के रूप में एक हाऊस होल्डर को देते हैं उसे भी बढ़ाकर के 500 रुपये करना चाहिये। यह मांग हमने पहले भी उठायी थी। ताकि ज्यादा से ज्यादा राहत हम उन लोगों को दे सकें जिनके पास में और साधन नहीं हैं।

इसी के साथ मैं ज्यादा समय न लेते हुये एक बार फिर आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा इस सम्बन्ध में जो स्वायत्त शासन संस्था हैं राजस्थान की बहुत अच्छा कार्य कर रही है।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

मैं समाप्त कर रहा हूं।

उस कार्य के सम्बन्ध में जो वर्कशाप आन इन्टेग्रेशन ऑफ रूरल वाटर सप्लाई, ड्रेनेज एण्ड हैल्थ एजूकेशन सिडो कैम्प दिल्ली में हुआ था उन्होंने इस सम्बन्ध में राजस्थान इन्स्टीट्यूट के लिए जो बात कही है वह मैं थोड़ा सा पढ़कर आपको सुनाना चाहता हूं। यह कार्यक्रम जो है उसके माध्यम से हमारे यहां टेक्नीकल विंग है जो सारी प्रोजेक्ट रिपोर्ट को तमाम नगरपालिकाओं के लिए बनाती है और ज्यादा से ज्यादा हम जितना पैसा खर्च कर सकेंगे जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा गांवों को हम यह सुविधा दिला सकेंगे।

This Institute is fully equipped with the infrastructure for training and implementation of the low cost sanitation programmes in the urban areas International agencies like the UNDP, UNICEF and World Bank have recognised this Institute as consultant for preparing project reports on low cost sanitation for all the states of India as well as dozen of towns of Rajasthan on the basis of project reports prepared by this Institute, financial assistance in the form of grants and loans, is being made available by the Government of India, World Bank, State Government and HUDCO.

With this background in view, the Rural Development Department of Govt. of Rajasthan, has approached this institute for conducting training programmes on conversion of dry latrines into pour flush latrines etc. etc.

(श्री दामोदर दास आचार्य)

मेरा सबमिशन यह था. आज यह जो सारा प्रोग्राम कर रहे हैं, ट्रेनिंग प्रोगाम कर रहे हैं उसके लिए हमने एक लाख रुपये की इन्स्टीट्यूट के माध्यम से मांग उठायी है उसको मैं समझता हूं राज्य सरकार कन्सीडर करेगी।

बहुत कुछ मैटर था जिसके सम्बन्ध में कहना चाहता था, दो बार घण्टी बज चुकी और मैं बोलने में मितव्ययता हमेशा बरतता रहा हूं इसलिए इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको, उपाध्यक्ष महोदय, धन्यवाद देता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शंपत सिंह।

श्री हरजी राम बुरडक (लाडनूं) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का सवाल है। किसी को दो मिनट में घण्टी बजाते हैं, किसी को 15-20 मिनट में घण्टी बजाते हैं. इसका क्या कारण है? क्या आप कांग्रेस साइड के हिसाब से ज्यादा टाइम देते हैं। या किस हिसाब से घण्टी बजाते हैं? यह जरा आप बता दीजिये। मैं जब बोलने खड़ा हुआ, उपाध्यक्ष महोदय, तो 3 मिनट में घण्टी बजा दी।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, एक मिनट। जो सवाल आज आपने उठाया, माननीय सदस्य, क्या मैटर कितना दे रहे हैं... ......

श्री हरजी राम बुरडक : किस हिसाब से दे रहे हैं, यह बता दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : यह उस हिसाब से दे रहे हैं कि सत्ता पक्ष ने भी एक प्रश्न उठाया था, जो माननीय सदस्य जितना मैटर देते हैं हाऊस उसको अटेन्टिव सुनता है, कितना मैटर देते हैं, महत्व के हिसाब से देते हैं। माननीय सदस्य पहले उठा चुके हैं, सत्ता पक्ष के भी उठा चुके हैं।

श्री हरजी राम बुरडक : नहीं, आप यह गलत बात कह रहे हैं।

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : हाऊस ने तो किसी को नहीं कहा कि इसको बैठा दिया जाय, इसको नहीं सुनना चाहते। फिर यह कैसे असेसमेंट किया?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : यह मैं पहले भी कह चुका हूं। हाऊस में कई बार माननीय सदस्य इम्पोर्टेन्ट मैटर देते हैं......

श्री हरजी राम बुरडक : मैम्बर क्या बोलते हैं क्या करते हैं, यह आप नहीं कह सकते।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, सब कितना चाहते हैं? 10 मिनट से एक सैकण्ड ज्यादा नहीं दूंगा। Agreed? माननीय सदस्य, मैं 10 मिनट से ज्यादा नहीं दूंगा। All right Agreed. Thank you. बहुत धन्यवाद। अगर सब टाइम पर स्ट्रिक्ट करते हैं मुझे बड़ी खुशी होगी लेकिन एक मिनट कहकर 5 मिनट लगाते हैं बस बस करते रहते हैं। कृपया आसन को बहुत खुशी होगी अगर कम समय में समाप्त किया जाय। सब को एक समान दे दिया जाय, कोई एतराज नहीं।

श्री कालीचरण सराफ (जोहरी बाजार) : माननीय सदस्य को एतराज यह है कि जब ये बोले हैं तब तो आपने 3 मिनट में घण्टी बजा दी और वे बोलते हैं तो 20 मिनट भी नहीं दबायी।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, जो सवाल आपने उठाया वह सत्ता पक्ष उठा चुका है, मेरे खिलाफ उठा चुका है। सत्ता पक्ष उठा चुका है वह सवाल जो आज आप उठा रहे हैं। श्री शोपत सिंह।

श्री भैरूं लाल भारद्वाज (जमवा-रामगढ़) : अब देखें शोपत सिंह जी कितनी देर लगाते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : अब 10 मिनट का तय करते हैं? श्री शोपत सिंह। 10 मिनट के बाद में 8 मिनट में घण्टी बज जायेगी, 10 मिनट में पूरा हो जायेगा। बहुत धन्यवाद। नहीं, कोई सवाल नहीं। फिर एतराज करते हैं। कोई सवाल नहीं एग्जेक्ट 10 मिनट्स। रेलेवेन्ट को एग्जेक्ट 10 मिनट्स लेकिन इसको हाऊस तय करे। कोई 5 मिनट में 20 मिनट का टाइम लेगा, कोई भी 20 मिनट बोलेगा, 20 मिनट से ज्यादा बोलेगा तो दूसरे का टाइम लेगा।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (पिलानी) : तो उपाध्यक्ष महोदय, आसन पर बैठकर आप दो तरह की व्यवस्था कैसे दे सकते हैं? एक बार आप एक व्यवस्था देते हैं। कम से कम एक ही व्यवस्था दीजिये। एक तो यह व्यवस्था मिली कि हाऊस अटेन्टिव सुनता है मैटर बढ़िया देता है तो आसन ज्यादा समय देगा। तो आपने यह तो फैसला कर ही लिया कि सत्ता पक्ष में बैठने वाले लोग ही बोलना अच्छा जानते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या, आप शायद उस दिन थीं कि नहीं थीं इन्होंने सत्ता पक्ष ने मेरे खिलाफ विपक्ष की तरह से उठाया था, विपक्ष को ज्यादा टाइम देते हैं.........

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आसन पर बैठ-कर, आसन की पार्टी नहीं होती। यह गलत है।

श्री उपाध्यक्ष : मैं बिल्कुल निष्पक्षता से चल रहा हूं। हाऊस तय कर ले 10 मिनट के बाद एक सैकण्ड नहीं होगी।

श्री शोपत सिंह (हनुमानगढ़) : यह किसने कहा कि आप निष्पक्षता से नहीं चल रहे हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी निष्पक्षता पर तो हमें कोई एतराज ही नहीं है। हमको आपकी ईमानदारी और निष्पक्षता पर कोई शक नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : यह पक्ष और विपक्ष का सवाल नहीं है। यह सवाल निष्पक्षता का है।

श्री भैरूं लाल भारद्वाज : अनुपात की दृष्टि से हम ज्यादा हैं।

श्री उपाध्यक्ष : अनुपात की दृष्टि से अगर माननीय सदस्य तैयारी करके लायें तो बहुत अच्छा होगा।

श्री यदुनाथ सिंह : अनुपात आपका ज्यादा नहीं है। बाल-बाल बचे हो। अनु-पात का बहुत थोड़ा फर्क है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : अनुपात में कम नहीं हैं। अनुपात में कम नहीं हैं आपसे ।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : अनुपात की दृष्टि से हम छोटे हैं साहब ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय घनश्याम जी ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : व्यवस्था का प्रश्न है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय। माननीय भैरूंलालजी भारद्वाज ने गुस्से में आकर माइर्क भी तोड़ डाला ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शोपत सिंह ।

श्री शोपत सिंह (हनुमानगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पंचायत और समन्वित ग्रामीण विकास विभाग ग्रामीण क्षेत्र के विकास का बहुत बड़ा आधारभूत अंग है। मैं समझता हूं कि हमारी पंचायतों को मरणासन्न न कहूं तो मैं यह कह सकता हूं कि हमारी पंचायतें और पंचायत समितियां सिसक रही हैं, मरने के नजदीक जा रही हैं, अगर इसकी आपने कुछ व्यवस्था नहीं की, इसको ठीक नहीं किया और इसको कोई महत्व नहीं दिया तो पंचायत समितियों के बारे में, पंचायतों के बारे में पिछले तीस सालों में लगातार कमेटियां बनाई, सुझाव आये। अशोक मेहता कमेटी की रिपोर्ट आई, व्यास जी की रिपोर्ट आई, सरकार की तरफ से सुझाव आये मगर नतीजा यह हुआ कि जितनी हमने कोशिश की इसमें सुधार लाने की, उतनी ही आज बुरी हालत है पंचायतों की। उससे पहले कभी नहीं थी, माननीय उपाध्यक्ष महोदय। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने वह दौर देखा है सन् 1956 में मैं सरपंच था, सन् 1956 में मुझे सरपंच रहने का इत्तफाक मिला और सन् 9162 तक मैं रहा। दो घटनायें मुझे याद आ रही हैं। जब नेहरूजी चित्तौड़ जिले में पहुंचे वहां पर सरपंचों का सम्मेलन था और उसके बाद नागौर में एक सम्मेलन हुआ, सुखाड़ियाजी ने पंचायत राज की कुछ और घोषणायें कीं, इसमें कुछ तब्दीली की। उस समय हम में जो जील था सरपंचों में और दूसरे लोगों में काम करने का, वह मर चुका है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी हमारी पंचायत समितियों की, क्या काम रह गया, साहब ? उनकी तनख्वाह है और बैठे हैं वह बेकार। कोई काम नहीं है। यह बीस सूत्री प्रोग्राम नहीं हो तो मेरे ख्याल से उनके पास कोई काम नहीं होगा। यह बीस सूत्री प्रोग्राम के सिवाय कोई प्रोग्राम उनके पास रहा नहीं। सारा का सारा स्टाफ बेकार। कोई योजना नहीं। ऐसे ढंग से अगर हम इन पंचायतों को निर्जीव रहने देंगे तो मेरे ख्याल में ग्राम के विकास को जो हालत है, कौन मालिक है, गम्भीरता से सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। अधिकार पंचायतो को मिलने चाहिये। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत बताना चाहूंगा हमारे पंचायत मंत्रीजी को, कभी सोचा है आपने ? अभी शहरों में स्ट्रीट लाइट्स हैं मगर गांवों में आदमी थोड़े ही रहते हैं। आप इनके लिए अनुदान देंगे, इनके लिए व्यवस्था करेंगे मगर गांव के किसान के लिए, गांव की ग्रामीण जनता के लिए एक भी बता दीजिए जवाब देते वक्त कि राजस्थान के

240

(श्री शोपत सिंह)

कितने ऐसे गांव जहां पर स्ट्रीट लाइट्स हैं। मेहरबानी करो आप, चांदनी रात को छोड़ दो, अंधेरी रात में दे दिया करो 15 दिन। दूसरी, दूसरी आबादियों को छोड़ दो, गरीब हरिजनों के मोहल्लों में तो लगाओ आप लाइट। मगर आपको ख्याल ही नहीं है। आप सोचते हैं कि जानवर बसते हैं गांवों में। उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता। इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। कहां से हो ? म्यूनिसिपैलिटीज तो चुंगी लगा सकती हैं। किसान आये तो लगा दोगे। मगर गांव में कौन सी आमदनी है, कौन से अधिकार हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं। मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत कहना चाहूंगा कि पंचायतों को आप अधिकार दीजिए। आज शहरों में लिटिगेशन इतना बढ़ गया है कि आपकी अदालतों में दो-दो, तीन-तीन, चार-चार साल तक फैसले नहीं होते। और फैसले कैसे करते हैं आप ? हम देखते हैं, किस ढंग से हो रहे हैं फैसले। यह फौजदारी के 323, 324 के कैसेज में अच्छा फैसला करेगा गांव का सरपंच। उसको सच्चाई जल्दी मालूम होगी। वह जल्दी फैसला करेगा। सालों तक उसको लटकाए नहीं रखेगा। हजार दो हजार, तीन हजार रुपयों के दीवानी मुकदमे उसको दीजिए। रास्तों के अधिकार दीजिए। बिना अधिकार के आज सरपंच की कोई कीमत नहीं। कोई नहीं पूछता सरपंच को। जब अधिकार देंगे तभी उसकी पूजा होगी। एक साढ़े छः फीट का सरपंच शरीर से तगड़ा, उसके बुलाने से नहीं आता है, वह गांव का आदमी और मुर्दा सा अगर कोई तहसीलदार उसको सम्मान देता है तो आना पड़ता है। लाजिमी आना पड़ता है क्योंकि उसके पास पावर है। पावर की पूजा है। इसलिए गाँव के सरपंच को अधिकार दीजिए। आज जो लिटिगेशन की लाइनें अदालतों में लगी हुई हैं वह कम हो जायेंगी।

इसके साथ-साथ, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमको पंजाब और हरियाणा, जो मेरे जिले के नजदीक हैं, जाने का इत्तफाक होता है। वहां पर कितना विकास हुआ है। वहां के गांवों की सड़कें पक्की, गांवों की गलियां पक्की, वहां पर नालियां बाकायदा, वहां हर गाँव सड़क से जुड़ा हुआ। हर गांव में वाटर वर्क्स, हर गांव में बढ़िया स्कूल, बढ़िया भवन। हमारे यहां क्या व्यवस्था कर रखी है ? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने एक दिन आगे भी कहा था, हमारे स्कूल्स की हालत तो देखो आप, ये लोग किस के भरोसे बैठे हैं। ये मर नहीं रहे हैं, कब कुछ हो जाय, कुछ नहीं हो जाय कोई परवाह ही नहीं है। किसी को बिच्छु खाये, किसी को सांप खाये, छत पड़ जाय, धूप में बैठे हैं। आपने अपने बच्चों के लिए अलग-अलग कहीं सेंट जेवियर स्कूल खोल रखा है, कहीं सेंट पोल स्कूल खोल रखा है। इधर भी ध्यान रखो ना आप। आपने कोई भी व्यवस्था नहीं की है। एक करोड़ रुपया दिया। बहुत बड़ा मार का काम कर दिया। एक करोड़ रुपया आपने इस कण्डीशन पर रखा है कि गांव वाले देंगे तब करेंगे, तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह भेदभाव खत्म होना चाहिए। गांव की 80 फीसदी जनता है उसके लिए कुछ करिये। यह आधार है तो आपकी जिन्दगी का भी आधार है। अभी तक जो वक्त गुजर रहा था बड़ा खतरनाक

(श्री शोपत सिंह)

था। आपको यहां आने का मौका मिल गया वरना बड़ी खतरनाक हालत से मुकाबला करना पड़ेगा। हालात बहुत खतरनाक हो जायेंगे। चार्म उतर जाएगा लोगों का, राजीव बाबू का भी। राजीव बाबू का चार्म उतर जाएगा तब आपको आने का कौन सा आधार होगा। मैं तो आपके फायदे के लिए कहता हूं कि जितना....

श्री जयकृष्ण तोसावड़ा (दूदू) : यह आप रोजना कहते हो कि हालत खराब हो जायगी, कब तक हो रही है ?

श्री शोपत सिंह : अभी हो जाएगी।

श्री जयकृष्ण तोसावड़ा : सुबह या शाम ?

श्री शोपत सिंह : किस के नाम से आते हो, अपने दम पर थोड़े ही आते हो आप।

श्री जयकृष्ण तोसावड़ा : पार्टी के नाम से आते हैं। आपकी तरह अकेले थोड़े ही हैं।

श्री शोपत सिंह : यह टाइम मेरे में से नहीं कटना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय तोसावड़ा जी

श्री शोपत सिंह : बड़ा इण्ट्रप्ट कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : इण्ट्रप्शन नहीं।

श्री शोपत सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं दूसरी प्रौढ़ शिक्षा के बारे में कहूंगा। प्रौढ़ शिक्षा की क्या हालत है ? अब आप बैठ कर सोच लीजिए कि बच्चों को पढ़ाना जरूरी है कि बच्चों के बाप को पढ़ाना जरूरी है। दोनों में से देख लीजिए किस को पढ़ाना है। हमारे पचास परसेंट बच्चे तो गांव मे स्कूल के दर्शन ही नहीं करते। लेकिन आपको उनकी फिक्र नहीं है। आपको तो बच्चे के बाप की फिक्र ज्यादा है। जिसको न कभी टाइम मिलता है....

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष) : बाप का सवाल नहीं है, दादा को पढ़ा रहे हैं।

श्री शोपत सिंह : हां दादा को पढ़ा रहे हैं। बाप को क्या बाप से भी आगे निकल गए। तो महरबानी करके आप इस जनरेशन को पढ़ा दो। जो जनरेशन स्कूल में जाने लायक है, उसको पढ़ा दो आप। आप उसके लिए कम्पलसरी कीजिए उसको कुछ दीजिए, उसमें बच्चों को कुछ मुफ्त में किताबें दीजिए, कपड़े दीजिए, दोपहर का भोजन दीजिए। सब स्टेटों में है। हमारा राजस्थान कौन सी चीज में पीछे है ? हमारे पास बहुत बड़ा एरिया है, हमारे पास बहुत बड़े साधन हैं, बशर्ते कि हमारे इरादे हों। तो मैं एक ही बात कहता हुआ....

(व्यवधान)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक ही बात कहता हूं, यह सुझाव देता हूं कि आज हम सरकारी अधिकारियों के खिलाफ तो खूब बोलते हैं मगर सरपंच के खिलाफ, जो भ्रष्ट सरपंच

(श्री शोपत सिंह)

है, आपकी पंचायत समिति के प्रधान हैं या सरपंच हैं उनके लिए आप क्या कर रहे हैं? उनके लिए कुछ नहीं होगा। सरपंच कितना ही भ्रष्ट हो जावे, पंचायत में कितना ही गबन हो जावे, आपकी ताकत नहीं कि आप उसको हटा दें। आप सिवाय उसको बचाने के कुछ नहीं करते।

श्री जयकृष्ण तोसावड़ा : आप भी सरपंच रह चुके हो।

श्री शोपत सिंह : हाँ, मैं रह चुका हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, इंट्रप्ट नहीं करें।

श्री शोपत सिंह : मैंXXX तरह रह कर नहीं आया हूं। मैं आपकी तरह नहीं आया हूं। तो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपकी मार्फत निवेदन है कि जिन सरपंचों के खिलाफ मामले हैं, जिन्होंने गबन किया है वह कभी भी भविष्य में चुनाव में खड़ा नहीं हो सकता, कानूनी पाबन्दी आप नहीं करेंगे तो यह भ्रष्टाचार जो शहरों में आपने पनपा रखा है जो दूब की तरह फैल रहा है वह धीरे धीरे गांव की तरफ जा रहा है।

श्री हरिमोहन शर्मा (बूंदी) : बंगाल में क्या है?

श्री शोपत सिंह : बंगाल में तो ऐसा नहीं है। बंगाल में आपने देखे नहीं हमारे लटके। बड़ी कोशिश कर रहे हैं दस साल से।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आखिर में एक बात कहता हुआ अपनी बात समाप्त करूंगा। सारा का सारा विकास का काम जैसे अभी बंगाल की बात की, बंगाल में हो रहा है। बंगाल में सारा विकास का काम हो रहा है। चाहे वह स्कूल हो, चाहे वह सड़क हो, चाहे दूसरे निर्माण कार्य हो, विकास का टोटल काम जिला परिषद के जिम्मे है। सारी की सारी योजनाओं का पैसा गांवों में जाता है। हमारी तरह यहां बैठकर फैसला नहीं करते कि कौनसे गांव में स्कूल खुलेगा, कौनसे गांव में चिकित्सालय खुलेगा, कौनसे गांव में सड़क बनेगी। बंगाल ही देश में ऐसा पहला राज्य है जिसमें सारा का सारा डवलपमेंट के पैसे का अधिकार जिला परिषद को दे दिया, जिला परिषद के जिम्मे कर दिया जो उसके हिस्से में आता है। हमारे यहां पहले तो चक्कर लगाते हैं। एम. एल. ए. । एम. एल. ए. के चक्कर लगाते हैं सरपंच लोग कि साहब, हमको स्कूल चाहिये, हमको सड़क चाहिये। यहां जो बैठे हुए हैं न उनको मालूम है कि कौनसे आधार पर स्कूल खुलते हैं। हास्पिटल खुल जाता है, हास्पिटल के लिये जगह नहीं है। स्कूल खुल जाता है उसका भवन नहीं है। पशु चिकित्सालय खुल जाता है उसके लिए भवन नहीं है तो यह सारा का सारा राजनैतिक आधार पर जो हम यहां बैठकर राजधानी के अन्दर एक जगह बैठ कर डिसीजन लेते हैं, यह खतरनाक है। इसलिये जितना आपके पास पैसा है उसका सारा का सारा अधिकार पंचायत और

XXX शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपतोषित किया गया।

(श्री शोपत सिंह)

जिला परिषद को होना चाहिये। जिले के अन्दर कहां स्कूल की जरूरत है, कहां चिकित्सालय की जरूरत है, जब तक यह सारा का सारा डवलपमेंट का तरीका नहीं बदलेंगे तब तक गांव की हालत ठीक नहीं होगी। इसको बदलें, अभी मौका है। कोशिश कीजिये, चार साल बाकी हैं। यह आपका आधार होगा अगर दुबारा आपका आने का इरादा है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सुजानसिंह यादव।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य कालीचरण जी अस्वस्थ हैं, पहले इनको बोलने दें। इनका आपरेशन भी हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री कालीचरण सराफ।

(व्यवधान)

आपरेशन हुआ है, माननीय सदस्य।

एक माननीय सदस्य : किनका ?

श्री उपाध्यक्ष : कालीचरण का।

एक माननीय सदस्य : कायका आपरेशन हुआ है ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य आपरेशन हुआ है।

श्री भंवरलाल शर्मा : सीरियस आपरेशन हुआ है।

श्री कालीचरण सराफ (जौहरी बाजार) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान राज्य में पंचायत राज की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि पंचायत और ग्राम पंचायत के जो सरपंच हैं, सरकार उनके बारे में कोई भी फैसला करे तो उसमें राजनैतिक आधार पर नहीं सोचे। मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि जयपुर जिले में सांगानेर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत लाखना के सरपंच के खिलाफ इतने गम्भीर अनियमितता के आरोप होते हुए भी, क्योंकि वह सरपंच कांग्रेस आई के सदस्य हैं, उनके विरुद्ध कार्यवाही नहीं की जा रही है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 6 मई, 1985 को राज्य के पंचायत राज मन्त्री महोदय ने इन आरोपों को सही पाते हुये उनको निलम्बित किया था परन्तु क्या पता ऐसे कौन से कारण हो गये कि 6-5-85 को लिया गया निर्णय 14-5-85 को बदल दिया गया। वही मन्त्री जिन्होंने 6-5-85 को उनको निलम्बित किया था उन्होंने 14-5-85 को निलम्बन पर स्थगन आदेश लगा दिया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यदि इस पंचायत के सरपंच महोदय का पूर्व इतिहास देखा जाय तो बहुत गम्भीर अनियमिततायें, धोखाधड़ी, जालसाजी, मस्टर रोल के......

श्री घनश्याम तिवाड़ी : यह किसके लिये है ? मन्त्री महोदय के लिये ?

श्री काली चरण सराफ : सरपंच महोदय के लिये है। उनके खिलाफ इतने आरोप हैं जिनकी कोई गिनती नहीं की जा सकती है। पूर्व में भी 18 सितम्बर, 81 को उनको पदलम्बित किया जा चुका है। उनके खिलाफ जब हाई कोर्ट में गये तो हाई कोर्ट ने भी स्टे देने से मना कर दिया। कई बार राज्य सरकार ने उनके विरुद्ध जांच अधिकारी नियुक्त किये। मैं कुछ जांच अधिकारियों के बारे में आपको बताना चाहूंगा। धर्मसिंह मीणा, जो आर.ए.एस. आफिसर हैं, 1979 में रिपोर्ट दी उसमें उन्होंने इनको दोषी पाया। इसी प्रकार एस.डी.एम., सुधीर भार्गव ने इन सरपंच महोदय को अनियमितताओं के लिये दोषी पाया। इसी प्रकार रामधन शर्मा, पंचायत प्रसार अधिकारी हैं उन्होंने अप्रेल, 83 में इनके खिलाफ रिपोर्ट दी। इन रिपोर्ट्स के आधार पर इनको निलम्बित भी किया गया पर आज क्या पता क्यों इनका निलम्बन आदेश वापस ले लिया गया।

इतना ही नहीं, जिलाधीश महोदय ने इन सरपंच महोदय के खिलाफ सांगानेर थाने में एफ.आई.आर. 9-9-83 को दर्ज करायी जो 194 नम्बर पर अंकित है। उसके बाद उस एफ.आई.आर. पर भी कोई कार्यवाही नहीं की गई है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन सरपंच महोदय के खिलाफ पंचायत की राशि का दुरुपयोग करने और गबन करने का आरोप भी सिद्ध हो गया। यह आदेश दिया गया कि 12,649·50 रुपये इनसे वसूल किये जायें परन्तु इस आदेश की भी इन्होंने अवहेलना की और यह रुपया पंचायत कोष में जमा नहीं करवाया।

इसी प्रकार, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ग्राम पंचायत मुख्यालय पर पंचायत का रिकार्ड नहीं रखते, पंचों को मीटिंग में भाग लेने के लिए नहीं बुलाते, मीटिंग मुख्यालय पर नहीं करते। इसके बारे में भी कई बार इनको आदेश जारी किये गये। 6-8-79, 20-8-79, 2-2-80, 27-3-84, 27-8-84 और 5-6-85 इतने आदेश इनको यह दिये कि मीटिंग मुख्यालय पर रखें, मीटिंग बुलायें और पंचों को भी उसमें बुलायें पर इन आदेशों का भी इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और इन्होंने कोई मीटिंग नहीं बुलायी।

यहाँ तक भी यदि होता तो मान लिया जाता। विधान सभा में प्रश्नोत्तर के दौरान कई माननीय सदस्यों ने 83-84 में कहा, प्रश्न पूछे और सरकार ने इस बात की हाँ भरी कि वह सरपंच अनियमितताओं का दोषी है, भ्रष्ट है, जालसाजी करता है। सरकार ने विधान सभा में आश्वासन भी दिया कि हम उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे पर फिर भी क्या पता क्यों वह कार्यवाही रोक दी गई। विधान सभा में जो कार्यवाही की गई है, जो विधान सभा में प्रश्न पूछे गये हैं उसके दो-तीन उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्रश्न कायको रिपीट करते हैं।

श्री कालीचरण सराफ : एक मिनट, साहब, मैं बताना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : वह तो विधान सभा में आ गये।

श्री कालीचरण सराफ : अतारांकित

(श्री कालीचरण सराफ)

प्रश्न संख्या 1190 श्रीमती विद्या पाठकजी, विधान सभा सदस्या ने पूछा था, "क्या यह सही है कि सरपंच ग्राम पंचायत लाखना, पंचायत समिति सांगानेर, जिला जयपुर के विरुद्ध काम के बदले अनाज योजना वर्ष 1978–79 में अनेक गम्भीर अनियमिततायें विभिन्न जांच अधिकारियों की जांच रिपोर्ट में सही पाई गई हैं ?

इसका जवाब दिया गया—"जी हां।" इसी प्रकार मैं यह बताना चाहता हूं, सरकार ने यह स्वीकार किया है कि इस सरपंच ने कितनी गम्भीर अनियमिततायें की हैं, कितनी जालसाजी की है, कितना गबन किया है। इसी प्रकार, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य भंवरलाल शर्मा ने अतारांकित प्रश्न 1882 दिनांक 19 अप्रेल, 1984 पूछा था। उसमें उन्होंने पूछा था, "क्या ग्राम पंचायत लाखना, पंचायत समिति सांगानेर, जिला जयपुर के सरपंच श्री नाथूलाल के विरुद्ध सन् 1978–79 में अनियमिततायें, भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी, पद का दुरुपयोग एवं गबन आदि के केस सरकार के विचाराधीन हैं ?"

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, पढ़ने की जरूरत नहीं है। वह रिकार्ड की चीज है।

श्री कालीचरण सराफ : मैं इसलिये कोट कर रहा हूं, इतना सब होने के बावजूद······

श्री भंवरलाल शर्मा : उसका उत्तर तो पढ़ दो।

श्री कालीचरण सराफ : हां उत्तर तो बता रहा हूं। इसका यह उत्तर दिया, "जी हां। राज्य सरकार द्वारा उप जिलाधीश, जयपुर को विस्तृत जांच हेतु जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। विस्तृत जांच राज्य सरकार को दिनांक 20–5–81 को प्राप्त हुई है। यह मामला अब राज्य सरकार के समक्ष सुनवाई में चल रहा है।"

इसी प्रकार—"क्या यह भी सही है कि उक्त सरपंच की जांच द्वारा मस्टररोल में फर्जी इन्द्राज की जांच पर आरोप सही पाया गया था ?"

श्री उपाध्यक्ष : एक व्यक्ति के खिलाफ काफी मैटर रख दिया। आपकी तबियत तो ···

(व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ : मैं यह कहना चाहता हूं, यह जो लाखना के सरपंच हैं इनके खिलाफ निश्चित रूप से कार्यवाही करनी चाहिये। जो निलम्बन आदेश 6–5–85 को दिये गये थे उनको बहाल किया जाना चाहिये और जो स्थगन आदेश इस पर 14–5–85 को दिया उसको राज्य सरकार को वापस लेना चाहिये।

यह तो एक सरपंच की बात कही। मैं नगरपालिकाओं के बारे में एक बात कहना चाहूंगा। आज हम राजस्थान की नगरपालिकाओं के बारे में देखें ·····

श्री उपाध्यक्ष : सूक्ष्म में कह दें, माननीय सदस्य।

श्री कालीचरण सराफ : सूक्ष्म में कहूंगा ।

हम यह देखेंगे कि कोष के अभाव में और राशि के अभाव में नगरपालिकायें विकास कार्य करने में अक्षम हैं । मैं सुझाव देना चाहूंगा राज्य सरकार को आपके माध्यम से कि जो मनोरंजन कर पहले नगरपालिकाओं के हिस्से में आता था वह राज्य सरकार ने नगरपालिकाओं के हिस्से से छीन कर अन्य मद में कर दिया है, मैं चाहूंगा, वह जो मनोरंजन कर की आय होती है वह पुनः नगरपालिकाओं को दी जाय ।

धन्यवाद ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सुजान सिंह यादव ।

श्री सुजानसिंह यादव (बहरोड़) : सम्माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके समक्ष मांग संख्या 41 पंचायत एवं विकास विभाग, मांग संख्या 49 स्थानीय निकाय के सम्बन्ध में वाद-विवाद में सम्मिलित होता हुआ कुछ सुझाव रखना चाहता हूं । मेरे पूर्व वक्ताओं ने बातें तो सब कुछ कह दीं, कहने के लिए कुछ रही नहीं, जो भी सुझाव आये हैं उनकी बार-बार पुनरावृत्ति हो रही है समय जा रहा है मैं थोड़े में ही अपने सुझाव रखना चाहता हूं । आज जिस मद के सम्बन्ध में इस सदन में चर्चा हो रही है, एक महत्वपूर्ण मांग पर चर्चा हो रही है जिस चर्चा में हम शामिल हो रहे हैं । आज हमारे प्रांत की, हमारे देश की 80% जनता की मांग पर वाद-विवाद चल रहा है । जब तक हमारी पंचायतें, ग्राम पंचायतें सुदृढ़ नहीं होंगी तब तक हमारा ढांचा अच्छी तरह से चल नहीं सकता । पंचायतें, ग्राम पंचायतें एक ऐसा आधार है जिससे हमारा जो प्रजातन्त्र का ढांचा है वह दिनोंदिन आगे बढ़ सकता है । एक ही आधार है, इस आधार के सम्बन्ध में, मैं यही कहना चाहता हूं कि आज ग्राम पंचायतों को जो अधिकार दिये गये हैं उन अधिकारों का दुरुपयोग हो रहा है । आप कहेंगे, कैसे दुरुपयोग हो रहा है ? ग्राम पंचायतों के चुनावों के पहले गांवों की स्थिति इतनी बढ़िया थीं गांव के सब लोग इकट्ठे बैठकर बात करते थे, गांव की समस्याओं का हल करते थे, न्याय संगत बात होती थी । आज इस पंचायती राज चुनावों से सभी गांवों का वातावरण इतना दूषित हो चुका है कि बाप-बेटे के पास नहीं बैठता, पत्नी मर्द के पास नहीं बैठती, भाई-भाई के पास नहीं बैठता । आज इतना दूषित वातावरण हो रहा है । आज हमारे देश का चरित्र हमारे गांवों का चरित्र इतना गिरता चला जा रहा है, मैं यह कह सकता हूं कि किसी दिन ऐसा आयेगा कि आप इस पंचायती राज को बहुत बुरी तरह से नकारेंगे । आज इस देश में चरित्र की जरूरत हैं, विद्वानों की जरूरत है, हौसले मन्द लोगों की जरूरत है हमारे हौसले आज बुलन्द नहीं हैं । हम पार्टीबाजी में फंसे हुये हैं । आर्थिक स्तर पर पार्टीबाजी बनी हुई है । ग्राम पंचायतों का जो वातावरण है वह दूषित होता जा रहा है । आज हम आगे बढ़ नहीं सकते । यदि इसमें कुछ सुधार नहीं किया गया तो मैं यह कह सकता हूं कि पंचायतों का स्तर धीरे-धीरे

(श्री सुजान सिंह यादव)

घटता चला जायेगा और हमारा चरित्र भी नीचे गिरता चला जायेगा। इन्सान में चरित्र नहीं है तब तक हम आगे नहीं आ सकते। चरित्र एक महान शक्ति है मनुष्य में और चरित्र ही इन्सान को आगे बढ़ा सकता है। आज हम और देशों की बड़ाई क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि उनका चरित्र हमसे बढ़िया है, हमसे हौसलेमन्द हैं, हमसे अच्छे विद्वान हैं। आज हमारा स्तर गिर रहा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि पंचायतों के चुनावों में कुछ तरमीम ऐसी की जाय कि गांवों का विषैला वातावरण खत्म हो। जैसे स्वतन्त्रता के पहले हमारे जिलों में जिला बोर्ड थे, ग्राम पंचायतें भी थीं मगर उस वक्त चुनाव नहीं होते थे। राज्य सरकार की तरफ से बढ़िया आदमी, चरित्रवान आदमी को तलाश किया जाता था और उनको मनोनीत किया जाता था। वह आदमी बैठकर न्याय करते थे, फैसला करते थे। आज की दलगत राजनीति में एक सरपंच जीत जाता है दूसरा हार जाता है।

अभी आमेर विधान सभा क्षेत्र का जिक्र कर रहा हूं। मैं उस क्षेत्र में रहा हूं। पचार एक ग्राम पंचायत है अभी वहां झगड़ा हुआ और बड़ा जबरदस्त झगड़ा हुआ। पार्टीबाजी का झगड़ा हुआ हालांकि सरपंच उसमें मौजूद नहीं था। एक सार्वजनिक भूमि थी गांव के दो बदमाश आदमी उसको दबाना चाहते थे। सरपंच चाहता था कि वह जमीन पंचायत से निकल नहीं पाये। आपस में झगड़ा हुआ, मर्डर हो गया। मर्डर होने के बाद इस में ग्राम का सरपंच मेरे पास था और मेरे पास होने की वजह से इस बात पर उसको इस केस में फंसाया जा रहा है कि सरपंच मौजूद था। उस पर 302 का केस लगाया गया। भला, आज हमारा चरित्र है कोई? सरपंच भी मेरे पास बैठा हुआ है, नाम लिखाया जा रहा है उस पचार के सरपंच का कि साहब, यह भी झगड़े में मौजूद था। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पंचायतों के जो चुनाव हैं उनमें कुछ न कुछ रद्दोबदल आपको करना पड़ेगा।

दूसरा, आज कुछ ग्राम पंचायतों की हालत ऐसी है कि उन ग्राम पंचायतों को कोई अनुदान नहीं मिलता और मिलता है तो थोड़ा अनुदान मिलता है। थोड़े अनुदान से विकास कार्य हो नहीं सकते। विकास कार्य तभी हो सकते हैं जबकि पंचायतों को ज्यादा से ज्यादा अनुदान मिले। तभी हमारी पंचायतें सुदृढ़ होंगी और उनमें विकास भी बहुत जल्दी होगा। गांवों के विकास के बारे में मेरे पूर्व वक्ता ने अभी बतलाया। हरियाणा से लगता हुआ मेरा इलाका है वहां गांवों में सड़कें हैं, बिजली हैं। जितनी भी पंचायतें हैं वहां पंचायत घर है और पूरी पंचायत वहां बैठकर फैसला करती है। मगर वहां मनमुटाव तो अब भी है। वह इसलिए कि उस प्रांत ने ज्यादा से ज्यादा तरक्की की। मगर हमारे यहां पंचायत घर नहीं, न पंचायत घर के लिए कोई जगह है। पंचायतों की 6-6 महीने तक कोई मीटिंग नहीं होती। दलगत राजनीति की वजह से नहीं होती। सरपंच किधर को खींचता है और उप सरपंच कहीं घर में बैठकर मीटिंग करता है। किसी पंच

248

(श्री सुजान सिंह यादव)

को निकालना हो तो कार्यवाही में उसकी अनुपस्थिति जाहिर कर देते हैं और इस तरह से पंच को निकाल दिया जाता है। इस तरह की राजनीति पंचायतों में है। तो इसमें कुछ न कुछ सुधार किया जाय।

अनुदान की बाबत मैंने आपसे अर्ज की। अभी पंचायतों के पास जैसा माननीय सदस्य मेरे पूर्व वक्ता ने कहा कि ढाई रुपये अनुदान बहुत कम है। मैं भी मानता हूं। हालांकि मैं पुनरावृत्ति कर रहा हूं, ढाई रुपये की बजाय मैं तो कहूंगा कि 10 रुपये अनुदान होना चाहिए। जब तक पंचायतों के पास द्रव्य नहीं होगा, संसाधन नहीं होंगे तब तक पंचायतें आगे नहीं बढ़ सकतीं। अभी पंचायती राज पर इतनी बात होने के बाद गांवों की हालत माननीय सदस्य ने कही, आप शहरों की तरफ ध्यान दे रहे हैं गांवों में न लाइट का प्रबन्ध है, न सड़क का, न शौचालयों का प्रबन्ध है। आज गांव की यह हालत है। 35 वर्ष पहले भी यही हालत थी। आज गांव सड़ रहे हैं और हालत ज्यादा खराब है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ढाई रुपये की बजाय 10 रुपये किये जायें जिससे गांव में पब्लिक लेट्रीन बनें, वाटर सप्लाई किया जाये। आज गांवों में पंचायतों की यह स्थिति है कि आपने टी.एस.एस. चालू किये उन टी.एस.एस. पर मोटरें फुंक जाती हैं। उनके पास पैसा नहीं है। आज मोटरें बन्द पड़ी हैं। पेयजल की व्यवस्था अस्त-व्यस्त हो रही है गांवों की। उसका कारण यह है कि द्रव्य नहीं होने की वजह से पंचायतों का प्रशासन चरमरा रहा है, आगे बढ़ नहीं पा रहा है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा पंचायतों के पास द्रव्य होना चाहिये।

दूसरा, मैं निवेदन करना चाहता हूं, ग्राम पंचायतों से निकल कर अब मैं पंचायत समिति पर आता हूं। पंचायत समिति की हालत क्या है? मैंने कटौती प्रस्ताव भी रखा है, आज ग्राम पंचायतों से लेकर ऊपर तक पग पग पर भ्रष्टाचार है। आप कहेंगे, कैसे है भ्रष्टाचार? अब मैं निवेदन करना चाहता हूं कि गांव का जो शिक्षक है आपने व्यवस्था कर रखी है कि 49 बच्चों तक एक टीचर रहेगा, 49 के बाद 50 पर दो टीचर होंगे। गांवों में यह हालत है कि 50-51 होते ही दो टीचर हो जाते हैं और एक स्कूल में हाजिर रहता है और दूसरा 15 दिन तक गैर हाजिर रहता है दो अध्यापक स्कूल में आ जायेंगे तो वह स्कूल कभी बन्द नहीं होगा, एक पढ़ायेगा और दूसरा गांव में बैठा रहेगा। ऐसी व्यवस्था की जाय। एस. डी. आई. हैं वह प्रधान जी के चक्कर में रहते हैं। प्रधानजी को नमस्कार की और घर पर बैठे रहते हैं। कोई चैकिंग नहीं। यदि चैक करते हैं तो प्रधानजी डांट मार देते हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि जो भी शिक्षक दिया जाय वह अनुपात के अनुसार दिया जाय। जितनी छात्र संख्या है 49 से 50 होते ही दूसरा टीचर मांग लेते हैं। मांगने का कारण यह है कि स्कूल बन्द नहीं हो, दो होंगे तो बंद नहीं होगा। एक होगा तो जरूर बन्द होगा। गांव के लोग चिल्लाएंगे। यह व्यवस्था इस तरह

(श्री सुजानसिंह यादव)

की होनी चाहिए कि अनुपात की दृष्टि से अध्यापक रखे जांय।

दूसरा, पंचायत समितियों में जो करप्शन है। आपने प्रधानों को 6 महीने के लिए विकास अधिकारी के पावर दे रखे हैं। मैं अर्ज करना चाहता हूं आप टीचर लगा रहे हैं, मेरे क्षेत्र में वह घर कौनसा है जिसमें 4–5 ट्रेण्ड टीचर न हों? आपके यहां ट्रेण्ड टीचर्स की मांग को मेरा इलाका फीड कर सकता है। मेरे इलाके में इतने टीचर हैं कि जैसलमेर और बाड़मेर आपकी सब जगह समा सकते हैं। आप उनको 6 महीने के लिए रखते हैं। आपको जब ट्रेण्ड टीचर मिलते हैं तो आप क्यों नहीं एडवटाइज करते और चयन आयोग में टीचर्स क्यों नहीं लेते? कहने का अभिप्राय यह है कि 6 महीने के लिए ही कैसे टीचर लगा दिये? दो हजार, डेढ़ हजार, तीन हजार टीचर पैसा देकर छः महीने के लिए नौकरी लगते हैं। यह भ्रष्टाचार का अड्डा है इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि प्रधानों को यह पावर नहीं दी जाय। छः महीने के लिए जो टीचर लगाये जायें वे चयन आयोग से या जिला परिषद से ही टीचर लगाये जायें।

तीसरा, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं, गत सत्र में मैंने विधान सभा में यह प्रश्न रखा कि यह शिक्षा पंचायत समिति से ले ली जाये। आज पंचायत समिति में शिक्षा की इतनी दुर्गति हो रही है, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, डायरेक्टर साहब बैठे हैं, कमिश्नर साहब बैठे हैं, मंत्री महोदय भी बैठे हैं, गांव में चौथी और पांचवीं के बच्चों को तो नाम शुद्ध लिखना नहीं आता। बड़े दुःख और अफसोस की बात है कि शिक्षा का स्तर इतना गिर चुका है कि लड़का चौथी और पांचवी तक अपना शुद्ध नाम नहीं लिख सकता। आज इनकी यह हालत है। मैं जब तीसरी, चौथी और पांचवीं और छटी में पढ़ता था तो मुझे स्टेट से वजीफा मिलता था। मैंने स्टेट का वजीफा लिया, हमारी अलवर स्टेट थी उसका वजीफा लिया है। आज के चौथी, पांचवी के बच्चे को नाम लिखना नहीं आता है। आप और हम सोच सकते हैं हमारे गांव के बच्चे कोई इम्तिहान पास कर सकेंगे, कोई नौकरी लग सकेंगे जिन लोगो को चौथी-पांचवीं तक अपना नाम नहीं लिखना आता। आप अच्छी तरह इन्तजाम कर दें। हमारी यह शिक्षा पंचायत समिति से लेकर एक अलग से उसका बड़ा डायरेक्टोरेट बनाया जाय और उस डायरेक्टोरेट के तहत जैसे जिला शिक्षा अधिकारी होते है, उप जिला शिक्षा अधिकारी होते हैं और एस. डी. आई. होते हैं उसी तरह की व्यवस्था की जाये जिससे कि हमारी शिक्षा की कुछ उन्नति हो सके, हमारे बच्चे पढ़ सकें, काम्पीटेटिव एग्जामिनेशन्स में आगे आ सकें, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं।

और पंचायत समितियों में क्या नहीं होता? पंचायत समितियों में पशुओं का क्रय होता है। पहले तो पंचायत समितियों में ही क्रय किया जाता था। दूसरे सदस्यों को, किसी को अपना लोन लेना है तो मेरी भैंस उसके साथ चली जायेगी, छपवा दिया पैसे ले लिये जेब में पैसे ले लिये, भैंस उसकी

(श्री सुजानसिंह यादव)

चली गयी और पैसे मेरे पास आ गये। यानी यह व्यवस्था बढ़िया है, कानूनी व्यवस्था बढ़िया है, उसूल बढ़िया है, गरीब को दूध मिलेगा, छाछ मिलेगी, दही मिलेगा, घी मिलेगा यह व्यवस्था की है मगर कुछ मक्कार बेईमान इस समाज में ऐसे है जिन्होंने यह धन्धा अपना रखा है और इस योजना को लोगों ने खिलवाड़ बना रखा है। जैसे भेड़-बकरी का कर्जा मिलता है। भेड़ बकरी मेरी है, लेने वाला कोई और है। भेड़ बकरी मैंने दे दी उनके लिए छपवा लिये, पैसे जेब में रख लिये, भेड़ बकरी किसी को भी नहीं, भेड़ बकरी जिसकी थी उनके पास चली गयी, पैसे मेरी जेब में आ गये। इस योजना का कोई मतलब ही नहीं है। इस योजना को खिलवाड़ बना रखा है। इस पर मंत्री महोदय से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पूरा नियंत्रण रखें, पूरी बात रखें, निगाह रखें। जिन लोगों ने इस तरह की धोखा-धड़ी की है उनसे पूरे रुपये, पैसे ब्याज सहित वसूल किये जायें और उनको दंडित किया जाये और आगे के लिए उनको कोई लोन नहीं मिले। बैलगाड़ी मेरी है किसी के नाम से बैलगाड़ी छप रही है, पैसे बैलगाड़ी के मेरे नाम जा रहे हैं, गाड़ी दूसरे के पास है। कहने का मतलब यह है कि इसमें इतनी अनियमितता है, इन अनियमितताओं पर राज्य सरकार निगरानी रख कर नियंत्रित करे। बैलगाड़ी किसान के लिए चाहिए, गरीब के लिए बैलगाड़ी दी जाय मगर वह बैलगाड़ी गरीब को तो मिलती नहीं वह मक्कार और बेईमान उस बैलगाड़ी को ले जाते हैं, पैसे अपनी जेब में रख लेते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह जरूर कहना चाहूंगा, मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक नगरपालिका है जो शैशव अवस्था है। उसके पास संसाधन होते हुए भी आज मेरी नगरपालिका की यह हालत है, पहले तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं उस नगरपालिका में लोकल अधिकारी कोई नहीं होना चाहिए, उससे चुंगी की चोरी होती है। वे लोग 100 रुपये की चुंगी पर 20 रुपये लेकर छोड़ देते हैं और जेब में डाल लेते हैं। हालत मेरे कस्बे की ऐसी हो रही है, नालियां गन्दी हो रही हैं, टूटी फूटी हैं, रात को आदमी कोई जा नहीं सकता, मच्छर बहुत हो रहे है जिससे बीमारी फैल रही है। आपने प्रशासक नियुक्त कर रखें हैं यह नियुक्ति नहीं होनी चाहिए। जिन नगरपालिकाओं के चुनाव नहीं हुए हैं उन नगरपालिकाओं में मनोनीत कर दिया जाना चाहिए जिससे वार्ड पंच और अध्यक्ष अपना-अपना दायित्व समझ कर उस नगरपालिका में सुधार कर सकें और कुछ आगे बढ़ा सकें।

टेक्स की चोरी ऐसी होती है मेरे इलाके में जहां बस अड्डा है, 100 रुपये प्रति दिन आमदनी होती है। आज सैकड़ों ट्रक निकलते हैं। नगरपालिका ने दो रुपया टैक्स लगा रखा है, एक रुपया लेकर ट्रक को पार करा देते हैं और एक रुपया अपनी जेब में रख लेते हैं उसकी चुंगी नहीं काटते। कहने का मतलब यह है कि आज मेरी नगरपालिका की हालत यह है कि पूरी वसूली नहीं करते। इसलिए मैं मंत्री महोदय से यह चाहता हूं कि इन पर अच्छी तरह निगरानी

(श्री सुजानसिंह यादव)

रखी जाये। मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कट शॉर्ट।

श्री सुजान सिंह यादव : एक मिनट निवेदन करना चाहता हूं।

यह मेरा सुझाव है कि नगरपालिकाओं की जो चुंगी दर है वह एक समान होनी चाहिए। कहीं दो रुपया है, कहीं तीन रुपया है, कहीं चार रुपया है, कहीं आठ आना, कहीं एक रुपया है। पूरे राजस्थान में चुंगी की दर एक समान होनी चाहिए जिससे नगरपालिकाओं की आमदनी भी बढ़ सके, चोरी नहीं हो सके। नगरपालिकाओं में जो टैक्स की चोरी होती है वह भी बचे। मेरे कहने का यह अभिप्राय है कि सब को मालूम पड़ जाये कि यहां चुंगी यह लगती है। कहीं कुछ चुंगी लग रही है, कहीं कुछ वसूली कर रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं।

आपने मुझे बहुत टाइम दिया, मैं अपनी बात यहीं समाप्त कर आसन ग्रहण करता हूं।

जय हिन्द।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हंसराज मिढा।

श्री हंसराज मिढा (सूरतगढ़) : माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से मैं यह पूछना चाहता हूं कि गांव रोजड़ी में 1971 की जनगणना पर कितनी आबादी थी और 1981 में कितनी आबादी है? बिलोचिया, नाहरावाली, 78 जी. बी. इनकी आबादी कितनी है? यह विधान सभा क्षेत्र मेरे ख्याल से राजस्थान में ही नहीं भारतवर्ष में सबसे बड़ा क्षेत्र है जहां 1,85,000 वोटर्स हैं। इन पंचायतों को छोटा करने का कुछ विचार है या नहीं? 1971 की जनगणना से जहां 100 टीचर कम हैं—सन् 1981 की जनगणना से कितने टीचर कम होंगे? मंत्री महोदय यह बतलाने का कष्ट करें। 50 हजार एक पंचायत की आबादी है। तहसील अनूपगढ़ की पंचायत इतनी बड़ी है न तो वहां कोई स्कूल की व्यवस्था है, न प्राइमरी स्कूल में बच्चों के पढ़ने के लिए कोई व्यवस्था है। इनकी व्यवस्था करने का कष्ट करें। इसके बाद यह भी बताने का कष्ट करें कि इतनी पंचायतों को छोटा क्यों नहीं किया? चुनाव शीघ्र कराने का विचार है? अगर इस तरह लम्बा खींचने में लगेंगे तो पंचायतें तो पहले ही बड़ी हैं और इससे और प्राब्लम होगी। 50 हजार के अन्दाज एक पंचायत की आबादी है इसमें बड़ी भारी प्राब्लम होगी। ग्राम सेवक जहां भी हैं वे अन्धाधुंध पैसा लूट रहे हैं और कोई सही व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। उनसे जनता को बचाने का विचार करें। सीलवानी पंचायत में इतने दूर से वोट डालने के लिए सीलवानी आते हैं। 10-15 किलोमीटर से चुनाव के टाइम पर वोट डालने आते है। यह भी उन लोगों के साथ बहुत ज्यादती है, इसमें व्यवस्था करें।

(श्री हंसराज मिढा)

विजयनगर म्यूनिसिपलिटी की मूंगफली पर डेढ़ रुपया सैंकड़ा चुंगी है बाकी जगह तिलहन पर चार आना क्विन्टल है। विजयनगर मण्डी में डेढ़ रुपया सैंकड़ा चुंगी है जो दूसरी जगह के मुकाबले जनता के साथ व जमींदारों के साथ बहुत अन्याय है।

सूरतगढ़ नगरपालिका की पोजिशन यह है कि कोई तो कहीं मकान बना रहा है, पहले जगह थी सिनेमा की वह भी पट्ठे काट कर बेच रहे हैं। उनकी जांच करके जो धांधलेबाजी पड़ रही है उसको रोकने की व्यवस्था करें वरना सूरतगढ़ की यह हालत होगी कि कतल होंगे। नगरपालिका में अव्यवस्था हो रही है उसके लिए सही इन्तजाम करने का कष्ट करें। 90 जी. बी. जो पंचा'त है उसमें भी इस तरह की पोजिशन है, इधर तो पाकिस्तान से जा लगी है और उधर विजयनगर की जड़ों में लगी है। इसकी भी हालत बहुत खराब है। नोहरेवाली पंचायत की पोजिशन यह है कि उसमें कोई रास्ता वगैरह नहीं जाता। मण्डी से अनाज ले जाने के लिये। कृषि उपज मण्डी क्षेत्र विजयनगर है और माल अनूपगढ़ जाता है। उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। इसकी सही व्यवस्था करने का कष्ट करें। सड़क पक्की बनाई जावे।

धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मदन महाराज।

(अनुपस्थित)

श्री पोकर लाल

(अनुपस्थित)

श्री मूलचन्द मीणा।

(7·48 सायं)

(श्री पंकज पंचोली सभापति, पदासीन)

श्री मूलचन्द मीणा (टोडाभीम) : माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 41 एवं 49 स्थानीय निकाय, सामुदायिक विकास एवं पंचायती राज संस्था के सम्बन्ध में इस सदन में चर्चा हो रही है। जब देश आजाद हुआ और भारतवर्ष के अन्दर लोकतंत्र की स्थापना हुई। उसी के साथ इस देश के अन्दर जिस समय स्थिति खराब थी, कांग्रेस पार्टी ने, उसके नेताओं ने यह सोचा कि देश के अन्दर प्रजातंत्र का विकेन्द्रीकरण होना चाहिए और उसी को आधार मान कर लोकतंत्र का विकेन्द्रीकरण किया। लोकतंत्र को विकेन्द्रीकरण करके जनता को सत्ता सौंपने के लिए इस प्रजातंत्र के अन्दर पंचायती राज की व्यवस्था की गयी है। पंचायती राज की व्यवस्था 59 में हुई थी। पंचायत राज का जो कानून बनाया गया था उसके अन्दर आज की स्थिति को देखते हुए काफी परिवर्तन किये गये हैं। साथ ही पिछली सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने, 80-85 के बीच में जो सरकार बनी उसने इस पंचायती राज को कई अधिकार दिये। आज पंचायत राज की सभी माननीय सदस्यों ने चर्चा की है कि पंचायतों की आज दयनीय स्थिति है। मैं इस दयनीय स्थिति

(श्री मूलचन्द मीणा)

में पंचायतों को गतिशील और आत्म-निर्भर बनाने के लिए आपके माध्यम से मंत्री महोदय को कुछ सुझाव देना चाहता हूं। पंचायती राज को गतिशील और आत्म-निर्भर बनाने के लिए, उसको प्रभावशाली बनाने के लिए पंचायती राज वित्त निगम नाम से इस संगठन को संगठित किया जाय जिससे पंचायती राज की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो, पंचायतों के माध्यम से गांवों का विकास हो, गांवों की स्थिति सुधरे। पंचायती राज के संबंध में जो पिछली सरकार ने जो अधिकार दिये थे उन अधिकारों में से एक अधिकार की आलोचना जरूर करता हूं जो यह शिक्षा का अधिकार दिया। मिडिल स्कूल को पंचायती राज में लिया है। मैं तो यह कहता हूं कि पंचायत और पंचायत समिति के अन्दर जो प्राइमरी स्कूल आते हैं उनमें जो पढ़ाने वाले टीचर हैं उनकी हालत बहुत खराब है। कारण कि वह अध्यापक पंच-सरपंच और प्रधान से संबंधित होते हैं। उनकी राजनैतिक पार्टियों में वे भाग लेते रहते है। उनका हमेशा एक ही काम रहता है छात्रों को पढ़ाना नहीं, सरपंच को, प्रधानों को खुश रखना। इसलिए मैं चाहूंगा कि शिक्षा पंचायती राज के अन्दर नहीं रखकर शिक्षा विभाग में दिया जाय। आज शिक्षा विभाग के अन्दर जब उच्च प्राथमिक स्कूल हैं और उनकी व्यवस्था अच्छी तरह से है तो ऐसी व्यवस्था को खराब करने के लिए पंचायत समितियों को न दिया जाय।

साथ ही, मैं एक बात और चाहूंगा इस पंचायती राज की हमेशा समीक्षा करनी चाहिए। इसके क्रियाकलापों की समीक्षा होनी चाहिए जिससे पंचायती राज की जो कमजोरी है, इस पंचायती राज में जो कुछ लाभ इसके आधार पर जनता को मिला है वह समीक्षा में आ जायेगा। इस समीक्षा के लिए हमारे देश के अन्दर और हमारे प्रान्त के अन्दर एक कमेटी बनायी गयी थी, बलवन्त राय मेहता कमेटी, जिसकी रिपोर्ट आयी थी पर वह रिपोर्ट रद्दी की टोकरी में डाल दी गयी। उसके बाद दूसरी कमेटी बनायी गयी, शादिक अली कमेटी जिसकी रिपोर्ट को भी कोई महत्व नहीं दिया गया। उसके बाद तीसरी कमेटी बनायी गयी गिरधारीलाल व्यास कमेटी। उसकी जो रिपोर्ट आयी उस पर भी विचार नहीं किया गया। इसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर एक कमेटी बनायी गयी थी अशोक मेहता कमेटी यदि इन कमेटीज की जो समीक्षा और रिपोर्ट है उस पर विचार किया जाय, उसको पढ़ा जाय, निष्पक्ष विचार किया जाय तो मैं आज कहना चाहूंगा कि उस रिपोर्ट को देखने के बाद पंचायती राज का नया स्वरूप होगा, नया संगठन होगा, पंचायत राज का ढांचा ही अलग प्रकार का होगा जिससे गांव का विकास हो सकेगा, शहर का विकास हो सकेगा।

आज मेरे क्षेत्र टोडाभीम के अन्दर ऐसी स्थिति है कि नगरपालिका के पास में आने वाले छोटे छोटे गांवों को उस नगरपालिका में ले रखा है जबकि पंचायती राज के अन्दर वह गांव होते तो एन.आर.ई. पी. के माध्यम से, माडा योजना के माध्यम से या हुडको की जो योजना है, गरीबों को

(श्री मूलचन्द मीणा)

छप्पर देने वाली जो योजना है उसके माध्यम से इन लोगों को जरूर लाभ मिलता। लेकिन आज वे गांव नगरपालिका में होने के कारण न वहां पर बिजली का प्रबन्ध है, न पानी की व्यवस्था है, ना माडा के काम हो सकते हैं, न एन. आर. ई. पी. के काम हो सकते हैं। मैं चाहूंगा कि टोडाभीम के अन्दर जो टोडाभीम नगरपालिका के गांव हैं अगर उनके पिछड़ेपन को दूर करना है तो गांवों को नगरपालिका से अलग किया जाय। साथ ही, इस प्रकार के राजस्थान में और कई जगह पर गांव हैं कई माननीय सदस्यों ने यह बातें रखी कि ऐसे गांव हैं जिनकी दयनीय स्थिति है तो माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि मंत्री महोदय उस पर विचार करें।

ग्रुप सचिव की जो स्थिति बतायी थी माननीय सदस्यो ने विचार रखे थे, ग्रुप सचिव एक-एक पंचायत में एक एक होना चाहिए मेरा सुझाव तो यह है। लेकिन आज स्थिति यह है कि तीन पंचायतों के बीच में एक ग्रुप सचिव है।

साथ ही पंचायतों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए पंचायत क्षेत्र के अन्दर जितनी भी पत्थर की खाने हैं उनसे पत्थर, बजरी, कंकर या रोड़ी हैं जो बाहर जाती हैं उस पर टैक्स लगता है यदि वह पंचायतों को दिया जाय, वह ही टैक्स लगाये और इकट्ठा करे तो मैं समझता हूं कि उस पंचायत की स्थिति जरूर सुदृढ़ होगी। उस सुझाव के साथ माननीय भाभड़ा साहब ने एक शब्द कहा था सरपंच-पंच जी मामूली गड़बड़ करते हैं तो उनको दंडित किया जाता है। मैं तो भाभड़ा साहब को बहुत ईमानदार समझता था लेकिन जब छोटी-मोटी गड़बड़ करने के लिए सरपंच को छोड़ने के लिए बात करते हैं तो भाभड़ा साहब कोई बड़ी गड़बड़ करते होंगे और उसके पीछे भाभड़ा साहब नहीं रहते होंगे। जब सदन के बीच यह बात कह सकते हैं कि छोटी-मोटी गड़बड़ करते हैं सरपंच तो छोड़ देना चाहिए क्योंकि एम. एल. ए., एम. पी. ज्यादा करते है। कांग्रेस का कोई एम. एल. ए., एम. पी. तो कोई करता नहीं है, भाभड़ा साहब करते हों तो अलग बात है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : श्री भंवरलाल शर्मा लोकदल के।

(अनुपस्थित)

श्रीमती सुमित्रा सिंह।

एक माननीय सदस्य : भंवरलाल शर्मा बैठे हैं।

श्री सभापति : ये भंवरलाल शर्मा नहीं हैं, एक भंवरलाल शर्मा और हैं। मैंने इसलिए लोकदल का नेता बोल दिया है। श्रीमती सुमित्रा सिंह, कृपया बोलें।

श्री भंवर लाल शर्मा (हवामहल) : मैं बोल देता तो आपमें हल्ला मच जाता।

श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा) : चन्दनमल जी वाले।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (पिलानी): सभापति महोदय, दो अक्टूबर, 1959 को जब तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल जी नेहरू ने नागौर के ऐतिहासिक किले में लोकतंत्र के विकेन्द्रीकरण का दीप जला करके, दीप प्रज्जवलित करके उद्घाटन किया था और इस राजस्थान को पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ करने में और लोकतंत्र को मजबूत करने में अग्रणी होने का सौभाग्य दिया था तब शायद उन्होंने यह कल्पना भी नहीं की होगी, राजस्थान के लोगों ने भी नहीं सोचा होगा कि एक दिन राजस्थान की यह पंचायती राज संस्थायें, भ्रष्टाचार, अनियमितता, घपले, धांधली, आपाधापी, दलगत राजनैतिक हस्तक्षेप का अड्डा मात्र बनकर रह जायेंगी। आज हमारी यह पंचायती राज की संस्थायें केवल भ्रष्टाचार आपाधापो और अनियमितताओं का अड्डा बनकर रह गयी हैं।

अभी कई माननीय सदस्यों ने इस बात को यहां पर दोहराया शिक्षा के सम्बन्ध में अपने भाषण में कि ऐसी हालत में प्राथमिक शिक्षा इस पंचायती राज को सौंपकर भारत के भविष्य के साथ हम खिलवाड़ करने जा रहे हैं। यह बात मैं इसलिए कहती हूं कि रविन्द्र नाथ ठाकुर ने एक जगह लिखा है,

"The mistake of a doctor is burried in the grave, the mistake of an engineer is cemented with the bricks, the mistake of a lawyer lies in the files, but, the mistake of a teacher is reflected long in the nation."

इसका मतलब यह है कि डाक्टर की गलती श्मशान की लपटों में दब जाती है, इंजीनियर की गलती सीमेंट और कंक्रीट में दबकर रह जाती है, एक वकील की गलती फाइलों में दबी रह जाती है लेकिन शिक्षक की गलती बड़े लम्बे समय तक राष्ट्र के अन्दर प्रतिबिम्बित होती रहती है।

(8·00 रात्रि)

हमने उन अबोध शिशुओं और छोटे-छोटे बच्चों के भविष्य को उन लोगों पर छोड़ दिया है जिनका शिक्षा से कोई वास्ता नहीं और जिनको प्राथमिक शिक्षा देनी आती ही नहीं, जो शराब के नशे में चूर रहते हैं, जो पंचायत समितियों के प्रधान के यहां पर हाजिरी दे करके तीसों दिन की हाजिरी रजिस्टर में चढ़ा देते हैं। और ताज्जुब करेंगे आप, मेरा एक छोटा सा नवासा है उससे मैंने एक दिन पूछा, आजकल कौन सी क्लास में पढ़ते हो, दूसरी क्लास में।' क्या सीखा, कौन सा पहाड़ा सीखा ? पांच का पहाड़ा, बीस का पहाड़ा सीख गया। मैंने कहा, पांच का पहाड़ा बोलो। बच्चे ने जो पांच का पहाड़ा बोला वह मैं आपको सुनाती हूं क्या बोला। बच्चा बोला पांच एकम पांच, दो पंजे दस, तीन पंजे पन्द्रह, चार पंजे बीस, पचम पच्चीस और इस तरह से आगे बोलता चला गया, छः पंजे तीस, सात पंजे पैंतीस। पांच के पहाड़े को इस तरह से बोलता चला गया। मैंने कहा कि किसने सिखाया तुझे यह पहाड़ा ?...

(व्यवधान)

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

सुनिये तो सही आप। आप तो प्रधान रहे हैं बहुत लम्बे समय तक, जानते हैं कि शिक्षा का स्तर आपने बना दिया है।

श्री सभापति : बोलिये-बोलिये आप, आप ठीक बोल रही हैं। बोलिये आप।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मैं निवेदन कर रही थी मैंने उससे पूछा, किसने सिखाया तुझे यह पहाड़ा? मेरे सर ने सिखाया। मैंने कहा, तुम्हें गलत पहाड़ा सिखा दिया। नहीं नानीजी गलत नहीं सिखाया, बिल्कुल सही सिखाया है। मैंने कहा, फिर से बोलो। फिर से बच्चा वही बोला पांच एकम पांच, दो पंजे दस, तीन पंजे पन्द्रह, चार पंजे बीस। मतलब कोई पहाड़ा नहीं आया, तीन का पहाड़ा, चार का पहाड़ा, पांच का पहाड़ा। पांच का पहाड़ा बच्चा बोला और मैंने वहां एक अध्यापक बैठे हुए थे उनसे कहा कि देखो रे तुम कैसे बच्चे को सिखाते हो? इनकी बुनियाद को खराब करते हो। उस टीचर के फिर भी यह समझ में नहीं आया शिक्षक होकर, कहने लगा सही तो है। मैंने कहा, सही है तो भगवान मालिक है राजस्थान का। इन बच्चों का भी फिर भगवान ही मालिक है। इसलिये, भाटीजी, मैं आपसे निवेदन करती हूं कि शिक्षा का जो हमारा निम्न स्तर है, वह इसलिये है कि शिक्षक को चिन्ता नहीं है। केवल भारद्वाजजी, जमवा रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य, जो कि बहुत लम्बे समय तक प्रधान रहे हैं, प्रधान की हाजिरी बजाते हैं, स्कूल में जाते नहीं है और उन लोगों के मर्जीदान रह करके बच्चों को इस प्रकार की शिक्षा देते हैं। आप भारत के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं...

श्री सभापति : इनको भी काफी चिन्ता है। ऐसी बात नहीं है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मैं निवेदन कर रही थी, माननीय सभापति महोदय, यह मैंने एक नजीर दी है। माननीय सभापति महोदय...

श्री सभापति : इनको भी राष्ट्र के बारे में काफी चिन्ता है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : क्योंकि जो सामने बैठे हैं वही हैं तो जो सामने बैठे है उनके लिये भी...

श्री सभापति : उनको काफी चिन्ता है भारद्वाज साहब को।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : ऐसे 232 प्रधान हैं। तो मैं निवेदन यह कर रही थी यह तो हमारी शिक्षा का हाल है।

इसके बाद मैं आती हूं उस बुनियादी सवाल के ऊपर जिस बात को मैंने एक बार पहले उठाया और आज हनुमानगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने उस बात को उठाया। आज भी, माननीय भाटीजी, आप जो 25·5 करोड़ की मांग हमसे सदन में स्वीकार करवाने के लिये लाये हैं, डेढ़ करोड़ रुपया आर.एस.ई.बी. देगी इस बात के लिये नगरपालिकाओं को कि वे नगरपालिका क्षेत्र में रहने वाले उन गरीबों जो सार्वजनिक नलों से पानी ले जाते हैं, का चुकारा करें। डेढ़ करोड़ ही नहीं पहले

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

भी कितनी ही बार बकाया पानी और बिजली के बिलों की धनराशि को नगरपालिकाओं के जब वे इस लायक नहीं रहते हैं कि चुकारा करें, माफ किया है। नगरपालिकाओं के उस खर्चे को माफ किया है जिसको वे चुका नहीं पाये थे चाहे जलप्रदाय का हो, चाहे विद्युत बोर्ड का हो। इस वर्ष भी डेढ़ करोड़ का प्रावधान है। शहरों में रहने वाले 72 लाख लोग जो सार्वजनिक नलों से पानी पीयेंगे उनका चुकारा करेगी नगरपालिकाओं को सरकार इस मद में। लेकिन गांव में रहने वाली 2 करोड़ 70 लाख जनता चाहे वह टी एस.एस. एज स्कीम हो, चाहे वह रीजनल स्कीम है, चाहे वह पम्प एण्ड टैंक स्कीम है, चाहे वह कोई और स्कीम है। कोई पीने के लिये पानी वहाँ से जाकर लायेगा तो भी पैसा देगा और अब दुगुना पैसा देगा। मैं कहती हूं यह अन्याय है, यह गैर-इन्साफी है और यह न सहन करने लायक बात है। इसलिये मैं आप सभी महानुभाव सदस्यों से निवेदन करना चाहती हूं कि शहरों से आने वाले तो इने गिने 20–30 आदमी होंगे, आप सब लोग गांवों को रिप्रेजेन्ट करते हैं, इस अहम् मुद्दे की तरफ आपका ध्यान क्यों नहीं गया। मेहरबानी करके माननीय भाटीजी, यह 25.5 करोड़ जो हमसे मंजूर करवाने जा रहे हैं, म्यूनिसिपेलिटी के अलावा ग्राम पंचायत में रहने वाले लोगों के पीने के पानी की व्यवस्था की जिम्मेदारी भी आपकी है। जो सार्वजनिक स्थानों से, सार्वजनिक नलों से पानी लायेंगे चाहे वह कोई भी स्कीम हो, वह सारा का सारा खर्चा सरकार वहन करे यह व्यवस्था आप को करनी है। इस एनामोली को आपको दूर करना है।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ ही साथ मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि यह सरकार बड़े जोर-शोर से इस बात को कहती है.......

श्री सभापति : थोड़ा जोर से बोलें कृपया।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : यह सरकार बड़े जोर-शोर से कहती है इस बात को कि हमने अनुसूचित जाति और जनजाति के अपलिफ्टमेंट के लिये, उनके उद्धार के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिये, उनकी प्रगति के लिए बड़ी योजनायें शुरू की हैं और 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम में काफी तवज्जोह और काफी जोर है इस मामले में। लेकिन मैं माननीय मन्त्री महोदय के ध्यान में यह लाना चाहती हूं कि शायद सारे राजस्थान में यह सौभाग्य है झुंझुनू पंचायत समिति को जिसने एक हरिजन सरपंच को वहां पर चुना और कोई एक और दो वोटों के अन्तर से नहीं, पांच सौ से अधिक वोटों के अन्तर से एक हरिजन सरपंच को चुना। लेकिन उस सरपंच की क्या हालत है? सत्ता पक्ष में बैठे हुए माननीय सदस्य, जो सूरजगढ़ से आते हैं, जानते हैं प्रतापपुरा के श्री हरफूलसिंह सरपंच को ले करके पांच बार मुख्य मन्त्री से मिले होंगे, शिवचरण जी माथुर से मिले और हमारे वर्तमान मुख्य मन्त्री जी से मिले, उसको आज तक एक पैसा भी चुनाव के बाद में ग्रांट इन एड, अर्थात् अनुदान का नहीं मिला। क्या

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

इसलिये नहीं मिला कि वे हरिजन हैं ? क्या इसलिये नहीं मिला कि वे अनुसूचित जाति के हैं ? क्या इसलिये नहीं मिला कि वे समाज के उस तबके से आते हैं जो तबका अपनी आवाज को उठा नहीं सकता, आप के ऊपर दबाव नहीं डाल सकता, आपको प्रेशराइज नहीं कर सकता ? लेकिन यह सब बात नहीं है। बात यह है कि झुंझुनू की प्रतापपुरा पंचायत माननीय राज्य मन्त्री का निर्वाचन क्षेत्र में आती है और वह सरपंच जो है, पंचायत समिति के चुनाव में उसने अपने सारे पंचों और खुद का वोट उनके खिलाफ अर्थात् पंचायत समिति के प्रधान के चुनाव में मन्त्री जी की इच्छा के खिलाफ डाला है इसलिये आज तक चुनाव के बाद में चार साल होने आये उसको एक पैसा भी ग्रांट इन एड का नहीं मिला है। उसकी कोई शिकायत नहीं है। शिकायत कहां से होगी, जब पैसा ही नहीं दिया तो कोई घपलेबाजी, अनियमितता का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि अब तो आप आ गये हैं, आपके सामने भी यह मामला उठाया, आपके नोटिस में भी यह बात लायी है लेकिन पता नहीं क्यों आपका इस बात की तरफ ध्यान नहीं है।

मैं, माननीय सभापति महोदय, इसके साथ ही साथ यह भी निवेदन करना चाहती हूं कि झुंझुनू जिले में झुंझुनू पंचायत समिति, चिड़ावा पंचायत समिति और बुहाना पंचायत समिति है। इन तीन पंचायत समितियों में जिस कदर अनियमतता, जिस कदर घोटालेबाजी और जिस कदर, पंचायत राज की मूल भावना, लोकतन्त्र की मूल भावना को तहस-नहस किया जा रहा है वह देखने काबिल बात है। झुंझुनू पंचायत समिति में चार अध्यापक चार साल से सस्पेंड हैं, निलम्बित हैं। जांच हो गयी, जांच में एक भी आरोप सिद्ध नहीं हुआ। जांच अधिकारी ने रिपोर्ट दे दी लेकिन वहां के विकास अधिकारी चूंकि एक स्थानीय व्यक्ति हैं और स्थानीय व्यक्ति होने के नाते दलगत राजनीति में पूर्ण तौर से लिप्त हैं, राजनीतिक हस्तक्षेप को पूरा उचित मानते हैं और उसी के आधार पर काम करते हैं इसलिए आज भी वे चार-चार अध्यापक पिछले तीन साल से अधिक समय से मुअत्तल पड़े हुये हैं। उनका कोई भविष्य नहीं कि क्या होगा, क्या नहीं होगा। आप कल्पना कर सकते हैं कि किसी भी साधारण आदमी को, एक अध्यापक को तीन साल से उसका वेतन नहीं मिले वह किस तरह से अपना गुजर-बसर करेगा। आप तो साधन-सम्पन्न व्यक्ति हैं, मन्त्री जी, इसलिये आप एक रुपया ले लेते हैं और आपका काम चल जाता है लेकिन इस महंगाई के जमाने में गरीब अध्यापक का काम तो नहीं चल सकता। मैं निवेदन कर रही थी कि कहां-कहां तक पहुंच गये, बड़ा अजीब भी लगता है कि लोकतन्त्र के इस सर्वोच्च फोरम को हम अपनी व्यक्तिगत शिकायतों का एक प्लेटफार्म बना लें, अच्छा नहीं लगता, उपयुक्त भी नहीं लगता, मेरी आत्मा को भी नहीं जंचती यह बात, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता, करें तो आखिर करें भी क्या। कुछ कर भी नहीं सकते। कोई सुनने वाला नहीं, कोई दुख

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

दूर करने वाला नहीं। किसी को इस बात की चिन्ता भी नहीं कि इस पंचायती राज में आपकी नाक के नीचे हो क्या रहा है। आपको मालूम है, मैंने एक प्रश्न पूछा था, मुकाना ग्राम पंचायत, पिड़ावा पंचायत समिति में है वहां के भूतपूर्व सरपंच ने कुछ अनियमिततायें और गड़बड़-घोटाले किये थे। वहां के मौजूदा सरपंच ने 420 और 409 का मुकदमा दर्ज कराया। मजिस्ट्रेट के यहां केस चला। हाई कोर्ट में केस आया। हाई कोर्ट ने जमानत नहीं ली। लेकिन पता नहीं, 409 और 420 का मुकदमा हो, राज्य सरकार की धन राशि गबन करने का जिस पर आरोप हो, जिस पर दोषारोपण हो, राज्य सरकार ने उस पर क्यों इतना रहम खाया कि राज्य सरकार ने फाइल मंगाकर उस सरपंच के खिलाफ केस, जो धारा 409 और 420 सी. आर. पी. सी. में था, को विथड्रा कर लिया। 409 और 420 का मुकदमा, राज्य सरकार का पैसा, खजाने का पैसा और इतना रहमोकरम करे कि अदालत में चल रहे उस केस को वापस ले लिया। यह सिद्ध कर दिया कि हमारे मर्जीदान तो खाओ पैसा, हम तुम्हें बचाना जानते हैं। इतना ही नहीं, इतना करते तो मेरी समझ में आती कि दलगत राजनीति है, कर सकती है, बल्कि मौजूदा सरपंच को इस बात के लिये निलम्बित किया गया कि तुमने बिना राज्य सरकार की आज्ञा के, बिना राज्य सरकार से आदेश लिये इस प्रकार क्यों प्राइवेट इस्तगासा पेश कर दिया मजिस्ट्रेट के यहां पर। इस बात पर उसको निलम्बित कर दिया। मेरी समझ में यह बात नहीं आती, सरकारी खजाने की अमानत में खयानत करने वालों को आप संरक्षण दो, राजनीतिक संरक्षण दो और जो इस बात के लिये अपने कर्तव्य का पालन करे उस कर्तव्यपरायण को सजा दो। यह कैसा पंचायती राज है? यह कैसा न्याय है इस सरकार का? यह कैसा विभाग है इस सरकार का? यह मेरी समझ में नहीं आने वाली बात है। क्या माननीय सदस्यों की समझ में आ गई?

श्री सभापति : थोड़ा संक्षिप्त करें।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : हां, संक्षिप्त।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ ही साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहती थी, इतना ही नहीं, इतना तो कर दिया सो कर दिया, लाखों-लाखों रुपये का गड़बड़-घोटाला, राजनीतिक संरक्षण देने की सारी बातें हुई। चिड़ावा पंचायत समिति में आडिट जाने वाला था 28 दिसम्बर, 1983 को, 27 दिसम्बर की रात में पंचायत समिति के रिकार्ड में आग लग गयी। सारा रिकार्ड जल गया लेकिन रिकार्ड के अलावा और कुछ नहीं जला। टेबल नहीं जली, कुर्सी नहीं जली, और कागज नहीं जले, खिड़की नहीं जली। टेबल वैसी की वैसी सलामत, वैसी की वैसी मौजूद। कुर्सी मौजूद, सब चीजें मौजूद लेकिन वह रिकार्ड जल गया जिस रिकार्ड के अन्दर गड़बड़-घोटाला केवल वही जला और कुछ नहीं। मेरी समझ में नहीं आया, ऐसा कैसा अग्निकाण्ड हुआ, भई। उसके बाद इतना समय बीत गया, राज्य सरकार

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

ने किसी प्रकार की कोई तकलीफ गवारा नहीं की न उसकी जांच कराने की, न यह जानने की कि ऐसी आग कैसे लगी कि एक खास तरह का रिकार्ड ही जला और दफ्तर के अन्दर बाकी सारी की सारी चीजें मौजूद हैं। कब आग लगी, किस ने बुझायी, कैसे लगी, कारणों का कम से कम पता तो लगाते आप। क्या अब लगायेंगे ? लेकिन मैं जानती हूं, माननीय मन्त्री, महोदय, मुझे कहना इसलिए है कि आपके इस पंचायती राज में क्या गड़बड़-घोटाले हो रहे हैं, आप कुछ नहीं करोगे। कुछ कर नहीं सकते। अक्षम हैं आप करने में। इसलिए अक्षम हैं कि जब आपके साथी लोग ही ऐसा करवा रहे हैं तो आप क्यों करोगे। मैं इसलिए कहती हूं कि ताकि राजस्थान जान सके कि पंचायती राज के नाम पर आज राजस्थान की सरकार क्या कर रही है। मैं इसलिये कह रही हूं कि सदन के माननीय सदस्य जान सकें कि इस पंचायती राज की जड़ों को भ्रष्टाचार की दीमक ने खा डाला है।

श्री सभापति : थोड़ा संक्षिप्त।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मैं इसलिए कह रही हूं ताकि माननीय सदस्य जान सकें। माननीय सभापति महोदय, ऐसी बातों को कोई-कोई तो कहने की हिम्मत करता है।

श्री सभापति : जरूर कहें आप लेकिन थोड़ा संक्षेप में।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : बहुत संक्षेप में कह रही हूं।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह कह रही थी कि सैंया भये कोतवाल तो डर काहे का। कौन करे यह सब बातें, कौन करेगा जांच ? आपस में एक दूसरे की बातों को दबाने में और एक दूसरे को राजी करने में रहोगे। इसलिए, माननीय मन्त्री महोदय, बजा तो रही हूं बीन, किसके आगे बजा रही हूं ? मैं आपके लिए यह कहना नहीं चाहती......

श्री सभापति : आखिर आप किसको कहना चाहती हैं ?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मन्त्री महोदय को नहीं कहूंगी।

श्री सभापति : आप इनके माध्यम से किसके पास पहुँचा रही हैं समाचार ?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय सभापति महोदय, मैं यह निवेदन कर रही थी इतना ही नहीं, बुहाना पंचायत समिति में क्या हो रहा है जरा उसका भी नमूना देख लिया जावे।

श्री सभापति : पहले कह दिया आपने इसके बारे में।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : नहीं, नहीं, बुहाना पंचायत समिति का नहीं कहा, चिड़ावा और झुंझुनू का कहना है। बुहाना पर तो आयी हूं अब बुहाना में क्या हो रहा है वह भी सुनिये आप। बुहाना पंचायत समिति के प्रधान के खिलाफ एक लाख

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

और कई हजार के घोटाले की जांच एक बार सन् 1965 में हुई थी। उसके आधार पर निलम्बित करने के आदेश तत्कालीन मन्त्री ने दिये थे लेकिन इस बीच में चुनाव हो गये 1967 के, 1967 में कुछ समय के लिए कांग्रेस गवर्नमेंट नहीं रही, उस समय राज्यपाल का शासन हो गया। राज्यपाल के शासन के दौरान पता नहीं वह पत्रावलियां कहाँ चली गयीं। राज्यपाल के शासन के दौरान जो कुछ रिकार्ड गायब होता है उसकी जिम्मेदारी तो किसी की होती ही नहीं है, क्योंकि सरकार तो उत्तरदायी होती नहीं, केवल स्टाप-गेप व्यवस्था होती है। इसलिए पता नहीं पत्रावलियां कहां चली गई। खैर, वह खुर्द-बुर्द हो गई उस चीज के बारे में कहना नहीं चाहती लेकिन मैं निवेदन करना चाहती हूं......

श्री सभापति : थोड़ा संक्षिप्त करें।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : कि अब वहां क्या हो रहा है। इस समय वहां पर दस अनट्रेन्ड ग्राम सेवक हैं जो काम कर रहे हैं। झुंझुनू जिले में जब शीशराम जी ओला पंचायत मन्त्री थे उस समय ग्राम सेवकों की कमी थी। इसलिये सवाल यह आया कि कुछ ग्राम सेवक जहां सरप्लस हैं वहां से झुंझुनू भेजे जायें। चूंकि वह मन्त्री थे और वह प्रधान उनका चहेता है इसलिए इधर-उधर से एडजेस्ट करके एब्जॉर्व करने की बजाय उन्होंने स्वयं ही 10 ग्राम सेवक भर्ती कर लिये। ग्राम सेवकों की योग्यता का जो मापदण्ड है उस के आधार पर वह लोग नहीं रखे गये। ग्राम सेवक होने के लिए योग्यता का मापदण्ड है, हायर सैकण्डरी पास होना चाहिये और ट्रेन्ड होना चाहिये। वह जो रखे गये हैं वह सब मैट्रिकुलेट हैं और अनट्रेन्ड हैं। ऐसे 10 लोग वहां पर रख रखे हैं। बार-बार विभाग ने इसके लिए कहा। एम्प्लामेंट एक्सचेन्ज, झुंझुनू ने भी लिखा बी.डी.ओ. को कि आप नियमों के खिलाफ काम कर रहे हैं आप इन्हें नहीं रख सकते और इनका वेतन रुक जायेगा, ए.जी. पे-स्लिप नहीं देंगे। उसके बाद भी पिछले दो साल से लगातार वह 10 के 10 ग्राम सेवक वहां रह रहे हैं बराबर तनख्वाह ले रहे हैं। इतना ही नहीं, 20-20 अध्यापक वहां के ऐसे हैं जिनको 1975 से.... ..

(व्यवधान)

अब आप लोग आपस में अपनी बातचीत बन्द करिये और मेरी बात सुनिये।

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज, ऑर्डर। उनको बोलने दीजिये। लम्बा समय हो जायेगा। कृपया अपनी बात संक्षेप में कह दें। करीब आधा घण्टा हो गया आपको।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : हां, माननीय सभापति महोदय, दो मिनट में बात कह रही हूं।

मैं निवेदन कर रही थी, इन ग्राम सेवकों की कॉस्ट पर, जो 10 अनट्रेन्ड ग्राम सेवकों को रख रखा है विभागीय आदेशों के विपरीत उनकी एवज में 20-

262

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

22 अध्यापक वहां पर ऐसे हैं जिनको 1975 से वेतन नहीं मिल रहा है। इन्हें कहा जाता है, आज हमारे पास पैसे नहीं हैं, तनख्वाह नहीं आयी, आज क्लर्क नहीं है, आज बाबू नहीं है, आज अकाउण्टेण्ट नहीं है। 1975 से लेकर आज दिन तक इनकी बकाया पड़ी है, उन्हें पैसा नहीं दिया जा रहा है। पब्लिक ग्रिवेंसेन कमेटी, विजिलेन्स कमेटी जिले की में भी यह प्रश्न आया था। जिलाधीश ने आदेश दिया कि उनको फौरन भुगतान किया जाय। लेकिन भुगतान होने की कार्यवाही होने का कोई प्रश्न ही नहीं। इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि आखिर इस पंचायती राज के ऊपर कुछ अंकुश लगाया जाय। यह हमारे लोकतन्त्र की पहली बुनियादी इकाई है। मैं पंचायती राज व्यवस्था के खिलाफ नहीं हूं लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है कि पंचायती राज संस्थाओं पर अंकुश होना चाहिये। आपके चुने हुए आदमियों को इस बात का एहसास होना चाहिये कि मुझे विकास का काम करने की छूट है, मुझे नियमों के मुताबिक अपना सारा प्रशासन चलाने की छूट है लेकिन मुझे घपलेबाजी और नियमों को ताक पर रखकर किसी काम को करने की छूट नहीं है और यदि ऐसा करूंगा तो फिर उसके नतीजे भुगताने पड़ेंगे। इसलिए आवश्यकता इस बात की है, मन्त्री महोदय, जो हनुमानगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था मैं बिलकुल उस बात की ताईद करना चाहती हूं कि पंचायती राज एक तरीके से सिसक रहा है अपने प्राण देने के लिए इस सिसकते हुए पंचायती राज को फिर से खड़ा करें और खड़ा करके इस पर अंकुश लगायें ताकि यह निरंकुश होकर आज की इस तरह की राजनीति, दलगत राजनीति का अड्डा बनकर जनता को सालने न लगे।

अपने इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने कटौती प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत करती हूं।

श्री सभापति : धन्यवाद। श्री मांगीलाल आर्य।

(अनुपस्थित)

श्री माणकचन्द डागी।

(अनुपस्थित)

श्री सुन्दर लाल

श्री सुन्दर लाल (सूरजगढ़) : सभापति महोदय, मैं विकास विभाग की मांगों के ऊपर चर्चा करना चाहता हूं। शिक्षा के मामले में जो मेरे से पूर्व वक्ता ने कहा वह बिल्कुल सही है। आजकल स्कूल्स के शिड्यूल्ड कास्ट के लड़कों को तो कहते हैं कि तुम झाड़ू लगाओ और जाट-अहीर के लड़कों को कहते हैं कि तुम दूध लाओ और किसी को कहते हैं कि लकड़ी लाओ। 11 बजे तक चाय बनती है और 12 बजे घण्टी बजाओ और घर जाओ, इसके अलावा कोई काम नहीं है। हमारे वाले बच्चों को तो कहते हैं कि तुम झाड़ू का काम करो और बड़े लड़कों को कहते हैं कि तुम दूध लाओ गांव में से, चाय बनाओ और पीओ और घर चले जाओ। इसलिए इस शिक्षा का शिड्यूल्ड कास्ट वालों को और काश्तकारों को किसी प्रकार का कोई फायदा नहीं है।

(श्री सुन्दर लाल)

मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे सिवाणा पंचायत में 3 रुपया, 5 रुपया महीने का लेकर अलग से अपना प्राइवेट स्कूल लगाते हैं उनमें तो 4 हजार बच्चे हैं और जो अपने सरकार के हैं उनमें अध्यापक 5 हैं और लड़के 2–3 लोग कहते हैं कि प्राइमरी में मत डालो, कोई पढ़ाता ही नहीं, कोई जाता हो नहीं है। इस तरह की बात जो चल रही है उससे कोई फायदा नहीं है। इस शिक्षा के ढांचे को तो बदलो। किसी के बच्चे तो पिलानी पढ़ते हैं और गांव गांव में स्कूल खुल गये। इस शिक्षा में कुछ मास्टर्स तो सरपंच के साथ रहते हैं और सरपंच प्रधान के पीछे रहते हैं, कुछ रह जाते हैं तो उनको हम कहते हैं कि आप क्यों नहीं पढ़ाते हैं। यह तो उनके साथ रहते हैं इसलिये नहीं पढ़ाते हैं और हमारे को कई बार रात को और दिन को जाकर चैक कर लेते हैं, उनको तो कुछ कहते हैं नहीं इसलिये हम भी नहीं पढ़ाते हैं। कुछ मास्टर्स पढ़ाना चाहते हैं, कुछ पार्टी के हैं इसलिये नही पढ़ाना चाहते हैं। तो बच्चों का क्या होगा ?

इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूं कि जनता पार्टी के शासन में उन्होंने यह तय किया कि कोई आदमी अन्त्योदय में आ जाय उसको भैंस, ऊंट गाड़ा मिलेगा यह तय हो गया। वह बात आज भी पंचायतों में डोंडी पीट कर कहते हैं कि फलाना फलाना गरीब है। उनके बच्चों की सगाई भी रुक जाती है क्योंकि गरीबों में घोषित करवा दिया है। उसको न भैंस मिली, न गाड़ा मिला, कुछ भी न मिला। डोंडी पिटवा दी और गरीब घोषित करवा दिया। पंचायत समिति को लिस्ट दे दी कि फलां गांव के ये-ये आदमी गरीबी की रेखा के नीचे है। गरीबी की रेखा से उनको नीचे कर दिया और मिला कुछ भी नहीं। इसलिये इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे।

इसके अलावा यह भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कुछ हरिजनों के बोहरा आज भी मिल जायेंगे जो वहां ले जाकर ठपवा देंगे। साथ जायेगा तो कहेगा कि भैंस कहां है ? बोहरा ले गया। उसका फायदा क्या होगा, उस गरीब को क्या मिला ? कुछ नहीं मिला। कब भैंस मंढ़ी, कब उतरी, कब चढ़ी उसको कोई फायदा नहीं होगा, इसलिये मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इस बात पर भी आप जरूर ध्यान दें। यह जो पंचायत में परम्परा चलाई है इससे गरीब आदमी ज्यादा गरीब होंगे। इससे कोई फायदा नहीं होगा। एक एक गाड़ा पांच पांच बार छपता है। कभी इधर फेर के छपवा लें, कभी उधर फेर के छपवा लें लेकिन उनके पास गाड़ा नहीं है।

श्री सभापति : आपकी अर्ज यह है कि कर्ज की प्रथा चालू नहीं रहनी चाहिये।

श्री सुन्दर लाल : कोई गरीब आदमी जो बाहर जाकर सामान लेता उससे भी खो दिया। गरीबी की रेखा से नीचे दो साल तक तो नाम चलता रहे, गाड़ा-वाड़ा ऊंट मिले वह किसी और को मिल जाय उसको कुछ मिले नहीं इसलिये मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इसमें तब्दीली करके पैसे उसको नकद मिलने चाहिये। वह चाहे जहां से खरीदे, यह होना चाहिये। चाहे

(श्री सुन्दर लाल)

वह हरियाणा से लावें, चाहें पंजाब से लावें लेकिन उस गरीब को पैसे नकद मिलने चाहिये। पर उसके पास तो पैसे हाथ में आते ही नहीं। सबको पूछ लो, सबको बेरा है, सारे राजस्थान में यही बात है पर इस बात को कहते कम हैं, इसलिये मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि इस पर विचार करना चाहिये।

इसके अलावा, पंचायत समिति के बारे में और नई बात बताऊं। भेड़ मिलेंगी, तो प्रधान खुद ही भेड़ खरीद लेते हैं और 5-5, 10-10 रुपया ज्यादा लगा लेते हैं। जैसे चूरू से जाकर ले आया 800 रुपये की, 15 रुपया फालतू का लगा देवें और यह कहते हैं कि यह लेनी पड़ेगी जो हम लाये हैं। इससे उद्धार कैसे होगा। मैं मेरी पंचायत समिति सिवाना की बात बताना चाहता हूं. मेरे से पूर्व वक्ता ने जो कहा वह बिलकुल सही अन-ट्रेण्ड ग्राम सेवकों को रख लिया और वह दो साल से चल रहे हैं, बी. डी. ओ. ने किसी को तनख्वाह नहीं दी और कहा कि आपका सलेक्शन ठीक नहीं है इसलिये मैं तनख्वाह नहीं दूंगा, नियोजन कार्यालय झुन्झुनू ने यह कहा है कि आपका सलेक्शन ठीक नहीं है, गलत हुआ है इसके बावजूद भी 2 साल से 10 ग्राम सेवकों को बराबर तनख्वाह दी जा रही है। वह ग्राम सेवक उन पंचायतों में लगाये हैं। उन सरपंचों के पास रिकार्ड ही नहीं है। ग्राम सेवक रहते हैं, एक आदमी जो चुनकर जाता है, सरपंच बनाता है उसके पास तो रिकार्ड नहीं है। गजब का प्रजातंत्र है। इसलिये मैं पंचायत मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि जो हमने सुझाव दिये हैं इन पर विचार करके अगर कहीं पर भी गलती मिल जाय, तो चाहे हम भी होवें दण्ड आप हमको भी देवो।

श्री सभापति : बहुत अच्छे विचार आपने रखे हैं।

श्री सुन्दर लाल : मेरी पंचायत समिति में एक 40 साल के व्यक्ति को ड्राइवर रख लिया। 8 वीं पास है, उसकी उम्र कम लिख दी और यह लिख दिया कि वह अनपढ़ है। यह सर्टिफिकेट है लेकिन उसको रख लिया। फिर रोजगार कैसे मिलेंगे? अनपढ़ दिखा करके उसको 32 साल का दिखा दिया। यह सबूत देख लो, आपको जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको पेश कर दूंगा।

श्री सभापति : मंत्री महोदय को दे देना अलग से।

श्री सुन्दर लाल : इसलिये चल रही है कहीं भी सुधार नहीं कर सकते, बात नहीं कर सकते। पंचायतों में स्कूल खुल गये, पिछली साल प्राइमरी से मिडिल स्कूल कर दिये, पंचायत समिति के अध्यापक हटा लिये, गवर्नमेन्ट ने भेजे नहीं। मेरे यहां 4 स्कूल ऐसे हैं जहां गवर्नमेन्ट ने अध्यापक भेजे नहीं और पंचायतों ने अपने अध्यापक वापस ले लिये। इसलिये इस तरह की व्यवस्था में मैं पंचायत मंत्रीजी से चाहूंगा कि कल ही आदेश दें कि जो भी स्कूल पिछली साल खुले हैं, उन स्कूल्स में अध्यापक रहना चाहिये। ताकि थोड़ा बहुत पढ़ावें। इन्सपेक्टर अध्यापक भेजते हैं एक साल में एक

(श्री सुन्दर लाल)

उसके अगले साल तीन। मैं चाहता हूं कि पंचायत समिति और इन्सपेक्टर के बीच में जो खाई है उसको भी दूर करना चाहिये। जो पंचायत समिति राजी है वह तो अध्यापक दे देती है। इन्सपेक्टर तीन साल में पूरा करता है स्कूल का कोटा। छठी क्लास तक तो एक मास्टर रहता है, सातवीं में एक और देते हैं, 8वीं में एक और दे देते हैं 8वीं में कोटा पूरा होता है। म्यूनिसिपल कौंसिल बन गई तो तनख्वाह तो गवर्नमेन्ट देती है, पंचायत समिति का प्रधान अपने घर से तो तनख्वाह नहीं देता है। इसलिये इसमें भी संशोधन होना चाहिये...

श्री सभापति : काफी अच्छे सुझाव हैं आपके काफी हो गये।

श्री सुन्दर लाल : मुझे बोलना तो बहुत था लेकिन आप बोलने नहीं देते है, तो कोई बात नहीं।

श्री सभापति : नहीं और कह दें, आपने काफी अच्छी अच्छी बातें कह दी हैं।

श्री सभापति : श्री बिरदमल सिंघवी।

श्री शोपत सिंह : माननीय सदस्य, इन्हें बोलने दीजिये।

श्री सभापति : आपको इतनी अच्छी बातें इनकी कैसे लग रही है?

माननीय श्री बिरदमल सिंघवी।

श्री बिरदमल सिंघवी (जोधपुर) : रतनगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने जोधपुर की बात कह कर अपनी बात को अधूरी रख दी। जोधपुर में इस समय नगर पालिका और नगर परिषद, दोनों स्थानीय निकाय कार्य कर रहे हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि उन्हें शीघ्र से शीघ्र भंग कर दिया जाय तो अच्छा हो। नगर परिषद् में कांग्रेस का बहुमत है मगर पिछले चार सालों में केवल इस प्रकार के काम वहां पर हुए हैं कि अध्यक्ष को कैसे बदला जाय। इसके सिवाय कोई काम नहीं हुआ। पहले श्री मदनलाल जी पूंगलिया अध्यक्ष चुने गये तो नगर परिषद् ने नगर विकास के कार्य क्या हैं इसके लिए चिन्ता न करके इसको कैसे नीचे दर्शाया जाय, इस प्रकार का काम किया। उसके बाद मैं इन अध्यक्षों की लड़ाई सुभाष पुरोहित वहां अध्यक्ष बने, फिर श्री अब्दुल गफ्फार अध्यक्ष बने और अध्यक्ष का काम किया। उसके बाद में जब वहां पर श्री किशोरसिंह कछावा अध्यक्ष काम कर रहे हैं। इन अध्यक्षों की आपसी गुटबाजी और लड़ाई के कारण वहां नगर परिषद् के विकास के सारे काम ठप्प हुए पड़े हैं। जहां आपके नगर परिषद के कानून में यह प्रावधान है कि बैठक एक माह में एक होनी चाहिये परन्तु वहां इतने बड़े शहर में आठ महीने से नगर परिषद की एक बैठक नहीं हुई और सरकार ने उस विषय में कोई कार्यवाही नहीं की यह बड़े दुःख की बात है।

सभापति महोदया मैं निवेदन करूंगा यहां तक कि यहां का बजट भी पारित नहीं हो सका। ऐसा कभी नहीं होता कि बजट

(श्री बिरदमल सिंघवी)

किसी नगर परिषद का पारित न हो और उसको राज्य सरकार के पास आकर कुछ प्रतिशत यहां से ले जाकर खर्च की व्यवस्था करनी पड़े। जोधपुर नगर परिषद् में बजट पारित नहीं हुआ। बार बार प्रति माह के लिए कुछ प्रतिशत यहां से ले जाकर खर्च की व्यवस्था करनी पड़ी थी उसके कारण वहां पर विकास के कार्य में पैसा खर्च नहीं हुआ।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा ऐसी नगर परिषदों का कार्यकाल क्यों कर बढ़ाया गया? जब कार्यकाल बढ़ाया गया तो कम से कम विश्वास होना चाहिए था। जो नगर परिषदें काम नहीं करती हैं उनका कार्यकाल बढ़ाने का कोई औचित्य नहीं था। इस प्रकार से एक जो यह परम्परा चल पड़ती है, चुनाव वास्तव में तीन साल में होने चाहिये इसके लिए एक नियम बनाना चाहिये। सभापति महोदय, कि चुनाव निश्चित रूप से तीन साल में करवाये जायेंगे। उनको यह एक्सटेन्शन देने की जो व्यवस्था है, हर बार एक्सटेन्शन देने की बात है यह समाप्त की जानी चाहिये और चुनाव बराबर समय पर कराया जाना चाहिए। आज भी राजस्थान में कई नगर परिषदें और कई क्षेत्रों की नगरपालिकाएं ऐसी हैं जिनमें अभी तक चुनाव नहीं हुए। सभापति महोदय, मैं मांग करूंगा कि ऐसे सारे स्थानीय निकायों के चुनाव शीघ्र कराये जायं। नागौर से आने वाले माननीय सदस्य जिस समय राजकुमार अमृत कौर का वक्तव्य पढ़ रहे थे तो उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया था कि वास्तव में यह स्थानीय निकाय प्रजातन्त्र की मूल जड़ है, यहां से प्रजातन्त्र प्रारम्भ होता है और स्थानीय निकायों को ठीक नहीं करेंगे तो यह वास्तव में बड़ी दुविधा का प्रश्न होगा।

सभापति महोदय, जो बड़े-बड़े शहर हैं उन शहरों के लिए यह व्यवस्था पहले सोची गई थी कि वास्तव में बड़े-बड़े शहरों में नगरपालिका को जो अधिकार हैं वह बहुत थोड़े रह जाते हैं और नगरपालिकायें ठीक तरह से काम नहीं कर पाती हैं। इसी कारण राजस्थान के 6 बड़े शहरों में नगर सुधार न्यास बनाये गये। नगर सुधार न्यास बनाने के बाद में ऐसा सोचा गया था कि अब कम से कम नगरों का सुधार होगा क्योंकि बड़े शहरों की प्राब्लम्स अलग तरह की होती हैं, ज्यों-ज्यों विकास होता है त्यों त्यों शहरों की प्राब्लम्स भी अलग-अलग तरह की होती जाती हैं। उनकी हाउसिंग की प्राब्लम अलग तरह की हो जाती है, उनकी पानी की समस्या है, उनकी बिजली की समस्या है भिन्न प्रकार की जो समस्यायें हैं वह भिन्न प्रकार की हो जाती हैं। इसलिए यह सोचा गया था कि नगर सुधार न्यास का निर्माण किया जाय, नगर सुधार न्यास के माध्यम से नगर का निश्चित रूप से विकास हो सकेगा। सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा मेरी यह मांग है कि जो 6 बड़े शहर हैं राजस्थान के उनमें जो नगर सुधार न्यास और नगर परिषदें हैं उनको भंग करके नगर निगम बनायें। अगर ये नगर निगम बन गये, संख्या की दृष्टि से आप सोच लीजिये, परन्तु संख्या का कोई प्रश्न आता है तो उसको भी दूर किया जा सकता है, ये नगर निगम बन गये एक व्यवस्था हो गई तो कुछ काम हो सकेगा

(श्री बिरदमल सिंघवी)

नहीं तो, आज किसी सड़क के लिए जाते हैं तो कहते हैं कि नहीं, सड़क तो यू.आई.टी. की है उसकी परमीशन लेने के लिए यू. आई. टी. जाओ। म्यूनिसिपैलिटी वाले कहते हैं यू.आई.टी. की है और यू.आई.टी वाले कहते हैं यह म्यूनिसिपैलिटी का मामला है। तो अगर एक व्यवस्था हो गई तो कुछ काम ठीक हो सकेगा। आज यह दोहरी व्यवस्था है, इस दोहरी व्यवस्था ने सारे मामले को बिल्कुल खराब करके रख दिया है। एक व्यवस्था होना आवश्यक है। इसलिए, सभापति महोदय, मेरी यह मांग है कि इन बड़े-बड़े शहरों के लिए नगर निगमों की व्यवस्था की जाय। वैसे भी छोटे-छोटे मामलों में लाभ नहीं होता, शहरों का विकास नहीं होता। जब तक एक इन्टग्रेशन करके काम नहीं होगा तब तक यह शहरों का विकास नहीं हो सकता। छोटे-छोटे कई मामले आते हैं जैसे पानी की बात है, पानी के नल कहां पर लगें, हैण्डपम्प कहां पर खुदें, इसमें वाटर वर्क्स और नगरपालिका में अक्सर झगड़े होते हैं। वाटर वर्क्स कहता है कि यहां पर होना चाहिये, नगरपालिका कहती है कि यहां पर होना चाहिये। इसी तरह विद्युत का मामला है। जो रोड लाइट्स हैं आज जोधपुर शहर की अधिकांश रोड लाइटें खराब पड़ी हैं। वह कहते हैं कि हमारे तार ठीक नहीं हैं। तार ठीक करने के लिए बिजलीघर के आदमी नहीं आते। बिजलीघर के आदमी कहते हैं यह हमारा काम नहीं है। रोड लाइट का मामला है यह हमारा नहीं है। तो यह सारे मामले पानी का, बिलजी का इत्यादि ठीक करने के लिए अगर एक व्यवस्था हो जाय तो यह ठीक हो सकेगा। इसलिए नगर निगम की स्थापना के विषय में मेरा यह निवेदन है, सभापति महोदय, आपके माध्यम से कि इन 6 शहरों के लिए नगर निगमों की स्थापना करने की घोषणा की जाय।

सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि वास्तव में इस प्रकार के नगर सुधार न्यास का काम जोधपुर में नहीं है। उसके बारे में जितना कहा जाय उतना थोड़ा है। नगरपालिका में भी इसी प्रकार की बात हुई है। नगर सुधार न्यास में भी भयंकर घोटाले हैं जिनका जिक्र समय-समय पर किया गया है। सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा.......

श्री सभापति : स्थानीय निकायों के बारे में आज के कटौती प्रस्ताव हैं, नगर सुधार न्यास इसमें नहीं है इसलिए मैं सोचता हूं संक्षिप्त करें कृपया।

श्री बिरदमल सिंघवी : स्थानीय निकाय तो है, इसी में आयेंगे।

श्री सभापति : संक्षेप में कहें।

श्री बिरदमल सिंघवी : वह बात अलग है। भयंकर आरोप इस प्रकार से लगे, उन आरोपों के विषय में मैं निवेदन कर रहा था कि नगर सुधार न्यास के बारे में यह जानकारी दी गई है कि ये आरोप केवल आडिट रिपोर्ट के आधार पर हैं और आडिट रिपोर्ट की जांच की जा रही है। मैं, सभापति महोदय, निवेदन करूंगा कि यदि वास्तव में आडिट रिपोर्ट ठीक नहीं है,

268

(श्री बिरदमल सिंघवी)

गलत है तो एक व्यक्ति जो इस प्रकार बदनाम हो रहा है उसे बचाइये। तुरन्त जांच कीजिये और उसको ठीक करने का प्रयत्न करें।

श्री रामसिंह विश्नोई : म्यूनिसिपैलिटी में जो कर्मचारी हैं, अधिकारी भी हैं, ऐसे मामले पहले भी हुए हैं, वह तो कोई एतराज नहीं है........

(व्यवधान)

श्री सभापति : आपस में बातचीत नहीं करें कृपया। आप अपनी बात कहें।

श्री बिरदमल सिंघवी : उनकी तुरन्त जांच करके......

श्री सभापति : काफी समय हो गया।

श्री बिरदमल सिंघवी : आप इतना उत्तेजित मत होइये।

श्री सभापति : पहले भाभड़ा साहब प्रकाश डाल चुके हैं इस मामले में, आप कृपया अपनी बात कहिये।

श्री बिरदमल सिंघवी : 6 करोड़ के घोटाले की बात कही गई है। कई मामले ऐसे हैं कास्ट पुटिंग के मामले बताये जाते हैं। दो करोड़ के घोटाले हैं। इसी तरह कई अपीलें हैं वह अपीलें जान-बूझकर खारिज हो गईं अदम पैरवी में खारिज हो गईं। 1·-17 अपीलें थीं, आर.ए.ए. ने फैसले दिये उसकी रेवेन्यू बोर्ड में अपील की गई। 17-17 अपीलें की गई परन्तु 17 अपीलें अदम पैरवी में खारिज हो गई। उनके विषय में कोई कार्यवाही नहीं की गई। इस प्रकार की स्थिति आज वहां नगर सुधार न्यास की है। नगर सुधार न्यास की छवि बड़ी धूमिल हो रही है।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि नगर विकास न्यास की जो आज छवि खराब हो रही है उसके लिए जांच करावें कि इसके लिए वास्तव में कौन दोषी है। जैसा अभी माननीय सदस्य कह रहे थे कि अधिकारी दोषी हैं तो उनको दण्ड दिया जाना चाहिये।

श्री सभापति : संक्षेप में।

श्री बिरदमल सिंघवी : सभापति, महोदय, आपको सुनकर ताज्जुब होगा....

श्री सभापति : वह सारी बात भाभड़ा साहब कह चुके हैं पहले आप अपनी बात संक्षेप में कहें।

श्री बिरदमल सिंघवी : मैं संक्षेप में ही निवेदन करूंगा कि इस प्रकार वहां पर प्लाटों......

श्री सभापति : माननीय सदस्य, उन्होंने सभी बातें कह दी हैं। आप अपनी बात कहें वरना रिपीटिशन होगा।

(व्यवधान)

श्री बिरदमल सिंघवी : नहीं, उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने कई बातें छोड़ दीं। इसमें किस प्रकार से प्लाटों को दिया जाना तय हुआ था उसमें काफी गड़बड़ियां हुई और उसके कारण छवि धूमिल हुई है। वहां पर किस प्रकार के घोटाले हुए हैं उनकी जांच की जानी चाहिये। सभापति महोदय,

(श्री विरदमल सिंघवी)

वहां पर भयंकर घोटाले हुए हैं और आरोप लगे हैं आक्षेप लगे हैं इसके कारण छवि धूमिल हो रही है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, संक्षेप में।

श्री बिरदमल सिंघवी : इसलिए उसकी तुरन्त जांच कराकर व्यवस्था की जाय।

दूसरी बात मैं जो निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि वहां पर नगर निगम बनाया जाय। वहां जल्दी से जल्दी चुनाव कराये जायें तब तो जोधपुर नगर का भला होगा।

श्री सभापति : संक्षेप में, थोड़े में कहें, माननीय सदस्य।

श्री बिरदलल सिंघवी : बिल्कुल ही संक्षेप में इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि वहां पर नगर परिषद् के पास पैसे नहीं हैं इसलिए उनको किसी प्रकार से आप पैसे की व्यवस्था करावें। सभापति महोदय, सन् 1979 के बाद जोधपुर शहर की सड़क जो भीतरी भाग में है जो सड़क म्यूनिसिपल एरिया में है, सिवाय थोड़ा पैच वर्क छोड़कर कोई भी डामर की सड़क वहां पर नहीं बनी है। वहां पर गट्टर के ढक्कर खुले पड़े हैं जिससे वहां पर आये दिन एक्सीडेन्ट्स होते हैं। सभापति. महोदय, हाई कोर्ट ने फैसला दिया, हाई कोर्ट ने आर्डर दिया है कि मैनहॉल पर ढक्कन लगायें पर कोई कार्यवाही मैनहॉल पर ढक्कन् लगाने के लिए नहीं हुई है। वहां पर पानी गटर से बुरी तरह से बह रहा है। इस प्रकार की सारी हालत आज जोधपुर शहर की है जो कि आज राजस्थान में दूसरे नम्बर का बड़ा शहर है। आज वहां पर गन्दगी के कारण हालत इतनी खराब हो गई है कि अगर कोई जोधपुर नगर परिद् की व्यवस्था को देखे तो कहता है कि यह नगर परिषद् नहीं नरक परिषद् है। नरक के समान वहां की व्यवस्था है। वहां भयंकर कीचड़ पड़ा रहता है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया संक्षेप में कहें।

श्री बिरदमल सिंघवी : इस प्रकार की हालत है। उसकी व्यवस्था तुरन्त करायी जाय।

एक बात और निवेदन करना चाहूंगा। वह है चुंगी के बारे में। चुंगी की वहां पर बहुत चोरी होती है। चुंगी के वहां जो कर्मचारी हैं या तो उनको थोड़े-थोड़े समय में बदलने की व्यवस्था हो या फिर बाहर के लोगों की व्यवस्था की जाय तो वहां चुंगी की चोरी रुक सकेगी और नगर परिषद् की हालत सुधरेगी। बस, इतना ही मैं निवेदन करना चाहता हूँ।

श्री सभापति : श्री पन्नालाल।

श्री पन्नालाल (बागीदोरा) : माननीय सभापति जी, आज इस सदन में पंचायती राज और सामुदायिक विकास के मामलों पर मेरे पूर्व वक्ताओं ने अपने-अपने सुझाव सरकार के सामने रखे थे और आपके सामने रखे थे। माननीय सभापति जी मैं भी आपका ध्यान इस ओर आकर्षित

(श्री पन्नालाल)

करना चाहता हूं कि आज पंचायती राज, जो हमारे देश का, प्रदेश का एक मुख्य अंग है, अगर मजबूत होगा तो हमारा प्रदेश मजबूत होगा, हमारा देश मजबूत होगा। मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूं कि पंचायती राज की व्यवस्था में जो भी कमी है उस कमी को पूरा कराने के लिए सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हमारे देश में विकेन्द्रीकरण करने के लिए पंचायती राज को अधिकार दिये गये थे लेकिन उन अधिकारों के अनुसार आज व्यवस्था नहीं है। आज से तीन-चार साल पहले राजस्थान सरकार ने इस पंचायती राज का बीकानेर में एक बहुत बड़ा सम्मेलन बुलाया था। उसमें पंचायती राज को कई प्रकार के अधिकार देने के लिए घोषणायें की गई थीं। उसके अनुसार आज हमारे पंचायती राज में व्यवस्था नहीं हुई है। मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं यदि हमारा पंचायती राज मजबूत होगा तो हमारा प्रदेश मजबूत होगा और देश मजबूत होगा। पंचायती राज हमारे देश का मुख्य अंग है। इससे अधिक नहीं कहते हुए मैं यही कहना चाहूंगा कि पंचायती राज से ही हमारी देश की सरकार बनती है।

श्री रामसिंह विश्नोई : कोई सुनने वाला नहीं है।

श्री सभापति : हमारे मन्त्रीजी जागरूक हैं वह सब सुन रहे हैं। वह सब ध्यान से सुन रहे हैं। वह सभी बातें नोट कर रहे हैं He is alert। हमारे मन्त्री महोदय इस बारे में एलर्ट हैं, आप चिन्ता नहीं करें।

(व्यवधान)

श्री पन्नालाल : मैं अपनी बात कह रहा हूं आपको आपत्ति क्या है। मैं पार्टीबाजी की बात नहीं कर रहा हूं।

श्री सभापति : आप बोलें आप अच्छा बोल रहे हैं। आपके बारे में बात नहीं हो रही थी। आप बोलिये।

श्री पन्नालाल : मेरा निवेदन है कि पंचायती राज व्यवस्था की कमी को दूर करने लिए के सरकार का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं और सरकार का ध्यान उस ओर होना बहुत आवश्यक है मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि आजादी के इतने साल बाद भी जो आज बिखरी हुई बस्तियां हैं जहां भयंकर कमी है।

श्री सभापति : वह बात बता दीजिये, आप अपना सुझाव दें।

श्री पन्नालाल : उसको सरकार जल्दी से जल्दी दूर करे। मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि आज हमारी सरकार ने शिक्षा के मामले में हमारे देश में, प्रदेश में प्राइमरी स्कूल खोले हैं। गांव में प्राइमरी स्कूल खोले गये। वहां इन प्राइमरी स्कूल्स में कोई व्यवस्था नहीं है। वहां पर विद्यार्थियों के बैठने के लिये कोई व्यवस्था नहीं है, वहां पर भवन की व्यवस्था नहीं है, वहां पर जाने-आने की कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिये मैं यही निवेदन करना चाहूँगा कि इसकी व्यवस्था करावें।

श्री सभापति : काफी अच्छे सुझाव दिये हैं आपने। धन्यवाद।

श्री पन्नालाल : सभापति महोदय, बिखरी हुई बस्तियों के लिये आज जो सभी प्रकार के काम हैं, अलग अलग मकान बनावें, गरीब लोगों को रहने का स्थान नहीं है। उसकी व्यवस्था में जो कमी है उस कमी को दूर करने की व्यवस्था करावें। मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं, सभापति महोदय, सरकार द्वारा करोड़ों रुपये की इन गरीब इलाकों में सड़कों को बनाने के लिये जो आंकड़े बताये जाते हैं, उसका जो उल्लेख किया जाता है वह नहीं है। बिखरी हुई बस्तियों के लिये मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो लोग बिखरी हुई बस्तियों में रहते हैं उनके लिये आज खाने को अनाज नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है, रहने को मकान नहीं है। हमारी सरकार स्कूल्स में जहां विद्यार्थी पढ़ रहें हैं उनके लिये व्यवस्था करे।

श्री सभापति : अच्छा, धन्यवाद। बहुत बातें कह दी आपने। बहुत अच्छी बातें कह दीं आपने।

श्री पन्नालाल : जो साधनों की कमी है वहां पर उन साधनों को जुटाया जाय।

श्री सभापति : बहुत अच्छी बातें कह दीं आपने। मन्त्री जी ने नोट कर ली हैं आपकी सभी बातें।

श्री पन्नालाल : पंचायत विभाग के अधीन पहले जो सड़क बनवाने का सरकार के पास बजट था उसके अनुसार काम होता था उस नीति को अब बजट में से हटा दिया गया है। जो सड़कें पंचायती राज के अधीन बनती थीं वह व्यवस्था आज नहीं है। पंचायती राज के अधीन तालाब बनाये जाते थे वह तालाब टूटफूट गये हैं। नहरों की व्यवस्था नहीं है। इस व्यवस्था को पूरी कराने के लिये मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

मैं आपका समय ज्यादा नहीं लेना चाहता हूं। पंचायती राज संस्थाओं को जो अधिकार हमारे देश में दिये गये थे उनमें और जो कमी है उसको पूरा कराने के लिये सरकार का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। बिखरी हुई बस्तियों में आजादी के बाद इतने साल गुजरने के बाद भी जो कमी है उसको दूर करने के लिये, जल्दी से उसकी पूर्ति करने के लिये मैं सरकार का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं।

सभापति महोदय, मैं सत्ता पक्ष का हूं, मैं आपको ज्यादा नहीं कहते हुए यही सरकार का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं कि इतने साल आजादी के बाद गुजरने के बाद भी लोगों की गांवों में हालत क्या है, बिखरी हुई बस्तियों की हालत क्या है उसके लिये जो कमी है उसको सरकार पूरा करने की व्यवस्था करावे।

श्री सभापति : अपनी बात समाप्त करें।

श्री पन्नालाल : बस, इतनी ही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

नमस्कार

श्री सभापति : श्री रामचन्द्र जाट।

(अनुपस्थित)

(श्री सभापति)

श्री हरिश कुमावत ।

(व्यवधान)

काफी विस्तृत सूची मेरे पास है उसके अनुसार आपकी बारी आयेगी । श्री हरिश कुमावत ।

श्री हरिश्चन्द्र कुमावत (नावां) : सभापति महोदय, आज सदन पंचायती राज और सामुदायिक विकास की मांगों पर सभी माननीय सदस्यों ने अपने-अपने सुझाव यहां पर रखे हैं ।

प्रजातंत्र की हिमायती राजस्थान सरकार और हम सब लोग हैं, हम सदस्य हैं । पंचायती राज और नगरपालिका इसकी मूलभूत इकाइयां हैं । इन इकाइयों की स्वायत्ता बहाल रखना हमेशा आवश्यक है । मैं नगरपालिकाओं के सम्बन्ध में माननीय सभापति के द्वारा कुछ सुझाव प्रस्तुत करना चाहूंगा । नगरपालिका का कार्यकाल तीन साल का था वह एक वर्ष पूर्व बढ़ाकर चार साल कर दिया गया । चाहे तीन साल हों, चाहे पांच साल हों, मेरा निवेदन यह है कि सरकार को चाहिए नगरपालिकाओं को संवैधानिक अधिकार दिये जाये । नया बोर्ड बनाने से पहले चुनाव की व्यवस्था हो । इसलिये मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि संवैधानिक अधिकार दिये जाये ।

दूसरा, मैं निवेदन करता हूं कि नगरपालिका एक्ट 1959 में बना था । उसको बने काफी समय हो गया ।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपस में बातचीत नहीं करें । कृपया सुनें ।

श्री हरिश्चन्द्र कुमावत : अध्यक्षों को यह अधिकार दिया गया था उसमें यह शंका थी कि उन अधिकारों का दुरुपयोग नहीं हो ।

श्री सभापति : सुनिये, वह कुछ करना चाहते हैं । आपको ध्यान रखना चाहिए ।

श्रीमती हमीदा बेगम (चूरू) : कोई नई बात नहीं है ।

श्री सभापति : पहली बार बोल रहे हैं, सुनिये ।

श्री हरिश्चन्द्र कुमावत : उसका दुरुपयोग नहीं करें ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : हमीदा जी, सुनिए । मैडम, यह इनकी मेडन स्पीच है ।

श्री सभापति : उनको प्रोत्साहित करें । मेडन स्पीच है, आप कृपया सुनिये ।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : आप तो बहुत अनुभवी हैं, वह पहली बार बोल रहे हैं ।

श्री हरिश्चन्द्र कुमावत : जो नियम बनाये गये हैं उसमें जो भी आदेश होते हैं वह आदेश बोर्ड देता है । डेट ओपन ई.ओ. करता है, नोट ई. ओ. करता है, ई. ओ. क्या है ? चैक पर साइन ई. ओ. करता है, बोर्ड की प्रोसीडिंग्स ई. ओ. लिखता है और भी जो काम हैं नगरपालिका के, वह ई.ओ. करता है । चेयरमैन के पास कुछ भी अधिकार नहीं है । मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि चेयरमैन कुछ नहीं कर सकता, वेले-

(श्री हरिश्चन्द्र कुमावत)

डिटी नहीं है चेयरमैन को निलम्बित करने की या किसी के खिलाफ कार्यवाही करने की। इस तरह का समय बीत चुका है। जो नियम बना दिये हैं चेयरमैन के पास कोई अधिकार नहीं है, इन नियमों में परिवर्तन करना चाहिए। जो चुनाव से जीते अध्यक्ष हैं उसको निलम्बित करने का अधिकार नहीं है उसको हटाना चाहिए।

दूसरा, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि नगरपालिकाओं में आर. ए. एस. अधिकारियों का स्थानान्तरण होता है वह मण्डल के अध्यक्ष के परामर्श से होना चाहिये नहीं तो वहां का तालमेल ठीक नहीं होता है। हमारे यहां कुचामन में ई. ओ. का स्थानान्तरण हुआ था उसके बाद स्थानान्तरण कैंसल कर दिया गया। मुख्य मन्त्री जी को निवेदन किया था, डी. एल. बी. साहब को भी निवेदन किया था, उनका स्थानान्तरण निरस्त नहीं किया गया और बोर्ड को हाई कोर्ट से स्टे लाना पड़ा। इसलिये इस प्रकार की जो दिक्कतें हैं उनको दूर किया जाये। मैं आपके माध्यम से सरकार को निवेदन करना चाहता हूं कि ई. ओ. को या आर. ए. एस. को सरकार द्वारा स्थानान्तरण कर दिया जायेगा तो तालमेल नहीं बैठेगा।

इसी तरह से परवतसर में देख लीजिए, वहां का जो ई. ओ. है उनको वहां के जिलाधीश ने स्थानान्तरण कर दिया था, उनको हटा दिया था। आप कलेक्टर की रिपोर्ट भी देखें, उसमें लिखा है कि ई. ओ. अच्छा नहीं है लेकिन वहां के डी. एल. बी. ने जबरदस्ती उसी ई. ओ. को लगा दिया। इसी प्रकार से सिरोही के ई. ओ. को हटाया उसके बाद भी वह वहीं है। जो ई. ओ. वहां काम करते हैं वहां नगरपालिका की दुकानें हैं उनको अरावली आइस फैक्ट्री ने किराये पर लिया है उनका किराया वसूल नहीं करते। वहां के ई. ओ. ने अजीत नगर कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की कृषि भूमि को रूपान्तरित करने के लिए अधिकारों के बाहर जाकर बोर्ड की एन.ओ.सी. के बिना अनुमति दे दी। वह अपना टी.ए. और डी.ए. अपने आप उठा लेता है। इस प्रकार से वहां नगरपालिका का नुकसान होता है। उसके खिलाफ बोर्ड कुछ नहीं कर सकता, अध्यक्ष कुछ नहीं कर सकता, सरकार को बताया जाता है वह कुछ नहीं कर सकती। इसलिए मेरा निवेदन है कि जब बोर्ड किसी ई.ओ. की शिकायत करे यह बात ध्यान में लाई जाये तो उसके खिलाफ सरकार को तुरन्त कार्यवाही करनी चाहिये।

श्री सभापति : बहुत अच्छा। कुछ बाकी है ?

श्री हरिश्चन्द्र कुमावत: दूसरा, मेरा निवेदन यह है कि जो नगरपालिका के दूसरे कर्मचारी हैं, नगरपालिका एक्ट में नगरपालिका के बोर्ड को ही अधिकार है कि उनकी नियुक्ति बोर्ड करेगा। लेकिन यहां से एन.ओ.सी. लेने का प्रावधान भी कर रखा है, डी.एल.बी. आदेश दे कि यहां से एन.ओ.सी. उठा लीजिये। तो यह जो बीच में दलाली करने के आदेश कर दिये जाते हैं, इस प्रकार के आदेश नहीं किये

(श्री हरिश्चन्द्र कुमावत)

जाय। इससे बड़ी दलाली लोगों को देनी पड़ती है और अनावश्यक रूप से जिनको नहीं लेना है उनको भी लेना पड़ता है।

सेवा चयन आयोग के सम्बन्ध में, मैं राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि सेवा चयन आयोग द्वारा पिछले वर्ष 1984 में विज्ञापन जारी किया गया था जिसमें बताया गया था कि दो हजार वेकेंसी हैं। कई गरीब लोगों से आठ रुपये फार्म के लिए गये। लाखों रुपये सरकार ने व सेवा चयन आयोग ने इकट्ठे कर लिये और उनको नियुक्तियां नहीं दीं। आज तक नहीं हुई। मैं बताना चाहता हूं कि किसी भी नगरपालिका में स्थान रिक्त नहीं हैं। सब नगरपालिकाओं में चार-चार, पांच-पांच साल से कर्मचारी बराबर पूरे रहे हैं, कोई खाली जगह नहीं है फिर भी दो हजार खाली जगह बताकर उनको नियुक्ति के लिए बुलाया गया और कई लाख रुपये इकट्ठे कर लिये गये। उन गरीबों का रुपया ले लिया है उसे सरकार को वापिस दिलाना चाहिये और इस प्रकार की आइन्दा गलती हो तो……

(व्यवधान)

श्री सभापति : काफी हो चुका है। बाकी है क्या ?

श्री हरिश्चन्द्र कुमावत : तीसरा, मेरा निवेदन है कि आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिये नगरपालिकाओं का जो अनुदान है वह पांच रुपये से बढ़ाकर 15 रुपये कर दिया जाना चाहिये। माननीय सदस्यों की राय सभी की है कि इसको बढ़ाया जाना चाहिये। विद्युत मण्डल में हमारे यहां की राशि बाकी है वह नहीं देते हैं। सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जहां-जहां नगरपालिकाओं के दूसरे विभागों के पैसे हैं वह दिलाये जाय ताकि उनकी आर्थिक स्थिति ठीक हो। चुंगी दरों में भी समानता होनी चाहिये। मैं यह चाहता हूं कि यह चुंगी पंचायत समिति में भी लगनी चाहिये। कारण यह है कि लोग म्यूनिसिपैलिटी एरिया के बाहर अपने गोदाम बना लेते हैं और चुंगी का बचाव करते हैं, चुंगी की चोरी करते हैं। इसलिये मेरा निवेदन यह है कि चुंगी सभी जगह लगनी चाहिये ताकि चोरी नहीं हो इससे पंचायतों की हालत भी अच्छी होगी। वहां भी वसूली होगी और उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। इसलिए मेरा निवेदन है कि वहां भी आप चुंगी लगाने की छूट दें।

श्री सभापति : धन्यवाद। बाकी है क्या ?

श्री हरिश्चन्द्र कुमावत : सभापति महोदय, गलत तरीके से लोन दिये गये और एन.ओ.सी. के खिलाफ लोन दिये गये। वहां पर गलत योजना शुरू की गई थी। काफी समय हो चुका है और सारा पैसा चुकाया जा चुका है। मेरा निवेदन इस ओर है कि नगरपालिका की मार्फत जनता को लोन दिलाया जाये। वहां की जनता की समस्याओं का निराकरण होना बाकी है। टंकियों की आवश्यकता है। सरकार के

(श्री हरिश्चन्द्र कुमावत)

पास बजट नहीं है वहां काम पूरा नहीं हो रहा है इसलिए आप लोन की व्यवस्था करें और वहां जो पानी की समस्या है वह दूर की जानी चाहिये।

श्री सभापति : धन्यवाद। श्री भैरूंलाल भारद्वाज, थोडा संक्षेप में करें।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज (जमवा-रामगढ़) : पंचायत राज के बारे में चर्चा······

श्री सभापति : आप बहुत अच्छे विद्वान हैं, हम सब जानते हैं।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : पंचायत राज पर चर्चा करने से पूर्व हमको प्रजातन्त्र के मूल पहलुओं पर विचार करना पड़ेगा। माननीय सभापति महोदय, मुझे इस बात से बड़ी तकलीफ है कि बहुत से महानुभव सदस्यों ने यद्यपि उनके पसन्द की बात कही है पर उन्होंने पंचायत राज के खिलाफ अपने विचार व्यक्त किये हैं। उनकी खास तौर से यह शिकायत रही है······

श्री शोपत सिंह : व्यवस्था के खिलाफ।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : कुछ लोगों की शिकायत यह है, आप सुनने की कोशिश कीजिये। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ माननीय मित्रों की नीचे के इलाके की पकड़ नहीं है इसलिए न तो वह अपनी ग्राम पंचायत बना सके, न अपनी पंचायत समितियों के चुनाव करा सके, सिवाय जिला परिषद् के······

(व्यवधान)

श्री शोपत सिंह : मित्र नहीं हैं, माननीय सदस्य कहो।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : एक पंचायत राज संस्थान है जो साधारण तौर पर अपना काम करता है। वह अपेक्षा करता है कि विधायक उसके कार्यक्रम में उसकी मदद करेंगे। ऐसा लगता है कि लोगों को यह बात पसन्द नहीं है कि पंचायत समिति और पंचायत क्यों काम कर रही हैं। मैं उन मित्रों से कहना चाहता हूं कि जहां तक कमियों का ताल्लुक है, हर व्यवस्था में, हर काम में, हर संस्था में कुछ न कुछ कमी मिलेगी। माननीय मित्र लोग कहते हैं, दखलन्दाजी होगी······

श्री शोपत सिंह : माननीय सभापति महोदय, यह मित्र क्या होता है ? माननीय सदस्य होते हैं सदन में, मित्र नहीं होते हैं। सदन की गरिमा का पालन करें।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : माननीय मित्रों ने यह कहा······

श्री सभापति : माननीय सदस्य कहिये।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : दखलन्दाजी की बात कहते हैं। यह करता कौन है ? विधायक करते हैं ? सदन के सदस्यों ने कहा कि पंचायत राज पर गलतियां थोपते हैं तो महरबानी कीजिये, हमारी अपनी गलतियां हैं हम पंचायत राज पर थोपने की कोशिश करें, यह उचित बात नहीं है सच

(9.00 रात्रि)

(श्री भैरूंलाल भारद्वाज)

बात तो यह है कि जब हमने अपने देश की आजादी हासिल की थी, कांग्रेस ने पूर्व में ही प्रकट कर दिया था कि राज में आयेंगे। तो राज कैसा बनायेंगे और वह राज होगा जनतांत्रिक तरीके का जो सीधा नीचे से निर्भर करता है ऊपर से निर्भर नहीं करता। महात्मा गांधी ने प्रजातन्त्र का पांच स्तर पर विचार किया था और यह कहा था कि पांच स्तर पर प्रजातांत्रिक संस्थायें बनाकर हम राज चलायेंगे। नीचे ग्राम पंचायत, उसके ऊपर ब्लाक स्तर पर पंचायत समिति, उसके ऊपर जिला स्तर पर जिला परिषद् फिर प्रान्तीय स्तर पर प्रान्तीय पंचायत और उसके बाद राष्ट्रीय पंचायत। तो मेरी समझ में नहीं बैठती यह बात कि यह प्रान्तीय पंचायत के लोग अपने को ही सब कुछ मानने के लिए क्यों नीचे की पंचायतों पर इतना दबाव डालने की कोशिश करते हैं। अगर इनका बस चले, जनता का दबाव न हो तो बहुत से मित्र यह चाहते हैं कि कल ही पंचायती राज बन्द कर दिया जाये। असेम्बली भी बन्द कर दी जाये, प्रान्तीय पंचायत भी बन्द कर दी जाय और केवल एक केन्द्रीय पंचायत यानि लोकसभा ही रखी जाये तो कैसा बढ़िया रहे।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आपस में बातचीत नहीं, माननीय सदस्य।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : प्रजातन्त्र के कह में यह जरूरी है।

श्री सभापति : आपने अपनी बात कह दी उनको आपसी बात कहने दीजिये। आर्डर प्लीज, आर्डर।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : पांचों प्रकार की पंचायतें अपनी-अपनी जगह पर पूरा काम करती रही है।

श्री शोपत सिंह : माननीय सभापति जी, यह तो सारा गलत इन्टरप्रिटेशन कर रहे हैं। हमने मजबूत करने के लिए कहा है।

(व्यवधान)

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : यह बरसात के अन्दर जब बादल गरजता है तो आप पर यह लहर आ जाती है आपके बस की बात नहीं है इसलिए आप महरबानी करके सुनने की कोशिश कीजिये।

श्री सभापति : आपकी बात पर वे तवज्जोह कर रहे हैं, आप भी सुनिये।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : मैं यह निवेदन कर रहा था कि हमको प्रजातन्त्र को मजबूत बनाने के लिये······

श्री सभापति : आर्डर, प्लीज आर्डर। आपस में बातचीत नहीं।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : अधिकारों का विकेन्द्रीकरण करना पड़ेगा, सत्ता का विकेन्द्रीकरण करना पड़ेगा। उसके रूप में हमको पंचायत को समिति गांव के हिसाब से, पंचायत समिति को ब्लाक के हिसाब से और जिला परिषद् को जिले के हिसाब से वरीयता प्राथमिकता और कीमत देनी पड़ेगी।

(श्री भैरूंलाल भारद्वाज)

जहां तक जनता के राज का सवाल है, तो मैं पंचायत के चुनाव के बारे में पहले पहल यही सुझाव दूंगा कि चुनावों के कार्यक्रम में भी कुछ चेन्ज लाना चाहिये। इस वक्त एक वोटर जब पंचायत का चुनाव करता है तो वह दो वोट देता है, एक पंच का और एक सरपंच का। मैं यह निवेदन करूंगा कि उसको एक वोट और देने का अधिकार मिलना चाहिये। वह पंच भी चुने, सरपंच भी चुने और प्रधान भी सीधा वह चुने। जब प्रधान सीधा पंचायत से चुना जायेगा तो माननीय सदस्यों के विधायक महानुभावों के यह थोड़ा दिमाग ठिकाने आयेंगे। वे यह महसूस करेंगे कि यह भी हमारी तरह जनता से सीधा चुना हुआ है। जो जनता से सीधा चुना हुआ प्रधान बनेगा वह बड़ी मजबूती से काम करेगा और मैं समझता हूं जिम्मेदारियां भी उसकी ज्यादा होंगी। अब चूंकि समय काफी कम है इसलिए संक्षेप में सुझाव दूंगा।

श्री सभापति : हां, यह बड़ी मेहरबानी होगी आप की।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : मैं चाहता तो यह था कि इस विषय पर, पंचायत राज दर्शन पर बाकायदा विचार व्यक्त करता पर चूंकि इतना समय नहीं है इसलिए मैं कुछ सुझाव दूंगा, नहीं तो मेरे यह सुझाव वाले मामले धरे रह जायेंगे। अब यह कहना चाहता हूं कि पंचायत को मजबूत करने के लिए हमको न केवल उसके अधिकारों में वृद्धि करनी पड़ेगी बल्कि उसके आर्थिक तौर पर भी स्वावलम्बी बनाना पड़ेगा। कुछ मित्रों ने जो ढाई रुपये के बजाय 5 रुपये करने का सुझाव दिया है, किसी ने ज्यादा का सुझाव दिया है मैं इसके बजाय एक दूसरा सुझाव देना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, यह जो राजस्व का जमीनों पर लगान है वह हमको सीधा ही पंचायत को सौंप देना चाहिये।

श्री सुजान सिंह यादव : माननीय सभापति, यह मित्र शब्द असंसदीय है। माननीय सदस्य को आप आदेश दें कि माननीय सदस्य कहें, मित्र नहीं कहें।

श्री सभापति : मैं निवेदन कर चुका हूं। यह मित्र आप हाउस के बाहर कह देना, यहां माननीय सदस्य कह दें।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : ढाई से 5 रुपया करने के बजाय आप कुछ अधिकार दीजिये। और अधिकार यह दीजिये कि पंचायत अपनी जमीन का लगान खुद वसूल करे। लगान की वसूली का अधिकार हमको पंचायत को देना चाहिये और इसको गम्भीरता से लेना चाहिये। अगर आप राजस्थान के राजस्व का हिसाब लगायें तो उस पर जितना खर्चा होता है और उससे जितनी आमदनी होती है उसमें बहुत थोड़ा सा बचता है। सारा राज खर्च में बराबर कर देते हैं। उसकी बजाय पंचायत राज को क्यों नहीं देते हो ताकि वह एक स्वावलम्बी संस्था बने।

इसके साथ ही मेरा सुझाव यह है, व्यवस्था के मामले में एक पंचायत को एक सचिव वाली बात बहुत मित्रों ने कही है।

(278)

(श्री भैरूंलाल भारद्वाज)

मेरे ख्याल से पंचायत राज मन्त्री ने लगातार कई बार सुनने के बावजूद उस तरफ ध्यान नहीं दिया है। यदि पंचायत संस्थाओं को चलाना है तो आपको······

श्री सभापति : आप मित्र शब्द की पुनरावृत्ति न करें, कई सदस्यों को एतराज है।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : बीच में दखलन्दाजी······

श्री सभापति : माननीय सदस्य कह रहे हैं।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : माननीय सदस्य तो कहते थे कि पंचायत के चुनाव में औरत और मर्द में लड़ाई हो गई तो हमारे विधान सभा के चुनाव में पार्टीबाजी नहीं फैली क्या ?

श्री सभापति : यह कुछ और बात कह रहे हैं। यह कह रहे हैं, आप मित्र मत कहिये, माननीय सदस्य कहिये।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : माननीय सदस्य ही मेरे मित्र हैं इसलिए मैं मित्र कह रहा हूं।

श्री सभापति : वह मित्र बाहर कह देना आप उनको।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : मेरा असल में खुला खाता है।

श्री सभापति : नहीं, आप अच्छे आदमी हैं।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : यह माननीय मित्रों के मैं हृदय से इनकी······

श्री सभापति : नहीं, वह तो बहुत अच्छी बात है।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : इसलिए माननीय सदस्य, सभापति महोदय, दिखावे का औपचारिकता का······

श्री सभापति : हां, हां, यहां तो औपचारिकता निभा लीजिये।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : यह मेरे हृदय की बात है।

श्री सभापति : हृदय की बात बाहर कह देना आप। हृदय में कई बातें हैं आपके।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : तो मैं आपसे यह निवेदन कर रहा था कि...···

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : अगर आपके यहां जीजाजी हों तो जीजाजी थोड़े ही कहोगे। मान लो यहां कोई सदस्य आपके जीजाजी हों तो जीजाजी एड्रेस नहीं कर सकते।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : आपके दिखावे के तौर पर जिस तरह से आप प्रसन्न हों वही मैं कहूंगा।

श्री सभापति : शर्माजी ने बहुत ठीक बात कही है।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : साथ में यह निवेदन कर रहा था कि पंचायत राज को हमको एक सचिव देना ही पड़ेगा। इसके लिये अगर आर्थिक व्यवस्था में कोई दिक्कत हो तो मैं इसमें बिना पैसे खर्च किये ही व्यवस्था बताता हूं कि ग्राम सेवक नाम के प्राणी को वापस ले आओ जो पहले था। सचिव और ग्राम सेवक दोनों मिलकर एक पंचायत पर एक के हिसाब से बैठ जायेंगे। मैं समझता हूं इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। एक पंचायत को बीस सूत्री कार्यक्रम कई चीजें हमने दे रखी है। पंचायतों को सफल बनाने के लिये उनके पास सचिव नहीं है तो मीटिंग नहीं होती हैं। मीटिंग नहीं होती है तो फिर आगे काम क्या होगा? तो मैं चाहता हूँ कि इसको बड़ी गम्भीरता से लेना चाहिये।

जहां तक न्याय पंचायतों का सवाल है इसमें कई तरह के प्रयोग करके देख लिये। कुल मिलाकर हमको पंचायत को जन अदालत का रूप देना चाहिये। यह जो नई कमेटी बनाई इसकी कोई कीमत नहीं है। जब आपने उस कमेटी का सरपंच को अध्यक्ष बना दिया और उसी में से दो तीन मैम्बर्स को छांट लिया उसके बजाय पूरी पंचायत बैठ कर जैसे पहले दीवानी और फौजदारी और रेवेन्यू से सम्बन्धित जो अधिकार थे उसका उपयोग शुरू शुरू में करती थी हमको उसी प्रकार से करना चाहिये। पंचायत को पूरी तरह दीवानी, फौजदारी और रेवेन्यू के अधिकार देने चाहिये। इस बात के अधिकार देने में हम जो यह समझते हैं कि इनका दुरुपयोग किया जायेगा इस बात का वहम हमको नहीं रखना चाहिये। दुरुपयोग किया जाये तो उसकी चैकिंग रखनी चाहिये पर दुरुपयोग के डर से हम अधिकार नहीं देंगे तो, माननीय सभापति महोदय, यह उसी प्रकार की बात होगी कि हम लोगों को कहेंगे तैरना तो सीखो पर डूबने के डर से पानी में मत जाओ। पानी में उतरे बिना तैरना आयेगा नहीं। इसी प्रकार अंग्रेज कहते थे कि हिन्दुस्तानियों को राज करने का ज्ञान नहीं है, वह भाषा हम उपयोग में लाने लग गये कि नीचे वाली पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों को राज करने का ज्ञान नहीं है। मैं जब पंचायत समिति का प्रधान था तब तो मुझ पर राज विश्वास नहीं करता था और मैं अब विधायक बन गया और कल को मंत्री बन जाऊं तो मेरे को सब ज्ञान आ गया? यानि एक आदमी जिला परिषद् में प्रमुख बनता है तो उसके ऊपर हम विश्वास नहीं करते और वही आदमी पंचायत समितियों का प्रधान चुना जाता है तो उसके ऊपर शंकायें सारी करते हैं और वही आदमी एम. एल. ए. बनकर मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर बन जाये तो सारे सलाम करते हैं। उसमें सारे ज्ञान हो गये, सारी बुद्धि आ गई।

श्री सभापति : कोई बात नहीं, जब आप बन जाओगे तो आपको भी करेंगे।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : यह कोई दलील नहीं है। जनता के राज में चुने हुए नुमाइंदों पर पूरा विश्वास करो। पूरा विश्वास करोगे और पूरा अधिकार दोगे तो वह ज्यादा जिम्मेदारी से काम करेगा। आपने उनको त्रिशंकु की तरह बीच में लटका रखा है तो वह बेचारा न अपनी जिम्मेदारी निभा पाता है, न अपने कर्तव्यों की बात

(श्री भैरू लाल भारद्वाज)

करता है। बीच में आप उलझाए रखते हो उसको।

मैं यह चाहता हूं हमको संवैधानिक अधिकार देने चाहिये पंचायती राज संस्थाओं को ताकि चुनावों के लिये हमें तारीख तय नहीं करनी पड़ी। जिस तरह विधान सभाओं के और पार्लियामेंट के चुनाव होते हैं ठीक उसी प्रकार पंचायतों के चुनाव समय पर होते रहें, चुनाव आयोग द्वारा होते रहे हैं। हम उसको इस प्रकार की मान्यता दें कि साधारण तौर पर हम उनको भंग करने की और बिना कानून की दखलन्दाजी करने की....

श्री सभापति : कई सदस्यों ने कहा है यह बात। जरा संक्षिप्त कर दें आप।

श्री भैरू लाल भारद्वाज : माननीय सभापति महोदय, पहले जब पंचायत राज चालू किया था तब पंडित जवाहर लाल नेहरू ने लोगों को इन्वाल्वमेंट करने के लिये और साधन बढ़ाने के लिये और लोगों की रुचि पैदा करने के लिये श्रमदान वाली व्यवस्था लागू की थी। हम लोगों को श्रमदान के लिये प्रोत्साहित करें, धन राशि देकर गांवों में यह पहले अच्छे ढंग से चली थी। आधे से भी ज्यादा लोग श्रमदान करते थे। यह बखेड़ा फैला जनता पार्टी का राज आने पर। इन भले आदमियों के पास और तो कुछ था नहीं और इन्होंने जो गेहूं पड़ा था उसको बांट दिया। दो साल डेढ़ साल इन्होंने राज किया, एक धेला इनके पास था नहीं। ये चारों तरफ देखने लगे और जब जाने लगे अपने इलाकों में तो कि हमारे यहां कुछ काम ही नहीं कराया, एक धेला इनके पास था नहीं, इन्होंने सोचा बाप-दादा का जुड़ा हुआ धन है तो जिस तरह एक कपूत करता है सारा पैसा बाप की कमाई को उड़ाने का धन्धा इस तरह जो सारा अनाज इकट्ठा था इन्होंने उठाकर गांव में बांट दिया। अगर गांव में बांट दिया तो कोई बात नहीं। मगर कहां तो श्रमदान की बात थी और कहां आधा तो राज्य सरकार देगी और आधा जनता काम करेगी। क्योंकि इनका तो कमाया हुआ धन था नहीं, यह सिस्टम चालू किया। इनको तो जोर आया नहीं। इन्होंने सारा अनाज पल्ले डाल दिया। एक-एक पंचायत को इन्होंने दो-दो लाख, तीन-तीन लाख का गेहूं दे दिया और काम हुआ नही 20 हजार का, 25 हजार का। यानि इतनी चोरबाजारी जो पंचायतों में फैली है उसका श्रीगणेश इस जनता पार्टी के राज में हुआ है। उससे पहले इस प्रकार की शिकायतें नहीं थीं। लोगों का जिम्मेदारी से काम होता था। लोग आधे से ज्यादा श्रमदान से साधन जुटाते थे और गांवों में विकास बड़ी तेजी से बढ़ रहा था। मगर फोकट का माल जब उड़ने में आ जाता है तो, माननीय सभापतिजी, आदमी तो आदमी ही है। जब इन्होंने चला कर ही वह मामला इस तरह का कर दिया जिससे पंचायत राज भ्रष्ट और निकम्मा बन गया, मैं तो यह कहता हूं कि पंचायत राज का नुकसान अगर सबसे ज्यादा किसी ने किया है तो वह जनता पार्टी के राज ने किया है। यह मुफ्तखोरी करवा करके किया है।

और दूसरी बात क्या हुई सभापति

(श्री भैरूंलाल भारद्वाज)

जी ? इन्होंने बड़ी लम्बी-चौड़ी डींग यह हांकी कि कांग्रेस वाले बहुत साल तक पंचायत राज के चुनाव नहीं करवा रहे हैं और यह चुनाव कराने के लिये मैदान में आये। पंचायतों के चुनाव हुए तो और तो जाने दीजिये जनता ने इनको इतना पसन्द किया कि माननीय मंत्री महोदय के गांव में ही पंचायत हार गई। एम. पी. के गांव में पंचायत हार गई, एम. एल. ए. के गांव में पचायत में हार गई, मंत्रियों के गांवों की पंचायतें हार गई। अगर इनकी खुद की भी पंचायत जीत जाती, मैं भूतपूर्व पंचायत मंत्रीजी से निवेदन करता हूं कि अगर इनकी खुद की पंचायत भी ये जीत लेते तो पंचायत के चुनाव कराने की हिम्मत नहीं करते। इनके तो मंत्रियों और मुख्य मंत्री, एम. एल. ए. और एम. पी. की पंचायतों में चौका लग गया तो घबराहट के मारे इन्होंने आगे चुनाव नहीं करवाये।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : सब धराशायी हो गये।

श्री दिग्विजय सिंह : मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूं कि पंचायतें कहीं हार गई, कहीं जीत गई लेकिन मैंने आपको बचा दिया।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : क्या किया आपने ?

श्री दिग्विजय सिंह : 6 साल के लिये अयोग्य घोषित हो जाते।

(व्यवधान)

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : जनता पार्टी ने एकदम अपने हाथ खींच लिये। तो इन्होंने इतना किया....

(व्यवधान)

श्री दिग्विजय सिंह : दामोदरजी व्यास ने इनके खिलाफ केस....

(व्यवधान)

मैंने तो इनको बचा दिया।

श्री सभापति : आपने भी अच्छा किया और इन्होंने भी अच्छा किया। बात संक्षेप में कर दें अब।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : माननीय सभापतिजी, जो बनी बनाई पंचायत राज संस्था थी आपने उन सबको तोड़-मरोड़ कर कोने में रख दी और मुफ्त का गेहूँ ला करके लुटा करके लोगों को भ्रष्ट कर दिया। लोगों में जो अपना काम खुद करने की आदत डाली थी, श्रम दान के जरिये लोगों में जन-जाग्रति पैदा की थी वह सब आपने खत्म कर दी।

श्री सभापति : अब कृपया संक्षिप्त में।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : मैं कहना चाहता हूं कि इनकी वजह से जो यह सारी

(श्री भैरूंलाल भारद्वाज)

गड़बड़िया हो रही है मेरा सुझाव यह है कि हम सख्ती से उस बेईमानी को और बदमाशी को रोकें। माननीय सभापति जी।

श्री सभापति : शार्ट।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : माननीय मंत्रीजी, जो बैठे हैं वे सम्बन्धित मंत्रीजी को बतायेंगे कि जिन लोगों की शिकायत जाँच होने के बाद मंत्रीजी के पास चली जाती है उसमें बिना किसी इधर-उधर के फोरन उनको सजा देनी चाहिये और जल्दी देनी चाहियें। जयपुर जिले के बहुत से मामले हैं। माननीय सदस्यगण यह बात कहते हैं कि आखिर बात क्या है। आखिर हम चोर को सजा नहीं देंगे और ईमानदार को प्रोत्साहित नहीं करेंगे तो, माननीय सभापतिजी, इस मामले में गड़बड़ झाला रहेगा। एक बात तो मैं यह कहना चाहता हूं और दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि हमको दुबारा पंचायत राज संस्थाओं को अधिकार के तौर पर आर्थिक व्यवस्था में मजबूत करना चाहिये और वह श्रमदान वाली व्यवस्था को दुबारा लागू करना चाहिये।

श्री सभापति : संक्षिप्त में कह दें।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : हम यह कहना चाहते हैं कि अतिक्रमण के मामलों में....

श्री सभापति : काफी अच्छी बातें कह दी लेकिन थोड़ा संक्षिप्त कर दें अब।

(व्यवधान)

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : अतिक्रमण मामलों में पंचायतें देखती रहती हैं और चरागाह पर अतिक्रमण होता है।

(व्यवधान)

आबादी में अतिक्रमण होता है, आम रास्ते पर, आम गैर मुमकिन तालाब पर अतिक्रमण होता है और पंचायत निरीह देखती रहती है। मैं यह चाहता हूं कि एस. डी. ओ. के द्वारा न होकर पंचायत को सीधा यह अधिकार होना चाहिये कि अगर उसने यह अतिक्रमण सरकारी भूमि पर किया है तो वह सीधे ही पुलिस को लिखें और पुलिस को पाबन्द किया जाना चाहिये कि उसको इत्तला होने पर अतिक्रमण हटाने में कोई प्रभावशाली भूमिका उसने अदा नहीं की तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जानी जायगी। वैसे राजस्व मंत्रीजी ने राजस्व अभियान के दौरान यह बात कही है ...

श्री सभापति : संक्षिप्त करें, माननीय सदस्य, अब।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : कि अतिक्रमण के लिये अब हम आइन्दा अधिकारी को दोषी मानेंगे। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि वह जो बात आपने कही है उसको लागू कीजिये ताकि पंचायतों में अतिक्रमण रोका जाय।

श्री सभापति : संक्षिप्त करने की चेष्टा करें, माननीय सदस्य।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : जहां तक ग्राम सभाओं को सशक्त करने का सवाल है, ग्राम सभा इसलिये सशक्त नहीं हो रही हैं कि हम पंचायतों को पूरी तरजीह नहीं दे रहे हैं। इसलिये हम सब विधायक महानुभावों को भी चाहिये कि ग्राम सभा में खुद जायं और ग्राम सभा के जरिये पंचायतों पर

श्री सभापति : काफी समय हो गया है, माननीय सदस्य।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : कुछ अंकुश भी रखें, यह जरूरी है कि ग्राम सभा को मजबूत किया जाय।

मैं जहां तक पंचायत समितियों का सवाल है, मैं एक आर्थिक सुझाव देना चाहता हूं सभापति महोदय, बार-बार यह बात आती है कि वित्तीय संकट है। वित्तीय संकट को हम कुछ प्रशासनिक व्यवस्थाओ को ठीक करके दूर सकते हैं। मैं यह कहता हूँ कि जैसे पहले हमने पंचायत समितियों में आर. ए. एस. आफिसर बी. डी. ओ. बनाया था तो आप उसमें कुछ मत कीजिये कुछ में गड़वड़ होती है क्योंकि कुछ में आप किसी पशुपालन वाले को लगाते हो, किसी में शिक्षा वाले को लगाते हो, किसी में किसी को लगाते हो, किसी में आर.ए.एस. को लगाते हो तो दिक्कत फैलती है। तो जैसे पहले हम जिस लाइन पर चले थे आर. ए. एस. आफिसर है वह बनेगा जो कम से कम दो साल बी. डी. ओ. रहेगा। आपके जो आई. ए. एस. आफिसर हैं वे सबके सब बी. डी. ओ. बने हुए हैं। आप उनकी कार्यप्रणाली को देखिये और जो नये आई. ई. एस. बने हैं, उनकी कार्यप्रणाली को देखिये, जो दो साल तक बी. डी. ओ. रह चुका है।

श्री सभापति : सुझाव बड़े मौलिक हैं आपके। जरा संक्षिप्त करें अब।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : इसलिये मैं एक तो यह कहना चाहता हूं कि...

(व्यवधान)

श्री सभापति : संक्षिप्त करें, अब।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : वह आफिसर बी. डी. ओ. बनाया जाय।

यह तहसील की जरूरत क्या है? तहसील की कोई जरूरत नहीं है। तहसील और निजामत को भंग करना चाहिये और तहसीलदार और नायब तहसीलदार रैन्क के आदमी को रेवेन्यू प्रसार अधिकारी के रूप में पंचायत समिति में बैठा देना चाहिये। एक रेवेन्यू प्रसार अधिकारी के तहत गिरदावर रहेगा...

(व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : और पटवारी पंचायत के नीचे रहेगा तो सारा काम चलता रहेगा। एक तो मेरा यह सुझाव है।

दूसरा, मैं यह कहना चाहता हूं कि वन विभाग जो उसके अन्तर्गत आता है यानि

(श्री भैरूंलाल भारद्वाज)

ब्लाक्स से सम्बन्धित छोटे-मोटे सारे विभाग पंचायत समिति को देने चाहिये ताकि वह मजबूत संस्था के रूप में काम कर सके। यह मेरा सुझाव है।

श्री सभापति : जरा शार्ट करके।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : एक-दो और हैं। निर्माण के कामों के मामले में केवल इस समय...

श्री सभापति : फोरकास्ट तो करें कि आप कितने मिनट और बोलना चाहते हैं ?

(व्यवधान)

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : इस समय केवल एक जे. ई. एन. है। मैं यह कहता हूं कि पंचायत समितियों में जे. ई. इन के बजाय ए. ई. एन की पोस्ट कायम की जानी चाहिये ताकि बड़े काम भी हाथ में लिये जा सकें।

(व्यवधान)

पंचायत समिति की मीटिंग बाकायदा बुलाकर हमको एक बार महीने में अवश्य करनी चाहिये जैसा कि पहले था। अधिक मीटिंग बुलायें तो उनकी मर्जी है लेकिन महीने में एक मीटिंग होनी चाहिये। जो जिला स्तर के अधिकारी हैं वह बिलकुल ही नही पहुँचते है, उन पर सख्ती से पाबन्दी होनी चाहिये कि पंचायत समितियों की मीटिंग में पहुँचना पड़ेगा और यदि कोई विशेष बात हो तो उस अधिकारी का सैकण्ड आफिसर वहां जरूर पहुँचे। क्योंकि इनके बिना बहुत से सवालों पर विचार नहीं हो पाता है। इसलिये महीने में एक मीटिंग होगी और उसमें जिला स्तर का अधिकारी पहुँचेगा, इस प्रकार की हमको व्यवस्था करनी चाहिये।

एक मैं पंचायत समितियों में जो सेवायें हैं उनके स्थानान्तरण के मौजूदा जो नियम बने हुए हैं उसमें निवेदन करूंगा कि आज किसी पंचायत समिति में किसी के बारे में मैं शिकायत हो तो वह उसको बदलवा नहीं सकता है दूसरी पंचायत समिति में जब तक कि दूसरी पंचायत समिति भी सहमति प्रदान न कर दें। आपस में दोनों की सहमति होती नहीं। इसलिये लोगों को पता है कि हम पंचायत समिति से बाहर नहीं जा सकते हैं तो खूब सर्विसेज में खुलकर मनमानी करते हैं। न प्रधान की माने, न बी. डी. ओ. की माने, हालत इतनी खराब है कि माननीय मंत्री महोदय कहें तो भी करते हैं। मैंने ऐसा किया है। पंचायत समिति और जिला परिषद के चयन आयोग ने भी कहा है कि हम नहीं कर सकते हैं, मंत्री कहें हम नहीं कर सकते हैं, कमिश्नर साहब कहें हम नहीं कर सकते हैं, तो यह क्या है आपकी व्यवस्था ? जब आप यह जानते हैं कि यह स्थानान्तरण होना चाहिये चाहे वह शिकायती हो और चाहे सिफारिशी हो, चाहे तो कोई दूर पड़ा है उसको लाना चाहते हो, चाहे कोई गलत काम करते हों उनको दूर भगाना चाहते हो, वह कानून में आपको संशोधन तुरन्त करना चाहिये।

श्री सभापति : अब समाप्त कर दीजिये, माननीय सदस्य।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : ताकि सरकार अपंग की तरह या पंगु की तरह नहीं कहे कि काम तो भाई हम क्या करें जब तक कि दोनों पंचायतें सहमत नहीं हो जाती है, कर नहीं सकते हैं। मेरा निवेदन है कि जिले की जो कमेटी बनी हुई हैं उसमें कलक्टर है, प्रमुख है जिसको डी. ई. सी. कहते हैं उसका चयन होता हैं और प्रान्तीय स्तर पर कमिश्नर होता है। मंत्री जी को अधिकार होना चाहिये कि वह अन्तर जिला स्थानान्तरण कर सकें। इसमें जो कमी है उसको हमको निकालना चाहिए।

श्री सभापति : समाप्त करें।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : जहां तक जिला परिषद का सवाल है, अब तक वह केवल एक नामीनल बाडी के रूप में काम कर रही है। मैं चाहता हूं कि वह भी एक काम की बाडी बननी चाहिए। जिला स्तरीय सारे कार्यक्रम निर्माण से संबंधित कम से कम जिला परिषद को दिये जाने चाहिए। माननीय सदस्य यह कहकर हाथ जोड़ते हैं, जैसा मैंने पहले ही कहा कि एक ही जिला परिषद नहीं बना सके 26 में से....

श्री सभापति : वह तो हाथ इसलिए जोड़ रहे हैं ज्यादा लम्बा नहीं चलना चाहिए। इसलिए हाथ जोड़ रहे हैं।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : तो ज्यों ही मैंने बात कही, हाथ जोड़ते हैं कि ऐसा मत कर देना। तो माननीय मित्रों, हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है। आप राजनीति में काम करते हैं। कोई बात नहीं, आपकी जिला परिषद हार गई तो आइन्दा अच्छी तैयारी कीजिए मगर आप जिला परिषद को ही, पंचायत समितियों को ही और पंचायत को ही कमजोर करने की बात कहें, यह उचित बात नहीं है। आप और हम वोट के जरिये राज में आये हैं। हमको वोट के जरिये उन लोगों को प्रोत्साहन देना चाहिए जिससे पंचायत समिति मजबूत हो। हम सभी...

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : आप सभी महानुभावों से मैं अपेक्षा करता हूं।

जहां तक जिला परिषद के सचिव का सवाल है बहुत अच्छा है कि कलक्टर को उसका सचिव बना दिया जाय।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : कटौती के प्रस्ताव की परिधि के बाहर बोल रहे हैं।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : माननीय सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं...

श्री सभापति : हां, इसके बाहर ही आये हैं।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : मैं, साहब, कोई आपकी तरह 3 पंचायत समिति के प्रधानों की शिकायत नहीं कर रहा हूं। मैं तो रचनात्मक सुझाव दे रहा हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि...

श्री सभापति : कृपया अपनी बात संक्षिप्त में कह दें थोड़ा।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : हां, संक्षेप में साहब। जिला परिषद के....

श्री सभापति : आप विद्वान आदमी हैं लम्बा भी बोल सकते हैं। संक्षिप्त में कह दें।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : जिला परिषद को पूरे जिले के निर्माण के कार्य की एक सशक्त बाडी बनाना चाहिए उसके अन्तर्गत यदि हो सके तो कलक्टर को उसका सचिव बनाना चाहिए। फिलहाल राज के गले नहीं उतरे तो किसी आई. ए. एस. आफिसर को उसका सचिव बनाना चाहिए। एक्स. ई. एन., पी. डब्ल्यू. डी., एक्स. ई. एन. सिंचाई विभाग। दूसरे प्रकार के निर्माण से सम्बन्धित जिला स्तरीय अधिकारी सब जिला परिषद के अधीन होने चाहिए ताकि निर्माण के कामों में सामजस्य हो सके और उनमें गति आ सके यह मेरा निवेदन है।

श्री सभापति : अब तो काफी हो गया मेरे ख्याल से।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : अब हो गया तो आप कह दोगे तो मैं तो बैठ जाऊंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। पर मेरा निवेदन पंचायत राज मंत्री जी से इतना ही है, पंचायत राज मंत्री महोदय, कि इस प्रजातंत्र के हम सभी लोग सदस्य हैं जिनकी जिम्मेदारी है कि इस देश में प्रजातंत्र मजबूत हो। यहां के प्रजातन्त्र में केवल हमको असेम्बली और पार्लियामेन्ट में वोट देकर अपने आप की इति श्री मान लेगा मतदाता यह बात संभव नहीं है। प्रजातन्त्र मजबूत तब होगा जब हम मतदाता को कुछ अधिकार और सुविधा देंगे, अधिकारों और प्रशासन का विकेन्द्रीकरण करेंगे।

श्री सभापति : धन्यवाद।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : ईमानदारी से यह बात तय कीजिए कि पंचायती राज में जो राजस्थान में सबसे ऊंची स्थिति रही शुरू से हो, जिसने शुरुआत की थी उसको हम और ऊंचा पहुंचायें और पंचायती राज को सशक्त बनायें, यह मेरा निवेदन है।

श्री सभापति : धन्यवाद। श्री माला राम।

(अनुपस्थित)

श्रीमति विद्या पाठक।

बस, अब इसके बाद मांग का ही आ रहा है समय।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : इसके बाद मंत्री महोदय का जवाब दिलवा दें।

श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर) : सभापति महोदय, देर बहुत हो गयी है मैं तो कुछ पाइन्ट में अपनी बात बताऊंगी। मैं एक तो यह कहना चाहती हूं माननीय सभापति महोदय, कि पंचायती राज में अधिकांश पंचायतें बहुत बड़ी हैं और अनमैनेजेबल हैं उनको छोटा किया जाना चाहिए। अधिकांशतः अनमैनेजेबल पंचायतों में ध्यान इस बात का रखा जाता है कि पर्टीकूलर जाति ही काम्बीनेशन बनाकर बैठ जायं। ऐसी लोगों की इच्छा भी होती है और वह मैनीपुलेट भी कर देते हैं।

(श्रीमती विद्या पाठक)

फिर मैंने ऐसा सुना है कि एम.एल.एज. के लिए कुछ ऐसा प्रोविजन किया है कि एक महीने में तीन दिन या 5 दिन पंचायत समिति की जीप और बी. डी. ओ. के साथ जहां वह उस क्षेत्र में टूर करना चाहें, कर सकते हैं। यदि यह हुआ है तो इसकी जानकारी एम. एल. एज. को पर्याप्त रूप से दी जानी चाहिए।

श्री सभापति : हां, मन्त्री महोदय जरूर देंगे अगर ऐसा कुछ होगा तो।

श्रीमती विद्या पाठक : तीसरी बात मैं यह कह रही थी कि पंचायत समिति में खरीद जो होती है फिजिकल ईयर खत्म हो जाता है मगर उसकी जो रसीदें और जो रजिस्टर्स होते हैं वह 31 मार्च के बाद भी बहुत दिन तक खाली रहते हैं। बैंक डेट में उनमें एन्ट्री होती रहती है, पर्चेजिंग होती रहती है। इस पर किसी तरह का नियंत्रण पंचायत समितियों पर नहीं है और मिली-भगत से बहुत गड़बड़ी होती है। विकास कार्यों के लिए अपने क्षेत्र में, अपने गांवों में विकास करवाने के लिये सरकार द्वारा जो उनके अपने सरपंच हैं उनको अनुदान देकर बाकी लोगों को वंचित रखने का यानि विरोधी पार्टी के सरपंचों को वंचित रखने का यह जो ट्रेन्ड बढ़ता चला जा रहा है, प्रजातंत्र के लिए घातक है।

रास्ता खोलने का काम सरपंचों को दिया गया है परन्तु वह इस काम को पूरा अंजाम नहीं दे रहे हैं और न दे सकते हैं क्योंकि गांवों में दो व्यक्ति जब लड़ते हैं तो वह उस डिस्प्यूट में पड़ना नहीं चाहते और अल्टीमेटली यह राजस्व विभाग को ही करने पड़ते हैं। इसलिए यह काम पंचायतों से विथड्रा कर लिया जाय तो अधिक प्रेक्टिकल रहेगा।

इसी तरह सरपंच लोग जमीन पर बजाय इसके कि रास्ता खुलवायें मालियावास पंचायत एक है, श्रीराम का नांगल पंचायत दूसरी है आप इसमें दिखवा दें वह लोग खुद ग्राम रास्तों पर एन्क्रोचमेन्ट कर रहे हैं, करवा रहे हैं और पक्के कन्सट्रक्शन्स करवा लिये हैं। पंचायतों के पास मलेरिया से सम्बन्धित कोई दवाई या दवा छिड़कवाने का प्रावधान नहीं होता।

(9.25 रात्रि)

(श्री गिरिराज प्रसाद तिवाड़ी, उपाध्यक्ष, पदासीन)

टी. एस. एस. जैसी अच्छी स्कीम, जिसमें अब तक लाखों रुपये, करोड़ों रुपये लग चुके हैं, को फेल करने का यदि एक-मात्र किसी पर आरोप हो सकता है तो वह पंचायतों पर हो सकते हैं। न उन्होंने उसके टैंक बनवाये हैं, न उसके बिल्स वह हर महीने देते हैं। रोड़ लाइट का बिल की भी यही स्थिति है। बिजली नहीं होती है सड़क अन्धकारमय रहती है। हैण्डपम्प सरपंचों के डिस्क्रिशन पर चलते हैं। प्राथमिकता उसमें बच्चों के स्कूल की भी होती है मगर अधिकांश स्कूल्स में हैण्ड पम्पस् हैं ही नहीं। हर सरपंच गांव के टुकड़े करके चलता है और वह एक पक्ष में होता है। उसका एक ग्रुप पक्ष में और

(श्रीमती विद्या पाठक)

दूसरा विपक्ष में होता है इसलिए विकास के कामों में भी वह इसी तरह दुभात करके चलता है। बांध जो पंचायतों के हैं, प्राथमिकता के आधार पर पशुधन के लिए और लोगों के लिए जो जल की व्यवस्था होनी चाहिये वह सरपंचों और पंचायतों की आखिरी प्राथमिकता होती है। मैं सोचती हूं कि प्राथमिकता सरकार निर्धारित करे, कौन-कौन सी प्राथमिकताओं को जनरली लिया जाना चाहिये। किसी पंचायत की विशेष परिस्थिति हों तो दूसरी बात है। प्रधान महोदय जब नये आते हैं तो बी.डी.ओ. से कन्फन्टेशन चालू होता है फिर कुछ टर्म्स और कन्डीशन्स तय हो जाती है और उनकी मिलीभगत से जो बर्बादी होती है पंचायत समिति की, इसका पक्ष यह इसका पक्ष यह हर पंचायत समिति में किसी न किसी रूप में हर केस में दिखेगा। माननीय मन्त्री महोदय, आप नोट करें, पिछले हफ्ते रामपुरा पंचायत, सांगानेर पंचायत समिति में उद्योग प्रसार अधिकारी का ट्रांसफर क्यों करना पड़ा। रामपुरा की एक अनुदेशिका की सर्विसेज टर्मिनेट यह कहकर की जा रही हैं कि इनने पर्टीकूलर ड्यूरेशन के लिए यह थी। पर क्या वास्तव में यही कहानी हैं या कुछ और गन्दी कहानी है। क्योंकि गांव में और इन्टिरियर में महिलायें जहां भी पोस्टेड हैं वहां उनका एक्सप्लायटेशन होता है। अधिकांशतः इसीलिए वह प्रिफर करती हैं कि रोड साइड पर हों और ऐसे बहुत से कारण हो सकते हैं पर यह भी एक कारण है।

जहां तक विकास कार्य सरपंचों और पंचायतों के माध्यम से होते हैं, कहीं काम पूरे नहीं हुए हैं। पैसे उठा लिये जाते हैं। विकास के लिए या कि गरीबी की रेखा से नीचे के चयनित लोगों को जो लोन दिलाया जाता है बैंक, वहां के प्रभावशाली व्यक्ति, सरपंच यह सब मिलकर अण्डर हैन्ड ले रहे हैं। कोई पंचायत इस आरोप से महरुम नहीं है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह पेड़ काटने का एक सिस्टेमेटिक कम्पेन पंचायतों में चल रहा है। पंचायत समिति जयसिंहपुरा, पीतरिया भांकरोटा खुर्द जहां कि बिजली विभाग ने पेड़ काटे हैं या कि लोगों ने जन सहयोग से धन एकत्रित किया है वह धन न पंचायत में जमा करवाया गया है, न बैंक में जमा कराया गया है और सरपंच महोदय उसका कहीं कोई हवाला भी नहीं दे सक रहे।

अब दो छोटे-छोटे केसेज साइट करके मैं अपनी बात तीन मिनट में खत्म कर दूंगी।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया, हां।

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी जिसकी कालीचरण जी सर्राफ बात कर रहे थे माननीय विधायक महोदय, मैं उसको बहुत छोटे पाइन्ट्स में बताना चाहती हूं। जयपुर जिले की लाखना पंचायत पर आरोप है। काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत सरपंच महोदय पर आरोप कैसे हैं? आरोप हैं

(श्रीमती विद्या पाठक)

विकास योजनाओं के लिए अवैधानिक तरीके से पंचायत की बैठकों को समय से पूरा नहीं करना।

पंचायतों की बैठक के समय, स्थान आदि के नियम नहीं मानना, फर्जी भुगतान उठाना, पंचायत कोष की दुरुपयोग, डबल हाजिरी, विद्यार्थी स्कूल में भी है और मस्टर रोल में भी हैं, डबल हाजिरियां करना, रिकार्ड में हेराफेरी, रिकार्ड को गायब कर देना सरकारी आदेशों की अवहेलना। इस तरह के लगभग 13 आरोप हैं। उसकी जांच किस-किस ने की ? 79 में आई.ए.एस. आफिसर धर्मसिंह मीणा ने, 81 में एस.डी.एम. ने, 84 में पंचायत इंस्पेक्टर ने। देखिये आप, एस.डी.एम. की जांच के बाद पंचायत इंस्टेक्टर की जांच हो रही है और उसके बाद विकास अधिकारी, तहसीलदार और चपरासी भी जांच करेंगे। तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उसके बाद 84 में इंस्पेक्टर ने उसकी जांच की। सभी ने सारे आरोप प्राइमाफेसी आन दी रिकार्ड सही पाये।

श्री शोपत सिंह : और सरपंच कायम है।

श्रीमती विद्या पाठक : सरपंच कायम है। तीन बार सस्पेंड हो चुका है और तीनों बार आदेश वापस ले लिए गये हैं। पुलिस को अपनी तरह से उस पर कार्यवाही के लिए लिखा हुआ है। तहसीलदार को जांच के लिए भेजा था, तहसीलदार ने कहा कि मेरे को रिकार्ड ही नहीं देते मैं जांच कैसे कर सकता हूं। मेरे को रिकार्ड ही नहीं देते। बी.डी.ओ. को कह रखा है, सरकार के आदेश हैं, बी.डी.ओ. को कलेक्टर का भी आदेश है कि इनको विकास के लिये कोई पैसा नहीं दिया जावे पर उसके बाद भी राज्य सरकार से प्राप्त धन राशि विकास के लिए उन्हीं सरपंच के माध्यम से सरकार के आदेशों की अवहेलना करके बी.डी.ओ. दे रहे हैं। तो यानि यह ऐसा रेकेट बना हुआ है, इसको हम रेकेट कह सकते हैं, जो सरकार को बदनामी दिलवाता है। इतना सब होने पर, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आखिर में राज्य सरकार ने आदेश नम्बर 5721 दिनांक 18–9–81 द्वारा सरपंच महोदय को निलम्बित कर दिया। आखिर करना ही था, इतना पैसा जो बाकी था। हाई कोर्ट में गये उसके खिलाफ वे सरपंच महोदय। हाई कोर्ट ने सारे केस को देखकर स्टे देने से मना कर दिया। उसके बाद उसी निलम्बन के आदेश को फिर सरकार ने कन्फर्म किया 26-2-84 को, पर यह आदेश आफिस से ही नहीं निकल पाया। इसके अतिरिक्त, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमने यह सोचा कि वर्तमान मन्त्री जी तो कुछ एग्जीलेरेटेड केपेबिलिटी के व्यक्ति हैं, कुछ करेंगे। उनके सामने केस पुट अप किया गया मगर आखिर उनको भी उसी रेकेट का शिकार होना था। 6–5–85 को उन्होंने आदेश दिये उसको निलम्बित करने के, 14–5–85 को वह आदेश पहुँचे विभाग को। 14 की सुबह को पहुंचे दोपहर को 12 बजे के करीब, तीन बजे वह फाइल ही वापस मंगा ली गई और उस निलम्बन पर स्टे कर दिया

(श्रीमती विद्या पाठक)

गया और वह स्थिति आज तक कायम है। फिर माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सरकार वही तो है 93 सरपंचों के केसेज भ्रष्टाचार के 81 टू 84 के हैं, मन्त्रीजी ने प्रश्न का उत्तर दिया है, वह चार साल तक केसेज पड़े रखे तब जाकर उनकी कबर्ड में से फाइलें निकल कर गई हैं। उस पर कोई कार्यवाही नहीं की और उन सरपंचों पर भी कोई कार्यवाही नहीं की गई। वर्तमान जो सरपंच महोदय की मैं बात कर रही हूं उनके लिए 9-9-83 को एफ.आई.आर. कलेक्टर ने दर्ज कराने के लिए लिखा।

श्री शोपत सिंह : उम्र क्या होगी उस सरपंच की ?

श्रीमती विद्या पाठक : 40-45 होगी। उससे क्या मतलब होता है अपने को। 9-9-83 को उन सरपंच महोदय के खिलाफ एफ.आई.आर. नम्बर 194 पुलिस में दर्ज हुई। पुलिस में कोई कार्यवाही नहीं हुई। इसलिए मैं कहती हूं कि यह भ्रष्टाचार को पब्लिक को कंजूम करवा देना चाहते हैं, खुद तो कंजूम कर ही रहे हैं। इसके अलावा इस उद्दण्डता को आश्रय देना चाहते हैं। किसी की प्राइवेट भूमि पर मकान बनवा लेना इन सरपंच महोदय की मामूली बात है। कल मन्त्री महोदय को मैं कह रही थी कि उनको कहां तक बचाओगे। यह तो विधान सभा हो गई, बाकी माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह केस लोकायुक्त को गया। लोकायुक्त महोदय ने कह दिया कि यह तो डिपार्टमेंट ही करेगा, हमारे करने का काम नहीं है। एण्टी करप्शन को भेजा, एन्टी करप्शन ने कागज मंगवाये, वे कागज नहीं भेजे गये। आखिर चाहते क्या हैं ? आखिर यह सरकार क्या चाहती है ? यह उदाहरण कायम करना चाहती है क्या ?

दूसरा केस कह कर, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त करना चाहती हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, डिडवाना लालसोट के पास है। वहां के सरपंच महोदय के लिए इसी जून के दूसरे सप्ताह में, कुछ महीनों पूर्व अतिरिक्त जिलाधीश और जिलाधीश महोदय ने आदेश दिये कि इस पर कार्यवाही करके एक सप्ताह के अन्दर उनको रिपोर्ट पेश की जावे। उसमें उन्होंने एक इंस्पेक्टर मोतीलाल को इसके लिए नियुक्त किया। वह जांच आज तक नहीं हुई। उस सरपंच महोदय पर आरोप क्या था ? उन्होंने कुछ पाटोल खरीदे पर आधे पैसों की पाटोल दी हुडको योजना के अन्तर्गत राशि में और बाकी पैसे अपने पास रख लिए यानि कितने लोग जो रेसीपियेंट होने थे उनके पैसे आज तक नहीं दिये। सहायक सचिव से मिलकर जो जमीन आबादी की थी, पंचायत की आबादी की जमीन थी उस पर अतिक्रमण करा दिया। काजी हाउस में जो बन्द पशु थे उनकी नीलामी की रकम तो उठा ली, रसीद उन लोगों को दी नहीं। रकम उठा ली और उस रकम को न पंचायत में जमा कराया, न बैंक में जमा कराया। इसके अतिरिक्त उनके रिश्वत लेने के बाबत कहूंगी। हुडको योजना में पास हुई राशि को ढाई सौ रुपया रिश्वत लेकर वे देते हैं।

(श्रीमती विद्या पाठक)

वह इन पर आरोप साबित हो चुका है। भवन निर्माण के कार्य में जन-सहयोग की न रसीद देते है, न पैसे का हिसाब हैं। निर्माण के वास्ते पट्टे जारी करने में रिश्वत, स्कूल भवन के निर्माण कार्य में मजदूरों को,ऊंट गाड़ी वालों को पैसा नहीं देना और कांजी हाउस में पशुओं की चराई और जुर्माना वसूली आदि की किसी को रसीद नहीं देते। यानि पब्लिक मनी में बंगलिंग करने का आरोप इन पर है। तो इस तरह से सरपंचों को प्रश्रय ये देते हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय। तो कहां तो पंचायत राज, कहां उसके सिद्धान्त और उद्देश्यों की बात हम करें। ऐसी स्थिति में मैं तो यही कहूंगी, माननीय मन्त्री महोदय, इसको क्लीन करने की बहुत ज्यादा जरूरत है और वह अगर आप नहीं कर सकते तो बहुत कम लोग कर पायेंगे। इसलिए आप इस चेलेंज को टेक अप करिये। यह बहुत जरूरी है। हरेक का गोड फादर बैठा हुआ है कहीं न कहीं, विशेष तोर पर ऐसे भ्रष्ट लोगों का। अगर उनका प्रेशर आप सस्टेन कर सकते हैं तो आप कर पायेंगे, नहीं तो भगवान ही मालिक है।

श्री उपाध्यक्ष : वाद विवाद समाप्त किया जाता है। माननीय मन्त्री।

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह : पहले जिनकी मांग है उनका उत्तर दिलवायें।

श्रीमती कमला (स्वायत्त शासन मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नगरपालिकाओं के सम्बन्ध का बहुत छोटा सा मुद्दा है इसलिए पहले मैं उसको अपनी बात कह देती हूं, उसके बाद बड़े मुद्दे वाले मन्त्रीजी आपके सामने अपनी बात कहेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : मांग संख्या 41 और मांग नम्बर 49।

श्रीमती कमला : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नगरपालिकाओं के सम्बन्ध में सबसे बड़ी बात तो यह है कि चुनाव जल्दी से जल्दी नगरपालिकाओं के करवाये जावें। जैसा सभी सदस्य महानुभावों को मालूम है कि मुख्य मन्त्री महोदय ने घोषणा की है कि दिसम्बर के अन्दर नगरपालिकाओं के चुनाव कराये जायेंगे। उसके सन्दर्भ में विभाग की तरफ से इलेक्शन डिपार्टमेंट की तरफ से तैयारी की गई है और बहुत सी नगरपालिकाओं के वार्डों के निर्धारण का काम भी किया हुआ है।

दूसरा जो बड़ा मुद्दा है नगरपालिकाओं के सम्बन्ध का, वह यह है कि नगरपालिकाओं के विकास के लिए कोई भी मद नहीं है और अगर है तो बहुत छोटी-छोटी योजनाओं में बहुत छोटे-छोटे प्रावधान हैं। इसलिये नगरपालिका कर्मचारियों के भुगतान के सम्बन्ध का, विकास के सम्बन्ध का, पानी का, सफाई का, बिजली का जितना भी विकास करना चाहते हैं, जितना जरूरी है वह नहीं हो पाता। इसलिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि एक सवाल के जवाब में मैंने पहले भी बताया था कि विभाग की तरफ से एक

(श्रीमती कमला)

नगरपालिका वित्त निगम की स्थापना के लिए प्रस्ताव बनाये गये हैं जिसमें 49 परसेन्ट शेयर नगरपालिकाओं के और 51 परसेन्ट गवर्नमेंट के होंगे। इस राशि से नगरपालिका क्षेत्रों में विकास के कार्य के लिए प्रावधान किया जाना है। वह अभी प्रारम्भिक अवस्था में है और वह चाहते हैं कि उसका अगर गठन हो जावे तो बहुत बड़ा एक काम विकास की तरफ नगरपालिकाओं में हो सकता है। अभी भी जो योजनायें हैं उनके माध्यम से चेष्टा यह की जा रही हैं कि नगरपालिकाओं में अनुदान के माध्यम से, कुछ ऋण के माध्यम से, कुछ गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया की स्कीम्स के माध्यम से, कुछ राज्य सरकार की स्कीम्स के माध्यम से उनको जो अनुदान दिया जाता है या पैसा दिया जाता है उनसे कुछ विकास के काम हो सकें, कुछ उनके पर्यावरण सुधार के तहत काम हो सकें, कुछ सूखी लैट्रिन्स हैं उनको फ्लश लेट्रीन में परिवर्तित करने का काम हो सके। इसी प्रकार कुछ मकानात वगैरह का यह सारा काम इन योजनाओं के माध्यम से किया जाता है। लेकिन यह रकम प्रतिवर्ष हर बजट से इतनी कम होती है कि नगरपालिका की जितनी बड़ी समस्यायें हैं, उसके मुताबिक यह रकम छोटी है। इस रकम के मुकाबले में अगर यह निगम बनता है तो ही जाकर के इसका बहुत बड़ा काम सम्भव हो सकता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कुछ माननीय सदस्यों ने यह बात भी कही कि नगरपालिका जो मौजूदा व्यवस्था है, अधिनियम हैं, इसकी जो कार्य करने की पद्धति है उसमें आमूल-चूल परिवर्तन होना चाहिये।

नागौर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा कि इसके बारे उन्होंने कोई समिति बैठा कर कुछ अध्ययन किया, कुछ चर्चा भी की। जितनी भी उस वक्त में इस बाबत में चर्चा की गई और जो सुझाव दिये गये थे उन सब का विश्लेषण करके तैयार करके उसके मुताबिक संशोधन करने के लिये प्रस्ताव बना दिये गये हैं, अब उनके ऊपर विचार करके उनको अंतिम रूप दिया जाना शेष है।

इसके अलावा आपने यह भी निवेदन किया, मनोरंजन कर अधिनियम काफी वर्षों पहले बनाया गया है। उस वक्त जिन नगरपालिकाओं से जितना ड्यू था उतना लेकर बाकी उनको दिया जाता था। अब विचार यह चल रहा है कि हरेक नगरपालिका क्षेत्र में जो मनोरंजन कर से पैसा आता है वह नगरपालिका के उपयोग में आ सके। इसके लिए चर्चा चल रही है, विचाराधीन है। इसका अंतिम निर्णय होने पर आप जैसा सोचते हैं उसके मुताबिक कार्यवाही की जा सकेगी। जैसा मैंने पूर्व में सवाल के जवाब में भी कहा था, पांच रुपये से दस रुपये प्रति व्यक्ति अनुदान के रूप में नगरपालिका को करना चाहते हैं। इसके प्रस्ताव बनाकर वित्त विभाग को भेजे भी जा चुके हैं। उम्मीद यह है कि वह इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर सके अपनी सीमाओं के अन्तर्गत, तो हम इसको जल्दी कर पायेंगे।

जहां तक चुंगी कर की विसंगति का

(श्रीमती कमला)

सवाल है, इस बारे में भी मैंने पहले बताया था, यह विसंगतियां दरअसल में नगरपालिका और लोगों के लिये काफी कष्टदायक हैं। इन सब का विश्लेषण करके एक मसविदा तैयार करके उसको जल्दी से जल्दी लागू करने के लिये प्रस्ताव किये जा रहे हैं। मैं समझती हूं आने वाले कुछ महीनों के अन्दर इसको हम कर पायेंगे।

जोधपुर नगर परिषद के बाबत मैं माननीय सदस्य ने मीटिंग न होने के बाबत, बजट पारित न करने के बाबत जो शिकायत की, बजट पारित हो गया लेकिन यह बात जरूर है नियमित समय से बैठक भी होनी चाहिये और नियमित समय से बजट भी पारित होना चाहिये। दरअसल में, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पंचायत राज के पास में तो फिर इतना स्टाफ और इतना प्रशासनिक अमला है कि वह उसको देखरेख करने की क्षमता में है लेकिन इस स्वायत शासन संस्था विभाग के पास में आम तौर पर सामान्यतः अपने सारे विभाग की देखरेख करने के लिये, जांच करने के लिये, उनकी रिपोर्ट्स लेने के लिये, उस पर कार्यवाही करने के लिये स्टाफ की बहुत कमी है। इसलिये भी लगता है जैसे नगरपालिकाओं को कोई देखने वाला नहीं है और काफी कुछ घपले उसके अन्दर रहते हैं।

जहाजपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, वहां पर काफी गड़बड़–घोटाले थे उसकी जांचकी गई है उस पर कार्यवाही भी की जायगी। इस सिलसिले में एक माननीय सदस्य ने यह भी कहा, मनोहरपुर में जो नगरपालिका है उसका काम बहुत अच्छा हो रहा है लेकिन माननीय मंत्री महोदया उसके अन्दर दखल देकर उसमें गड़बड़ कराना चाहती है। उनको शायद जानकारी नहीं है कि इस नगरपालिका की दो-दो बार विभाग द्वारा जांच करवायी गई है। आम पब्लिक के अन्दर बैठ कर जांच हुई है। रिकार्ड से साबित है। उसके बाद कोशिश यह हो रही है जितने रिकार्डेड सबूत प्राइमाफेसी साबूत हुए हैं उन सब को दबा दिया जाय और उनके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं हो। तो उल्टी गंगा बह रही है। वह मुझे एलेज कर रहे हैं, स्थिति कुछ दूसरी है। इसलिये वह जानकारी करके इस बात को कहने की चेष्टा करें तो ज्यादा अच्छा है।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने यह कहा था कि वहां पर एक नगरपालिका के सदस्य के खिलाफ जांच हुई। जांच में यह कहा गया कि ...

श्रीमती कमला : वह भी बता रही हूं। आप बीच में क्यों बोल रहे हैं।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : उनको निलम्बित किया गया है और उनको आप प्रोटेक्ट कर रही हैं।

श्रीमती कमला : हां, वह भी मैं बताती हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने जो बात कही वह भी अधूरी जानकारी की है। जिन अध्यक्ष महोदय के खिलाफ इतनी खुली और दो-दो बार रिकार्डेड जांच हुई है और गबन घोटाले पाये गये हैं उन्होंने अपने

(श्रीमती कमला)

आपको बचाने की तो खूब कोशिश की और वह बच भी शायद रहे हैं, उन्होंने जाते जाते कोशिश की कि मैं एक सदस्य को और फंसा लूं। न तो पहली जांच हुई, न दूसरी हुई, न तीसरी जांच हुई, कोई भी नहीं हुई। अंतिम जांच रिपोर्ट भेज कर, जिस दिन उसकी सुनवाई होनी थी उसके दो दिन पहले जांच रिपोर्ट भेजी तामील करने के लिये....

श्री हरिशंकर भाभड़ा : उन्होंने नहीं आपने।

श्रीमती कमला : सुनिये, सुनिये। मेरी बात सुनिये।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : आपके विभाग के यहां की जांच कमेटी ने भेजी।

श्रीमती कमला : हां हां, मैं कह रही हूँ न। आप तसल्ली रखिये। 28 तारीख को।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : आप अपने किसी सदस्य को बचाना चाहती हैं उसके बारे में बताइये।

श्रीमती कमला : अजी हां उसी की बता रही हूँ, आप क्यों इतने उतावले हो रहे हैं।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : आपने कहा जोधपुर नगर परिषद में गड़बड़ हो रही है, आपके पास स्टाफ नहीं हैं और बाकी जगह आप लोगों को सुपरसीड कर रही हैं।

श्रीमती कमला : आप विराजिये।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : आपने...

(व्यवधान)

चेयरमैन को निलम्बित कर दिया।

श्रीमती कमला : जब आपको मालूम नहीं है तो बीच में इन्ट्रप्ट मत करिये। विराजिये। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इनको बैठने के लिये कहें।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : उसके लिये तो आपके पास समय है। जो गड़बड़ी आपके यहां नगरपालिका कर रही है उसके लिये स्टाफ नहीं है आपके पास।

श्रीमती कमला : अजी गड़बड़ी आप कर रहे हो कि मैं कर रही हूं।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : आप मंत्री हैं इसलिये...

श्रीमती कमला : हां मंत्री हूं।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : इसलिये आपके पास जानकारी ज्यादा है।

श्रीमती कमला : मंत्री हूं तो, जो है ना, गड़बड़ घोटाला करने के लिये नहीं हूं।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्या : लेकिन आप सुनिये।......

(एक माननीय सदस्य)

नहीं हैXXX बोलने का।

(व्यवधान)

श्री हरिशंकर भाभड़ा : यह आपका क्षेत्र है इसका मतलब यह नहीं है कि आप मनमानी करें।

एक माननीय सदस्या : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह आसन की तरफ नहीं मुखातिब हो रहे हैं माननीय सदस्य।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : यहां आप खड़ी होकर सफाई लगायें और यह बतायें कि आप ईमानदार हैं। उस सदस्य को निलम्बित क्यों नहीं किया ? मुझे बताइये, उस सदस्य को निलम्बित क्यों नहीं किया आपने ?

(व्यवधान)

उसको निलम्बित करने के लिये आपके विभाग ने जब कहा है कि उसको निलम्बित किया जाना चाहिये।

श्रीमती कमला : अजी सुनने की चेष्टा करें।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : उसको निलम्बित नहीं कर रही हैं।

श्रीमती कमला : आप कहने के लिये सदस्य बने हैं या सुनने के लिये भी हैं।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, इससे साफ है कि मंत्री महोदय...

श्रीमती कमला : इससे साफ है कि आप सुनना नहीं चाहते हैं।

श्री हरिशंकर भाभड़ा व्यक्तिगत रुचि ले रही हैं।

श्रीमती कमला : आप गलत बात कहते हैं, जवाब नहीं सुनना चाहते। जवाब सुनिये जवाब सुनिये, जवाब सुनिये।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : इसका जवाब दीजिये।

श्रीमती कमला : हां, जवाब सुनियें।

एक माननीय सदस्य : जवाब सुनिय तो सही आप।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

एक माननीय सदस्य : तसल्ली से सुनिये फिर प्रश्न कर लेना आप।

एक माननीय सदस्या : आप बिल्कुल सुनते नहीं हैं। इस तरह से रोज करेंगे कब तक बात चलेगी।

श्रीमती कमला : मंत्री होने का मतलब यह नहीं है कि कोई भी सदस्य बिना जानकारी के मनमान ढंग से मंत्री के ऊपर गलत आरोप लगाने का अधिकार रखता है। यह कतई इसका अर्थ नहीं है। आप सुनने की चेष्टा करो।

XXX शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्रीमती कमला)

(व्यवधान)

अजी मैं दे रही हूं जवाब। आप बैठिये ना।

हां हां, अजी विराजिये। जवाब दे रही हूं।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : मैंने तो रिपोर्ट पढ़ कर सुनायी है...

श्रीमती कमला : इतना ही माद्दा क्या आपका ?

श्री हरिशंकर भाभड़ा : आपके विभाग की, आप उसका जवाब दीजिये।

श्रीमती कमला : आपका इतना ही माद्दा है कि सुन ही नहीं सकते।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : आप मंत्री हैं इसका मतलब यह नहीं है कि...

(व्यवधान)

श्रीमती कमला : आपका इतना ही माद्दा है कि आप सुन नहीं सकते।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : आप भी मेम्बर हैं।

श्रीमती कमला : आपमें इतनी क्षमता नहीं कि आप सुनें।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : आज मंत्री हैं कल मेम्बर की तरह बैठेंगी आप।

श्रीमती कमला : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बैठाइये।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : यह घमंड मत करिये कि आप मंत्री हैं...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : और इसलिये आप जो कह देंगी वह खुदा ने कह दिया।

श्रीमती कमला : मंत्री नहीं होऊं, सदस्य भी हूं मैं तो भी कह सकती हूं।

(व्यवधान)

श्री हरिशंकर भाभड़ा : इस सदन के सभी सदस्य बराबर हैं। आप अपनी बात का जवाब दीजिये।

(व्यवधान)

आप समझ क्या रही हैं ?

आप तैश में क्यों आ रही हैं ? आप तेश में क्यों आ रही है इतना।

श्री जयकृष्ण तोसावड़ा : आप सुनने की बर्दाश्त तो रखें।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : मंत्रियों से पहले मेम्बर की ज्यादा है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, एक निवेदन करूं, नियमों के अनुसार यह है कि जब आपको शंका समाधान करना हो तो पहले....

श्री हरिशंकर भाभड़ा : मेरा पाइन्ट आफ आर्डर है।

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

(व्यवधान)

मेरा पाइन्ट ग्राफ ग्रार्डर सुनिये ? क्या इस सदन के सदस्यों के जो प्रिविलेज हैं...

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह : XXX बैठ जाग्रो ।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : पाइन्ट ग्राफ ग्रार्डर है सबसे पहले ।

श्री जयकृष्ण तोसावड़ा : बीच में बोलना शुरू कर दिया ।

एक माननीय सदस्य : मैं पाइन्ट ग्राफ ग्रार्डर काल कर रहा हूं उनके पहले ।

(व्यवधान)

श्री जयकृष्ण तोसावड़ा : येXXX कर रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री हरिशंकर भाभड़ा : मेरा पाइन्ट आफ ग्रार्डर है ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : ग्रापका पाइन्ट ग्राफ ग्रार्डर है ग्रौर मेरा पाइन्ट यह है कि जब मंत्री बोल लें, उसके बोलने के बाद भी उठाया जा सकता है...

(व्यवधान)

मेरा पाइन्ट यह है नियमों के ग्रनुसार मंत्री स्टेटमेंट दे दें उसके बाद शंका की जा सकती है ।

(व्यवधान)

श्री हरिशंकर भाभड़ा : पाइन्ट ग्राफ ग्रार्डर करेंट सब्जेक्ट पर होता है । करेंट विषय पर पाइन्ट ग्राफ ग्रार्डर होता है ग्रौर मैं ग्रापसे यह पूछना चाहता हूं कि मन्त्री महोदय....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मेरे पाइन्ट को ग्राप समझिये । मेरा पाइन्ट यह है, नियमों के ग्रनुसार....

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : ग्रध्यक्ष महोदय, पहले व्यवस्था दीजिये ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : दे देगा उसके बाद में शंका समाधान किया जा सकता है ।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : व्यवस्था दीजिये ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मेरा पाइन्ट यह है इसको ग्राप समझिये ।

XXX शब्द/ग्रभिव्यक्ति माननीय ग्रध्यक्ष के ग्रादेशानुसार ग्रपलोपित की गई ।

(व्यवधान)

श्री जयकृष्ण तोसावड़ा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बड़े दुःख की बात है माननीय सदस्य अपने आपको पार्टी का लीडर मानते हैं और इनका माद्दा ही नहीं है, हिम्मत ही नहीं है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

श्री हरिशंकर भाभड़ा : मेरा पाइन्ट आफ आर्डर है।

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि पहले मेरे पाइन्ट का जवाब दीजिये। नियम यह है कि मन्त्री स्टेटमेंट देगा, मन्त्री के स्टेटमेंट देने के बाद में कोई व्यवस्था होगी।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : मेरा पाइन्ट आफ आर्डर यह है कि यह मन्त्री बोल नहीं सकती हैं, आप सुनिये पहले मेरा यही पाइन्ट आफ आर्डर है।

श्री उपाध्यक्ष : यह परसों भी प्रश्न आ चुका है और······

(व्यवधान)

श्री हरिशंकर भाभड़ा : अनुदान की मांग जिस मन्त्री ने रखी है वही उसका जवाब दे सकता है, यह मेरा पाइन्ट आफ आर्डर है। इस पर आप व्यवस्था दीजिये।

(व्यवधान)

श्री बी.डी. कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, कोई भी मन्त्री जवाब दे सकता है अनुदान की मांग के बारे में।

(व्यवधान)

श्री जयकृष्ण तोसावड़ा : पहले मन्त्री महोदय उत्तर दे दें उसके बाद प्रश्न कीजिए। पहले तो आप नियम सीख कर आइये।

(व्यवधान)

श्रीमती कमला : उपाध्यक्ष महोदय, इस मांग के अन्दर स्वायत्तशासी संस्थायें सम्मिलित हैं। इसमें पंचायती राज भी है और नगरपालिकायें भी है इसलिए पंचायती राज के हिस्से का वे जवाब देंगे। इसमें कहीं कोई गलत परम्परा नहीं है।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : मांग किसने रखी ?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मैं समझ गया, माननीय सदस्य। पहले तो निवेदन करूंगा कि मेरे पाइन्ट का जवाब दे दें कि जब मन्त्री बोल रहा है तो बीच में शंका समाधान हो सकता है क्या ?

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह : मन्त्री ने जवाब दिया ही नहीं। पाइन्ट यही है जिसने मांग रखी है वही जवाब देंगे।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : यह कोई तरीका होता है। जवाब सुनिये शान्ति से।

श्रीमती कमला : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो मुझ पर आरोप लगाये कि मन्त्री महोदय किसी नगरपालिका के सदस्य को बचाने में लगी हुई हैं, तो इस बात को भी सुन लीजिये...

(व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : पाइन्ट आफ आर्डर का क्या हुआ ?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : पाइन्ट आफ आर्डर उठाया जाय उस पर भी माननीय सदस्य कह सकते हैं।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : मेरा पाइन्ट आफ आर्डर आप समझे नहीं।

(व्यवधान)

श्रीमती कमला : यह मांग दोनों महकमों की सम्मिलित मांग है।

(व्यवधान)

जिसमें पंचायती राज संस्थायें भी हैं और नगरपालिका भी हैं इसलिए नगरपालिका का जो हिस्सा है उसका जवाब मैं दे रही हूं और पंचायती राज के हिस्से का जवाब माननीय मन्त्री जी देंगे। इसमें व्यवस्था का सवाल कहां आया ?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मैं अपना भी कोई फैसला दे दूं। माननीय सदस्य को मैं कहना चाहता हूं शायद जो मांग संख्या 49 है उसमें माननीय सदस्य पूछ चुके हैं कि उसमें क्या-क्या इन्क्लूड है। उसमें स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि मांग संख्या 49 में म्यूनिसिपेलिटीज की जनरल ग्रान्ट शमिल है जिसमें पर हैड और दूसरे स्पेशल ग्रांट है। यह भी पर ईयर के हिसाब से दी जाती है। तीसरा पर्यावरण का उनको दिया जाता है। चौथा लो कोस्ट लैट्रीन्स और पांचवां सार्वजनिक नल वगैरह यह चीजें हैं, इसका जवाब वह दे रही हैं। सामूहिक जिम्मेदारी मन्त्रिमण्डल की रहती है इसलिए इसमें कोई भी गलत नहीं है। कोई भी मन्त्री जवाब दे सकता है किसी का भी।

(व्यवधान)

माँग संख्या 41 पर सामुदायिक मन्त्री जी देंगे, इसलिए इसमें कोई गलती नहीं है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : उन्होंने मूव नहीं किया था माँग को, गलती तो यही है।

श्रीमती कमला : अब कोई आधी-आधी थोड़े ही मूव करेंगे। आधी वह मूव करेंगे, आधी मैं करूंगी ?

श्री बी.डी. कल्ला : आप पाँच साल सदन में नहीं आई तो सदन की बात भूल गईं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मैं निवेदन कर रही हूं......

श्री उपाध्यक्ष : अब आप दोनों को अच्छा नहीं लगेगा। दोनों को डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं लगेगा।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मैं यह निवेदन कर रही हूं कि वह यहाँ मौजूद थीं, माँग पेश नहीं की थी उन्होंने और इस सदन की परम्परा रही है......

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैंने व्यवस्था दे दी और आसन की व्यवस्था को माना जाय। माननीय सदस्य, व्यवस्था हो चुकी है।

श्रीमती कमला : मैं आपको याद दिलाना चाहती हूं कि जब कोई मन्त्री माँग प्रस्तुत करने को होते है तो दूसरे मन्त्री जी प्रस्तुत कर देते हैं लेकिन जवाब वही मन्त्री देता है। इसमें कोई नई बात नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : यह अपने हाउस की कन्वेन्शन और नियम भी है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप नई प्रिसीडेंस कायम कर रहे है।

श्रीमती कमला : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने नगरपालिका के सदस्य को बचाने की चर्चा की है उसके बारे में कहना चाहूंगी कि उनको शायद जानकारी नहीं है उस माननीय सदस्य को 28 तारीख को अन्तिम नोटिस देकर जवाब के लिए हाजिर किया। उस अन्तिम नोटिस के पहले न पहला, न दूसरा, न तीसरा, न चौथा, न गांव में जाकर जांच कराई, न यहां पर कोई जांच को न किसी अधिकारी ने कोई रिपोर्ट दी। उसको बिना रिपोर्ट दिये, बिना हाजिर हुये, बिना जांच किये फर्जी कारणों पर सस्पेन्ड करने की कार्यवाही की विभाग ने तैयारी की। यह मैंने इसलिये कहा कि आप यह कुलड़ी में गुड़ फोड़ने का काम क्यों करते हो। आप पब्लिक में जाकर जांच कराइये और जांच के अन्दर दोषी पाया जाय तो सजा दिलवाइये। इसके अलावा कुछ भी बचाने की कार्यवाही नहीं की है। आपको शायद किसी ने गलत सूचना दी है।

(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : विभाग को आप गलत कह रही हैं।

श्रीमती कमला : मैंने कोई कोई गलती की कि कह दिया पब्लिक में जाकर जांच करो, गुपचुप मत करो। आप तो कहते हैं कि चित भी मेरी और पुट भी मेरी। यह कौनसी बात है, भई ?

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अन्त में इतना ही निवेदन करना चाहती हूं कि नगरपालिकाओं के अधिनियम की बाबत में, उसके नियमों की बाबत, चुंगी दरों की बाबत, विकास फण्ड को बडा बनाया जाय इस बाबत और स्वायत्त शासन विभाग के पास कुछ और अधिकारी लगें जिससे यह इतनी बड़ी महत्वपूर्ण संस्थायें हैं उनकी देखभाल और विकास का काम अच्छे ढंग से चल सके इसके बारे में सरकार में काफी जागरूकता से विचार चल रहा है। बहुत से मुद्दे हैं, जैसे नगरपालिका के चुनाव बहुत वर्षों से नहीं हो रहे हैं वह दिसम्बर माह तक होंगे तो इसमें नया जीवन आयेगा और नये ढंग से काम करना शुरू करेंगी।

श्री उपाध्यक्ष : मांग संख्या 41, मन्त्री महोदय।

माननीय सामुदायिक विकास मन्त्री मांग संख्या 41 का।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : धीमी गति के समाचार।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी (पंचायत मन्त्री) : आप तो यह मुझे बता दो कि 15 मिनट बैठ तो सकोगे, बगैर खड़े हुए।

श्री उपाध्यक्ष : यदुनाथ सिंह जी को जल्दी हो रही है।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : वही अर्ज कर रहा हूं, साहब। आप भी उनको पहचानते हैं और मैं थोड़ा बहुत पहचानता हूं।

(व्यवधान)

घनश्यामजी, अगर आप टाइम का कह दो तो......

उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ही अपना गौरव समझता हूं कि यह विभाग मुझे मुख्य मन्त्रीजी ने दिया।

श्री यदुनाथ सिंह : ज्यादा नहीं रहेगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : और आज की डिबेट के बाद मैं अपने आपको और भी ज्यादा एजूकेटेड मानता हूं। सन् 59 की दो अक्टूबर के शुभारम्भ के बाद जितने भी आपके उतार-चढ़ाव इस पंचायत राज में हुये हैं, कुछ अच्छे हुये, कुछ बुरे हुए और साथ ही साथ जितनी भी कमेटियों ने अपने सुझाव दिये जिनके बारे में कुछ मेन्शन भी जरा डिबेट में हुआ कि यह मिक्स्ड सक्सेस रही है, ड्रा-बैक्स की भी चर्चा हुई और साथ साथ यह भी मानने में आया और माना गया कि ब्यूरोक्रेसी भी इस शुरूआत के बाद ग्रास रूट से कभी कोई परिचित नहीं हुई। आज डिबेट के बाद में कुछ जो सुझाव आये, जो कुछ बिन्दु उठे और जो वेरी ओपिनियन आई, उपाध्यक्ष महोदय, इससे वास्तव में एक निर्णय पर मैं पहुंचता हूं कि आज की तारीख में भी बहुत जरूरी है कि अपन बैठ कर यह तय कर लें कि आखिर एक सिम्पल ग्रास रूट की संस्था, जो कि पीढ़ियों से आ रही है, प्राचीन काल से आ रही है, अपन ने इतना काम्पलीकेटेड कर दिया कि पुनर्विचार की आवश्यकता है।

आज आप देखिये, सिम्पल सी चीज है, एक सीधी लाइन ड्रा करना। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा ख्याल है जो सदस्यगण विराजमान हैं, बहुत कम अपन होंगे जो कि एक स्ट्रेट लाइन बगैर स्केल के ड्रा कर सकें। पांच जनों की पंचायत बैठकर निर्णय लेती थी। गांवों में पंचायत के अ. बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दों पर निर्णय होते थे। आज शिक्षा का विषय ले लीजिये आप, 18-19 सदस्यगण ने अपने विचार यहां पर प्रस्तुत किये, कम से कम 250-300 कटौती प्रस्ताव आये। कुछ ने फरमाया कि साहब, आपने अभी तक मिडिल स्कूल ट्रान्सफर नहीं किये। जैसे उदयपुर के प्रमुखजी, 'शानसिंह जी ने फरमाया कि जो

(श्री नरेन्द्र सिंह भाटी)

निर्णय लिया गया था 82 में उसके मुताबिक वे ट्रान्सफर क्यों नहीं हुये। कुछ सदस्यगण इस विचार के भी थे जिन दो-तीन को तो अथोरिटी मानता है पंचायत राज पर, जैसे ताम्बीजी ने फरमाया कि प्राथमिक शिक्षा भी वापस शिक्षा विभाग को चली जानी चाहिये। सुमित्राजी बहुत मग्न होकर अभी कुछ पढ़ रही होंगी, शिक्षा के बारे में उन्होंने भी अपनी दोहती का जिक्र किया। झुंझुनू का तो वास्तव में मेरा जो ढाई तीन, चार महीनों में अनुभव हुआ है विभाग को प्राप्त करने के बाद में, पंचायत राज के बारे में, उपाध्यक्ष महोदय, वहां की तो लीला ही और है। आप देखिये, सदन में भी लीला सामने हाजिर हुई कि जैसे ही सुमित्राजी ने फरमाया बीच में कम से कम दूसरे 10-15 जने और थे जिनके आपने नाम पुकारें लेकिन डिबेट की उनके बाद वापस शुरूआत हुई सुन्दरलालजी से It is one helm of poems.

तो अर्ज करने का मतलब यह है, उपाध्यक्ष महोदय, ज्यादा विस्तार में तो नहीं जाऊंगा।

(व्यवधान)

अगर शोपत सिंहजी फरमा दें कि जावो तो मैं जरूर जाऊंगा......

श्री शोपत सिंह : बोलो अभी रोटियां खाई हैं, भोजन कर लिया है।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो 200-250 कट मोशन्स आये, इनमें कोई 7-8 पाइन्ट थे जिन पर करीब करीब ज्यादा चर्चा हुई। पहले तो मैं उन्हीं को जनरली ले लूं।

कुछ सरपंचों के बारे में यहा जिक्र हुआ। मैं सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि बोनाफाइड मिस्टेक तो गवर्नमेंट टालरेट कर सकती है लेकिन मैलाफाइड इन्टेशन से अगर कोई इरेग्युलेरिटीज हुई, उपाध्यक्ष महोदय, तो वे सरपंच लोग तो बख्शे नहीं जायेंगे। यह मेरे साथियों ने अभी यहां फरमाया है, माननीय भारद्वाज जी ने इसका जिक्र किया और उधर से सराफ साहब ने और माननीया विद्याजी ने इसका जिक्र किया उसमें मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि......

श्री शोपत सिंह : टूटू का मैंने भी कहा है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, बहुत ही आवश्यक है कि सेन्सिटिव सब्जेक्ट, जो कि पंचायत राज का है को पिछले तीन-चार महीनों में मैंने देखा है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। ज्यादातर मेरे से जिक्र हुआ है सदस्यों का, प्रधानों का, प्रमुखों का। एक संगोष्ठी हुई थी वहां पर भी मैंने कहा था कि बनिस्पत कुछ प्रधान लोग सुजाव देवें, उनकी जो एक्चुअल जे नवीन डिफिकल्टीज हैं उनके बारे में सरकार को अवगत करायें। ज्यादातर अपन लोग बिजी हो जाते हैं, उपाध्यक्ष महोदय,

(श्री नरेन्द्र सिंह भाटी)

ट्रान्सफर में। हम लोग सब जानते हैं इधर जो आये हैं कि आफिसर्स चुनाव नहीं जीता सकते। उपाध्यक्ष महोदय, चुनाव तो पार्टियां जीताती है और पार्टियां ही नीतियां जीतती हैं। मैं सोचता हूं पिछले ढाई-तीन महीनों में जहां तक हो सका सरकार ने यह न केवल निर्णय लिया बल्कि एम्फेसाइज भी किया कि विभाग ट्रान्सफर के सब्जेक्ट पर थोड़ा कम ध्यान देकर जे नवीन डिफिकल्टीज' हैं डिपार्टमेंट की, पंचायत राज की, उन पर ध्यान दे और ध्यान दिया भी गया।

श्री शोपत सिंह : चुनाव कब करा रहे हैं ? कोई है इरादा ?

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : शोपत सिंह साहब, तब भी आपकी पार्टी एक प्रधान का चुनाव नहीं जीत सकती। आप हमारी पार्टी में आ जाओ।

(व्यवधान)

नहीं, नहीं, मैं तो सिर्फ अर्ज कर रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री शोपत सिंह : उससे क्या मतलब ? मैं कहूं कि बंगाल में आप नहीं आ सकते हैं इससे क्या लाभ है ?

अनेक माननीय सदस्य : आये हैं।

श्री शोपत सिंह। मैं खुद बैठा हूं, आप सब को हराकर आया हूं।

श्री रतनलाल ताम्बी : इनकी पार्टी के लोग तो मास्को में बरसात होती है और छाता यहां लगाते हैं। चलता है इनके यहां तो।

श्री शोपत सिंह : हम आपको जानते हैं आप कितने डेमोक्रेट हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय शोपत सिंहजी।

श्री रतनलाल ताम्बी : आपकी पार्टी का तो डेमोक्रेसी में विश्वास ही नहीं है। आप डेमोक्रेसी की बात कैसे करते हो ?

श्री शोपत सिंह : है।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : पश्चिम बंगाल में जितने आप डेमोक्रेट नहीं हो उससे ज्यादा हम यहां पर डेमोक्रेट हैं।

श्री शोपत सिंह : वहां दो बार चुनाव हो चुके हैं। पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट ने दो बार चुनाव करा लिये हैं पंचायतों के।

श्री भैरूलाल भारद्वाज : न जाने यहां कितनी बार हो चुके हैं।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। आर्डर, ऑर्डर प्लीज। प्लीज आर्डर।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर 17 (4) का भी जिक्र आया था। वैसे मैं यह मानता हूं कि अब तक जो

(श्री नरेन्द्र सिंह भाटी)

स्थिति थी, भले ही इनके राज में हो, थोड़ी बहुत हमारे राज में भी होगी, जो जीते हुए सरपंचगण 17 (4) की तरफ देखते थे, भय से देखते आये हैं मैं तो यह मानता हू, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि अब समय आ गया है वह इस तरफ न देखकर 17 (4) उनकी तरफ देखे। उनकी अगर कोई डिफिकल्टीज हों तो उसको साल्व करें, इन्डायरेक्टली साल्व करें। ट्रेजरी बेंचेज के बहुत से सदस्यों ने मुझे अर्ज किया है और फरमाया है, मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि डिपार्टमेंट की तरफ से पेनेलाइजेशन फॉर दी सेक आफ पेनेलाइजेशन नहीं होगा। आज हम यह नहीं चाहते हैं कि जो इलेक्टेड मेम्बर हैं उनकी इलेक्शन की सेंक्टिटी को हम डिस्टर्ब करें, यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। यह बड़ी दृढ़ता से कांशियसली अर्ज कर रहा हूं, यह सरकार की इन्टेन्शन है। अब उस प्रोसेस में कोई गलती हो जाय, जेनवीन मिस्टेक हो तो किसी अधिकारी या किसी और को ब्लेम नहीं करेंगे क्योंकि जेनवीन मिस्टेक तो अपन सब से होती है। लेकिन बेसिकली यह इन्टेन्शन रहेगा और यह आगे आप देखेंगे कि इसी रूप में हम आगे पंचायत राज की तरफ ध्यान देकर बढ़ोत्तरी करेंगे।

अब, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा के बारे में पहले मैं उस सब्जेक्ट को ले लूं क्योंकि मैं भी मानता हूं कि जो इनसेप्सन से एक बच्चा उसके आइडियाज प्रापरली फॉर्म नहीं हो तो मेरा खयाल है कि कोई सोसाइटी उस चाइल्ड की तरफ या उस चाइल्ड के भविष्य के लिए इससे ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। एजूकेशन में और पंचायती राज को पार्टी लाइन क्रास करके, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चलना होगा क्योंकि यह इतना सेन्सिटिव सब्जेक्ट है, मैं सोचता हूं कि एजूकेशन के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिये। कुछ डिफिकल्टीज आई थीं प्राथमिक एजूकेशन को ट्रान्सफर करने की। मास्टरों के बारे में दिक्कत आई। 25 हजार के ऊपर प्राथमिक शालायें चल रही हैं आज की तारीख में और करीब 42 हजार के अध्यापक हैं। चयन के बारे में जैसा माननीय हेमाराम जी ने फरमाया, उनके उत्तर में मैंने अर्ज किया था पिछले सेशन में कि करीब-करीब अब सलेक्शन पूरा हो गया है। मेरा खयाल है कि की लिस्ट बाकी हैं अगले दो एक दिन में उसका भी रिजल्ट आ जायेगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यहां तक कह दिया कि एजूकेशन सेशन अब शुरू हो गया है। तो एक जनरल आदेश भी सरकार ने भेज दिया है कि जितनी भी वेकेन्सीज हैं जो अगर सलेक्शन्स के थ्रू फिल अप हो जायें उनको फिल अप कर दिया जाय। अगर एस.डी.आई. के फिल अप हो जाये तो उनके थ्रू कर दिया जाय और उसके बाद में भी बच जाये तो जो 400 का हमने निर्णय लिया था, 400 रुपये देकर आप अन ट्रेन्ड टीचर्स को अरेन्ज कर लें। वह भी इन लोगों को कर लेना चाहिये, समितियों को कर लेना चाहिये ताकि इस एजूकेशन के मामले में अब मास्टरों या टीचर्स की नान अवेलेबिलिटी के कारण डिस्टरबेंस न हो।

चुनावों के बारे में भी थोड़ी चर्चा

(श्री नरेन्द्र सिंह भाटी)

हुई। आपको पता ही है कि दिसम्बर तक तो अवधि बढ़ी हुई है और इस दरमियान आगे की क्या कार्यवाही होगी उसके बारे में विचार करके 81 की जनगणना के तहत हमको रोल भी तैयार करने हैं, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री शोपत सिंह : डीलिमिटेशन पर आ जाय।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : डीलिमिटेशन भी आ जायेगा। पहले चुनाव का तो बता दूं क्योंकि आप बार-बार वेस्ट बंगाल का फरमा रहे थे ना।

श्री यदुनाथ सिंह : फिर छेड़ दिया।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : किस को ?

श्री दिग्विजय सिंह : 81 के आधार पर रिआर्गनाइजेशन करेंगे आप पंचायतों का ?

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : नहीं। उनके जो वोटर्स होंगे। उसके आधार पर चुनाव करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय जो दूसरे मुद्दे उठे थे, जो फार्मेलिटी थी मेम्बर्स की, कोई 10-15 कट मोशन्स जीपों पर भी आये थे। जीपों का माननीय सदस्यों ने भी पूछा था तो एक ऐसा आर्डर है कि एम.एल.ए. साहबान और साहिबान बी.डी.ओ. को लिखकर फरमा दें और बी.डी.ओ. कम एम.एल.ए. एक कॉमन प्रोग्राम तय करके तीन-चार पांच दिनों के लिए जीप काम में ले सकते हैं।

श्री यदुनाथ सिंह : फिक्स बतायें ?

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : चार दिन के लिए।

श्री अब्दुल अजीज : for a month ?

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : हां।

श्रीमती हमीदा बेगम : जहाँ जीप नहीं है ?

श्री शोपत सिंह : तांगा ले लो या ऊंट गाड़ी ले लो।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : शोपतसिंह जी के यहाँ तो दूसरी गाड़ी भी चलती है।

श्री शोपत सिंह : क्या ?

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : डीलिमिटेश के बारे में माननीय उपाध्यक्ष महोदय······

श्री अब्दुल अजीज : बेचैनी उधर पाई जाती है क्या ?

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : डीलिमिटेश के बारे में मैं अर्ज कर रहा था, उपाध्यक्ष महोदय, कि पिछले सत्र में भी यह प्रश्न उठा था। आज की तारीख में एक पर्टीकूलर एरिया में खास करके गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में और पार्ट आफ बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में जहां पर कालोनाइजेशन के कारण आपके पंचायतों की पापुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गयी है वहाँ पर वास्तव में जटिल समस्या है।

(श्री नरेन्द्र सिंह भाटी)

स्पेसिफिक कसेज में हम स्पेसिफिक इन्क्वायरी करके निर्णय लेंगे लेकिन अभी जनरल डीलिमिटेशन करने का सरकार का इरादा नहीं है।

श्री शोपत सिंह : क्या दिक्कत आ रही है?

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : आवश्यकता नहीं है, जरूरत नहीं है, शोपत सिंहजी। मैं अर्ज कर रहा हूं जैसा माननीय सदस्य ने फरमाया जो सूरतगढ़ से पधारे हैं उन्होंने फरमाया कि खास करके जो दो-तीन चार एरिया हैं उनके लिये हम डेफिनेटली इन्क्वायरी करके करेंगे।

इर्रेगुलेरिटीज का, थोड़ा बहुत 17 (4) का मैंने जिक्र किया ही था। जो थोड़े बहुत सुझाव आये या कि साहब बिल्कुल ही हस्तक्षेप न होकर सरकार की तरफ से, यह तो आप भी मानेंगे और मैं भी सोचता हूं कि बिल्कुल इण्डिपेन्डेन्ट छोड़ दिया जाय, राजस्थान की सरकार बिल्कुल ही परे हो जाय यह मेरा खयाल है कि पंचायत राज के हित में भी नहीं होगी। बेसिकली दोनों एक दूसरे को काम्पलीमेंट करें, यही ओरिजिनेटर्स का इरादा था, उपाध्यक्ष महोदय, पीढ़ियों से भी करीब-करीब यही प्रथा चली आ रही है।

श्री यदुनाथ सिंह : पहले तो इंडिपेडेंट होती थी गांव की पंचायत।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : आप कब का फरमा रहे हैं।

श्री यदुनाथ सिंह : आप पीढ़ी दर पीढ़ी की बात कर रहे हैं।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : हां, मैं भी प्री-हिस्टोरिक से लेकर आज तक की बात कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : थोड़ी देर और ठहर जायं तो पिछली बात और याद आयेगी।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, पंचायत सचिव का जिक्र बार बार आया। आज की डिबेट में भी आया, कट मोशन्स में भी आया। मैं भी मानता हूं कि यह एक दिक्कत है कि एक ग्राम पंचायत में एक सचिव नहीं है। लेकिन आवश्यकता को देखते हुए, उपाध्यक्ष महोदय, यह निर्णय लिया गया था, कुछ बजटरी कंसीडरेशन के कारण भी यह निर्णय लिया गया था और प्लानर्स ने यह सोचा था कि एक्सेप्ट एक जैसलमेर एरिया ऐसा है जहां लोग दूर-दूर फैले हुए हैं एक ही सचिव को दो-तीन पंचायतें संभालना बहुत मुश्किल होता है, तो जैसलमेर का एक्सेप्शन रखते हुए चार हजार की संख्या पर एक सचिव की रिक्वायरमेंट को देखा गया था। जैसा ताम्बी साहब ने भी फरमाया और सदस्यों ने भी फरमाया, मैं एक बार और विश्वास दिलाता हूं कि प्राप्त होने के अनुसार, बजटरी कंसीडरेशन के अनुसार इसमें हम वास्तव में जेनवीनली देखेंगे। कुछ जो पाइंट्स खास करके भारद्वाजजी ने और माननीय भाभड़ा साहब ने, ताम्बी ने जी...

श्री उपाध्यक्ष : और कोई पूछना हो तो पूछ लीजिये। नहीं नहीं और कोई रह गया हो तो आप पूछ लीजिये, कोई जल्दी नहीं है।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत (ऊर्जा मंत्री) : इतनी जल्दी क्यों थक गये, भाई थोड़ी देर और बैठो।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : भारद्वाजजी ने कहा था कि आई. ए. एस. आफिसर जिला परिषद के सैक्रेटरी होने चाहिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : भारद्वाजजी की बातों को क्यों प्रिफरेंस देते हैं। इन्स-पिरेशन लेने की जरूरत ही नहीं है।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : उनसे तो आप इन्सपिरेशन लेते हैं, मैं तो काग्निजेंस ही ले रहा हूँ।

तो मैं अन्त में, उपाध्यक्ष महोदय, यही अर्ज करना चाहता हूं कि काफी कुछ इन्डि-विजुअल पाइंट्स रह गये हैं।

श्री रतनलाल ताम्बी : धारा 86 रह गयी, साहब। धारा 86 बहुत खतरनाक है, इसको ठीक करो, साहब।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : उनके मैं लिखित में उत्तर सब सदस्यों को नजर कर दुंगा।

श्री शोपत सिंह : गांव की गलियों में हमको लट्टू लगेगा क्या? आपकी मर्करी लाइट नहीं चाहिये ट्यूबलाइट नहीं चाहिये, लट्टू चाहिये गांव की गलियों में। उसके बारे में क्या कहेंगे आप?

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : शोपत सिंह साहब, बहुत अच्छी कहावत है, कहते हैं–

Grass always looks greener across the fence.

तो आपके जो पश्चिम बंगाल में कलकत्ता के ग्रामीण एरिया की जो हालत हो रही है उससे ज्यादा तो हमने यहां पर लाइटें उपलब्ध करा रखी है।

श्री शोपत सिंह : वहां की बात नहीं, यहा की बात कीजिये। न रूस की तरफ जाइये, न चीन की तरफ जाइये जहां कटोरा लेकर घूमते हैं। बार बार भटक जाते है आप।

एक माननीय सदस्य : आप लट्टू कौन से रंग का लेना चाहते हैं?

श्री रतनलाल ताम्बी : बंगाल को आप बहुत याद करते हो आपको वहां भेज दें?

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय एक बहुत ही जटिल समस्या है गांव की पेयजल की। यह हैंड पम्प इसीलिये ट्रांसफर किये गये थे समितियों को, परिषदों को पेय जल की जब डिबेट चल रही थी, बारबार यही मुद्दा उठा था कि हैंड पम्पस की रिपेयर कराई नहीं जाती। तो मेरा खयाल है माननीय मुख्य मंत्रीजी ने भी निर्देश दे दिये हैं पेय जल विभाग को कि बनिस्वत इनको वापस ले लिया जाय वे वहीं रहें। डिपार्टमेंट द्वारा भी उनकी

(श्री नरेन्द्र सिंह भाटी)

रिपेयर के लिये मेरा ख्याल है ट्वाइस ए ईयर का निर्णय लिया गया। तो मेरा ख्याल है कि पंचायत समिति को जो पंचायत विभाग के....

(व्यवधान)

आप देखिये, क्या प्रैक्टिकल है, क्या प्रैक्टिकल नहीं है। प्रैक्टिकली ही बोल रहा हूं। अगर आप प्रैक्टिकल होते तो आपकी पार्टी को दो-चार सीटें मिलती शायद।

श्री शोपत सिंह : फिर आप नहीं रहते उधर यह प्रैक्टिकल होते हो।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, अन्त में मैं यही अर्ज कर सकता हूं कि आप लोगों ने मुझे...

श्री दिग्विजय सिंह : मंत्री महोदय, जवाब समाप्त करें इसके पहले ग्राम चुनाव की निश्चित तिथि बता दें। अवधि समाप्त हो जायेगी पंचायतों की, उनके चुनाव करायेंगे या नहीं करायेंगे ?

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : अन्त में मैं आप लोगों को अर्ज कर दूं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मैंने एक मुद्दा उठाया था...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या, जवाब दे लेने दीजिये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : ग्राम पंचायतों में सार्वजनिक स्थानों पर से पानी लाया जाता है उसके बारे में जवाब दें आप। मैंने यह निवेदन किया है कि नगरपालिकाओं में जिस तरह से सार्वजनिक नलों से पानी लाने वाले लोगों से पानी का कोई पैसा नहीं लिया जाता है उसी तरीके से ग्राम पंचायतों में भी जो लोग पम्प एण्ड टैंक स्कीम से, टी. एस. एस. स्कीम से पी. एस. पी. से पानी लेते हैं उससे किसी तरह का पैसा नहीं लिया जाना चाहिये। मैंने यह निवेदन किया था।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : वह जो आपने पाइंट उठाये हैं मैंने अर्ज किया, सुमित्राजी, कि यों तो अभी भी सार्वजनिक पाइंट्स से अगर पानी सप्लाई हो रहा हो तो उसका कोई हम चार्ज नहीं करते हैं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : गांव के अन्दर किया जाता है, साहब, आपको जानकारी नहीं है।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : नहीं। कोई एक प्राइवेट कनेक्शन से उस पर तो हो सकता है...

श्रीमती सुमित्रा सिंह : प्राइवेट कनेक्शन नहीं, पी. एस. पी. में किया जाता है।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : मेरे ध्यान में तो नहीं है लेकिन कोई ऐसा इन्सीडेंट अगर है तो मैं उसमें दिखवा लूंगा।

श्री सुजान सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न रह गया। जलदाय विभाग के पास जिम्मेदारी होगी हैंड पम्पों की या पंचायत समिति के पास होगी ? दो के बीच में रख दिया यह मामला तो न तो

(श्री सुजान सिंह यादव)

जलदाय विभाग उसको संभालेगी न पंचायत समिति संभालेगी। इन दी होल रेस्पासिबिलिटी किस की होगी ?

श्री उपाध्यक्ष : इसका उत्तर तो पहले आ चुका है। यह पहले आ चुका है। पहले उत्तर दिया जा चुका है, माननीय सदस्य।

एक माननीय सदस्य : पारित तो होने दो।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : अन्त में, उपाध्यक्ष महोदय, मैं ये अर्ज करता हूं कि इसको पारित कर दिया जाय।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री रतनलाल ताम्बी : उपाध्यक्ष महोदय, एक मेरा सवाल है, एक तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि शहर में जनसंख्या पर प्रति व्यक्ति 5 रुपए का अनुदान दिया जाता है जबकि गांव ने ढाई रुपए प्रति व्यक्ति...

(व्यवधान)

श्री शोपत सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो मैंने एक सवाल उठाया गांव में स्ट्रीट लाइट्स का, बहुत ही गम्भीर मामला है। Don't take it so lightly.

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : सब मिलाकर इकट्ठा समाधान नहीं करेंगे, माननीय सदस्य। कृपया एक एक करके शंका समाधान करेंगे।

श्री रतनलाल ताम्बी : पंचायतों को जो अनुदान की राशि दी जाती है उसमें खाद-बीज की पुरानी बकाया अनुदान राशि में से काट ली जाती है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री रतनलाल ताम्बी : पंचायतों और पंचायत समितियों में पुराने खाद-बीज की बकाया राशि की रकम को अनुदान राशि में से कई जगह काटा जाता है। एक सवाल।

श्री नवरंग सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक सवाल।

श्री यदुनाथ सिंह : यह तो बोलेंगे।

श्री नवरंग सिंह : इन तालियों से मैं नहीं डरता। तालियों से डरने वाला आदमी नहीं हूं। एक सवाल पूछूंगा और मन्त्री जी जवाब देंगे। नहीं तो तालियां रात भर बजाओ मैं रात भर खड़ा रहूंगा।

श्री यदुनाथ सिंह : इनकी तो अपनी सरकार थी तब भी जो सदस्य नहीं मानते थे, उनको कैसे रोक पायेंगे आप। यह तो बोलेंगे।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आवाज दबाने का प्रयत्न मत करिये आप लोग। आवाज उठायेंगे हमारी।

श्री नवरंग सिंह : उपाध्यक्ष महोदय,

(श्री नवरंग सिंह)

मैं एक सवाल पूछ रहा हूं। नगरपालिकाओं में शौचालय आदि के लिए अनुदान मिलता है। उपाध्यक्ष महोदय, गाँव में चूंकि पहले वहां जमीन खूब खुली थी लेकिन आज जमीन कम होने से ज्यादा चरागाह रोकने से महिलाओं के लिए खासकर शौचालय की जरूरत पड़ती है, इसलिए माननीय मन्त्री जी से यह निवेदन करना चाहूंगा और पूछना भी चाहूंगा, जैसे नगर पालिकाओं को अनुदान दिया जाता है शौचालय के लिए, क्या पंचायतों को भी अनुदान दिया जायेगा?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य ने शंका की है दीर्घ शंका और लघु शंका करने की, इसका हल किया जाय।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय...

श्री उपाध्यक्ष : यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, दीर्घ शंका और लघु शंका करने का कि म्यूनिसिपैलिटी ने क्या इन्तजाम किया।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : मैं यह अर्ज कर रहा था, यह मुद्दा पहले भी उठा था। यह सुझाव के रूप में आया था। मैं नवरंग सिंह साहब को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि वास्तव में गांव में यह बहुत ही समस्या है, शिकायत भी होगी, इसमें सरकार ध्यान देकर कोई न कोई निर्णय लेगी।

श्री उपाध्यक्ष : मन्त्री महोदय द्वारा वाद-विवाद का उत्तर दिया जा चुका है। सर्वप्रथम मांग 41 को मतदान के लिए प्रस्तुत करता हूं।

मांग संख्या 41 व 49 का पारण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 41-सामुदायिक विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 18,32,58,000 रुपए (अठारह करोड़ बत्तीस लाख अट्ठावन हजार रुपए) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 49।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 49-स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को मुआवजा और समनुदेशन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 7,16,09,000 रुपए (सात करोड़ सोलह लाख नौ हजार रुपए) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

सदन की बैठक बुधवार दिनांक 17 जुलाई, 1985 के मध्याह्न पूर्व 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक रात्रि 10·35 बजे बुधवार, दिनांक 17 जुलाई, 1985 के प्रातः 11·00 बजे तक के लिये स्थगित की गई।)

(311)

परिशिष्ट 1

(तारांकित प्रश्न संख्या 299 की सूची)

खण्ड 1 का विवरण

(परिशिष्ट अ)

क्र. सं.	नाम व्यवस्थापक	नाम समिति जहां भ्रष्टाचार किया गया	भ्रष्टाचार की राशि (गबन एवं धन का दुरुपयोग)	आधार	की गई कार्यवाही का ब्यौरा
1	2	3	4	5	6
1.	श्री हरीराम	बिदीयाद	3154·00	निरीक्षण के दौरान	राजस्थान राज्य सहकारी अधिनियम की धारा 74(1) के तहत मामला विचाराधीन है।
2.	श्री रामसिंह	ठठियाणामीठड़ी गोविन्दी	29754·14 17504·15	अंकेक्षण के आधार पर	सेवायें समाप्त
3.	श्री महेशचन्द्र	वसुम्धी	600·00	निरीक्षण	धारा 74(1) के तहत मामला
4.	श्री जगदीश सिंह	भकरी	1500·00	अंकेक्षण व निरीक्षण	,, ,,
5.	श्री शंकरलाल	अड़कसर	1406·00	निरीक्षण	,, ,,
6.	श्री हरका राम	कुराड़ा	4000·00	निरीक्षण	,, ,,
7.	श्री भंवरलाल	श्यामगढ़, शिम्भुपुरा	40,000·00	निरीक्षण	निलम्बित

1	2	3	4	5	6
8.	श्री नेमाराम	मंडावरा	500·00	निरीक्षण	निलम्बित
9.	श्री डूंगर राम	खाखड़की	50·00	मजमेग्राम	धारा 74 (1) के तहत कार्यवाही 74 (2) के तहत निर्णय वसूली जारी हैं।
10.	श्री मदन लाल	मामरेली	2560·00	,,	,, ,,
11.	श्री लक्ष्मण सिंह	सांजू	1880·00	,,	,, ,,
12.	श्री धन्ना राम	भेड़	18300·00	,,	,, ,,
13.	श्री भवानी सिंह	पीह	3000·00	,,	,, ,,
14.	श्री सांवर मल	ठठियाणामीठड़ी	27064·60	,,	,, ,,
15.	श्री रामकिशन	अड़कसर	4000·00	,,	,, ,,
16.	श्री लक्ष्मी नारायण सोनी	भकरी	769·50	निरीक्षण व अंकेक्षण	धारा 74([illegible]) के तीन निर्णय एवं वसूली की कार्यवाही जारी है एवं निलम्बन हेतु आरोप पत्र जारी।
17.	श्री पूनमचन्द	वरनेल	1440·00	निरीक्षण	धारा 74(2) के तहत निर्णय एवं वसूली की कार्यवाही जारी है एवं निलम्बन हेतु आरोप पत्र जारी।

1	2	3	4	5	6
18.	श्री भगवती प्रसाद	सांजू	611·00	निरीक्षण	धारा 74(2) के तहत निर्णय एवं वसूली की कार्यवाही जारी है एवं निलम्बन हेतु आरोप पत्र जारी।
19.	श्री जीवण राम	सिरासना	1188·00	निरीक्षण व अंकेक्षण	
20.	श्री उम्मेद सिंह	खोखर	305·00	निरीक्षण	
21.	श्री मोहन लाल	रिड़	5738·72	,, ,,	74 (1) कार्यवाही
22.	श्री सीताराम	मुन्दियाड़	4756·76	,, ,,	,, ,, ,,
23.	श्री बद्रीराम	,,	825·00	,, ,,	,, ,, ,,
24.	श्री हरदीन राम	,,	1895·00	,, ,,	,, ,, ,,
25.	श्री मांगीलाल	खाजवाना	1721·00	,, ,,	,, ,, ,,
26.	श्री नटवर लाल	भावानपुरा	18700·00	,, ,,	सेवायें समाप्त की गई
27.	श्री रामजीवण	धुन्दियाड़ी	7660·23	अंकेक्षण	धारा 74(2) के अन्तर्गत कार्यवाही
28.	श्री रामेश्वर लाल	रोहिणी	19765·95	,, ,,	धारा 74(1) के अन्तर्गत कार्यवाही
29.	श्री किसना राम	जायल	4992·21	जांच परीक्षण	,, ,, ,,
30.	श्री शंकर लाल	चांदनी	1076·64	अंकेक्षण	74(2) की कार्यवाही
31.	श्री शोभा राम	खड़ीकलां	782·00	,,	74(1) की कार्यवाहा
32.	श्री महराम	कुचेरा	2256·63	,,	,, ,, ,,

1	2	3	4	5	6
33.	श्री राजेन्द्र सिंह	डोडियाना	7249·95	,,	74(1) की कार्यवाही
34.	श्री अब्दुल गफार	लोहराणा	7000·48	,,	74(2) की कार्यवाही
35.	श्री राम स्वरूप	पुंदलोता	1389·29	,,	,, ,, ,,
36.	श्री पुरखा राम	दयालपुरा	13982·02	,,	निलम्बित कर वसूली की कार्यवाही जारी
37.	श्री बद्रीराम	वरणागाँव	1260·50	,,	धारा 74(2) की कार्यवाही एवं आरोप पत्र जारी ।
38.	श्री कान सिंह	चेनार	45155·54	अंकेक्षण	निलम्बित और वसूली की कार्यवाही जारी है ।
39.	श्री मन्छाराम	पांचवा	4398·93	,,	धारा 74(1) के तहत कार्यवाही
40.	श्री चन्द्र सिंह	सागूकलां	6614·01	,,	,, ,, ,,
41.	श्री भूमर राम	मांझी	897·41	,,	,, ,, ,,
42.	श्री पदमा राम	कमेड़िया	709·12	,,	,, ,, ,,
43.	श्री सुख राम	सिरासना	809·07	,,	धारा 74 (2) की कार्यवाही जारी है ।
44.	श्री किशन सिंह	आकेली	2471·82	,,	धारा 74 (1) की कार्यवाही जारी है ।

1	2	3	4	5	6
45.	श्री नथमल	इनाणा	1600·00	अंकेक्षण	धारा 74 (2) की कार्यवाही जारी है।
46.	श्री राम निवास	इनाणा	433·37	,,	धारा 74 (1) की कार्यवाही जारी है।
47.	श्री भूमर राम	जाखेड़ाग्राम.से.स.स.	4440·29	,,	,, ,, ,,
48.	श्री खेमा राम	भदलिया नोसर	1396·25	,,	,, ,, ,,
49.	श्री बिहारी लाल	रसाल	4781·89	,,	धारा 74(2) की कार्यवाही चल रही है व निलम्बित हेतु आरोप पत्र जारी
50.	श्री सुख राम	ढाढ़रिया	3752·50	,,	धारा 74(1) की कार्यवाही।
51.	श्री रतन सिंह	,,	346·00	,,	,, ,, ,,
52.	श्री भंवरसिंह	हरनावा	834·25	,,	,, ,, ,,
53.	श्री सम्पत लाल	कुराड़ा	15972·00	,,	,, ,, ,,
54.	श्री राजाराम सोनी	पादुखुर्द	989·00	,,	,, ,, ,,
55.	श्री अणदा राम	रावडियाद	24062·00	,,	,, ,, ,,

1	2	3	4	5	6
56.	श्री बाबू लाल	दत्ताणी	1000·00	,,	धारा 74(2) की कार्यवाही व निलम्बन हेतु आरोप पत्र जारी।
57.	श्री पुखराज	बायतु	1000·00	,,	,, ,, ,,
58.	श्री बलदेव राम	शील गाँव	6065·00	आडिट एवं निरीक्षण	निलम्बित
59.	श्री गंगा राम	बरना	335·00	अंकेक्षण	अधिनियम की धारा 118 के तहत कार्यवाही।
60.	श्री डूंगा राम	दत्ताणी	699·00	,,	,, ,, ,,
		खाखडकी	635·00		
61.	श्री तुलछा राम	सीवा	220·00	,,	,, ,, ,,
62.	श्री लिखमा राम	रोटू	9900·00	,,	,, ,, ,,
		योग	400161·00		

परिशिष्ठ 2

(तारांकित प्रश्न संख्या 304 की सूची)

वन विभाग में दैनिक मजदूरी पर पिछले 7–8 साल से लगातार कार्यरत कैटल गार्डो की जिलेवार सूची

अजमेर	29
जयपुर	49
कोटा	36
उदयपुर	24
डूंगरपुर	15
बांसवाड़ा	26
सिरोही	12
बांसवाड़ा	16
बून्दी	2
चित्तौड़गढ़	66
झालावाड़	21
अलवर	5
भीलवाड़ा	2
सवाई माधोपुर	4
योग	307

परिशिष्ट 3

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिए जा सके तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर)

जयपुर नगर के पोषाहार केन्द्र

307. श्री गिरधारी लाल भार्गव (किशनपोल) : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) जयपुर शहर में समाज कल्याण विभाग द्वारा कितने पोषाहार केन्द्र चलाये जा रहे हैं ? सूची निर्वाचन क्षेत्र व पते सहित कृपया सदन की मेज पर रखें।

(2) नगर के पोषाहार केन्द्रों पर कितने प्रशिक्षित व अप्रशिक्षित कर्मचारी प्रतिमास भत्ते पर कार्य कर रहे हैं ? इन कर्मचारियों के नाम, योग्यता केन्द्रानुसार कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

(3) पोषाहार केन्द्रों पर क्या-क्या खाद्य सामग्री व अन्य साप्ताहिक चिकित्सा परीक्षण हेतु सामग्री प्रतिमाह दी जाती है ?

उत्तर

(1) जयपुर शहर में समाज कल्याण विभाग द्वारा 198 आंगनबाडी केन्द्र चलाये जा रहे हैं जिनके द्वारा पौषाहार भी उपलब्ध कराया जाता है। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) नगर के आंगनबाड़ी केन्द्रों पर 163 प्रशिक्षित एवं 35 अप्रशिक्षित आंगनबाडी कार्यकर्त्तायें कार्य कर रही है। सहायिकाओं जिनकी संख्या 198 है का कोई प्रशिक्षण नहीं होता। कर्मचारियों के नाम व योग्यता सदन के पटल पर रखी गई सूची में अंकित कर दिये गये हैं।

(3) पोषाहार केन्द्रों पर जयपुर स्थित मार्डन फूड इण्डस्ट्रीज, जयपुर द्वारा तैयार किया गया एक्सटूटेड (Extruded) फूड (गाँठिये) खाद्य सामग्री के रूप में वितरित किये जाते हैं तथा स्वास्थ्य परीक्षण हेतु वजन तोलने की मशीन, तीन रंग का फीता बाँह के ऊपरी भाग की परिधि नापने के लिये दिया जाता है। इसके अतिरिक्त प्रतिरक्षण सेवाओं के अन्तर्गत डी.पी.टी., पोलियों, बी.सी.जी., डी.टी., टी.टी. आदि के टीके भी उपलब्ध कराये जाते हैं व भारत सरकार की दवा बनाने वाली कम्पनी आई.डी.पी.एल. द्वारा तैयार किया गया साधारण दवाओं का बक्सा भी दिया जाता है।

आंगनबाड़ी केन्द्रों के नाम मय पते तथा कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मय उनकी योग्यता, प्रशिक्षित/अप्रशिक्षित की सूची

क्रम. सं.	नाम एवं पता आंगनबाड़ी केन्द्र	नाम आंगनबाड़ी कार्यकर्ता	योग्यता	प्रशिक्षित या अप्रशिक्षित
1	2	3	4	5
1.	सामियाना बस्ती	श्रीमती पुष्पा सक्सेना	इण्टर	प्रशिक्षित
2.	हाजी कालोनी–I	श्रीमती विजय लक्ष्मी	बी. ए.	,,
3.	हाजी कालोनी–II	,, रुक्या खातून	सैकेण्डरी	अप्रशिक्षित
4.	माली बस्ती–I	,, मीना शर्मा	,,	प्रशिक्षित
5.	माली बस्ती–II	,, वीणा सक्सेना	,,	,,
6	स्वामी बस्ती	,, चन्द्रा अग्रवाल	मिडिल	,,
7.	सीकर हाऊस	,, राजरानी सक्सेना	इण्टर	,,
8.	कुरेशी कालोनी–I	,, मोसफ सुल्ताना	बी. ए.	,,
9.	कुरेशी कालोनी–II	,, मुमताज बेगम	मिडिल	,,
10.	भोपजी का डेरा	,, ऊषा माथुर	मिडिल.	,,
11.	पंचमुखी हनुमान–I	,, सावत्री शर्मा	हायर सैकेण्डरी	,,

1	2	3	4	5
12.	पंचमुखी हनुमान–II	श्रीमती कमला सैन	हायर सैकडणरी	अप्रशिक्षित
13.	बालानन्दजी का रास्ता–I	,, ऊषा कुलश्रेष्ठ	बी. ए.	प्रशिक्षित
14.	बालानन्दजी का रास्ता–II	,, स्नेहलता शर्मा	मिडिल	,,
15.	गुलाबबाड़ी	,, सन्तोष शर्मा	मिडिल	,,
16.	तेजाजी की बगीची	,, भगवती सैन	हायर सैकेण्डरी	,,
17.	यज्ञशाला की बावड़ी हरिजन वस्ती–I	,, माया बाल्मीकि	मिडिल	अप्रशिक्षित
18.	,, ,, ,, ,, –II	,, अंजु गुप्ता	हायर सैकण्डरी	प्रशिक्षित
19.	बैरवा वस्ती नदी एरिया–I	,, कमला शर्मा	मिडिल	,,
20.	,, ,, ,, —II	,, यशोदा माहवर	हायर सैकण्डरी	,,
21.	नाहरगढ़ रोड–I	,, पुष्पा वान्ते	इण्टर	,,
22.	,, ,, –II	,, कुसुमलता शर्मा	मिडिल	,,
23.	,, ,, –III	,, कुसुमलता सक्सेना	बी. ए.	अप्रशिक्षित
24.	सराय की मस्जिद	,, आवेदा बानु	मिडिल	प्रशिक्षित
25.	सुदामापुरी–I	,, इन्दरा अग्रवाल	हायर सैकण्डरी	,,
26.	सुदामापुरी-II	,, कृष्णा यादव	मिडिल	,,
27.	नींदडराव का रास्ता	,, खुदेशिवा खातूर	बी. ए.	,,

1	2	3	4	5
28.	चन्द्र शेखर की बगीची–I	श्रीमती प्रेम पारीक	बी. ए.	प्रशिक्षित
29.	,, ,, –II	,, गीता गुप्ता	बी. ए.	अप्रशिक्षित
30.	,, ,, –III	,, लाडदेवी चौहान	बी. ए.	प्रशिक्षित
31.	टैगोर नगर–I	,, शकीला बानो	मिडिल	,,
32.	,, ,, –II	,, मंजू पारीक	बी. ए.	अप्रशिक्षित
33.	इन्द्रा बस्ती	,, इन्दुबाला	बी. ए.	,,
34.	वर्मा बस्ती	,, दया श्रीवास्तव	इन्टर	प्रशिक्षित
35.	व्यास कालोनी–I	,, आशा कुमावत	मिडिल	,,
36.	,, ,, –II	,, ज्योति	हायर सैकण्डरी	,,
37.	,, ,, –III	,, बसन्ती देवी	इन्टर	,,
38.	,, ,, –I	,, रुकमणी टॉक	बी. ए.	,,
39.	राणा कालोनी–I	,, शशीकला	हायर सैकण्डरी	अप्रशिक्षित
40.	,, ,, –II	,, गुलकन्दी देवी	इन्टर	प्रशिक्षित
41.	,, ,, –III	,, शीला शर्मा	हायर सैकण्डरी	अप्रशिक्षित
42.	,, ,, –I	,, शमीम बानो	सैकण्डरी	,,

1	2	3	4	5
43.	बागर का टीबा	श्रीमती गीतादेवी	मिडिल	प्रशिक्षित
44.	बलाई बस्ती	,, मनभर देवी जैन	मिडिल	,,
45.	नायक बस्ती	,, चन्द्र कान्ता	बी. ए.	,,
46.	पेन्टर कालोनी	,, गायत्री देवी	मिडिल	,,
47.	कृष्णा कालोनी	,, शोभा लक्ष्मी भार्गव	बी. ए.	,,
48.	बन्धा बस्ती–I	,, क्षमा माथुर	बी. ए.	,,
49.	,, ,, –II	,, मालती माथुर	हायर सैकण्डरी	,,
50.	तेली कालोनी	,, प्रेमलता	मिडिल	,,
51.	टाटानगर हरिजन बस्ती	,, कमलेश सारवान	मिडिल	,,
52.	,, ,,	,, संगीता पारीक	बी. ए.	,,
53.	,, ,,	,, ऊषा माथुर	मिडिल	,,
54.	,, विश्वकर्मा बस्ती	,, शशीकला माथुर	मिडिल	,,
55.	गूजर बस्ती	,, सविता खण्डेलवाल	मिडिल	,,
56.	नया जालुपुरा	,, याज्ञमाया सैन	बी. ए.	,,
57.	भट्टा बस्ती–I	,, कुदशिया खातून	बी. ए.	,,
58.	,, –II	,, रुकमणी चन्दानी	मिडिल	,,

1	2	3	4	5
59.	भट्टा बस्ती–III	श्रीमती राजकुमारी आचार्य	हायर सैकन्डरी	प्रशिक्षित
60.	,, –IV	,, कौशल्या सैन	,, ,,	अप्रशिक्षित
61.	,, –V	,, सुदेश अरोड़ा	मिडिल	,,
62.	,, –VI	,, शकुन्तला ग्रोवर	हा. सै.	प्रशिक्षित
63.	,, –VII	,, ओमकुमर स्वामी	मिडिल	,,
64.	,, –VIII	,, सीता चौधरी	हा. सै.	,,
65.	लंकापुरी	,, प्रेमलता माथुर	सैकण्डरी	,,
66.	हरिजन बस्ती रामनगर	,, शकुन्तला आचार्य	एम. ए.	अप्रशिक्षित
67.	जे. पी. कालोनी	,, शान्ती देवी पारीक	सैकेण्डरी	प्रशिक्षित
68.	,, ,,	,, अरुणा रावत	,,	अप्रशिक्षित
69.	,, ,,	,, सविता शर्मा	हा. सै.	प्रशिक्षित
70.	नाला अमीनाशाह	,, लक्ष्मी सिरवानी	बी. ए.	,,
71.	,, ,,	,, उमेश माथुर	हा. सै.	,,
72.	शिवाजीनगर–I	,, भगवती शर्मा	,,	,,
73.	,, –II	,, मीनाक्षी शर्मा	,,	,,
74.	,, –III	,, सुनीता कुलश्रेष्ठ	,,	,,

323

1	2	3	4	5
75.	बरिया बस्ती	श्रीमती शीला वर्मा	बी. ए.	प्रशिक्षित
76.	विद्याधर नगर–I	,, राजेश्वरी	मिडिल	,,
77.	,, ,,–II	,, सुशीला शर्मा	इन्टर	,,
78.	विद्याधर नगर–III	,, पुष्पा बसल	मिडिल	,,
79.	,, ,,–4	,, राजेश्वरी रावत	,,	,,
80.	मुरलीपुरा–I	,, मीना शर्मा	,,	,,
81,	मुरलीपुरा–II	,, प्रमीला यादव	मैट्रिक	,,
82:	मुरलीपुरा–III	,, विजय लक्ष्मी निगम	,,	,,
83.	सिन्धी कालोनी	,, मंजुलता शर्मा	,,	अप्रशिक्षित
84.	रैगर बस्ती झोटवाड़ा–I	,, अनिता गुप्ता	,,	प्रशिक्षित
85.	,, ,, ,, –II	,, मंजु त्रिवेदी	,,	अप्रशिक्षित
86.	नायक बस्ती झोटवाड़ा	,, दुर्गा सोनी	,,	प्रशिक्षित
87.	सीतावाड़ी झोटवाड़ा	,, भाग्यवती शर्मा	मिडिल	अप्रशिक्षित
88.	नृसिंह कालोनी झोटवाड़ा	,, रेशमा देवी	मैट्रिक	,,
89.	बरकत कालोनी	,, हुसेना बी	,,	प्रशिक्षित
90.	मक्का कालोनी झोटवाड़ा	,, मनोरमा सेमवल	,,	अप्रशिक्षित

1	2	3	4	5
91.	रामनगर झोटवाड़ा	श्रीमती भौंरी देवी	मिडिल	अप्रशिक्षित
92.	कुमावत कालोनी, झोटवाड़ा	,, मंगी	मैट्रिक	प्रशिक्षित
93.	खातीपुरा रोड झोटवाड़ा	,, सुविधा माथुर	,,	,,
94.	हरिजन बस्ती झोटवाड़ा	,, नीलम गुप्ता	,,	,,
95.	नेहरू नगर	,, शान्ति शर्मा	मिडिल	,,
96.	बस्ती सीतारामपुरा	,, मनोरमा शर्मा	मैट्रिक	,,
96.	,, ,,	,, सुनी गोयल	,,	,,
98.	अम्बा वाड़ी	,, मीरा गुप्ता	मिडिल	,,
99.	जे. पी. कालोनी	श्रीमती अनिता शर्मा	द्वितीय वर्ष	अप्रशिक्षित
100.	मुरलीपुरा कौर	,, राजेश्वरी शर्मा	मिडिल	प्रशिक्षित

आंगनवाड़ी केन्द्रों के नाम मय पते तथा कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मय उनकी योग्यता प्रशिक्षित/अप्रशिक्षित की सूची

क्रम सं.	नाम एवं पता आंगनबाड़ी केन्द्र	नाम आंगनबाड़ी कार्यकर्ता	योग्यता	प्रशिक्षित या अप्रशिक्षित
1	2	3	4	5
1.	बजाज नगर	कु. चन्द्ररानी गुप्ता	हायर सैकण्डरी	—
2.	बजाज नगर हरिजन बस्ती	श्रीमती गीता देवी	मिडिल	प्रशिक्षित
3.	बजाज नगर कच्ची बस्ती	,, ओमवती बैरवा	मिडिल	,,
4.	बजाज नगर	,, गायत्री शर्मा	मैट्रिक	,,
5.	बजाज नगर मोहन नगर	,, सुचारिता सिंह	हायर सैकण्डरी	—
6.	गौतम नगर-II	,, सरिता भट्ट	,, ,,	प्रशिक्षित
7.	20 दुकान कच्ची बस्ती	,, बीना रानी	,, ,,	,,
8.	कमेली की गली	कुमारी गीता सोलंकी	,, ,,	,,
9.	धन्नादास की बगीची सेन्ट्रल जेल के पीछे	,, प्रमिला शर्मा	,, ,,	,,
10.	,, ,, ,,	श्रीमती आशा जैन	,, ,,	,,

1	2	3	4	5
11.	कचरा बस्ती	श्रीमती मीना शर्मा	हायर सैकण्डरी	प्रशिक्षित
12.	धन्ना दास की बगीची	,, द्रोपदी खराडिया	,, ,,	,,
13.	जंवाहर नगर कच्ची बस्ती टीला नम्बर–7	,, सरोज सुखीजा	,, ,,	,,
14.	जवाहरनगर कच्ची बस्ती टीला नम्बर–6	कुमारी आशा राजावत	,, ,,	,,
15.	,, ,, ,, टीला नम्बर–5	श्रीमती आश मीना हर्ष	मिडिल	,,
16.	,, ,, ,, टीला नम्बर–4	,, कान्ता हर्ष	हायर सैकण्डरी	,,
17.	,, ,, ,, टीला नम्बर–3	,, सावित्री हर्ष	,, ,,	,,
18.	,, ,, ,, टीला नम्बर–2	,, संतोष भाटिया	इन्टर	अप्रशिक्षित
19.	जवाहर नगर कच्ची बस्ती–1–बी	,, संतोष शर्मा	इन्टर	,,
20.	आजाद नगर टीला नम्बर–1–ए	,, जसवंत कौर	मिडिल	,,
21.	सत्य साई कॉलिज के पास	,, दयावंती सक्सैना	मिडिल	,,
22.	मानसिंहपुरा टोंक फाटक–1	,, शारदा शर्मा	हायर सैकण्डरी	प्रशिक्षित
23.	,, ,, ,, –2	,, अंजू भट्ट	सैकण्डरी	,,
24.	,, ,, ,, –3	,, माया देवी शर्मा	,,	,,
25.	अम्बेडकर नगर	,, शीला निगम	मिडिल	,,

328

1	2	3	4	5
26.	अग्रसेन नगर बरकत नगर-1	श्रीमती मोहिनी देवी	सैकण्डरी	प्रशिक्षित
27.	,, ,, ,, ,, -2	,, प्रेम देवी बैरवा	हायर सैकण्डरी	अप्रशिक्षित
28.	फुसलिया बाग (सोडाला)	,, संतोष कुमारी	,,	प्रशिक्षित
29.	अम्बेडकर नगर	,, ललिता पवार	मिडिल	अप्रशिक्षित
30.	अशोक पुरा-2	,, सावित्री चौहान	हायर सैकण्डरी	अप्रशिक्षित
31.	हरिजन बस्ती खातीपुरा	,, सुमित्रा राजपूत	,, ,,	प्रशिक्षित
32.	कल्याणपुरी	,, मानकुमारी सक्सैना	बी. ए.	प्रशिक्षित
33.	सुशील पुरा	,, शान्ति देवी	मिडिल	,,
34.	बीड खातीपुरा	,, श्यामा शर्मा	मैट्रिक	अप्रशिक्षित
35.	मदरामपुरा	,, सुशीला अग्रवाल	हायर सैकण्डरी	प्रशिक्षित
36.	जमना डेरी	,, सरोज चौधरी	मिडिल	अप्रशिक्षित
37.		,, प्रेमवती कंवर	,,	,,
38.	यादव बस्ती बीड खातीपुरा	,, नेमदेवी जैन	,,	प्रशिक्षित
39.		,, आशा देवी	,,	,,
40.	22 गोदाम कच्ची बस्ती	,, पुष्पा शर्मा	,,	,,

1	2	3	4	5
41.	22 गोदाम कच्ची बस्ती	श्रीमती दुर्गा देवी	मैट्रिक	प्रशिक्षित
42.	कठपूतली नगर–I	,, विजय लक्ष्मी शर्मा	मिडिल	,,
43.	कठपूतली नगर–II	,, अंजू चौहान	मैट्रिक	,,
44.	संतोष नगर			
45.	न्यू कॉलोनी–I	,, शकुन्तला शर्मा	मैट्रिक	,,
46.	न्यू कॉलोनी–II	,, शकुन्तला जोशी	,,	,,
47.	न्यू कॉलोनी–III	,, गंगा देवी	,,	,,
48.	न्यू कॉलोनी–4	,, कमला सोलंकी	,,	,,
49.	कमला नेहरू नगर–1	,, गायत्री शर्मा	,,	,,
50.	कमला नेहरू नगर–II	,, रेखा पोदार	मिडिल	,,
51.	कमला नेहरू नगर–III	,, वीना कायस्थ	,,	,,
52.	कमला नेहरू नगर–4	,, उमा सोनी	,,	,,
53,	फतेहनगर–I	,, माया देवी शर्मा	,,	,,
54.	फतेहनगर–II	,, कृष्णा तिवारी	,,	,,
55.	फतेहनगर–III	,, कमला भंवर	,,	,,
56.	राय कॉलोनी–I	,, सरोज शर्मा	,,	,,

1	2	3		4	5
57.	राय कॉलोनी–II	श्रीमती	भगवती नेवार	मिडिल	प्रशिक्षित
58.	राय कॉलोनी–III	,,	माया शर्मा	,,	,,
59.	मजदूर नगर–I		रचना गुप्ता	मैट्रिक	,,
60.	मजदूर नगर–II	,,	सुशीला जैन	मिडिल	,,
61.	मजदूर नगर–III	,,	शान्ती अग्रवाल	,,	,,
62.	रैगर बस्ती	,,	सुलोचना तंवर	,,	,,
63.	खातीपुरा–I	,,	चांद शर्मा	,,	,,
64.	खातीपुरा–II	,,	रामजानकी	,,	,,
65.	खातीपुरा–III	,,	शकुन्तला	,,	,,
66.	हट्वाड़ा बस्ती–I	,,	विमला जोशी	मैट्रिक	,,
67.	हटवाड़ा बस्ती–III	,,	संतोष शर्मा	,,	,,
68.	शान्ती नगर–I	,,	सीता गुप्ता	,,	,,
69.	शान्ती नगर–II	,,	मंजू गुप्ता	मैट्रिक	,,
70.	हसनपुरा–ए	,,	मीना देवी	मिडिल	,,
71.	मजदूर नगर	,,	साँभर कंवर	मिडिल	,,
72.	हसनपुरा–I	,,	ओमवती शर्मा	मैट्रिक	,,

1	2	3	4	5
73.	हसनपुरा–II	श्रीमती रेहाना बेगम	मिडिल	प्रशिक्षित
74.	हसनपुरा–III	,, रुकसाना बेगम	मिडिल	,,
75.	हसनपुरा–4	,, सुमित्रा	मैट्रिक	,,
76.	हसनपुरा–5	,, शारदा	मिडिल	,,
77.	हसनपुरा–6	,, शकुन्तला	मैट्रिक	,,
78.	रेल्वे नगर लोको कॉलोनी–I	,, हीरा देवी पाण्डे	,,	,,
79.	रेल्वे लोको कॉलोनी–II	,, मधु शर्मा	,,	,,
80.	सूत्र मील–I	,, सावित्री गोस्वामी	,,	,,
81.	सूत मील–II	,, नीता परमार	,,	,,
82.	सैन कालोनी–I	,, मुन्नी शर्मा	,,	,,
83.	सैन कालोनी–II	,, कमलेश शर्मा	,,	,,
84.	सैन कालोनी–III	,, मंजू बाला	,,	,,
85.	बाड़ोदिया बस्ती–I	,, प्रेमलता वर्मा	,,	,,
86.	बाड़ोदिया बस्ती–II	,, वीना चतुर्वेदी	मिडिल	,,
87.	बाडोदिया बस्ती–III	,, ललिता	,,	,,
88.	हथरोई–I	,, लक्ष्मी बैरवा	मैट्रिक	,,

1	2	3	4	5
89.	हथरोई–II	श्रीमती सुनीता मोढ़ी	मिडिल	प्रशिक्षित
90.	हथरोई–III	,, मधु गोयल	मैट्रिक	,,
91.	हथरोई–4	,, इन्दुमती	,,	,,
92.	हथरोई–5	,, भोरी देवी	,,	अप्रशिक्षित
93.	लक्ष्मी नगर	,, यशोदा देवी	मिडिल	,,
94,	शिव कॉलोनी	उषा ठाकुर	मिडिल	प्रशिक्षित
95.	भैरव नगर	,, कमलेश सक्सैना	मैट्रिक	अप्रशिक्षित
96.	गणेश नगर	,, विद्या अरोडा	मैट्रिक	प्रशिक्षित
97.	राकडी	,, निम्मी कुमारी	मिडिल	प्रशिक्षित
98.	राकडी	,, मीना देवी	मैट्रिक	प्रशिक्षित

राज्य के ओवर ड्राफ्ट पर अंकुश.

309. श्री हर लाल सिंह खर्रा (श्री माधोपुर)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि केन्द्र सरकार ने राज्य ओवर ड्राफ्ट को इस वित्तीय वर्ष से क्रमबद्ध तरीके से बन्द कर परिधि में लाने का फैसला किया है ?

(2) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार इस फैसले से सहमत है ? यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

(3) क्या यह भी सही है कि ओवर ड्राफ्ट प्रणाली बन्द होने से राज्यों के वित्तीय अधिकार सीमित होंगे, तथा केन्द्र का मुंह देखना पड़ेगा तथा विकास के काम में बाधा आयेगी।

उत्तर

(1) राज्यों के ओवर ड्राफ्ट के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की नीति प्रकाशित हो चुकी है।

(2) राज्य सरकार स्वयं वित्तीय अनुशासन के पक्ष में है।

(3) वित्तीय अनुशासन से विकास कार्यों के करने में बाधा नहीं आनी चाहिये।

रामपुरा कोटा में अवस्थित चिकित्सालय

310. श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या रामपुरा कोटा में संयुक्त राष्ट्र परिवार कल्याण एजेन्सी की मदद से नौ लाख रुपये लगा कर चिकित्सालय का निर्माण कार्य पूरा हो गया ? यदि हां, तो कब ?

(2) यह चिकित्सालय कितनी संस्थाओं का होगा, एवं प्रसूति गृह चलाने के लिए इसमें कितने स्टाफ की नियुक्ति का प्रावधान है ?

(3) क्या उपरोक्त चिकित्सालय के लिए कुछ स्टाफ की नियुक्ति हो गई है, जो कि अभी महाराव भीमसिंह कोटा, अस्पताल में कार्य कर रहा है ? यदि हां, तो यह स्टाफ कब से कार्यरत है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) इस चिकित्सालय को विधिवत प्रारम्भ नहीं करने के क्या कारण हैं ? अब यह किस तिथि से प्रारम्भ कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) रामपुरा कोटा में मातृ शिशु कल्याण केन्द्र का भवन 8·60 लाख रुपये की लागत से निर्माण कराया गया था।

(चिकित्सा मंत्री)

भवन का निर्माण माह फरवरी, 85 में पूरा हो गया किन्तु विद्युत फिटिंग का कार्य अभी शेष है।

(2) यह मातृ शिशु कल्याण केन्द्र 30 रोगी शैयाओं का होगा तथा इसके लिये निम्न स्टाफ के पद स्वीकृत हैं :

1–	सी. ए. एस. डाक्टर	2
2–	स्टाफ नर्स	6
3–	प्रसाविका	3
4–	कनिष्ठ लिपिक	1
5–	वार्ड बाय	5
6–	स्वीपर	3

(3) जी हां, जो स्टाफ पद स्थापित है तथा जहां जहां कार्य कर रहा है उसकी सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(4) बिजली फिटिंग का कार्य पूर्ण न होने से यह मातृ शिशु कल्याण केन्द्र विधिवत प्रारम्भ नहीं किया गया है। विद्युत फिटिंग एवं कनेक्शन लगने के बाद इसे विधिवत प्रारम्भ कर दिया जायेगा।

क्र. सं.	पद नाम	स्वीकृत पद संख्या	कार्यरत संख्या	नियुक्ति की तिथि	स्थान जहां स्टाफ वर्तमान में कार्यरत है
1.	मी. ए. एस.	2	2	(1) 1–8–84	जे. के लोन अस्पताल कोटा में कार्यरत हैं
				(2) 4–3–85	यथा
2.	स्टाफ नर्स	6	6	4–9–84 –3	चिकित्सालय स्टेशन कोटा, जे. के. लोन, कोटा, रामपुरा चिकित्सालय कोटा ।
				8–8–84 –3	जे. के. लोन चिकित्सालय कोटा ।
3.	प्रसाविका	3	3	8–8–83 –3	—यथा—
4.	कनिष्ठ लिपिक	1	1	8–7–85	परिवार कल्याण संस्थान कोटा
5.	वार्ड बाय	5	1	10/84	—यथा—
6.	स्वीपर	3	1	10/84	—यथा—

खेल प्रशिक्षण केन्द्र

311. **श्री केदार नाथ** (श्रीगंगानगर) : क्या खेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे--

(1) खेल परिषद् ने प्रदेश में कितने क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र, उपकेन्द्र स्थापित किये हैं ?

(2) इन खेल प्रशिक्षण केन्द्रों में क्या व्यवस्था है ?

(3) कितने राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी तैयार किये गये हैं ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) परिषद द्वारा स्थापित क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्रों व उपकेन्द्र निम्नानुसार —है

क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र--7 (अजमेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, श्रीगंगानगर, उदयपुर)

उपकेन्द्र--9 (अलवर, भीलवाड़ा, भरतपुर, चित्तौड़गढ़, चूरू, कांकरोली, झुंझुनू, सीकर व सवाई माधोपुर)

(2) खेल प्रशिक्षण केन्द्रों पर व्यवस्था निम्न प्रकार है—

क्र.सं. केन्द्र	खेल अधिकारी	प्रशिक्षक	गेम्स ब्वाय	चौकीदार
1. अजमेर	1	9	1	1
2. बीकानेर	1	7	1	—
3. जयपुर	1	31	—	
4. जोधपुर	1	5	1	1
5. कोटा	1	5	1	1
6. श्रीगंगानगर	1	6	1	—
7. उदयपुर	1	9	1	1

खेल प्रशिक्षण उप केन्द्रों की व्यवस्था निम्न प्रकार है--

क्र.	नाम उप केन्द्र	प्रशिक्षक
1.	अलवर	1
2.	भीलवाड़ा	3
3.	भरतपुर	1
4.	चित्तौड़गढ़	2
5.	चूरू	2
6.	कांकरोली	2
7.	झुंझुनू	2
8.	सीकर	2
9.	सवाई माधोपुर	1

उपकेन्द्र पर स्थानीय खेल प्रतिभा की उपलब्धि को मद्दे नजर रखते हुये वहां उसी खेल के प्रशिक्षक को पद स्थापित किया गया है।

(3) राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले समस्त खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी कहलाते हैं। प्रदेश में 28 प्रकार के खेल संघ परिषद से मान्यता प्राप्त हैं। प्राय: प्रत्येक खेल में तीन वर्ग होते हैं और प्रत्येक वर्ग में सामान्यत औसतन 20 पुरुष तथा महिला खिलाड़ी राष्ट्रीय प्रतियोगिता में प्रति वर्ष भाग लेते हैं। ऐसी स्थिति में प्रति वर्ष हजारों राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी तैयार होते हैं। अत: पूरे राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों की सूची प्रस्तुत करना कठिन है।

अन्तर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों की सूची परिशिष्ट "क" पर हैं।

परिशिष्ट 'क'

अन्तर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों की खेल वार सूची :—

एथलेटिक्स—श्रीराम सिंह, गोपाल सैनी, राजकुमार, श्रीमती हमीदा बानू, राजेन्द्र शर्मा, कर्णसिंह, एस.एन. भामा, श्री मन्द, हजारीराम, कु. डेवनपोर्ट, रामनारायण, हरभजन सिंह, बलतेजसिंह, पोकरमल, श्रीमती सुजाता, सुन्दर, कौशल नागर, हरीकुमार दुसाज, जगन सिंह।

बास्केटबाल—खुशीराम, सुरेन्द्र कटारिया, हनुमान सिंह, अजमेर सिंह, जुगल किशोर कपूर, परमजीत सिंह, जोरावर सिंह, विष्णुकांत शर्मा, महेन्द्र विक्रम सिंह, रघुराज सिंह, रमन गुप्ता, प्रताप सिंह, वी.पी. नरूला, दिनेश चतुर्वेदी, आनन्दसिंह, राजेन्द्र सिंह, हरीदास, अशोक गुप्ता इकबाल पठान, नारायण कल्ला, निरंजन गोदारा, पवन कुमार चौरड़िया, अमर सिंह, शिव कुमार मिश्र, रामकुमार।

साइकिलिंग—गिरीराज रंगा, अमर सिंह, गणेश सुथार, नरेन्द्र ओझा, घेनुपाल सिंह, गंगाधर, सुश्री चन्द्रिका गिताई, जयश्री भाटी।

क्रिकेट—सलीम दुर्रानी, पार्थसारथी शर्मा, जी.आर. सुन्दरम्, हनुमन्त सिंह, लक्ष्मण सिंह, शरद जोशी, संजू, अंजू मुत्कवि।

घुड़सवारी—खान मोहम्मद खान, रघुवीर सिंह, प्रहलाद सिंह, गुलाम मोहम्मद खान, विशाल सिंह, सुल्तान खां, राम सिंह, हुसैन खान।

फुटबाल—मगन सिंह, सी.पी. एन्डरयस, नसीरूद्दीन, विजय किशोर सिंह, मालचन्द, हरीश चन्द, सुशील कुमार, प्रहलाद सिंह, चैन सिंह, देवी सिंह, जसवन्त सिन्हा, कु. सरोज चौहान।

गोल्फ—लक्ष्मण सिंह।

हाकी (पुरुष)—जरनेल सिंह, गुरदेवेन्द्र सिंह, तेजेन्द्र सिंह, दलजिन्दर सिंह।

हाकी (महिला)—श्रीमती सुनीता पुरी, वर्षा सोनी, गंगोत्री भन्डारी, नीलम।

हेन्डबाल—इरफान अली।

कबड्डी—अशफाक अहमद, गोविन्द नारायण, गिरीराज किशोर, लीलाराम, सुश्री साधना टोकड़ा।

लान टेनिस—मनमोहन मेहरा।

पोलो—महाराजा प्रेम सिंह, ले.क. किशन सिंह, कैप्टिन विजय सिंह।

निशानेबाजी—डॉ. कर्ण सिंह, श्रीमती राज्यश्री कुमारी, श्रीमती भुवनेश्वरी कुमारी, महाराव भीमसिंह, मेजर आपजी कल्याण सिंह, मानसिंह, देवीसिंह, ठा. कालूसिंह।

सोफ्टबाल—सुश्री भवानी कछावा, श्रीमती नीरजा सिंह, सुश्री उषा शर्मा एवं निशा जोशी।

तैराकी—कु. रीमा दत्ता, श्री भंवर सिंह, मंजरी भार्गव, श्री अनिल गंजू, कु. ग्लेण्डा डिसूजा।

स्क्वेश—सुश्री भुवनेश्वरी कुमारी, कु. हनी शर्मन।

टेबिल टेनिस—श्री प्रमोद पाटनी।

वालीबाल—श्री श्याम सुन्दर राव, श्री सुरेश मिश्रा, श्री आर.के. पुरोहित, सुश्री रमा पांडे, श्री वमन भल्लावाला, राधेश्याम शर्मा, एन.के. मिश्रा, श्रीमती प्यारी, कुट्टी कृष्णन्, सुमेर सिंह, प्रभाकर राजू, अशोक जैन, हंगामीलाल, गोपालराम, अमर सिंह, सुरेशचन्द्र शर्मा, अशोक आसोपा, एस.एन. शुक्ला, कीर्तेश अशोक छक्कड़, सुश्री सुनीता शर्मा।

कुश्ती—रामफल सिंह, राजेन्द्र प्रसाद, कमल सिंह, मेहरदीन।

(340)

सिंचाई विभाग के कर्मचारियों द्वारा ग्राम विजयपुरा के निवासियों से अभद्र व्यवहार

312. **श्री मांगी लाल मेघवाल** (पाटन)

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : क्या सिंचित क्षेत्र विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पीपल्दा क्षेत्र के ग्राम विजयपुरा में सिंचाई विभाग की वसूली पर गए कर्मचारियों द्वारा गांव में शराब पीकर अनावश्यक गांव वालों के साथ मारपीट की गई थी, जिसकी शिकायत उच्चाधिकारियों को की गई थी ?

(2) यदि हां, तो क्या उक्त मामले की जांच की गई? यदि हाँ तो किसके द्वारा ? कृपया जांच रिपोर्ट की प्रति सदन के पटल पर रखें।

(3) उक्त मामले में कौन व्यक्ति दोषी पाया गया, तथा उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

जी, हां।

(2) जी, हां।

जांच श्री एम.वी. माथुर, अधिशाषी अभियन्ता द्वारा की गई। रिपोर्ट की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई।

(3) उपरोक्त मामले में किसी को भी दोषी नहीं पाया गया। अतः किसी के विरुद्ध कोई कार्यवाही की जाने की आवश्यकता नहीं।

वास्तविकता यह है कि वसूली पर गये कर्मचारियों के साथ मारपीट की गई जिसके सन्दर्भ में थाना इटावा में केस संख्या 40/85 दिनांक 1-4-85 दर्ज हुआ जो जेरे तफ्तीश है।

रिपोर्ट की प्राप्ति

M. B. Mathur
Executive Engineer.

Research, Planning and Monitoring
Division, Chambal Vikas Bhawan, Kota.
D.O. 96
Dated the 17th April, 1985.

Subject—Complaints.

My dear Shri Dadhich Sahib,

Kindly refer to your letter No. ADC/Vig/85/393 dated the 16th April, 1985 on the subject cited above for which had desired me to send my fact finding report in the matter. The matter has been investigated and it is found that facts of the case are completely contrary to the contents of the complaint made by Shri Badri Lal S/O Shri Hira Lal Meena resident of Vijaypura. As a matter of fact Shri Badri Lal himself is a culprit in this case and he, alongwith his companions, has beaten Shri Bhudev Prasad, Zileder and the other Government Officials who had been to village Vijaypura for realising the irrigation dues from the villagers. When demanding the dues, the complainent Shri Badri Lal, not only refused to pay the dues but also made an attach with weapon on Shri Bhudev Prasad, Ziledar and the other Government servants who had been with him for realising the Government dues.

Shri Bhudev Prasad has therefore lodged FIR at Police Station, Itawa which alongwith the report of the SHO regarding progress in this case and action taken by the police is enclosed herewith for your perusal and further necessary action.

I don't think any action in this respect is necessary from this and as matter is already under the investigation with the police and a prompt action is being taken by these. However, the Executive Engineer, RMC Division, II may be requested to have a personal contact with the Police Officers and Officials and persue the case and to submit weekly progress report in this regard. The SHO during the course of discussions told me that certain record/information were desired from Shri Bhudev Prasad as mentioned in this progress report. It would therefore be very essential that the Asstt. Engineer, RMC Sub-Division, Managrol is directed to send the desired information to SHO. Itawa, so that further necessary action in this matter may be taken by police.

With regards,

Yours Sincerely,
Sd/-
(M. B. Mathur)

Shri R. D. Dadhich,
Dy. Commissioner,
CAD Chambal, Kota.

Encl : As above alongwith
full case as received.

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, झालावाड़ में सामान की खरीद

313. **श्री हरीश शर्मा** (खानपुर): क्या विशिष्ट योजना संगठन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, झालावाड़ में आयोजना अधिकारी द्वारा कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने हेतु माह नवम्बर, 1984 में क्या-क्या सामान खरीदा गया है, तथा किस कीमत पर ? क्या यह सामान निर्धारित कीमतों से अधिक कीमत पर खरीदा गया ? यदि हां, तो क्यों, और क्या सरकार दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ?

(2) अभिकरण के कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए शासकीय निकाय की बैठक में कुल कितनी राशि मंजूर की गई थी ? इस राशि को किस किस मद में खर्च किया गया, तथा जिस कार्य हेतु मंजूर की गई थी, उस हेतु यह इस्तेमाल की गई या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) माह नवम्बर, 1984 में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, झालावाड़ में कार्यालय द्वारा निम्न सामान कार्यालय कर्मचारियों व अधिकारियों को वितरण करने हेतु खरीदा गया—

आईटम	संख्या	कीमत
अटैची	12	4072·00
प्रेशर कुकर	12	1800·00
5–5 बर्तन सैट	4	377·48
		6249·48

अटैची व प्रेशर कुकर क्रय प्राप्त कोटेशन के आधार पर न्यूनतम कीमतों के आधार पर किया गया है।

इस प्रकार उक्त सामान निर्धारित कीमत पर कुल रु. 6249·48 में प्रचलित बाजार भाव पर नियमानुसार खरीदा गया है।

(2) अभिकरण के कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए शासकीय निकाय की बैठक में रु. 10,000 की राशि स्वीकृत की गई थी। इस राशि का व्यय स्वीकृत मद में ही कर्मचारियों एवं अधिकारियों को कार्य कुशलता को दृष्टिगत करते हुए वितरित किया गया है।

रेफरल हॉस्पिटल, सलूम्बर

315. **श्री थानसिंह मीणा** (सलूम्बर): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) सलूम्बर रेफरल हॉस्पिटल कब से खुला है ?

(2) उक्त रेफरल हॉस्पिटल में कितने बैड की मन्जूरी है, आज तक कितने बैड हैं ?

(3) हॉस्पिटल के लिए एक्स-रे मशीन कब खरीदी गई है, व कितने रोगियों के एक्स-रे खींचे गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं किया गया ? इस मशीन का उपयोग कब से शुरू हो जायेगा ?

उत्तर

(1) माह जनवरी, 1983 में सजूम्बर को उच्चीकृत करने की स्वीकृति जारी की गई। भवन व्यवस्था पूर्ण होने पर 19-6-84 से चालू किया गया है।

(2) 30 रोगी शैयायें स्वीकृत है, एवं वर्तमान में 30 पलंग उपलब्ध है।

(3) दिनांक 15-3-84 को चिकित्सालय के लिए एक्स-रे मशीन क्रय की गई तथा 23-3-84 को वहां पहुंच गई। 3 फैज पावर लाइन व भवन व्यवस्था पूर्ण होने पर दिनांक 8-5-85 से कार्य कर रही है। दो माह की अवधि में 25 रोगियों का स्क्रीनिंग किया गया। अब एक्स-रे मशीन पूर्ण क्षमता से चालू कर उपयोग में लाई जा रही है।

बयाना जेल से फरार कैदी

316. **नत्थी सिंह** (कुम्हेर) : क्या कारागृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि दिनांक 6 मार्च, 1985 को बयाना जेल से हत्या का अपराधी श्री युधिष्ठर शर्मा भाग गया था?

(2) क्या मुलजिम के जेल से भागने के सम्बन्ध में कोई जांच की गई है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या उक्त अपराधी अभी तक फरार है?

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त अपराधी दिनांक 13-8-1977 को भी उसी जेल से भागा था? क्या उस समय इसके लिए जिम्मेदार किसी अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई? यदि हां, तो क्या?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। प्राथमिक जांच कराई गई और इस संदर्भित जांच रिपोर्ट की दृष्टि में रखकर दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जा रही है। विवरण सदन के पटल पर रख दिया है।

(3) जी हां।

(4) जी नहीं। अतः कार्यवाही का प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

बन्दी युधिष्ठर की फरारी के सम्बन्ध में उप कारागृह, बयाना के कर्मचारियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही

क्र. संख्या	नाम कर्मचारी	पद	की जा रही कार्यवाही राजस्थान असैनिक सेवायें (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही	
1.	श्री वेनी प्रसाद	सहायक कारापाल	नियम 16	वर्तमान में कर्मचारी निलम्बित हैं।
2.	श्री हीरा सिंह	मुख्य प्रहरी	,,	
3.	श्री विजेन्द्र सिंह	प्रहरी	,,	
4.	श्री नन्दा	प्रहरी		
5.	श्री पूरण सिंह	प्रहरी	नियम 17 के अन्तर्गत	
6.	श्री रामजी लाल	प्रहरी	,,	

खनन पट्टों का छठा नवीनीकरण

317. **श्री हरिकुमार औदिच्य** (रामगंज मंडी) : क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 1977 में 5 नवीनीकरण का प्रावधान होने के बावजूद भी कुछ खनन पट्टे धारियों का छठा नवीनीकरण स्वीकृत किया गया है ?

(2) यदि हां, तो पिछले 5 वर्षों में किस-किस पट्टाधारी को किस-किस खान के लिए कब-कब छठा नवीनीकरण किया गया ? कृपया पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) प्रश्न नहीं उठता।

इटावा कस्बे में गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा ऋण वितरण

318. **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि इटावा कस्बे में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की गृह निर्माण सहकारी समिति बनाई गई थी ? यदि हां, तो उसके सदस्यों तथा पदाधिकारियों की सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या उक्त समिति को मकान बनाने हेतु ऋण स्वीकृत हुआ था ? यदि हां, तो कुल कितना तथा उसमें से किस सदस्य को कितनी राशि का भुगतान कर दिया गया है, तथा उसका क्या उपयोग किया गया है ?

(3) क्या ऋण वितरण में अनियमितता बरती गई है ? यदि हां, तो इसके लिये कौन व्यक्ति दोषी है, तथा उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जी हां, सदस्यों की सूची सदन के पटल पर रख दी गई हैं। समिति अवसायन में होने के कारण इसका कोई पदाधिकारी नहीं हैं।

(2) जी हां, कुल 23 सदस्यों का 92,000/– रुपये का ऋण स्वीकृत हुआ था तथा प्रति सदस्य को 400/– रुपये के हिसाब से प्रथम किश्त के रूप में भुगतान कर दिया गया, जिसका उपभोग नहीं हुआ। सदस्यों की सूची संलग्न हैं।

(3) जी नहीं।

सूची सदस्य इटावा आदर्श गृह निर्माण सहकारी समिति लि., (जिला कोटा)

क्र. सं.	नाम सदस्य	पिता का नाम	जाति	निवास स्थान
1.	श्री कृष्ण गोपाल	श्री मांगीलाल	जीनगर	इटावा
2.	,, रामदयाल	,, मांगीलाल	,,	,,
3.	,, श्री गोपीलाल	,, रामलाल	बैरवा	,,
4.	,, रामरतन	,, किशनलाल	,,	,,
5.	,, भैरूलाल	,, स्योजी	कोली	,,
6.	,, छीतरलाल	,, माधोलाल	बैरवा	,,
7.	,, ओंकार	,, जगन्नाथ	,,	,,
8.	,, रामनाथ	,, उदयलाल	कोली	,,
9.	,, गेन्दीलाल	,, वासी	,,	,,
10.	,, बजरंगलाल	,, पन्नालाल	,,	,,
11.	,, गोविन्दलाल	,, सुखा	,,	,,
12.	,, बिरधीलाल	,, उदयलाल	,,	,,
13.	,, पन्नालाल	,, रामनारायण	बैरवा	,,
14.	,, रामनाथ	,, कालूलाल	खटीक	,,
15.	,, छीतरलाल	,, भैरूलाल	,,	,,
16.	,, ओंकार	,, गौरू	बैरवा	,,
17.	,, गौरू	,, जग्गा	,,	,,
18.	,, हरदेव	,, धूलीलाल	,,	,,
19.	,, नारायणदास	,, नाथूदास	कोली	,,
20.	,, श्योलाल	,, लछमन	,,	,,
21.	,, गेंदीलाल	,, नाथूलाल	,,	,,
22.	,, छीतरलाल	,, रामलाल	हरिजन	,,
23.	,, पाथूलाल	,, धूलीलाल	बैरवा	,,
24.	,, बिरधीलाल	,, भीमा	कोली	,,
25.	,, देवलाल	,, भैरूलाल	,,	,,

348

सूची ऋणी सदस्य इटावा आदर्श गृह निर्माण सहकारी समिति लि. (कोटा)

क्र. सं.	नाम मय पिता का नाम	वितरित ऋण राशि	दिनांक	ह./नि. अ.
1.	श्री कृष्णगोपाल/मांगीलाल	400/-	8-1-78	ह./-
2.	,, रामदयाल/मांगीलाल	,,	,,	,,
3.	,, छीतरलाल/रामलाल	,,	,,	,,
4	,, गोपीलाल/रामलाल	,,	,,	,,
5.	,, रामरतन/किशनलाल	,,	,,	,,
6.	,, भैरूलाल/स्योजी	,,	,,	,,
7.	,, छीतरलाल/माधो	,,	,,	,,
8.	,, ओंकार/जगन्नाथ	,,	,,	,,
9.	,, रामनाथ/उदयलाल	,,	,,	,,
10.	,, विरधीलाल/उदयलाल	,,	,,	,,
11.	,, गैंदीलाल/घासीलाल	,,	,,	,,
12.	,, बजरंगलाल/पन्नालाल	,,	,,	,,
13.	,, गोविन्दलाल/सुखा	,,	,,	,,
14.	,, पन्नालाल/रामनारायण	,,	,,	,,
15.	,, ओंकार/गोरू	,,	,,	,,
16.	,, गोरू/जग्गा	,,	,,	,,
17.	,, हरदेव/धूलीलाल	,,	,,	,,
18.	,, नारायणदास/नाथूदास	,,	,,	,,
19.	,, स्योलाल/लक्ष्मण	,,	,,	,,
20.	,, गैंदीलाल/नाथूलाल	,,	,,	,,
21.	,, छीतरलाल/भैरूलाल	,,	,,	,,
22.	,, नाथूलाल/धूलीलाल	,,	,,	,,
23.	,, रामनाथ/कालूराम	,,	,,	,,

अस्पतालों में दवाई व भवन संधारण पर व्यय

320. **श्री सम्पत सिंह (नगर)** : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) प्रान्त में किस आधार पर राजकीय अस्पतालों को वर्गीकृत किया गया है? प्रत्येक जिले के अस्पताल को सालभर में दवाई, इमारत के तहत कितनी धन राशि दी जाती है?

(2) ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में परिवार कल्याण की पृथक-पृथक क्या उपलब्धि है?

उत्तर

(1) रोगी शैय्याओं के आधार पर प्रान्त में राजकीय अस्पतालों का वर्गीकरण निम्न प्रकार हैं :–

प्रथम श्रेणी 300 या अधिक

द्वितीय श्रेणी 150 से 299

तृतीय श्रेणी 100 से 149

चतुर्थ श्रेणी 50 से 99

पंचम श्रेणी 20 से 49

षष्टम श्रेणी 10 से 19

राज्य सरकार के निर्धारित मापदण्ड के अनुसार राजकीय चिकित्सालयों को दवाइयों हेतु सालाना निम्न प्रकार से धन राशि आवंटित की जाती है :—

इन्डोर रोगियों को रु. 1200/– प्रति वर्ष प्रति रोगी।

आउट डोर रोगियों को रु. 1·50 प्रति रोगी प्रति दिन।

एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को 15,000.00 से 18,000.00 रुपये प्रतिवर्ष।

एक उपकेन्द्र को रु. 2000·00 प्रति वर्ष डिस्पेन्सरी (रोगी शैय्या युक्त) रुपये 10,000.00 प्रतिवर्ष।

डिस्पेन्सरी (बिना रोगी शैय्या) रुपये 8,000·00 प्रति वर्ष।

एडपोस्ट रु. 3500.00 प्रति वर्ष।

उपजिला मुख्यालय के अस्पतालों या जिला अस्पतालों की मरम्मत एवं रखरखाव का उत्तरदायित्व सार्वजनिक निर्माण विभाग का है। तथा उपजिला मुख्यालय से नीचे स्थित चिकित्सा संस्थाओं की मरम्मत एवं रखरखाव हेतु एक मुश्त राशि का प्रावधान बजट में किया जाता है जिसमें से सम्बन्धित चिकित्सा संस्थान की आवश्यकता के अनुसार धन राशि उपलब्ध कराई जाती है।

(2) ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में परिवार कल्याण की उपलब्धि का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

परिवार कल्याण कार्यक्रम की प्रगति, राजस्थान 1980-1985

वर्ष	नसबन्दी			लूप प्रविष्ठि			निरोध वितरण		
	ग्रामीण	शहरी	योग	ग्रामीण	शहरी	योग	ग्रामीण	शहरी	योग
1980-81	67740	32801	100541	7403	10707	18110	5381306	1285514	6666820
1981-82	101193	40865	142058	7753	10764	18517	3963557	1052462	5016019
1982-83	127853	39243	167096	8568	12525	21093	3846022	1020508	4866530
1983-84	141741	42616	184357	18765	17136	35901	6423264	1241009	7664273
1984-85	103012	35406	138418	31917	29813	61730	8366220	2835984	11202204
	(प्रावधानिक)								

प्रीमियर कम्पनी से मिनी ट्रकों की खरीद

321. **श्री नवनीतलाल नीनामा** (घाटोल)

श्री हरिकुमार औदिच्य (रामगंजमंडी): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास निगम द्वारा वर्ष 1983-84 व 1984-85 में प्रीमियर कम्पनी से कितने मिनी ट्रक क्रय किये गये ?

(2) क्या मिनी ट्रकों की बोडी बनाने हेतु निविदायें ग्रामंत्रित की गई ? यदि हां, तो कब एवं किस-किस ने निविदायें दी ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

(3) क्या यह सत्य है कि जयपुर में जो ट्रक बोडी बनवाई गई उसकी लम्बाई कम करके बनवाई गई ? यदि हां तो, कितनी लम्बाई कम थी, और उसके बनाने में कितना व्यय कम हुआ ?

(4) क्या उदयपुर में फुल ट्रक बोडी 35,000/- रुपये में उस समय बन रही थी, तो इस हाफ बोडी के 40,000/- रुपये देने का क्या औचित्य था ? क्या विभाग इसकी जांच करायेगा ?

उत्तर

(1) राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ लि,. उदयपुर द्वारा वर्ष 1983-84 में दो मिनी ट्रक प्रीमियर कम्पनी से क्रय किये गये एवं वर्ष 1984-85 में कोई मिनी ट्रक क्रय नहीं किये गये।

(2) जी नहीं। अलग से कोई निविदा आमंत्रित नहीं की गई। मिनी ट्रक वाहन क्रय हेतु निर्माताओं के प्रतिनिधियों से पत्र संख्या 3751 दिनांक 29-8-83 द्वारा चैसिस के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई जिसमें तीन निविदाएं संघ को प्राप्त हुई। इसमें दो ने बाडी के लिए भी दरें इंगित की थी। वे फर्में निम्नलिखित थी—

1. मैसर्स वेस्टर्न इण्डिया स्टेट मोटर्स, राज. जयपुर।
2. मैसर्स युनाईटेड मोटर्स आफ राज., जयपुर।

(3) जयपुर में ट्रकों की जो बाडी बनवाई गई उसके चैसिस को बोडी निर्माता ने कुछ तकनीकी कारणों से करीब सात-आठ इन्च कम कर दी थी, ताकि वाहन झोंक कम खावें। व्यय में लगभग 400-500 रु. की कमी रही होगी।

(4) संघ की जानकारी में ऐसे कोई तथ्य नहीं आये। चैसिस की दरों के साथ ही जिन दो निर्माताओं द्वारा बोडी बनाने की दरें प्राप्त हुई थी, उनमें प्राप्त न्यूनतम दर वाले फर्म मैसर्स वेस्टर्न इण्डिया स्टेट मोटर्स, जयपुर से 37,612.99 रुपये में बोडी बनवाई गई। बोडी न्यूनतम दरें देने वाली पार्टी से निर्माता द्वारा राजकीय विभागों के लिये निर्धारित दर के अनुसार बनवाई गई।

तीर्थराज पुष्कर में पेयजल व्यवस्था

322. **श्री रमजान खां (पुष्कर)** : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि तीर्थराज पुष्कर में प्रति वर्ष लाखों की तादाद में तीर्थ यात्री आते हैं ? यदि हां, तो क्या इनको पेयजल की पूर्ण सुविधा मिल पाती है ?

(2) क्या यह भी सही है कि पुष्कर के पास गनाहेड़ा से अजमेर शहर को प्रति दिन 20 लाख गैलन पानी दिया जाता है, और पुष्कर को केवल डेढ़ लाख गैलन ही पानी मिल पाता है ? क्या यह भी सही है कि पुष्कर में इस समय केवल एक समय एक घण्टे पानी मिलता है ? यदि ऐसा है, तो पुष्कर का पानी अजमेर को देने से पहले पुष्कर की जलपूर्ति नहीं करने के क्या कारण हैं ?

(3) क्या पुष्कर कस्बे में गत वर्ष पांच हैण्ड पम्प खुदवाये गये थे ? यदि हां, तो क्या वे आज चालू हालत में हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या यह भी सही है कि बूढ़ा पुष्कर से पश्चिमी रेलवे अजमेर को पानी दिया जाता है ? यदि हां, तो उसमें से पुष्कर कस्बे को पानी को क्यों नहीं प्रदान किया जाता ?

(5) सरकार पुष्कर कस्बे की पेयजल समस्या का किस प्रकार स्थायी समाधान करना चाहती है ?

उत्तर

(1) जी हां। जी हां।

(2) गनेडा स्रोत से अजमेर शहर को औसतन 15 लाख गैलन पानी एवं पुष्कर शहर को 1·5 लाख गैलन पानी दिया जाता है, व मेले के समय पुष्कर को अतिरिक्त पानी उपलब्ध कराया जाता है। पुष्कर शहर को प्रातः 1½ घण्टे पानी उपलब्ध कराया जा रहा है।

पुष्कर स्रोत से अजमेर शहर को कोई पानी नहीं दिया जा रहा है।

(3) जी नहीं, किन्तु वर्ष 1982-83 में 5 हैण्ड पम्प खुदवाये गये थे। जिनमें से दो सफल रहे, दो हैण्ड पम्प डेढ़ वर्ष तक कार्यरत रहने के पश्चात् ढह गये व एक से वर्तमान में पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है।

(4) जी हां। बूढ़ा पुष्कर में पानी उचित मात्रा में न होने के कारण वर्तमान में पुष्कर को यहां से पानी उपलब्ध कराना संभव नहीं है।

(5) तकनीकी उपयुक्तता एवं धन उपलब्धि के अनुसार समस्या के समाधान हेतु योजना बनाई जा सकेगी।

आसीन्द में नयी को-आपरेटिव स्पिनिंग मिल की स्थापना

323. **श्री विजेन्द्र पाल सिंह** (आसीन्द) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि आसीन्द में नया को-आपरेटिव स्पिनिंग मिल स्थापित करने का मामला सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक स्थापित हो जावेगी ?

(2) इस मिल पर कितनी राशि लगने का अनुमान है ?

(3) क्या यह सही है कि वर्तमान समय में जो स्थल प्रस्तावित है वह दो नदियों के बीच में है ? क्या सरकार इसे तकनीकी दृष्टि से उचित समझती है ?

उत्तर

(1) जी हां। स्थापना की अग्रिम कार्यवाही भारत सरकार से लाईसेन्स प्राप्त होने के उपरान्त की जावेगी।

(2) प्रारम्भिक परियोजना रिपोर्ट के आधार पर 1032 लाख रुपये खर्च होने का अनुमान है।

(3) जी नहीं। उक्त स्थल को मिल की स्थापना के लिये उपयुक्त माना गया है।

राजस्थान विश्वविद्यालय के उप कुलपति का चयन

324. **श्री कालीचरण सराफ** (जोहरी बाजार)

श्री नाथूसिंह (टोडा रायसिंह)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा)

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण)

श्री हरलाल सिंह खर्रा (श्रीमाधोपुर)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर)

सुश्री पुष्पा जैन (पाली) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान विश्वविद्यालय के स्थाई उप कुलपति का कार्यकाल 4 मई, 1985 को समाप्त हो गया ? यदि हां, तो कब ? अब तक स्थाई उप कुलपति की नियुक्ति क्यों नहीं की गई ? अस्थाई उप कुलपति की नियुक्ति किन नियमों के आधार पर की गई ?

(2) इस समय इस पद पर कौन कार्यरत है व किन नियमों के अन्तर्गत ? कृपया नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) उप कुलपति चुनने की क्या प्रक्रिया है ?

(4) क्या उप कुलपति का चयन कर लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(5) क्या इस सम्बन्ध में कोई चयन समिति बनाई गई है ? यदि हां, तो इस चयन समिति में कौन कौन व्यक्ति हैं, एवं किस किस हैसियत में ?

(6) यह समिति किन-किन नियमों के अन्तर्गत बनाई गई ? कृपया नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(7) क्या नवीन नियुक्ति के लिये समिति द्वारा अनुशंषायें कर भिजवा दी गई है ? यदि हां, तो किन किन नामों की किस क्रम में सिफारिश की हैं ?

(8) क्या इस अनुशंषा के अनुसार अभी तक निर्णय नहीं लिया गया है, एवं पूर्व उप कुलपति ही कार्यभार संभाले हुए है ?

(9) क्या इस अनिश्चितता के कारण होने वाली प्रशासनिक शिथिलता से राज्य सरकार परिचित है ?

(10) क्या उप कुलपति के चयन को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार तत्संदर्भ में जांच करायेगी ? यदि हां, तो कब तक और किस माध्यम से ? नहीं, तो क्यों ?

(11) नये उप कुलपति का चयन कब तक कर लिया जायेगा ?

(12) क्या यह सही है कि राजस्थान विश्वविद्यालय के अस्थाई उप कुलपति ने अनेक नीतिगत फैसले लिए हैं, जिनसे विश्वविद्यालय तथा उनके शिक्षकों का भाग्य जुड़ा है ? यदि हां तो क्या नियमों के तहत अस्थाई उप कुलपति ऐसे निर्णय करने के लिये सक्षम हैं ? यदि नहीं तो, निर्णय क्यों लिए गये ?

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान विश्वविद्यालय के स्थायी कुलपति का कार्यकाल 3 मई, 85 को समाप्त हो गया था। स्थायी कुलपति की नियुक्ति की प्रक्रिया जारी है।

अस्थायी कुलपति की नियुक्ति कार्य चलाने के लिए राजस्थान विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 12(7) के तहत की गई है।

(2) इस समय इस पद पर प्रो. टी. के. एन. उण्णिथान कार्यरत हैं। जिन्हें राज. विश्वविद्यालय अधिनियम 1946 की धारा 12(7) के तहत विश्वविद्यालय के कुलाधिपति महोदय ने अग्रिम आदेश तक कुलपति का कार्य निर्वहन करने हेतु दिनांक 3-5-1985 द्वारा अधिकृत किया है। नियमों की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) राजस्थान विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 12(1) के तहत चयन समिति का गठन होता है।

(4) जी नहीं। अभी प्रक्रिया जारी है।

(5) निम्न सदस्यों की प्रतिनिधि की हैसियत से चयन समिति बनाई गई है :-

1. डा. माधुरी आर. शाह, अध्यक्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, कुलाधिपति के उपनिधि एवं अध्यक्ष चयन समिति।

2. डी. एस. कोठारी, राजस्थान विश्वविद्यालय सिंडीकेट के प्रतिनिधि।

3. प्रो. एम. सी. खरे, चेयरमैन यूनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन के प्रतिनिधि।

(6) यह समिति राजस्थान विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 12(1) के अन्तर्गत बनाई गई है। धारा 12(1) की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(7) जी हां। नाम वर्णमाला क्रम के अनुसार है किन्तु गोपनीयता के कारण चयन होने तक इसे बताना सम्भव नहीं है।

(8) जी हां।

(9) ऐसी कोई प्रशासनिक शिथिलता राज्य सरकार के ध्यान में नहीं आई है।

(10) चयन को लेकर कोई वाद उत्पन्न नही हुआ है।

(11) जैसे कुलाधिपति द्वारा अंतिम निर्णय लिया जायेगा।

(12) विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 12(7) के अन्तर्गत नियुक्त तथा 12(1) के अन्तर्गत नियुक्त कुलपति के अधिकारों में उक्त अधिनियम के अनुसार कोई अन्तर नहीं है तथा धारा 12(7) के अन्तर्गत नियुक्त अस्थायी कुलपति को वे सभी अधिकार प्राप्त हैं जो कि धारा 12(1) के अन्तर्गत नियुक्त स्थायी कुलपति को हैं।

(356)

नियमों की प्रति

RAJASTHAN UNIVERSITY ACT

SECTION–12(7)

When a temporary vacancy in the office of the Vice-Chancellor occurs by reason of leave, illness or otherwise, the Pro-vice-Chancellar, shall carry on the office of the Vice Chancellor. Where, however, there is no Pro-Vice-Chencellor or he is also temporarily absent, the Syndicate shall forth-with report the same to the Chancellor who shall make such arrangements for carrying on the office of Vice-Chancellor as he may deem fit.

THE RAJASTHAN UNIVERSITY ACT

Section 12(1) The Vice-Chancellor shall be a whole-time paid office of the University and shall be appointed by the Chancellor upon the recommendation of Selection. Committee constituting of the following namly :—

(i) a person nominated by the Syndicate not connected with the University or any affiliated college or approved institution,

(ii) a person nominated by the Chairman, University Grants Commission, and

(iii) an educationist nominated by the Chancellor and the Chacellor shall appoint one of the these three persons as the Chairman of the Committee.

चिकित्सीय सुविधाओं का विस्तार

325. **श्री अश्क अली** (फतेहपुर) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सुविधाओं में विस्तार और सुधार हेतु कोई कार्यक्रम लागू करने जा रही है ? यदि हां, तो क्या ? कृपया विवरण सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या सरकार चिकित्सा सेवा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिये घर-घर जाकर दवा आदि देने की व्यवस्था को पुनर्गठित करने का कोई कार्यक्रम बना रही है ? यदि हां, तो क्या ?

उत्तर

(1) स्वास्थ्य सबके लिये सन् 2000 तक लक्ष्य के अन्तर्गत निम्न मापदण्डों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार वित्तीय प्रावधान उपलब्धता के अनुसार किया जाना है :—

	साधारण क्षेत्र में जनसंख्या पर एक	जनजाति क्षेत्र में
प्रा. स्वा. केन्द्र	30,000	20,000
उप केन्द्र	5,000	3,000
स्वा. दर्शक	1,000	500
प्रशिक्षित दाई	1,000	500
सामुदायिक स्वा. केन्द्र	1,00,000 अथवा 4 प्रा. स्वा. केन्द्र में से एक क्रमोन्नत	1,00,000 अथवा 4 प्रा. स्वा. केन्द्र में से एक क्रमोन्नत

(2) फिलहाल वर्तमान व्यवस्था में परिवर्तन का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

जहाजपुर नगरपालिका के अधिशाषी अधिकारी

326. **श्री रतनलाल ताम्बी** (जहाजपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जहाजपुर नगरपालिका में अधिशासी अधिकारी है ? यदि हां, तो वह कब व कहां से स्थानान्तरित होकर आये हैं ?

(2) क्या यह सही है कि अधिशासी अधिकारी ने स्थानान्तरण टी. ए. शाहपुरा, जहाजपुर दोनों नगर पालिकाओं से उठाये हैं ? यदि हां, तो कितनी-कितनी राशि

उठाई है ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त अधिशासी अधिकारी, जहाजपुर में प्रायः नहीं रहते हैं-? यदि हां, तो किस-किस प्रकार के अवकाश का उपभोग किया है ? कृपया विवरण सदन पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि उक्त अधिशासी अधिकारी महीने में कभी एक बार आकर हाजिरी लगा देते हैं ? यदि हां, तो, ऐसे मामले कब कब सरकार के सामने आये हैं, और उन पर क्या-क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जी हां। दिनांक 20-10-83 को नगरपालिका, शाहपुरा से स्थानान्तरित होकर आये हैं।

(2) जी हां। उठाई गई राशि का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(3) जी नहीं। उनके द्वारा उपभोग किये गये अवकाश का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(4) जी नहीं।

विवरण

नगर पालिका शाहपुरा से उठाया गये स्थानान्तरण यात्रा भत्ता की राशि	371·00 रु.
नगरपालिका जहाजपुर से उठाया गये स्थानान्तरण यात्रा भत्ते की राशि	580.50 रु.

वर्तमान अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका जहाजपुर द्वारा निम्नलिखित अवधि का अवकाश लिया गया है, जिस का विवरण निम्नानुसार है—

क. संख्या		अवधि		अवकाश का प्रकार
1	दिनांक	7–1–85 4 से 21–2–85	(46 दिन)	उपार्जित अवकाश
2.	दिनांक	19–4–85		
	दिनांक	20–4–85		
	दिनांक	22–4–85 से 27–4–85	(10 दिन)	आकस्मिक अवकाश
	दिनांक	29–4–85		
	दिनांक	30–4–85		
3.	दिनांक	2–5–85 से 4–5–85 तक	(3 दिन)	आकस्मिक अवकाश
4.	दिनांक	17–5–85 से 7–6–85 तक	(22 दिन)	उपार्जित अवकाश

राजफैड द्वारा सरसों, अरहर तथा चने को दाल के क्रय में अनियमितता की शिकायत

327. **श्रीमती विद्या पाठक** (सांगानेर) : क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे

(1) क्या यह सही है कि राजफैड, जयपुर द्वारा 1980-81 में भरतपुर से सरसों, कामां से अरहर तथा गंगानगर से चने की दाल भारी मात्रा में खरीदी गयी थी ? यदि हां, तो कितनी-कितनी ? कृपया विवरण सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त खरीद में हुये घपले की जांच तत्कालीन समवर्ती अंकेक्षक द्वारा की गई थी ? क्या उसने राजफैड के दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कई मामले धारा 74 में दर्ज करने हेतु सहकारी विभाग के मुख्य अंकेक्षक के पास भेजे थे ? कृपया उन मामलों का विवरण, अधिकारियों के नाम व दायित्व की राशि सहित सदन के पटल पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उपरोक्त मामले अभी तक धारा 74 में कार्यवाही हेतु दर्ज नहीं किये गये हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) जी नहीं। तत्कालीन समवर्ती अंकेक्षण द्वारा आडिट के दौरान मुख्य अंकेक्षक को राजफैड जयपुर द्वारा राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लि., को भेजी गई चने की दाल की खरीद व बिक्री के सम्बन्ध में धारा 74 के अन्तर्गत कार्यवाही करने का सुझाव दिया था। विवरण सदन के पटल पर रख दिया हैं।

(3) जी हां। राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लि., नई दिल्ली से रुपये 301083·20 पैसे की बकाया में से अब केवल रुपये 131804·61 पैसे बकाया रह गये हैं। जिसके लिये राजफैड जयपुर द्वारा पंच निर्णय हेतु मामला सहकारी विभाग को प्रस्तुत किया जा चुका है। मामले में निर्णय होने पर गुण दोष के आधार पर ही वसूली की कार्यवाही होगी। राजफैड द्वारा खरीद की गई दाल की अपना आधा प्रतिशत कमीशन जोड़ कर एन.सी.सी.एफ. को बिक्री की गई। इस प्रकार कोई आर्थिक हानि नहीं होने पर विभाग द्वारा धारा 74 में कार्यवाही करना उचित नहीं समझा।

विवरण

राजफैड जयपुर द्वारा वर्ष 80—81 में खरीद की गई सरसों, अरहर, एवं चने दाल का विवरण निम्न प्रकार हैं ।

क्रमांक	वस्तु का नाम	स्थान	मात्रा	राशि
1.	अरहर	कांमा	5003–24·5 क्विंटल	15,23,169·28
2.	सरसों	भरतपुर	8633·52 क्विंटल	40,01,152·15
3.	चना दाल	गंगानगर	11212·13 क्विंटल	49,33,337·00

क्रमांक	मामलों का विवरण	अधिकारियों के नाम	दायित्व की राशि
1.	चने की दाल ऊंचे भाव में खरीदना	1. श्री हरी शंकर, मैनेजर (काटन) 2. श्री डी. कुमार, प्रबन्ध संचालक	रुपये 1·68 लाख
2.	एन. सी. सी. एफ. से राशि समय पर प्राप्त न होना	1. श्री डी. कुमार, प्रबन्ध संचालक	रुपये 3,01,083·20

(364)

हवामहल क्षेत्र, जयपुर में क्रमोन्नत उच्च माध्यमिक विद्यालय

328. **श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे —:

(1) उच्च माध्यमिक विद्यालय खोलने के लिए सरकार ने क्या कोई नीति निर्धारित की है ? यदि हां तो वह क्या है ?

(2) हवामहल क्षेत्र, जयपुर में गत वर्षों में क्या किसी विद्यालय को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? सरकार अब इस सम्बन्ध में क्या विचार कर रही है ?

उत्तर

(1) जी नहीं । उच्च माध्यमिक विद्यालय खोलते समय क्षेत्रीय आवश्यकता, छात्रों की संख्या, पर्याप्त भवन सुविधा व वित्तीय साधनों की उपलब्धता को ध्यान मे रखा जाता है ।

(2) जी नहीं । विद्यालय खोलते समय विधान सभा क्षेत्रानुसार विचार नहीं किया जाता । वित्तीय वर्ष 1985-86 में उच्च माध्यमिक विद्यालय खोलने हेतु बजट प्रावधान उपलब्ध नहीं है । अतः इस वर्ष उच्च माध्यमिक विद्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

राजकीय चिकित्सालय, खैरथल में महिला चिकित्सक की व्यवस्था

329. **श्री चन्द्रशेखर** (बांदीकुई) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) राजकीय चिकित्सालय, खैरथल (अलवर) में महिला चिकित्सक का पद कब से है, और अब तक कौन-कौन महिला चिकित्सक इस पद पर कार्य करती आ रही है ? नामजद सूची कृपया सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सत्य है कि वर्तमान में महिला के चिकित्सक के पद पर कार्यरत महिला चिकित्सक ड्यूटी में नहीं रहती, और राज्य सरकार से बदस्तूर अपना वेतन उठाती आ रही है ? क्या विभाग ने इस पर कोई कार्यवाही की है ? यदि हां तो क्या ?

उत्तर

(1) राजकीय चिकित्सालय, खैरथल, जिला अलवर में मातृ शिशु कल्याण केन्द्र पर महिला चिकित्सक का पद माह मई, 78 से स्वीकृत है ।

नामजद सूची सदन के पटल पर रख दी गई है ।

(2) वर्तमान में डॉ. (श्रीमती) रेणू पोरुष ने लम्बे अवकाश का उपभोग कर दिनांक 10-7-85 को पुनः कार्यग्रहण कर लिया है ।

उक्त डॉक्टर को अक्टूबर 84 से वेतन भुगतान नहीं किया गया है ।

सूची

मातृ शिशु कल्याण केन्द्र, खैरथल पर कार्यरत महिला चिकित्सकों का नामजद विवरण

1.	डॉ. (सुश्री) शील सपड़ा	20–5–78	से	30–7–80
2.	डॉ. (श्रीमती) लाजवन्ती	1–8–80	से	31–10–80
3.	डॉ. (श्रीमती) मीरा सेठी	29–10–82	से	31–1–83
4.	डॉ. (श्रीमती कमलेश वर्मा	10–10–83	से	21–10–83
5.	डॉ. (श्रीमती) रेणू पोरूष	3–11–83	से	निरन्तर

भूतपूर्व सैनिकों को सुविधायें

321. **श्री लक्ष्मण सिंह** (भीम)

श्री फूलचन्द (नीम का थाना) : क्या सैनिक कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे— :

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य में सैनिक काफी अधिक संख्या में हैं ?

(2) सैनिकों की मदद के लिए राज्य सरकार ने क्या-क्या सुविधायें प्रदान कर रखी हैं ?

(3) 1966 से आज तक राजस्थान के भूतपूर्व सैनिकों को कृषि हेतु कितनी भूमि आवंटन की गई है ?

(4) क्या जिला जयपुर के उप उण्ड कोटपूतली में ग्राम गोपालपुरा के भूतपूर्व सैनिक क्रमशः भगवाना राम पुत्र श्री राम नाथ, श्री प्रभातीलाल पुत्र श्री रामनाथ गुर्जर को 1967 में दस दस बीघा भूमि कृषि हेतु आवंटन की गयी थी ? दोनों सैनिक भूमिहीन काश्तकार हैं, फिर प्रशासन ने कब्जा इनको क्यों नहीं दिया ? इसके पीछे क्या कारण हैं ?

(5) क्या सरकार उक्त दोनों सैनिकों को उक्त आवंटित भूमि का कब्जा देने का सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी, हां।

(2) राज्य सरकार द्वारा सैनिकों को प्रदान की गई सुविधाओं की तालिका सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) सूचना समस्त जिलाधीशों से प्राप्त की जा रही है।

(4) सूचना प्राप्त की जा रही है।

(5) सूचना प्राप्त होते ही शीघ्र कार्यवाही की जावेगी।

तालिका

भूतपूर्व/सेवारत सैनिकों की देय सुविधाएं

शौर्य पुरस्कार प्राप्त सैनिकों को नकद व भूमि आवंटन की सुविधा

अलंकरण की प्रकृति	संदत्त की जाने वाली रकम
परमवीर चक्र/अशोक चक्र	रु. 10,000/– नकद
महावीर चक्र/कीर्ती चक्र	5,000/– नकद
वीर चक्र/शौर्य चक्र	2,000/– नकद

उक्त पदक प्राप्त कर्ता 25 बीघा सिंचित या 50 बीघा असंचित भूमि का हकदार है।

इसके अतिरिक्त संवादों में उल्लेख प्राप्त सैनिकों को 1000/– नकद और 1000/– भूमि की एवज में नकद प्रदान किया जाता है।

युद्ध में मारे गये या निशक्त हुए सैनिकों को नकद भूमि आवंटन

स्थल सेना के जे. सी. ओ की रैंक और परिस्थिति और उसके ऊपर के तथा वायु सेना और नौ सेना में तत्समान रैंकों के अधिकारी।	1000/– रुपये नकद और 1500/– प्रतिरक्षा प्रमाण पत्रों में।
स्थल सेना, वायु सेना और नौ सेना की अन्य रैंक	1000/– रुपये नकद और 1000/– रुपये प्रतिरक्षा प्रमाण पत्रों में।

प्रत्येक पात्र व्यक्ति 25 बीघा असिंचित या 12½ बीघा सिंचित भूमि मान के भी हकदार हैं।

शैक्षणिक रियायतें

एक स्थल सेना के जे. सी. ओ./एन. सी. ओ./अन्य रैंकों वालों के और

अन्य सेवा के समस्त रैंकों के व्यक्तियों के और अयोधकों के जो चीन के विरुद्ध संघर्ष के दौरान मारे गये थे या स्थायी रूप से निशक्त हो गये थे और राजस्थान के निवासी है, बच्चों को जो कक्षा 1 से 11 वीं के छात्र हैं को रुपये 6/– से 30/– प्रतिमाह छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं।

निम्नलिखित शैक्षिक रियायतें राजस्थान के उन संघस्त्र सैन्य कार्मिकों, सीमा सुरक्षा दल या सशस्त्र पुलिस कार्मिकों को जो 1971 में पाकिस्तान के साथ संघर्ष के दौरान कार्यवाही में या तो मारे गये हैं या स्थायी रूप से निःशक्त हो गये हैं, बच्चों/पत्नियों को दी गयी हैं :—

(1) छात्रों से छात्र निधि में जमा कराये जाने वाली फीस का खासकर शिक्षण और अन्य फीस प्रभावित नहीं की जाये।

(2) पुस्तकों लेखन सामग्री/वर्दी और छात्रावास फीस इत्यादि की लागत की पूर्ति करने के लिये छात्रों का नकद अनुदान दिया जा रहा है।

(3) **प्रत्येक स्तर के पाठ्यक्रम के लिये :**

दिनीय छात्र	200/– रुपये प्रति वर्ष प्रति छात्र 20/– रुपये प्रतिमाह की दर से 10 माह के लिए।
छात्रावासों/अनुमोदित बोर्डिंग हाऊसों में बार्डर	400/– रुपये प्रति वर्ष प्रति छात्र 40/– रुपये प्रतिमाह की दर से 10 मास तक।

(4) **प्रथम डिग्री स्तर तक विद्यालयोत्तर पाठ्यक्रमों के लिये :—**

दिनीय छात्र	400/– रुपये प्रति वर्ष प्रति छात्र 40/प्रतिमाह की दर से 10 माह के लिए।
छात्रावासों/अनुमोदित बोर्डिंग हाऊस-के बोर्डर	800/– रुपये प्रतिवर्ष प्रति छात्र 80/– रुपये प्रति माह 10 माह के लिए।

सीटों का आरक्षण :—

भूतपूर्व सैनिकों के प्रवेश के लिये पालिटेक्निक में 5 प्रतिशत और प्रत्येक प्रायोगिक प्रशिक्षण संस्थान में 5 सीटें आरक्षित की गई है एवं प्रेषक हेतु आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट प्रदान की गई है।

इंजीनियरिंग कालेज में सीटों का आरक्षण :—राज्यों में सेवारत/भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों के लिए इंजिनियरिंग कालेजों मे सीटों का आरक्षण निम्न प्रकार है :-

	सेवारत सैनिकों के बच्चों का	भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों के लिए
(अ) एम. आर. ई. सी. जयपुर	6	6
(ब) कोटा इंजिनियरिंग कालेज कोटा	3	3
(स) एम. बी. एम. इंजिनियरिंग कालेज इंजिनियरिंग संकाय जोधपुर विश्वविद्यालय	(दोनों के लिए)	4

बी. एड. प्रशिक्षण में सीटों का आरक्षण :—भूतपूर्व सैनिकों के लिये ऍा. एस. प्रशिक्षण में 5 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है।

सामान्य नियमों के **अधीन भूमि का आवंटन**—भूमि आवंटन नियम 1970 के अधीन भूतपूर्व नान कमाण्ड सैनिक और मिलेट्री में सेवारत वैसे ही सैनिक भूमि के लिये हकदार है।

मेडिकल कालेजों में सीटों का आरक्षण :—तीन स्थान सैन्य कार्मिकों के बच्चों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है तथा ऐसे सैन्य कार्मिकों के बच्चों को 5 प्रतिशत नम्बरों में भी छूट दी गई है।

निवासीय भूखण्डों का आवंटन :—10 प्रतिशत भूखण्ड सैनिकों के लिये आरक्षित किये गये हैं।

आवासन बोर्ड द्वारा फ्लेटों का आरक्षण :—2 प्रतिशत निर्मित फ्लेट सैन्य कार्मिकों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है।

औद्योगिक भू-खण्डों का आरक्षण :—रीको ने भूतपूर्व सैनिकों के ग्रहस्तान्तरणीय आधार पर प्रत्येक औद्योगिक क्षेत्र में 2000 वर्गमीटर से अधिक माप के प्रत्येक भू-खण्डों की कुल संख्या का 2 प्रतिशत आरक्षित रखने का निश्चय किया है।

दिनांक 1-1-64 से पूर्व सेवानिवृत पेंशनरों की विधवाओं की सहायता का अनुदान :—जो पेंशनर 1-1-64 से पूर्व सेवानिवृत हो गये थे उनकी विधवाओं को जो पारिवारिक पेंशन प्राप्त नहीं कर रही हैं, 50/- रुपये प्रतिमाह सहायता के रूप में स्वीकृत किये जाते हैं।

भूतपूर्व सैनिकों को पुनः नियोजन की सुविधा :—भूतपूर्व सैनिक कार्मिकों का 'समामेलन' नियम 1959 के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों के लिये चतुर्थ श्रेणी के 15 प्रतिशत और अन्य में 12·5 प्रतिशत रिक्तियां आरक्षित की हैं।

आयु सीमा में छूट :—भूतपूर्व सैनिकों को राज्य के सरकारी विभागों में 50 वर्ष की आयु तक सेवा में लिया जाता है।

नियोजन कार्यालय द्वारा भूतपूर्व सैनिकों को भेजा जाना आवश्यक नहीं है।

सम्पत्ति कर से उद्ग्रहण से छूट —ये समस्त भवन और भूमियों में जो सैनिक विश्राम गृह के रूप में काम में ली जाती है और जिला सैनिक बोर्डों के स्वामित्वाधीन हैं, संपत्ति कर से उदग्रहण से छूट प्राप्त हैं।

भवन कर से छूट :—ऐसे भूतपूर्व सैनिकों/विधवाओं को जो आय कर नहीं देते हैं, मकानों पर लगने वाले नगरपालिका कर से छूट प्रदान की गई हैं।

राजस्थान वित्त निगम से उधार सुविधायें :—भूतपूर्व सैनिकों/शारीरिक रूप से निःशक्त व्यक्तियों को उधार :—

(अ) चक्रवृद्धि ब्याज की दरों पर उधार स्कीम से 25,000/- रुपये तक	8·25 प्रतिशत
(ब) 25,000/- से अधिक किन्तु 2 लाख रुपये से कम	9 प्रतिशत

राष्ट्रीय परमिट नियमों में आरक्षण

सैनिकों के लिए मोटरयान अधिनियम की धारा 63(12)(6) के अनुसार राष्ट्रीय परमिट नियमों में 10 प्रतिशत का आरक्षण उपलब्ध है।

पंजीकरण में रियायत

(1) राजस्थान आवासन मण्डल में मकानों के पंजीकरण के लिये भूतपूर्व/सेवारत सैनिकों को निर्धारित पंजीकरण राशि का 1/10 भाग जमा कराना होगा।

(2) ऐसे पंजीकृत सभी वर्गों के स्थल, जल एवं वायु सेना के सैनिकों, जिनको शौर पुरस्कार मिला है, को मण्डल द्वारा मकान का आवंटन करने पर उनसे भूमि की कीमत एवं प्रशासनिक व्यय नहीं लिया जावेगा। ऐसा व्यय मंडल द्वारा वहन किया जावेगा।

उचित मूल्य की दुकान आवंटन में प्राथमिकता

खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा उचित मूल्य की दुकान आवंटन करने में भूतपूर्व सैनिकों को प्राथमिकता दी जाती है।

स्वचालित दुग्ध वितरण बूथ :—राजस्थान कोआपरेटिव डेयरी फैडरेशन लि. द्वारा भूतपूर्व सैनिकों को स्वचालित दुग्ध वितरण बूथ आवंटन में प्राथमिकता दी जाती है।

कृषि उपज मण्डी में 2 प्रतिशत दुकानों का आरक्षण है।

भूतपूर्व सैनिकों को केन्टीन सुविधायें प्रदान की हैं।

अमलगामेटेड फण्ड से दी गई सुविधायें :

अमलगामेटेड फण्ड से भूतपूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रितों को निम्न सुविधायें प्रदान की जाती है :

(क) ऐसे भूतपूर्व सैनिकों की विधवाओं को मासिक वित्तीय सहायता दी जा रही है।

(ख) निःशक्त सैनिकों को वित्तीय सहायता।

(ग) भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों को छात्रवृत्ति/वृत्तिका।

(घ) भूतपूर्व सैनिकों की लड़कियों को विवाह अनुदान।

(च) भूतपूर्व सैनिकों को चिकित्सा सहायता।

ग्राम सुजासर (गंगानगर) के भूमिहीनों को भू-आवंटन

332. **श्री हंसराज मिढ़ा** (सूरतगढ़) : क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सहायक उपनिवेशन आयुक्त, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, बीकानेर द्वारा 14–11–1984 को गांव सुजासर तहसील अनूपगढ़, जिला श्री गंगानगर के मूल निवासियों को रकबा आवंटन किया गया था ? यदि हां, तो उसमें कितने भूमिहीनों को सक्षम करार किया गया, एवं प्रत्येक को कितना-कितना रकबा आवंटन किया गया ? कृपया विवरण सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या गांव सुजासर के तमाम भूमिहीनों को रकबा आवंटन कर दिया गया है ? यदि नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। दिनांक 14–11–84 को सुजासर गांव के 48 व्यक्तियों को सक्षम करार किया गया। इनमें से 40 को आवंटन किया गया। आवंटितियों की नामवार सूची मय प्रत्येक को आवंटित क्षेत्रफल के विवरण सहित प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) 40 भूमिहीन सक्षम आवेदकों को गांव सुजासर की भूमि की उपलब्धता की सीमा में आवंटन किया जा चुका है। शेष आठ सक्षम भूमिहीनों को भी अन्यत्र भूमि उपलब्ध होने पर नियमों में निर्धारित प्राथमिकता अनुसार आवंटन किया जा सकेगा।

प्रपत्र—"क"

दिनांक 14-11-84 को सूजासर के मूल निवासियों को सक्षम करार देकर किये गये आवंटन के आवंटितियों की सूची।

तहसील उपनिवेशन, छतरगढ़—2
मु. खाजूवाला

क्र.सं.	नाम आवंटिति, मय पिता का नाम, जाति, निवास, तहसील।	चक नम्बर	मुरब्बा नम्बर	आवंटित क्षेत्रफल (बीघों में) कमाण्ड	अनकमाण्ड	योग
1	2	3	4	5	6	7
1.	श्री खण्डीखां पुत्र सलेमान मुसलमान सा. सुजासर तह. अनूपगढ़	70 केएनडी	170/53	8	2	10
2.	श्री असवर पुत्र कामखां मुसलमान सा. सुजासर तह. अनूपगढ़	,,	170/53	12	3	15
3.	श्री सीणेखां पुत्र गावरखां मुसलमान सा. सुजासर तह. अनूपगढ़	15 केएनडी (ए)	232/21	3	5	8
4.	श्री फातिया पुत्र नूरू मुसलमान	3 एसजेएम	36/21	—	25	28
	सा. सुजासर तह. अनूपगढ़	1 एसजेएम	56/1	3	—	8
5.	श्री गाजेखां पुत्र सजवारेखां मुसलमान	1 एसजेएम	56/5	3	5	11
	सा. सुजासर तह. अनूपगढ़		56/6	—	11	
						19

1	2	3	4	5	6	7
6.	श्री अकबर पुत्र अलफी मुसलमान सा. सुजासर तह. अनूपगढ़	3 एसजेएम	36/41	10	6	16
7.	श्री लख पुत्र गोम मुसलमान सा. सुजासर तह. अनूपगढ़	2 एसजेएम	57/33	5–15	18	5–15
			76/32	—		18–00
						23–15
8.	श्री चिड़िया पुत्र बागखां मुसलमान सा. सुजासर तह. अनूपगढ़	4 एसजेएम	57/53	—	17	17
9.	श्री सरजखां पुत्र लखनरी मुसलमान सा. सुजासर तह. अनूपगढ़	4एसजेएम	57/61	—	17	17
10.	श्री अमीन पुत्र वागखां मुसलमान सा. सुजासर तह. अनूपगढ़	3केएलएम	116/22	4	3	7
			96/37	2	10	12
11.	श्री गोगेखां पुत्र मनसाखां मुसलमान सा. सुजासर तह. अनूपगढ़	3केएलएम	97/33	--	15	15
12.	श्री मरीदखां पुत्र व लखबेरी मुसलमान सा. सुजासर तह. अनूपगढ़	4 केएलएम	97/35	4–03	8–17	13
13.	श्री नरहसन पुत्र मनसाखां मुसलमान सा. सुजासर तह. अनूपगढ़	4 केएलएम (ए)	97/51	1–00	19–00	20–00

1	2	3	4	5	6	7
14.	श्री मोहम्मद हयात पुत्र इमामदीन मुसलमान सा. सुजासर तह. अनूपगढ़	4 केएलएम	97/51	1-00	4-00	5-00
		(ए) 7 डीसीएल	74/25	--	5-00	5-00
15.	श्री दरीया पुत्र दिल मुसलमान सा. सुजासर तह. अनूपगढ़	4 केएलएम	97/54	1-00	24-00	25-00
16.	श्री जबरखां पुत्र हाकू हाजी मुसलमान सा. सुजासर तह. अनूपगढ़	4 केएलएम (ए)	98/25	7	—	7
17.	श्री मिगेखां पुत्र सजावरखां मुसलमान सा. सुजासर तह. अनूपगढ़	7 डीग्रोएल	74/25	—	20	20
18.	श्री बंगला पुत्र फलक मुसलमान सा. सुजासर तह. अनूपगढ़	7 डीग्रोएल	74/27	—	20	20
19.	श्री सराजखां पुत्र सजावरखां मुसलमान सा. सुजासर तह. अनूपगढ़	7 डीग्रोएल	24/29	—	20	20
20.	श्री गुलामनबी पुत्र सजवारा मुसलमान सा. सुजासर तह. अनूपगढ़	7 डीग्रोएल	74/27	—	10	10
21.	श्री अमीन पुत्र मोहम्मद्दीन मुसलमान सा. सुजासर तह. अनूपगढ़	9 डीग्रोएल	54/44	—	17	17

1	2	3	4	5	6	7
22.	श्री मोहम्मद हनीफ पुत्र खुदाबख्श मुसलमान सा. सुजासर तह. अनूपगढ़	9 डीओएल	54/37	—	12	12
23.	श्री अनायत मोहम्मद पुत्र इमामदीन मुसलमान सा. सुजासर तह. अनूपगढ़	,,	54/37	—	13	13
24.	श्री सकरीदीन पुत्र मोहम्मद्दीन मुसलमान सा. सुजासर तह. अनूपगढ़	,,	54/45	—	24–10	24–10
25.	श्री सहू पुत्र मोहम्मद्दीन मुसलमान सा. सुजासर तह. अनूपगढ़	,,	54/38	0–10	18–10	19–00
26.	श्री वेंधबक्स पुत्र नूरेखां मुसलमान सा. सुजासर तह. अनूपगढ़	12 डीओएल	16/57	—	21	21
27.	श्री निदूखां पुत्र अलाबसाया मुसलमान सा. सुजासर तह. अनूपगढ़	,,	36/11	—	16	16
28.	श्री शोकतअली पुत्र गुलामफरीद मुसलमान सा. सुजासर तह. अनूपगढ़	,,	35/19		20	20

1	2	3	4	5	6	7
29.	श्री कशमीरखां पुत्र गायणखां मुसलमान सा. सुजासर तह. अनूपगढ़	9 डीग्रोएल	36/3	—	20	20
30.	श्री लियाकतअली पुत्र नरेखां मुसलमान सा. सूजासर तह. अनूपगढ़	,,	36/18	—	10	10
31.	श्री असकरी पुत्र नुरसमद मुसलमान सा. सुजासर तह. अनूपगढ़	,,	15/46	—	25	25
32.	श्री सराजखां पुत्र बादरखां मुसलमान	,,	66/57	—	4	15
	सा. सुजासर तह. अनूपगढ़	,,	35/44	—	11	
33.	श्री हुसैनखां पुत्र गुलामखां मुसलमान सा. सुजासर तह. अनूपगढ़	1 केएलडी	235/30	0–18	8–18	9–16
34.	श्री वजीर पुत्र गामू मुसलमान सा. सुजासर तह. अनूपगढ़	2 केएलडी	16/10	—	21	21
35.	श्री गुलाम रसूल पुत्र फतेमोहम्मद मुसलमान सा. सुजासर तह. अनूपगढ़	2 केएलडी	36/12	—	12	12
36.	श्री वलीदाद पुत्र अलावली मुसलमान सा. सुजासर तह. अनूपगढ़	2 केएलडी	36/13	—	12	12

1	2	3	4	5	6	7
37.	श्री आसिक पुत्र अलीमखां मुसलमान सा. सुजासर तह. अनूपगढ़ ।	2 केएलडी	36/5	—	20	20
38.	श्री अलायार पुत्र यारुखां मुसलमान सा. सुजासर तह. अनूपगढ़ ।	,,	36/6	9–00	16	25
39.	श्री खुरशेर पुत्र फतेह मोहम्मद मुसलमान सा. सुजासर तह. अनूपगढ़ ।	,,	16/16 15/39	— 2	5 5	5 7] 14
40.	श्री गयादिता पुत्र शरीफ मुसलमान सा. सुजासर तह. अनूपगढ़ ।	,,	16/16		20	20

379

परिशिष्ट 4

(तारांकित प्रश्न संख्या 27 का विवरण)

राजस्थान राज्य में वनों के विकास हेतु छठी. पंचवर्षीय योजनाकाल में विभिन्न योजनाओं में किये गये कार्यों की प्रगति।

क्र.सं.	नाम कार्य	नाम योजना	किया गया कार्य
1.	सड़कों के किनारे वृक्षारोपण	वानिकी क्षेत्र	8985 प.कि मी.
		सिंचित क्षेत्र विकास कार्यक्रम	3060 ,,
		मरू विकास कार्यक्रम	7342 ,,
		राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम	274 ,,
		सूखा सम्भावित क्षेत्र कार्यक्रम	30 ,,
		जन जाति क्षेत्र में विशेष केन्द्रीय सहायता	250 ,,
		कुल	19941 पंक्ति कि.मी.
2.	नहरों के किनारे वृक्षारोपण	वानिकी क्षेत्र	1750 ,,
		सिंचित क्षेत्र कार्यक्रम	10400 ,,
		मरू विकास कार्यक्रम	370 ,,
		सूखा सम्भावित क्षेत्र कार्यक्रम	1350 ,,
		योग	13870 ,,

1	2	3	4
3.	ग्रामीण ईंधन वृक्षारोपण	वानिकी क्षेत्र	97:0 हैक्टेयर,
		सिंचित क्षेत्र कार्यक्रम	1350 ,,
		मरू विकास कार्यक्रम	6042 ,,
		राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम	650 ,,
		ग्रामीण रोजगार गारन्टो कार्यक्रय	2000 ,,
		जन जाति क्षेत्र में विशेष केन्द्रीय सहायता	2300 ,,
		सूखा सम्भावित क्षेत्र कार्यक्रम	120 ,,
		योग	22212 ,,
4.	परिभ्राषित वनों का पुनरारोपण	वानिकी क्षेत्र	16850 हैक्टेयर
		मरू विकास कार्यक्रम	1250 ,,
		सूखा सम्भावित क्षेत्र कार्यक्रम	8771 ,,
		जन जाति क्षेत्र में विशेष केन्द्रीय सहायता	4560 ,,
		राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम	2895 ,,
		ग्रामीण रोजगार गारन्टी कार्यक्रम	3000 ,,
		भूसंरक्षण कार्यक्रम	4450 ,,
		योग	41776 ,,

1	2	3	4
5.	वृक्षारोपण के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा	वानिकी क्षेत्र	550 हैक्टेयर
		जन जाति क्षेत्र में विशेष केन्द्रीय सहायता	700 ,,
		योग	1250 ,,
6.	टीब्बा स्थिरीकरण एवं चारागाह विकास	सिंचित क्षेत्र कार्यक्रम	25380 हैक्टेयर
		मरू विकास कार्यक्रम	24459 ,,
		सूखा सम्भावित क्षेत्र कार्यक्रम	2365 ,,
		योग	52204 ,,

7. कृषि वानिकी के अन्तर्गत पौध विवरण 864 लाख पौधे।

छठी पंचवर्षीय योजना से पूर्व तक (वर्ष 1979–80 तक)

विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत कराये गये वन विकास

कार्यों की सूची

क्र. संख्या	नाम कार्य	कराये गये कार्य
1.	सड़कों एवं नहरों के किनारे वृक्षारोपण	29356 पंक्ति कि. मी.
2.	नंगी पहाड़ियों पर वृक्षारोपण	37671 हैक्टेयर
3.	ग्रामीण ईंधन वृक्षारोपण	13581 हैक्टेयर
4.	टीबा स्थिरीकरण एवं चारागाह विकास	71594 हैक्टेयर
5.	कृषि वानिकी	28·82 लाख पौधे

परिशिष्ट 5

(अतारांकित प्रश्न संख्या 366 की सूची)

सूची जिले वार राजकीय मंदिरान, देवस्थान विभाग

क्रम सं.	नाम डिवीजन	नाम जिला	राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार	राजकीय आत्म निर्भर	राजकीय सुपुर्दगी
1	2	3	4	5	6
1.	जयपुर	1. जयपुर	41	9	62
		2. अजमेर	—	3	3
		3. सीकर	—	—	—
			योग= 41	12	65
	भरतपुर	1. भरतपुर	1	35	76
		2. धौलपुर	7	—	21
		3. अलवर	—	8	46
			योग= 8	43	145

1	2	3	4	5	6
3.	जोधपुर	1. जोधपुर	9	8	11
		2. पाली	—	1	—
		3. जालौर	—	—	—
		4. सिरोही	—	—	—
		5. जैसलमेर	2	—	—
		6. बाड़मेर	—	—	—
		योग=	11	9	11
4.	बीकानेर	1. बीकानेर	56	17	5
		2. गंगानगर	21	2	—
		3. चूरू	28	1	4
		4. नागौर	—	—	—
		5. झुन्झनू	—	9	4
		योग=	105	29	13

1	2	3	4	5	6
5.	उदयपुर	1. उदयपुर	49	37	10
		2. भीलवाड़ा	11	7	1
		3. चित्तौड़गढ़	10	10	2
		4. डूंगरपुर	30	1	1
		5. बांसवाड़ा	58	5	—
			योग= 158	60	14
6.	कोटा	1. कोटा	27	3	—
		2. बून्दी	9	6	—
		3. झालावाड़	6	8	—
		4. टोंक	—	1	2
		5. सवाईमाधोपुर	1	18	116
			योग= 43	36	118

1	2 & 3	4	5	6
7.	राजस्थान के बाहर स्थित मंदिर व संस्थान :— सोरों, मथुरा, वृन्दावन, बरसाना, गोवर्धन, कुसुम सरोवर, चन्द्रेशर (पारसोली) राधाकुण्ड, जतीपुरा, सकीतरा, उत्तरकाशी, गंगोत्री, धरोली, भुवानी, (नैनीताल), बनारस, देहली, द्वारका, औरंगाबाद, हरिद्वार आदि ।	24	17	38
	योग=	24	17	38
	कुल योग=	390	206	402

परिशिष्ट 6

(अतारांकित प्रश्न संख्या 373 का विवरण)

क्र. सं.	नाम व्यक्ति	समिति का नाम	गबन की राशि
1.	श्री रोशनलाल शर्मा	व्यवस्थापक, तसई ग्राम सेवा सहकारी समिति लि.	75874.25
2.	श्री चौथीलाल	व्यवस्थापक, सोखरी ग्राम सेवा सहकारी समिति लि.,	98332.00
3.	श्री मुखचन्द	व्यवस्थापक, मेघना ग्राम सेवा सहकारी समिति लि.,	60231.52
		योग	234437.77

परिशिष्ट 7

(अतारांकित प्रश्न संख्या 377 की सूची)

दिनांक 31–5–85 को राज्य के नियोजन कार्यालयों की जीवित पंजिका पर उपलब्ध ग्रामीण क्षेत्र के बेरोजगारों की जिलेवार संख्या

क्र. सं.	नियोजन कार्यालय का नाम	ग्रामीण क्षेत्र के बेरोजगार आशार्थी
1.	अजमेर	8119
2.	अलवर	18235
3.	बांसवाड़ा	5789
4.	बाड़मेर	1645
5.	भरतपुर	13872
6.	भीलवाड़ा	6407
7.	बीकानेर	1913
8.	बून्दी	5288
9.	चित्तौड़गढ़	7705
10.	चूरू	6859
11.	धौलपुर	3838
12.	डूंगरपुर	7485
13.	जयपुर	48095
14.	जैसलमेर	2742
15.	जालौर	2754
16.	झालावाड़	3390
17.	झुंझुनूं	15605
18.	जोधपुर	2107

क्र. सं.	नियोजन कार्यालय का नाम	ग्रामीण क्षेत्र के बेरोजगार आशार्थी
19.	कोटा	10347
20.	नागौर	11821
21.	पाली	9558
22.	सवाई माधोपुर	10025
23.	सिरोही	2078
24.	सीकर	8674
25.	श्रीगंगानगर	14469
26.	टोंक	5312
27.	उदयपुर	20596
	योग	2,55,814

परिशिष्ट 8

(अतारांकित प्रश्न संख्या 378 की सूची)

देशी मदिरा की दुकानात

क्र. सं.	नाम दुकान	मुख्य दुकान	उप दुकान
1	2	3	4
1.	कोटा शहर	9	15
2.	रानपुर	1	1
3.	भौरा	1	1
4.	चांद बावड़ी (ग्रोरावास)	1	—
5.	रेले	1	—
6.	दीगोद	1	1
7.	कसार	1	1
8.	मंडाना	1	1
9.	स्टेशन दरा	1	—
10.	बोरखेड़ा	1	—
11.	केशवपुरा	1	—
12.	उधेयगंज	1	—
13.	सुलतानपुर	1	6
14.	बारां शहर	3	7
15.	कलमेडा	1	—
16.	चौकी कल्यॉणपुर	1	1
17.	गजनपुरा	.	—

1	2	3	4
18.	यामली	1	—
19.	ढोढरी	1	—
20.	अन्ता	1	—
21.	पीपलोद	1	—
22.	मागरोल	1	2
23.	बमूलिया	1	—
24.	बडगांव	1	—
25.	पलायथा	1	—
26.	इटावा	1	3
27.	सानवाली	1	—
28.	रायथल	1	3
29.	विनायका	1	—
30.	खातौली	1	—
31.	बडवा	1	—
32.	सौरसन	1	—
33.	पीपल्दा	1	—
34.	करवाड	1	—
35.	लुहावद	1	—
36.	अयाना	1	—

1	2	3	4
37.	छीपाबडोद	1	4
38.	छबड़ा	1	1
39.	कवाई	1	2
40.	अटरू	1	3
41.	कुंजेड़	1	—
42.	आटोन	1	—
43.	सकतपुर	1	—
44.	मोठपुर	1	—
45.	बन्जारी	1	—
46.	सारथल	1	—
47.	हरनावद	1	—
48.	भीलवाडियां	1	—
49.	दीलोद	1	—
50.	शेरगढ़	1	—
51.	भूलोन	1	—
52.	तीतरखेड़ी	1	—
53.	पाली	1	—
54.	जैपला	1	—
55.	कडेयाहाट	1	—
56.	रामगंजमंडी	1	—
57.	कनवास	1	—

1	2	3	4
58.	धानाहेडा	1	—
59.	धूलेट	1	—
60.	गुरायता	1	—
61.	स्टेशन मोडक		3
62.	चेचट	1	1
63.	आवाँ	1	1
64.	कमलपुरा	1	—
65.	नीमोदा	1	—
66.	कूकड़ा	1	—
67.	सांगोद	1	3
68.	बपावरकला	1	1
69.	सुकेत	1	2
70.	जुल्मी	1	2
71.	केथून	1	—
72.	बोरखड़ी	1	—
73.	नोढाना	1	—
74.	रंगपुरा	1	—
75.	जपुरा	1	2
	योग	85	71

विदेशी मदिरा

1	2	3	4
1.	कोटानगर	22	4
2.	बारां	-	—
3.	अटरू	1	—
4.	केवलवाडा	1	—
5.	अन्ता	1	—
6.	दरा	1	—
7.	ढापादेह	1	—
8.	रामगंजमंडी	1	—
9.	केवलनगर	1	—
	योग	31	4

परिशिष्ट 9

(अतारांकित प्रश्न संख्या 380 की सूची)

भूतपूर्व सैनिकों एवं उनके परिवारों की जिले वाईज सूचना

क्रमांक	स्थान	कार्यक्षेत्र	सैनिक (भूतपूर्व) एवं उनके परिवारों की संख्या
1.	अजमेर	अजमेर, भीलवाड़ा	17132
2.	भरतपुर	भरतपुर	8754
3.	बीकानेर	बीकानेर, गंगानगर	4601
4.	जयपुर	जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर	9187
5.	झुन्झनु	झुन्झनु	18749
6.	जोधपुर	जोधपुर, जैसलमेर, बाडमेर	15064
7.	नागौर	नागौर	17048
8.	उदयपुर	उदयपुर, बांसवाड़ा	14128
9.	अलवर	अलवर	11500
10.	चूरू	चूरू	7224
11.	कोटा	कोटा, बूंदी, झालावाड़	6153
12.	सीकर	सीकर	10000

परिशिष्ठ 10

(अतारांकित प्रश्न संख्या 382 की सूची)

जिला मुख्यालयों के चिकित्सालय में ब्लड बैंक/ट्रान्सफ्यूजन सेवाओं का विवरण

1.	अलवर	1 ब्लड बैंक
2.	बांसवाड़ा	1 ,, ,,
3.	भीलवाड़ा	1 ,, ,,
4.	कोटा	1 ,, ,,
5.	करौली	1 ,, ,,
6.	जयपुर	2 ,, ,,
7.	उदयपुर	1 ,, ,,
8.	बीकानेर	1 ,, ,,
9.	अजमेर	1 ,, ,,
10.	जोधपुर	1 ,, ,,

परिशिष्ट 11

(अतारांकित प्रश्न संख्या 387 से सम्बन्धित सूचना)

विधानसभा क्षेत्र केसरीसिंहपुर में पिछले पांच वर्षों में बनाई सड़कों की सूची

(लम्बाई एवं स्थान सहित).

क्र.सं.	सड़क का नाम	लम्बाई कि.मी. में
1.	सम्पर्क सड़क मलकाना खुर्द	5 कि.मी.
2.	सम्पर्क सड़क 19 एच. से 3 डब्लू. 23 एच. तक .	11 ,,
3.	सम्पर्क सड़क केसरीसिंहपुर कमीनपुरा सड़क से 3 टी.	1·6 ,,
4.	सम्पर्क सड़क वी. हैड से धनूर बॉया एक–वी, तीन–वी 4-वी	6 ,,
5.	सम्पर्क सड़क 3 डब्लू. से 5 डब्लू. ईंटों की सड़क	2 ,,
6.	सम्पर्क सड़क मलकाना से मोहलों ईंटों की सड़क	2 ,,
7.	सम्पर्क सड़क लखीयां से सात डब्लू ईंटों की सड़क	3 ,,
8.	सम्पर्क सड़क वी–माईनर से 7 एस. प्रथम एवं द्वितीय ईंटों की सड़क	3·5 ,,
9.	सम्पर्क सड़क 20 एफ.	0·75 ,,
10.	सम्पर्क सड़क गंगानगर पदमपुर सड़क से 16 जी विस्तार कार्य—	4 ,,
11.	सम्पर्क सड़क गंगानगर पदमपुर सड़क से 12 जी छोटी	5·50 ,,
12.	सम्पर्क सड़क 20 जैड से 9 जी.	3·5 ,,
13.	सम्पर्क सड़क 7 ए ये ढालेवाला	6 ,,
14.	सम्पर्क सड़क ढालेवाला से ढींगावाली	·5 ,,
15.	सम्पर्क सड़क दौलतपुरा से संगतपुरा	3 ,,

परिशिष्ट 12

परिशिष्ट—'क'

(अतारांकित प्रश्न संख्या 393 की सूची)

वर्ष 1980-81

क्र.सं.	नाम ऋणी	अनुसूचित जाति/जन जाति अन्य जाति	ऋण की राशि
1	2	3	4
जोधपुर			
1.	श्री छतरसिंह/सोहनलाल कुमार	अन्य जाति	1,000
2.	श्री छंवरलाल/धनजी माली	,,	10,000
3.	श्री पुखराज/सुरजमल मेघवाल	अनुसूचित जाति/जनजाति	1,000
4.	श्री अगरा राम/प्रभूजी मेघवाल	,,	1,000
		योग	13,000
बून्दी			
1.	श्री छोटूलाल/गंगाराम रेगर	अनुसूचित जाति/जन जाति	1,000
2.	श्री गोपाललाल/छोटूजी बागरिया	,,	500
3.	श्री देवीशंकर/मूलचन्द	अन्य जाति	500
		योग	2,000
निम्बाहेड़ा			
1.	श्री मेघराज/गोकल कुमावत	अन्य जाति	1,000
2.	श्री मोहनलाल/गंगाराम	,,	1,000
3.	श्री मांगीलाल/भैरूंलाल	अनुसूचित जाति/जन जाति	1,000
4.	श्री भोलीराम/शंकरलाल	,,	1,000
5.	श्री गोवर्धन/भगवान कुमावत	अन्य जाति	5,000
6.	श्री शंकरलाल/छतरराम कुमार	,,	1,000
		योग	10,000

चित्तौड़गढ़

1	2	3	4
1.	श्री रूपा/लीला रेगर	अनुसूचित जाति/जन जाति	1,000
2.	श्री नन्दा/खेमा भील	,,	1,000
3.	श्री नन्दराम/नारु	,,	1,000
4.	श्री कन्हैयालाल/भूला सुथार	अन्य जाति	1,000
5.	श्री अर्जुनसिंह/नाहरसिंह	,,	1,000
6.	श्री गोविन्दसिंह/तख्तसिंह	,,	1,000
7.	श्री जगदीश/रामलाल	,,	1,000
8.	श्री कालूसिंह/लादूसिंह	,,	1,000
9.	श्री महेश कुमार/तुलसी राम	,,	1,000
10.	श्री ओंकार/सोला गुजर	,,	1,000
		योग	10,000

मकराना

1.	श्री हाजीज/रहीमवक्ष	अन्य जाति	10,000
		योग	10,000

सोजतसिटी

1.	श्री डगलाराम	अनुसूचित जाति/जन जाति	800
2.	श्री कानाराम	,,	850
3.	श्री जगदीश	अन्य जाति	850
4.	श्री सफीमोहम्मद	,,	850
5.	श्री पुखराज	,,	800
6.	श्री भूरीराम	,,	800
		योग	5000
		कुल योग	50,000

1981-82

चित्तौड़गढ़

1	2	3	4
1.	श्री धरमचन्द जैन	अन्य जाति	1,000
2.	श्री जटाशंकर/लहीगीर गुसाई	,,	1,000
3.	श्री डालू/गोकल कुमावत	,,	1,000
4.	श्री गिरधारी/छोटू रावत	अनुसूचित जाति जन जाति	1,000
5.	श्री बालू/छोगा भील	,,	1,000
6.	श्री धरमलाल/मांगीलाल	,,	1,000
7.	श्री नारायण लोढ़ा	,,	1,000
8.	श्री मांगी लाल/छोटू रावत	,,	1,000
9.	श्री रूपा/देवा रेगर	,,	1,000
10.	श्री प्रभूलाल/नानूराम बैरवा	,,	1,000
11.	श्री घीसू/किशना भील	,,	1,000
12.	श्री भगवान/चेना रेगर	,,	1,000
13.	श्री घीसू/परश राम	,,	1,000
14.	श्री रूप लाल/पन्ना लाल मीणा	,,	1,000
15.	श्री लहर गिर/पन्ना मीणा	,,	1,000
16.	श्री रूप लाल/पन्ना लाल मीणा	,,	1,000
		योग	16,000

बिजौलिया

1.	श्री राधा किशन/अम्बालाल सुथार	अन्य जाति	1,000
2.	,, लालू/जगन्नाथ लोहार	,,	1,000
3.	,, रतन लाल/गिरधारी लाल कुमार	,,	1,000
4.	,, सोजी बनजारा	अनुसूचित जाति/जन जाति	1,000

1	2	3	4
5.	श्री नानू राम बलाई	अनुसूचित जाति/जन जाति	1,000
6.	,, प्रेम सिह रावत	,,	1,000
7.	,, महावीर/भोला राम	,,	1,000
8.	,, महावीर/कन्ना राम	,,	1,000
9.	,, फतू राम बलाई		1,000
10.	,, ओंकार बलाई	,,	1,000
11.	,, मोहन लाल बलाई	,,	1,000
12.	,, पुन्ना राम/दल्ला बलाई	,,	1,000
13.	,, वेणी राम/रामा बलाई	,,	1,000
14.	,, लादू राम/मोहन लाल हरिजन	,,	1,000
15.	,, चतरभुज/प्रताप खटीक	,,	1,000
16.	,, डालू राम/लाभा बलाई	,,	1,000
17.	,, नानू लाल/भगा बनजारा	,,	1,000
18.	,, बन्सीलाल/देवी लाल	,,	1,000
19.	,, कन्हैया लाल/नारायण	,,	1,000
20.	,, मांगी लाल/किशना	,,	1,000
21.	,, रामा/भूरा बलाई	,,	1,000
22.	,, बद्री लाल/धन्ना लाल शर्मा	,,	1,000
23.	,, तुलसी राम/कन्हैया लाल	,,	1,000
24.	,, कन्हैया लाल/गोमा	,,	1,000
25.	,, प्रभात/जेतू राम	,,	1,000
26.	,, उत्तम लाल/बाबू यादव	,,	1,000
27.	,, अनार सिह/किशन लाल	,,	1,000
28.	,, श्रीमती विमला/राधेश्याम यादव	,,	1,000
29.	,, छोटी बाई/रीछपाल	,,	1,000

1	2	3	4
30.	श्री उदयलाल/कल्याण माणा	अनुसूचित जाति/जन जाति	1,000
31.	,, सेवाराम/भेरू लाल	,,	1,000
32.	,, मोहन लाल/भोलू लाल मीणा	,,	1,000
33.	,, देवी लाल/भगाराम नायक	,,	1,000
		योग	33,000
		कुल योग	49,000

1982–83

सोजतसिटी

1.	श्री नारायण/धनजी सरगरा	अनुसूचित जाति/जन जाति	500
2.	,, देवा राम/रूपा राम	,,	500
3.	,, माना राम/बला राम	,,	500
4.	,, बन्सी लाल/भबूना राम	,,	500
5.	,, ढगला राम/मोटाजी सरगरा	,,	500
6.	,, माणक लाल/भोलाजी	,,	500
7.	,, श्रीमती कंकूबाई/हजारी राम	,,	500
8.	,, नाथू/गिरधारी	,,	1,000
9.	,, भंवर लाल/किशनाजी	,,	500
10.	,, पूनाराम/रूपा राम	,,	2,000
11.	,, राधा किशन/गंगाप्रसाद बावरी	,,	2 000
12.	,, भीमा राम/मन्ना राम	,,	500
13.	,, भंवर लाल/कालूजी	,,	500
		योग	10,000

सिरोही

1	2	3	4
1.	श्री वीराम/भोला	अनुसूचित जाति/जन जाति	1,000
2.	,, पीथा राम/राम –सुखाली	,,	1,000
3.	,, हुकमा राम/सोराजी	,,	1,000
4.	,, सोपला राम/मगनाजी	,,	1,000
5.	,, चुन्ना राम/दरजाजी	,,	1,000
		योग	5,000

बून्दी

1.	श्री शिव चरण/किशन लाल	अनुसूचित जाति/जन जाति	5,000
2.	,, नन्द लाल/गोरधन लाल	,,	5,000
3.	,, भेरू लाल/चोसरजी	,,	5,000
		योग	15,000

जयपुर

1.	श्री गोपी राम रेगर	,,	5,000
2.	,, राम दयाल रेगर	,,	5,000
3.	,, उदय लाल रेगर	,,	5,000
		योग	15,000

झालावाड़

1.	श्री दया चन्द/पन्ना लाल बेरवा	,,	1,000
2.	,, पूरी लाल/गटबाजी मेघवाल	,,	1,000
3.	,, भंवर लाल/गिरधारी लाल	,,	1,000
4.	,, द्वारका लाल/धन्ना लाल	,,	1,000
5.	,, मन्ना लाल/भवाना महेर	,,	1,000
6.	,, मांगी लाल/धूली लाल लस्करी	,,	1,000
7.	,, भागीरथ/भेरू लाल चमार	,,	1,000

404

1	2	3	4
8.	श्री आनन्दी बाई/कल्याण	अनुसूचित जाति/जन जाति	1,000
9.	,, रघुनाथ/खेमाजी मीणा	,,	1,000
10.	,, राम प्रकाश/देवा मीणा	,,	1,000
		योग	10,000
रामगंजमण्डी			
1.	श्री मिश्री लाल/देवी लाल	,,	5,000
		योग	5,000
टोंक			
1.	श्री राम फुल/नारायण बेरवा	अनुसूचित जाति/जन जाति	1,000
2.	,, गणपत लाल/नारायण लाल	,,	1,000
3.	,, प्रहलाद/किशन लाल बैरवा	,,	1,000
4.	,, भीम नारायण/लोड़क्या बेरवा	,,	1,000
5.	,, बन्सी लाल/भूरा लाल बेरवा	,,	1,000
6.	,, बजरंग लाल/चोटू लाल	,,	1,000
7.	,, राम कुमार/पन्ना लाल बेरवा	,,	1,000
8.	,, गोपी लाल/मांगी लाल बेरवा	,,	1,000
9.	,, कालू राम/गोपाल बेरवा	,,	1,000
10.	,, पूरनमल/गोपी लाल बेरवा	,,	2,000
11.	,, अमर चन्द्र/बद्री लाल बेरवा	,,	2,000
12.	,, राम चन्द्र/भेरू लाल बेरया	,,	2,000
13.	,, गोमदा/गोपी लाल बेरवा	,,	2,000
14.	,, बेहराम/सुखपाल बेरवा	,,	2,000
15.	,, प्रभू लाल/शंकर लाल बेरवा	,,	1,000
		योग	20,000

मकराना

1	2	3	4
1.	श्री छोगना राम/पूसा राम	अनुसूचित जाति/जन जाति	10,000
2.	,, अन्ना राम/गिरधारी राम	,,	10,000
		योग.	20,000

निम्बाहेड़ा

1.	श्री नाथू राम/जय चन्द जटिया	अनुसूचित जाति/जन जाति	1,000
2.	,, अम्बा लाल/धन्ना जटिया	,,	1,000
3.	,, प्यार चन्द/ओंकार रेगर	,,	1,000
4.	,, मोहन लाल/मांगी लाल खटीक	,,	1,000
5.	,, जगन्नाथ/पेमा रेगर	,,	1,000
6.	,, लाला/नारायण नायक	,,	1,000
7.	,, जगन्नाथ/नानू राम नायक	,,	1,000
8.	,, उदय लाच/लादू रेगर	,,	1,000
9.	,, वावू/गोकुल खटीक	,,	1,000
10.	,, मोती लाल/नाथू मेघवाल	,,	1,000
11.	,, मांगीलाल/नाना रेगर	,,	1,000
12.	,, वालू/पन्ना रेगर	,,	1,000
13.	,, वेणी राम/लक्षमण जटिया	,,	1,000
14.	,, घीसा राम/जय चन्द रेगर	,,	1,000
15.	,, शोला/वरदा रेगर	,,	1,000
16.	,, नाथू/जय चन्द रेगर	,,	1,000
17.	,, भेरू/वेणा रेगर	,,	1,000
18.	,, देवा/प्यारा रेगर	,,	1,000

(406)

1.	2	3	4
19.	श्री दोला/प्यारा	अनुसूचित जाति/जन जाति	1,000
20.	,, धरमा/वेणा रेगर	,,	1,000
21.	,, छोटू/रामा रेगर	,,	1,000
22.	,, चतरु/जगन्नाथ चमार	,,	1,000
23.	,, संरजमल/वरदा बलाई	,,	1,000
24.	,, भंवरलाल/चतुर्भुज खटीक	,,	1,000
25.	,, राम लाल/भेरु लाल खटीक	,,	1,000
26.	,, बालू लाल/राम चन्द मेघवाल	,,	1,000
27.	,, वरदी राम/मूल चन्द रेगर	,,	1,000
28.	,, मोडा/लक्ष्मण जटिया	,,	1,000
29.	,, बद्री लाल/घासी जटिया	,,	1,000
30	,, गोकल/मेघा खटीक	,,	1,000
31.	,, हेमराम/मोतिया माली	,,	1,000
32.	,, हीरा लाल/उदाजी मेघवाल	,,	1,000
33.	,, मोहन लाल/जगन्नाथ जटिया	,,	1,000
34.	,, हीरा लाल/किशना बलाई	,,	1,00
35.	,, घीसा लाल/हरजी रेगर	,,	1,000
36.	,, नारायण/डालू रेगर	,,	1,000
37.	,, बगदू/प्यारा जटिया	,,	1,000
38.	,, लालू/ओंकार रेगर	,,	1,000
39.	,, अम्बा लाल/मोड़ा जटिया	,,	1,000
40.	,, भेरु लाल/रामा रेगर	,,	1,000
41.	,, शिव नारायण/किनना सालवी	,,	1,000
42.	,, बगदू/झगन्नाथ चमार	,,	1,000
43.	,, चतरभुज/नारायण रेगर	,,	1,000
44.	,, केलीराम/गंगाराम रेगर	,,	1,000

1	2	3	4
45.	श्री भैरू लाल/ओंकार जटिया	अनुसूचित जाति/जन जाति	1,000
46.	,, भेरा/भगाजी रेगर	,,	1,000
47.	,, उदा/ओंकार खटीक	,,	10,000
48.	,, भगवतीलाल/ओंकार खटीक	,,	15,000
49.	,, रतनलाल/प्यारा खटीक	,,	5,000
		योग	76,000

नागौर

1.	श्री नोवाराम/मोड़ाराम	,,	1,000
2.	,, सुख राम/छोटा राम	,,	1,000
3.	,, गोपा राम/छोगा राम	,,	1,000
4.	,, जिया राम/रूपा राम	,,	1,000
5.	,, सोभा राम/राजू राम	,,	1,000
6.	,, जगा राम/पन्ना राम	,,	1,000
7.	,, छोगा राम/तारा राम	,,	1,000
8.	,, मोहन राम/पदमा राम	,,	1000
9.	,, रोशन अली/नकगर	,,	1,000
10.	,, राम निवास/प्रभू राम माली	,,	1,000
		योग	10,000

चित्तौड़गढ़

1.	श्री सुख राम/भूरा राम बलाई	,,	1,000
2.	,, मांगी लाल/वरदा खटीक	,,	1,000
3.	,, लक्ष्मण/हेमा भांभी	,,	1 000
4.	,, नानू राम/मेघा मेघवाल	,,	1,000
5.	,, चुन्नी लाल/बृज लाल बेरवा	,,	1,000
6.	,, डालू/ओंकार	,,	1,000

1	2	3	4
7.	श्री वेणी राम/हरा	अनुसूचित जाति/जन जाति	1,000
8,	,, गोकुल/हरा रेगर	,,	1,000
9.	,, घोमू/नीला रेगर	,,	1,000
10.	,, मथुरा/देवा रेगर	,,	1,000
11.	,, रामा/कनी राम	,,	1,000
12.	,, मीठू/ओंकार	,,	1,000
13.	,, नानू राम/कजोड़	,,	1,000
14.	,, लालू/कालू	,,	1,000
15.	,, बन्सी/मांगू रेगर	,,	1,000
16.	,, हजारी/नारायण रेगर	,,	1,000
17.	,, पोखर/नारायण रेगर	,,	1,000
18.	,, रूपा/कल्ला रेगर	,,	1,000
19.	,, किशन/गोपी चमार	,,	5,000
20.	,, भंवर लाल/नारायण लाल	,,	5,000
		योग	28,000

जोधपुर

1.	श्रीमती विरजू देवी	,,	1,000
2.	,, गोमती	,,	1,000
3.	श्री बुद्धा राम	,,	1,000
4.	,, धोला राम	,,	1,000
5.	,, राम सुख	,,	1,000
6.	,, बद्री लाल	,,	1,000
7.	श्रीमती थोर देवी	,,	1,000
8.	श्री गंगा राम	,,	1,000
9.	,, चौथा राम	,,	1,000
10.	,, दुर्गा राम/हरि राम	,,	1,000

1	2	3	4
11.	श्री मंगला राम	अनुसूचित जाति/जन जाति	1,000
12.	,, सुरता राम	,,	2,000
13.	,, झुमर लाल	,,	2,000
14.	,, हजारी राम	,,	2,000
15.	,, चावण्डा राम	,,	2,000
16.	,, शंकर लाल	,,	2'000
17.	,, हरि राम	,,	2,000
18.	श्रीमती हरिया देवी	,,	2,000
19.	श्री राजू राम	,,	2,000
20.	,, पोकर राम	,,	2,000
21.	,, हरजी	,,	2,000
22.	,, मेगी राम	,,	1,000
23.	,, भंवर लाल	,,	1,000
24.	,, छोगा राम	,,	1,000
25.	,, लिखमा राम	,,	1,000
26.	,, दुर्गा राम/राजूजी	,,	1,000
		योग	35,000

भरतपुर

1.	श्री शिव चरण	,,	2,000
		योग	2,000
		योग वर्ष 82–83	2,51,000

1983–84

जोधपुर

1.	श्री मंगला राम/पीथा राम मेघवाल	,,	5,000
2.	,, पूसा/रिखा राम	,,	2,500

1	2	3	4
3.	श्री हमीरा राम/दुर्गा राम	अनुसूचित जाति/जन जाति	2,500
4.	,, हुकमा राम/शेरा राम	,,	2,500
5.	,, अचल राम/नारंग	,,	2,500
6.	श्रीमती अमरती/भुरा राम	,,	2,500
7.	,, कमला देवी/मोहन लाल	,,	2,500
8.	श्री गोविन्द राम/सूरजमल	,,	2,500
9.	,, राधा राम/अन्ना राम	,,	2,000
10.	,, पदमा राम/मेना राम	,,	2,000
11.	,, केवल राम/भानु राम	,,	2,500
12.	,, लाला राम/दूला राम	,,	2,000
13.	,, आनन्द राम/धोंकल राम	,,	2,000
14.	,, मोहन राम/प्रहलाद राम	,,	4,000
15.	,, सोना राम/चतरा राम	,,	4,000
16.	श्रीमती हमली/बाबू लाल	,,	4,000
17	श्री माणक राम/मेघ राम	,,	4,000
18.	,, निजामुद्दीन/बपात खां	अन्य जाति	5,000
19.	,, चुन्नी लाल/मांगी लाल	अनुसूचित जाति/जन जाति	3,000
20.	,, नारायण/प्रतापजी	,,	3,000
21.	,, पुख राम/बिरजा राम	,,	3,000
22.	,, रेखा राम/रामू राम	,,	3,000
23.	,, बाबू राम/जोरा राम	,,	2,000
24.	,, चावण्डा राम/भाकमजी	,,	2,000
25.	,, पाबू राम/हजारी राम	,,	3,000
26.	,, चम्पा राम/घेव राम	,,	3,000
27.	,, सीता राम/रुघा राम	,,	2,000
28.	,, हरि राम/मांगल लाल	,,	2,000
		योग	82,000

सिरोही

1	2	3	4
1.	श्री बरकत खां/खुदा बक्ष	अन्य जाति	5,000
2.	,, बनवारी लाल/मूल चन्द खटीक	अनुसूचित जाति/जन जाति	5,000
		योग	10,000

बीकानेर

1.	,, किशन लाल/खना राम नायक	,,	4,000
2.	,, हरिश ओझा/मोहन लाल	,,	4,000
		योग	8,000

जयपुर

1.	,, भागीरथ/मांगी लाल	,,	5,000
2.	,, ज्ञान चन्द/तुलसी राम	,,	5,000
3.	,, मांगी लाल/ग्यारसी लाल गूजर	,,	5,000
		योग	15,000

अजमेर

1.	श्री जे. जे. मिनरल्स	अन्य जाति	5,000
2.	,, हनुमान सिह/छितर सिंह	,,	5,000
3.	,, महेश कुमार/मोहन लाल लोढ़ा	,,	5,000
4.	,, कैलाश चन्द्र/मुफत लाल	,,	5.000
5.	,, राजेन्द्र प्रसाद/राम पाल	,,	5,000
		योग	25,000

चित्तौड़गढ़

1	2	3	4
1.	श्री हीरा/भग्गा भोई	अन्य जाति	5,000
2.	,, अमरा/नाथू रेगर	अनुसूचित जाति/जन जाति	3,000
3.	,, डाल चन्द/चेना रेगर	,,	3,000
4.	,, मोहन/गोकल बलाई	,,	3,000
5.	,, हजारी/नाथू बलाई	,,	3,000
6.	,, देवा/गोपी रेगर	,,	3,000
7.	,, भगू/भोली राम सावली	,,	5,000
		योग	25,000

करौली

1.	श्री प्रहलाद मीणा	,,	1,500
2.	,, बृज मोहन लाल माली	अन्य जाति	1,500
		योग	3,000

झालावाड़

1.	,, मांगी लाल/भूरी लाल	अनुसूचित जाति/जन जाति	2,500
2.	,, भंवर लाल/कालू राम	,,	2,500
3.	,, राम लाल/देवी लाल	अन्य जाति	2,000
4.	,, गोकुल प्रसाद/तुलसी दास	,,	3,000
		योग	10,000

उदयपुर

1.	श्री बसन्त कुमार/दलपत सिंह बोराणो	,,	3,000
		योग	3,000

बांसवाड़ा

1	2	3	4
1.	श्री भंवर लाल/हजारी लाल डांगी	अन्य जाति	25,000
2.	,, परवत लाल/भीखा	अनुसूचित जाति/जन जाति	5,000
		योग	30,000

निम्बाहेड़ा

1.	श्री बन्सी लाल/मोड़ाजी रेगर	अनुसूचित जाति/जन जाति	3,000
2.	,, बद्री लाल/मोड़ाजी	,,	3,000
3.	,, लक्ष्मी चन्द/तारा चन्द	,,	3,000
4.	,, बद्री लाल/लालूजी	,,	3,000
5.	,, मीठू लाल/तारा चन्द	,,	3,000
6.	,, दली चन्द/प्यारा सालवी	,,	4,000
		योग	19,000

बून्दी

1.	श्री छितर लाल/राम नारायण मीणा	,,	5,000
2.	,, बद्री लाल/राम नाथ धाकड़	अन्य जाति	5,000
		योग	10,000

रामगंजमण्डी

1.	श्री शंकर लाल/भंवरलाल	अनुसूचित जाति/जन जाति	2,500
2.	,, समन्दर खां/हसन खां	अन्य जाति	2,500
		योग	5,000

बिजोलिया

1.	श्री हीरा/माना चमार	अनुसूचित जाति/जन जाति	5,000
2.	,, बाबू लाल/सवाजी	अन्य जाति	5,000
		योग	10,000

टोंक

1	2	3	4
1.	श्री राम निवास/भूरा राम बैरवा	अनुसूचित जाति/जन जाति	5,000
2.	,, राम धन/मोती लाल रेगर	,,	5,000
		योग	10,000

भरतपुर

1.	,, राम प्रसाद/हड़ जाटव	,,	2,000
2.	,, मोती लाल/गोगा राम जाटव	,,	2,000
3.	,, बाबू लाल/भीखम सिंह जाटव	,,	2,000
		योग	6,000

नीम का थाना

1.	श्री कृष्ण	अनुसूचित जाति/जन जाति	2,000
2.	,, फूल चन्द	,,	2,000
3.	,, श्रवण कुमार	,,	2,000
4.	,, शंकर लाल	अन्य जाति	2,000
5.	,, रोशन लाल	,,	2,000
		योग	10,000

सोजतसिटी

1.	,, गुला राम/पुना राम मेघवाल	अनुसूचित जाति/जन जाति	1,000
2.	,, नारायण राम/पूना राम मेघवाल	,,	1,009
3.	,, हरि राम/सूरताजी मेघवाल	,,	1,000
4.	,, मीठू सिंह/भूर सिंह	अन्य जाति	1,000
5.	,, दाउ सिंह/पन्ने सिंह	,,	1,000

1	2	3	4
6.	श्री डूंगर सिंह/माल सिंह	अन्य जाति	1,000
7.	,, नारायण लाल/बीजा राम	,,	1,000
8.	,, छगा राम/नाना राम	,,	1,000
9.	,, चमन सिंह/हुकम सिंह	,,	1,000
10.	,, राजू सिंह/खुमाण सिंह	,,	1,000
11.	,, हुकम सिंह/पन्ने सिंह	,,	1,000
		योग	11,000
		वर्ष 83-84 का योग	2,92,000

1984-85

जोधपुर

1.	,, रामचन्द्र/अखा राम मेघवाल	अनुसूचित जाति/जन जाति	5,000
2.	,, माला राम/भूरा राम मेघवाल	,,	5,000
3.	,, डूंगा राम/सोला राम मेघवाल	,,	5,000
4.	,, तगा राम/भोला राम मेघवाल	,,	5,000
5.	,, रिखवराज/धरमा राम मेघवाल	,,	5,000
6.	,, काना राम/नाथू राम वेलदार	,,	5,000
7.	,, श्रीमती ढलकी/मोड़ा राम मेघवाल	,,	5,000
8.	श्री भूरा राम/पेमा राम	,,	5,000
9.	,, नेमा राम/चेना राम	,,	5 000
10.	,, छेला राम/मांगी लाल मेघवाल	,,	3,000
11.	,, जोधा राम/सातू राम मेघवाल	,,	5,000
12.	,, बीजा राम/जोधा राम मेघवाल	,,	5,000

1	2	3	4
13.	श्री लक्ष्मणराम/ननूराम बलाई	अनुसूचित जाति/जन जाति	5,000
14.	,, चेतन राम/चावण्डराम	,,	5,000
15.	,, पेमा राम/लिखमा राम	,,	5,000
16.	,, माना राम/रतन लाल मेघवाल	,	5,000
17.	, भीखा राम/दला राम मेघवाल	,,	4,000
18.	,, खेमा राम/ताजू राजू	,,	4,000
19.	,, गिरधारी लाल/मांगी लाल	,,	4,000
20.	,, चन्दा राम/मंगल राम मेघवाल	,,	5,000
21.	,, बुद्धा राम/गेना राम मेघवाल	,,	5,000
22.	,, अचला राम/बद्री राम	,,	5,000
23.	श्री चतरभुज/पूरा राम	,,	5,000
24.	,, मेघा राम/चेतन राम माली	अन्य जाति	5,000
25.	,, सेरा राम/मंगा राम माली	,,	5,000
26.	,, चानण राम/केसा राम माली	,,	5,000
27.	,, आदू राम/इजादी राम माली	,,	5,000
28.	,, उपदेश प्रकाश/प्रेम सुख माली	,,	5,000
29.	,, खेमा राम/जग रूप चौधरी	,,	5,000
30.	,, प्रेम लाल/रूपा राम	,,	5,000
31.	,, डूंगर राम/राणा राम	,	5,000
32.	,, महेन्द्र कुमार/राम चन्द्र	,,	5,000
33.	,, ओम प्रकाश/गुलाब चन्द जोशी	,,	5,000
		योग	1,60,000

अजमेर

1	2	3	4
1.	श्री छगन लाल/कालू राम जाटव	अनुसूचित जाति/जन जाति	5,000
2.	श्री बुद्धा लाल/नानक राम बेरवा	,,	5,000
3.	श्री लक्ष्मी नारायण/लादू राम	अन्य जाति	10,000
		योग	20,000

डूंगरपुर

1.	श्री विजय लाल/रती चन्द जैन	अन्य जाति	5,000
2.	श्री महमूद खां/दिलावर खान	,,	5,000
3.	श्री अजीम खां/शाहनूर खां	,,	5,000
4.	श्री मोहम्मद हुसैन/मोहम्मद हनीफ	,,	5,000
5.	,, महमूद खान/अब्दुल्ला खान	,,	5,000
6.	,, नूर आलम/आजाद खां	,,	5,000
7.	,, शेर आलम/आजाद खां	,,	5,000
8.	,, नूर मोहम्मद/नूर आलम	,,	5,000
9.	,, जीवा/धूला आदिवासी	अनुसूचित जाति/जन जाति	5,000
10.	,, जीवा/हुवजी आदिवासी	,,	5,000
11.	,, खातरा/धनजी आदिवासी	,,	5,000
12.	,, नाथू/खेमा आदिवासी	,,	5,000
13.	,, नाना/कुबेर आदिवासी	,,	5,000
14.	,, अचरु/पेमा आदिवासी	,,	5,000
		योग	70,000

निम्बाहेड़ा

1	2	3	4
1.	श्री बाबू लाल/कनी राम कालबेरिया	अनुसूचित जाति/जन जाति	5,000
2.	,, गोकल/कनी राम कालबेलिया	,,	5,000
3.	,, भगा/चेना रावत	,,	1,000
4.	,, भंवर लाल/राम लाल जटिया	,,	5,000
5.	,, भंवरनाथ/माना नाथ कालबेरिया	,,	1,000
6.	, गोकुल राम/लखमाजी रावत	,,	3,000
7.	,, पूरणमल/नाथू लाल	अन्य जाति	3,000
8.	,, ब्रद्री लाल/लक्ष्मण कुमार	,,	5,000
9.	,, सीता राम/मांगी लाल तेली	,,	5,000
10.	,, सरदार मोहम्मद/ मोहम्मद खान	,,	1,000
11.	,, शांति लाल/लक्ष्मण कुमार	,,	2,000
		योग	36,000

जयपुर

1.	श्री आनन्दी लाल/पूरणमल रेगर	अनुसूचित जाति/जन जाति	5,000
2.	श्री मेवा राम/भोराम बलाई	,,	5,000
3.	श्री कैलाश चन्द्र/हनुमान सहाय सैनी	अन्य जाति	5,000
		योग	15,000
		वर्ष 84-85 का कुल योग	3,01000

परिशिष्ट 13

(अतारांकित प्रश्न संख्या 406की सूची)

परिशिष्ट-अ

सूची स्थानान्तरण पटवारियान अवधि मार्च, 1985 जिला चूरू

क्र. सं.	नाम कर्मचारी	कहां से	कहा को
1	2	3	4
1.	श्री सत्यनारायण शर्मा	कस्बा तारानगर	खण्डवा (बी)
2.	,, जयरामसिंह	खण्डवा (ब)	कस्बा तारानगर
3.	,, नत्थूराम	रामपुरा	कस्वा तारानगर
4.	,, जयरामसिंह	कस्बा तारानगर	खालोली
5.	,, लालचन्द	रतननगर	थैलासर
6.	,, वासुदेव	थैलासर	रतननगर
7.	,, विरेन्द्रकुमार	बूटिया	नाकरासर
8.	,, नारायण प्रसाद	नाकरासर	सहनाली छोटी
9.	,, भंवरसिंह	सहनाली छोटी	बूटियां
10.	,, वाजिदखां	सहजूसर	चलकोई बणीरोहतान
11.	,, भानीराम	अ. सु. चूरू	सहजूसर
12.	,, महावीरप्रसाद	अ. सु. चूरू	अ. पटवारी भारिया
13.	,, जयमालराम	बैजासर	जैतसीसर
14.	,, कासीराम	भाऊवाला	बन्धुनाऊ
15.	,, गुलाम मोहम्मद	जैतसीसर	राजासर पंवारान
16.	,, देवीलाल	बंधनाऊ	ऊडसर
17.	,, लालखां	घड़सीसर	बैजासर
18.	,, बन्सीधर	राजासर पंवारान	जैतासर

1	2	3	4
19.	श्री बिशनलाल	जैतासर	घड़सीसर
20.	,, राधेश्याम	बुकनसर छोटा	भोजरासर
21.	,, किशनलाल शर्मा	उडसर	अजीतसर
22.	,, लक्ष्मण सिंह	अजीतसर	देराजसर
23.	,, हंसराज	देराजसर	बुकनसर छोटा
24.	,, हनुमान सिंह	भोजराजसर	भाऊवाला
25.	,, जग्गुराम	दाऊदसर	लूंछ
26.	,, गुलाबचन्द	लधासर	अ. सु. रतनगढ़
27.	,, कुशललाराम	गोलसर	दाऊदसर
28.	,, धनराज	मेलूसर	बीनासर
29.	,, जगदीश प्रसाद	भानुदा	गोलसर
30.	,, जगदेवकुमार	भुखरेड़ी	भानुदा
31.	,, राधेश्याम	बीनादेसर	भूखरेड़ी
32.	,, सांवरमल	लूंछ	मेलूसर
33.	,, पुरुषोतमलाल	हामूसर	पाबूसर
34.	,, मूलचन्द	अ. सु. डूंगरगढ़	गुसांईसर
35.	,, भागीरथ	गुसांइसर	दुसारणाबड़ा
36.	,, गोकुलराम	इन्दपालसर	जाखासर
37.	,, त्रिलोकचन्द	दुसारणा बड़ा	बिग्गा
38.	,, रामदयाल	बिग्गा	जैतासर
39.	,, अमर सिंह	लालगढ़	जिली
40.	,, भैरूदान	जिली	सालासर
41.	,, रामनिवास	सालासर	चाड़वास

1	2	3	4
42.	श्री रोशनखां	सड्ड	लालगढ़
43.	,, पृथ्वीसिंह	मलसीसर	खारिया कनीराम
44.	,, मांगीलाल	खारियाकनीराम	आवसर
45.	,, रामेश्वरलाल	आवसर	दुकर
46.	,, शंकरलाल	दुंकर	राजियासर
47.	,, रामकिशन	राजियासर	मलसीसर
48,	,, शेरसिंह	बम्बू	सांखू
49.	,, मो. अमानुले खां	सांखू	बम्बू
50.	,, दयालसिंह	नीमा	बिरमीखालसा
51.	,, मोहनसिंह	बिरमीखालसा	मगोर
52.	,, प्रतापसिंह	गगोर	पहाड़सर
53.	,, लक्ष्मीचन्द	पहाड़सर	सूरतपुरा
54.	,, भोपालसिंह	सूरतसपुरा	नेशल
55.	,, ओंकारमल	नेशल	खैरूवड़ी
56.	,, हनुमानप्रसाद	बीझांवास	लीलकी
57.	,, मांगीलाल	लाखलाण	भुवाड़ी
58.	,, बृजलाल	भुवाड़ी	लाखलाण
59.	,, मेघसिंह	अ. सु. राजगढ़	नीमां
60.	,, जयकरण	झाडसरकांधकान	सोमसीसर
61.	,, बहादुरसिंह	सोमसीसर	झाडसरकांधला
62,	,, महावीरप्रसाद	झारसर छोटा	साहवा
63.	,, पीरूराम	साहवा	झाडसर छोटा
64.	,, इन्द्रराज साहरण	अ. सु. तारनगर	तोगावास

1	2	3	4
65.	श्री मुरलीधर	भू. रूपा चूरू	अ. सु. सरदारशहर
66.	,, छगनलाल	,, ,,	अ. सु. तारागढ़
67.	,, गोपाल	ढिंगारला	अ. सु. राजगढ़
68.	,, अनोपसिंह	लोहा	शिमला
69.	,, सलेमुदीन	कस्बा राजगढ़	बीझांवास
70.	,, फैज मोहम्मद	खैरुबड़ी	कस्बा राजगढ़
71.	,, ईश्वरराम	दुलचासर	सोनियासर
72.	,, गुलामचन्द	सोनियासर	दुलचासर
73.	,, मो. हनीफ	झारिया	चलकोई
74.	,, वाजिद खां	चलकोई	झारिया
75.	,, नेक मोहम्मद	अ. सु. चूरू	अ. झारिया
76.	,, दरियासिंह	ढाणी कुम्हरान	इन्दपालसर
77.	,, तारासिंह	तारानगर	ढाणी कुम्हरान
78.	,, हरलालसिंह	शेरुपा	लादड़िया
79.	,, पीरूराम	झाडसर छोटा	राजपुरा
80.	,, मालसिंह	राजपुरा	झाडसर छोटा
81.	,, प्रतापसिंह	ऊडवाला	पिचकराईताल
82.	,, रामप्रकाश	पिचकराईताल	ऊडवाला
83.	,, पेमाराम	बीदासर	लुहारा
84.	,, सोहनलाल	रिडखला	हरासर
85.	,, गुलाम नबी	शिमला	मेलूसर
86.	,, रामसिंह बाना	रातुसर	सिधमुख
87.	,, रामकिशन	मेलूसर	रातुसर

1	2	3	4
88.	श्री रामसिंह बिस्सु	कालरी	काजण
89.	,, चन्दनमल	काजण	कालरी
90.	,, पूणमल	सड्डू छोटी	चाड़वास
91.	,, रामनिवास	चाडवास	मुरडाकिया
92.	,, भानुराम	मुरडाकिया	बीदासर
93.	,, बलदेवसिंह	सिधमुखा	अ. सु. राजगढ़
94.	,, सुल्तानसिंह	गुलेरिया	साहवा
95.	,, छगनलाल	अ. सु. तारानगर	रिखडला
96.	,, शुभकरण	हारासर	कस्वा रतनगढ़
97.	,, नेक मोहम्मद	अ. भारिया	अ. सु. चूरु
98.	,, गुलाम नवी	ढाढर	अ. भारिया
99.	,, राधाकिशन	रामपुरा	ढाढर
100.	,, रूपचन्द	अ. सु. चूरु	रामपुरा
101.	,, बजरंगलाल	घानोठी वड़ी	अ. कस्वा चूरु
102.	,, श्री गोपाल	अ. राजगढ़	धनोठी बड़ी
103.	,, भागीरथ	दुसाँरणा	लखासर
104.	,, चन्द्रसेन	स. अ. डूगरगढ़	धरदेसर चोटियान
105.	,, नोपीराम	धीरदेसरचोटियान	कुनतासर
106.	,, मुमताजअली	कुनतासर	दुसारणा
107.	,, श्रीकिशन प्रथम	जोघासर	जैसलसर
108.	,, चेतनराम	लखासर	स. अ. डूंगरगढ़
109.	,, भंवरसिंह	शेरुणा	अ. सु. रतनगढ़
110	,, सोहनलाल जाट	अ. सु. रतनगढ़	शेरुणा

1	2	3	4
111.	श्री भजनलाल	कुसुमदेसर	सुमेरिया
112.	,, शिवचन्द	सुमेरिया	नूवां
113.	,, घड़सीराम	नूवां	कुसुमदेसर
114.	,, अमीचन्द	गाजूवास	बांय
115.	,, चाणक्यप्रसाद	बांय	गाजूवास.
116.	,, भंवरलाल	तेनदेसर	ज्याक
117.	,, अस्तुखां	ज्याक	तेनदेसर
118.	,, आदुराम	बडावर	स. अ. सुजानगढ़
119.	,, प्रहलादराय	स. अ. सुजानगढ़	बडावार
120.	,, जयसिंह	भीमसाना	लम्बोर बड़ी।
121.	,, रिपुदमन	लम्बोर बड़ी	भीमसाना
122.	, इन्द्रराम	अ. सु. सरदारशहर	पूलासर
123.	,, सीताराम	वणियासर	अ. सु. सरदारशहर
124.	,, छोटूलाल	पूलासर	वणियासर
125.	,, बल्लूखां	भोजासर छोटा	कानड़वास
126,	,, धन्ना राम	कानडवास	कीकांसर
127.	,, चम्मा लाल	कीकासर	भोजासर छोटा
128.	,, दुर्गादत्त सांखला	खण्डवा	कोटवादताल
129.	,, युसूफअली	कोटवादताल	खण्डवा
130.	,, चुन्नीलाल	मोमासर	ढकरियासर
131.	,, मालाराम	ढकरियासर	मोमासर
132.	,, सांवतसिंह	घांघ	जि. का. चूरू
133.	,, गोविन्दराम	जि. का. चूरू	घांघू

1	2	3	4
134.	श्री श्रीचन्द	जि. का. चूरू	स. ग्र. चूरू
135.	,, नेक मोहम्मद	स. ग्र. चूरू	जि. का. चूरू
136.	,, महबूब ग्रली	जि. का. चूरू	स. ग्र. चूरू
137.	,, रामगोपाल	स. ग्र. चूरू	जि. का. चूरू
138.	,, हासमग्रली	हमरवास	रामपुरा
139.	,, रूपचन्द	रामपुरा	हमीरवास
140.	,, दुर्गादत्त	लोहसना बड़ा	जोड़ी
141.	,, लादूराम	जोड़ी	सिरसला
142.	,, सांवरमल	सिरसला	लोहसना बड़ा
143.	,, ग्रमानुलेखा	बम्बू	ग्र. सु. तारानगर
144.	,, धनराज	बिनादेसर	राजलदेसर
145,	,, तोलाराम	राजलदेसर	बीनादेसर
146.	,, चन्द्रसेन	धीरदेसर चोटियान	ग्र. डूंगरगढ़
147.	,, चेतनराम	स. ग्र. डूंगरगढ़	धीरदेसर चोटियान
148.	,, रामेश्वर लाल	पंडरेऊटिब्बा	भीमसर
149.	,, रूपचन्द	भीमसर	पंडरेऊटिब्बा
150.	,, जयसिंह	लम्बोरबड़ी	सिधमुख
151.	,, रामसिंह वाना	सिधमुख	लम्बोरबड़ी
152.	,, मुश्ताकग्रली	धन्धसेऊ	इन्द्रपालसरबड़ा
153.	,, किशनलाल	ग्रजीतसर	गिड़गिचियासर
154.	,, भागीरथ कस्वां	रामसीसर	देराजसर
155.	,, लक्ष्मण सिंह	देराजसर	ग्रजीतसर
156.	,, रामनिवास	गिड़गिचिया	बन्धनाऊ

1	2	3	4
157.	श्री कासीराम	बन्धनाऊ	रामसीसर
158.	,, भगवानाराम	मुकनसर बड़ा	अ. मु. सरदारशहर
159.	,, किशनलाल सैनी	अ. मु. सरदारशहर	बुकनशहर
160.	,, राजाराम	तोलियासर	कस्बा डूंगरगढ़
161.	,, सूरजप्रकाशकालिया	कस्वा डूंगरगढ़	तोलियासर
162.	,, मुन्सीराम	नोरंगपुरा	सांख
163.	,, रामसिंह	गालड़	गोठियाबड़ी
164.	,, रामलाल	गोठियाबड़ी	गालड़
165.	,, सिराजुद्दीन	डोकवा	हमीरवास
166.	,, सलेमुद्दीन	बीभांवास	सरजूसर
167.	,, दौलतराम	अ. मु. रतनगढ़	पाबूसर
168.	,, मोहम्मद जमील	इन्द्रपुरा	ढाढर
169.	,, राधाकिशन	ढाढर	दुसारणा
170.	,, नेक मोहम्मद	जि. का. चूरू	बीभांसर
171.	,, भानीराम	सरजूसर से	जि. का. चूरू
172.	,, रूपचन्द	हमीरवास	डोकवा
173.	,, शेरसिंह	सांखू से	नौरंगपुरा
174.	,, धनराज	अ. मु. चूरू	वालरासर
175.	,, महावीर प्रसाद	अ. मु. चूरू	आडसर
176.	,, गिरधारी लाल	आडसर	अ. मु. सरदारशहर
177.	,, भगवानाराम	अ. मु. सरदारशहर	दूधवाखारा
178.	,, इन्द्राराम	पूलासर	अ. मु. सरदारशहर
179.	,, मुरलीधर	अ. मु. सरदारशहर	अ. मु. चूरू

1	2	3	3
180.	श्री . सूरजभान	फोगा से	देपालसर
181,	,, सरदाराराम	मिखाला से	धीरवास
182.	. काशीराम	धीरवास	मिखाला
183.	,, नागरमल	जालंवसर	उदरसर
184.	, भंवरलाल	उदरासर	जालक्सर
185.	,, ईनायत अली	देपालसर	लोहसना बड़ा
186.	,, लक्ष्मीनारायण	वालरासर	जि. का. चूरू
187.	,, सांवरमल	लोहसनां बड़ा	जि. का. चूरू
188.	,, करणीसिंह	जि. का. चूरू	अ. अ. चूरू
189.	,, अनूपसिंह	ढूवाखारा	फोगा
190.	,, विजयसिंह	वीनासर	सातडा
191.	,, रुसतमखां	सातडा	वीनासर
192.	,, राधाकृष्ण	दुसारणा	खींवासर
193.	,, किशनलाल	खींवासर	वीनासर
194.	,, मोहनसिंह	घान्टेल	पीथीसर
195.	,, वशीर अहमद	पीथीसर	घान्टेल
196.	,, मोहम्मद इसरीस	लाखाऊ	लालासर
197.	,, महावीर सिंह	कस्वा चूरू	वींझासर
198.	,, माधवसिंह	लालासर	कस्वा चूरू
199.	,, नेक मोहम्मद	वींझावास	लाखाऊ
200.	,, पूर्णमल	मालसर	साडासर
201.	,, भंवरसिंह	साडासर	मालसर
202.	,, तोलाराम	कस्वा सुजानगढ़	बीदरासर

1	2	3	4
203.	श्री भगवानाराम	दूधवाखारा	जैसरासर
204.	,, मुरलीधर	ग्र. मु. चूरू	जि. का. चूरू
205.	,, मेघराज	ग्र. मु. रतनगढ़	बीनादेसर
206.	,, गजानन्द	कोहिणा	बूचावास
207.	,, लालचन्द	बूचावास	कोहिणा
208.	,, ग्रजीतसिंह	भूरावास	गडाना
209.	,, पन्नालाल	गडाणा	पनावास
210.	,, शंकरलाल	बायला	भालेरी
211.	,, खेमाराम	लुहारा	बोबासर
212.	,, रामलाल	मैणासर	भरपालसर
213.	,, बालूराम	भरपालसर	मैणासर
214.	,, भानूराम	बीदासर	कानूता
215.	,, चाणक्य प्रसाद	गाजूवास	रेया टुण्डा
216.	,, लक्ष्मणसिंह	भालेरी	गाजूवास
217.	,, नन्दलाल	काघलसर	पूलासर
218.	,, महावीरप्रसाद	बछरारा	टिडियासर
219.	,, सगलचन्द	टिडियासर	बछरारा
220.	,, कमलदेव	रणधीसर	जैतासर
221.	,, महावीरसिंह	जैतासर	रणधीसर
222.	,, भगवानीराम	खुडी	सीलियासर
223.	,, रामलाल	ग्रमरसर	खुडी
224.	,, शिवकुमार	उटालड	ग्रमरसर
225.	,, बनवारीलाल जाखड़	रामसरा	भीमसाना
226.	,, गुलजारीलाल	सेऊवा	रामसरा

1	2	3	4
227.	श्री भंवरसिंह	किसनपुरा	भैसली
228.	,, रिपदमन	भीमसाना	किसनपुरा
229.	,, ओमप्रकाश	भैसली	वेवड
230.	,, प्यारेलाल	वेवड	सेउवा
231.	,, मामचन्द	भगेला	गुलपुरा
232.	,, वदलूराम	गुलपुरा	चैनपुरा
2`3.	,, कुम्भाराम	चैनपुरा	अ. सु. डूंगरगढ़
234.	,, अमरसिंह	अ. सु. डूंगरगढ़	भगेला
235.	,, जगमालसिंह	कालाणा	सांखपताल
236.	,, रामकरण	सांखपताल	कालाणा
237.	,, चम्पालाल	वाना	पून्दलसर
238.	,, सीताराम	ऊपनी	वाडेला
239.	,, जीवाराम	वाडेला	वाना
240.	,, श्रीकृष्ण	जैसलसर	जैतासर
241.	,, रामदयाल	जेतासर	लोडेरा
242.	,, भंवर सिंह	आसपालसर	वरजांगसर
243.	,, वलदेव सिंह	वरजांगसर	आसपालसर
244.	,, तेजाराम	वीकमसरा	ढाणी पांचरा
245.	,, गोविन्दसिंह	ढाणी पांचेरा	वीकमसरा
246.	,, बालचन्द	विल्यू	रणसीधर
247.	,, अहमदअली	रणसीसर	विल्यू
248	,, सोहनसिंह	जसरासर	रंगाईसर
249.	,, भंवरलाल	रंगाईसर	फोंगा

(430)

1	2	3	4
250.	श्री भंवरलाल	रेडी	आनन्दसिंहपुरा
251.	,, महावीर प्रसाद मिश्र	हडियाल	आनन्दसिंहपुरा
252.	,, लक्ष्मीनारायण	आनन्दसिंहपुरा	साहवा
253.	,, हीरालाल	लोडरेरा	सांवतसर
254.	,, खेमचन्द	पुन्दलसर	जैसलसर
255.	,, भागीरथ कानडा	साहवा	कांधलसर
256.	,, अलीनूरमोहम्मद	नवां	अ.सु. राजगढ़
257.	,, बलदेवसिंह	अ.सु.राजगढ़	नवां
258.	,, श्याम सुन्दर	सांवतसर	हडियाल
259.	,, भजनलाल	रेयाटुण्डा	अ.सु. रतनगढ़
260.	,, सुमेरसिंह	छाजूसर	लुहारा
261.	,, प्रेमसिंह	कालवास	तोगावास
262.	,, इन्द्राज सहारण	तोगावास	कालवास
263.	,, मुस्ताक अली	इन्दपालसर बड़ा	जोधासर
264.	,, अब्दुल शकूर	जोधासर	इन्दपालसर बड़ा
265.	,, त्रिलोक चन्द	विग्गा	कीतासर
266.	,, सन्तराम बुन्देला	कीतासर	विग्गा
267.	,, महावीर प्रसाद	अ.सु. चूरू	वीनासर
268.	,, किसनलाल जांगीड़	वीनासर	अ.सु. चूरू
269.	,, रामगोपाल	अ.सु.चूरू जि. का.	लाखाऊ
270.	,, महबूबअली	स.अ. चूरू	स.अ.जि.का. चूरू
271.	,, पूर्णमल	चाड़वास	वीदासर

1	2	3	4
272.	श्री गणेश नारायण	दूसारणा से निरस्त करते हुए	आडसर
273.	,, सांवरमल	जि.का. से निरस्त करते हुए	दूधवाखारा
274.	,, बुद्धाराम	तोलियासर	उटालड़
275.	,, अली नूर मोहम्मद	अ.सु. राजगढ़	ढिंगारला
276.	,, रामकुमार	ढिंगारला	नूहन्द
277.	,, बनवारीलाल	नूहन्द	अ.सु. राजगढ़
278.	,, तारासिंह	ढाणी कुम्हारान	स.आ. तारागढ़
279.	,, जगदीश प्रसाद	अ.सु. तारानगर	ढाणी कुम्हारान
280.	,, लक्ष्मणसिंह	गाजूवास	कस्बा तारानगर
281.	,, नत्थूराम	कस्बा तारानगर	चाडवास
282.	,, भागीरथकांगड़ा	कान्दलसर	अ.सु. तारानगर
283.	,, दौलतराम	पावूसर	अ.सु. रतनगढ़
284.	,, गलावचन्द	अ.सु. रतनगढ़	पाबूसर

(432)

परिशिष्ट 14

(अतारांकित प्रश्न संख्या 408 की सूची)

1. श्री ही॰ा सिह पुत्र श्री सुका राम
2. श्री मुरारी लाल जाटव श्री मानसिह
3. श्री छोटे लाल पाराशर पुत्र श्री रामजी लाल पाराशर
4. श्री नन्द किशोर पुत्र श्री नवल सिंह
5. श्री ललित प्रसाद पुत्र श्री ताराचंद
6. श्री टीकम सिह पुत्र श्री गोकुल चन्द
7. श्री चन्द्र प्रकाश यादव पुत्र श्री सुल्तान सिंह
8. श्री कप्तान सिंह चोहर पुत्र श्री सुन्डा राम
9. श्री असलम खां पुत्र श्री भूरे खां
10. श्री शकरुद्दीन पुत्र श्री जरीया फकीर

परिशिष्ट 15

(अतारांकित प्रश्न संख्या 24 की सूची)

तहसील गढ़ी में नियमन किये गये मामलों की सूची

1.	श्री रूपेन्द्र पुत्र हरजी	ग्राम सांकरिया
2.	श्री कालिया पुत्र कनखो	ग्राम गोपीनाथ का गढ़ा
3.	श्री भूरा पुत्र हगता	ग्राम कालिया

———